मधु कोड़ा
लूट राज

मधु कोड़ा
लूट राज

सरयू राय

भूमिका

प्रत्यूष सिन्हा

प्रभात प्रकाशन, दिल्ली
ISO 9001:2008 प्रकाशक

उन सभी मित्रों एवं
शुभेच्छुओं को जिन्होंने भ्रष्टाचार
के विरुद्ध संघर्ष में प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष
योगदान किया है और हमारा
मनोबल बढ़ाया है।

प्रकाशक • प्रभात प्रकाशन
4/19 आसफ अली रोड,
नई दिल्ली-110002
सर्वाधिकार • सुरक्षित
संस्करण • प्रथम, 2012
मूल्य • पाँच सौ रुपए
मुद्रक • भानु प्रिंटर्स, दिल्ली

MADHU KODA LOOT RAJ *by* Saryu Roy Rs. 500.00
Published by Prabhat Prakashan, 4/19 Asaf Ali Road, New Delhi-2
ISBN 978-93-5048-099-1

दो शब्द

'झारखंड है या घोटाला खंड!'
यह टिप्पणी है झारखंड उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ की।

कोड़ा लूट राज के मुकदमों की सुनवाई के दौरान घोटालों को परत-दर-परत उघड़ता देखकर माननीय उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने यह टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को समाचार-पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया। पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा, उनके कतिपय सहयोगी और उनकी मंत्रिपरिषद् के कई सदस्य घोटालों के आरोप में विगत दो वर्ष से जेल में हैं। लौह अयस्क खनन पट्टा एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति आवंटन की अनुशंसा, झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड की योजनाओं के क्रियान्वयन और झारखंड सरकार के कार्य विभागों में भ्रष्टाचार को बढ़ावा देकर अकूत धन इकट्ठा करने तथा इस काली कमाई को हवाला कारोबारियों की साँठ-गाँठ से देश-विदेश में निवेश करने का आरोप इन पर है।

जाँच एजेंसियों के अनुमान के मुताबिक यह घोटाला करीब 4,000 करोड़ रुपए का है। पर घोटाले की रकम से देश-विदेश में अर्जित संपत्ति का कुल प्रक्षेपित व्यावसायिक मूल्य आँका जाए, तो इसका विस्तार 50,000 करोड़ रुपए से कम नहीं होगा। लौह अयस्क खदान हथियाने की होड़ और सरकारी एवं गैर-सरकारी संसाधनों की बंदरबाँट से अपना घर भरने की आपा-धापी ने इस अविश्वसनीय घोटाले को अंजाम दिया है। झारखंड की लौह अयस्क संपदा का खनन पट्टा हासिल करने का स्वार्थ रखनेवालों में शायद ही कोई ऐसा होगा, जिसने इस घोटाला की परिधि में आकर कुछ पाया या खोया नहीं होगा।

विगत तीन दशक में संयुक्त बिहार और झारखंड में शीर्ष राजनैतिक एवं प्रशासनिक स्तर पर हुए भ्रष्टाचार, अनियमितता और घोटाले के कई मामले मेरी पहल पर उजागर हुए हैं। बिहार में सरकार द्वारा किसानों को घटिया खाद, बीज व कीटनाशक आपूर्ति में घोटाला, शीर्ष सहकारिता संस्थाओं में घोटाला, अलकतरा घोटाला, चारा घोटाला एवं

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 6-7 02-Jul-12, 7:25 PM

झारखंड में रेलवे पास घोटाला, विधानसभा में हुई नियुक्तियों में भ्रष्टाचार, लौह अयस्क घोटाला सदृश चर्चित मामलों में से कई में जाँच के उपरांत दोषियों पर काररवाई हुई है और भुक्तभोगियों को राहत मिली है। शासन-प्रशासन में शीर्ष स्थान पर बैठे जनप्रतिनिधियों एवं अधिकारियों के भ्रष्ट आचरण और निहित स्वार्थी बिचौलियों के साथ उनकी साँठ-गाँठ से सरकारी खजाने की लूट के चौंकाने वाले दृष्टांत सामने आए हैं।

झारखंड का लौह अयस्क घोटाला इन सभी घोटालों में अनोखा है। इसमें न केवल सरकारी खजाने की लूट हुई है, बल्कि धरती के गर्भ में हजारों वर्ष से संचित अनमोल प्राकृतिक धरोहर को कौड़ियों के भाव नीलाम कर दिया गया है। जल, जमीन, जंगल और जैव विविधता को बरबाद कर दिया गया है। इस नुकसान की भरपाई असंभव है। इस दरम्यान भ्रष्टाचार से हासिल अवैध धन को हवाला के जरिए राज्य तथा देश के भीतर और बाहर ले जाकर व्यापार करने और संपत्ति खरीदने में लगाया गया है। इससे उपजे काले धन का इस्तेमाल राज्य की राजनीति, चुनाव, सरकार और शासन को प्रभावित करने में भी हो रहा है। विडंबना है कि पुख्ता प्रमाणों के आधार पर चिह्नित हो जाने के बाद भी दोषियों के खिलाफ कारवाई करने में शासन-प्रशासन सचेष्ट नहीं रहा है। जाँच की कारवाई को अंजाम तक पहुँचाने की राह में व्यवस्था के निहित स्वार्थ व्यवधान खड़ा करते रहे हैं।

इस घोटाले ने लोकतांत्रिक व्यवस्था की विश्वसनीयता, संवैधानिक संस्थानों की उपयोगिता और कार्यपालिका की कार्यप्रणाली पर प्रश्नचिह्न खड़ा कर दिया है। राज्य की संपदा को खुलेआम लुटनेवाले, नियम-कानून को सरेआम धत्ता बतानेवाले, पुलिस-प्रशासन को डंके की चोट पर चुनौती देनेवाले तिकड़मी घोटालाबाजों और हवाला कारोबारियों के एक अदने से समूह के सामने विधानसभा, मंत्रिपरिषद् और शासन के अन्य प्रभावशाली अंगों की बेबसी का निहितार्थ क्या है? विधायिका पंगु हो जाए, कार्यपालिका किंकर्तव्यविमूढ़ हो जाए, राजनैतिक दलों के प्रासंगिक प्रभावशाली पदधारी इनके पृष्ठपोषण में लग जाएँ और इनका निर्णायक हिस्सा भ्रष्टाचारियों और निहित स्वार्थी समूहों की तीमारदारी करने लगे तो लोक प्रशासन, लोक कल्याण, लोकाचार के मान्य और स्थापित सिद्धांतों, संवैधानिक दिशा-निर्देशों और कानून के प्रावधानों का क्या होगा? लोकलाज से चलने वाला लोकतंत्र ऐसी बेशर्मी, बेहयायी और धृष्टता का सामना किसके भरोसे कर सकेगा? केंद्र और राज्य की जाँच एजेंसियाँ ऐसी परिस्थिति में मार्गदर्शन और समर्थन के लिए किसका मुँह देखेंगी? न्यायपालिका के सामने समुचित न्याय के लिए सही सूचनाएँ किस माध्यम से पहुँचेंगी?

एक ओर ये और ऐसे अनेक सवाल परेशानियाँ पैदा करते हैं तो दूसरी ओर भ्रष्ट व्यवस्था के खिलाफ खड़े होनेवाले अन्यान्य लोगों की हिम्मत आशा बँधाती है। भ्रष्टाचार

और अनियमितता के खिलाफ संघर्ष का माद्दा रखनेवालों को समाज से शक्ति मिले, इस घोटाले का अंतरराष्ट्रीय आयाम झारखंड राज्य की परिधि से निकलकर दिल्ली के गलियारों में गूँजे, इसकी आवाज देश की संसद् तक पहुँचे, लोग-बाग इसकी चर्चा करें, मामलों की सी.बी.आई. जाँच प्रभावकारी हो, घोटाले में शामिल राजनीतिज्ञों, नौकरशाहों एवं अन्य दोषियों को दंडित किया जाए, घोटाले से हासिल उनकी संपत्ति जब्त की जाए और हवाला द्वारा देश के बाहर ले जाया गया धन वापस लाया जाए—यही उद्देश्य है इस पुस्तक को प्रकाशित करने का। विश्वास रहे कि 'सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।'

इस पुस्तक के प्रकाशन में अनेक लोगों ने अपना प्रत्यक्ष-परोक्ष योगदान दिया है। किसी ने सामग्रियाँ उपलब्ध कराकर, किसी ने परामर्श देकर और किसी ने हिम्मत बढ़ाकर। ऐसे शुभेच्छुओं की सूची लंबी है। इनमें सरकारी अधिकारी, गैर सरकारी संगठन, राजनीतिक सहकर्मी और मित्रगण शामिल हैं। ये सभी भ्रष्टाचार के विरुद्ध तनकर खड़े रहनेवालों में से हैं। इन लोगों के सक्रिय सहयोग के बिना इस पुस्तक का प्रकाशन संभव नहीं था। ऐसे सभी लोगों के प्रति मैं हृदय से आभारी हूँ। पुस्तक की समस्त सामग्री प्रामाणिक दस्तावेजों पर आधारित है। इसके किसी अंश से किसी व्यक्ति या प्रतिष्ठान को ठेस पहुँचती है, तो इसके लिए में क्षमाप्रार्थी हूँ। पुस्तक सामग्री के चयन की पूरी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है।

तपोव्रत चक्रवर्ती 'मोनी' ने, जो संप्रति दैनिक समाचार-पत्र 'प्रभात खबर' के राँची संस्करण में कार्टूनिस्ट हैं, पुस्तक के लिए कार्टून तैयार किए हैं। झारखंड प्रिन्टर्स, जमशेदपुर के निदेशक काशी प्रसाद जवानपुरिया, विशाल जवानपुरिया, विवेक जवानपुरिया के कुशल एवं स्नेहिल सान्निध्य में उनके सहायक श्री संतोष मिश्रा और बाला कुमार सिंह ने पुस्तक की पांडुलिपि को आकार दिया है। मैं इन्हें हृदय से धन्यवाद देता हूँ। कॉलेज के दिनों से मेरे मित्र और पत्रकार विजय कुमार मिश्र का विशेष रूप से आभारी हूँ, जिन्होंने पुस्तक की अनगढ़ पांडुलिपि को पठनीय स्वरूप प्रदान करने में विशेष योगदान दिया है।

—सरयू राय

भूमिका

भ्रष्टाचार भारत में ऐसी समस्या का रूप ले चुका है जिससे संपूर्ण शासन प्रणाली और जनतांत्रिक व्यवस्था को खतरा है। हाल में घटित कई चर्चित प्रकरणों में सत्ता के शिखर पर बैठे लोगों के भ्रष्टाचार में संलिप्त होने के मामले प्रकाश में आए हैं। फिर अन्ना हजारे के नेतृत्व वाले एवं कई अन्य संगठनों के जन आंदोलनों ने इस भयंकर समस्या को भारतीय राजनीतिक संवाद का केंद्रबिंदु बना दिया है। लंबे समय से यह लगने लगा था कि विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित शक्तिशाली वर्ग बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार कर रहा है। उसे पकड़े जाने और दंडित होने की बिलकुल भी चिंता नहीं है। सामाजिक मूल्यों का भी निरंतर ह्रास होता जा रहा है। चाहे जिस भी तरीके से हो, समृद्धि प्राप्त करनेवाले व्यक्ति को समाज ने प्रतिष्ठा का पात्र मान लिया है, भले ही वह इसका हकदार नहीं हो। आर्थिक कामयाबी ही जब सफलता का एकमात्र मापदंड बन जाए तो एक ऐसा सामाजिक परिवेश बनता है, ऐसी कार्य संस्कृति जन्म लेती है जिसमें भ्रष्टाचार का फलना और फूलना आसान हो जाता है।

ऐसी एक धारणा बनती जा रही है और ढेर सारे लोग यह तर्क देते हैं कि यदि देश का आर्थिक विकास हो रहा है तो भ्रष्टाचार की अनदेखी की जा सकती है। मेरे विचार में यह एक खतरनाक मनोभावना है, जो अंतत: ऐसी परिस्थिति पैदा करेगी जिससे पूरे प्रशासन तथा जनतांत्रिक व्यवस्था पर से ही लोगों का विश्वास उठ जाएगा। अत: आवश्यकता इस बात की है कि भारतीय समाज भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए एक सोची-समझी नीति अंगीकृत करे। इस हेतु इस समस्या से निपटने के लिए कई स्तरों पर तथा विभिन्न श्रेणी के नागरिकों को काररवाई करनी होगी। सरयू राय ने इस पुस्तक को लिखकर उसी प्रयास को बल दिया है।

यह माना जाता है कि सूर्य का प्रकाश सबसे प्रभावी कीटाणुनाशक होता है। भ्रष्टाचार के प्रसंग में भ्रष्ट लोगों के कृत्यों को प्रकाश में लाना सूर्य किरणों की भाँति कीटाणुनाशक का काम करने जैसा होता है। जो बात छिपी रहती है या जिसके बारे में

आम लोगों में जानकारी की कमी है, वह समय के साथ अपना महत्त्व खो देती है और भ्रष्ट लोग इसी आशा में रहते हैं कि लोगों की अल्पकालीन याद्दाश्त का फायदा उन्हें मिलेगा तथा कुछ समय के बाद वे पुन: अपना वांछित स्थान और महत्त्व पा लेंगे। बहुतेरे मामलों में ऐसा हुआ भी है। यह भ्रष्टाचार की लड़ाई की धार को कुंठित करता है। पर एक लेखक की कलम में यह ताकत है कि वह ऐसा नहीं होने दे। वह अपनी लेखनी के माध्यम से लोगों को बताता है कि क्या गड़बड़ियाँ हुईं, किस प्रकार हुईं और इनमें किनकी भागीदारी थी। वह यह संकेत भी देता है कि उन्हें कौन सी संस्था अथवा व्यक्ति रोक सकते थे और ऐसा क्यों नहीं हुआ!

भ्रष्टाचार के कारणों तथा उसे समाप्त करने के उपायों पर संजीदगी से विचार करने के लिए महत्त्वपूर्ण मामलों की गहराई में जाकर उन्हें समझने की आवश्यकता है। सरयू राय की पुस्तक यह कार्य बखूबी करती है। मैं जब बिहार सरकार में कार्यरत था तो मैंने कई बार श्री राय को बिहार विधान परिषद्, विधानसभा/परिषद् की समितियों तथा अन्य सरकारी बैठकों में भाग लेते देखा था तथा उन्हें कई मुद्दों पर बहस में बोलते हुए भी सुना था। इन सभी अवसरों पर उनकी जानकारी तथा विश्लेषणात्मक क्षमता से मैं प्रभावित हुआ था। यद्यपि हमारा परिचय काफी औपचारिक ही रहा और बाद में अलग झारखंड राज्य बन जाने के बाद तो उतना भी नहीं रहा। इसलिए जब श्री राय ने मुझसे मिलकर इस पुस्तक की प्रस्तावना लिखने का अनुरोध किया तो मुझे थोड़ा आश्चर्य अवश्य हुआ। शायद मेरा एक समय 'केंद्रीय सतर्कता आयुक्त' होना इसका एक महत्त्वपूर्ण कारण रहा हो! लेकिन अब मैं सोचता हूँ तो महसूस करता हूँ कि हाल के वर्षों में मेरा श्री राय के साथ खास संपर्क में नहीं रहना, इस प्रस्तावना के लिखने के लिए एक अच्छा संयोग है; क्योंकि इस दूरी के कारण मेरे लिए यह संभव है कि मैं पूरे निष्पक्ष भाव से इसे लिख पा रहा हूँ।

यह पुस्तक बहुत ही सामयिक है तथा ऐसे समय पर प्रकाशित हो रही है जब लोगों में उच्च स्तरीय भ्रष्टाचार से लड़ने का एक तरीका भ्रष्ट आचरण और उसमें संलिप्त व्यक्तियों को सामने लाना भी है। मधु कोड़ा का मामला पिछले कई वर्षों से राष्ट्रीय स्तर पर बहुचर्चित रहा है। श्री राय ने इस प्रकरण को बड़े ही रोचक ढंग से वर्णित कर उन व्यक्तिगत एवं संस्थागत खामियों को उजागर किया है जिनके कारण इतने व्यापक स्तर पर गड़बड़ियाँ हुई हैं। इस तरह उन्होंने समाज एवं देशसेवा का काम किया है। कोई मुख्यमंत्री इतने खुले ढंग से तथा इतने बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार करे और शासन तंत्र के विभिन्न अंग या तो मूकदर्शक बने रहें या इसमें सक्रिय भागीदारी रखें, तो यह गहरी चिंता का विषय है।

यह पुस्तक सारे तथ्यों को कालक्रम तथा झारखंड के राजनीतिक परिवेश के संदर्भ

में रखते हुए बताती है कि किन परिस्थितियों तथा व्यक्तियों ने इसे संभव किया। पुस्तक में न सिर्फ तथ्य दिए गए हैं वरन विश्लेषण के माध्यम से उन्हें एक परिप्रेक्ष्य भी दिया गया है। आज जब भ्रष्टाचार समाप्त करने की एक मुहिम चली है तो चर्चा में रहे घोटालों के मामलों के बारे में लोगों को विस्तार से तथा एक रोचक विश्लेषणात्मक रूपरेखा के अंदर बताना, इस मुहिम की दूरगामी सफलता के लिए भी आवश्यक है। यह पुस्तक यह कार्य करने में पूर्ण रूप से सक्षम साबित होती है।

भ्रष्टाचार का मामला राजनीति की दलीय परिधि से परे है। कोई राजनीतिक दल यह दावा नहीं कर सकता है कि शासन में रहते हुए उसके मंत्री एवं उसका नेतृत्व बिलकुल साफ-सुथरा रहा हो। फर्क सिर्फ उन्नीस-बीस का ही रहा है। अत: भ्रष्टाचार उन्मूलन की सफलता के लिए एक अनिवार्य शर्त यह है कि इसे दलगत राजनीति के साथ न जोड़ा जाए। आज भ्रष्टाचार इतना व्यापक हो चुका है तथा आम आदमी इससे इतना त्रस्त है कि वह निदान पाने के लिए विभिन्न उपायों की तलाश कर रहा है।

समाज की ऐसी मन:स्थिति का फायदा अराजकतावादी तत्व न उठाएँ, इसके लिए जरूरी है कि समाज का प्रबुद्ध वर्ग भ्रष्टाचार उन्मूलन आंदोलन से पूरी तरह जुड़े तथा उसे सही दिशा प्रदान करे। श्री राय के प्रयास को मैं इसीलिए स्वागतयोग्य पाता हूँ। पुस्तक के सारे अध्याय एक-दूसरे से संघटित रूप से जुड़े हैं तथा जो निष्कर्ष निकाले गए हैं, उनके लिए पर्याप्त दस्तावेजी प्रमाण भी दिए गए हैं।

मुझे इस पुस्तक को पढ़ने में बहुत आनंद आया तथा मेरा ज्ञानवर्द्धन भी हुआ। मैं ऐसे सभी लोगों को इस पुस्तक को पढ़ने की अनुशंसा करता हूँ, जो समसामयिक घटनाओं में रुचि रखते हैं तथा देश की समस्याओं को समझने तथा उनका हल ढूँढ़ने में जिनकी अभिरुचि है।

—प्रत्यूष सिन्हा*

* भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त (सी.वी.सी.)

व्यवस्था परिवर्तन का मानस

तब पत्रकारिता 'पैशन' (मिशन) की थी, राजनीति में भी आइडियलिज्म (आदर्शवाद) था, उन दिनों से सरयू राय को जानता हूँ, लगभग साढ़े तीन दशक (35 वर्षों) से अधिक समय से। पत्रकारिता समाज बदलाव का माध्यम बने, यह पत्रकार चाहते थे. और इस काम के लिए पत्रकारिता व पत्रकारों को जरूरत थी—प्रामाणिक मुद्दों-असल सवालों की। पूरी भारतीय राजनीति में परंपरा है—अफवाहों, गॉसिप, आधारहीन चीजों को बढ़ावा देने की, हिंदी क्षेत्रों में तो और भी अधिक। बड़े-बड़े राजनेता अनर्गल आरोप लगाएँगे और वे चाहेंगे कि उन्हें खूब प्रमुखता मिले। मीडिया जब ऐसे जड़हीन आरोपों को जगह या प्रमुखता नहीं देगी, तो वे मीडिया के खिलाफ बात करेंगे।

इसी भीड़ में सरयू राय मिले। पर उनकी बातें तर्कसंगत होतीं, शब्दों में गरिमा—छिछले शब्द या अपशब्द राजनीतिक दुश्मनों के बारे में भी नहीं। पर उनके उठाए गए सवाल अपनी जगह खुद बना लेते, क्योंकि उनमें प्रामाणिकता होती। व्यवस्था की गहरी समझ है सरयू भाई (इसी नाम से वे पत्रकारों के बीच लोकप्रिय थे) को। उनका अतीत भी उनकी साख को बढ़ाता है।

मशहूर पटना साइंस कॉलेज के वे तेजस्वी विद्यार्थी रहे। जेपी आंदोलन से प्रेरित होकर राजनीति में आए। वही मिशन, संकल्प, यथास्थिति के प्रति आक्रोश, भ्रष्टाचार के खिलाफ आग और व्यवस्था सुधार की बेचैनी उनमें है, जो 35 वर्षों पूर्व देखी थी। बदलाव की यह आग या लौ, जीवित बचा लेना, आज की दुनिया में असाधारण बात है, यह सरयू राय में है। जब से देखा, व्यवस्था की जड़ता-सड़ांध के खिलाफ लगातार संघर्ष, कई बार अत्यंत ताकतवर लोगों के खिलाफ उनकी लड़ाई देखकर लगा, वे 'एकला चलो' की राह पर हैं। जिन्हें सत्ता में बिठाया, गद्दी दिलाने में मदद की, उनके ही पाखंडों के खिलाफ खड़े, अपने धुन-संकल्प के पक्के। कई बार जब बड़े-बड़े सवाल उन्होंने उठाए, तब उन्हें उनके दल का साथ भी नहीं मिला। पर वह आधारहीन बातों में हाथ डालते ही नहीं। उनके उठाए गए मामले जब अदालत के संज्ञान में आते

या उनपर जाँच क्रम में गंभीर प्रमाण मिलते, तब लोग कहते 'सरयू राय' के उठाए सवाल निराधार नहीं होते। हिंदी राज्यों या देश में शायद ही कोई (डॉ सुब्रह्मण्यम स्वामी अपवाद हैं) ऐसा नेता हो, जिनके उठाए गए मामलों में से, दस से अधिक मामलों में सी.बी.आई. जाँच हो रही हो! वह भी किनके खिलाफ? मुल्क के ताकतवर-से-ताकतवर लोगों के खिलाफ, बड़े-बड़े नेता, बड़े कॉरपोरेट घराने, धुरंधर अफसर और राजनीति में समीकरण बनाने-बिगाड़नेवाले ताकतवर बिचौलियों के खिलाफ, ऐसे लोगों-घरानों के खिलाफ, जो देश की राजनीति-अर्थतंत्र को गहराई से प्रभावित करते हैं। जिनके खिलाफ कोई मुँह नहीं खोलता, उनके खिलाफ अकेले साधनहीन सरयू राय खड़े हैं, यही है उनकी पहचान!

संघर्ष और सृजन उनमें साथ-साथ हैं। 1983 के आसपास उनके निजी प्रयास से पटना में व्याख्यानमाला का काम चला। चार विशेष वक्ता आए, आज भी स्मृति में हैं—अरुण शौरी, आंद्रे बेते, प्रो योगेंद्र सिंह और अमित मित्रा। चारों अंतरराष्ट्रीय स्तर के प्रखर चिंतक-प्रोफेसर या व्याख्याकार। इस व्याख्यानमाला में 'सामाजिक बदलाव' मुख्य विषय होता। अगर सही-सही याद है, तो ऐसे लोगों के व्याख्यानों की वे पुस्तिका भी छपवाते। उन दिनों उनके काम को देखकर लगता घोर साधनहीन-सुविधाविहीन माहौल में वे कैसे अपनी राह पर अकेले चल रहे हैं? साइकिल से घूमते, पर अपनी छाप छोड़ते।

संयोग से उनके संघर्ष का अंश, ज्यादा प्रखर और तेज हुआ। सृजन या बौद्धिक जड़ता तोड़ने के उनके प्रयास दब-ढक गए या पीछे छूट गए। आज झारखंड में पर्यावरण पर इतना गंभीर और गहरा काम करनेवाला कोई दूसरा नहीं है। नदियों के सवाल पर हाईकोर्ट से सड़क पर उनके प्रयास अद्‌भुत हैं। जल जागरूकता अभियान, दामोदर नदी के उत्स की तलाश, दामोदर व स्वर्णरेखा महोत्सव आयोजन, दामोदर बचाओ आंदोलन, स्वर्णरेखा प्रदूषण मुक्ति अभियान, सोन नद के उत्स या उद्‌गम से गंगा संगम तक (छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड, बिहार) यात्रा, पेड़-पौधों का अध्ययन-संरक्षण, जल-संरक्षण—यह सब वह अपने बूते कर रहे हैं। एक-से-एक विशेषज्ञों को बुलाना, उनका व्याख्यान कराना और जरूरी जगहों पर संघर्ष के लिए आवश्यक हस्तक्षेप करना। दामोदर के किनारे-किनारे प्रदूषण अध्ययन करना, फिर सी.सी.एल.-बी.सी.सी.एल. या कोल इंडिया के खिलाफ आवाज, धरना, प्रदर्शन, दामोदर वैली कॉरपोरेशन के खिलाफ मुखरता। क्या सरयू राय के अतिरिक्त इन बुनियादी सवालों पर कोई झारखंडी आवाज या कथित भारी आक्रोश कहीं दिखाई-सुनाई देता है? एशिया का गौरव 'सारंडा वन' को बचाने का अभियान भी वे अकेले ही चला रहे हैं। नदियों को बचाने या पर्यावरण की रक्षा के उनके सवालों या पहल (झारखंड उच्च न्यायालय और पटना उच्च न्यायालय में इन सवालों से जुड़े उनके सवाल सुनवाई में हैं, न्यायालय में वे खुद बहस भी करते हैं) को भुला भी दिया जाए, तो देशहित (खासतौर से झारखंड हित में) की दृष्टि से खनिज संपदा की लूट पर उनके द्वारा उठाए गए सवालों को नजरअंदाज करना असंभव है। झारखंड सरकार, केंद्र सरकार, संबंधित मंत्रालयों से पत्राचार या विधायक रहे तो विधानसभा में उठाए गए उनके सवाल हैरत में डालते हैं कि एक व्यक्ति कितनी गहराई में जाकर सवालों को उठाता है! वे हर सवाल की जड़ में जाते हैं, तह तक पहुँचते हैं, इसलिए उनके उठाए सवालों से व्यवस्था घबराती है।

याद है, उन दिनों 'रविवार' कोलकाता (आनंद बाजार का चर्चित साप्ताहिक) में काम करता था, सरयू राय ने बिहार में सोन नहर का सवाल उठाया। वह 1890 के यात्रा वृतांत की एक रपट लाए। हर्बर्ट एम. विलसन नामक एक अमेरिकी विशेषज्ञ ने स्टीमर से सोन नहरों में अध्ययन यात्रा की, गंगा से 'आरा सोन नहर' में डिहरी आन सोन तक, फिर वहाँ से 'बक्सर सोन नहर' होते पुनः गंगा तक, फिर गंगा नदी होकर इलाहाबाद। उन्होंने लिखा कि ''ये नहरें 180 फीट चौड़ी और 9 फीट गहरी हैं। स्वेज नहर की तरह लगती हैं।'' 1901 में यह रिपोर्ट आई। हार्वर्ड विश्वविद्यालय ने 'सरफेस एरिगेशन' (सतह पर सिंचाई) के तहत इसे छापा। उक्त नहर की स्थिति, किसानों की दुर्दशा के खिलाफ चल रहे आंदोलन के मुख्य सूत्रधारों में सरयू राय थे। इस संघर्ष में इतने सबूत, तथ्य और साक्ष्य उन्होंने जुटाए थे कि सरकार को हस्तक्षेप करना पड़ा। पटना उच्च, न्यायालय ने संज्ञान लिया, एक ट्रिब्युनल गठित कर समाधान निकालने का निर्देश भारत सरकार को दिया, सरयू राय की भूमिका, धैर्य और योग्यता की सराहना किया।

उन्हीं दिनों का उनका एक और बड़ा संघर्ष स्मृति में है, सहकारिता माफिया के खिलाफ, (1) बिस्कोमान (2) भूमि विकास बैंक और (3) सहकारी बैंक में हो रहे घोटालों के खिलाफ संघर्ष। इन तीनों मुद्दों पर वे खुद भी 'नवभारत टाइम्स' व अन्यत्र लगातार लिखते और यहाँ हो रहे भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते, पत्रकारों-नेताओं को इसके नुकसान के बारे सविस्तार बताते, समझाते। इस तरह के कोई भी सवाल उठाने के पीछे उनका होमवर्क या तैयारी इतनी जबरदस्त रहती कि न चाहते हुए भी व्यवस्था को काररवाई करनी पड़ती। और इन सब संस्थाओं में ऐसे गैर-कानूनी कामों के सूत्रधार कौन होते थे? दिग्गज नेता (अधिकतर कांग्रेसी), बड़े अफसर, जिनके खिलाफ आवाज उठाने में लोग डरते-घबराते थे। भागवत झा आजाद जब मुख्यमंत्री बने, तो उन्होंने इन तीनों संस्थाओं को 'सुपरसीड' किया और इन जगहों पर तब तीन अत्यंत ईमानदार आई.ए.एस. प्रशासक के तौर पर बैठाए गए। उनमें (1) आरके सिंह, (2) बीके सिन्हा और (3) ए.के. बसु थे, आज ये तीनों भारत सरकार में सचिव हैं। अत्यंत ईमानदार

और दक्ष अफसरों के रूप में इनकी पहचान हुई। कम लोगों को स्मरण होगा कि बिस्कोमान में हो रहे व्यवस्थागत भ्रष्टाचार के सवाल, आंदोलन और अभियान को सरयू राय ने शुरू किया, उसका असर लगभग दो दशकों बाद झारखंड में भी झलका। बिस्कोमान प्रकरण की आंच झारखंड के मुख्य सचिव पद तक पहुँची। सरयू राय के उठाए सवाल, दशकों बाद भी दोषियों को जख्म देते हैं, यह इस प्रकरण में स्पष्ट हुआ।

अपने जिन मित्रों या मंडली के साथ वे विपक्ष की राजनीति करते थे, वे लोग जब सत्ता में आए, तब भी सरयू राय अपनी राह ही चले। लालू प्रसाद मुख्यमंत्री बन गए, दोनों गैर-कांग्रेसी राजनीति में एक संग, साथ थे। 1992 में बिहार में अलकतरा घोटाला हुआ, यह चर्चित प्रकरण, सरयू राय ने इसे उठाया, लालूजी से संबंध बिगड़े। उन दिनों सरयू राय गुमला में छोटे पैमाने पर कुछ काम कर रहे एक एन.जी.ओ. से जुड़े थे। लालू प्रसाद का भय पूरी व्यवस्था में व्याप्त था। अत: उन्होंने इस छोटे से एन.जी.ओ. की जाँच में व्यवस्था की पूरी ताकत झोंक दी, पर कुछ नहीं मिला। अलकतरा घोटाले में सरयू राय के साक्ष्य-सबूत इतने जबरदस्त थे कि उसकी सी.बी.आई. जाँच शुरू हुई। चर्चित मंत्री इलियास हुसैन जेल गए, वर्षों-वर्षों वहीं रहे। इस अलकतरा घोटाले की आग और आँच लालू प्रसाद तक पहुँची, उनका पराभव शुरू हो गया।

याद है, 1994 जे.पी. के जन्मदिन 11 अक्तूबर को सरयू राय ने लालू सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार, पशुपालन घोटाले का मामला उठाया। अपने साहस के लिए वे राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय स्तर पर चर्चित हुए, क्योंकि उस समय लालू प्रसाद जैसे महाबली के खिलाफ कोई बोलने का साहस नहीं करता था। किसी को यकीन नहीं हुआ, खुद उनके दल के लोगों ने दो साल तक विश्वास नहीं किया। जब जनवरी, 1996 में 'कैग रिपोर्ट' आई तो लोगों की आँखें खुलीं। सरयू राय ने तत्कालीन वित्त सचिव वी.एस. दूबे को इस प्रसंग में तथ्यों के साथ पत्र लिखा। फिर वी.एस. दूबे के आदेश से 25 जनवरी, 1996 को पश्चिम सिंहभूम जिला के तत्कालीन उपायुक्त ने 'चाईबासा ट्रेजरी' पर छापा मारा, पूरा देश उस दिन पशुपालन घोटाले को जाना। पशुपालन घोटाले पर हाइकोर्ट में याचिका, बुकलेट जारी करना, प्रदर्शन, धरना में सरयू राय अगले मोरचे पर रहे।

इसी तरह झारखंड की राजनीति में उनकी भूमिका, देश की राजनीति में जड़ता-सड़ांध खत्म करने का काम ही है। विधायक के रूप में उनकी भूमिका उल्लेखनीय रही। झारखंड विधानसभा नियुक्ति घोटाले से लेकर अनेक सवालों पर सरयू राय की भूमिका, विधायकों की सार्थक भूमिका के बारे में एक लकीर है. प्रेरक उदाहरण है।

उन्हें मैं व्यवस्था का असली पहरेदार या सफाईकर्मी के रूप में देखता हूँ। एक जिहादी के रूप में अकेले सुविधाविहीन पर अडिग। लालू प्रसाद ने उन्हें पस्त करने में पूरी ताकत झोंकी। उनके दल में साथ रहे उन लोगों ने, जिन्हें सरयू राय ने सर्वोच्च पद

दिलाने में ताकत झोंकी, वैसे लोग भी उनकी जड़ खोदने में लगे; क्योंकि प्रभावी और स्वतंत्र व्यक्तित्व लोग पसंद नहीं करते। 'निंदक नियरे राखिए' की परंपरा भी अब नहीं रही। झारखंड में मधु कोड़ा ने उन्हें मिटाने की पूरी कोशिश की, पर वह बिना निजी राग-द्वेष के अपने मुद्दों-सवालों पर अडिग हैं। मधु कोड़ा के लोगों ने उन्हें विधानसभा न पहुँचने देने के लिए करोड़ों रुपए से अधिक खर्च किए, यह बात उनके विधानसभा चुनावों में सुनाई पड़ी। जातिगत लामबंदी हुई, धर्म की लामबंदी हुई, राजनीतिक दल (खुद उनके दल के लोग भी) उनके खिलाफ एकजुट हुए, कांग्रेस ने अंतिम क्षणों में समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार को ही अपना टिकट दे दिया। बाबूलालजी के झारखंड विकास मोर्चा ने भी कांग्रेस से मिलकर सरयू राय को विधानसभा न पहुँचने देने का मौका नहीं गँवाया। यह तो बाहरी मोरचाबंदी थी। 2009 झारखंड विधानसभा चुनावों में यह भी चर्चा थी कि खुद भाजपा के दिग्गज भी उन्हें विधानसभा तक नहीं पहुँचने देना चाहते थे, जलन से या भ्रष्टाचार के खिलाफ उनके अभियान से नाराज होकर। जो भी हो, वे कुछ वोटों से ही विधायक नहीं बने, पर इसकी कमी झारखंड विधानसभा में दिखाई देती है। हालाँकि सरयू राय जैसे लोगों की प्रतिभा और बौद्धिक क्षमता दिल्ली (संसद्) में होने की है। पर उनमें एक जबरदस्त कमी है। वे 'गणेश परिक्रमा' नहीं करते। बड़े नेताओं के पीछे नहीं घूमते, साफ बोलते हैं, इसलिए वे दल में भी अकेले हैं।

कई बार इतिहास में अकेले आदमी की भूमिका ही निर्णायक होती है, भीड़ की नहीं, रास्ता मोड़ने वाली भूमिका! झारखंड की राजनीति में 'मधु कोड़ा प्रकरण' उठाने का प्रसंग ऐसा ही है, पशुपालन घोटाले जैसा है, इसका देशव्यापी असर हुआ। वैसे तो जल, जंगल, खनिज संपदा, नदियों के गायब-गंदा होने या पर्यावरण से जुड़े अनेक ऐसे महत्त्वपूर्ण मुद्दे सरयू राय ने उठाए हैं, जिनसे झारखंड का भविष्य प्रभावित होनेवाला है और जो राज्य की फंक्शनल एनार्की (प्रभावी अराजकता), चौपट गवर्नेंस और व्यवस्था के सड़ांध से जुड़े हैं; पर मधु कोड़ा के कार्यकाल में हुए अविश्वसनीय और स्तब्धकारी भ्रष्टाचार को उठाकर झारखंड के भविष्य के लिए उन्होंने सबसे असरदार काम किया है। झारखंड की व्यवस्था, निजी जागीरदारी की तरह चल रही थी। सत्ता सँभालते ही 1990-91 के शुरुआती दिनों में लालू प्रसाद के बयानों से ध्वनित होता था कि मुख्यमंत्री या मंत्री आधुनिक राजा हैं, उनकी इच्छाएँ ही कानून हैं। झारखंड में तो अलग राज्य बनते ही वहाँ के राजनेता खुद को शहंशाह समझने लगे, नियम-कानून की परवाह नहीं, संविधान इनकी चेरी की भूमिका में, बिल्कुल सामंती आचरण-सोच। झारखंड बनने के बाद झारखंड में जितनी लूट हुई, शायद बिहार के साथ रहते हुए झारखंड को उतना नहीं लूटा गया हो! और यह सब कौन कर रहे थे? खुद को 'धरती पुत्र' कहनेवाले। मंत्री सीना ठोककर कहते थे—'यस.आई.एम. करप्ट, सो ह्वाट'? (हाँ मैं, भ्रष्ट हूँ, इससे

क्या?) यह भी कहते थे कि 'हम तो झारखंड का धन कमाकर झारखंड में ही लगा रहे हैं।' संवैधानिक पदों पर बैठकर इतनी बड़ी लूट शायद ही देश में कहीं और हुई हो, बिना भय या कानून की परवाह किए, संवैधानिक पदों पर बैठकर गैर-कानूनी काम! झारखंड का धन देश-विदेश तक पसरा। इससे भी महत्त्वपूर्ण यह कि यह लूट दिल्ली के संरक्षण में हुई, बड़े-बड़े लोग इसमें शरीक हैं। दिल्ली से इस लूट को प्रश्रय देनेवाले तो कानून के फंदे से बहुत दूर हैं, पर कोड़ा राज्य में झारखंड की लूट, अराजकता, अव्यवस्था चरम पर पहुँच गई। विपक्ष का बड़ा हिस्सा भी उपकृत होने लगा।

तब सरयू राय ने 'कोड़ा प्रकरण' का भंडाफोड़ किया। देश यह देखकर-जान कर दंग और स्तब्ध रह गया कि इस लूट के तार, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता समेत दुनिया के कई देशों में फैले हैं। दिल्ली की ताकतें इस जाँच को उजागर नहीं होने देना चाहती थीं; क्योंकि जाँच की आँच दिल्ली पहुँच रही थी। पर पुख्ता दस्तावेज और हाईकोर्ट के हस्तक्षेप से यह मामला मुकाम तक पहुँचा। इसके बाद सरयू राय के खिलाफ बगैर साक्ष्य-सबूत के पी.आई.एल. दायर हुआ, कोड़ा गिरोह द्वारा। सरयू राय ने खुद पहल की और समयबद्ध अपनी जाँच कराने की पेशकश की। हाइकोर्ट ने पी.आई.एल. करनेवालों से आरोपों के साक्ष्य-सबूत माँगे। एक भी प्रामाणिक सबूत न होने के कारण पी.आई.एल. खारिज हो गया। इसके बाद उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा कर उन्हें परेशान करने की कोशिश हुई। उलटे इस मामले में उनके खिलाफ सरकार की पहल पर एफ.आई.आर. की गई, चार्ज शीट दाखिल हुई। यानी उन्हें बदनाम करने, डराने-आतंकित करने की हर कोशिश हुई। जो वर्षों से सरयू राय को जानते थे, उन्हें पता था कि ऐसे प्रयासों से वे और मजबूत होंगे, डटकर विरोध करेंगे—अकेले बिना पार्टी या किसी और के समर्थन के।

शुरुआत में कोड़ा-समर्थकों ने प्रचार किया कि मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा वगैरह के भ्रष्टाचार के मामले, जासूसी कराकर उजागर किए गए हैं, यह सब एक औद्योगिक घराने ने कराया है; लोगों में भ्रम उत्पन्न करने, बरगलाने की हरसंभव कोशिश-मुहिम। अंततः भंडाफोड़ के दस्तावेज देनेवाले युवक ने खुद सामने आकर समाज, देश और जाँच एजेंसियों को बताया कि 'कोड़ा कंपनी' द्वारा जलील होने के कारण उन्होंने इस लूट को सार्वजनिक करने का संकल्प लिया। कोड़ा-गिरोह को भंडाफोड़ करनेवाले उक्त साहसी युवक से पहले से पहचान थी। पर वह युवा अपना आत्मसम्मान गिरवी रखने को तैयार नहीं था, वह राज्य का सौदा करनेवालों के खिलाफ था। इस तरह सरयू राय को इस मामले में भी उलझाने की हरसंभव कोशिश हुई, ताकि वे चुप हो जाएँ। पर जो लोग उनके संकल्प, अतीत और मनोबल को जानते हैं, उन्हें पता है कि वे टूट सकते हैं, झुक नहीं सकते। अपने संघर्ष, मुद्दों के लिए वे किसी भी सीमा तक

(वैधानिक व अहिंसक रास्ते) जा सकते हैं। दल भी उन्हें निकाल दे, तो वे जो गलत समझते हैं, उसे सही नहीं कहेंगे। आज बाजार बनती दुनिया में उनकी तरह 'अनबिकाऊ' और संकल्पवाले कितने लोग हैं? झारखंड की राजनीति के लिए यह प्रकृति का वरदान है कि ऐसे लोग यहाँ हैं। देश की राजनीति को आज ऐसे ही लोगों की सख्त जरूरत है।

इस एक किताब से पता चलेगा कि सरयू राय किस गहराई और प्रतिबद्धता से राष्ट्रहित के सवाल उठाते हैं, लड़ते हैं! फिर लॉजिकल एंड (तार्किक परिणति) तक पहुँचाते हैं। एक पत्रकार के बतौर, उनसे कई बार आग्रह किया है कि पशुपालन घोटाले से लेकर अन्य बड़े घोटालों के उजागर करने के अपने अनुभव वे लिखें, ये अमूल्य दस्तावेज होंगे भावी पीढ़ी के लिए, राजनीति को जो परिवर्तन का औजार मानते हैं, उनके लिए। पर वे कई मोरचों पर लगातार व्यस्त रहते हैं। फिर भी समय निकालकर उन्होंने 'मधु कोड़ा प्रकरण' पर सभी तथ्यों को एक जगह संकलित किया है, अपने अनुभव लिखे हैं। दरअसल यह महज 'कोड़ा प्रसंग' नहीं है, किसी एक सरकार या एक पूर्व मुख्यमंत्री का ब्योरा नहीं है, बल्कि पूरी व्यवस्था का दस्तावेज है। कैसे काम करती हैं सरकारें? कैसी है व्यवस्था? क्यों सुधार नहीं होता? क्यों हर सरकार में बार-बार भ्रष्टाचार की वही पुरानी चीजें दोहराई जाती हैं? कारण, सरकारें बदलती हैं, पर व्यवस्था तो वही है। सरयू राय का लेखन या यह पुस्तक व्यवस्था-परिवर्तन के लिए मानस तैयार करती है।

—हरिवंश*

* प्रभात खबर के प्रधान संपादक

अनुक्रमणिका

दो शब्द 7
भूमिका 11
व्यवस्था परिवर्तन का मानस 15

खंड-1

लौह अयस्क घोटाला

1. लौह अयस्क घोटाला 27

खंड-2

घोटाले का परदाफाश

2. लौह अयस्क खदानों का कपटपूर्ण आवंटन 77
3. भारत के प्रधानमंत्री के नाम पत्र 83
4. घोटाले का अंतरराष्ट्रीय आयाम 88
5. काले धन की वापसी हवाला से 94
6. घाटकुरी का व्यापार 98
7. केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को स्मार-पत्र 104

खंड-3

सी.बी.आई. जाँच हेतु संघर्ष

8. सी.बी.आई. बनाम राज्य निगरानी ब्यूरो 113
9. लौह अयस्क घोटालों का बैंक खाता 117
10. दुबई की प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सेदार कौन? 119
11. तार कंपनी की जमीन की सौदेबाजी 121
12. नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज का तिलिस्म 123

13. घोटाला कंपनियों के कारनामे 125
14. हवालाबाजों की विदेश-यात्रा 127
15. घोटाले की परिधि में देशी-विदेशी कंपनियाँ 129
16. 180 करोड़ रुपए कमीशन 131
17. लौह अयस्क घोटाला ई.डी. की नजर में 133

खंड-4

उच्च न्यायालय का फैसला, जाँच और आरोप पत्र

18. उच्च न्यायालय में मुकदमा और फैसला 141
19. आयकर विभाग एवं ई.डी. की जाँच 147
20. जाँच एजेंसियों के आरोप-पत्र 155
21. जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट का कोड़ा कनेक्शन 171

खंड-5

लूट राज का साम्राज्य

22. लूट राज का साम्राज्य 186
23. लूट राज की कार्यप्रणाली 200
24. लूट राज के हिस्सेदार 220
25. सरकारी पात्रों के कारनामे 256
26. लूट राज की कहानी 267

खंड-6

भ्रष्टाचार के खेल

27. अनियमितता का खुला खेल 276
28. अवैध खनन और छद्म खनन 284
29. छद्म खनन हेतु खदान पर कब्जा 289
30. बिजली बोर्ड का भ्रष्टाचार 293
31. चुनाव में भ्रष्ट आचरण 301
32. सारंडा : ग्रीन स्टील बनाम ग्रे स्टील 308
पुनश्च 314

खंड-1

लौह अयस्क घोटाला

लौह अयस्क घोटाला

क्या होगा?
जब रखवाला ही चोर बन जाए,
रक्षक ही भक्षक हो जाए,
घर के चिराग से ही घर में आग लग जाए;
इन सवालों का सटीक जवाब है,
झारखंड में मधु कोड़ा लूट राज!

झारखंड की रत्नगर्भा धरती में अनेक प्रकार के खनिज यत्र-तत्र विद्यमान हैं। इनमें प्रमुख हैं—लौह अयस्क, कोयला, यूरेनियम, अभ्रक, सोना, चाँदी, ताँबा, बॉक्साइट, ग्रेफाइट, चूना-पत्थर, चाइना क्ले, पायरोक्जनाइट, ग्रेनाइट, अन्य कीमती एवं अर्द्ध-कीमती पत्थर। लौह अयस्क का भंडार मुख्य रूप से राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिले के दो प्रखंडों—नोआमुंडी और मनोहरपुर में स्थित है। यह लौह अयस्क हेमेटाइट श्रेणी का है, जिसमें 60 से 65 प्रतिशत लोहा विद्यमान है।

प्रकृति की इस अनमोल धरोहर का दोहन 20वीं सदी के आरंभ से ही शुरू हो गया था। देश का सबसे पुराना लौह अयस्क खदान भी इस क्षेत्र में है। जमशेदजी नौसेरवानजी टाटा ने यहाँ के लौह अयस्क के आधार पर 1902 में देश के पहले स्टील प्लांट 'टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी (टिस्को)' की नींव खरकई और स्वर्णरेखा नदियों से घिरे आज के जमशेदपुर में डाली थी। 1907 में इस कारखाना से लोहे का उत्पादन आरंभ हो गया। तब की टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी (टिस्को) का नाम अब 'टाटा स्टील' हो गया है। इसके अतिरिक्त 1920 में स्थापित 'बंगाल आयरन ऐंड स्टील कंपनी' (जो बाद में इंडियन आयरन ऐंड स्टील कंपनी 'इस्को' बनी) और 'स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)' सदृश सरकारी क्षेत्र के उपक्रम भी स्थापित हुए।

आजादी के पहले और बाद में भी इस क्षेत्र में लौह अयस्क के खनन का अधिकार मुख्यत: सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों 'सेल' तथा 'इस्को' और निजी क्षेत्र की कंपनी

'टिस्को' के पास अपने उद्योगों में खपत के लिए था। लौह अयस्क का व्यापार भारत सरकार के प्रतिष्ठान 'मिनरल्स एवं मेटल ट्रेडिंग कॉरपोरेशन (एम.एम.टी.सी.)' के माध्यम से होता था। जिन चुनिंदा व्यवसायियों को इस क्षेत्र के विभिन्न भागों में खनन पट्टा मिला था उनपर भी लौह अयस्क का व्यापार, विशेषकर निर्यात, एम.एम.टी.सी. के माध्यम से ही करने की पाबंदी थी। यह सिलसिला 1992 में देश में 'उदारीकरण की नीति' का दौर आरंभ होने के एक दशक बाद तक यानी 2002 तक जारी रहा।

खनिज व्यापार नीति में बदलाव

2003 में भारत सरकार की 'खनिज व्यापार नीति' में बदलाव हुआ। निजी कंपनियों पर से एम.एम.टी.सी. के माध्यम से व्यापार करने की पाबंदी हटा ली गई। उन्हें सीधे खनिज निर्यात करने की छूट मिल गई। खनिज व्यापार नीति में इस बदलाव के पहले के दो दशकों में देश का इस्पात उद्योग भीषण मंदी की चपेट में था। मंदी के इस दौर में निजी क्षेत्र के लौह अयस्क खनन पट्टाधारकों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई थीं। पट्टाधारी 'नियत लगान' (खदान बंद होने के बावजूद सरकार को चुकाया जाने वाला कर) देने तक की स्थिति में नहीं थे। कई पट्टाधारकों ने खनन पट्टा वापस कर देना मुनासिब समझा, तो कुछ ने खनन कार्य स्थगित कर दिया। ऐसे निजी पट्टाधारियों की संख्या काफी कम थी जिन्होंने इस अवधि में कोई-न-कोई व्यवस्था कर खनन कार्य जारी रखा। ऐसी स्थिति में सरकार को 'नियत लगान' की नीति में परिवर्तन करने का निर्णय लेना पड़ा। इसी दौर में 15 नवंबर, 2000 को भारत के राजनीतिक मानचित्र पर देश के 28वें राज्य के रूप में खनिज बहुल राज्य झारखंड का उदय हुआ।

इस्पात बाजार में उछाल

भारत सरकार की 'खनिज व्यापार नीति' में परिवर्तन के समय ही इस्पात बाजार में वैश्विक स्तर पर उछाल की स्थिति पैदा हुई। पड़ोसी देश चीन में लौह अयस्क की माँग बेतहाशा बढ़ी। वहाँ आयोजित हो रहे 34वें ओलंपिक खेलों के लिए आवश्यक ढाँचागत निर्माण कार्य हेतु इस्पात की खपत में अप्रत्याशित वृद्धि को इसका तात्कालिक कारण बताया गया। चीन में उपलब्ध लौह अयस्क का बहुलांश 25 से 30 प्रतिशत आयरन युक्त 'मैग्नेटाइट' श्रेणी का है। इसकी गुणवत्ता उच्च श्रेणी अथवा उच्च मध्यम श्रेणी के (60 से 65 प्रतिशत आयरन युक्त) लौह अयस्क तक बढ़ाकर इससे इस्पात बनाने की अपेक्षा चीन की सरकार ने इस्पात उत्पादन के लिए दूसरे देशों से उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क का आयात करना बेहतर समझा। ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील जैसे देशों ने उस समय चीन के साथ लौह अयस्क व्यापार में खास रुचि नहीं दिखाई। जबकि भारत सरकार द्वारा लौह अयस्क निर्यात नियमों में दी गई ढील का लाभ उठाकर यहाँ

के व्यापारियों ने झारखंड और उड़ीसा के समीपवर्ती क्षेत्रों से चीन एवं अन्य देशों में लौह अयस्क का निर्यात धड़ल्ले से करना आरंभ कर दिया। देखते-ही-देखते लौह अयस्क की कीमत आसमान छूने लगी। जहाँ 300-400 रुपए प्रति टन की दर पर लौह अयस्क के खरीददार नहीं मिलते थे, वहीं 3000-4000 रुपए प्रति टन की दर से लौह अयस्क खरीदने की होड़ लग गई। झारखंड के चाईबासा क्षेत्र का 'रूँगटा माइंस' संभवत: देश का पहला प्रतिष्ठान है जिसे भारत सरकार ने लौह अयस्क का निर्यात करने की अनुमति दी।

झारखंड सरकार की पहल

इस बीच नवगठित राज्य झारखंड की सरकार ने भी अपनी विपुल खनिज संपदा की ओर विश्व बाजार का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास आरंभ किया। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्ववाली तत्कालीन झारखंड सरकार ने राज्य के खनन क्षेत्रों में निजी पूँजी निवेश के लिए 2002-03 में 'इच्छा की अभिव्यक्ति (एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट)' आमंत्रित किया। दिल्ली, मुंबई एवं अन्य शहरों के पाँच सितारा होटलों में राज्य की खनिज संपदा से देश और दुनिया को अवगत कराने के लिए 'रोड शो और संगोष्ठियाँ' आयोजित की गईं। उद्योगपतियों और पूँजी निवेशकों ने बड़ी तादाद में खनिज अनुदान/समानुदान के लिए राज्य सरकार के समक्ष आवेदन दाखिल किया।

देखते-ही-देखते राज्य की राजधानी राँची का परिदृश्य बदल गया। निजी क्षेत्र के खनन उद्योगपतियों, इनके नुमाइंदों, परामर्शियों, बिचौलियों का जमावड़ा यहाँ के होटलों और गेस्ट हाउसों में होने लगा। खान विभाग और उद्योग विभाग के मुख्यालय 'नेपाल हाउस' के गलियारों में चहल-पहल बढ़ गई। राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. करना उद्योगपतियों और व्यवसायियों के लिए प्रतिष्ठा और शान का सूचक बन गया, तो सरकार के लिए उपलब्धि का द्योतक, बिचौलियों की चाँदी हो गई।

माफिया गिरोह का उदय

इस्पात उद्योग में उछाल के कारण अनेक प्रकार के उद्यमी एवं बिचौलिए झारखंड के लौह अयस्क बहुल क्षेत्रों (पश्चिमी सिंहभूम जिले के नोआमुंडी और मनोहरपुर) में सक्रिय हो गए। मंदी के दौर में जिन लौह अयस्क पट्टाधारियों ने खनन कार्य बंद कर दिया था और जिनकी वित्तीय स्थिति काफी कमजोर हो गई थी, उनकी खदानों पर ऐसे उद्यमियों ने नजर गड़ा दी, जिनके पास पूँजी और तकनीक का इंतजाम था। ऐसे अधिकांश खनन पट्टाधारियों ने 'मिनरल कंसेशन रूल्स-1960' के नियमों एवं प्रावधानों के विरुद्ध जाकर पूँजी का इंतजाम कर सकनेवालों के साथ स्टांप पेपर पर एग्रीमेंट किया और अपनी खदानें उन्हें सौंप दीं। राज्य सरकार ने इस अनियमितता की ओर से आँखें

मूँद लिया। लौह अयस्क खदानों के निकटवर्ती क्षेत्रों में धड़ल्ले से लौह अयस्क क्रेशर स्थापित होने लगे। स्थापना की शर्तें पूरा किए बिना 'झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड' ने ऐसे क्रेशरों के परिचालन के लिए अनापत्ति प्रमाण-पत्र जारी किए।

खदानों से निकले बेतरतीब आकार वाले लौह अयस्क को निर्धारित व्यावसायिक आकार में बदलने के लिए लगाए गए इन क्रेशरों पर कच्चा लौह अयस्क कहाँ से आ रहा है और व्यावसायिक आकार में बदलने के बाद इन्हें कहाँ भेजा जा रहा है, यह बताने के लिए क्रेशर संचालक बाध्य नहीं थे। ऐसा कोई नियम नहीं होने अथवा राज्य सरकार द्वारा इस आशय की कोई अधिसूचना निर्गत नहीं होने का नतीजा यह हुआ कि निहित स्वार्थी तत्त्वों की देख-रेख में लौह अयस्क का छद्म खनन, अवैध खनन और अवैध व्यापार तेजी से बढ़ने लगा। राजनीतिज्ञों, पुलिस, प्रशासन, वन विभाग, खान विभाग, परिवहन विभाग एवं अन्य संबंधित सरकारी विभागों के जिला स्तर के छोटे-बड़े अधिकारियों के लिए आर्थिक लाभ का एक नया अनुभव क्षेत्र विकसित होने लगा, जिसकी चहलकदमी और सरगरमी सत्ता के गलियारे तक पहुँच गई। परिस्थिति भाँपकर इससे भरपूर लाभ उठाने लिए राज्य में 'लौह अयस्क माफिया गिरोह' आकार लेने लगा।

छद्म खनन

वर्ष 2003 में भारत सरकार की 'खनिज व्यापार नीति' में बदलाव होने के साथ ही उदित लौह अयस्क माफिया गिरोह की सरपरस्ती में झारखंड में अवैध खनन एवं छद्म खनन का खेल शुरू हो गया। 'एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957' और 'मिनरल कंसेशन रूल्स 1960' की बारीकियों का बेहद चतुराई के साथ उल्लंघन किया जाने लगा। विगत दो दशकों तक इस्पात बाजार में छाई मंदी की मार से बेहाल खनन पट्टाधारकों के पास पर्याप्त पूँजी नहीं होने के कारण उन्नत खनन तकनीक का इंतजाम करना इनके लिए संभव नहीं था। इनकी इस अशक्तता को पूरा किया खुले बाजार के पूँजीधारकों और उन्नत खनन तकनीकधारकों ने। इन्होंने झारखंड में खनन पट्टाधारकों के साथ स्टांप पेपर पर परस्पर सहमति का सशर्त दस्तावेज तैयार किया और अपनी पूँजी और तकनीक का इस्तेमाल कर खनन पट्टाधारकों के नाम पर लौह अयस्क का छद्म खनन और खनिज व्यापार शुरू कर दिया। धीरे-धीरे लौह अयस्क का अवैध खनन करनेवाले लोगों के समूह इन छद्म खननकर्ताओं के साथ जुड़ने लगे। छद्म खनन करने वाले गिरोहों को भरपूर राजनीतिक एवं प्रशासनिक संरक्षण मिल गया, अवैध खनन में भी तेजी आ गई। अवैध खनन से निकाला गया लौह अयस्क छद्म खननकर्ताओं एवं अन्य उद्यमियों के क्रेशरों पर आकर वैध हो जाता था और जिला खनन कार्यालय,

चाईबासा से जारी अवैध परमिटों के आधार पर लौह अयस्क बाजार और हल्दिया बंदरगाह होकर विदेशों तक पहुँच जाता था।

पहला एम.ओ.यू.

झारखंड की पहली सरकार द्वारा प्रकाशित 'इच्छा की अभिव्यक्ति' और तदुपरांत विभिन्न स्थानों पर आयोजित 'रोड शो एवं संगोष्ठियों' के परिणामस्वरूप देश के उद्योगपतियों को झारखंड की खनिज संपदा से अवगत होने का अवसर मिला। जिज्ञासु उद्योगपति झारखंड में उद्योग लगाने और पूँजी निवेश करने की संभावनाएँ तलाशने लगे। सबसे पहले दिल्ली की कंपनी 'मोनेट इस्पात लि.' ने 1400 करोड़ रुपए के निवेश से हजारीबाग जिले में एक 'इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट' स्थापित करने के लिए 500 एकड़ जमीन अधिगृहित करने का प्रस्ताव दिया। बाद में इस कंपनी ने सारंडा वन प्रमंडल के रानाबारा क्षेत्र में 3566.56 हेक्टेयर रकबे में लौह अयस्क खनन पट्टा के लिए आवेदन किया। बाबूलाल मरांडी के नेतृत्ववाली तत्कालीन झारखंड सरकार ने 5 फरवरी, 2003 को 'मोनेट इस्पात' के साथ सहमति पत्र (एम.ओ.यू.) पर दस्तखत किए। झारखंड सरकार और किसी उद्योगपति के बीच हस्ताक्षरित यह पहला एम.ओ.यू. था।

वर्ष 2002-03 में हुए इस एम.ओ.यू. के साथ ही झारखंड में लौह अयस्क खनन पट्टा आवंटन एवं स्टील उद्योग लगाने हेतु एम.ओ.यू. का सिलसिला आरंभ हुआ। वर्ष 2002-03 में अन्य तीन कंपनियाँ पवंजय स्टील ऐंड पावर लि. रायपुर वार्ड एंड स्टील लि., सेसागोवा लि. ने करीब 4533 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क खनन पट्टा के लिए आवेदन किया। ये सभी आवेदन घाटकुरी आरक्षित वन क्षेत्र पर डाले गए। इसके बाद 2003-04 से 2006-07 के बीच करीब 80 कंपनियों ने लौह अयस्क खनन पट्टा हासिल करने के लिए आवेदन डाले। इनमें से 64 कंपनियों के साथ एम.ओ.यू. हुए, जिनमें कुल मिलाकर 2 लाख 57 हजार रुपए के निवेश प्रस्ताव थे।

माफिया गिरोह का पहला शिकार

लौह अयस्क माफिया गिरोह की तिकड़म का पहला शिकार बना सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र। इनके झाँसे में आकर सरकारी क्षेत्र के उद्योगों के लिए आरक्षित इस क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए निजी क्षेत्र के 9 उद्यमियों के आवेदनों की अनुशंसा राज्य सरकार ने 24 नवंबर, 2004 को केंद्र सरकार के पास भेज दी। ये उद्यमी थे—स्टेको पॉवर लि., प्रकाश इस्पात लि., अभिजित इंफ्रास्ट्रक्चर लि., झारखंड इस्पात लि., मोनेट इस्पात लि., इस्पात इंडस्ट्रीज लि., बिमलदीप स्टील प्रा.लि., उज्ज्वल मिनरल प्रा.लि., आधुनिक एलवायज ऐंड पॉवर लि.। सही स्थिति का पता चलते ही तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा ने 13 सितंबर, 2005 के दिन इस

अनुशंसा को वापस मँगा लिया। इसी अवधि में खनन माफिया के प्रभाव में पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर लाखों टन लौह अयस्क भंडार का अवैध परिवहन परमिट जारी कर दिया। हो-हल्ला मचा तो सरकार ने इन्हें निलंबित कर दिया। मगर इस षड्यंत्र के सूत्रधार, सरगना और हिस्सेदार वरीय पदाधिकारी बच निकले।

अल्पमत सरकार का गठन और पतन

इसी बीच फरवरी 2005 में 'द्वितीय झारखंड विधानसभा' के लिए आम चुनाव हुए। विधानसभा चुनाव में किसी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। निर्दलियों सहित नवनिर्वाचित विधायकों के बहुमत का समर्थन-पत्र लेकर एन.डी.ए. विधायक दल के नेता अर्जुन मुंडा राजभवन पहुँचे। महामहिम राज्यपाल से मिलकर उन्होंने राज्य में नई सरकार बनाने का दावा पेश किया। राज्यपाल के यहाँ नाहक विलंब होने पर 81 सदस्यीय झारखंड विधान सभा के 42 विधायक एक साथ राजभवन जाकर सदेह राज्यपाल महोदय के समक्ष उपस्थित हुए। लिखित समर्थन देनेवाले निर्दलीय विधायक अलग से भी राज्यपाल से मिले और राज्य में सरकार बनाने के लिए एन.डी.ए. को समर्थन देने के अपने निर्णय से उन्हें अवगत कराया।

परंतु इसके विपरीत तत्कालीन राज्यपाल सैयद सिब्ते रजी ने अल्पमत में होने के बावजूद झारखंड मुक्ति मोरचा के नेता शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाकर झारखंड में कांग्रेस समर्थित यू.पी.ए. की अल्पमत सरकार का गठन करा दिया। ऐसा निर्णय उन्होंने केंद्र की यू.पी.ए. सरकार के दबाव में लिया। तदुपरांत अल्पमत को बहुमत में बदलने के लिए अनियमित, अनैतिक और असंवैधानिक प्रयास आरंभ हुए। नवनिर्वाचित विधायकों को प्रलोभन देने और उन पर दबाव डालने के हथकंडों से बचने के लिए अल्पमत सरकार का समर्थन नहीं करने वाले विधायकों ने एक साथ राँची से बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया। उन्हें ले जा रहे हवाई जहाज को राँची हवाई अड्डे पर रोकने के लिए सुरक्षा नियमों को धत्ता बताते हुए दबंग किस्म के लोग हवाई पट्टी के 'रन वे' तक पहुँच गए। हवाई अड्डा प्रशासन, राँची जिला प्रशासन और पुलिस के अधिकारी मूकदर्शक बने रहे। ऐसे लोगों को शह देने में एक निर्दलीय विधायक बंधु तिर्की का नाम सामने आया। वे इन लोगों के साथ वहाँ उपस्थित थे। हवाई जहाज पर चढ़े विधायकों ने जब नीचे उतरकर 'रन वे' पर विरोध किया, तब जाकर ये लोग वहाँ से हटे।

इसके बाद एन.डी.ए. समर्थक विधायकों का जत्था देर शाम नई दिल्ली पहुँच गया। अगले दिन सभी विधायक राष्ट्रपति भवन गये और महामहिम राष्ट्रपति अब्दुल कलाम से मिलकर झारखंड में बहुमत की सरकार गठित कराने हेतु संविधान सम्मत

हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। तदुपरांत झारखंड के राज्यपाल ने 21 मार्च, 2005 तक विधान सभा में अपनी सरकार का बहुमत साबित करने का निर्देश नवमनोनीत मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को दिया। राज्यपाल द्वारा बहुमत साबित करने के लिए श्री सोरेन को दिया गया यह समय काफी लंबा था। अतः समय बिताने के लिए एन.डी.ए. समर्थक विधायक अगले दिन 4 मार्च को राजस्थान-भ्रमण के उद्देश्य से जयपुर चले गए।

उच्चतम न्यायालय का हस्तक्षेप

जयपुर पहुँचने के बाद विधायकों ने निर्णय लिया कि विधान सभा में बहुमत का फैसला शीघ्र कराने तथा विधायकों को विधान सभा में पहुँचने के लिए पर्याप्त सुरक्षा प्रदान करने की प्रार्थना माननीय उच्चतम न्यायालय से की जाए। इस निर्णय के अनुसार अगले दिन अर्जुन मुंडा और मैं जयपुर से दिल्ली वापस आ गए। भारतीय जनता पार्टी के झारखंड राज्य प्रभारी राजनाथ सिंह के आवास पर संविधान-विशेषज्ञों से परामर्श करने के उपरांत निर्णय हुआ कि राज्यपाल द्वारा बहुमत सिद्ध करने के लिए सरकार को काफी अधिक समय देने के राज्यपाल के निर्णय को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी जाए।

केंद्र सरकार की शह पर झारखंड के राज्यपाल द्वारा किए जा रहे असंवैधानिक कृत्य के विरुद्ध भाजपा विधायक दल के नेता अर्जुन मुंडा ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। एक रिट याचिका दायर कर उन्होंने झारखंड में बहुमत का फैसला विधान सभा के भीतर शीघ्र कराने और विधायकों को पूर्ण सुरक्षा देने की प्रार्थना उच्चतम न्यायालय से की। उच्चतम न्यायालय ने याचिका की सुनवाई के उपरांत ऐतिहासिक निर्णय दिया और विधानसभा अध्यक्ष को नवनिर्वाचित विधायकों के बहुमत का फैसला विधान सभा पटल पर एक सप्ताह के भीतर कराने का निर्देश दिया। सुप्रीम कोर्ट के निदेशानुसार 9 मार्च, 2005 को झारखंड विधान सभा की बैठक बुलाई गई। शिबू सोरेन की सरकार विधान सभा में बहुमत नहीं साबित कर सकी। 9 दिनों में ही यह सरकार गिर गई। इसके बाद निर्दलीय विधायकों की बैसाखी पर 13 मार्च, 2005 के दिन अर्जुन मुंडा दोबारा झारखंड के मुख्यमंत्री बने।

टर्निंग प्वाइंट

अर्जुन मुंडा की नवगठित सरकार निर्दलीय विधायकों की बैसाखी पर टिकी थी, इनमें से एक थे मधु कोड़ा। श्री कोड़ा लौह अयस्क बहुल जगन्नाथपुर अनुसूचित जनजाति सुरक्षित विधान सभा क्षेत्र से विधायक थे। सभी निर्दलीय विधायक मंत्री बने तो उनके साथ इन्हें भी अर्जुन मुंडा सरकार में मंत्री बनाया गया। इन्होंने दबाव बनाकर खान विभाग अपने पास रख लिया।

इसके पहले ये बाबूलाल मरांडी की सरकार में भी मंत्री थे। संयुक्त बिहार के समय मार्च 2000 में हुए बिहार विधान सभा चुनाव में श्री कोड़ा पहली बार विधायक बने थे। बिहार का पुर्नगठन होकर झारखंड के रूप में नया राज्य बनने के बाद बाबूलाल मरांडी झारखंड की प्रथम सरकार के मुख्यमंत्री बने तो इन्हें भी मंत्री पद प्राप्त हुआ। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल में इनकी गिनती श्री मरांडी के कट्टर समर्थकों में होती थी। कतिपय कारणों से 2005 के विधान सभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने इन्हें टिकट नहीं दिया तो पार्टी से बगावत कर ये निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़े और जीते। तब तक विनोद सिन्हा जैसे लोग इनके चारों ओर घेरा बना चुके थे। विधान सभा चुनाव-2005 में इनकी चुनाव व्यवस्था की कमान विनोद सिन्हा और उनके सहयोगियों के हाथ में थी, जिनका संपर्क श्री कोड़ा के साथ बाबूलाल मरांडी सरकार में मंत्री रहने के समय ही हो गया था। 2005 का झारखंड विधान सभा चुनाव श्री कोड़ा के राजनीतिक जीवन में टर्निंग प्वाइंट बन गया।

गुप्त विदेश-यात्रा

2005 में मधु कोड़ा झारखंड सरकार में खान विभाग एवं सहकारिता विभाग के मंत्री थे। मंत्री पद पर रहते हुए उन्होंने गुपचुप तरीके से विदेश का दौरा किया। यह यात्रा उन्होंने राजनयिक पासपोर्ट पर किया, जिसे भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने झारखंड सरकार की अनुशंसा पर मंत्री के रूप में उन्हें जारी किया था।

उन्हें विदेश दौरे पर ले जाने में मुख्य भूमिका शातिर दिमाग घोटालेबाज विनोद सिन्हा की थी। विनोद सिन्हा के साथ पहले वे थाईलैंड गए। वहाँ उन्होंने बैंकाक, पटाया आदि ऐशो आराम के लिए मशहूर स्थानों पर चार दिन का समय बिताया। यह समय दशहरे का था। जब मधु कोड़ा और उनके सहयात्री 'पटाया' में ऐशो आराम का लुत्फ उठा रहे थे तो वहाँ सपरिवार भ्रमण के लिए गए जमशेदपुर के एक प्रतिष्ठित व्यक्ति ने मुझे फोन पर बताया कि दुर्गा पूजा की गहमा-गहमी में झारखंड सरकार के एक मंत्री मधु कोड़ा तीन दिनों से थाईलैंड के 'पटाया' में जमे हुए हैं, तो मुझे सहसा विश्वास नहीं हुआ। कारण कि संवैधानिक पदों पर रहनेवाले लोगों के विदेश-भ्रमण की सीमा और मर्यादा होती है।

झारखंड सरकार के एक जिम्मेदार अधिकारी से मैंने श्री कोड़ा की विदेश-यात्रा के बारे में जानने की चेष्टा किया। उन्होंने बताया कि उनकी जानकारी में राज्य सरकार के किसी भी मंत्री ने विदेश जाने के लिए राज्य सरकार से अनुमति नहीं ली है। भारत सरकार को भी इस बारे में झारखंड सरकार की ओर से कोई सूचना अथवा अनुरोध-पत्र नहीं भेजा गया है। तत्कालीन मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा को भी इस बारे में पता नहीं है।

लौह अयस्क घोटाले की जाँच शुरू हुई तो श्री कोड़ा और उनके मित्र विनोद सिन्हा ने जाँच अधिकारियों को बताया कि वे लोग सरकार से अनुमति लिए बिना थाईलैंड गए थे। विनोद सिन्हा वहाँ व्यावसायिक उद्देश्य से गए थे और श्री मधु कोड़ा आँख का इलाज कराने के बहाने उनके साथ गए थे। विनोद सिन्हा ने वहाँ कई प्रकार के लोगों से मधु कोड़ा को मिलवाया। इन लोगों के साथ टाटा स्टील के एक अधिकारी भी थे। उल्लेखनीय है कि विनोद सिन्हा से जुड़ी एक कंपनी 'रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट ऐंड इंपोर्ट प्रा. लि.' बैंकाक में भी है। इसका ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय भी वहाँ है। जमशेदपुर के अनिल सिंह, थाई मूल की उनकी पत्नी माल्टा सिंह और संजय चौधरी भी मधु कोड़ा के साथ वहाँ मौजूद थे।

बैंकाक और इंडोनेशिया की एक कंपनी मैसर्स ए. रियांटो के साथ वहाँ इनकी सौदेबाजी हुई। ए. रियांटो के माध्यम से हवाला के जरिए इन्होंने घोटाले के धन का स्थानांतरण सिंगापुर, इंडोनेशिया, लाइबेरिया, घाना, सियरा लियोन आदि देशों में करने की योजना तैयार की, जिसका भंडाफोड़ मैंने 20 अक्तूबर, 2008 को राँची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में किया। बाद में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई पूछताछ में विनोद सिन्हा के भाई विकास सिन्हा ने स्वीकार किया कि मंत्री रहते हुए मधु कोड़ा ने इंग्लैंड और दुबई सहित खाड़ी के कतिपय देशों का भ्रमण किया था। एक अपुष्ट सूचना के अनुसार ये लोग स्वीडन भी गए थे।

थाईलैंड की तीर्थ यात्रा!

श्री कोड़ा ने अपनी गुप्त थाईलैंड-यात्रा का उद्देश्य तीर्थ-यात्रा बताया। वीजा के लिए थाईलैंड सरकार के दूतावास में उन्होंने जो कागजात जमा किया उसमें उन्होंने अपनी थाईलैंड यात्रा का उद्देश्य तीर्थ यात्रा अंकित किया। यह गुप्त तीर्थ-यात्रा उन्होंने राज्य सरकार की अनुशंसा पर मंत्री के लिए बने 'राजनयिक पासपोर्ट' पर की। श्री कोड़ा पहली बार 2 अगस्त, 2005 को थाईलैंड गए और 10 दिन बाद 12 अगस्त, 2005 को वापस लौटे। इस यात्रा में विनोद सिन्हा इनके साथ नहीं गया था और लौटा भी अलग से। श्री कोड़ा के मनीला पहुँचने के 6 दिन बाद 8 अगस्त, 2005 को वह वहाँ पहुँचा और उनके वापस होने के दो दिन बाद 14 अगस्त, 2005 को लौटा। दूसरी बार वे 15 अक्तूबर, 2005 को थाईलैंड गए और 3 दिन बाद 18 अक्तूबर, 2005 को वापस लौटे। इस यात्रा में विनोद सिन्हा इनके साथ ही गया और साथ ही लौटा। इसके बाद पुन: श्री कोड़ा तीसरी बार 6 नवंबर, 2005 को थाईलैंड गए और झारखंड के स्थापना दिवस के एक दिन पहले 14 नवंबर, 2005 को स्वदेश वापस लौटे। इस यात्रा में विनोद सिन्हा इनके साथ नहीं था।

श्री कोड़ा का कहना है कि थाईलैंड गुप्त यात्रा पर वे तीन बार नही सिर्फ एक बार गए, जबकि 'फॉरेन रिजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस (एफ.आर.आर.ओ.)' के अनुसार श्री कोड़ा तीन बार थाईलैंड गये। एफ.आर.आर.ओ. द्वारा सी.बी.आई. को उपलब्ध कराए गए इनके गुप्त यात्रा के विवरण में उन उड़ानों का जिक्र भी है, जिनसे श्री कोड़ा कोलकाता से थाईलैंड गए और वापस लौटे। इसके अनुसार श्री कोड़ा 2 अगस्त, 2005 को उड़ान संख्या वीएस-301 से कोलकाता से मनीला अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर पहुँचे और वहाँ से 12 अगस्त, 2005 को उड़ान संख्या ए-112 से कोलकाता के विधान चंद्र राय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पर वापस उतरे। इसके तुरंत बाद विनोद सिन्हा 8 अगस्त, 2005 को उड़ान संख्या के.बी.-126 से मनीला गया और 14 अगस्त 2008 को उड़ान संख्या के.बी.-121 से वापस लौटा। दुबारा 15 अक्तूबर 2005 को श्री कोड़ा और विनोद सिन्हा एक ही साथ उड़ान संख्या जी.-314 से थाईलैंड गए और 20 अक्तूबर, 2005 को आई.सी. 732 से वापस आए। 6 नवम्बर, 2005 को थाईलैंड की तीसरी यात्रा श्री कोड़ा ने अकेले उड़ान संख्या इ.के. 513 से किया और 14 नवम्बर 2005 को इ.के. 512 से स्वदेश लौटकर आए और अगले दिन झारखंड स्थापना दिवस समारोह में शरीक हुए।

मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा की इन यात्राओं का भंडाफोड़ तब हुआ जब सी.बी.आई. ने झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय (समन्वय) विभाग के प्रधान सचिव को पत्र लिखकर जानना चाहा कि श्री कोड़ा की इन विदेश यात्राओं पर कितना खर्च हुआ है और यह खर्च राज्य सरकार ने वहन किया है या नहीं? सी.बी.आई. ने इस बारे में इंटरपोल सहित विदेश यात्राओं पर नजर रखने वाली अन्य सरकारी-गैर सरकारी एजेन्सियों से जानकारी माँगा था। तदनुसार 'फारेन रिजनल रजिस्ट्रेशन कार्यालय, कोलकाता' से यह जानकारी उपलब्ध हुई। मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा की तीर्थ यात्रा के नाम पर विदेश जाने-आने का विवरण (प्रभात खबर से साभार) निम्नांकित हैं—

यात्री	उड़ान संख्या	जाने की तिथि	उद्देश्य	लौटने की तिथि	उड़ान संख्या
मधु कोड़ा	वी.एस. 301	2-8-2005	तीर्थ यात्रा	12-8-2005	ए. 112
विनोद सिन्हा	के.वी. 126	8-8-2005	तीर्थ यात्रा	14-8-2005	के.वी. 121
मधु कोड़ा	टीजी 314	15-10-2005	तीर्थ यात्रा	20-10-2005	आईसी 752
विनोद सिन्हा	टीजी 314	15-10-2005	तीर्थ यात्रा	20-10-2005	आईसी 752
मधु कोड़ा	इ.के. 513	6-10-2005	तीर्थ यात्रा	14-10-2005	इ.के 512

ब्लू टेक्नो और टाटा रॉयल में समझौता

मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा की थाईलैंड-यात्रा का उद्देश्य बौद्ध धर्म स्थलों एवं प्राचीन भारतीय परंपराओं के अवशेषों का दर्शन करना नहीं था। इनकी यात्रा का प्रतिफल

आगे चलकर थाईलैंड में पंजीकृत दो कंपनियों के बीच समझौते के रूप में सामने आया। इन दोनों कंपनियों के निदेशक भारतीय मूल के हैं। रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट प्रा. लि. अनिल सिंह की कंपनी है, जो मूलत: जमशेदपुर के निवासी हैं। इनकी थाई मूल की पत्नी माल्टा सिंह ने अधिकृत हस्ताक्षरी के रूप में समझौते पर दस्तखत किया। इस कंपनी में एक निदेशक विनोद कुमार भी हैं। दूसरी कंपनी ब्लू टेकनो प्रोजेक्ट्स लि. को थाईलैंड में पंजीकृत बताया गया है। इसी नाम की एक कंपनी मुंबई में और एक कंपनी दुबई में भी पंजीकृत है। इसके निदेशक संजय चौधरी और मनोज पुनमिया हैं। यह समझौता थाईलैंड के अयुथ्या में बंदरगाह स्थापित करने, कोयला और लाइम स्टोन के आयात-निर्यात का व्यापार करने तथा वहाँ पर जमीन खरीदने के बारे में हुआ।

जे.एस.एम.डी.सी. में निदेशक का प्रस्ताव

थाईलैंड से वापस लौटने के कुछ दिन बाद मधु कोड़ा ने विनोद सिन्हा और टाटा स्टील के एक अधिकारी शांतनु घोष का नाम 'झारखंड स्टेट मिनरल डेवलमेंट कॉरपोरेशन (जे.एस.एम.डी.सी)' में निदेशक पद पर नियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया। खान मंत्री एवं मुख्यमंत्री के रूप में श्री कोड़ा की सहमति इस प्रस्ताव पर होने के बाद संचिका राज्यपाल के पास उनकी सहमति प्राप्त करने के लिए प्रस्तुत की गई। यह खबर अखबारों में छप जाने के बाद हुई आलोचना के कारण राज्यपाल महोदय ने इस पर अनुमति नहीं दी। नतीजतन मधु कोड़ा के चाहने के बाद भी विनोद सिन्हा और शांतनु घोष जे.एस.एम.डी.सी. के निदेशक नहीं बन पाए। यह श्री कोड़ा की थाईलैंड (तीर्थ) यात्रा का प्रतिफल था।

लौह अयस्क माफिया की सक्रियता

मार्च 2005 में मधु कोड़ा के खान मंत्री बनते ही लौह अयस्क माफिया सक्रिय हो गया। श्री कोड़ा के अंतरंग सहयोगी विनोद सिन्हा और संजय चौधरी माफिया गिरोह के केंद्रबिंदु बन गए। इनकी सरपरस्ती में बिचौलियों, घोटालेबाजों, हवाला कारोबारियों का हस्तक्षेप खान विभाग में बढ़ने लगा। खान विभाग के सचिव, पश्चिम सिंहभूम जिला के खनन पदाधिकारी, अनियिमितताओं में सहयोग कर सकनेवाले अन्य पदधारकों की ट्रांसफर-पोस्टिंग आदि में इनकी मरजी चलने लगी। खनन माफिया, हवाला कारोबारी, लौह अयस्क व्यापारी, इस्पात निर्माता कंपनियाँ और मौकापरस्त बिचौलिए परस्पर अनुकूलता के आधार पर इनके इर्द-गिर्द चक्कर काटने लगे। खान मंत्री का निर्दलीय होना और राज्य सरकार पर एन.डी.ए. (राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन) का वर्चस्व होना इन्हें खलने लगा। खान मंत्री मुट्ठी में होने के बावजूद लौह अयस्क का वैध-अवैध

खनन और व्यापार करने तथा खनन पट्टा स्वीकृति प्रक्रिया में मनमाना निर्णय करने की इनकी षड्यंत्रकारी महत्त्वाकांक्षा की राह में मुख्यमंत्री का पद और सामान्य प्रशासन पर इस पद की पकड़ सबसे बड़ी बाधा थी। विनोद सिन्हा के चाईबासा के कुकृत्य निगरानी जाँच की परिधि में आ गए थे।

सत्ता पलट का षड्यंत्र

इसके बाद इन्होंने श्री मधु कोड़ा की अगुआई में निर्दलीय विधायकों को गोलबंद कर एन.डी.ए. सरकार गिराने की साजिश शुरू की। कांग्रेस ने इस साजिश का खुला समर्थन किया, राष्ट्रीय जनता दल ने चारा डाला, झारखंड मुक्ति मोरचा ने इनके साथ हाथ मिला लिया और 'आजसू' का एक धड़ा खुलकर इनके समर्थन में आ गया।

इसी बीच बाबूलाल मरांडी ने भी भारतीय जनता पार्टी से अलग होकर झारखंड विकास मोरचा बना लिया। भारतीय जनता पार्टी के कतिपय विधायक पार्टी से अलग हुए बिना विधान सभा के भीतर और बाहर इनके समर्थन में खुलकर खड़े हो गए। भाजपा संगठन और सरकार में भीतरघात पैर पसारने लगा। 'जिस पत्तल में खाना उसी में छेद करना' की कहावत ने मूर्त रूप ले लिया।

मधु कोड़ा और इनकी निर्दलीय मंडली को यू.पी.ए. (संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन) का सिरमौर बनाकर कांग्रेस ने 18 सितंबर, 2006 को एन.डी.ए. की अर्जुन मुंडा सरकार को पदच्युत कर दिया। राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमो लालू प्रसाद ने इसमें अहम भूमिका निभाया। शुरूआत में वर्ग-वर्ण के आधार पर इन्होंने भारतीय जनता पार्टी के एक नेता की महत्त्वाकांक्षा को हवा देकर भाजपा को विभाजित करने का षड्यंत्र रचा। पर निर्दलीय विधायकों को यह नेतृत्व स्वीकार नहीं हुआ, योजना विफल हो गई। इसके बाद निर्दलीय विधायकों की ओर से मधु कोड़ा का नाम सामने आया। मधु कोड़ा के नेतृत्व में झारखंड में यू.पी.ए. की एक अजूबा सरकार बनी, जिसमें मुख्यमंत्री निर्दल, एक उप मुख्यमंत्री निर्दल, 12 सदस्यों की मंत्रिपरिषद् में 9 मंत्री निर्दल, बाकी 3 मंत्री झारखंड मुक्ति मोरचा के, उनमें से भी एक उप मुख्यमंत्री, सभी-के-सभी कांग्रेस की तलहथी पर।

बेलगाम माफिया तंत्र

मधु कोड़ा सरकार द्वारा मुख्यमंत्री का कार्यभार सँभालते ही लौह अयस्क का अवैध खनन, अवैध व्यापार, अनियमित खनन पट्टा की अनुशंसा, प्रॉक्सी माइनिंग, खदानों पर कब्जा आदि का बेलगाम खेल शुरू हो गया। पश्चिम सिंहभूम जिले का प्रशासन, पुलिस, वन विभाग के कतिपय अधिकारी इसमें शामिल हो गए। जो नहीं शामिल हुए, वे प्रताड़ित हुए अथवा बदल दिए गए। व्यवसाय और व्यापार चाहे सत्तू का हो, शराब का हो, चमड़े की बेल्ट का हो, जूतों का हो, स्क्रैप का हो या किसी अन्य प्रकार का हो, लौह अयस्क खदान हासिल करने के लिए सभी सक्रिय हो गए। लोहा और इस्पात कारोबार से जुड़ी राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय साखवाली भारतीय मूल की शायद ही कोई कंपनी बची हो, जिसके मालिक या प्रतिनिधि ने इस खनन माफिया के दरबार में हाजिरी नहीं लगाई।

बड़े नामवालों को मुख्यमंत्री से मिलवाने, कम बड़े नामवालों को अपने स्तर से निपटाने और बाकियों को लंबा इंतजार कराने के खेल में 'सिंगल विंडो' की तरह एक ही व्यक्ति के नाम की धूम सत्ता के गलियारे में थी। वह व्यक्ति था विनोद सिन्हा। कोई मुख्यमंत्री से सीधा संपर्क करे तब भी, बिचौलियों के माध्यम से मिले तब भी और खान विभाग के सचिव, निदेशक या पश्चिम सिंहभूम जिला के खनन पदाधिकारी से मिले तब भी सब जगह एक ही सवाल होता था 'क्या विनोद सिन्हा से मिल लिए?' नहीं मिलनेवालों को सलाह मिलती थी कि विनोद सिन्हा से जरूर मिल लीजिए। उन दिनों सत्ता के गलियारे में और समाचार-पत्रों की सुर्खियों में विनोद सिन्हा का नाम चर्चा का विषय बना हुआ था।

कौन है विनोद सिन्हा?

'कौन है विनोद सिन्हा' शीर्षक से दैनिक समाचार 'प्रभात खबर' ने लगातार पाँच दिनों तक (दिनांक 20 अगस्त, 2007 से 25 अगस्त, 2007) तक प्रथम पृष्ठ पर सनसनीखेज तथ्यपूर्ण समाचार प्रकाशित किया। उस समय झारखंड विधान सभा का वर्षाकालीन सत्र चल रहा था। मैंने यह सवाल विधान सभा में उठाया और इस विषय में कार्यस्थगन प्रस्ताव का नोटिस दिया। पर सरकार की ओर से कोई जवाब नहीं आया। विधान सभा की कार्यवाही इस विषय पर तीन दिनों तक बाधित रही। मुख्यमंत्री की सीट पर बैठे मधु कोड़ा मौन साधे रहे। 'प्रभात खबर' में विनोद सिन्हा के अनेकों मोबाइल नंबर, उनकी विदेश-यात्राओं के विवरण, राजनेताओं से उनके संबंध, तत्कालीन सरकार एवं शासन में उनकी दखल आदि के ब्योरे लगातार छपते रहे। लेकिन शासन-प्रशासन में इस सवाल पर रहस्यमय चुप्पी छाई रही। विनोद सिन्हा के साथ दिन के उजाले और रात के अँधेरे में राँची, दिल्ली, मुंबई, कोलकाता तक गलबहियाँ डाले घूमते रहनेवालों और घोटाले के धन का उपयोग अपने राजनैतिक-गैर राजनीतिक स्वार्थ साधने में करते रहनेवालों के बीच एक बेचैन खामोशी छाई रही।

इस खामोशी को दूर किया बिहार के नालंदा जिलांतर्गत हिलसा थाना के 'गुलनी' नामक गाँव के ग्रामीणों ने। 'प्रभात खबर' में छपी खबरों और इस बारे में छपे हुए मेरे वक्तव्यों को पढ़कर गुलनी के ग्रामीणों ने मुझे हाथ से लिखा हुआ एक पत्र भेजा। इस पत्र में 'प्रभात खबर' द्वारा उठाए गए सवाल 'कौन है विनोद सिन्हा?' का जवाब था

तथा उसकी आरंभिक शिक्षा-दीक्षा और उसके परिवार की पृष्ठभूमि के बारे में विस्तृत विवरण था। इस पत्र की प्रति ग्रामीणों ने प्रभात खबर के संपादक और विभिन्न दलों के नेताओं को भी भेजी थी। 24 सितंबर, 2008 को मैंने इस पत्र की छायाप्रति झारखंड विधान सभा के पटल पर रख दी।

कोड़ा और विनोद का रिश्ता

विनोद सिन्हा और मधु कोड़ा के संबंध बहुत पुराने और घनिष्ठ रहे हैं। इन दोनों का संबंध छात्र-जीवन से है, जो श्री कोड़ा के विधायक, मंत्री, मुख्यमंत्री और सांसद बनने तक कायम है। विनोद सिन्हा और मधु कोड़ा टाटा कॉलेज, चाईबासा के छात्र थे। उस समय विनोद सिन्हा कांग्रेस के छात्र संगठन एन.एस.यू.आई. का जिला अध्यक्ष था और मधु कोड़ा भारतीय जनता युवा मोरचा का जिला अध्यक्ष होने के साथ ही गुआ में भारतीय मजदूर संघ के साथ भी काम करते थे। 2005 तक विनोद सिन्हा के पास जमशेदपुर के आशियाना सिटी, मानगो में एक फ्लैट था। सितंबर 2006 में श्री मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री बने तब विनोद सिन्हा ने अपनी दलाली क्षमता का इस्तेमाल किया और राज्य सरकार के साथ विभिन्न कंपनियों के माइनिंग लीज से संबंधित एम.ओ.यू. करवाने और चुनिंदा उद्योगपतियों के खनन पट्टा आवेदनों की अनुशंसा भारत सरकार के खान मंत्रालय में भेजवाने में अपने एवं मधु कोड़ा के संबंधों का भरपूर उपयोग किया। विनोद सिन्हा की सहमति के बिना खनन पट्टा अनुशंसा एवं नवीनीकरण संबंधी किसी भी फाइल पर मुख्यमंत्री कार्यालय में कोई कारवाई नहीं होती थी।

न केवल खनन विभाग बल्कि यह स्थिति अन्य महत्त्वपूर्ण विभागों के साथ भी थी। श्री मधु कोड़ा के नाम और पद का वास्तविक उपयोग विनोद सिन्हा द्वारा ही किया जाता था। कोई भी व्यावसायिक घराना या निजी व्यावसायिक प्रतिष्ठान विनोद सिन्हा को अपनी कंपनी में शेयर अथवा रिश्वत के रूप में नाजायज लाभ उपलब्ध कराए बिना झारखंड में व्यापार करने की सोच भी नहीं सकता था। दिल्ली-मुंबई के पाँच सितारा होटलों में विनोद सिन्हा द्वारा जो फैसले लिए जाते थे, मुख्य रूप से उन्हीं का निष्पादन झारखंड स्थित मुख्यमंत्री कार्यालय में किया जाता था। इस प्रक्रिया में वसूले गए अवैध धन को दिल्ली, मुंबई, कोलकाता एवं भारत के अलग-अलग शहरों में भेज दिया जाता था और वहाँ की कागजी कंपनियों को निर्धारित कमीशन देकर बदले में चेक लिया जाता था। इस प्रकार अवैध धन को वैध बनाया जाता था।

मुख्यमंत्री रहते समय मधु कोड़ा ने लौह अयस्क खदान आवंटन की प्रक्रिया पूरा कराने सहित राज्य विद्युत् बोर्ड एवं पथ-निर्माण विभाग सहित अन्य कार्य विभागों से अवैध धन उगाही करने का जिम्मा विनोद सिन्हा पर डाल दिया था। राँची, कोलकाता,

दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में लौह अयस्क का खनन पट्टा लेने एवं अन्य काम कराने के इच्छुक व्यवसायी और बिचौलिए इनसे मिलते थे। अवैध धन प्राप्त हो जाने के बाद झारखंड सरकार के संबंधित अधिकारियों को विनोद सिन्हा द्वारा इस बारे में आवश्यक निर्देश दिया जाता था, तभी उनका कार्य संपन्न हो पाता था।

जिसे झुकने को कहा, वह रेंगने लगा

मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की सरपरस्ती में विनोद सिन्हा ने तिकड़मी मेधावाले व्यक्तियों का एक बहुआयामी गिरोह खड़ा कर लिया। इसने जिस किसी अधिकारी, व्यवसायी या उद्योगपति से झुकने के लिए कहा, वह रेंगने लगा। इस गिरोह में लौह अयस्क के लोभी उद्योगपति, निहित स्वार्थी सरकारी अधिकारी, हवाला कारोबारी, राजनीतिक दलों के नेता और उनके लगुए-भगुए, ठेकेदार, अभियंता, चार्टर्ड एकाउंटेंट व लंपट वर्गों के छँटे हुए लोग शामिल थे। लौह अयस्क का अवैध खनन और व्यापार करना, लौह अयस्क खनन पट्टा के आवेदनों की अनियमित अनुशंसा और स्वीकृति के लिए साजिश करना, झारखंड राज्य बिजली बोर्ड एवं अन्य कार्य विभागों में ठेका और आपूर्ति से अवैध धन हासिल करना, इसे हवाला के जरिए देश और विदेश में ले आने-ले जाने तथा फर्जी कंपनियाँ बनाकर अथवा बंद पड़ी कंपनियों पर कब्जा कर इनके माध्यम से अवैध धन का निवेश करने की कार्यशैली इनकी विशेषता बन गई। कतिपय चतुर चार्टर्ड एकाउंटेंट और वित्तीय मामलों के विशेषज्ञ इनकी काली कमाई को सफेद बनाने का रास्ता बताने में इनके साथ जुड़ गए।

तदुपरांत इस गिरोह के सरगना विदेशों के चक्कर लगाने लगे और वहाँ अवैध पूँजी निवेश करने एवं संपत्तियाँ खरीदने की संभावनाएँ तलाशने लगे। हवाला कारोबारियों तथा इस्पात क्षेत्र के कतिपय उद्योगपतियों की सहायता से अवैध तरीके से हासिल लौह अयस्क घोटाला का धन विदेश ले जाने का सिलसिला शुरू हो गया। थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई (यू.ए.ई.) लाइबेरिया, स्वीडन, घाना आदि देशों में इन्होंने अपना अड्डा बनाया, एक स्वीडिश होल्डिंग कंपनी का अधिग्रहण किया और इन देशों में चल-अचल संपत्तियाँ खरीदीं। भारत के कई शहरों में भी इन्होंने अपनी काली कमाई का निवेश किया। झारखंड और देश की राजनीति तथा लोकसभा-विधान सभा चुनावों को प्रभावित करने के लिए घोटाले के धन का धड़ल्ले से उपयोग किया। झारखंड, बिहार और दिल्ली की राजनीति में दखल देनेवाले विभिन्न दलों के नेताओं को इस गिरोह ने उपकृत किया और प्राय: सभी राजनीतिक दलों के भीतर प्रभावी पैठ बना ली। इस गिरोह के एक मुख्य किरदार मनोज पुनमिया से बातचीत की एक सी.डी. मैंने 28 फरवरी, 2010 को जमशेदपुर में सार्वजनिक की। इससे स्पष्ट हो गया है कि मधु कोड़ा सरकार में घोटालेबाजों और हवालाबाजों के हाथ किस-किस तक पहुँचे हुए थे।

खनन पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार

झारखंड राज्य में लौह अयस्क खनन पट्टा स्वीकृति प्रक्रिया पर एक नजर डालने से मधु कोड़ा शासन में राजकीय व्यवस्था की भ्रष्ट कार्य संस्कृति बेपर्दा हो जाती है। किसी क्षेत्र विशेष पर खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए प्राप्त आवेदनों पर सुनवाई कर निर्णय लेने का प्रावधान खनिज समानुदान नियमावली 1960 में है। खनन माफिया गिरोह द्वारा इस नियमावली के प्रावधानों के अनुसार खनन पट्टा के इच्छुक उद्योगपतियों को किसी क्षेत्र विशेष पर आवेदन करने के लिए कहा जाता था। ये आवेदन चाईबासा में जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम के यहाँ दाखिल होते थे। चाईबासा में पदस्थापित एक सहायक निदेशक, भूतत्त्व, इस क्षेत्र में लौह अयस्क की उपलब्धता का एक मनगढ़ंत प्रतिवेदन तैयार करते थे। जिला खनन पदाधिकारी प्रतिवेदन को संपुष्ट कर इसे आवेदन के साथ खान निदेशक, झारखंड के कार्यालय में भेज देते थे।

नियम के अनुसार प्रासंगिक इलाके के आवेदित क्षेत्रों का समेकित मानचित्र तैयार कर पट्टा पाने के लिए डाले गए सभी आवेदनों की वास्तविक स्थिति उस मानचित्र पर प्रदर्शित करनी होती है। परंतु अधिकांश मामलों में पश्चिमी सिंहभूम जिला खनन कार्यालय ऐसे समेकित मानचित्र पर आवेदनों की स्थिति स्पष्ट किए बिना ही उन्हें राज्य सरकार के खान विभाग में भेज देता था। खान विभाग द्वारा ऐसे आवेदनों पर सुनवाई भी कर ली जाती थी। इतना ही नहीं, कई मामलों में तो जिन आवेदनों पर जिला खान कार्यालय की अनुशंसा नहीं रहती थी अथवा जिन्हें जिला खान कार्यालय से अग्रसारित नहीं किया रहता था, उनकी सुनवाई भी राज्य सरकार के खान सचिव द्वारा कर ली जाती थी। सुनवाई के समय सुनवाई करनेवाले अधिकारियों के सामने आवेदकों से प्राप्त सभी कागजात नहीं रहते थे, फिर भी सुनवाई की औपचारिकताएँ पूरी कर ली जाती थीं। जिला खनन पदाधिकारी भी सभी आवेदनों को खान विभाग में नहीं भेजते थे। जिनके आवेदक उन्हें उपकृत करते थे अथवा जिनका आवेदन भेजने के लिए खान विभाग से निर्देश प्राप्त होता था, वही आवेदन भेजे जाते थे।

जिला खनन पदाधिकारी द्वारा खान-विभाग को भेजे जानेवाले सभी आवेदनों को एक ही प्रारूप में भेज दिया जाता था। इस प्रारूप में न कोई अनुशंसा रहती थी और न यह जानकारी रहती थी कि संबंधित आवेदन कब दाखिल हुआ था, किस क्षेत्र के लिए दाखिल हुआ था और आवेदन के साथ कौन-कौन से कागजात लगाए गए थे। सुनवाई के दौरान मनचाहे आवेदनों के आधार पर आवेदक को मनचाहे क्षेत्र पर खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी जाती थी अथवा अनुशंसा करने का आश्वासन दे दिया जाता था। इससे स्पष्ट है कि जिन आवेदकों के पक्ष में खनन पट्टा की अनुशंसा करनी होती थी, उनका चयन पहले ही हो चुका रहता था और सुनवाई की केवल औपचारिकता निभाई जाती थी।

आधार एक, निर्णय अनेक

पश्चिमी सिंहभूम जिला का एक ही खनन पदाधिकारी, एक ही क्षेत्र पर पड़े एक ही प्रकार के आवेदनों के संबंध में, अलग-अलग समय में अलग-अलग प्रकार से निर्णय लेता था। उदाहरणार्थ घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित था, परंतु चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी ने एक समय इस क्षेत्र पर खनन पट्टा देने के लिए 9 निजी उद्योगपतियों के पक्ष में अनुशंसा कर उनके आवेदनों को खान विभाग में भेज दिया। लेकिन वही जिला खनन पदाधिकारी जब खान विभाग में उपनिदेशक के पद पर पदस्थापित हुए तो उन्होंने राज्य सरकार को प्रतिवेदन दिया कि घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र सार्वजनिक उद्यमों के लिए आरक्षित है, इसलिए निजी उद्यमियों को इस क्षेत्र पर खनन पट्टा देने की स्वीकृति प्रदान करना अनियमित होगा। इसका कारण था कि इस बीच में राज्य में सरकार बदल गई थी। मधु कोड़ा की जगह शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बन गए थे। सरकार बदलने के साथ ही इस अधिकारी का निर्णय भी बदल गया।

खान निदेशक के यहाँ आवेदनों के पहुँचते ही इसकी जानकारी सचिव खान विभाग, संबंधित उद्योगपति और मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के एजेंट के रूप में कार्यरत विनोद सिन्हा के पास पहुँचा दी जाती थी। इसके बाद आवेदनों पर प्राथमिकता तय करने की प्रक्रिया आरंभ होती थी। आनन-फानन में इन आवेदनों पर खान सचिव के यहाँ सुनवाई आयोजित होती थी। नियमों की परवाह किए बिना लौह अयस्क खदानों की बंदर-बाँट की प्रक्रिया में पहले से तय उस एक आवेदन को केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भेजने के लिए चयन कर लिया जाता था, जिसके बारे में डील हो हो गई होती थी। अन्य आवेदनों के बारे में अभियुक्ति के कॉलम में टिप्पणी दर्ज कर दी जाती थी कि अमुक आवेदक को अथवा इसकी सहायक कंपनी को किसी अन्य क्षेत्र पर खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी गई है, अथवा अमुक आवेदक के आवेदन पर अमुक क्षेत्र में खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी जाएगी। जिसने उपकृत नहीं किया, उसके आवेदन को खारिज करने अथवा उसे खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं मानने के मनमाना तर्क गढ़ लिए जाते थे। जैसे—सरकार के साथ एम.ओ.यू. नहीं होना, निवेश का प्रस्ताव कम होना, वित्तीय स्थिति सक्षम नहीं होना, तकनीकी अनुभव कम होना आदि-आदि। जबकि इसी तरह के अन्य आवेदनों को इसके पहले की तिथि में या इसके बाद की तिथि में अनुशंसित कर भारत सरकार को भेज दिया जाता था। एक ही दिन में कुछ घंटों के भीतर 75 आवेदनों पर सुनवाई करने और मनमाफिक अनुशंसा भेजने का रिकॉर्ड झारखंड सरकार के खान विभाग ने कायम किया है।

एक बार तो खान सचिव श्री जयशंकर तिवारी पंजाब में चुनाव ड्यूटी पर

प्रतिनियुक्त थे। खनन पट्टा आवेदनों की सुनवाई करने के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने उन्हें चुनाव ड्यूटी से बीच में ही एक दिन के लिए वापस बुला लिया। वे हवाई अड्डे से सीधे अपने कार्यालय गए और एक दिन में करीब 75 खनन पट्टा आवेदनों की सुनवाई कर अगले दिन पुनः चुनाव ड्यूटी पर लौट गए। खनन पट्टा हेतु आवेदनों की अनुशंसा में बरती गई अनियमितता का खुला खेल 'मधु कोड़ा लूट राज' में इसी तरह चलता रहा।

भारत सरकार की मिलीभगत

ऐसे आवेदनों की अनुशंसा जब भारत सरकार के खान विभाग में पहुँचती थी तो वहाँ भी इन पर नियमानुसार गंभीर चिंतन नहीं होता था। आवेदनों में अंकित विवरणों का सम्यक विश्लेषण भी नहीं होता था। प्रायः सभी आवेदनों पर राज्य सरकार द्वारा भेजी गई अनुशंसाएँ ही अंततः स्वीकार कर ली जाती थीं, भले ही वे अनुशंसाएँ नियमानुकूल, विधिसम्मत एवं तथ्यपरक नहीं हों। भारत सरकार का खान मंत्रालय या तो लौह अयस्क माफिया के अनुचित प्रभाव में था या मंत्रालय के आला अधिकारियों की मिलीभगत इनके साथ थी।

औपचारिकता निभाने के लिए भारत सरकार का खान मंत्रालय ऐसे कतिपय आवेदनों को 'कारण पृच्छा' के साथ झारखंड सरकार को वापस भेज देता था। जिन आवेदनों के बारे में भारत सरकार का खान मंत्रालय झारखंड सरकार से अनुशंसा के कुछ बिंदुओं पर कारण पूछता था और स्पष्टीकरण चाहता था, उनपर राज्य सरकार द्वारा 'कारण पृच्छा' का सही एवं समाधानजनक उत्तर नहीं दिए जाने के बावजूद खान मंत्रालय संबंधित आवेदन पर स्वीकृति की मुहर लगा देता था। कई मामलों में तो निदेशक एवं संयुक्त सचिव स्तर के अधिकारियों की असहमति के बावजूद भारत सरकार का खान मंत्रालय इन आवेदनों पर स्वीकृति प्रदान कर देता था। स्पष्ट है कि भारत सरकार का खान मंत्रालय आपत्तियों के निस्तारण के बारे में मात्र औपचारिकता का निर्वाह किया करता था। तभी तो 'सन फ्लैग, बाला जी इंडस्ट्रीज, इस्पात इंडस्ट्री, ए.एम.एल. इंडस्ट्रीज, इस्पात इंडस्ट्री सदृश कतिपय उद्योगपतियों ने खनन पट्टा मिल जाने के बाद उसे लौटा दिया। कारण कि भारत सरकार की स्वीकृति से इन्हें जिस क्षेत्र पर खनन पट्टा मिला था, वहाँ पर एक छटाँक भी लौह अयस्क नहीं पाया गया। देश की एक बड़ी इस्पात कंपनी ने तो भारत सरकार से खनन पट्टा की स्वीकृति प्राप्त हो जाने के बाद झारखंड सरकार से उन सारी सूचनाओं की माँग लिखित रूप से की, जिन्हें अनुशंसा करते समय झारखंड सरकार द्वारा आवेदन के साथ संलग्न कर भारत सरकार को भेजा जाना चाहिए था।

कॉरपोरेट जगत पर दबाव

'मधु कोड़ा लूट राज' की अवधि में झारखंड के लौह अयस्क बहुल खनन क्षेत्रों की नीलामी 'प्रति एकड़ एवं प्रतिशत' की दर से अथवा खनिज भंडार में हिस्सेदारी के आधार पर होने लगी तो राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ख्याति की इस्पात निर्माता कंपनियाँ भी बहती धारा में हाथ साफ करने के लिए कूद पड़ीं। 'फौलाद से मजबूत नैतिक मूल्यों' का ढिंढोरा पीटनेवाली कंपनियों के नेक इरादे लौह अयस्क खनन प्रतिस्पर्द्धा की तपिश में मोम की तरह पिघलने लगे। देश और दुनिया में 'इस्पात सम्राट' की श्रेणी में शुमार किए जाने वाले लोगों की कंपनियों के वरीय पदधारी घोटालेबाजों और हवालेबाजों की तीमारदारी में जुट गए। बिचौलियों के साथ सौदेबाजी में कॉरपोरेट मूल्य पतन की पराकाष्ठा पर पहुँच गए, सबकी कलई खुल गई, सब्र रखनेवाले नहीं के बराबर रह गए, इनके बीच लूट राज में लुटने और लुटाने की होड़ मच गई।

किसी ने जमशेदपुर में रिहायशी श्रेणी की कीमती 'लीज भूमि' को व्यावसायिक श्रेणी में बदलकर होटल और मॉल प्रोजेक्ट के लिए घोटालेबाजों के नाम रजिस्ट्री का रास्ता खोल दिया, तो किसी ने ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट के लोभ में 'वीजा' बनाने के लिए अपनी साख को दाँव पर लगाकर हवालेबाजों को अपना मित्र घोषित कर दिया। मुंबई की इस्पात इंडस्ट्रीज ने घोटालेबाजों की कंपनी 'ग्लोबल एबसोल्युट रिसर्च' के साथ बाजाप्ता लिखित समझौता कर लिया और 25 लाख रुपए 'साइनिंग एमाउंट' के नाम पर अग्रिम दे दिए। मुंबई की ही 'कोर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज' ने तो चेक के माध्यम से 13 करोड़ रुपए की रिश्वत का भुगतान डंके की चोट पर कर दिया। ऐसे करीब डेढ़ दर्जन नामों की सूची मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री रहते समय उनके निजी सचिव रहे बसंत भट्टाचार्या ने जाँच एजेंसियों तक पहुँचा दी।

लौह अयस्क खदान का पट्टा पाने के लिए घोटालेबाजों को अधिक-से-अधिक उपकृत करने में कोई किसी से पीछे नहीं रहा, भले ही इसके लिए अपनी नैतिकता, परंपरा, सीमा और मर्यादा का उल्लंघन करना पड़ा हो। एकड़ और हेक्टेयर में किसको कितने क्षेत्र पर खनन पट्टा अथवा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति का आवंटन मिला, किसके कितने आवेदन झारखंड सरकार से अनुशंसित होकर भारत सरकार में पहुँचे और किसको क्या मिला, यह तो सबके सामने है, पर इसकी एवज में किसको, क्या और कितना न्योछावर करना पड़ा, इस रहस्य पर से परदा उठना अभी बाकी है।

ग्रीन स्टील पर खतरा

लूट राज में लौह अयस्क का वैध-अवैध खनन करने और खनन पट्टा पाने की अविवेकपूर्ण प्रतिस्पर्द्धा ने ग्रीन स्टील कहे जाने वाले साल वृक्षों के सघन वन क्षेत्र

'सारंडा' पर खतरा पैदा कर दिया। भारत सरकार के निर्देश पर झारखंड सरकार के वन एव पर्यावरण विभाग ने करीब 81 हजार हेक्टेयर क्षेत्रफल वाले सारंडा वन क्षेत्र के 63 हजार हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र को अभग्न/अक्षुण्ण श्रेणी में शामिल किया है। ऐसे चिह्नित क्षेत्रों की गजट अधिसूचना प्रकाशित करने के लिए संचिका फरवरी 2006 से झारखंड सरकार के पास लंबित है। इसके बावजूद ऐसे क्षेत्रों के कई खंडों पर खनन पट्टा देने की अनुशंसा 'मधु कोड़ा लूट राज' के दौरान कर दी गई। ऐसी ही स्थिति कोल्हान और दक्षिणी चाईबासा के ऐसे वन प्रमंडलों की भी है, जिन पर लौह अयस्क मफिया की लालची निगाहें औद्योगिक विकास की आड़ में लगी हुई हैं। ऐसे कई अन्य सघन वन क्षेत्र भी हैं, जिन पर खनन पट्टा देने के लिए झारखंड सरकार में तैयारी तो कर ली गई, पर इसके नीचे अवस्थित लौह अयस्क भंडार की मात्रा और ग्रेड की सही जानकारी का पता वैज्ञानिक एवं वैधानिक पद्धति से अब तक नहीं लगाया गया।

अवैध खनन एवं परिवहन

1990 के दशक में संयुक्त बिहार में एक बहुचर्चित घोटाला हुआ था। यह 'पशुपालन घोटाला' अथवा 'चारा घोटाला' के नाम से कुख्यात है। उस समय बिहार के मुख्यमंत्री स्वनाम धन्य लालू प्रसाद थे, जिन्हें इस घोटाला के आरोप में कई बार जेल जाना पड़ा। चारा घोटाले में पंजाब, हरियाणा के विभिन्न स्थानों से गाय, बछड़े, साँड आदि पशुओं को बड़ी संख्या में राँची, हजारीबाग आदि स्थानों पर लाया हुआ दिखाया गया था। मैंने, बिहार के वर्तमान उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और वर्तमान राज्यसभा सदस्य शिवानंद तिवारी ने इसकी सी.बी.आई. जाँच हेतु संयुक्त रूप से एक जनहित याचिका, संख्या आर.सी. 1617/1996, पटना उच्च न्यायालय में दायर की। पटना उच्च न्यायालय ने हमारी याचिका पर फैसला देते हुए घोटाले की जाँच सी.बी.आई. को सौंप दी। जाँच के दौरान पता चला कि सरकार के रिकॉर्ड में जिन वाहनों पर इन पशुओं को पंजाब-हरियाणा के विभिन्न स्थानों से ढोकर लाया बताया गया वे वाहन वास्तव में स्कूटर, मोटरसाइकिल, टैंपो, टैक्सी आदि सवारी गाड़ियाँ हैं।

झारखंड के लौह अयस्क घोटाले के अंतर्गत अवैध खनन की तासीर से ऐसा लगता है, मानो घोटाले का इतिहास 20 साल बाद अपने आपको दुहरा रहा है। पुलिस रिकॉर्ड में एक वाहन संख्या (जे.एच. 05 वी.-3971) पर लौह अयस्क ढोया गया बताया गया है। जाँच करने पर पता चला कि यह नंबर एक मोटर साइकिल का है। इसी तरह 'जे.एच. 05 जे. 5225' नंबर के वाहन से 39 टन लौह अयस्क ढोया गया है। यह वाहन भी जाँच में मोटरसाइकिल निकला। 'जे.एच. 05 के 3914' नंबर के वाहन की जाँच के बाद पाया गया कि वह जमशेदपुर में पंजीकृत एक कार का नंबर

है। खनन अधिकारी के रिकॉर्ड में इस नंबर वाली कार पर 33.65 टन लौह अयस्क रेलवे साइडिंग तक ढोया दिखाया गया है। झारखंड में लौह अयस्क घोटाले के विविध आयामों में एक है अवैध खनन का अवैध परिवहन।

मधु कोड़ा लूट राज में राज्य सरकार संरक्षित लौह अयस्क माफिया द्वारा लौह अयस्क का अवैध खनन सुनियोजित तरीके से होने लगा था। विधान सभा के भीतर और बाहर मैंने इस विषय को कई बार उठाया। लेकिन सरकार दोषियों को बचाने के लिए हमेशा भ्रामक उत्तर का सहारा लेती रही।

भ्रामक उत्तर

21 दिसंबर, 2005 को मैंने अवैध खनन के संबंध में झारखंड विधान सभा में एक ध्यानाकर्षण सूचना रखी। इसके माध्यम से मैंने विधान सभा को सूचित किया कि ''झारखंड राज्य के अंतर्गत संरक्षित वन क्षेत्रों में लौह अयस्क, बॉक्साइट एवं बेशकीमती पत्थरों के अवैध खनन का कार्य बड़े पैमाने पर चल रहा है। गुमला लोहरदगा जिलों के विभिन्न स्थानों पर बॉक्साइट का, कोडरमा जिला के लौकहा-इनरवा क्षेत्र में सजावटी एवं बेशकीमती पत्थरों का तथा पश्चिमी सिंहभूम के बड़ा जामदा, नोआमुंडी, घाटकुरी एवं समीपवर्ती क्षेत्रों में लौह अयस्क का अवैध खनन और व्यापार बड़े पैमाने पर चल रहा है। एक ओर वैध तरीके से अयस्कों का खनन पट्टा स्वीकृत करने में वन विभाग द्वारा नियमों का हवाला देकर अनेक आपत्तियाँ उठाई जाती हैं, तो दूसरी ओर अवैध खनन की प्रक्रिया में वन विभाग द्वारा कोई अवरोध खड़ा नहीं किया जाता है और न अवैध खनन करनेवालों के विरुद्ध कोई काररवाई की जाती है। अवैध खनन करने से पर्यावरण को भारी क्षति पहुँच रही है और सरकार को राजस्व की हानि हो रही है।''

झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्त्व विभाग के मंत्री मधु कोड़ा ने इस ध्यानाकर्षण सूचना के संबंध में विधान सभा में निम्नांकित उत्तर दिया और बताया कि—

1. राज्य एवं जिला स्तर पर टास्क फोर्स का गठन किया गया है, ताकि अवैध खनन की रोकथाम एवं उसपर अंकुश लगाया जा सके।
2. पूरे राज्य में केंद्रीयकृत पारगमन चालान पद्धति को लागू किया जा रहा है।
3. झारखंड खनिज पारगमन चालान विनियमन 2005 को लागू करने की काररवाई की जा रही है।
4. झारखंड लघु खनिज समानुदान नियमावली, 2005 में संशोधन किया जा रहा है, ताकि जिला स्तर पर अवैध खनन के विरुद्ध प्रभावी अंकुश लगाने की काररवाई की जा सके।
5. खान एवं खनिज (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 1957 में संशोधन हेतु भारत सरकार से अनुरोध करने हेतु काररवाई की जा रही है।

खान मंत्री मधु कोड़ा के उत्तर से सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो माननीय विधान सभा अध्यक्ष ने यह मामला गहन जाँच के लिए विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द कर दिया।

विधान सभा समिति अप्रासंगिक

कुछ दिनों के बाद सरकार बदल गई। मधु कोड़ा खान मंत्री से राज्य के मुख्यमंत्री बन गए। विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति में यह मामला लंबित पड़ गया। 21 सितंम्बर, 2005 की ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार का जवाब समिति की बैठक में तीन साल बाद 4 दिसंबर, 2008 को आया। झारखंड सरकार की ओर से पश्चिम सिंहभूम जिला के पुलिस अधीक्षक द्वारा लौह अयस्क के अवैध खनन के बारे में दिया गया प्रतिवेदन इस बैठक में रखा गया। इस प्रतिवेदन के अनुसार पश्चिम सिंहभूम जिला में अवैध खनन के 18 मामलों मे 84 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुई, 78 लोग गिरफ्तार किए गए, 28 वाहन और 494 टन लौह अयस्क जब्त किया गया। 2007-08 मे 8 मामलों में 42 व्यक्तियों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज हुए, 25 लोग गिरफ्तार हुए, 11 वाहन और 109 टन लौह अयस्क जब्त किए गए। वर्ष 2008 के 31 मई तक लौह अयस्क के अवैध खनन के 20 मामलों में 88 व्यक्तियों के विरुद्ध एफ.आई.आर. दर्ज हुई, 21 गिरफ्तारियाँ हुईं, 28 वाहन और 32, 985 टन लौह अयस्क जब्त हुए। जबकि पश्चिम सिंहभूम के तत्कालीन उपायुक्त द्वारा केवल गुआ एवं बड़ा जामदा क्षेत्रों में की गई छापेमारी में वर्ष 2010 के आरंभिक 3 महीनों में ही 97,000 टन लौह अयस्क पकड़ा गया।

वर्ष 2006-07 से 2008-09 के ये सरकारी आँकड़े अवैध खनन पर पर्दा डालने वाले हैं। झारखंड विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति के समक्ष यह सवाल आज भी लंबित है। 21 दिसंबर, 2005 को विधान सभा में मेरी ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार द्वारा दिए गए उत्तर के संदर्भ में अब तक कोई गंभीर कारवाई नहीं हुई। नतीजतन 2006-07 से 2009-10 के बीच अवैध खनन में भारी वृद्धि हुई। इस अवधि में घोटालेबाजों और खनन माफियाओं ने अवैध खनन को गैर-कानूनी संस्थागत स्वरूप प्रदान कर दिया। इन्होंने लघु विधान सभा कही जानेवाली विधान सभा समिति को भी अप्रासंगिक बना दिया।

विधान सभा पंगु

लूटो, लूटने दो, लूट में हिस्सेदारी लो। मधु कोड़ा के नेतृत्व वाली झारखंड की यू.पी.ए. सरकार का यह घोष वाक्य था। कोल्हान क्षेत्र के लौह अयस्क भंडार को कौड़ियों के भाव नीलाम करने और इससे हासिल अवैध कमाई को हवाला के जरिए

देश-विदेश में निवेश करने की साजिश में शामिल व्यक्तियों, कंपनियों, हवालाबाजों, घोटालेबाजों और इसमें शासन-प्रशासन की मिलीभगत का मामला मैंने झारखंड विधान सभा में कई बार उठाया। मैंने इस बारे में तारांकित और अतारांकित सवाल पूछे, शून्य काल में यह विषय उठाया, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से वस्तुस्थिति सदन पटल पर रखा। सरकार मेरे मूल प्रश्नों एवं पूरक प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाती थी तो विधान सभा अध्यक्ष दोषियों के खिलाफ काररवाई करने का नियमन देने के बदले मेरे द्वारा उठाए गए विषय को प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सौंप देते थे। विधान सभा समिति भी इस पर कुंडली मारकर बैठ जाती थी।

जब भी इस बारे में विधान सभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव रखा गया, विधान सभा अध्यक्ष ने सरकार से जवाब दिलवाने के बदले सदन को ही स्थगित करने की घोषणा कर दी। एक बार तो हंगामे के कारण सदन की बैठक कई दिनों तक नहीं चल सकी। कांग्रेस, राजद, झामुमो, आजसू आदि दलों के नेताओं और सदस्यों का आचरण तो विधान सभा में ऐसा होता था, जैसे लौह अयस्क माफिया का इनपर कोई बड़ा अहसान हो। इक्का-दुक्का अपवादों को छोड़कर सरकार समर्थक दलों के अधिकांश सदस्य और निर्दलीय मंत्रियों का समूह सदन में हंगामा खड़ा कर देता था। विधान सभा में निर्दलीय मंत्री गला फाड़कर चिल्लाते थे और चुनौती देते थे कि 'हाँ हम दोषी हैं, हमारे खिलाफ सबूत भी हैं, क्या कर लीजिएगा? बहुत करिएगा तो न्यायालय चले जाइएगा। हाईकोर्ट जाकर देख लीजिए।' आश्चर्य और दु:ख होता था, जब कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक भी इनकी हाँ-में-हाँ मिलाते थे। यह कहने में अतिशयोक्ति नहीं होगी कि लौह अयस्क माफिया न केवल राज्य सरकार पर हावी था, बल्कि सरकार समर्थक राजनीतिक दलों के माध्यम से इन्होंने विधायिका को भी पंगु बना दिया था।

विनोद सिन्हा का दिल्ली संस्करण

मधु कोड़ा की सरकार कांग्रेस की हथेली पर टिकी थी। इसका भरपूर लाभ कांग्रेस के झारखंड प्रभारियों ने तथा दिल्ली में जमे सोनिया गांधी के नजदीकी प्रबंधकों ने उठाया। इन्होंने राज्य सरकार के हेलिकॉप्टर सहित अन्य सुविधाओं का भरपूर लाभ लिया। मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री पद पर टिकाए रखने के लिए राँची और दिल्ली के बीच बिचौलिए की भूमिका निभाने वाले कांग्रेस के झारखंड प्रभारियों से थोड़ी भी चूक हुई कि प्रभारी पद से इनकी छुट्टी हो जाती। दो वर्ष की अवधि में कांग्रेस ने तीन झारखंड प्रभारी बदले, एक समय तो प्रभारी के साथ सह प्रभारी भी नियुक्त हुए। दिल्ली से राँची पहुँचते ही ये प्रभारी कोड़ा सरकार के भ्रष्ट कारनामों की गिनती कराने लगते, समाचार पत्रों में बढ़-चढ़कर बयान देते, फिर दिल्ली से इन्हें बुलावा आता और वे चुप्पी साध लेते।

कांग्रेस की ऐसी ही एक सह प्रभारी थीं हेमा गमांग। उन्हें लगा कि शायद 'मधु कोड़ा लूट राज' में चरम पर पहुँचे भ्रष्टाचार की जानकारी सोनिया गांधी को नहीं होगी। 24 अगस्त, 2007 को राँची के अखबारों में उन्होंने बयान दिया कि ''वे विनोद सिन्हा के बारे में सोनिया गांधी को बताएँगी।'' यही वक्त था जब 'प्रभात खबर' कौन है विनोद सिन्हा? शीर्षक से समाचार श्रृंखला प्रकाशित कर रहा था। श्रीमती गमांग ने बयान में कहा कि ''विनोद सिन्हा के बारे में अखबारों में छप रही रिपोर्ट और अन्य माध्यमों से मुझे काफी कुछ पता चला है, इस शख्स के बारे में मुझे जानकारी है। दिल्ली में बैठकर झारखंड की राजनीति में हस्तक्षेप करनेवाले लोगों से विनोद सिन्हा के अच्छे ताल्लुकात हैं। इन सभी बातों की जानकारी मैं कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को दूँगी। झारखंड में शुरू से ही लूट-खसोट मची है। झारखंड को लूटनेवालों में मात्र झारखंड के विनोद सिन्हा जैसा शख्स ही नहीं, बल्कि दिल्ली से झारखंड की राजनीति को हाँकनेवाला एक दूसरा शख्स भी है, जो दोनों हाथों से झारखंड को लूट रहा है। विनोद सिन्हा प्रकरण की जाँच तो होनी ही चाहिए, इसके साथ दिल्ली में बैठे किन-किन लोगों से उसके संबंध हैं, इसकी भी जाँच होनी चाहिए। साथ ही विनोद सिन्हा जैसा शख्स, जो दिल्ली में बैठा है, उसकी भी जाँच होनी चाहिए। झारखंड में इसी तरह लूट-खसोट चलती रही तो झारखंड का विकास किसी भी सूरत में संभव नहीं है। दिल्ली में झारखंड की राजनीति को चलानेवाला शख्स कौन है? इसके जवाब में श्रीमती गमांग ने कहा कि इसका खुलासा मैं पहले सोनिया गांधी के पास करूँगी, उसके बाद ही इस मामले में कुछ बोलूँगी। इस बारे में मैं इतना ही कह सकती हूँ कि विनोद सिन्हा ने जिस तरह पैसे कमाए हैं, उसी तरह की प्रोफाइल का एक शख्स दिल्ली में बैठकर झारखंड की तकदीर तय कर रहा है।''

यह बयान छपते ही उन्हें दिल्ली से बुलावा आया, वे दिल्ली चली गईं। दिल्ली में जमे कांग्रेस के तथाकथित हाई प्रोफाइल नेता और विनोद सिन्हा के बीच साँठ-गाँठ के बारे में उन्होंने सोनिया गांधी को क्या बताया, यह तो पता नहीं चला, परंतु दिल्ली जाने के बाद वे दुबारा झारखंड नहीं लौटीं। झारखंड के सह प्रभारी पद से उनकी छुट्टी हो गई। स्पष्ट है कि कोड़ा लूट राज के बारे में सोनिया जी अनभिज्ञ नहीं थीं। दिल्ली में जमे जिस प्रभावशाली नेता की ओर उन्होंने इशारा किया था, उसका मोबाइल नंबर विनोद सिन्हा और मधु कोड़ा के मोबाइल में 'ए' अक्षर वाले पहले नाम के रूप में सबसे उपर दर्ज रहता था। इनके बीच अकसर होते रहने वाली बातचीत के प्रमाण इनकी मोबाइलों के सिमकार्ड में और मोबाइल फोन सेवा प्रदान करने वाली कंपनियों के रिकॉर्ड में उपलब्ध हैं। वैसे पश्चिम सिंहभूम लोकसभा क्षेत्र से सांसद रहे बागुन सुम्ब्रुई भी इस बारे में कांग्रेस आलकमान को बराबर सूचना देते रहते थे। उन्होंने तो इस मामले में सी.बी.आई. जाँच कराने की माँग भी की थी।

घोटाले का भंडाफोड़

लौह अयस्क खदानों के आवंटन में सुनियोजित तरीके से बरती जा रही अनियमितता को झारखंड विधानसभा के भीतर उठाने के साथ ही मैंने इस विषय को विधान सभा के बाहर भी अनेक बार उठाया। सरकार ने न तो विधान सभा के भीतर मेरे प्रश्नों का जवाब दिया और न विधान सभा के बाहर लगाए गए मेरे आरोपों का एक बार भी खंडन किया। विषय की गंभीरता को देखते हुए 7 अप्रैल, 2008 को राँची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मैंने इस मुद्दे को आम जनता के बीच लाने तथा सरकार और जाँच एजेंसियों का ध्यान इस ओर आकृष्ट करने का प्रयास किया। संवाददाता सम्मेलन में लिखित वक्तव्य जारी कर मैंने बताया कि किस प्रकार लौह अयस्क खनन पट्टा के लिए दाखिल आवेदनों की सुनवाई में अनियमितता बरती जा रही है और भ्रष्टाचार हो रहा है। इसके बाद 17 मई, 2008 को देश के प्रधानमंत्री एवं भारत सरकार के खान सचिव को मैंने पत्र भेजा और इस मामले में हो रहे भ्रष्टाचार एवं अनियमितता के सुनियोजित षड्यंत्र से उन्हें अवगत कराया। इन पत्रों द्वारा प्रामाणिक उदाहरणों और दस्तावेजों के साथ मैंने माननीय प्रधानमंत्री और खान सचिव, को यह बताने का प्रयास किया कि किसी क्षेत्र विशेष पर किसी आवेदक के पक्ष में लौह अयस्क खनन पट्टा आवंटन के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने और इसके लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने में झारखंड सरकार किस भाँति अनियमितता बरत रही है और भ्रष्टाचार कर रही है।

घोटाले का अंतरराष्ट्रीय आयाम

इसके बाद 20 अक्तूबर, 2008 को राँची में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में मैंने घोटाले के अंतरराष्ट्रीय पहलुओं को उजागर करने वाले प्रामाणिक कागजातों का पुलिंदा सार्वजनिक किया। इन कागजातों में सभी घोटालेबाजों और हवालाबाजों के नाम, घोटाले के धन से हासिल उनकी संपत्ति तथा उनके द्वारा देशी एवं विदेशी बैंकों में स्थानांतरित की गई रकम का विवरण मौजूद था। मधु कोड़ा सरकार में हो रहे भ्रष्टाचार की जाँच सी.बी.आई. से कराने हेतु दुर्गा उराँव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर मुकदमे के पूरक शपथ-पत्र में इन दस्तावेजों के प्रमुख अंशों एवं दस्तावेजों को शामिल किया गया। संवाददाता सम्मेलन में जारी किए गए दस्तावेज आयकर अन्वेषण निदेशालय, प्रवर्त्तन निदेशालय और सी.बी.आई. द्वारा इस घोटाले की जाँच के आधार बने। इन केंद्रीय एजेंसियों द्वारा की गई जाँच में मेरे द्वारा लगाए गए आरोपों के प्राय: सभी बिंदु संपुष्ट हो गए।

काला धन की वापसी हवाला से

पुन: 13 नवंबर, 2008 को मैंने एक संवाददाता सम्मेलन बुलाया और लिखित

वकृव्य जारी कर बताया कि किस प्रकार कतिपय अभियुक्त घोटाले की रकम का उपयोग अपनी व्यावसायिक धोखाधड़ी और हेराफेरी पर परदा डालने के लिए कर रहे हैं, हवाला द्वारा बाहर भेजे गए घोटाले के धन को पुन: हवाला के जरिए वापस ला रहे हैं। इस बारे में मैंने भारत सरकार के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और बैंक ऑफ बड़ौदा के अध्यक्ष को पत्र लिखकर मामले की जाँच सी.बी.आई. से कराने की माँग किया। केंद्रीय सतर्कता आयुक्त के निर्देश पर भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने मेरे पत्र में अंकित तथ्यों के आधार पर इस मामले की जाँच सी.बी.आई से कराने का निर्देश दे दिया। सी.बी.आई. की दिल्ली शाखा ने इस मामले में मुकदमे दर्ज कर जाँच आरंभ कर दी है।

विनोद, दुर्गा, राजीव के मुकदमे

इस बीच देवघर के एक सामाजिक कार्यकर्ता विनोद कुमार और राँची के एक उद्यमी राजीव शर्मा ने भ्रष्टाचार और अनियमितता की जाँच के लिए राज्य निगरानी ब्यूरो की विशेष अदालत में मुकदमे दायर किया। इसका संज्ञान लेकर विशेष अदालत ने राज्य निगरानी ब्यूरो को केस दर्ज कर आरोपों की जाँच करने का आदेश दिया। इसके पहले राँची के एक सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गा उराँव ने मधु कोड़ा और उनकी मंत्रिपरिषद के कई सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की जाँच सी.बी.आई. से कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में एक जनहित याचिका दायर की, जिसकी पैरवी अधिवक्ताद्वय रितु कुमार और राजीव कुमार ने किया। माननीय उच्च न्यायालय ने भी और राज्य निगरानी ब्यूरो के विशेष न्यायालय ने भी आरोपों पर आधारित जनहित याचिकाओं की सुनवाई त्वरित गति से आरंभ कर दी। मुकदमे की सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपनी जाँच के प्रारंभिक नतीजों से न्यायालय को अवगत कराते रहे।

सत्ता-हस्तांतरण की बाजीगरी

कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और झारखंड मुक्ति मोरचा के समर्थन से बनी मधु कोड़ा सरकार में लौह अयस्क घोटाला तीव्र गति से फल-फूल रहा था। खनन पट्टा आवंटन में अनियमितताओं का खेल चरम पर था। मधु कोड़ा सरकार को समर्थन देने वाले सबसे बड़े घटक दल झारखंड मुक्ति मोरचा के नेता इस खेल पर चौकस नजर रखे हुए थे। निहित स्वार्थी खनन माफिया की गतिविधियों से ये न तो बेखबर थे और न बेअसर। राज्य सरकार में एक नंबर की कुरसी के संरक्षण में हो रहे इस खेल का लुत्फ लेने की लालच में झारखंड मुक्ति मोरचा के सुप्रीमो शिबू सोरेन की मुख्यमंत्री बनने की महात्त्वाकांक्षा अगस्त 2008 में प्रबल हो गई। उन्होंने मधु कोड़ा को हटाकर उनकी जगह स्वयं मुख्यमंत्री बनने के लिए कांग्रेस आलाकमान पर दबाव बनाना शुरू किया। दबाव के सामने कांग्रेस आलाकमान को झुकना पड़ा। 27 अगस्त, 2008 के दिन निर्दल मुख्यमंत्री का रिकॉर्ड कायम करनेवाले मधु कोड़ा को कांग्रेस ने अपनी तलहथी से उतार दिया और इसी गिरोह के समर्थन से शिबू सोरेन की सरकार बनवा दी। मधु कोड़ा को सरकार की समन्वय समिति का अध्यक्ष बनाया। यह सरकार 'नई बोतल में पुरानी शराब' जैसी थी। इस बारे में आम प्रतिक्रिया थी कि 'है लाश वही, सिर्फ कफन बदला है'।

शिबू सोरेन की इस सरकार को भी कांग्रेस, राजद और मधु कोड़ा गिरोह का समर्थन प्राप्त था। खनन माफिया गिरोह इस सरकार पर भी पूरी तरह हावी रहा। इस सरकार ने न तो लौह अयस्क घोटाला की जाँच सी.बी.आई को सौंपने की पहल नहीं की और न झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में चल रहे मुकदमे में इस आशय का कोई शपथ-पत्र ही दाखिल किया। उलटे उच्च न्यायालय में अभियुक्तों की पैरवी के लिए सरकारी खर्चे पर दिल्ली से राजीव धवन जैसे बड़े वकील मँगाए और पूर्ववर्ती मधु कोड़ा सरकार की भ्रष्टाचार की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने का विरोध किया।

लौह अयस्क माफिया का दखल

मधु कोड़ा सरकार की कारगुजारियों की स्पष्ट छाप शिबू सोरेन सरकार पर दिखाई पड़ने लगी। इस सरकार में भी लौह अयस्क माफिया सरगना विनोद सिन्हा की प्रभावी भूमिका चर्चा का विषय बनी रही। इन्होंने सरकार में प्रभावशाली पदों पर अपने नजदीकियों को नियुक्त कराया। विनोद सिन्हा ने मीडिया जगत में अपनी सक्रिय उपस्थिति दर्ज कराने के लिए सत्यम, मीडिया ऐंड आर्ट्स प्रा. लि. और मैसर्स सत्यम् पब्लिकेशन प्रा. लि. नामक कंपनियाँ बनाई। विनोद सिन्हा और अरविंद व्यास इन कंपनियों के निदेशक बने। मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री रहते समय सत्यम् मीडिया ऐंड आर्ट्स प्रा. लि., और सहारा टेलीवीजन न्यूज चैनल के बीच स्टांप पेपर पर एक लिखित समझौता हुआ था। सत्यम ने सहारा न्यूज चैनल के बिहार और झारखंड क्षेत्र के विज्ञापन अधिकार को 1.25 करोड़ रुपए की मासिक दर पर खरीद लिया। इस समझौता पर सत्यम मीडिया ऐंड आर्ट्स प्रा. लि. की तरफ से अजीत कुमार द्विवेदी ने हस्ताक्षर किए। इन्हीं अजीत कुमार द्विवेदी को शिबू सोरेन सरकार में मुख्यमंत्री का प्रमुख सलाहकार नियुक्त कर दिया गया।

इसके अलावा एम.एल. पाल को मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने अपना निजी सचिव मनोनीत कर लिया। श्री पाल पर लौह अयस्क घोटाला और 'समृद्धि स्पांज' नामक

स्पांज आयरन फैक्टरी की सौदेबाजी में शामिल रहने का आरोप था। मुख्यमंत्री के निजी सचिव रहने की अवधि में आयकर विभाग ने इनके कतिपय ठिकानों पर छापेमारी की। इन्होंने 60 करोड़ रुपए से अधिक की अघोषित संपत्ति एवं नकदी होने का खुलासा आयकर अधिकारियों के सामने किया। यह पैसा उनके पास कहाँ से आया इसकी जाँच चल रही है। एम.एल. पाल का चरित्र पहले से ही संदिग्ध रहा है। जब मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने इन्हें अपना निजी सचिव नियुक्त किया तो मैंने समाचार-पत्रों के माध्यम से यह सार्वजनिक किया कि श्री पाल ने भारत सरकार के उपक्रम 'कोल इंडिया लि.' की आनुषांगिक इकाई 'सी.एम.पी.डी.आई.' में फर्जी डिग्री के आधार पर नौकरी हासिल की। कई वर्ष तक ये भारत सरकार के इस प्रतिष्ठित संस्थान में इंजीनियर के पद पर नौकरी करते रहे। जब इनकी प्रोन्नति का समय आया तो सी.एम.पी.डी.आई. ने इनकी इंजीनियरिंग डिग्री को सत्यापन के लिए आई.आई.टी. खड़गपुर भेजा। वहाँ जाँच-पड़ताल की गई तो आई.आई.टी. खड़गपुर से इंजीनियरिंग पास करने की इनकी डिग्री फर्जी पाई गई। जिस सत्र में इन्होंने इंजीनियरिंग का छात्र रहने का दावा किया था, उस सत्र में इनके नाम के किसी छात्र ने आई.आई.टी. खड़गपुर में अध्ययन ही नहीं किया था। इसके बाद सी.एम.पी.डी.आई. ने यह मामला जाँच के लिए सी.बी.आई. को सौंप दिया। मामले की सी.बी.आई. जाँच शुरू हुई तो एम.एल. पाल नौकरी छोड़कर फरार हो गए। मुख्यमंत्री के निजी सचिव के रूप में एम.एल.पाल को केंद्रबिंदु बनाकर शिबू सोरेन सरकार पर लौह अयस्क माफिया का प्रभाव पूर्ववत बना रहा।

घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र

मधु कोड़ा लूट राज के समय से खान विभाग पर काबिज लौह अयस्क माफिया गिरोह ने एक बार फिर सार्वजनिक उपक्रमों के लिए आरक्षित घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र को चुनिंदा निजी उद्यमियों के हाथ में सौप देने का षड्यंत्र शिबू सोरेन सरकार में आरंभ किया। मैंने आधिकारिक प्रमाणों के आधार पर इस षड्यंत्र का भंडाफोड़ किया। 23 दिसंबर, 2008 को मैंने संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर बताया कि किस प्रकार शिबू सोरेन की सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित घाटकुटी लौह अयस्क क्षेत्र को निजी उद्यमियों को सौंपने की साजिश के तहत राज्य सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दिया गया पहले का हलफनामा बदल दिया! इस मामले में भी वही माफिया-बिचौलिया समूह सक्रिय रहा, जो मधु कोड़ा की सरकार के समय सक्रिय था। स्पष्ट है कि राज्य सरकार के पदाधिकारी कानून के प्रावधानों का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन करते हुए राज्य के घाटकुरी क्षेत्र के लौह अयस्क को भी 'सारंडा वन क्षेत्र' के अन्य लौह अयस्क खदानों की तरह निजी स्वार्थ में बेचने पर आमादा हैं।

ई.डी एवं आयकर विभाग की जाँच

20 अक्तूबर, 2008 के संवाददाता सम्मेलन में मैंने मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के भ्रष्ट कारनामों को उजागर करते हुए जिन दस्तावेजों को सार्वजनिक किया था, उन दस्तावेजों में हवाला कारोबार से जुड़े कई व्यक्तियों एवं कंपनियों के नाम और उनके द्वारा देश-विदेश में किए गए काले धन के निवेश की विस्तृत जानकारी थी। झारखंड की सरकार ने तो इसका कोई संज्ञान नहीं लिया। मगर इन दस्तावेजों से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय ने अपने स्तर पर जाँच का काम शुरू किया। प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने भी मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों की विस्तृत जानकारी हासिल करने का कार्य आरंभ कर दिया।

मार्च 2009 के अंत तक आयकर अन्वेषण निदेशालय ने अपने स्तर पर सूचना संग्रह की तैयारी पूरी कर ली। अभियुक्तों के ठिकानों, उनके कारोबार, उनके सहयोगी व्यक्तियों एवं संस्थाओं और उनसे जुड़ी कंपनियों के लेन-देन के बारे में पर्याप्त सूचना संग्रह कर लेने के बाद आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के उच्चाधिकारियों से इनके ठिकानों पर छापेमारी करने की अनुमति माँगी। परन्तु लोक सभा चुनाव 2009 का हवाला देकर केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के अधिकारियों ने छापेमारी करने से मना कर दिया।

आयकर विभाग के साथ-साथ भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने भी घोटाला के दस्तावेजों को खंगालना शुरू किया। 20 अक्तूबर, 2008 को मेरे द्वारा उजागर किए गए दस्तावेजों में वे प्रमाण भी शामिल थे, जिनसे पता चलता था कि घोटालाबाजों द्वारा अवैध रूप से हासिल की गई धनराशि का हवाला के माध्यम से देश में और बाहर के कई देशों में निवेश किया गया है। कतिपय विदेशी कंपनियों और उनके बैंक खातों से हुए हस्तानांतरण के प्रमाण भी इन दस्तावेजों में दिए गए थे। इनको आधार बनाकर ई.डी. ने 8 अक्तूबर, 2008 को पी.एम.एल. ऐक्ट के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज किया और मधु कोड़ा लूट राज की जाँच अपने स्तर से आरंभ किया।

शिबू सोरेन सरकार का पतन

इस दरम्यान झारखंड में शिबू सोरेन मुख्यमंत्री थे। इनकी साझा सरकार को कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और मधु कोड़ा सहित निर्दलियों का समर्थन प्राप्त था। वे सभी निर्दलीय जो मधु कोड़ा सरकार में मंत्री थे, इस सरकार में भी मंत्री बन गए थे। शिबू सोरेन झारखंड विधानसभा के सदस्य नहीं थे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए 6 माह के भीतर उन्हें विधानसभा का सदस्य निर्वाचित होना जरूरी था। विधायक बनने के लिए उन्होंने तमाड़ विधानसभा क्षेत्र (अ.ज.जा. सुरक्षित) से उप चुनाव लड़ा और

एक निर्दलीय प्रत्याशी 'राजा पीटर' से चुनाव हार गए। यह सीट जनता दल (यू) के विधायक रमेश सिंह मुंडा की उग्रवादियों के हाथों हत्या हो जाने के कारण खाली हुई थी। तमाड़ उपचुनाव में पराजित हो जाने के बाद भी शिबू सोरेन मुख्यमंत्री पद पर छह माह की अवधि पूरा करना चाहते थे, जबकि कांग्रेस उनके स्थान पर अपना मुख्यमंत्री बनाना चाहती थी। काफी कशमकश के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया।

राष्ट्रपति शासन

शिबू सोरेन के त्यागपत्र के बाद कांग्रेस ने जोड़-तोड़कर झारखंड में वैकल्पिक सरकार बनाने का प्रयास किया। यह प्रयास विफल हो गया तो केंद्र सरकार ने 19 जनवरी, 2009 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति शासन में भी भ्रष्टाचार और कुशासन पूर्ववत जारी रहा। इस अवधि में राज्य के राज्यपाल पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। उनके निकटवर्ती अधिकारियों के ठिकानों पर सी.बी.आई. ने छापा मारा। नतीजा हुआ कि राज्यपाल पद से जनाब सिब्ते रजी साहब की विदाई हो गई।

'टाटा स्टील' को करीब 1800 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क खनन के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने की जो प्रक्रिया मधु कोड़ा लूट राज में आरंभ हुई थी, वह जनाब सिब्ते रजी की सदारत में राष्ट्रपति शासन के दौरान पूरी हुई। इसमें चर्चित कॉरपोरेट लॉबिस्ट नीरा राडिया ने अहम भूमिका निभाया। इसका खुलासा 2-जी स्पेक्ट्रम घोटाला के संदर्भ में नीरा राडिया और रतन टाटा के बीच हुए वार्त्तालाप का टेप प्रसारित होने पर हुआ। इस बातचीत का ब्योरा मैंने 2 अप्रैल, 2010 को जमशेदपुर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सार्वजनिक किया। नीरा राडिया-रतन टाटा के बीच हुई बातचीत में जिक्र है कि मधु कोड़ा लौह अयस्क खनन पट्टा से संबंधित जिस काम के लिए 180 करोड़ रुपए माँग रहे थे, वह काम अंततः राष्ट्रपति शासन में हो गया। इससे खुश होकर रतन टाटा ने नीरा राडिया की लॉबिस्ट टीम को एक करोड़ रुपए इनाम के रूप में दिया।

राज्यपाल का तबादला

सिब्ते रजी के राज्यपाल पद से हटने के बाद 26 जुलाई, 2009 को श्री के. शंकर नारायणन ने झारखंड के राज्यपाल का पदभार ग्रहण किया। वे 28 दिसंबर, 2009 तक राज्यपाल रहे। 19 जनवरी, 2009 से 28 दिसंबर, 2009 तक झारखंड राष्ट्रपति शासन के हवाले रहा। इस पूरी अवधि में राज्य सरकार ने लौह अयस्क घोटाले की जाँच कराने की पहल नहीं की। सरकार ने न तो स्वयं यह जाँच सी.बी.आई. को सौंपी और

न ही झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे संबंधित मुकदमे में शपथ-पत्र देकर मामले की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने की हामी भरी। इतना अवश्य हुआ कि पूर्ववर्ती शिबू सोरेन सरकार ने घाटकुरी क्षेत्र को निजी उद्यमियों को सौंपने के पक्ष में उच्चतम न्यायालय में जो शपथ-पत्र दायर किया था, उसे राष्ट्रपति शासन के इस कार्यकाल में सरकार ने वापस ले लिया। इसे सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित रखने के पक्ष में सरकार ने उच्चतम न्यायालय में एक नया शपथ-पत्र दाखिल किया। संप्रति यह मामला उच्चतम न्यायालय में विचाराधीन है।

लोकसभा चुनाव 2009

15 वीं लोकसभा के आम चुनाव अप्रैल 2009 से मई 2009 के बीच दो चरणों में संपन्न हुए। इन चुनावों के पहले 19 जनवरी, 2009 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लग चुका था, झारखंड विधान सभा निलंबित अवस्था में थी। मधु कोड़ा पश्चिमी सिंहभूम जिला के जगन्नाथपुर (अनुसूचित जनजाति सुरक्षित) क्षेत्र से विधानसभा के निर्दलीय सदस्य थे। इन्होंने अनुसूचित जनजाति के लिए सुरक्षित सिंहभूम संसदीय क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया।

लोकसभा चुनाव में यू.पी.ए. और एन.डी.ए. के बीच काँटे की टक्कर होने का आसार था। कहना कठिन था कि चुनाव के बाद किसकी सरकार बनेगी। मधु कोड़ा और इनके सहयोगियों ने अनुमान लगाया कि यदि चुनाव के बाद किसी भी गठबंधन को लोकसभा में स्पष्ट बहुमत नहीं मिला तो उनकी भूमिका लोकसभा के भीतर महत्त्वपूर्ण हो जाएगी। जिस प्रकार 2005 के विधानसभा चुनाव में निर्दल प्रत्याशी के रूप में जीतने के बाद श्री कोड़ा एन.डी.ए. और यू.पी.ए. गठबंधनों को अपनी शर्तों पर साधते रहने में सफल हुए और बाद में झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए, उसी प्रकार की भूमिका इस लोकसभा चुनाव के बाद पुनः निभाने का मौका मिलने की प्रबल संभावना श्री कोड़ा और उनके सहयोगियों को नजर आई। ऐसे कयास ने मधु कोड़ा लूटराज के किरदारों का मनोबल बढ़ाया और शासन के एक तबके ने लोकसभा चुनाव में मधु कोड़ा का बढ़-चढ़कर समर्थन किया। श्री कोड़ा और इनके समर्थकों ने चुनाव जीतने के लिए पानी की तरह पैसा बहाया।

आयकर अन्वेषण निदेशालय ने अपनी जाँच के क्रम में जो प्रमाण एकत्र किए उनके अनुसार मधु कोड़ा के इस लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए। करीब 30 लाख रुपए का विज्ञापन तो केवल जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों को दिए गए, जिनका पक्की रसीद सहित ब्योरा समाचार-पत्रों के प्रबंधन ने आयकर अन्वेषण विभाग के अधिकारियों को सौंप दिया।

वकालती नोटिस

इस संदर्भ में एक वाकये का उल्लेख करना मुझे प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। मैं और भाजपा के एक तत्कालीन प्रदेश उपाध्यक्ष ने तय किया कि लोकसभा चुनाव में मधु कोड़ा द्वारा बेतहाशा धन खर्च करने, मतदाताओं को प्रलोभन देने और पुलिस प्रशासन को अपने पक्ष में कर लेने से आतंकित और हताश भाजपा कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाने और चुनाव प्रचार करने के लिए हम लोग चाईबासा, बड़ा जामदा, नोआमुंडी आदि स्थानों पर चलें, वही आमसभा संबोधित करें, कार्यकर्ताओं की बैठक करें, और संवाददाता सम्मेलन आयोजित करें, क्योंकि भाजपा के बड़े नेता लोक सभा चुनाव में अन्यत्र व्यस्त थे। हमलोग चुनाव क्षेत्र में पहुँचे तो इस अवसर पर लोकसभा क्षेत्र के मुख्यालय चाईबासा में कार्यकर्ताओं ने एक संवाददाता सम्मेलन रखा। मेरे जीवन की यह पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस, वह भी चुनाव के समय की प्रेस कॉन्फ्रेंस, थी जिसमें पत्रकारों को अल्पाहार कराने की बात तो दूर, चाय तक नहीं पिलाई गई। चुनाव प्रबंधकों द्वारा बताया गया कि चाईबासा में भाजपा का चुनाव प्रबंधन सँभालनेवालों के पास धन का घोर अभाव है।

दूसरी और सवाददाता सम्मेलन में आये कतिपय पत्रकारों ने बताया कि ''मधु कोड़ा द्वारा चुनाव में बेतहाशा पैसा बाँटा जा रहा है। कतिपय पुलिस अधिकारी भी वैसे लोगों तक पैसे पहुँचा रहे हैं, जो समाज में अथवा विभिन्न राजनीतिक दलों में माननीय पदों पर हैं।'' पुलिस के मार्फत पैसा बाँटने का निहितार्थ यह बताया गया कि इसमें धन के साथ-साथ भय का संदेश भी है।

उसी शाम हम लोगों ने चाईबासा बाजार में एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया। सभा के लिए प्रशासन से नियमानुसार अनुमति ली गई थी। फिर भी पास में ही मधु कोड़ा के समर्थकों ने कोलकाता से बुलाए गए युवक-युवतियों का एक मनोरंजक कार्यक्रम रख दिया। इसके बावजूद नुक्कड़ सभा में हमें सुननेवालों की संख्या कम नहीं थी। मैंने प्रचार वाहन के माइक से दिए गए अपने भाषण में 'मधु कोड़ा लूट राज' में हो रहे भ्रष्टाचार तथा मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों द्वारा हवालेबाजों-घोटालेबाजों की मार्फत विदेश में किए जा रहे अवैध निवेश का विषय विस्तार से रखा। अगले दिन मेरे भाषण का संक्षिप्त समाचार जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले समाचार-पत्रों के 'चाईबासा संस्करण' में छपा। इस एक कार्यक्रम से कोड़ा-कुनबे में इतनी बौखाहट हुई कि उनके चुनाव प्रभारी ने मुझे और 'प्रभात खबर' सहित कतिपय अन्य समाचार-पत्रों को वकालती नोटिस भेजा कि हम इस समाचार का खंडन प्रकाशित कराएँ, इसके लिए माफी माँगे, नहीं तो हमारे खिलाफ वे कानूनी काररवाई करेंगे। उनके हिसाब से मैंने भाषण में मधु कोड़ा के खिलाफ मनगढ़ंत आरोप लगाकर उनका

चरित्र हनन किया है। वकालती नोटिस के जबाव में मैंने मधु कोड़ा के कुकृत्यों और भ्रष्टाचार के प्रामाणिक दस्तावेजों को पुन: सार्वजनिक किया और चुनौती दी कि मैं उनका सामना न्यायालय में करने के लिए तैयार हूँ।

मधु कोड़ा की जीत

लोकसभा चुनाव 2009 में राष्ट्रीय स्तर पर महँगाई और भ्रष्टाचार का विरोध भाजपा का केंद्रीय मुद्दा था। मधु कोड़ा सिंहभूम (अनुसूचित जन जाति सुरक्षित)लोक सभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे थे। और भारतीय जनता पार्टी ने उनके विरोध में एक दमदार स्थानीय उम्मीदवार श्री बड़कुँवर गगराई को चुनाव मैदान मे उतारा था। पार्टी के समर्पित कार्यकर्ताओं की इच्छा थी कि भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे मधु कोड़ा को परास्त किया जाए। परंतु कतिपय विधानसभा क्षेत्रों में भाजपा के कई कार्यकर्ता किसी ने किसी कारण से मधु कोड़ा के समर्थन में काम करते रहे। पार्टी के प्रदेश नेतृत्व की ओर से उन्हें समझाने-बुझाने, रोकने-टोकने अथवा उनके विरुद्ध काररवाई करने की कोशिश नहीं हुई। इसका नतीजा हुआ कि पार्टी उम्मीदवार को जिताने में जी-जान से जुटे निष्ठावान कार्यकर्ता हताशा के शिकार हुए और जनता के बीच यह भ्रामक संदेश फैला कि भाजपा का प्रदेश नेतृत्व मधु कोड़ा को हराने के प्रति गंभीर नहीं है। इसके बावजूद पार्टी प्रत्याशी बड़कुँवर गगराई को करीब 1.67 लाख वोट मिले और मधु कोड़ा को करीब 2.56 लाख। मधु कोड़ा लोकसभा चुनाव जीतने में सफल रहे।

मधु कोड़ा का चुनाव व्यय

इस चुनाव में मधु कोड़ा ने बेतहाशा खर्च किया। आयकर अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय की जाँच में साबित हो गया कि मधु कोड़ा ने अपने लोकसभा चुनाव में 10 करोड़ रुपए से अधिक धन खर्च किया है, जबकि इसके लिए चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित अधिकतम व्यय सीमा 25 लाख रुपए है। मधु कोड़ा ने चुनाव में निर्धारित व्यय की सीमा से काफी अधिक व्यय किया। चुनाव समाप्त हो जाने के बाद मैंने इसके बारे में चुनाव आयोग से शिकायत की। मेरी शिकायत पर चुनाव आयोग ने श्री कोड़ा को नोटिस जारी कर उनसे पूछा कि क्यों नहीं उनका चुनाव रद्द कर दिया जाए? चुनाव आयोग के नोटिस को श्री कोड़ा ने दिल्ली उच्च न्यायालय में चुनौती दी, जिसे माननीय उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध श्री कोड़ा ने उच्चतम न्यायालय में अपील किया है, ताकि जितना संभव हो सके, उतना समय संसद् सदस्य के रूप में काट लिया जाए। मधु कोड़ा द्वारा चुनाव में किए गए बेतहाशा खर्च और अपनाए गए भ्रष्ट तरीकों के बारे में आयकर अन्वेषण निदेशालय ने विस्तृत एवं प्रामणिक जाँच प्रतिवेदन तैयार किया है।

मधु कोड़ा की गिरफ्तारी

30 नवम्बर, 2009 को मधु कोड़ा को चाईबासा में गिरफ्तार कर लिया गया। इन्हें झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो ने गिरफ्तार किया। निगरानी ब्यूरो की विशेष अदालत में देवघर के एक सामाजिक कार्यकर्ता कुमार विनोद सिंह और राँची के एक उद्यमी राजेश शर्मा ने अलग-अलग मुकदमे दायर किया था। मुकदमे में इन्होंने मधु कोड़ा और उनके मंत्रिमंडल के सदस्यों पर भ्रष्टाचार और अवैध तरीके से अकूत संपत्ति अर्जित करने का आरोप लगाया था। मुकदमे की सुनवाई के बाद निगरानी ब्यूरो की विशेष अदालत ने मुकदमा दायर कर आरोपों की जाँच करने और तद्नुसार विधि सम्मत कारवाई करने का आदेश झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को दिया था। जाँच की प्रक्रिया में पुख्ता प्रमाण मिल गए कि इन्होंने भ्रष्ट तरीका अपनाकर आय के ज्ञात स्रोतों से काफी अधिक संपत्ति अर्जित की है। नतीजतन निगरानी ब्यूरो के एक अधिकारी ने चाईबासा जाकर इन्हें गिरफ्तार किया।

गिरफ्तारी का निहितार्थ

श्री कोड़ा की गिरफ्तारी का राजनीतिक निहितार्थ भी था। कांग्रेस ने सितंबर 2006 में लालू प्रसाद के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनता दल और शिबू सोरेन के नेतृत्व वाले झारखंड मुक्ति मोरचा के साथ मिलकर एक साजिश के तहत भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली अर्जुन मुंडा सरकार को गिराया था और एक निर्दलीय विधायक मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनाया था। कांग्रेस सरकार में तो शामिल नहीं हुई, पर अपनी पार्टी के एक विधायक आलमगीर आलम को विधान सभा अध्यक्ष बनाकर सरकार की नकेल अपने हाथ में रखी और पूरी सरकार को अपने हाथ की तलहथी पर नचाते रही। मधु कोड़ा से मन भर गया तो उन्हें हटाकर शिबू सोरेन को मुख्यमंत्री बना दिया, पर कांग्रेस की भूमिका पूर्ववत रही। मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए श्री सोरेन कांग्रेस के प्रभाव वाले इलाके से विधानसभा चुनाव हार गए तो कांग्रेस ने झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा दिया। राष्ट्रपति के प्रतिनिधिस्वरूप सत्ता के शीर्ष पर काबिज राज्यपाल सिब्ते रजी पर भी भ्रष्टाचार के आरोप लगने लगे, तो उन्हें हटाकर केंद्र सरकार ने के. शंकर नारायणन को राज्यपाल बना दिया।

मधु कोड़ा, शिबू सोरेन और सिब्ते रजी के शासन में हुए भ्रष्टाचार के आरोपों का साया आगामी विधान सभा चुनाव 2009 पर नहीं पड़े, इसलिए चुनाव घोषित होने के ठीक पहले मधु कोड़ा को गिरफ्तार कर कांग्रेस ने यह संदेश देने की कोशिश की, कि कांग्रेस आलाकमान ने अब भ्रष्टाचार के खिलाफ कारवाई करने का मन बना लिया है। इसके पूर्व हुए लोकसभा चुनाव के पहले भी राष्ट्रपति शासन लगाकर कांग्रेस

ने जनता के बीच इसी तरह का भ्रामक संदेश देने का प्रयास किया था, कि कांग्रेस अब भ्रष्टाचार से ग्रसित मिली-जुली सरकारों को बर्दाश्त नहीं करेगी, पर इसका कोई असर नहीं हुआ। विधानसभा चुनाव 2009 के ठीक पहले श्री मधु कोड़ा को गिरफ्तार करने के पीछे कांग्रेस की यही राजनैतिक रणनीति काम कर रही थी।

विधान सभा चुनाव 2009

राष्ट्रपति शासन की अवधि समाप्त होने के करीब आई तो नवंबर-दिसंबर 2009 में झारखंड विधान सभा के चुनाव हुए। चुनाव में किसी भी दल या गठबंधन को बहुमत नहीं मिला। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को भारी झटका लगा, 81 सदस्यीय झारखंड विधान सभा में भाजपा को मात्र 18 सीटें मिलीं। झारखंड राज्य-निर्माण के समय भी झारखंड विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं था। द्वितीय झारखंड विधान सभा के लिए चुनाव हुए और फरवरी 2005 में चुनाव के नतीजे आए तब भी भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नही मिल पाया था। मगर झारखंड की पहली और दूसरी विधान सभा में भारतीय जनता पार्टी बहुमत के करीब थी और आम लोगों को भी और पार्टी कार्यकर्ताओं को भी भरोसा था कि अर्जुन मुंडा सरकार को षड्यंत्रपूर्वक गिराने के बाद जिस प्रकार झारखंड सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला बढ़ा है और मधु कोड़ा के कार्यकाल में भ्रष्टाचार को जैसी संस्थागत पहचान मिली है, उसके बाद 2009 के चुनाव में भाजपा अपने बलबूते झारखंड विधान सभा में बहुमत प्राप्त कर लेगी। परंतु 2009 के विधान सभा चुनाव ने इस अवधारणा को ध्वस्त कर दिया। इसके बाद भाजपा राज्य में विधायकों की सबसे बड़ी संख्या वाली अकेली पार्टी नहीं रह गई। झारखंड मुक्ति मोरचा को भी उसके बराबर 18 सीटें मिलीं, कांग्रेस 15 विधायकों और झारखंड विकास मोरचा 11 विधायकों के साथ बहुत पीछे नहीं रहीं।

चुनाव बीच खनन पट्टा

विधान सभा चुनाव के दौरान एक ऐसी घटना हुई, जिसका ब्योरा बाद में पता चला। विधान सभा के चुनाव चल रहे थे, चुनाव की प्रक्रिया पूरी नहीं हुई थी, अंतिम चरण में थी, राज्य भर में आदर्श चुनाव आचार संहिता लागू थी, अंतिम दौर का चुनाव 19 दिसंबर को निर्धारित था, इसके बाद चुनाव का परिणाम आने वाला था। इसी बीच तत्कालीन राज्यपाल के. शंकर नारायणन ने 10 दिसंबर, 2009 को एल.एन. मित्तल की कंपनी 'आर्सेलर मित्तल की भारतीय इकाई' के नाम करमपदा क्षेत्र में लौह अयस्क खनन पट्टा देने की विवादास्पद अनुशंसा केंद्र सरकार को कर दी। उल्लेखनीय है कि 'आर्सेलर मित्तल ऐंड कंपनी' के अनुरोध-पत्र पर घोटालेबाज मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास एवं उसके सहयोगियों का इंग्लैंड जाने का 'वीजा' बना था। जहाँ से

ये लोग घोटाले के धन का निवेश करने के उद्देश्य से दक्षिणी अफ्रीकी देशों में गए। चुनाव बीच लौह अयस्क खनन पट्टा की यह अनुशंसा आदर्श चुनाव आचार संहिता का खुला उल्लंघन तो थी ही, संदेहास्पद भी थी।

साझा सरकार का गठन

चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से झारखंड में शिबू सोरेन की साझा सरकार 28 दिसंबर, 2009 को गठित हुई। इस सरकार में भारतीय जनता पार्टी और आजसू से एक-एक उप मुख्यमंत्री बनाए गए। शिबू सोरेन तीसरी बार झारखंड के मुख्यमंत्री बने।

इस साझा सरकार ने मधु कोड़ा मंत्रिमंडल के मंत्रियों के भ्रष्टाचार के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में चल रहे आय से अधिक संपत्ति हासिल करने के मामले और लौह अयस्क घोटाले के मामले की जाँच सी.बी.आई. से कराने का विरोध किया। साझा सरकार ने इन मामलों की सी.बी.आई. जाँच के विरोध में एक नहीं, बल्कि तीन बार झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में शपथ-पत्र दायर किया। इस आशय के शपथ-पत्र जनवरी 2010 से मार्च 2010 के बीच झारखंड सरकार द्वारा मुकदमे की तीन तिथियों पर उच्च न्यायालय के सामने दायर किए गए। इन शपथ-पत्रों में कहा गया कि झारखंड सरकार 'मधु कोड़ा लूट राज' की जाँच सी.बी.आई. से कराने की जरूरत नहीं समझती है, क्योंकि राज्य सरकार का निगरानी ब्यूरो इसकी जाँच करने में सक्षम है। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि राज्य सरकार का निगरानी ब्यूरो इस मामले की जाँच करने में कतई सक्षम नहीं है। कारण कि इस घोटाले का विस्तार न केवल झारखंड राज्य, बल्कि देश के बाहर भी है।

इस संदर्भ में मैंने 6 फरवरी, 2010 को 'झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो' के आरक्षी महानिदेशक को विषय की गंभीरता से अवगत कराया और उनसे लिखित अनुरोध किया कि यदि राज्य सरकार और राज्य निगरानी ब्यूरो उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र देकर दावा कर रहे हैं कि मधु कोड़ा लूट राज की जाँच करने में राज्य निगरानी ब्यूरो सक्षम है, इसलिए इसकी जाँच सी.बी.आई. को नहीं सौंपी जाए, तो कृपया मेरे पत्र में वर्णित बिंदुओं की जाँच निगरानी ब्यूरो समग्रता में और पक्षपात रहित होकर करे और अपने आप को झारखंड उच्च न्यायालय में दायर किए गए हलफनामा के अनुरूप सक्षम साबित करे। परंतु मेरे लिखित अनुरोध का कोई असर न तो राज्य सरकार पर और न ही राज्य निगरानी ब्यूरो पर हुआ।

निगरानी ब्यूरो की अन्यमनस्कता

झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो ने हवाला कारोबारियों मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास और ललित कांतिलाल जैन को हाजिर होने के लिए सम्मान जारी किया। गिरफ्तारी से बचने के लिए इन्होंने मुंबई उच्च न्यायालय में जमानत याचिका दायर किया। मुंबई उच्च न्यायालय में इन्होंने झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को नहीं बल्कि महाराष्ट्र सरकार को प्रतिवादी बनाया। झारखंड राज्य निगरानी करने के क्षेत्राधिकार पर सवाल उठाते हुए मुंबई उच्च न्यायालय ने इन्हें दिनांक 3 मार्च, 2010 को जमानत दे दी, जो 25 अप्रैल, 2010 तक प्रभावी थी। राज्य निगरानी ब्यूरो के क्षेत्राधिकार को झारखंड राज्य की सीमा तक ही सीमित मानने वाले मुंबई उच्च न्यायालय के इस फैसले को झारखंड सरकार ने या झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो ने जानकारी मिलने के बाद भी चुनौती नहीं दी। इस पर मैंने 12 मार्च से 18 मार्च, 2010 तक सात खुला पत्र राज्य सरकार और निगरानी ब्यूरो के नाम जारी किया। करीब तीन दर्जन मामलों की ओर मैंने झारखंड की तत्कालीन सरकार का ध्यान आकृष्ट किया और खुले पत्रों के माध्यम से चुनौती दी कि अगर निगरानी ब्यूरो इन मामलों की जाँच करने में सक्षम है तो करे, अन्यथा इसकी जाँच सी.बी.आई. को सुपुर्द कर दे। लेकिन राज्य सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो इस पर चुप्पी साधे रहे हैं। ये सभी पत्र इस पुस्तक में यथा स्थान संकलित हैं।

मधु कोड़ा की प्रतिक्रिया

इन खुले पत्रों पर शिबू सोरेन की साझा सरकार तो मौन साधे रही, परंतु मधु कोड़ा ने मेरे पहले ही पत्र पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की। विदेशी बैंक में अपना खाता होने से इनकार करते हुए उन्होंने होटवार (राँची) जेल, राँची से मुझे वकालती नोटिस भेजा। आमतौर पर उच्च न्यायालय के सीनियर अधिवक्ता इस तरह की वकालती नोटिस भेजने से परहेज करते हैं, परंतु इस मामले में राँची उच्च न्यायालय के एक सीनियर अधिवक्ता भुवन मोहन त्रिपाठी ने जेल में बंद मधु कोड़ा की ओर से 23 मार्च, 2010 को मुझे वकालती नोटिस भेजा और मुझ पर मुकदमा दायर करने की धमकी दी।

बाद में श्री कोड़ा ने राँची के एस.सी.-एस.टी. थाना में मुझ पर मुकदमा दायर किया, परंतु मामला चल नहीं पाया। कारण कि विधान सभा के भीतर और बाहर अनियमितता और भ्रष्टाचार के जो कागजात मैंने सार्वजनिक किए थे और घोटाला-हवाला में संलिप्त जिन व्यक्तियों के नाम उजागर किए थे, वे आयकर विभाग द्वारा अब तक की जाँच में प्रमाणित हो गए। प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने अपने प्रारंभिक जाँच में पाया कि झारखंड सरकार में मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए मधु कोड़ा भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर गए थे। इन्होंने एक षड्यंत्रकारी समूह के साथ मिलकर अवैध रूप से अर्जित संपत्ति को विदेशों में निवेश किया है और विदेश में उनका बैंक खाता रखा है। ई.डी. की प्रारंभिक जाँच के निष्कर्षों से मेरे वे तमाम आरोप सही साबित

हो गए, जिन्हें मैंने 20 अक्तूबर, 2008 को संवाददाता सम्मेलन में घोटाले का खुलासा करते हुए लगाया था और पुनः 12 मार्च से 18 मार्च के बीच झारखंड सरकार और निगरानी ब्यूरो को भेजे गए सात खुले पत्रों के माध्यम से सार्वजनिक किया था।

तदुपरांत मैंने संवाददाता सम्मेलन के जरिए दो आधिकारिक दस्तावेजों के प्रासंगिक अंशों को सार्वजनिक किया। इनमें से एक में श्री कोड़ा द्वारा खनिज पट्टा की अनुशंसा करने के एवज में टाटा उद्योग समूह से 180 करोड़ रुपए माँगने का उल्लेख था। यह उल्लेख सरकारी एजेंसियों द्वारा टेप की गई नई दिल्ली की कारपोरेट लाबिस्ट नीरा राडिया की फोन वार्ता में था। दूसरे में विदेशी बैंक के श्री मधु कोड़ा के खाता संख्या और मंत्री एवं मुख्यमंत्री रहने की अवधि में भ्रष्टाचार की सभी हदें पार करने का स्पष्ट उल्लेख था, जिसका विस्तृत ब्योरा ई.डी. ने थाईलैंड, दुबई, स्वीडन और लाइबेरिया की सरकारों को भेजे गए अनुरोध-पत्र (एल.आर.) में किया था।

चोरी और सीनाजोरी

कोड़ा लूट राज का षड्यंत्रकारी घोटालेबाज और हवालेबाज समूह 'चोरी भी और सीनाजोरी भी' की कहावत चरितार्थ करने लगा। इनके भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठानेवालों के खिलाफ मुकदमे करना, उनके विरुद्ध तरह-तरह के षड्यंत्र रचना और उन्हें परेशान करने के लिए तरह-तरह के हथकंडे अपनाना इस समूह ने शुरू कर दिया।

- 20 अक्तूबर, 2008 को घोटाला के अंतरराष्ट्रीय आयाम से संबंधित सबूतों को मैंने सार्वजनिक किया था। इसके तुरंत बाद इन लोगों ने झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में चल रहे दुर्गा उराँव बनाम झारखंड सरकार के मुकदमे में मेरे विरुद्ध एक हस्तक्षेप याचिका दायर कर दी। इस याचिका में उन्होंने माँग की, कि सी.बी.आई. मेरे विरुद्ध भी जाँच करे। मैंने स्वयं इस मुकदमे में अपनी पैरवी उच्च न्यायालय के समक्ष की और इनके आरोपों को बेबुनियाद बताया। माननीय उच्च न्यायालय ने यह याचिका खारिज कर दी। माननीय उच्च न्यायालय ने 12 नवंबर 2009 को अपने फैसले में कहा कि हस्तक्षेप याचिका दायर करने वाले मेरे विरुद्ध एक भी प्रमाण उपस्थित नहीं कर सके।
- मेरे साथ ही समीर लोहिया और राकेश पांडे को भी इस मामले में फँसाने की कोशिश इनलोगों ने की। समीर लोहिया राँची के एक प्रतिष्ठित व्यवसायी होने के साथ ही दैनिक समाचार-पत्र 'प्रभात खबर' के निदेशक भी हैं। चूँकि 'प्रभात खबर' ने कोड़ा लूट राज के भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी और राकेश पांडे ने घोटाले के भंडाफोड में सहयोग किया था, इसलिए मेरे साथ इन दोनों व्यक्तियों के विरुद्ध भी घोटालाबाजों ने झारखंड उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर कर सी.बी.आई. जाँच की माँग की। ये याचिकाएँ भी सबूत के अभाव में खारिज हो गईं।
- इसके बाद दुर्गा उराँव का मुकदमा लड़ रही अधिवक्ता रितु कुमार को फाँसने के लिए अभियुक्त विनोद सिन्हा के एक कारिंदे सौभिक चट्टोपाध्याय ने धन का प्रलोभन देने संबंधी प्रायोजित बातचीत की सी.डी. तैयार की। रितु कुमार को उनके एक परिचित अधिवक्ता के घर बुलाकर सौभिक चट्टोपाध्याय ने उन्हें अपनी बातों में उलझाकर और उनके समक्ष तरह-तरह के अनुरोध पेश कर अनौपचारिक बातचीत की सी.डी. तैयार कर ली और ब्लैकमेल पर उतर आया।
- रितु कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए तैयार की गई इस सी.डी. के एक भाग में सौभिक उन्हें 20 लाख रुपए देने की पेशकश कर रहा है और मुझे मुकदमा में फँसाने के लिए उनका उपयोग करने की साजिश कर रहा है। सी.डी. का यह प्रासंगिक अंश निम्नवत है—

सौभिक—नहीं-नहीं, हमलोग केवल एम.एल.ए. लेवल तक रहे, सरयू राय तक ही रहें तो बहुत है।

रितु कुमार—सरयू राय, यू वान्ट

सौभिक—नेचुरली, उनके एगेंस्ट में कुछ मैटेरियल था, तब ना कंप्लेन फाईल हुआ था मैडम, थिंक एबाउट द डॉकुमेंट्स।

रितु कुमार—ओह यह (कंप्लेन) तो रिजेक्ट हो गया ना, क्योंकि…

सौभिक—हम जानते हैं कि आप चाहें तो 'दिस फेलो विल वी टेकेन अगेन'।

रितु कुमार—आप हमको मैटेरीयल दीजिए, हम इन्हें इंप्लीड करते हैं। आपको सरयू राय से प्रोब्लम है न, आप दीजिए मैटेरियल हम इनको इंप्लीड करा देते हैं।''

- कोड़ा घोटाला के अभियुक्तों के इसी कारिंदे ने 7 मार्च, 2010 को मेरे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अनधिकृत प्रवेश कर हंगामा खड़ा किया। राँची के होटल 'ग्रीन होराइजन' की सातवीं मंजिल पर आयोजित इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैं रितु कुमार और सौभिक चट्टोपाध्याय के बीच हुए वार्त्तालाप की उस सी.डी. को मीडिया के सामने सार्वजनिक कर रहा था, जिसे सौभिक चट्टोपाध्याय ने झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में घोटोबाजों के विरुद्ध मुकदमा दायर करनेवाले दुर्गा उराँव की वकील रितु कुमार को बदनाम करने के लिए और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए तैयार किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा खड़ा कर बाहर निकलने के बाद घटनास्थल से काफी दूर अपनी प्रायोजित पिटाई कराकर उसने मेरे ऊपर राँची के चुटिया थाना में झूठा आपराधिक मुकदमा दायर कर दिया।
- मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हँगामा खड़ा करने के बाद अपनी प्रायोजित पिटाई कराकर

सौभिक चट्टोपाध्याय ने मेरे ऊपर राँची के चुटिया थाना में जो मुकदमा दायर किया, उसमें भी उसने समीर लोहिया और राकेश पांडे को भी मेरे साथ मिलकर षड्यंत्र करने का आरोपी बनाया।

- मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जबरदस्ती प्रवेश कर हँगामा करनेवाले सौभिक चट्टोपाध्याय के विरुद्ध मैंने राँची जिला के पुलिस अधीक्षक के यहाँ लिखित शिकायत दर्ज कराई, जिसे उन्होंने राँची के चुटिया थाना में काररवाई हेतु भेज दिया। परंतु मेरी शिकायत पर काररवाई करना तो दूर, उलटे मुझे ही गिरफ्तार करने के लिए पुलिस पर ऊपर से दबाव पड़ने लगा। उस समय झारखंड में शिबू सोरेन के नेतृत्व में झा.मु.मो.-भाजपा-आजसू की सरकार थी।
- हमारे विरुद्ध लगाई गई धाराएँ जमानती होने के कारण चुटिया थाना के प्रभारी ने मुझे, समीर लोहिया और राकेश पांडे को थाने से जमानत दे दी। नतीजा हुआ कि सरकार द्वारा थाना प्रभारी को निलंबित कर स्थानांतरित कर दिया गया।
- बिडंबना है कि राजनीतिक दबाव में आकर पक्षपातपूर्ण अनुसंधान के उपरांत मेरे, समीर लोहिया और राकेश पांडे के खिलाफ सौभिक चट्टोपाध्याय द्वारा लगाए गए आरोप को सही ठहराते हुए चुटिया थाना, राँची की पुलिस ने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची की अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी और इस बारे में मेरी लिखित शिकायत को कूड़ेदान में डाल दिया।
- स्वयं मधु कोड़ा ने 2 अप्रैल, 2010 को राँची के एस.सी.-एस.टी. थाना में मेरे विरुद्ध एक मुकदमा दायर किया और आरोप लगाया कि वे आदिवासी हैं, इसलिए मैं उन्हें प्रताड़ित कर रहा हूँ। इसके पहले उन्होंने लोकसभा चुनाव 2009 के समय भी उनके क्षेत्र में चुनाव सभा करने और उनपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाने के लिए मुझे वकालती नोटिस भेजा था।
- इसके बाद राँची के चुटिया थाना से मुझे भारतीय दंड संहिता की धारा 107 के तहत नोटिस भेजा गया। अमूमन धारा 107 वैसे लोगों पर लगाई जाती है जिनसे शांति भंग होने का खतरा होता है, अथवा जो असामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं।

स्पष्ट है कि जिन लोगों को धन के प्रलोभन से नहीं पटाया जा सका, उन्हें झूठे मुकदमों में फँसाने और परेशान करने की साजिश घोटालाबाजों द्वारा रची जाती रही है।

कांग्रेस की प्रतिक्रिया

कोड़ा लूट राज के घोटालेबाजों और षड्यंत्रकारियों के हिमायती कमोबेश प्राय: सभी राजनीतिक दलों में हैं। परंतु इनकी हिमायत करने में कांग्रेस के कतिपय नेताओं ने निर्लज्जता की सीमा को भी लाँघ दिया। मेरे संवाददाता सम्मेलन में अनधिकृत प्रवेश कर हंगामा खड़ा करनेवाले जालसाज सौभिक चट्टोपाध्याय को निकाल दिए जाने की घटना पर झारखंड प्रदेश कांग्रेस कमिटी के अध्यक्ष प्रदीप बलमुचु ने अखबारों में बयान जारी कर उसकी हिमायत की। उन्होंने मुझे लोकतंत्र विरोधी करार दिया और मेरे ऊपर काररवाई करने की माँग की।

जमशेदपुर पश्चिम से कांग्रेस के विधायक बन्ना गुप्ता तो इस मामले में श्री बलमुचु से भी आगे निकल गए। उन्होंने इस मामले को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान उठाया, 9 मार्च, 2010 को उन्होंने इस बारे में एक लिखित वक्तव्य शून्यकाल में झारखंड विधान सभा में पढ़ा और घोटालेबाज सौभिक चट्टोपाध्याय का समर्थन करते हुए मेरे ऊपर काररवाई करने की पुरजोर माँग सरकार से की। शून्यकाल के दौरान झारखंड विधान सभा में दिया गया उनका वक्तव्य निम्नवत है—

''अध्यक्ष महोदय, राँची में दिनांक 7.3.2010 को भाजपा नेता सरयू राय के प्रेस कॉन्फ्रेंस में सौभिक चट्टोपाध्याय की पिटाई कथित नेता के आदमियों के द्वारा कर दी गई। लोकतंत्र में किसी व्यक्ति को विचारों की अभिव्यक्ति का अधिकार है, न कि कानून अपने हाथ में लेने का। अत: घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ सुमचित काररवाई की माँग करने के साथ सरयू राय की सी.डी. एवं उक्त घटना में शामिल दोषियों के खिलाफ काररवाई की माँग करता हूँ।''

सवाल है कि घोटालेबाजों ने कांग्रेस के इन नेताओं पर कौन सा अहसान किया है जिसके कारण इन्होंने अपने पद की गरिमा और विधान सभा सदस्य की प्रतिष्ठा को एक घोटालेबाज, षड्यंत्रकारी और जालसाज की तरफदारी में दाँव पर लगा दिया। बताया जाता है कि 2009 दिसंबर में हुए विधान सभा चुनाव में घोटालेबाजों ने सौभिक चट्टोपाध्याय के माध्यम से इन दोनों कांग्रेसी नेताओं के लिए भरपूर सहायता उपलब्ध कराई थी।

एक अदद सीट की तलाश

झारखंड की तीसरी विधान सभा का चुनाव होने के बाद दिसंबर 2009 में जल्दबाजी में बनाई गई भाजपा-आजसू समर्थित शिबू सोरेन सरकार 'मधु कोड़ा लूट राज' के घोटालेबाजों और भ्रष्टाचारियों के प्रति नरम थी। लौह अयस्क घोटाले की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने से इनकार कर चुकी, यह सरकार ज्यादा दिन नहीं चल सकी। दुमका (अ.ज.जा.) सुरक्षित क्षेत्र से लोकसभा के लिए निर्वाचित सदस्य शिबू सोरेन तीसरी बार मुख्यमंत्री बने तो वे झारखंड विधान सभा के सदस्य नहीं थे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 (1) के तहत उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। संविधान

के इस अनुच्छेद में वैसे व्यक्ति को भी मुख्यमंत्री बनाए जाने का प्रावधान है, जो राज्य की विधान सभा के सदस्य नहीं है। परंतु शर्त यह है कि शपथ ग्रहण करने की तिथि से 6 माह के भीतर उसके लिए राज्य विधान सभा का सदस्य होना अनिवार्य है।

झारखंड विधान सभा में कोई सीट रिक्त नहीं थी, जिस पर चुनाव लड़कर श्री सोरेन 6 माह के भीतर निर्वाचित होने का प्रयास करते। ऐसी स्थिति में कोई विधान सभा सदस्य उनके लिए अपनी सीट छोड़ता, उसका त्यागपत्र मंजूर होता, श्री सोरेन उस सीट पर चुनाव लड़ते और मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की तिथि से 6 माह के भीतर चुनाव जीतकर वे विधान सभा का सदस्य बनते, तभी उनके लिए मुख्यमंत्री बना रहना संभव हो पाता। इसके पहले जनवरी 2009 में भी वे इस प्रयास में सफल नहीं हो सके थे। तमाड़ (अ.ज.जा.) सुरक्षित विधानसभा सीट पर हुए उपचुनाव में मुख्यमंत्री रहते हुए पराजय का मुँह देखने के कारण उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा था। जैसे दूध का जला हुआ मट्ठा भी फूँक-फूँककर पीता है, वैसे ही मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के लिए एक अदद सुरक्षित सीट की तलाश होने लगी, जहाँ से निर्वाचित विधायक त्याग-पत्र दे दें, ताकि शिबू सोरेन वहाँ से चुनाव लड़ सकें।

पर ऐसा हो नहीं हो सका। त्यागपत्र देने के लिए उनके दल से अथवा गठबंधन से कोई भी विधायक सामने नहीं आया। श्री सोरेन के सुपुत्र हेमंत सोरेन और उनकी पुत्रवधु सीता सोरेन दुमका लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दुमका (अ.ज.जा.) और जामा (अ.ज.जा.) सुरक्षित क्षेत्रों से विधान सभा के सदस्य हैं। कयास लगाया जा रहा था कि मुख्यमंत्री के लिए इनमें से कोई अपनी सीट छोड़ सकता है। पर इन दोनों में से किसी ने भी अपने 'बाबा' के लिए अपनी सीटों से त्यागपत्र देना मुनासिब नहीं समझा! खूँटी जिला के तोरपा (अ.ज.जा.) सुरक्षित क्षेत्र से झारखंड मुक्ति मोरचा के विधायक पौलुस सुरीन द्वारा अपनी सीट छोड़ने की पेशकश करने का समाचार आया। पर अंततः उन्होंने भी त्यागपत्र नहीं दिया। इसे विडंबना नहीं तो और क्या कहा जाएगा कि अपनी पार्टी के सुप्रीमो के लिए न तो उनके अपने दल का और न अपने परिवार का ही कोई सदस्य अपनी विधान सभा की सीट की कुरबानी देने के लिए सामने आया और न जिन दलों के गठबंधन ने उन्हें आनन-फानन में मुख्यमंत्री बना दिया था, उस गठबंधन के ही किसी घटक दल ने उन्हें मुख्यमंत्री पद पर टिकाए रखने के लिए एक अदद सीट का जुगाड़ किया।

राँची में एन.डी.ए. दिल्ली में यु.पी.ए.

इस ऊहापोह के बीच दैवयोग से एक ऐसी घटना घटी, जिससे संसदीय लोकतंत्र में स्वस्थ परंपरा और नैतिक मापदंड की कसौटी नेस्तनाबूद होते नजर आई। बढ़ती महँगाई रोकने में विफल होने के मुद्दे पर भारत की संसद् में प्रमुख विपक्षी दल

भारतीय जनता पार्टी और सहयोगी दलों ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सरकार के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव रखा था। 27 अप्रैल, 2010 को लोकसभा में इस प्रस्ताव पर मतदान होना था। लोकसभा सदस्य होने के नाते श्री शिबू सारेन मतदान की पूर्वसंध्या पर अचानक दिल्ली पहुँच गए। उनके दिल्ली पहुँचने की खबर न तो राँची में उनके साथ सरकार चला रहे सहयोगी दलों के किसी नेता को थी और न दिल्ली में भाजपा नेतृत्व अथवा एन.डी.ए. के किसी अन्य घटक दल को थी। मतदान के दिन जब श्री सोरेन संसद् के भीतर यू.पी.ए. के सहयोगी के नाते पूर्व से आवंटित यू.पी.ए. खेमा की सीट पर बैठे दिखाई दिए, तब भारतीय जनता पार्टी के संसदीय दल के प्रबंधकों का माथा ठनका। झारखंड से भाजपा के सांसद निशिकांत दूबे ने नियम और परंपरा के विरुद्ध उनकी सीट पर जाकर उन्हें बताया कि उन्हें एन.डी.ए. के अविश्वास प्रस्ताव के पक्ष में वोट देने के लिए कौन सा बटन दबाना है और किस रंग की परची का इस्तेमाल करना है। इसके बावजूद श्री सोरेन ने अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ और मनमोहन सिंह की यू.पी.ए. सरकार को बचाने के नीयत से उसके पक्ष में मतदान किया। आश्चर्य है कि झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से एन.डी.ए. की सरकार चलानेवाले शिबू सोरेन ने मुख्यमंत्री बनने के चार माह बाद भी दिल्ली में यू.पी.ए. का साथ नहीं छोड़ा था।

राष्ट्रपति शासन पुनः

इसका नतीजा हुआ कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड में शिबू सोरेन सरकार से समर्थन वापस ले लिया। शिबू सोरेन की सरकार झारखंड विधान सभा के भीतर अल्पमत में आ गई। फिर भी उन्होंने मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र नहीं दिया। वे और उनके समर्थक चाहते थे कि उन्हें बिना विधायक बने मुख्यमंत्री के रूप में 6 माह की अवधि पूरा करने दिया जाए। करीब एक महीने की जोड़-तोड़ के बाद राज्यपाल एम.ओ.एच. फारुख ने उन्हें विधान सभा में बहुमत साबित करने का निर्देश दिया। इसके लिए 30 मई, 2010 को झारखंड विधान सभा की बैठक बुलाई गई। विधान सभा भवन की मरम्मत हो रही थी, इसलिए यह बैठक 'श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान' (ए.टी.आई.) में बुलाई गई। मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने विधानसभा का सामना नहीं किया। अपनी सरकार के लिए सदन में विश्वास का प्रस्ताव रखने से पहले ही उन्होंने राज्यपाल को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। नतीजा यह हुआ कि झारखंड एक बार फिर राष्ट्रपति शासन के हवाले हो गया। सत्ता की बागडोर राज्यपाल एम.ओ.एच. फारुख के हाथ में आ गई। संविधान की धारा 164 (1) की भावना के साथ खिलवाड़ करने की मानसिकता का यह ज्वलंत एवं अद्वितीय उदाहरण है।

लौह अयस्क का अवैध व्यापार

झारखंड में अवैध खनन एवं छद्म खनन का अवैध परिवहन वास्तव में 'मधु कोड़ा लूट राज' समर्थित लौह अयस्क घोटाले के विविध पहलुओं में एक है। अवैध खनन की छोटी-मोटी गैर-कानूनी गतिविधियाँ प्राय: सभी खनिज बहुल क्षेत्रों में कमोबेश चलती रहती हैं। परंतु झारखंड के लौह अयस्क बहुल क्षेत्रों में खनन माफियाओं की सरपरस्ती में चल रहे अवैध खनन को कोड़ा लूट राज का खुला संरक्षण प्राप्त था, 2006 और 2010 के बीच झारखंड और उड़ीसा के समीपवर्ती इलाकों में खनन माफिया ने अवैध खनन का एक सुनियोजित सिंडिकेट कायम कर लिया था। इस सिंडिकेट की अवैध गतिविधियों की गिरफ्त में रेल प्रशासन भी आ गया। उड़ीसा के 'जोड़ा' रेलवे स्टेशन पर भी लौह अयस्क से लदी 141 मालगाड़ियाँ पकड़ी गईं, जिन पर लौह अयस्क का लदान झारखंड स्थित दक्षिण-पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल कार्यालय से जारी किए गए चालान पर हुआ था।

दुर्लभ साल वृक्षों एवं समृद्ध जैव विविधता के लिए दुनिया भर में मशहूर सारंडा का संरक्षित एवं सघन 'साल वन' आजकल उग्रवादी गतिविधियों के साथ ही लौह अयस्क के अवैध खनन के लिए भी जाना जाने लगा। वर्ष 2010 के पहले 6 महीनों से यहाँ से एक लाख टन से अधिक अवैध लौह अयस्क पकड़ा गया। बंदरगाहों से विदेशों में भेजे जाने के साथ ही घने जंगलों के बीच अवैध खनन से निकले लौह अयस्क की खपत झारखंड के पश्चिम सिंहभूम, सरायकेला-खरसावाँ, गिरिडीह, रामगढ़ एवं अन्य स्थानों पर लगी स्पांज आयरन फैक्ट्रियों में होती थी। अप्रैल-मई 2010 में पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन ने छापेमारी कर 17 कंपनियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराया। यहाँ चल रहे 165 क्रेशरों में से 44 क्रेशर मशीनों को बंद कराया, लौह अयस्क से लदे 72 ट्रक पकड़ा गए अनेक फर्जी चालान भी पकड़े गए हैं।

'मधु कोड़ा लूट राज' की अवैध खनन गतिविधियों का जायजा लेने पर पता चलता है कि झारखंड से प्रतिवर्ष करीब 2500 करोड़ रुपए के लौह अयस्क का अवैध व्यापार चल रहा था। 3000 टन से अधिक लौह अयस्क तो सड़क मार्ग से भारी वाहनों द्वारा प्रतिदिन हल्दिया और विशाखापत्तनम के बंदरगाह पर जा रहे थे। झारखंड में अवैध खनन कर करीब 38 हजार टन लौह अयस्क प्रतिदिन पड़ोसी राज्यों के इन बंदरगाहों से दूसरे देशों में भेजा जाता था। इसके अलावा रेलवे से भी लौह अयस्क की तस्करी होती थी। शुरुआती दौर में तो एक मालगाड़ी के दो-चार रैक पर अवैध लौह अयस्क रहता था। बाद के दिनों में पूरी मालगाड़ी अवैध खनन के लौह अयस्क से भरी जाने लगी। 5 मई, 2010 को टाटानगर रेलवे स्टेशन पर अवैध लौह अयस्क से लदी पूरी मालगाड़ी पकड़ी गई। यह मालगाड़ी गुआ (पश्चिम सिंहभूम) से पारादीप (उड़ीसा) बंदरगाह जा रही थी। इसमें लदे लौह अयस्क का मूल्य करीब 12 करोड़ आँका गया।

इसके एक दिन बाद पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त ने नोआमुंडी रेलवे साइडिंग पर छापेमारी की। रेलवे साइडिंग के आस पास 24 हजार टन लौह अयस्क पकड़ा गया, जिसका बाजार मूल्य करीब 30 करोड़ रुपए आँका गया। रेलवे से प्रतिमाह 15 से अधिक अवैध लौह अयस्क लदे रैक बाहर भेजे जाते थे। नियमत: एक रैक में 3500 टन लौह अयस्क भेजा जा सकता है, मगर अवैध कारोबार करनेवाले एक रैक से 5500 टन से अधिक लौह अयस्क भेजते थे।

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला में लौह अयस्क के 370 व्यवसायी निबंधित हैं, जिन्हें लौह अयस्क कारोबार का लाइसेंस मिला हुआ है। जबकि इस जिले में लौह अयस्क खदानों की कुल संख्या मात्र 23 हैं। इनके अलावा बिना लाइसेंस के लौह अयस्क का अवैध कारोबार करनेवालों की बड़ी संख्या है। 2006 से 2008 के बीच इनकी संख्या बेहताशा बढ़ी। ये लोग सारंडा के घने जंगलों में अवैध रूप से चल रहे क्रेशरों से लौह अयस्क की ढुलाई करते थे। ट्रक मे ढुलाई के दौरान फर्जी चालान का इस्तेमाल किया जाता था, जिसे चेकपोस्ट पर दिखाया जाता था। यह चालान किसी वैध कंपनी के नाम पर होता था। एक ही चालान के जरिए अलग-अलग कई गाड़ियों से ढुलाई होती थी। सितंबर 2009 मे चाईबासा के 'गितिलिपि चेकपोस्ट' पर एक दिन की गई छापेमारी में 55 ट्रकों के फर्जी चालान पर लदा हुआ लौह अयस्क पकड़ा गया। एक व्यक्ति के साथ 1300 फर्जी 'फार्म-डी' पाए गए। लौह अयस्क के तस्कर मनोहरपुर, चिड़िया, होरानागा, नोआमुंडी, बड़ा जामदा, हाटगम्हरिया से मझगाँव के रास्ते तस्करी करते थे। झारखंड और उड़ीसा के सीमावर्ती क्षेत्रों में अवैध खनन कारोबार के सघन क्षेत्र बने हुए थे। पूर्वी सिंहभूम जिलांतर्गत बड़सोल चेकपोस्ट से होकर प्रतिदिन 500 से 600 ट्रक पार होते थे, जिन पर प्रति ट्रक 50 टन से अधिक लौह अयस्क लदा होता है।

राष्ट्रपति शासन में काररवाई

'मधु कोड़ा लूट राज' के दौरान अवैध खनन के मामले स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों, टी.वी. चैनलों पर प्रकाशित एवं प्रसारित होते रहे, लेकिन झारखंड सरकार इस पर मौन साधे रही है। राष्ट्रपति शासन के दौरान तत्कालीन राज्यपाल के. शंकर नारायणन के कार्यकाल में हल्दिया एवं पारादीप बंदरगाहों से खनिजों के परिवहन का आँकड़ा मँगवाया। आँकड़े चौंकाने वाले थे। बंदरगाहों के अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के मुख्य सचिव को दर्जनों फर्जी चालानों की प्रतियाँ भेजी गईं। झारखंड में लौह अयस्क के अवैध खनन की जानकारी मुख्य सचिव द्वारा सी.बी.आई. को भेज दी गई।

मई 2009 में हल्दिया बंदरगाह के प्रबंधन ने झारखंड के मुख्य सचिव को लौह अयस्क के अवैध व्यापार के बारे में एक पत्र भेजा। तब झारखंड में राष्ट्रपति शासन था। इस पत्र के साथ कई चालान संलग्न थे, जो प्रथमदृष्टया फर्जी प्रतीत हो रहे थे। अपने स्तर से आरंभिक जाँच करने के बाद मुख्य सचिव ने यह पत्र और फर्जी चालान सी.बी.आई. के पास भेज दिया और लौह अयस्क के अवैध खनन एवं अवैध व्यापार की जाँच करने का अनुरोध किया। इस बीच झारखंड में विधान सभा चुनाव— 2009 के बाद निर्वाचित सरकार बन गई और यह मामला खटाई में पड़ गया। कुछ दिनों के बाद 28 मई, 2010 को झारखंड में पुन: राष्ट्रपति शासन लग गया। इस बीच खनन माफिया की अवैध गतिविधियों की आधिकारिक सूचना भारत सरकार तथा पहुँच गई और रेल यातायात इनकी गिरफ्त में आने लगा तो केंद्र सरकार की जाँच एजेंसी सी.बी.आई. को सक्रिय होना पड़ा।

सी.बी.आई. ने 28 जून, 2010 को झारखंड के मुख्य सचिव को विशेष दूत द्वारा हाथो-हाथ एक पत्र सौंपा। इस पत्र में अनुरोध किया गया था कि झारखंड सरकार अवैध खनन की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने पर सहमति संसूचित करे, ताकि सी.बी.आई. 'दिल्ली पुलिस इस्टैब्लिस्टमेंट ऐक्ट' की धारा-5 के तहत इसकी जाँच अपने हाथ में ले सके। झारखंड सरकार ने पश्चिम सिंहभूम जिला के लौह अयस्क बहुल गुआ थाना में दर्ज अवैध खनन के मामले सी.बी.आई. को सौंपने की अधिसूचना जारी कर इसकी जाँच सी.बी.आई. को सौंप दी। सी.बी.आई. ने भी अपने यहाँ मुकदमा दर्ज कर इसकी जाँच शुरू कर दी।

विद्युत् बोर्ड घोटाला

30 मई, 2010 को झारखंड में राष्ट्रपति शासन लगा तो सी.बी.आई. ने राज्यपाल के सामने मधु कोड़ा लूट राज के एक संगीन मामले की जाँच उसे सौंपने के लिए अनुरोध-पत्र भेजा। यह मामला है झारखंड राज्य बिजली बोर्ड में कोड़ा और उनकी सहयोगियों द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में करोड़ों रुपए के भ्रष्टाचार का। इस लूट कांड में भी मुख्य अभियुक्त श्री मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, रोहिताश कृष्णन जैसे व्यक्ति और आई.वी.सी.आर.एल. एवं क्वांटम पॉवर टेक जैसी कंपनियाँ हैं।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के निर्देश पर मधु कोड़ा और उनके मंत्रियों द्वारा अवैध रूप से हासिल की गई संपत्ति की जाँच के दौरान आयकर अधिकारियों की नजर में भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी और कमीशनखोरी का यह मामला आया। 'मधु कोड़ा लूट राज' के अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान आयकर अधिकारियों के हाथ ऐसे दस्तावेज और कंप्यूटर के हार्ड डिस्क लगे, जिनके विश्लेषण के बाद

करोड़ों रुपए के इस भ्रष्टाचार का पर्दाफाश हुआ। आयकर अन्वेषण निदेशालय ने इस बारे में एक विस्तृत प्रतिवेदन झारखंड उच्च न्यायालय और झारखंड सरकार को भेज दिया। इस आधार पर राज्य निगरानी ब्यूरो ने मुकदमा दर्ज कर जाँच आरंभ की।

सी.बी.आई. ने महामहिम राज्यपाल को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि जिस मामले की जाँच करने का निर्देश माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका पर सुनवाई के उपरांत अपने फैसले में सी.बी.आई. को दिया है, उसी मुकदमे में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से जाँच के दौरान आयकर अन्वेषण निदेशालय ने यह भ्रष्टाचार उजागर किया है और इस घोटाले में भी मुख्य अभियुक्त के रूप में वही व्यक्ति और कंपनियाँ हैं, इसलिए इसकी जाँच राज्य निगरानी ब्यूरो से लेकर 'दिल्ली पुलिस स्टैब्लिसमेंट ऐक्ट' के तहत सी.बी.आई को सौंप दिना श्रेयस्कर होगा।

राष्ट्रपति शासन के दौरान यह मामला सी.बी.आई. को सौंप देने की प्रक्रिया आरंभ हुई। मगर झारखंड सरकार के कतिपय वैसे वरीय अधिकारियों ने इसमें जान-बूझकर विलंब किया, जिन्हें आशंका थी कि मामले की सी.बी.आई. जाँच हुई तो इसके घेरे में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से वे भी आ सकते हैं। इसी बीच झारखंड में निर्वाचित प्रतिनिधियों की तथाकथित लोकप्रिय सरकार गठित करने की कवायद सफल हो गई। झारखंड मुक्ति मोरचा और आजसू के नेता भाजपा के नेतृत्व में सरकार बनाने पर सहमत हो गए। संसद् सदस्य अर्जुन मुंडा झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के नेता निर्वाचित हुए और 11 सितंबर, 2010 को उन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। इसी के साथ झारखंड में चार महीने पुराना राष्ट्रपति शासन समाप्त हो गया।

मुंडा सरकार की कारवाई

झारखंड मुक्ति मोरचा अर्जुन मुंडा के नेतृत्व में गठित वैकल्पिक लोकप्रिय सरकार का एक मुख्य घटक दल था। जाँच के आदेश मिलने में विलंब होने के कारण सी.बी.आई अधिकारियों को लगा कि जब राष्ट्रपति शासन में यह मामला उन्हें सुपुर्द नहीं हुआ तो इस सरकार का क्या भरोसा? इसलिए सी.बी.आई. मुख्यालय ने झारखंड सरकार को एक पत्र लिखकर पहले का अपना अनुरोध वापस ले लिया। उन्हें अंदेशा हो गया था कि झारखंड मुक्ति मोरचा समर्थित राज्य सरकार कहीं उनके अनुरोध को खारिज न कर दे! राज्य सरकार द्वारा अनुरोध खारिज हो जाने पर उनके लिए मामले की नए सिरे से विस्तृत जाँच करना संभव नहीं हो सकेगा। सी.बी.आई. चाहे तो मधु कोड़ा शासन काल में हुए झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के इस घोटाले की जाँच के साथ 'मधु कोड़ा लूट राज' में हुए लौह अयस्क घोटाले की जाँच से जोड़कर अपने स्तर से आरंभ कर सकती है। इसका कारण था कि दोनों ही घोटालों में प्रमुख अभियुक्त गिरोह एक ही है। परंतु जिस तरह सी.बी.आई.

के अनुरोध-पत्र को स्वीकार कर राज्य सरकार ने झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड में भ्रष्टाचार का मामला सी.बी.आई. को सौंपने का निर्णय लेने में विलंब किया और इसे लंबित रखा, उसी प्रकार सी.बी.आई. द्वारा अपना अनुरोध-पत्र वापस लेने के मामले में भी झारखंड सरकार काफी दिनों तक चुप्पी साधे बैठी रही। करीब एक वर्ष बाद सी.बी.आई. ने इस बारे में अनुमति देने अथवा नहीं देने के बारे में झारखंड सरकार का दरवाजा पुन: खटखटाया तो अर्जुन मुंडा के नेतृत्व वाली झारखंड सरकार ने अगस्त 2011 में झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के भ्रष्टाचार का मामला राज्य निगरानी ब्यूरो से लेकर सी.बी.आई. को सौंप दिया।

वर्ष 2006 से 2009 के बीच झारखंड के मुख्यमंत्री और उनका कार्यालय, खान विभाग और खान निदेशालय, वन एवं पर्यावरण विभाग, पश्चिम सिंहभूम जिला प्रशासन और पुलिस के कृत्यों पर एक नजर डालने से स्पष्ट हो जाता है कि ये सभी लौह अयस्क खनन पट्टा के लिए अनियमित अनुशंसा करने, अवैध खनन को संरक्षण देने, पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण के प्रावधानों की धज्जियाँ उड़ाने में लगे थे। इनके बीच मानो होड़ लग गई थी कि राज्य की अनमोल प्राकृतिक धरोहर लौह अयस्क भंडार को कौड़ियों के भाव नीलाम करने के षड्यंत्र में बिचौलियों और घोटालेबाजों का सहयोग करने में कौन कितना अधिक तत्पर है! राज्य की विधान सभा और इसकी समितियाँ तथा भारत सरकार का खान विभाग भी घोटाले की आग में घी डालने का काम कर रहे थे। जनहितकारी लोक-व्यवस्था को गतिशील करने के लिए स्थापित की गई राज्य की संवैधानिक और प्रशासनिक संस्थाएँ निहित स्वार्थी भ्रष्ट मानसिकता के दबाव में किस प्रकार पंगु हो सकती हैं और गैर-कानूनी गतिविधियों को संरक्षण देने में निर्लज्जता की सीमा लाँघ सकती हैं, इसका एक सटीक उदाहरण है मधु कोड़ा लूट राज में झारखंड का 'लौह अयस्क घोटाला'।

□

खंड-2
घोटाले का परदाफाश

लौह अयस्क खदानों का कपटपूर्ण आवंटन*

झारखंड के लौह अयस्क खनिज क्षेत्रों में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (Prospecting Licenses) तथा खनन पट्टा (Mining Lease) देने में खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 (Mines and Minerals Development and Regulation-Act 1957 तथा खनिज समानुदान नियमावली 1960 (Mineral Concession Rules 1960) के प्रावधानों की खुली अवहेलना की गई है और सुनियोजित तरीके से अनियमितता बरतकर मनचाहे उद्योगपतियों को लौह अयस्क खदानों के कपटपूर्ण आवंटन की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा की गई है। 11 फरवरी, 2007 को झारखंड सरकार द्वारा खनन पट्टा देने संबंधी जो दस्तावेज भारत सरकार को भेजा गया है, उसका विश्लेषण करने पर निम्नांकित अनियमितताएँ उजागर हुई हैं—

1. एम.एम.डी.आर. ऐक्ट 1957 की धारा 5 (2) के अनुसार खनन पट्टा तभी दिया जाएगा, जब उस क्षेत्र का पूर्वेक्षण (Prospecting) हो गया हो और पता चल गया हो कि इस क्षेत्र में कितना खनिज भंडार है। परंतु झारखंड सरकार ने वैसे क्षेत्रों पर भी खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी है जहाँ कोई पूर्वेक्षण नहीं हुआ है। जैसे जिंदल स्टील ऐंड पॉवर मिमिटेड को जेरलदाबुरू में, भूषण स्टील को चाटुबुरू में, बिहार स्पांज को घाटकुरी में, सनफ्लैग को कोदलीबाद में, इस्पात इंडस्ट्रीज को लटुआ में, आर्सेलर मित्तल को मेघाहातुबुरू में। दूसरी ओर जिन क्षेत्रों का पूर्वेक्षण पूर्व में भारत सरकार की संस्था 'मिनरल्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया' द्वारा झारखंड सरकार ने कराया है और इसके लिए करीब 15 लाख रुपए का भुगतान किया है, उन्हीं क्षेत्रों, जैसे अकुवा, हतनाबुरू और काशीयापीच में टाटा स्टील, जिंदल स्टील और एस्सार स्टील को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति देने की अनुशंसा कर दी गई है।
2. एम.एम.डी.आर. ऐक्ट 1957 की धारा 11 (3) में प्रावधान है कि अगर किसी खनन क्षेत्र के लिए पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (Prospecting Licenses) अथवा

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 76-77 02-Jul-12, 7:25 PM

खनन पट्टा (Mining Lease) के एक से अधिक आवेदन हैं तो उनमें प्राथमिकता का निर्धारण करने के लिए आवेदकों के (क) खनन का विशेष ज्ञान (ख) वित्तीय संसाधन (ग) निवेश और (घ) तकनीक कर्मियों की गुणवत्ता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा, परंतु इन प्रावधानों की घोर अवहेलना हुई है। उदाहरण के लिए—

(क) जिन कंपनियों को खनन का अनुभव नहीं है, जैसे कोर स्टील, प्रीमियम स्टील, प्रकाश स्टील, चाईबासा स्टील, कोन्टी स्टील आदि, उन्हें या तो चाटुबुरू, सेतारूइया में खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी गई है या किसी अन्य क्षेत्र में खनन पट्टा देने का लिखित आश्वासन दिया गया है। दूसरी ओर ऐसी कई कंपनियों को, जिनको खनन और पूर्वेक्षण का पर्याप्त अनुभव है, उन्हें छाँट दिया गया है, जैसे एस.के.एस. इस्पात, एस्सार स्टील, जिंदल स्टील, ओरेस आयरन ऐंड स्टील, एम.एस.पी.एल., एन.एम.डी.सी., स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, सिंघल इंटरप्राइजेज आदि।

(ख) जिन कंपनियों की वित्तीय स्थिति खराब है और वे घाटे में चल रही हैं, उन्हें खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी गई है, जैसे इस्पात इंडस्ट्रीज को लटुआ में और बिहार स्पांज को घाटकुरी में। इस्पात इंडस्ट्रीज ने अपने आवेदन में लिखा है कि उसे 2005-06 में 812.67 करोड़ रुपए और 2006-07 में 9.53 करोड़ रुपए का घाटा हुआ है। दुनिया भर की स्टील इंडस्ट्रीज फायदे में चल रही हैं, परंतु इस्पात इंडस्ट्री घाटे में चल रही है। इसके बारे में इसी वर्ष फरवरी में संसद् में सवाल उठा है और जवाब आया है कि कम उत्पादन दिखाकर यह कंपनी उत्पाद टैक्स की वंचना कर रही है। बिहार स्पांज के बारे में तो सभी जानते हैं कि यह राज्य सरकार की वित्तीय सहायता की बैसाखी पर चल रही है।

(ग) कई कंपनियों ने काफी कम निवेश का प्रस्ताव किया है, जैसे होराइजन इंडिया (14.15 करोड़), कोन्टी स्टील (76 करोड़), सनफ्लैग आयरन (248 करोड़), बालाजी इंडस्ट्री (61.50 करोड़)। फिर भी उन्हें खनन पट्टा की अनुशंसा कर दी गई है। (इन्होंने कोष्ठक में अंकित राशि का निवेश करने का प्रस्ताव किया है) दूसरी ओर जूपिटर आयरन इंडस्ट्री (644 करोड़), कॉरपोरेट इस्पात (300 करोड़), एम.एस.पी.एल. (11,000 करोड़), उत्तम गालवा (10,725 करोड़), ओरेस आयरन ऐंड स्टील (10,000 करोड़) का कम निवेश बताकर अथवा इनके साथ एम.ओ.यू. नहीं होना बताकर इन्हें छाँट दिया गया है। जबकि एम.ओ.यू. करना या नहीं करना, पूरी तरह

सरकार के हाथ में है। (इन्होंने कोष्ठक में अंकित राशि का निवेश करने का प्रस्ताव किया है)

3. कई आवेदकों को किसी विशेष क्षेत्र में खनन पट्टा नहीं देने का आधार यह बताया गया है कि उनके लिए किसी दूसरे क्षेत्र में खनन पट्टा देने पर विचार किया जाएगा, जबकि एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है।
4. कई आवेदकों को इस आधार छाँट दिया गया है कि इनकी किसी सहयोगी कंपनी को पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति अथवा खनन पट्टा देने की अनुशंसा पूर्व में कर दी गई है। जबकि कतिपय ऐसे आवेदकों को, जो इस श्रेणी में आते हैं, खनन पट्टा दे दिया गया है।
5. इस्पात इंडस्ट्रीज और आर्सेलर मित्तल के आवेदनों को स्वीकृत कर झारखंड सरकार ने केंद्र को भेजा है और लिखा है कि इसके लिए गठित समिति के द्वारा यह निर्णय सर्वसम्मति से लिया गया है, जबकि यह सरासर गलत है। झारखंड सरकार ने पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति और खनन पट्टा देने के लिए जो समिति बनाई है, उसके अध्यक्ष खान एवं भूतत्त्व विभाग के सचिव हैं और सदस्य के रूप में जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के निदेशक, झारखंड सरकार के भूतत्त्व निदेशक और खान निदेशक हैं। परंतु सुनवाई के समय न तो इन सभी सदस्यों को सूचित किया गया और न इन्होंने बैठक की कार्यवाही पर हस्ताक्षर किए हैं। प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए जो तुलनात्मक विवरणियाँ बनाई गई हैं और जिन्हें भारत सरकार को अनुशंसा के साथ भेजा गया है, उन पर केवल झारखंड सरकार के खान सचिव और खान निदेशक के ही हस्ताक्षर हैं। एक हस्ताक्षर संयुक्त सचिव, खान का है, जिनका स्थानांतरण कई माह पूर्व हो गया है। परंतु उन्हें विरमित नहीं किया गया है, जबकि इनके स्थान पर एक अन्य संयुक्त सचिव ने विभाग में अपना योगदान दे दिया है।
6. जिन क्षेत्रों में कभी पूर्वेक्षण नहीं हुआ है (कतिपय आवेदकों, जैसे इस्पात इंडस्ट्रीज ने अपने आवेदन में यह स्वीकार भी किया है) उन क्षेत्रों के लिए भी खान एवं भूतत्त्व विभाग ने चाईबासा में पदस्थापित एक सहायक भूतत्त्ववेत्ता अनुज कुमार सिन्हा से दो पृष्ठों का फर्जी प्रतिवेदन ले लिया है, जिसमें कहा गया है कि इन क्षेत्रों में पर्याप्त लौह अयस्क और मैंगनीज अयस्क का भंडार है। इस प्रतिवेदन का कोई तकनीकी एवं वैज्ञानिक आधार नहीं है, पर इसे खनन पट्टा आवंटन के लिए अनुशंसा करने का आधार बना दिया गया है।

7. जिन आवेदकों को सरकार किसी क्षेत्र का खनन पट्टा देना चाहती है, उन क्षेत्रों के लिए इसी सहायक भूगर्भवेत्ता से एक फर्जी प्रतिवेदन ले लिया जाता है और इस प्रतिवेदन को जिला खनन पदाधिकारी, चाईबासा से संपुष्ट कराकर उपायुक्त के माध्यम से खान सचिव को भेज दिया जाता है। यह सरासर धोखाधड़ी और जालसाजी है; क्योंकि इस सहायक भूगर्भवेत्ता को ऐसा प्रतिवेदन देने का अधिकार नहीं है। इसकी पोल तब खुल गई, जब ए.एम.एल. स्टील और बालाजी इंडस्ट्री को इनके प्रतिवेदन के आधार पर बोकना क्षेत्र में खनन का पट्टा दिया गया, परंतु यहाँ एक छटाँक भी खनिज नहीं पाया गया है। इसी तरह जिंदल स्टील ऐंड पॉवर को जेरलदाबुरू में करीब 1500 एकड़ का खनन पट्टा देने का अनुमोदन कर दिया गया है, परंतु इसने झारखंड सरकार को इस क्षेत्र में खनिज उपलब्धता और गुणवत्ता के बारे में अलग से प्रतिवेदन तैयार करके देने हेतु पत्र लिखा है। बालाजी इंडस्ट्री ने भी ऐसा ही पत्र लिखा है।
8. ऐसी ही अनियमितताओं का जिक्र करते हुए भारत सरकार ने झारखंड सरकार द्वारा 11 फरवरी, 2008 को आर्सेलर मित्तल को खनन पट्टा देने के आवेदन की संस्तुति को लौटा दिया है। मैंने इस बारे में विधान सभा के बजट सत्र में एक ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाने की सूचना दी थी। मेरे ध्यानाकर्षण का जवाब मुख्यमंत्री नहीं दे सके। मुख्यमंत्री के जवाब से सदन संतुष्ट नहीं हुआ तो इसे गहन जाँच हेतु विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को भेज दिया गया है।
9. इस्पात इंडस्ट्रीज ने अपने आवेदन में कहा है कि वह यहाँ का लौह अयस्क रायगढ़, महाराष्ट्र में स्थित अपनी फैक्ट्री में उपयोग के लिए अयस्क के रूप में ले जाएगा। इसके बावजूद उसे खनन पट्टा देने की अनुशंसा कर दी गई, जबकि पट्टा उसे ही देने की बात कही गई है, जो झारखंड में ही लौह अयस्क का मूल्य संवर्द्धन करेगा।
10. खनिज समानुदान नियमावली 1960 की धारा 37 (1) में प्रावधान है कि कोई भी खनन पट्टाधारक राज्य सरकार की पूर्वानुमति के बिना वह पट्टा किसी को न तो गिरवी रखेगा, न किराए पर देगा और न कोई ऐसा एग्रीमेंट करेगा जिसमें किसी भी तरह का प्रत्यक्ष या परोक्ष आर्थिक सहायता लेने-देने का प्रावधान हो। परंतु पश्चिमी सिंहभूम में कई खनन पट्टाधारी सरकार की पूर्वानुमति लिए बिना इन प्रावधानों की अवहेलना कर रहे हैं। उदाहरण के लिए विधान सभा में मेरे एक अल्पसूचित प्रश्न के उत्तर में सरकार ने स्वीकार किया है कि नोवामुंडी क्षेत्र में पट्टाधारक मनिंद्र नाथ घोष के खदान को एक एग्रीमेंट द्वारा पहले बी.एन. खीरवाल चला रहे थे और अब यह माइंस ए.आर. इंटरप्राइजेज द्वारा चलाया जा रहा है, जिसके पार्टनर मुख्यमंत्री के निजी सहायक के साले श्री अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। इस पर पुलिस प्रशासन ने छद्म खनन करनेवाले श्री श्रीवास्तव को जबरन कब्जा दिलवाया है। ऐसी स्थिति एक दर्जन से अधिक लौह अयस्क खदानों की है, जिनका पट्टा तो किसी और के नाम पर है, परंतु उन्हें चला कोई दूसरा रहा है।

उपर्युक्त अनियमितताएँ अत्यंत गंभीर हैं। राज्य में एक अनधिकृत सिंडीकेट बन गया है, जो धोखापूर्ण फर्जी भूतात्त्विक प्रतिवेदन के आधार पर खनन पट्टा की अनुशंसा कर उद्योगपतियों से पैसा ऐंठ रहा है। कई उद्योगपति पैसे के जोर पर खनन पट्टा के लिए अपने नाम अनुशंसा कराने में कामयाब हुए हैं।

मैं माँग करता हूँ कि—

1. राज्य में लौह अयस्क आवंटन हेतु राज्य सरकार द्वारा की गई ऐसी अनुशंसाओं एवं दिए गए ऐसे खनन पट्टों की जाँच सी.बी.आई. से कराई जाए।
2. फर्जी भूतात्त्विक प्रतिवेदन तैयार करने वाले सहायक भूगर्भवेत्ता और इसे संपुष्ट करनेवाले पश्चिमी सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी पर षड्यंत्र और धोखाधड़ी के आरोप में प्राथमिकी दर्ज कराई जाए।
3. राज्य मंत्रालय और सचिवालय में सिंडीकेट बनाकर बैठे सरकारी पदाधिकारियों और उनके गैर-सरकारी सहयोगी व्यक्तियों की पहचान की जाए और इनके विरुद्ध जालसाजी और षड्यंत्र कर पैसा उगाहने का मुकदमा दायर किया जाए।
4. इस षड्यंत्र में लगे निहित स्वार्थी उद्योगपतियों के विरुद्ध काररवाई की जाए और झारखंड सरकार द्वारा अनियमित तरीके से केंद्र को भेजे गए लौह अयस्क खदानों के खनन पट्टा और पूर्वेक्षण अनुज्ञप्तियों की अनुशंसाओं को वापस मँगाया जाए। ऐसे सभी आवेदनों को केंद्र सरकार वापस भेजे और इन क्षेत्रों के लिए पी.एल. (पूर्वोक्षण अनुज्ञप्रि) अथवा एम.एल. (खनन पट्टा) आवेदनों पर नियमानुसार नए सिरे से विचार किया जाए।
5. झारखंड की लौह अयस्क खदानों की लूट के षड्यंत्र में खान विभाग, भारत सरकार के कतिपय अधिकारी भी शामिल हैं, जो झारखंड सरकार द्वारा कपटपूर्ण तरीके से अनुमोदित ऐसे आवेदनों पर भारत सरकार की स्वीकृति प्रदान कराने में अहम भूमिका अदा करते हैं।
6. चूँकि राज्य स्तर से इसकी निष्पक्ष जाँच संभव नहीं है, इसलिए उपयुक्त होगा कि केंद्र एवं राज्य सरकार यह विषय जाँच के लिए सी.बी.आई. को सौंप दे। जिस तरह पशुपालन घोटाले में बिहार के नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों

के एक षड्यंत्रकारी समूह ने सरकारी खजाने से कपटपूर्ण फर्जी निकासी की थी, उसी तरह झारखंड के सत्ताधारी नेताओं, अधिकारियों और उद्योगपतियों के एक षड्यंत्रकारी समूह ने फर्जी भूतात्त्विक प्रतिवेदन को आधार बनाकर और नियम-कानून को ताक पर रखकर लौह अयस्क खदानों के आवंटन की कपटपूर्ण अनुशंसाएँ भारत सरकार को भेजी हैं, इन्हें स्वीकृति दिलाई हैं और करोड़ों रुपए का वारा-न्यारा किया है।

इस बारे में मैं शीघ्र ही प्रधानमंत्री और केंद्रीय खान मंत्री से लिखित शिकायत करूँगा और मामले की सी.बी.आई. जाँच कराने का अनुरोध करूँगा।

□

* संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य, 7 अप्रैल, 2008, राँची

घोटाले की सी.बी.आई. जाँच हेतु

भारत के प्रधानमंत्री के नाम पत्र*

विषय : झारखंड राज्य में लौह अयस्क खनन हेतु पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति एवं खनन पट्टा की अनुशंसा और स्वीकृति में बरती गई अनियमितताओं की जाँच कराने के संदर्भ में।

महाशय,

झारखंड एक खनिज बहुल प्रदेश है। पूरे देश का लगभग 28 प्रतिशत लौह अयस्क खनिज का भंडार यहाँ है। यह संपूर्ण भंडार राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के विश्व प्रसिद्ध सारंडा वन क्षेत्र से आच्छादित है। खनिज संपदा राज्य की आर्थिक-समाजिक ढाँचे का मुख्य आधार है। देश में अपनाई गई खुली व्यापार नीति का असर इस राज्य की खनन एवं संबंध आर्थिक गतिविधियों पर भी पड़ा है। आज राज्य में अनेक निजी कंपनियाँ लौह अयस्क के उत्खनन, परिवहन एवं निर्यात में लगी हुई हैं। लौह अयस्क खनन एवं इस्पात उद्योग से जुड़ी हुई देश-विदेश की अनेक कंपनियों ने राज्य में पूँजी निवेश हेतु अपनी अभिरुचि दिखाई है। राज्य सरकार ने लौह एवं इस्पात क्षेत्र में औद्योगिक विकास हेतु विभिन्न कंपनियों के साथ 65 से अधिक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित किए हैं। राज्य के सीमित क्षेत्र पर लौह अयस्क के खनन पट्टा हेतु एक हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं।

विश्व में लौह अयस्क की बढ़ती माँग और इस्पात उद्योग के क्षेत्र में भारी मुनाफा के कारण विभिन्न औद्योगिक घरानों के बीच लौह अयस्क का खनन पट्टा प्राप्त करने की स्पर्धा में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। इस स्पर्धा का लाभ राज्य की आम जनता एवं भविष्य के उद्योगों को न मिलकर राज्य में सक्रिय बिचौलियों एवं उनको संरक्षण देने वाले प्रशासनिक एवं राजनीतिक व्यवस्था के निहित स्वार्थी तत्त्वों को प्राप्त हो रहा है। निहित स्वार्थों की पूर्ति हेतु धरती की इस धरोहर की बंदर-बाँट जिस कदर हो रही है, उसका उदाहरण अन्यत्र नहीं मिलेगा।

प्रधानमंत्रीजी, मैं झारखंड की विधान सभा में जमशेदपुर पश्चिम का प्रतिनिधि

हूँ, जो कोल्हान क्षेत्र के अंतर्गत है और जहाँ इस प्राकृतिक संपदा की खुलेआम बंदर-बाँट अवैध तरीके से हो रही है। इस विषय को मैंने विधान सभा के बजट सत्र-2008 में ध्यानाकर्षण सूचना के माध्यम से उठाने का प्रयास किया था। मेरी ध्यानाकर्षण सूचना पर सरकार सदन को संतुष्ट नहीं कर सकी। मेरे पूरक प्रश्नों का उत्तर न तो माननीय प्रभारी मंत्री दे सके और न स्वयं मुख्यमंत्री दे सके, जिनके पास खान विभाग है। नतीजतन माननीय विधान सभा अध्यक्ष द्वारा इसे विधान सभा की प्रश्न और ध्यानाकर्षण समिति को गहन जाँच हेतु सौंप दिया गया।

राज्य में लौह अयस्क के खनन पट्टा हेतु विभिन्न इलाकों में एक ही क्षेत्र पर कई आवेदन दाखिल किए गए हैं। एम.एम.डी.आर. ऐक्ट के नियम 11(3) के तहत ऐसी स्थिति में प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रावधान है। सुलभ संदर्भ हेतु उक्त प्रावधान के प्रासंगिक अंश को मैं निम्नवत उद्धृत कर रहा हूँ—

(a) Any special knowledge of, or experience in, reconnaissance operations, Prospecting operations or mining operations, as the case may be, possessed by the applicant;
(b) The financial resource of the applicant;
(c) The nature and quality of the technical staff employed or to be employed by the applicant;
(d) The investment which the applicant proposes to make in the mines and in the industry based on the minerals;
(e) Such other matters as may be prescribed.

स्पष्ट है कि विभिन्न आवेदकों के बीच प्राथमिकता निर्धारित करने के लिए आवेदक के खनन का विशेष अनुभव, उनकी आर्थिक क्षमता, तकनीकी दक्षता निवेश की शक्ति आदि को मुख्य आधार माना जाता है। परंतु राज्य सरकार ने आवेदकों के आवेदन पर प्राथमिकता का निर्धारण करने में इनका घोर उल्लंघन किया है और जान-बूझकर अनियमितता बरती है। उदाहरणार्थ—

1. इस्पात इंडस्ट्रीज को झारखंड सरकार द्वारा करमपदा क्षेत्र पर लौह अयस्क खनन पट्टा की स्वीकृति की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई है। जबकि अपने आवेदन में इस्पात इंडस्ट्रीज ने स्वयं अंकित किया है कि यह कंपनी विगत दो वर्षों, (2005-06 और 2006-07) से घाटे में चल रही है। इस कंपनी के द्वारा केंद्रीय उत्पाद कर में हेरा-फेरी करने के संदर्भ में लोकसभा में भी प्रश्न उठाया गया है। जिसके उत्तर में कहा गया है कि इसके विरुद्ध उत्पाद कर-वंचना की जाँच की जा रही है। फिर भी पता नहीं किस कारण से राज्य सरकार इस्पात इंडस्ट्रीज को इस क्षेत्र में खनन पट्टा की स्वीकृत के लिए दाखिल अन्य आवेदकों की तुलना में आर्थिक रूप से ज्यादा सक्षम समझती है? यह एक गंभीर मामला है। राज्य सरकार ने इस क्षेत्र में इस्पात इंडस्ट्रीज को सीधे खनन पट्टा की स्वीकृति की अनुशंसा की है, जबकि इस क्षेत्र में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण का कोई कार्य अब तक नहीं हुआ है। इतना ही नहीं, इस कंपनी ने अपने आवेदन में कहा है कि वह लौह अयस्क को उसी रूप में रायगड़ा (महाराष्ट्र) के अपने कारखाना में ले जाएगी।
2. पश्चिमी सिंहभूम के जेरालदाबुरू क्षेत्र पर सर्व श्री जिंदल स्टील एवं पॉवर लिमिटेड को सीधे खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि उक्त क्षेत्र पर भी पूर्व में लौह अयस्क के पूर्वेक्षण हेतु कोई कार्य नहीं किया गया है। उल्लेखनीय है कि पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति हेतु देश की सार्वजनिक क्षेत्र की अग्रणी खनन कंपनी 'एम.एम.टी.सी.' द्वारा भी उक्त क्षेत्र पर आवेदन दाखिल किया गया था, जिसे झारखंड सरकार द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया है। जबकि एम.एम.टी.सी. ने राज्य में स्थापित उद्योगों को लौह अयस्क उपलब्ध कराना अपना आवेदन दाखिल करने का उद्देश्य बताया था।
3. पश्चिमी सिंहभूम के चाटूबुरू क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा सर्वश्री भूषण स्टील एवं कोर स्टील के लिए अनुशंसा भेजी गई है, जबकि उक्त क्षेत्र पर भी पूर्व में पूर्वेक्षण का कार्य नहीं हुआ है। राज्य सरकार इस क्षेत्र विशेष पर खनिज की उपलब्धता, भंडार, कोटि तथा गुणवत्ता से पूरी तरह अनभिज्ञ है। उल्लेखनीय है कि इस क्षेत्र पर भी एम.एम.टी.सी. सहित देश की कई अग्रणी कंपनियों द्वारा पूर्वेक्षण हेतु आवेदन दाखिल किया गया था, जिन्हें अस्वीकृत कर दिया गया।
4. पश्चिमी सिंहभूम के अंकुआ क्षेत्र पर जे.एस.डब्ल्यू एवं सर्वश्री टाटा स्टील को राज्य सरकार द्वारा पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गई है, जबकि इस क्षेत्र पर देश की उत्कृष्ट खनन एजेंसी एम.ई.सी.एल. द्वारा पूर्व में राज्य सरकार के अनुरोध पर अन्वेषण किया जा चुका है। राज्य सरकार ने इसके लिए 12 लाख रुपए का भुगतान भी किया है। फिर भी मनमाने तरीके से इन कंपनियों को इस क्षेत्र पर पुन: पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अनुशंसा की गई है।
5. राज्य के पश्चिमी सिंहभूम के बोकना क्षेत्र पर सर्वश्री बालाजी इंडस्ट्रीज लिमिटेड, सनफ्लैग आयरन एवं सर्वश्री ए.एम.एल. इंडस्ट्रीज को खनन पट्टा की स्वीकृति प्रदान की गई है, जबकि प्राप्त जानकारी के अनुसार

उक्त क्षेत्र पर लौह अयस्क का कोई भंडार ही नहीं है। इस क्षेत्र पर भी पूर्व में कोई अन्वेषण, सर्वेक्षण या पूर्वेक्षण का कार्य नहीं किया गया है। ज्ञातव्य है कि चाईबासा में पदस्थापित राज्य सरकार के एक सहायक भूगर्भवेत्ता ने यहाँ पर्याप्त मात्रा में लौह अयस्क होने का अनधिकृत प्रतिवेदन दिया था।

6. राज्य सरकार ने खनन पट्टा के आवेदनों के निस्तार में कई आवेदकों के आवेदनों को इस आधार पर अस्वीकृत किया है कि उनकी सहयोगी कंपनियों को पूर्व से खनन पट्टा प्राप्त है। लेकिन इस मापदंड को कतिपय अन्य आवेदनों पर निर्णय लेते समय लागू नहीं किया गया। एक कंपनी को घाटकुरी क्षेत्र में पूर्व से खनन पट्टा स्वीकृत रहने के बावजूद बोकना एवं कोदलीबाद क्षेत्रों पर भी खनन पट्टा की स्वीकृति दे दी गई है।

उपर्युक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि राज्य सरकार द्वारा खनिज संसाधन के आवंटन में नियम-कानून के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया है, बल्कि बिचौलियों की इच्छा एवं आकांक्षा का ध्यान रखा गया है।

खनन पट्टा हेतु प्राप्त आवेदनों पर प्राथमिकता निर्धारण के लिए लौह अयस्क की उपलब्धता के बारे में झारखंड सरकार चाईबासा में पदस्थापित एक ऐसे सहायक भूगर्भवेत्ता के प्रतिवेदन को आधार बना रही है, जिसे ऐसा प्रतिवेदन देने का अधिकार ही नहीं है। यह प्रतिवेदन किसी विश्वसनीय सर्वेक्षण पर आधारित नहीं है। वास्तव में यह एक फर्जी प्रतिवेदन है, जिसका मनमाना उपयोग राज्य सरकार द्वारा मनचाहे आवेदनों को अनुशंसित करने के लिए किया जाता है।

इसके अतिरिक्त झारखंड में बड़े पैमाने पर छद्म खनन हो रहा है, राज्य में संप्रति 42 खनन पट्टे कार्यरत हैं। इन खनन पट्टों में सर्वश्री स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल) के खनन पट्टा को छोड़कर शायद ही कोई पट्टाधारी कंपनी खनन, प्रेषण, बिक्री एवं परिवहन का कार्य स्वयं कर रही है! इन सारे खनन पट्टों पर पूर्ण नियंत्रण लौह अयस्क के व्यापार एवं निर्यात में लगी वैसी कंपनियों का है, जो छद्म खनन का कार्य कर रही हैं तथा जिससे संपूर्ण सारंडा आरक्षित वन क्षेत्र का पर्यावरण असंतुलित हो गया है। इन कंपनियों के लिए खनिज का संरक्षण एवं विकास, मूल्य-संवर्धन, राज्य के औद्योगिक विकास एवं पर्यावरण संतुलन का कोई महत्त्व नहीं है। इनका एकमात्र उद्देश्य खनिज समानुदान नियमावली 1960 के नियम 37 के प्रावधानों की अवहेलना कर अधिक-से-अधिक लौह अयस्क का अवैध एवं गैर-कानूनी खनन करना और व्यवसाय करना है। इस तरह की अनियमितता का शायद ही कोई दूसरा उदाहरण अन्यत्र उपलब्ध हो! विगत वर्षों में खनन पदाधिकारियों और लौह अयस्क के छद्म खनन और निर्यात में लगी हुए कंपनियों के बीच हुई लेन-देन और इनके बैंक खाते में हुए वित्तीय हस्तांतरण की जाँच करने पर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी।

अनुरोध है कि ऊपर वर्णित तथ्यों के आलोक में आप उच्च स्तरीय जाँच कराएँगे, ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। चूँकि यह मामला राज्य सरकार के साथ ही केंद्र सरकार के खनन विभाग से भी संबंधित है, इसलिए इसकी जाँच सी.बी.आई. से कराना श्रेयस्कर होगा।

□

* भारत के प्रधान मंत्री को भेजा गया पत्र, 17 मई, 2008

घोटाले का अंतरराष्ट्रीय आयाम*

झारखंड में लौह अयस्क खदानों की लीज के लिए राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजी गई अनुशंसाओं में अनियमितता और पक्षपात के अनेक उदाहरण मैंने पूर्व में सार्वजनिक किया है। इस प्रक्रिया में भारी मात्रा में अवैध धन का लेन-देन नकद और चेक द्वारा कई कंपनियों के बीच हुआ है। भारत में और विदेश में धन स्थानांतरित करने के लिए हवाला चैनल का इस्तेमाल किया गया है। पर्याप्त सावधानी बरती गई है कि आयकर विभाग और अन्य विभागों की खुफिया एजेंसियों की आँखों में धूल झोंकी जा सके। इसके लिए चार से पाँच स्तरों पर विभिन्न कंपनियों का इस्तेमाल किया गया है। इन कंपनियों पर घुमा-फिराकर निदेशकों का एक खास समूह काबिज है।

मैं माँग करता हूँ कि वर्ष 2006 से अब तक लौह अयस्क खदानों की लीज के लिए जितनी अनुशंसाएँ झारखंड सरकार ने भारत सरकार को भेजी हैं, उन्हें या तो वापस किया जाए या रद्द किया जाए। साथ ही ए.पी.डी.आर.पी. एवं राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की विफलता की जाँच भी कराई जाए।

खदानों की लीज की अनुशंसा करने और लीज स्वीकृत करने के एवज में प्राप्त अवैध धन का उपयोग जमशेदपुर, दिल्ली, मुंबई, पोर्टब्लेयर सहित अन्य कई शहरों में अचल संपत्ति खरीदने तथा दुबई, थाईलैंड, इंडोनेशिया, सिंगापुर, लाइबेरिया सहित अन्य देशों में उद्योग खोलने, उद्योगों में निवेश करने, खान खरीदने और अचल संपत्तियों में निवेश करने के प्रमाण उपलब्ध हो रहे हैं। मुख्यमंत्री निवास और कार्यालय ऐसे षड्यंत्रों का मुख्य केंद्र रहे हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री सचिवालय के कतिपय निजी सचिवों, मुख्यमंत्री के कतिपय अंतरंग मित्रों और खदान लीज पाने के लोभी कतिपय उद्योगपतियों की मुख्य भूमिका षड्यंत्र का ताना-बाना बुनने और उसे अंजाम देने में रही है।

मुंबई के साइबर क्राइम ब्रॉच में हाल ही में एक मुकदमा दायर हुआ है, जिसमें अवैध लेन-देन के कारोबार में मुख्य भूमिका निभानेवाले एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि कुछ लोगों ने उसके 'इ-मेल एकाउंट' में सेंधमारी कर कई महत्त्वपूर्ण सनसनीखेज सूचनाएँ उड़ा ली हैं, जिसमें से कुछ सूचनाएँ राँची के कतिपय समाचार-पत्रों में प्रकाशित भी हुई हैं। इसे अपनी निजता और निजी गोपनीयता में हस्तक्षेप करार देते हुए उन्होंने दोषियों पर काररवाई करने की माँग की है।

इस 'इ-मेल एकाउंट' से ली गई सूचनाओं के अनुसार जिन लोगों को हवाला के माध्यम से नकद पैसे पहुँचाए गए हैं, उनमें केंद्र सरकार के एक दबंग मंत्री, जो मधु कोड़ा सरकार को समर्थन देने वाले एक घटक दल के सर्वेसर्वा हैं, के नाम का उल्लेख है। महाराष्ट्र सरकार के एक पूर्व मंत्री और एक संवेदनशील राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री के पुत्र की व्यावसायिक कंपनी का नाम भी है।

इसमें अंकित सूचनाओं के अनुसार झारखंड में हाल ही में हुए खरीद-फरोख्त के निम्नांकित चार सौदे शक के घेरे में हैं, इनकी जाँच होनी चाहिए—

1. बिष्टुपुर, जमशेदपुर में तार कंपनी की एक जमीन शारदा कंसलटेंट्स की ओर से किसी आशीष कुमार घोष ने खरीदा है। बर्मेको इंडस्ट्रीज प्रा.लि., डी/73/1 टी.टी.सी. इंडस्ट्रीयल एरिया, एम.आई.बी.सी. रोड, नवी मुंबई, महाराष्ट्र ने चेक संख्या—899720 द्वारा 5 करोड़ रुपए शारदा कंसलटेंट्स के एकाउंट में स्थानांतरित किए हैं। यह स्थानांतरण हेमंत सरवटे और मुकुल परमार नामक व्यक्तियों के निर्देश पर किया गया है। हेमंत सरवटे 'कोर स्टील ऐंड पॉवर लिमिटेड', अंधेरी वेस्ट, मुंबई के लिए काम करते हैं। यह कंपनी झारखंड सरकार द्वारा दी गई लौह अयस्क खदान की लीज स्वीकृति वाली सूची में शामिल है।
2. शिवरामा स्पांज (चौका, जिला सरायकेला-खरसाँवा) का नाम बदलकर 'एम्मार एलवायज' हो गया है। यह कंपनी किसी संजय पलसानिया से 2006 के बाद खरीदी गई है। इसका पेडअप कैपिटल 14.50 करोड़ रुपए है। इसमें किया गया निवेश संदेह के घेरे में है। 22 अगस्त, 2007 तक इसमें 7,24,38,000 रुपए का निवेश कोलकाता में पंजीकृत 21 कंपनियों और जमशेदपुर के 20 व्यक्तियों द्वारा खरीदे गए शेयर के आधार पर दिखाया गया है।
3. समृद्धि स्पांज, सरायकेला-खरसाँवा, जिसे किसी गर्ग साहब से एक वर्ष के भीतर खरीदा गया है, में किया गया निवेश शक के दायर में है। इसमें श्री तरुण पाल और दो अन्य, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी हैं, निदेशक के रूप में हैं। इसमें हुए निवेश के स्रोत की जाँच आवश्यक है।
4. रामगढ़ के समीप 'इंडो-असाई' ग्लास फैक्ट्री की सौदेबाजी औने-पौने दाम पर हुई है। इस कंपनी पर राज्य सरकार और मजदूरों के बकाया को रफा-दफा कर दिया गया है। बिना राज्य सरकार के सक्रिय सहयोग के यह संभव

नहीं है। इसमें भी निदेशक के रूप में उसी मंडली के कर्ता-धर्ता शामिल हैं, जिनका नाम एम्मार एलवायज तथा एस.एस.आर. स्पांज में है।

5. कतिपय कंपनियों और उनसे जुड़े व्यक्तियों का उल्लेख ई-मेल से प्राप्त कागजातों में है। देश-विदेश के बैंकों और हवाला कारोबार से धन का हस्तांतरण करने वाले गिरोह की संलिप्तता इसमें स्पष्ट हो रही है। इनकी जाँच होने पर सत्ताशीर्ष पर बैठे लोगों की साँठ-गाँठ से हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का पर्दाफाश संभव है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है—

(क) बिहार-झारखंड के रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के यहाँ एक ही दिन निम्नांकित कंपनियों के रजिस्ट्रेशन के लिए आवेदन डाले गए और रजिस्ट्रेशन हुआ। ये कंपनियाँ हैं— (1) एम्मार एलवायज प्रा.लि., (2) एम्मार इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., (3) एम्मार मार्केटिंग प्रा.लि., (5) एम्मार टेक्नो प्रोजेक्ट्स प्रा.लि., (6) एम्मार टूरिज्म प्रा.लि., (7) एम्मार वेंचर्स प्रा.लि. और (8) एम्मार ट्रांसपोर्टेशन प्रा.लि.। इन सभी कंपनियों का पता और इनके निदेशक एक ही हैं। इनका पता तिवारी बेचर बिल्डिंग, मेन रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर है और इन सभी में निदेशक विजय जोशी और विकास सिन्हा हैं। इनमें से एम्मार एलवायज का पेडअप कैपिटल सर्वाधिक 15 करोड़ रुपए है। इतनी कंपनियाँ एक साथ पंजीकृत कराने और ऊपर लिखित चार संदेहास्पद खरीददारी वाली कंपनियों के निदेशकों का इन सभी कंपनियों में भी निदेशक होने का एकमात्र कारण इनकी बेलगाम महत्त्वाकांक्षा और अवैध रूप से स्थानांतरित धन को सफेद करने के अलावा और क्या हो सकता है?

(ख) इसके साथ ही कतिपय अन्य कंपनियों और इन कंपनियों में निदेशक के रूप में शामिल कतिपय व्यक्तियों का उल्लेख नीचे किया जा रहा है। लेन-देन के मामले में इन कंपनियों और व्यक्तियों के परस्पर संबंध हैं। ये कंपनियाँ हैं— (1) कोर स्टील ऐंड पॉवर लि., मुंबई (2) बर्मेको इंडस्ट्रीज प्रा.लि., नवी, मुंबई, (3) बालाजी लाइफ स्टाइल रियलटर्स प्रा.लि., मुंबई (4) केम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग, एल.एल.सी., पो. बॉक्स—17788, जेबेल अली फ्री जोन, दुबई, (5) ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट एफ.जे.ड.सी.ओ., पो. बॉक्स—55427, दुबई, (6) सिवांस स्टील प्रा.लि., कोलकाता, (7) बैस मैनेजमेंट्स सोल्यूशंस प्रा.लि., करोलबाग, दिल्ली, (8) राँची मेटल ऐंड इस्पात प्रा.लि., दिल्ली, (9) लक्ष इंफ्रास्ट्क्चर (इंडिया), नासिक, (10) सिंह इंपीरियल कंपनी लि., बैंकाक (11) रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनी लि. बैंकाक, (12) सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया प्रा.लि., मुंबई (13) आई.ए.जी. कंपनी लि., कोलकाता (14) क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज लि., कोलकाता (15) क्वांटम पॉवर टेक प्रा.लि., दिल्ली (16) ग्लोबल एब्सोल्यूट रिसर्च, दिल्ली, (17) बालाजी कृपा आयरन ऐंड स्टील, जयपुर, (18) बालाजी कृपा बिल्डकॉन प्रा.लि., गिरिडीह (झारखंड)।

कतिपय व्यक्तियों सर्वश्री अनिल वस्तावडे, हेमंत सरवटे, मुकुल परमार, मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास, ललित जैन, अनिल सिंह, विनोद कुमार, विकास सिन्हा, विजय जोशी, संजय चौधरी, राकेश प्रसाद के नाम इनमें से अधिकांश कंपनियों में (घुमा-फिराकर किसी-न-किसी कंपनी में) निदेशक के रूप में हैं।

(ग) निम्नांकित बिंदु इस संबंध में विचारणीय हैं—

1. तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के निजी सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव ने पत्र संख्या-7301832/मु.म. सचिवालय, राँची, दिनांक 2 अप्रैल, 2007 द्वारा अनिल वस्तावडे, सी.ई.ओ, शमल कैमटेक इनकॉरपोरेट को सूचित किया है कि झारखंड सरकार उन्हें डेवलपमेंट कंसलटेंसी सर्विसेज के रूप में नियुक्त करना चाहती है।
2. अनिल वस्तावडे अल शमल एल.एल.सी. और ग्लोबल एबसोल्यूट रिसर्च (जी.ए.आर.) प्रा.लि. के भी निदेशक है। जी.ए.आर. ने इस्पात इंडस्ट्रीज, जिसे मधु कोड़ा सरकार ने 900 हेक्टेयर का खनन पट्टा अनियमित तरीके से स्वीकृत किया है, के साथ एक एग्रीमेंट किया है, जिसके मुताबिक पूर्वी भारत में 100 मीलियन टन का खनन कार्य वह इस्पात इंडस्ट्रीज की ओर से करेगा। इसके लिए नॉन-रिफंडेबल 25 लाख रुपए हस्ताक्षर निधि के रूप में दिए गए हैं।
3. अनिल वस्तावडे दुबई स्थित 'लेक्स डिमा विला संख्या 16' के मालिक हैं, जिसे 30 लाख रुपए किराए पर एक साल के लिए श्री विनोद कुमार ने लिया है। इसके लिए अरविंद व्यास द्वारा टेक्नो प्रोजेक्ट, दुबई को 2 जुलाई, 2008 को 6.18 करोड़ दिरहम दिया गया है। 14 अप्रैल, 2008 को मनोज पुनमिया ऐंड एसोसिएट्स ने 2.30 करोड़ दिरहम दिया है। एक दिरहम का मूल्य करीब 11.90 रुपए है।
4. जमशेदपुर, बिष्टुपुर में तार कंपनी की जमीन खरीदने के लिए बालाजी यूनिवर्सल ऐंड रियलटर्स ने 4 जनवरी, 2008 को 40 लाख रुपए, 2 फरवरी, 2008 को 40 लाख रुपए, 12 मार्च, 2008 को 50 लाख रुपए, 5 मई, 2008 को 25 लाख रुपए शारदा कंसलटेंट्स को दिया है।
5. थाईलैंड में एक खदान की खरीद के लिए सूर्यम जेम्स ज्वेलरी एल.एल.सी.,

पो. बॉक्स-118936, दुबई द्वारा स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक से 'जा एरियन्टो' नाम की कंपनी के खाता में 10 लाख अमरीकी डॉलर स्थानांतरित किया है।

6. आर.सी. शर्मा, जो एक इस्पात कंपनी के साथ जनसंपर्क अधिकारी के रूप में जुड़े हैं, द्वारा 13 जून, 2007 को 1 करोड़ रुपए, 18 जून, 2007 को 1.5 करोड़ रुपए, 25 जून, 2007 को 3.5 करोड़ और 9 जुलाई, 2007 को 2.15 करोड़ रुपए का भुगतान करने और किसी निर्मल जैन द्वारा 22 जून, 2007 को 1 करोड़ रुपए का भुगतान करने की बात ई-मेल एकाउंट में कही गई है। यह भुगतान ऊपर लिखित कंपनियों और व्यक्तियों को किया गया है।
7. राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के अंतर्गत काम करनेवाली दो निजी कंपनियों आई.वी.आर.सी.एल. और एन.सी.सी.एल. से 7 जून, 2007 से 24 दिसंबर, 2007 के बीच 17 किस्तों में करीब 12 करोड़ रुपए का भुगतान हवाला के माध्यम से लेने की बात भी इस ई-मेल एकाउंट में है।
8. मनोज पुनमिया ऐंड एसोसिएट्स को हेमंत लोखंडेवाला नामक व्यक्ति द्वारा 6 जुलाई, 2007 से 30 दिसंबर, 2007 के बीच 32.15 करोड़ रुपए का (जिसमें 12 करोड़ रुपए चेक से और शेष का नकद) भुगतान करने का जिक्र इस ई-मेल में है। इसमें से किसी लक्की प्रोजेक्ट में 21 करोड़ रुपए, केमटेक इंडस्ट्रीज ने 0.09 करोड़ रुपए, शिपिंग कंपनी एकाउंट में 8.72 करोड़ रुपए का निवेश करने और किसी मनोहर पाल को 4.8 करोड़ रुपए दिए जाने का जिक्र भी इसमें है।
9. 12 करोड़ रुपए शेयर में, 10 करोड़ रुपए सोने की खरीद में, 5 करोड़ रुपए टाटा नगर (जमशेदपुर) के काम में, 5 करोड़ रुपए हीरे-जवाहरात की खरीद में, 68 लाख रुपए बांद्रा (मुंबई) के फ्लैट के लिए, 5 लाख रुपए 'पराडो' कार खरीदने के लिए और 50 लाख रुपए किसी कृपाशंकर के नाम देना इस ई-मेल में दर्ज है।

ये सभी सूचनाएँ ई-मेल विवरणी पर आधारित हैं। ई-मेल से प्राप्त इस सूचना की गहन छानबीन जरूरी है। कारण कि कई कंपनियों और उनके निदेशक के रूप में कतिपय व्यक्तियों के नाम इसमें है। ये कंपनियाँ भारत और भारत के बाहर भी पंजीकृत हैं। झारखंड में लौह अयस्क खदान की लीज लेनेवालों में से भी कुछ नाम इसमें शामिल हैं। इसलिए इस ई-मेल को गंभीरता से लिया जाना चाहिए।

मुंबई साइबर क्राइम ब्रांच में दाखिल मुकदमा केवल किसी ई-मेल एकाउंट और उस एकाउंट के स्वामी की निजी जिंदगी में घुसपैठ तक ही सीमित नहीं रहना चाहिए।

भारत सरकार के संबंधित समस्त विभागों के खुफिया एवं अनुसंधान तंत्रों को एकजुट होकर इस मामले की जाँच करनी चाहिए। यह मामला झारखंड की खनिज संपदा को हासिल करने और यहाँ की राज्य सरकार के शीर्ष पद पर बैठे व्यक्ति और उनके नजदीकियों की कारगुजारियों से संबंधित है। राज्य सरकार की कार्य-संस्कृति पर इससे सवाल खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं इसकी उच्चस्तरीय जाँच की माँग करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जिन व्यक्तियों और कंपनियों के नाम इस संदर्भ में आए हैं, उन्हें भी अपनी साख बचाने के लिए मेरी इस माँग का समर्थन करना चाहिए।

इसके अतिरिक्त झारखंड सरकार के मंत्रियों द्वारा आमदनी के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति की जाँच करने के लिए एक मुकदमा राँची उच्च न्यायालय में दायर हुआ है। आवेदक ने राज्य सरकार के कई मंत्रियों द्वारा अवैध संपत्ति अर्जित करने का प्रमाण दिया है। मैं मुख्यमंत्री से माँग करता हूँ कि वे इसकी जाँच कराने पर सहमत हो जाएँ।

□

* संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य, 20 अक्तूबर, 2008 राँची

काले धन की वापसी हवाला से*

लौह अयस्क खदानों के अवैध आवंटन से अर्जित काले धन को सफेद करने का एक संगीन मामला प्रकाश में आया है। यह मामला चाईबासा में 'इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स कंपनी' द्वारा ट्रैक्टर खरीदने के लिए फर्जी कागजात जमाकर बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा से ऋण लेने, ऋण का एन.पी.ए. (अलाभकर संपत्ति) हो जाने पर एन.पी.ए. का समंजन मुंबई की एक लीजिंग ऐंड फाइनेंसिंग कंपनी द्वारा करने के बारे में है।

वर्ष 2006 में बैंक ऑफ बड़ौदा ने चाईबासा के विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा, मनोज सिन्हा और सुनील सिन्हा के विरुद्ध केस नं. 255/2006 राँची उच्च न्यायालय में दाखिल किया कि इन्होंने किसानों के नाम पर बैंक द्वारा दिए गए ऋण का गबन कर लिया है। बैंक ने न्यायालय से अनुरोध किया कि चाईबासा के किसानों की फर्जी सूची एवं जाली दस्तावेजों के आधार पर सोनालिका ट्रैक्टर्स खरीदने के लिए ऋण लेकर इन्होंने गबन किया है। इसलिए इनके विरुद्ध सी.बी.आई. जाँच कराने का निर्देश दिया जाए।

वास्तव में इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स प्रा.लि. के इन मालिकों द्वारा किसानों के नाम पर लिए गए ऋण के मूलधन की किस्त और वार्षिक ब्याज की राशि बैंक में जमा नहीं हुई। फलत: ऋण एन.पी.ए. (अलाभकर परिसंपत्ति) हो गया। बैंक ने सूची में अंकित किसानों को डिफाल्टर घोषित कर दिया। पूरे मामले की सी.बी.आई. जाँच कराने के लिए बैंक द्वारा दायर मुकदमा झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में चल रहा है। यह कंपनी पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के जिगरी दोस्त एवं सहयोगी विनोद सिन्हा की है।

जब उच्च न्यायालय में सुनवाई आरंभ हुई और लगा कि सी.बी.आई. जाँच होने पर परेशानी होगी तो इन जालसाजों को इससे छुटकारा दिलाने के लिए ललित जैन और अरविंद व्यास नामक दो हवाला कारोबारी आगे आए। बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा से फर्जी किसानों को सोनालिका ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर गबन किए गए करीब 5 करोड़ रुपए की कर्ज राशि को लौह अयस्क खदानों के आवंटन से अर्जित काले धन से चुकाने की शातिर प्रक्रिया आरंभ हो गई। इसके लिए इस काले धन को हवाला के माध्यम से बाहर ले जाने में लगे अरविंद व्यास और ललित जैन द्वारा 7 मार्च, 2008 को मुंबई की 'अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि.' नामक कंपनी का शेयर खरीदकर उस पर कब्जा किया गया। इस कंपनी का आइडेंटिफिकेशन नं. (सी.आई.एन.) यू. 65990 एम.एच. 1994 पी.सी.सी. 080983 और रजिस्ट्रेशन नंबर बी. 13,01461 है। यह कंपनी मुंबई में 17.1.2001 को पंजीकृत हुई है। इसके तत्कालीन मालिकों 'तुलसीराम लाटा और विमला देवी लाटा' से करीब 95 लाख 92 हजार रुपए का शेयर अरविंद व्यास और ललित जैन ने खरीद लिया।

उल्लेखनीय है कि अरविंद व्यास और ललित जैन वही व्यक्ति हैं जो विनोद सिन्हा, संजय चौधरी ऐंड कंपनी द्वारा पंजीकृत कराई गई अलग-अलग कंपनियों में निदेशक हैं। इन कंपनियों में अलग-अलग समय में भारी राशि दुबई, बैंकॉक, सिंगापुर एवं अन्य जगहों से स्थानांतरित होती रही है। इसका पर्दाफाश मैंने 'ई-मेल' से प्राप्त कागजातों के आधार पर 20 अक्तूबर, 2008 को राँची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर किया था। इसका खंडन आज तक नहीं हुआ है।

हवाला कारोबारी अरविंद व्यास और ललित जैन द्वारा 7 मार्च, 2008 को खरीदी गई कंपनी 'अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि.' ने 5 अप्रैल, 2008 और 10 अप्रैल, 2008 को क्रमश: पत्र संख्या ए.एल./बी.ओ.बी./02-2008 और पत्र संख्या ए.एल./बी.ओ.बी./03-2008 बैंक ऑफ बड़ौदा को लिखा। ये पत्र बैंक ऑफ बड़ौदा के झारखंड-बिहार-उड़ीसा अंचल के उपप्रबंधक श्री एस.एल. सिंघल को लिखे गए, जिनका कार्यालय 'आनंद विहार', चतुर्थ तल, पश्चिमी बोरिंग कनाल रोड, पटना में है। इन पत्रों द्वारा प्रस्ताव दिया गया कि इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स प्रा.लि., चाईबासा द्वारा बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा से लिए गए ऋण को, जो संप्रति ब्याज और मूलधन मिलाकर करीब 5 करोड़ रुपए है और जिसे बैंक द्वारा एन.पी.ए. (अलाभकर परिसंपत्ति) घोषित कर दिया गया है, हम अपने ऊपर ले लेना चाहते हैं और डिफाल्टर किसानों के खाता में उनके ऊपर चढ़ाई गई मूलधन और ब्याज की राशि को चुका देना चाहते हैं।

इसका संक्षिप्त जवाब श्री सिंघल ने दिनांक 12 अप्रैल, 2008 को अपने पत्र संख्या बी.जे.ओ. जेड/आर.ई.सी.वाई./17/92 द्वारा अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि. को दिया। पत्र अंग्रेजी में है। पत्र में लिखा है कि "Since your request is under process, we shall revert over the same in due course". इसके बाद 'अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी' को अनुमति मिली और इसने जून 2008 में बैंक को 5 करोड़ रुपए चुका दिया। यह जानकारी झारखंड उच्च न्यायालय, राँची को दे दी गई।

अब बैंक द्वारा इसे उन किसानों के खाते में डाल दिया गया, जिनका नाम सोनालिका ट्रैक्टर खरीदने के लिए इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स कंपनी द्वारा बैंक को दी गई फर्जी सूची में शामिल था। यह सूची बैंक द्वारा कराई गई जाँच में फर्जी साबित हो गई थी।

फर्जी किसानों के नाम ट्रैक्टर खरीदने के लिए बैंक से ऋण लेकर उनका गबन कर जाने वाले मै. इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स, चाईबासा के ऊपर चढ़े ऋण भार (एन.पी.ए.) को चुकाने के लिए 'अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी' के आगे आने पर बैंक द्वारा अनुमति दे दिया जाना अचंभित करने वाला है। यह अपने आप में एक घोटाला है। यह फर्जी ऋण को लौह अयस्क घोटाला से हासिल काले धन से चुकाने की साजिश है। यह न्यायालय की आँखों में धूल झोंकने का प्रयास है और न्यायिक निर्णय को प्रभावित करने की साजिश है। इसमें बैंक की मिलीभगत से इनकार नहीं किया जा सकता।

7 मार्च, 2008 को खरीदे जाने के कुछ समय पहले दिसंबर 2007 तक 'अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी' का बैंक बैलेंस मात्र 78 हजार 95 रुपए 25 पैसे था। सवाल उठता है कि खरीदे जाने के एक माह के भीतर यह कंपनी 5 करोड़ रुपए का ऋण भार अपने ऊपर लेकर उसे चुकाने की स्थिति में कैसे आ गई और क्यों आ गई? इसके लिए नकद पैसा किस एकाउंट से आया? इसकी छानबीन जरूरी है। अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि. का बैंक खाता कॉरपोरेशन बैंक, कालबा देवी, मुंबई में है। इसका निदेशक बनते समय ललित जैन और अरविंद व्यास ने 95 लाख 92 हजार रुपए के शेयर खरीदे हैं। यह पैसा कहाँ से आया? इसकी जाँच होनी चाहिए। इस बारे में निम्नांकित बिंदुओं पर गौर किया जाना आवश्यक प्रतीत होता है—

1. आखिर मालिकाना बदलने के तुरंत बाद मुंबई की अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी, चाईबासा (झारखंड) के श्री विनोद सिन्हा की इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स प्रा.लि. द्वारा लिए गए फर्जी ऋण को चुकाने के लिए क्यों तैयार हो गई?
2. किसके दबाव में बैंक ऑफ बड़ौदा तैयार हो गया कि डिफाल्टर घोषित फर्जी किसानों के व्यक्तिगत खाते में अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस का पैसा जमा कराया जाए? वह भी तब, जब बैंक ने इस मामले की सी.बी.आई. जाँच कराने के लिए राँची उच्च न्यायालय में मुकदमा दायर किया है, जिसकी सुनवाई अंतिम चरण में है।
3. जिन तथाकथित किसानों के एन.पी.ए. खाता में अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि. का पैसा गया, उनके साथ इस कंपनी का क्या रिश्ता है?
4. क्या यह न्यायालय के निर्णय को प्रभावित करने की साजिश नहीं है? इस साजिश में शामिल होने के लिए बैंक पर किसका दबाव है?

5. इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स प्रा.लि. के मालिकों के साथ इस कंपनी के मालिकों का क्या संबंध है? किस स्वार्थवश और किन संबंधों के आधार पर 'अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि.' ने 2008 के आरंभ में करीब 5 करोड़ रुपए का इनका घाटा अपने ऊपर लिया है?
6. लौह अयस्क घोटाले से जुड़ी ऐसी दर्जन भर कंपनियाँ हैं, जिनमें फंड की व्यवस्था रियल टाइम ग्रौस सेटलमेंट (आर.टी.जी.एस.) के माध्यम से होती रही हैं। इनके निदेशकों में सर्वश्री ललित जैन, अरविंद व्यास, मनोज पुनमिया आदि शामिल हैं। क्या यह स्रोत हवाला का है, जिसके माध्यम से झारखंड में लौह अयस्क खदान आवंटन की अवैध लूट का पैसा वापस आ-जा रहा है?

हमारी माँग है कि इस मामले की जाँच सी.बी.आई से कराई जाए, ताकि हवाला के माध्यम से देश-विदेश में गए धन के निवेश की असलियत उजागर हो सके। इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स, चाईबासा तथा अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस, मुंबई के बीच के संबंधों की भी छानबीन होनी चाहिए।

□

* संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य, 13 नवंबर, 2008 जमशेदपुर

घाटकुरी का व्यापार*

घाटकुरी झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिला के दक्षिणी-पश्चिमी भाग पर अवस्थित एक आरक्षित वन क्षेत्र है। प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण यह भाग घने साल वृक्षों के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। भौगोलिक दृष्टिकोण से यह क्षेत्र $85^{0}15'$, $85^{0}25'$ E, अक्षांश एवं $25^{0}10'$, $22^{0}20'$ देशांतर तक फैला है। इस क्षेत्र की समुद्र तल से अधिकतम ऊँचाई 787 मी. एवं न्यूनतम ऊँचाई 300 मी. है। यह क्षेत्र दक्षिणी-पूर्व रेलवे के गुआ रेल स्टेशन के नजदीक है। बड़ा जामदा से सड़क मार्ग द्वारा सुलभ तरीके से जाया जा सकता है।

गत् पाँच वर्षों से यह क्षेत्र झारखंड में काफी चर्चा में रहा है। इस क्षेत्र का चर्चा में रहने का मुख्य कारण क्षेत्र के गर्भ में आच्छादित लौह अयस्क का विशाल भंडार है। लगभग 120 वर्ग कि.मी. क्षेत्र में फैला यह भाग उच्च गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के हेमेटाइट खनिज से भरा पड़ा है। झारखंड राज्य में लौह अयस्क के लूट के दौरान यह स्थानीय एवं राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में मुख पृष्ठ पर कई बार अपनी जगह बनाने में सफल रहा है।

पूर्ववर्ती बिहार राज्य द्वारा इस क्षेत्र को विशाल लौह अयस्क के भंडार को मद्देनजर रखते हुए सरकारी उपक्रमों के उपभोग हेतु 60 के दशक में ही आरक्षित कर दिया गया था। वैज्ञानिकों का मानना है कि प्राकृतिक संसाधनों से परिपूर्ण इस क्षेत्र के लौह अयस्क के आधार पर 10-12 मिलियन प्रतिवर्ष टन उत्पादन की क्षमतावाले नए इस्पात उद्योग की स्थापना की जा सकती है और उस क्षेत्र का आर्थिक-सामाजिक स्थिति बदली जा सकती है।

झारखंड सरकार सार्वजनिक क्षेत्र के लिए आरक्षित घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र को निजी कंपनियों के हाथ बेचने पर उतारू है। इस साजिश में राज्य के मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव और खान सचिव शामिल हैं। सरकारी संपत्ति का बंदर-बाँट करने की साजिश में इन्होंने उच्चतम न्यायालय से महत्त्वपूर्ण जानकारी छुपाया है। इस साजिश का केंद्रबिंदु

भी वही माफिया समूह है जो श्री मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल में चुनिंदा निजी उद्योगपतियों के पक्ष में राज्य के बहुमूल्य खनन क्षेत्रों में खनन पट्टा दिलाने की अनुशंसा करा चुका है। इस बारे में निम्नांकित बिंदु विचारणीय हैं—

1. पश्चिमी सिंहभूम जिला के घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र का विस्तार 6400 हेक्टेयर में है। इसमें से 3300 हेक्टेयर क्षेत्र को सघन लौह अयस्क क्षेत्र माना जाता है। जिसकी लंबाई 11 किलोमीटर और चौड़ाई 3 किलोमीटर है।इस क्षेत्र को 1962 में बिहार सरकार के गजट अधिसूचना संख्या A/MM-40510/62-6209 M दिनांक 21 दिसंबर, 1962 और पुन: गजट अधिसूचना संख्या B/M-61019/68-1564 M दिनांक 28 फरवरी, 1969 द्वारा सरकारी उपक्रमों के लिए सुरक्षित किया गया है। पुन: झारखंड सरकार ने एक गजट अधिसूचना संख्या 3277 दिनांक 27.10.2006 प्रकाशित किया और सर्वसाधारण को सूचित किया कि घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र को निजी उद्योगपतियों के लिए नहीं खोला जाएगा और इसे सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित रखा जाएगा।
2. कतिपय निहित स्वार्थी अधिकारियों ने राज्य सरकार को अँधेरे में रखकर इस क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए 9 उद्योगपतियों के आवेदनों की अनुशंसा 2004 में भारत सरकार को कर दी। जैसे ही राज्य सरकार वस्तुस्थिति से अवगत हुई, 2005 में ही केंद्र सरकार से इन अनुशंसाओं को वापस ले लिया और इस क्षेत्र को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित रखने की प्रक्रिया आरंभ कर दी। श्री मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में लटुआ, कोदलीबाद, करमपदा आदि लौह अयस्क क्षेत्रों में कई निजी उद्योगपतियों को अनियमित रूप से खनन पट्टों की बंदर-बाँट की गई। मगर उस समय भी घाटकुरी क्षेत्र को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित श्रेणी से हटाने की हिम्मत सरकार की नहीं हुई।
3 2005-06 में राज्य सरकार द्वारा घाटकुरी क्षेत्र पर की गई खनन पट्टा की 9 अनुशंसाओं को वापस मँगा लेने के बाद इनमें से 6 उद्योगपतियों ने सरकार के इस निर्णय के विरोध में राँची उच्च न्यायालय में याचिका दायर की। सरकार अपने निर्णय पर कायम रही और इस क्षेत्र को सरकारी उपक्रमों के लिए आरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल किया। नतीजतन झारखंड उच्च न्यायालय ने 4 अप्रैल, 2007 को उद्योगपतियों की याचिका संख्या 4151/2006 को खारिज कर दिया। उच्च न्यायालय के इस निर्णय के विरुद्ध उद्योगपतियों ने उच्चतम न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और अलग-अलग 6 याचिकाएँ दाखिल कीं। अगस्त 2008 में उच्चतम न्यायालय ने एक

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 98-99 02-Jul-12, 7:25 PM

अंतरिम आदेश दिया कि ''प्रत्येक आवेदक उद्योगपति अपनी स्थापित अथवा प्रस्तावित परियोजनाओं के लिए आवश्यक न्यूनतम क्षेत्र के संबंध में दो सप्ताह के भीतर शपथ-पत्र दायर करे। शपथ-पत्र दायर होने के बाद भारत सरकार, राज्य सरकार और वादी बैठकर इस मुद्दा के समाधान की संभावनाएँ तलाशें।''

4. उच्चतम न्यायालय के इस अंतरिम आदेश की आड़ लेकर केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों ने 3 अक्तूबर, 2008 को नई दिल्ली में बैठक की और निर्णय ले लिया कि इन उद्योगपति आवेदकों को इनकी जरूरत का लौह अयस्क क्षेत्र आवंटित कर दिया जाए। इस बैठक में आवेदक उद्योगपतियों ने अपनी जरूरतों को बढ़ा-चढ़ाकर बताया, जोकि झारखंड सरकार के साथ हुए उनके एम.ओ.यू. में दी गई जरूरतों से अधिक है।
5. 3 अक्तूबर, 08 की बैठक के आधार पर झारखंड सरकार ने उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल कर दिया कि वह घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र का पट्टा उद्योगपतियों को देने पर सहमत है। इस शपथ-पत्र के आधार पर माननीय उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि राज्य सरकार 5 सप्ताह के भीतर केंद्र को अनुशंसा भेजे और केंद्र इसकी प्राप्ति के 2 महीने के भीतर राज्य से प्राप्त अनुशंसा पर विचार करे। उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में अपना पक्ष ईमानदारी से नहीं रखा और उद्योगपतियों की साँठ-गाँठ से उच्चतम न्यायालय को गुमराह किया।
6. इसके पूर्व 2005-06 में खान एवं भूतत्त्व विभाग, झारखंड सरकार ने इस क्षेत्र पर ड्रिलिंग कर लौह अयस्क की मात्रा का आकलन करने के लिए निविदा निकाली, जो कि निर्णय के लिए मुख्यमंत्री के समक्ष लंबित है। इसके बाद राज्य सरकार ने 2005-06 में जी.एस.आई. से इस क्षेत्र के लौह अयस्क भंडार का आकलन करने हेतु सर्वेक्षण का अनुरोध किया, ताकि इसका उपयोग सरकारी क्षेत्र के लिए किया जा सके। जी.एस.आई. को इसके लिए भारत सरकार के पर्यावरण एवं वन विभाग ने अभी तक अनुमति नहीं दिया।
7. पुन: 2006-07 में राज्य सरकार ने भारत सरकार के एक उपक्रम एम.ई.सी.एल. को घाटकुरी क्षेत्र का सर्वेक्षण करने के लिए 50 लाख रुपए अग्रिम दिए। परंतु यह प्रयास भी पर्यावरण एवं वन विभाग, भारत सरकार की अनुमति नहीं मिलने के कारण अब तक धरा का धरा रह गया। इसके बाद एम.ई.सी.एल. (मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया) ने भारत सरकार से प्रमोशनल स्कीम के तहत इस क्षेत्र पर कार्य करना चाहा, पर वन विभाग से अभी तक इसकी अनुमति नहीं मिल पाई है। इससे स्पष्ट है कि घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र में अयस्क का कितना भंडार है, इसके बारे में सरकार को जानकारी नहीं है, तो फिर 3 अक्तूबर 2008 को केंद्र सरकार और उद्योगपतियों के साथ बैठकर झारखंड सरकार के प्रतिनिधि ने किस आधार पर उनकी आवश्यकता के लिए तथाकथित न्यूनतम क्षेत्र का आकलन किया और उद्योगपतियों के पक्ष में उच्चतम न्यायालय में शपथ-पत्र दाखिल कर दिया?
8. घाटकुरी क्षेत्र के लौह अयस्क का खनन पट्टा लेने की कोशिश करनेवाले उद्योगपतियों में केवल एक, 'आधुनिक एलवाय' ही ऐसा है जिसका झारखंड में पहले से उद्योग चल रहा है। बाकी किसी ने इस क्षेत्र में न कोई निवेश किया है और न उद्योग लगाने का स्थल चयन ही किया है। इसमें से एक इस्पात इंडस्ट्रीज तो ऐसी है जिसे 6 माह पूर्व अनियमित रूप से लटुआ क्षेत्र में 500 हेक्टेयर लौह अयस्क क्षेत्र आवंटित किया गया है, जबकि इसे कई बैंकों ने डिफाल्टर घोषित किया है और राज्य सरकार को दिए गए आवेदन में इसने लिखा है कि झारखंड का लौह अयस्क यह रायगढ़ (महाराष्ट्र) के अपने प्लांट में ले जाएगा। अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली उत्पादन के लिए पलामू में कोयला खदान आवंटित हुई है। इसका झारखंड में इस्पात उद्योग से कोई सरोकार नहीं है। मगर इसे भी सरकार घाटकुरी में खदान देने पर सहमत हो गई है।
9. खनिज समानुदान नियमावली (Mineral Concession Rules) 1969 की कंडिका 59(2) में मेजर मिनरल के बारे में छूट देने की केंद्र सरकार को प्राप्त विशेष शक्ति का हवाला इस बारे में दिया जा रहा है। सुलभ संदर्भ हेतु यह कंडिका नीचे हू-ब-हू दी जा रही है—

   59 (2) : The central Govt. May, for reasons to be recorded in writing relax the provisions oh sub rule (v) in any special case.

   सरकार यह नहीं बता रही है कि इस मामले में विशेष स्थिति क्या है, जिसे लिखित रूप में दर्ज किया गया है?

   इस बारे में झारखंड का ही एक मामला 'भारत माइनिंग कॉरपोरेशन बनाम मंडल-मुनका-बनर्जी उल्लेखनीय है, जिसमें ट्रिब्यूनल से लेकर उच्चतम न्यायालय तक फैसला हुआ है। इस मामले में भारत सरकार ने इस क्षेत्र पर पहले से 'माइनर मिनरल' का लीज होने के बाद भी इस पर मंडल-मुनका-बनर्जी की विशेष स्थिति का दावा नहीं स्वीकार किया। इसके बाद राज्य सरकार ने इस

मामले में 59 (2) के तहत विशेष स्थिति का लाभ देने के लिए भारत सरकार को लिखा, जिसे भारत सरकार द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

10. 20 दिसंबर, 08 को इन उद्योगपतियों ने अपनी परियोजना क्षमता बढ़ाने के लिए पूर्व में हुए MOU में परिवर्तन करने के लिए उद्योग विभाग में आवेदन डाला है। इससे स्पष्ट है कि पूर्व में निर्धारित क्षमता को बढ़ाकर ये केंद्र और राज्य सरकार की मिलीभगत से अधिकाधिक लौह अयस्क क्षेत्र हड़पना चाहते हैं। इससे यह भी स्पष्ट है कि 3 अक्तूबर, 08 के केंद्र और राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ उद्योगपतियों की बैठक में इस हेतु योजना बनाई गई।
11. सवाल है कि 1962 से 2006 तक इस क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने की गजट अधिसूचना प्रभावी रहने के बावजूद और झारखंड उच्च न्यायालय में इस पक्ष में शपथ-पत्र दाखिल करने के बावजूद राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय में इसके विपरीत शपथ-पत्र किसके दबाव में दाखिल किया? क्या राज्य सरकार ने उच्चतम न्यायालय को बताया कि इस क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने की गजट अधिसूचना आज भी प्रभावी है और इसे निरस्त नहीं किया गया है?
12. जिन उद्योगपतियों ने राज्य में इस्पात क्षेत्र में निवेश नहीं किया है और उद्योग लगाने के लिए स्थल का चयन नहीं किया है, उन्हें लौह अयस्क क्षेत्र खनन पट्टा देने का क्या आधार है? जिन कंपनियों को पहले ही अन्यत्र एक बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र पर खनन पट्टा दे दिया गया है, उन्हें घाटकुरी क्षेत्र में भी घुसने की इजाजत किस आधार पर दी जा रही है?
13. पूर्व में राज्य सरकार के साथ किए गए एम.ओ.यू. में वर्णित क्षमता में परिवर्तन किए बिना 3 अक्तूबर, 2008 की बैठक में कंपनियों का खनिज क्षेत्र के लिए बढ़ा-चढ़ाकर किया गया दावा किस आधार पर सरकार द्वारा मंजूर कर लिया गया? कौन सी ऐसी विशेष स्थिति हो गई कि राज्य सरकार को इसी मामले में राँची उच्च न्यायालय में दाखिल अपने शपथ-पत्र के उलट शपथ-पत्र उच्चतम न्यायालय में दाखिल करने के लिए विवश होना पड़ा? क्या यह सब इसलिए हुआ कि राज्य में एक नए मुख्यमंत्री आ गए हैं और वे कांग्रेस के प्रभाव वाले क्षेत्र से विधान सभा चुनाव लड़ रहे हैं तथा लोकसभा चुनाव के पहले कांग्रेस, राजद और झामुमो इस राज्य के शेष बचे लौह अयस्क खदानों को भी निजी उद्योगपतियों के हाथों गिरवी रख देने के लिए आमादा हैं? आखिर किस शर्त पर?
14. मेरी माँग है कि घाटकुरी लौह अयस्क क्षेत्र को सरकारी क्षेत्र के लिए आरक्षित रखने की 1962, 1969 और 2006 की गजट अधिसूचनाएँ कायम रखी जाएँ। सरकार 2005 में इस क्षेत्र पर खनन पट्टों के लिए निजी उद्योगपतियों के पक्ष में की गई अनुशंसाओं को वापस लेने के लिए संचिका पर अंकित आदेश सार्वजनिक करे।
15. इस क्षेत्र पर सर्वेक्षण के लिए जी.एस.आई. और एम.ई.सी.एल. से किए गए अनुरोध संबंधी संचिका की टिप्पणियाँ उजागर की जाएँ। इस क्षेत्र में ड्रिलिंग कर लौह अयस्क भंडार का आकलन करने के लिए जारी निविदा पर निर्णय नहीं होने के लिए सरकार कारण बताए और जिम्मेदारी सुनिश्चित करे।
16. इस क्षेत्र में लौह अयस्क भंडार का आकलन नहीं होने के बाद भी 3 अक्तूबर, 08 को हुई भारत सरकार, झारखंड सरकार और उद्योगपतियों की बैठक में उनका बढ़ा हुआ दावा स्वीकार करने वाले निर्णय की कार्यवाही सार्वजनिक की जाए। इसी मामले में उच्च न्यायालय में दायर शपथ-पत्र के विपरीत शपथ-पत्र उच्चतम न्यायालय में दायर करने का निर्देश किसने दिया और संचिका में इस आशय की टिप्पणी की शुरुआत किस स्तर से और किस तर्क के साथ हुई, इसका खुलासा किया जाए।
17. निजी स्वार्थ के लिए राज्यहित और जनहित की अनदेखी कर उच्चतम न्यायालय में भ्रामक दलील रखने और तथ्यों को छुपाने के दोषियों पर काररवाई हो।
18. सरकार उच्चतम न्यायालय में दायर पहले का शपथ-पत्र वापस ले और वस्तु-स्थिति पर आधारित ताजा शपथ-पत्र दायर करे।
19. पूर्व की गजट अधिसूचनाओं को निरस्त किए बिना उनके उलट नीतिगत निर्णय लेनेवाले की जिम्मेदारी सुनिश्चित की जाए।
20. चूँकि यह मामला राज्य सरकार एवं भारत सरकार के पदाधिकारियों और निजी उद्योगपतियों के बीच साँठ-गाँठ का है, इसलिए इसकी सी.बी.आई. जाँच कराई जाए।

□

* संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य, 23 दिसंबर, 2008

बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाले की सी.बी.आई. जाँच हेतु

केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को स्मार-पत्र*

विषय : बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा एवं इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर चाईबासा की साँठगाँठ से ट्रैक्टर की आपूर्ति हेतु दिए गए ऋण एवं छूट का गबन करने तथा सी.बी.आई. जाँच से बचने के लिए इसकी वापसी लौह अयस्क घोटाला से कमाई गई अवैध राशि से करने के षड्यंत्र की गहन जाँच के सबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषय के संदर्भ में आवश्यक कारवाई हेतु निम्नांकित तथ्यों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ—

1. वर्ष 2003-2004 में सोनालिका ट्रैक्टर के निर्माताओं ने अपने स्थानीय एजेंट इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर प्रा. लि. के माध्यम से बैंक ऑफ बड़ौदा के चाईबासा शाखा के साथ आदिवासी बहुल पश्चिमी सिंहभूम जिला के किसानों को 87 ट्रैक्टर की आपूर्ति करने हेतु अनुबंध किया और प्रति लाभुक 6000/- रुपए का अनुदान देने का समझौता किया।
2. इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर प्रा. लि. के द्वारा लाभुकों की एक सूची तैयार की गई जिसका सत्यापन झारखंड सरकार पश्चिमी सिंहभूम के जिला के विभिन्न प्रखंड स्तर के कर्मियों द्वारा किया बताया गया, जो बाद में जाली पाया गया।
3. बैंक ऑफ बड़ौदा के चाईबासा शाखा में लाभुकों का खाता खोलकर ऋण राशि का भुगतान दिखाया गया तथा बैंक द्वारा इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर को चेक से राशि का भुगतान कर दिया गया, ताकि वे लाभुक किसानों को सोनालिका ट्रैक्टर की आपूर्ति कर सकें।
4. काफी समय तक जब ऋण के ब्याज तथा मूलधन की किस्तों का भुगतान नहीं हुआ तब बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मियों ने इस मामले की छानबीन शुरू की तथा पाया कि इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर द्वारा लाभुक किसानों की जो सूची उन्हें दी गई थी वह सूची जाली है तथा झारखंड सरकार के प्रखंड स्तर के कर्मियों से कराया गया सत्यापन भी फर्जी है क्योंकि झारखंड सरकार के प्रखंड स्तर के पदाधिकारियों द्वारा इस प्रकार के किसी भी सत्यापन से इनकार किया गया।
5. धोखेबाजी के इस मामले की जानकारी प्राप्त होने पर बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा चाईबासा शाखा को आपूर्तिकर्ता के विरुद्ध एक प्राथमिकी दर्ज करने का निर्देश दिया गया तथा कालांतर में कर्ज की राशि यथा 3.50 करोड़ रुपए को बैंक द्वारा एन.पी.ए. घोषित कर दिया गया।
6. चूँकि इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक झारखंड के सत्ता शिखर पर बैठे तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा के काफी नजदीक थे, इसलिए पुलिस द्वारा बैंक की शिकायत पर कोई कारवाई नहीं की गई। उल्टे ट्रैक्टर आपूर्ति में फर्जीवाड़ा करनेवालों द्वारा बैंक कर्मियों के विरुद्ध बदले में की गई एफ.आई.आर. पर पुलिस बैंक कर्मियों के विरुद्ध कारवाई करने लगी। फलतः बैंक ऑफ बड़ौदा को बाध्य होकर माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में एक रिट याचिका दायर करनी पड़ी।
7. इस रिट याचिका में बैंक ऑफ बड़ौदा ने इस मामले की जाँच सी.बी. आई. से कराने की प्रार्थना न्यायालय से किया तथा इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक द्वारा लाभुक गरीब किसानों की जाली सूची एवं झूठा सत्यापन प्रतिवेदन से प्राप्त लाभुकों को देय ऋण एवं छूट की राशि को हजम करनेवालों के खिलाफ कारवाई करने और बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मियों के विरुद्ध दायर झूठी एफ.आई.आर. रद्द करने की माँग की गई।
8. इस बीच अमितोसा लिजिंग एवं फाइनेंस कंपनी मुंबई द्वारा अचानक लाभुक के खाते में पैसा जमा करने का प्रस्ताव दिया गया और बैंक द्वारा अनुमति मिलने के बाद इस एन.पी.ए. का क्रय कर लिया गया तथा ऋण राशि को जमा कर दिया गया।
9. इसके बाद इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में एक हस्तक्षेप याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया कि अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी द्वारा एन.पी.ए. क्रय कर ऋण राशि जमा कर दी गई है। बैंक ऑफ बड़ौदा भी बकाया राशि मिल जाने के कारण इस रिट को वापस लेना चाहता है।
10. बैंक ने भी न्यायालय को सूचित कर दिया है कि बकाया राशि जमा हो जाने

के कारण बैंक का अब एन.पी.ए. नहीं रह गया है, बकाया राशि लाभुकों के खाते से प्राप्त हो गई है। अत: बैंक कर्मियों तथा इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर कंपनी के मालिक के ऊपर जालसाजी एवं धोखाधड़ी के लिए सी.बी.आई. जाँच कराने का औचित्य नहीं है। वादी द्वारा न्यायालय से बाहर आपसी समझौता करने के प्रस्ताव का बैंक ऑफ बड़ौदा ने न्यायालय में कोई विरोध नहीं किया।

11. न्यायालय से बाहर समझौता करने के बहाने इस मामले की जाँच सी.बी.आई. से रोकने का कार्य किया जा रहा है। चूँकि इस जालसाजी एवं धोखाधड़ी के कृत्य में बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मियों के साथ इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक भी संलिप्त हैं, अत: इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक के द्वारा जनता की राशि की हेरा-फेरी एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के कर्मियों की भूमिका की गहन जाँच आवश्यक प्रतीत होती है।

12. ऐसी स्थिति में मैं आपका ध्यान निम्नांकित बिंदुओं की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ—

(I) क्या किसी तीसरी संस्था द्वारा बैंक के एन. पी.ए. की खरीद कर लेने से इस जालसाजी में बैंक कर्मियों एवं इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक का आपराधिक कारनामा खत्म हो जाता है?

(II) अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी का इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिकों के साथ क्या संबंध है तथा अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी का इस मामले से क्या लेना-देना है?

(III) अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी का उन लाभुकों से क्या लेना-देना है तथा उनकी ऋण राशि को बैंक में जमा करने के पीछे इनका क्या उद्देश्य है?

(IV) क्या एन.पी.ए. के क्रय के पूर्व अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी द्वारा लाभुकों की सूची की सत्यता के बारे में जाँच की गई?

(V) सोनालिका ट्रैक्टर के निर्माता एवं बैंक ऑफ बड़ौदा के बीच प्रति लाभुक 6000 रुपए की छूट देने का समझौता हुआ था। इस छूट राशि का क्या हुआ?

(VI) क्या बैंक ने कंपनी द्वारा चुकाए जाने वाले धन के स्रोत एवं प्रकृति की जाँच की है? जिस कंपनी की आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं थी उसे मार्च 2008 में ललित जैन एवं अरविंद व्यास द्वारा किस उद्देश्य से अधिगृहित किया गया?

(VII) क्या कंपनी का अधिग्रहण केवल इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के ऋण की वापसी के लिए ही किया गया?

(VIII) कंपनी द्वारा किस अधिकार के तहत बैंक ऑफ बड़ौदा के एन.पी.ए. को क्रय करने का प्रस्ताव दिया गया? क्या इसमें भारतीय रिर्जव बैंक के ऐसी परिस्थिति में मार्गदर्शन का ध्यान रखा गया है?

(IX) चूँकि राशि सीधे लाभुकों के खाते में जमा की गई है, तो क्या इसके लिए लाभुकों और कंपनी के बीच कोई समझौता हुआ है?

(X) यह सही है कि बैंक की डुबी हुई ऋण राशि की वापसी हो गई, लेकिन राज्य के साथ जो अपराध हुआ, जिसकी जाँच बैंक ने सी.बी.आई. से कराने हेतु माननीय उच्च न्यायालय, राँची में मुकदमा दायर किया गया था, उसका क्या हुआ?

(XI) बैंक ने न्यायालय में इस मामले में सी.बी.आई. जाँच के लिए जो रिट याचिका दाखिल की थी, उसे किसके दबाव में आकर वापस कर लिया गया?

(XII) क्या जिस कंपनी का जिन ऋणधारकों से कोई संबंध नहीं है और जो ऋण फर्जी दस्तावेजों के आधार पर दिया गया है, उस कंपनी द्वारा ऐसे फर्जी लाभुकों की ऋण राशि को जमा कर देने से बैंक ऑफ बड़ौदा एवं इंडियन डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक जालसाजी के कृत्य से मुक्त हो जाते हैं?

(XIII) क्या यह जाँच का विषय नहीं है कि एक लिजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी द्वारा बैंक के इस एन.पी.ए. को 5.00 करोड़ रुपए का घाटा सहकर क्यों क्रय किया गया और ऐसा करने में रिर्जव बैंक ऑफ इंडिया के मार्गदर्शन का पालन क्यों नहीं किया गया?

(XIV) इस मामले में जालसाजी स्पष्ट है और इसे प्रमाणित करने हेतु पर्याप्त सबूत हैं फिर भी बैंक इस मामले की सी.बी.आई. जाँच से पीछे क्यों हट रहा है?

13. इसका पर्याप्त प्रमाण है कि अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि. के निदेशकों एवं इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर के मालिक के बीच साँठ-गाँठ है तथा देश-विदेश की कई कंपनियों में वे संयुक्त रूप से निदेशक हैं। झारखंड में खनन पट्टा आवंटन आवेदन अनुशंसा में अवैध राशि कमाई गई है। 1962 से जो क्षेत्र सार्वजनिक उपक्रमों के लिए सुरक्षित है, उस पर और जहाँ सर्वेक्षण नहीं

हुआ, वैसे क्षेत्रों पर लौह अयस्क खनन पट्टा की स्वीकृति की अनुशंसा के लिए झारखंड सरकार के खान एवं भूतत्त्व तथा भारत सरकार के खान मंत्रालय के पदाधिकारी दोषी हैं। लौह अयस्क के अवैध खनन एवं खनन पट्टा हेतु अनुशंसा करने में अनियमितता बरतकर अर्जित की गई अवैध धन राशि का उपयोग कंपनी द्वारा बैंक का एन.पी.ए. खरीदने में किया गया है।

14. सुलभ संदर्भ हेतु मैं कतिपय ऐसी कंपनियों के नाम का उल्लेख नीचे कर रहा हूँ। ये कंपनियाँ भारत में पंजीकृत हैं और झारखंड लौह अयस्क घोटाला में संलिप्त है। अनुरोध है कि इन कंपनियों में किए गए निवेश एवं पारस्परिक लेन-देने की जाँच के लिए आवश्यक आदेश पारित करना चाहेंगे। इस जाँच से मनी लाउंड्रिंग जैसे कई गंभीर कृत्य सामने आएँगे। ये कंपनियाँ निम्नांकित है—

(I) क्वांटम पॉवर टेक प्रा. लि., हरमू रोड, राँची।
निदेशक : बी के सिंह एवं रोहितास कृष्णन

(II) लक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर इंडिया प्रा. लि., रॉयल अर्पाटमेंट, ग्राउंड फ्लोर, सहारनपुर रोड, नासिक-42205, महाराष्ट्र।
निदेशक : नितिन पाटिल, निरंजन खियानी

(III) ए. बी. सी. इंफ्रास्ट्रक्चर कैप्सको प्रा. लि., 19 सी.एच. एरिया, रोड न.-10 जमशेदपुर, झारखंड।
निदेशक : अरविंद व्यास एवं राकेश प्रसाद

(IV) बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स प्रा. लि., अशोक हाउस, काराकॉन के सामने, झावेरी बाजार, मुंबई।
निदेशक : मनोज पुनमिया एवं अरविंद व्यास

(V) शारदा कंसलटेंट, बिष्टुपुर, जमशेदपुर, झारखंड।

(VI) बर्मेको इंडस्ट्रीज प्रा. लि., इंडस्ट्रियल एरिया, नवी मुंबई, महाराष्ट्र।

(VII) शिवांस स्टील प्रा. लि., 21, हेमंत बसु सरनी, कोलकाता,प. बंगाल। निदेशक एवं प्रोमोटर : विनोद कुमार सिन्हा एव संजय कुमार चौधरी।

(VIII) (क) कोल्हान ट्रेडिंग प्रा. लि.,
(ख) एम्मार ट्रेडिंग प्रा. लि.
(ग) एम्मार मार्केटिंग प्रा. लि.
(घ) एम्मार पॉवर प्रा. लि.
(ङ) एम्मार टेक्नो प्रोजेक्ट प्रा. लि.
(च) एम्मार टूरिज्म प्रा. लि.

(छ) एम्मार वेंचर प्रा. लि.
(ज) एम्मार ट्रांसपोर्टेशन प्रा. लि.

इन सभी कंपनियों का एक ही पता है-द्वितीय तल्ला, तिवारी बेचर बिल्डिंग, मेन रोड, बिष्टुपुर, जमशेदपुर। इन सभी कंपनियों में निम्नांकित व्यक्ति-समूह ही निदेशक एवं प्रोमोटर हैं, ये व्यक्ति हैं। सर्वश्री विनोद कुमार सिन्हा, संजय चौधरी, विजय जोशी, विकास सिन्हा।

(IX) एम.आर. स्टील प्रा. लि., 503, अभय स्टील हाउस, 22, बड़ौदा स्ट्रीट, मुंबई-9 महाराष्ट्र।

(X) बी.ए.एस. मैनेजमेंट सोलुसंस प्रा. लि., नामधारी चैंबर, देशबंधु रोड, करोलबाग, नई दिल्ली
निदेशक : हिमाद्री बनर्जी, श्रीमती हिमाद्री बनर्जी एवं मयूर

(XI) सत्यम् आर्ट एवं मीडिया प्रा. लि., 20-ए, नारायण वाड़ी, प्रथम तल्ला मारूति क्रॉस लेन, फोर्ट मुंबई-400001

(XII) इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर प्रा. लि., चाईबासा, जिला-प. सिंहभूम।
निदेशक : विनोद सिन्हा, सुनील सिन्हा

(XIII) अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि., पी.ओ.-कांतयाना, वर्ली-कल्याण रोड, जिला-थाणे, महाराष्ट्र।

इसके अतिरिक्त विदेश में निबंधित कई ऐसी कंपनियाँ हैं, जिनमें इन सभी व्यक्तियों में से ही कोई-न-कोई प्रोमोटर एवं निदेशक हैं। ऐसी कंपनियाँ दुबई, सिंगापुर एवं थाईलैंड में निबंधित हैं। इन कंपनियों के बीच भारी राशि का लेन-देन हुआ है। यह स्पष्ट है कि अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस कंपनी द्वारा बैंक ऑफ इंडिया के एन.पी.ए. को खरीदने के लिए इनके माध्यम से अवैध रूप से अर्जित धन का उपयोग किया गया है। यह अवैध धन राशि लौह अयस्क खदानों के आवंटन हेतु किए गए अनियमित अनुमोदन से प्राप्त हुई है, जिसमें झारखंड सरकार के सत्ता-शिखर पर स्थापित व्यक्तियों का हाथ है। मेरे पास संबंधित संचिकाएँ, पत्राचार, तुलनात्मक टिप्पणियाँ एवं पदाधिकारियों की बैठकों की कार्यवाही के कई कागजात हैं, जो उपर्युक्त तथ्यों को प्रमाणित करते हैं।

अत: मेरा अनुरोध है कि इस मामले पर कृपया समुचित ध्यान दें तथा इसकी गहराई से जाँच करने का निर्देश दें, ताकि दोषियों को दंडित किया जा सके। □

* भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त को प्रेषित स्मार-पत्र, 29 दिसंबर 2008, जो इस मामले की सी.बी.आई. जाँच का आधार बना।

खंड-3

सी.बी.आई. जाँच हेतु संघर्ष

सी.बी.आई. बनाम राज्य निगरानी ब्यूरो*

विगत 28 जनवरी, 2010 को झारखंड सरकार ने राँची उच्च-न्यायालय में दायर हलफनामे में कहा है कि सरकार मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों को जाँच हेतु सी.बी.आई. को सौंपने की जरूरत महसूस नहीं करती है, क्योंकि राज्य सरकार का निगरानी ब्यूरो यह काम बखूबी कर रहा है। निगरानी ब्यूरो द्वारा उसी दिन झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में जाँच की प्रगति के बारे में दायर हलफनामे से स्पष्ट नहीं हो रहा है कि ब्यूरो द्वारा इस बारे में की जा रही जाँच में अब तक क्या प्रगति हुई है। इस बारे में मैं आपका ध्यान कतिपय बिंदुओं की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। ये बिंदु निम्नांकित हैं—

1. नटराज फाइनेंसियल ऐंड सर्विसेज लि. नामक कंपनी मुंबई में पंजीकृत है। इस कंपनी को 4.78 करोड़ रुपए में सर्वश्री मनोज पुनमिया, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने अक्तूबर 2008 में खरीद लिया है। खरीद की सार्वजनिक उद्घोषणा में उल्लेख है कि मनोज पुनमिया, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के पास कुल शुद्ध पूँजी क्रमशः 91.52 लाख, 117.19 लाख और 30.65 लाख यानी कुल मिलाकर 239.19 लाख रुपए है। यह कंपनी खरीदने के लिए धन कहाँ से आया, इसकी जाँच जरूरी है। मेरी जानकारी के मुताबिक यह धन विन्नी स्टील इंडस्ट्रीज लि. नामक कंपनी से आया है। खरीद में घोटाले के धन का इस्तेमाल हवाला के जरिए किया गया है। विन्नी स्टील को 2008 में झारखंड सरकार द्वारा लौह अयस्क खदान का लीज देने का आदेश हुआ है। विन्नी स्टील के निदशकों में विजय जोशी शामिल हैं, जो शिवरामा स्पांज प्रा. लि., चौका में भी निदेशक हैं।
2. बी. ए. एस. बिजनेस एडवाइजरी सर्विसेज की वेबसाइट पर उल्लेख है कि यह चाईबासा में 132 के. वी. और 220 के.वी. का ट्रान्समिशन सिस्टम स्थापित कर रहा है। झारखंड सरकार से इन्हें 140 करोड़ रुपए लागत का 132 के.

वी. का ट्रांसमिशन सिस्टम लगाने का आदेश मिलने जा रहा हैं। इसकी सहायक कंपनी क्वांटम पॉवर टेक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में 30 करोड़ रुपए का काम झारखंड में कर रही है। चाईबासा-टाटा हाइवे में 35 करोड़ रुपए का पथ-निर्माण कार्य का आदेश इसके पास है। यह जाँच का विषय है कि ये सभी कार्य इस कंपनी को दिए गए हैं अथवा यह कंपनी किसी अन्य कंपनी के दिए गए ठेका का काम सब-लेट के आधार पर कर रही है! कारण कि क्वांटम पॉवर टेक के सर्वेसर्वा रोहितास कृष्णन का नाम आयकर द्वारा 28 जनवरी, 2010 को राँची उच्च न्यायालय में दायर किए गए हलफनामे में फरार अभियुक्तों की सूची में है।

3. जगुआर एनर्जी ऐंड पॉवर लि. नामक कंपनी ने कोल इंडिया लि. के समक्ष जकार्ता (इंडोनेशिया) में 7 कोयला खदान होने और देश के महत्त्वपूर्ण बंदरगाहों-कांडला, ट्यूटोकोरिन, पाराद्वीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम, मंगोर, धरमटार, मगा—पर कोयला भंडार संग्रह की जगह होने का लिखित दावा किया है और सूचित किया है कि 40 से 50 हजार टन कोयला भंडार की क्षमता इन सभी बंदरगाहों पर उसके पास है। इस कंपनी के तीन निदेशकों में पहला निदेशक श्री मनोज पुनमिया है, जो 17 अगस्त, 2009 से इस कंपनी में निदेशक के रूप में शामिल हुआ है। कोल इंडिया ने इसका दावा इस आधार पर खारिज कर दिया है कि मनोज पुनमिया कोड़ा घोटाला कांड का मुख्य सूत्रधार है। यह जाँच का विषय है कि जकार्ता में 7 कोयला खदानों की खरीद के लिए धन किस प्रकार उपलब्ध किया गया है?
4. 'बालाजी बुलियंस' नामक कंपनी मुंबई में पंजीकृत है। इसके निदेशक मंडल में मनोज पुनमिया, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी हैं। हाल ही में आयकर अधिकारियों ने गुजरात में 40 ऐसी कंपनियों का पता लगाया है, जिनमें कोड़ा घोटाला कांड का धन जमा हुआ है। इनमें से 25 कंपनियों के खाते की जाँच पूरी हो चुकी है। 35 करोड़ रुपए से अधिक का धन इन कंपनियों ने बालाजी बुलिंयस, मुंबई के खाता में स्थानांतरित किया है। इनमें से कई कंपनियों का बैंक खाता आर.टी.जी.एस. के माध्यम से स्थानांतरित 'क्वांटम पॉवर टेक' के पैसों से खुला है, जिनके कर्ता धर्ता रोहितास कृष्णन इस घोटाला कांड के फरार मुजरिम हैं। निगरानी ब्यूरो को इसकी जाँच करनी चाहिए।
5. समृद्धि स्पांज फैक्ट्री चौका-चांडिल में है। इसे दो वर्ष पहले श्री गर्ग से करीब 25 करोड़ रुपए में खरीदा गया है। इसके निदेशकों में सर्वश्री तरुण पाल, विनोद सिन्हा, संजय चौधरी हैं। श्री तरुण पाल वर्तमान मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निजी सचिव मनोहर लाल पाल के सुपुत्र हैं। इस फैक्ट्री को 90 करोड़ रुपए में बेचने की कोशिश चल रही है। इस फैक्ट्री को घोटालेबाजों द्वारा खरीदने का विषय मैंने 20 अगस्त, 2008 को राँची में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया था। निगरानी ब्यूरो को इसकी जाँच करनी चाहिए।

6. जमशेदपुर के बिष्टुपुर में इंडियन स्टील वायर प्रोडक्ट (तार कंपनी) की जमीन को अवैध रूप में दो वर्ष पहले शारदा कंसलटेंट के नाम से खरीदा गया है, जिसके लिए लिए 8 करोड़ रुपए देने का जिक्र मनोज पुनमिया की डारई में मिला है। यह धन बर्मेको इंडस्ट्रीज के खाते से आया है। जिसके निदेशक विरेन आहूजा और हेमंत सरवटे हैं। इस बारे में 2008 में विधान सभा में सवाल भी उठा था। इस स्थल पर निर्माण कार्य युद्धस्तर पर जारी है। अखबारों में पूरा एवं आधा पृष्ठों का विज्ञापन छापकर इसके लिए पूँजी उगाही बालाजी लाइफ स्टाइल रियटर्स, मुंबई द्वारा की जा रही है। मनोज पुनमिया इस कंपनी के निदेशक हैं। निगरानी ब्यूरो इसकी जाँच करे और संपत्ति को जब्त करें।
7. गत विधान सभा चुनाव-2009 में जे.एच. 01 वाई 0449 नंबर की स्कार्पियो से जमशेदपुर पश्चिम विधान सभा क्षेत्रो में नकद पैसा बाँटा गया है। यह स्कार्पियो क्वांटम पॉवर टेक की बताई जा रही है। जिसके कर्ता-धर्ता श्री कोड़ा के दाहिने हाथ विनोद सिन्हा हैं और इस मंडली के प्रमुख सदस्य हैं लौह अयस्क घोटाला कांड के फरार अभियुक्त रोहितास कृष्णन हैं।
8. वर्तमान सरकार में मंत्री श्री चंद्रप्रकाश चौधरी के पूर्ववर्ती कालखंड में निजी सहायक रहे मनोज सिंह के बैंक खाते से करीब 13 करोड़ रुपए आयकर अधिकारियों ने जब्त किया है। इस धन के स्रोत की जाँच निगरानी ब्यूरो को करनी चाहिए। इसके लिए ब्यूरो सक्षम है या नहीं, यह लाख टके का सवाल है।
9. वर्तमान मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के वर्तमान एवं पूर्ववर्ती कार्यकाल में इनके निजी सचिव रहे मनोहर लाल पाल और क्वांटम पॉवर टेक के कर्ता-धर्ता रोहितास कृष्णन के बीच संबंधों की जाँच निगरानी ब्यूरो करे। राज्य बिजली बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष बी.एम. वर्मा को हटाकर एच. बी. लाल को बोर्ड का अध्यक्ष बनाने के क्रम में रोहितास कृष्णन और एम.एल. पाल के बीच रिश्वत की लेन-देन की बात सामने आ रही है। क्वांटम पॉवर टेक के हवाई नगर कार्यालय तथा रातू रोड में एक जगह रोहितास कृष्णन एवं विद्युत् बोर्ड के ठेका-पट्टा से जुड़े संदिग्ध व्यक्तियों के साथ एम.एल. पाल के सुपुत्र तरुण कांति पाल की बातचीत एवं बैठकबाजी की वीडियो सी.डी. होने की चर्चा है। अगर निगरानी ब्यूरो सक्षम है तो इसकी जाँच करे।

10. विगत लोक सभा चुनाव के समय मनोज पुनमिया द्वारा हवाला के माध्यम से दिल्ली के किसी गुप्ताजी को 10 करोड़ रुपए श्री मनोहर पाल तक पहुँचाने के लिए दिए जाने की खबर है। इस बारे में मनोज पुनमिया और सहयोगियों के बीच बातचीत की एक ऑडियो सी.डी. भी जगह-जगह सुनाई जा रही है। निगरानी ब्यूरो इस बारे में संबंधित व्यक्तियों से पूछताछ कर आडियो सी.डी. की सच्चाई जाने और मामले की जाँच करें।
11. अशोक नगर, राँची के एक व्यक्ति राकेश प्रसाद, जो विनोद सिन्हा ऐंड कंपनी की कतिपय कंपनियों में निदेशक हैं, ने मेरी जानकारी के अनुसार, आयकर अधिकारियों के सामने कबूल किया है कि घोटाले के धन को भारी मात्रा में उन्होंने श्री मधु कोड़ा के चुनाव क्षेत्र में बाँटा है। निगरानी ब्यूरो को इस बारे में भी जाँच करनी चाहिए।
12. आयकर विभाग ने जमशेदपुर से प्रकाशित होने वाले कई समाचार-पत्रों को यह बताने के लिए नोटिस जारी किया है कि श्री मधु कोड़ा के लोकसभा चुनाव के समय विज्ञापन सामग्री की तरह खबर छापने के लिए कितना धन नकद अथवा चेक से मिला है। निजरानी ब्यूरो को भी घोटाले के धन के ऐसे जायज/नाजायज इस्तेमाल की जाँच करनी चाहिए।
13. क्वांटम पॉवर टेक के खाता से हवाई जहाज के अनेक यात्रा टिकट खरीदकर वर्ष 2008 में कतिपय प्रभावशाली लोगों की यात्रा के लिए दिए गए हैं। यात्रा करनेवालों में तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा, उनके कतिपय मंत्री, उनके निजी सहायकगण और निकटस्थ रिश्तेदारों के नाम हैं। इसकी जाँच निगरानी ब्यूरो को करनी चाहिए।

मुझे उम्मीद है कि ऊपर लिखित दर्जन भर बिंदुओं के बारे में जाँच करने पर निगरानी ब्यूरो किसी निश्चित निष्कर्ष पर पहुँचेगी और राज्य सरकार द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय में दिए गए हलफनामे के अनुरूप स्वयं को सक्षम सिद्ध करे, अन्यथा यह मामला सी.बी.आई. को सौप दे।

□

* आरक्षी महानिदेशक, निगरानी ब्यूरो, झारखंड सरकार को पत्र, 3 फरवरी, 2010

लौह अयस्क घोटालों का बैंक खाता*

झारखंड सरकार का कहना है कि कोड़ा घोटाले की जाँच राज्य का निगरानी ब्यूरो करने में सक्षम है, इसलिए सी.बी.आई. अथवा किसी अन्य केंद्रीय जाँच एजेंसी को यह मामला जाँच के लिए सौंपने की जरूरत नहीं है। मैं अमेरिका, कनाडा और फ्रांस के 5 बैंकों में खोले गए खाते का नंबर सार्वजनिक कर रहा हूँ। ये बैंक अमेरिका के न्यूयॉर्क, कनाडा की राजधानी मांट्रियल और फ्रांस की राजधानी पेरिस में हैं। विवरण निम्नांकित है—

1. सिटी बैंक न्यूयॉर्क, 113 वाल स्ट्रीट न्यूयॉर्क-10043
   खाता नंबर - 36147469
   ए.बी.ए. नं. 021000089,
   स्विफ्ट-सी.आई.टी.आई.यू.एस. 33 (CITIUS 33)
2. ड्यूट्से बैंक ट्रस्ट कंपनीज अमेरिका,
   280, पार्क ड्राइव, पी.ओ. बॉक्स-318
   खाता नंबर-04410955
   ए.बी.ए. नं. 021001033
   स्विफ्ट-बी.के.टी.आर.यू.एस. 33 (BKTRUS 33)
3. नेशनल बैंक ऑफ कनाडा
   600, र्‍यू डे ला ग्वाशियर क्वेस्ट, मांट्रियल
   क्यू.यू.ई.बी.इ.सी.-एच.3 बी.4 एल. 3
   खाता नंबर-101652280001000101,
   स्विफ्ट-बी.एन.डी.सी.ए.एन.एन.
   आई.एन.टी. (BNDC ANN INT)

4. क्रेडिट कॉमर्शियल डे फ्रांस
103, चैम्प्स इलायसिस-75419, पेरिस
सी.ई.डी. एकास 08,
स्विफ्ट-सी.सी.एफ.आर.पी.वी. (CCFRPV)
खाता नंबर - 00203522222 यूरो और
खाता नंबर - 00203500302 (यू.एस. डॉलर)

5. बेलगोलायस, पेरिस, 6 ए.वी. बेलाक्वेज एफ-750008,
स्विफ्ट-बी.एल.जी.ओ.एफ.आर.पी.पी. (BLGOFRPP)
खाता नंबर - 0001082000K (यूरो)
खाता नंबर - 0001082000M (यू.एस.डॉलर)

इन बैंक खातों में कोड़ा घोटाले का धन हवाला के जरिए राँची और दिल्ली से दुबई भेजा गया है। इन सभी बैंकों में लाभुक के नाते इको बैंक, गायना का खाता है। 'गायना' एक अफ्रीकी द्वीप है, जहाँ टैक्स एवं धन का स्रोत छुपाने के बारे में काफी सहुलियत है। घोटाले से जुड़े हवाला कारोबारियों तथा अभियुक्तों और उनके नजदीकी रिश्तेदारों ने 'गायना' और इसके पड़ोसी देश सियरालियोन की यात्रा की है।

सभी जानते हैं कि घोटाले के एक मुख्य अभियुक्त संजय चौधरी दुबई भाग गए हैं। मनोज पुनमिया ऐंड कंपनी का कारोबार भी दुबई से संचालित होता है। राज्य सरकार निगरानी ब्यूरो को इस बारे में निर्देश दे कि इन खातों में स्थानांतरित हुए धन की प्रक्रिया जाँचे कि यह धन किस प्रकार विदेश भेजा गया है? आमतौर पर ऐसे मामलों में राज्य सरकारें और इनकी जाँच एजेंसियाँ खुद आगे बढ़कर केंद्र सरकार की विशेषज्ञ जाँच एजेंसियों का सहयोग माँगती हैं। मगर झारखंड सरकार हठधर्मिता पर उतारू है कि श्री कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के घोटालों की सी.बी.आई. जाँच की जरूरत नहीं है।

मैं एक सप्ताह तक रोज ऐसे पाँच मुद्दे सार्वजनिक रूप से झारखंड सरकार और राज्य निगरानी ब्यूरो को भेजूँगा और उम्मीद करूँगा कि वे या तो इन मामलों की जाँच करें अथवा इन मामलों को जाँच के लिए केंद्रीय जाँच एजेंसियों को भेजें।

□

दुबई की प्रॉपर्टी का चौथा हिस्सेदार कौन?*

अगर राज्य का निगरानी ब्यूरो जाँच करने में सक्षम है तो कृपया निम्नांकित बिंदुओं की जाँच करे अन्यथा इनकी जाँच सी.बी.आई. सदृश सक्षम केंद्रीय एजेंसी को सौंपने की पहल करे—

1. अनिल वस्तावडे कैम्टेक इनकॉरपोरेट दुबई के सी.ई.ओ हैं। ये ग्लोबल एब्सोल्यूट रिसर्च के निदेशक भी हैं। तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के निजी सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव ने 2 अप्रैल, 2007 को मुख्यमंत्री सचिवालय, राँची के पत्र संख्या-730832 द्वारा इन्हें झारखंड सरकार की डेवलपमेंट कंसलटेंसी सर्विसेज' के रूप में नियुक्त करने का प्रस्ताव दिया था। श्री वस्तावडे कोड़ा घोटाले में शामिल हैं। सक्षम है तो निगरानी ब्यूरो इसकी जाँच करे और बतलाए कि यह प्रस्ताव किस कारण और किसके आदेश पर दिया गया था?
2. इसके थोड़े दिन बाद 30 जून, 2007 को दुबई के जुमैर नामक कस्बे की प्लॉट संख्या—क्यू.जे.वी.टी. 0710 एच.आर. 001 पर संयुक्त इकरारनामा हुआ। इसमें दो हिस्सेदार भारतीय और दो दुबई के रखे गए। इस संपत्ति की कीमत 23.25 करोड़ दिहरम (276 करोड़ रुपए) आँकी गई है। यह एकरारनामा अनिल वस्तावडे (दुबई), ग्राहम जितौनी (क्लीन एनर्जी कं., दुबई), मनोज पुनमिया (भारतीय) और एक अन्य भारतीय हिस्सेदार के बीच हुआ है। अनिल वस्तावडे, ग्राहम जितौनी और मनोज पुनमिया में से प्रत्येक की हिस्सेदारी 26.27 प्रतिशत की है। चौथा भारतीय, जिसकी हिस्सेदारी शेष 19.99 प्रतिशत है, कौन है? क्या यह व्यक्ति झारखंड का कोई प्रभावशाली राजनीतिज्ञ है? इसकी जाँच निगरानी ब्यूरो करने में सक्षम है तो करे, नहीं तो हाथ उठा ले।
3. अनिल वस्तावडे दुबई स्थित '16, लेक्स डिमा विला' के मालिक हैं। इस विला की खरीद के लिए मनोज पुनमिया के खाते से 1.30 करोड़ दिहरम (15.47 करोड़ रुपए) का भुगतान हुआ है और 2 जुलाई, 2008 को अरविंद

* झारखंड सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को प्रेषित पहला खुला पत्र, 12 मार्च, 2010

व्यास ने 6.18 करोड़ दिहरम (73.54 करोड़ रुपए) दिया है। इस विला को 30 लाख रुपए सालाना किराए पर लिया हुआ विनोद सिन्हा ने दिखाया है, जिसका रुपए में भुगतान यहाँ भारत में हुआ करता है। वास्तव में यह विनोद सिन्हा द्वारा कोड़ा घोटाले की अवैध धन से खरीदी गई संपत्ति है। इसका उपयोग फिलहाल संजय चौधरी द्वारा किया जा रहा है। इस बारे में निगरानी ब्यूरो को जाँच करने में अपनी सक्षमता का परिचय देना चाहिए।

4. अनिल वस्तावडे 'अल शमल एल.एल.सी.', दुबई एवं 'ग्लोबल एब्सोल्यूट रिसर्च, 'मुंबई' के निदेशक हैं। इस्पात इंडस्ट्रीज, मुंबई ने श्री कोड़ा के मुख्यमंत्री रहते समय 'ग्लोबल एब्सोल्यूट रिसर्च' के साथ एक समझौता किया है, जिसके मुताबिक यह कंपनी इस्पात इंडस्ट्रीज, मुंबई के लिए पूर्वी भारत में 100 मिलियन टन का खनन कार्य करेगी। प्रथम वर्ष में 10 मिलियन टन खनन होगा और प्रति टन 100 रुपए कमीशन मिलेगा। इसके लिए 25 लाख रुपए के नॉनरिफंडेबुल हस्ताक्षर निधि का भुगतान हुआ है। समझौता दस्तावेज में इस कंपनी का पता 'पार्क स्ट्रीट, कोलकाता' दिखाया गया है, जो विनोद सिन्हा की कंपनी का पता है। इस्पात इंडस्ट्रीज को झारखंड में 500 हेक्टेयर का लौह अयस्क खदान आवंटित करने की अनुशंसा कोड़ा सरकार में हुई है। श्री मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा की इसमें क्या भूमिका है? इसकी जाँच निगरानी ब्यूरो करने में सक्षम है तो करे!
5. अनिल वस्तावडे, मनोज पुनमिया, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने संयुक्त रूप से 'श्री विन मेरिटाइम्स प्रा.लि.' में पानी के जहाज व्यापार के लिए निवेश किया है। इसमें 10 करोड़ रुपए का भुगतान मनोज पुनमिया के कंपनी खाते से और 3.64 करोड़ रुपए का भुगतान उसके निजी खाते से हुआ है। यदि कोड़ा घोटाला से जुड़े इस निवेश की जाँच निगरानी ब्यूरो करने में सक्षम है तो करे, अन्यथा इसकी जाँच सी.बी.आई. को सौंपी जाए।

□

तार कंपनी की जमीन की सौदेबाजी*

1. कोड़ा घोटाले के प्रमुख अभियुक्त मनोज पुनमिया 'बालाजी बुलियंस, बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स, बालाजी एसोसिएट्स, फोरेक्स इंडिया, बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंक, बालाजी टूर ऐंड ट्रैवेल्स' आदि कंपनियों के निदेशक हैं। 'बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंक' की बैलेंस शीट से पता चलता है कि इसका व्यावसायिक संबंध विनोद सिन्हा और संजय चौधरी की कंपनियों 'ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स' और 'लक्की प्रोजेक्ट्स' से है। हवाला के माध्यम से कोड़ा घोटाले के अवैध धन का स्थानांतरण एक-दूसरे के खाता से हुआ है। सवाल है कि निगरानी ब्यूरो इसकी जाँच करने में सक्षम है या नहीं? सक्षम है तो करे, नहीं तो सरकार यह मामला सी.बी.आई. अथवा अन्य सक्षम केंद्रीय जाँच एजेंसियों को सौंपे।
2. 'बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स प्रा.लि., मुंबई' द्वारा जमशेदपुर के बिष्टुपुर कंट्रैक्टर्स एरिया की जिस जमीन पर शॉपिंग मॉल बनाया जा रहा है, वह जमीन टाटा लीज की है, जिसे 'तार कंपनी' के नाम से मशहूर आई.एस.डब्ल्यू.पी. के नाम सब लीज पर दिया गया है। शुरू में निजी स्वामित्ववाली फर्म 'शारदा कंसलटेंट्स', के नाम पर इसे खरीदा गया। इस जमीन की खरीद के लिए बर्मेको इंडस्ट्रीज, मुंबई के खाते से 13 करोड़ रुपए चेक के जरिए स्थानांतरित हुए, जिसमें से 5 करोड़ रुपए की पहली किस्त शारदा कंसलटेंट्स के खाता में डाली गई। स्थानांतरण हेमंत सरवटे के निर्देश पर हुआ, जो 'कोर स्टील ऐंड पॉवर लि.', अँधेरी मुंबई के लिए काम करते हैं। कोर स्टील का नाम मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री रहते समय लौह अयस्क खदान के लिए आवेदन करने वालों की सूची में है। इस कंपनी ने लौह अयस्क खनन पट्टा लेने के लिए 3 करोड़ रुपया की रिश्वत चेक द्वारा मधु कोड़ा विनोद सिन्हा, संजय चौधरी को दिया है। इसकी जाँच से कोड़ा घोटाले की अवैध कमाई का हवाला के माध्यम से भारी मात्रा में स्थानांतरण उजागर होगा।

* झारखंड सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को प्रेषित दूसरा खुला पत्र, 13 मार्च 2010

3. 'शारदा कंसलटेंट्स' से यह जमीन मनोज पुनमिया की कंपनी ने 8 करोड़ रुपए में खरीद ली। इसमें विनोद सिन्हा की हिस्सेदारी है। 'बालाजी यूनिवर्सल ऐंड रियलटर्स' ने जमीन खरीद के लिए शारदा कंसलटेंट्स के खाते में 4 जनवरी, 2008 को 40 लाख रुपए, 2 फरवरी, 2008 को 40 लाख रुपए, 12 मार्च, 2008 को 50 लाख रुपए और 5 मई, 2008 को 25 लाख रुपए डाले हैं। मनोज पुनमिया की जब्त की गई डायरी में 5 करोड़ रुपए का भुगतान जमशेदपुर प्रॉपर्टी के लिए करने का उल्लेख है। पैसे का यह लेन-देन हवाला के रास्ते हुआ है। इसकी जाँच हो।
4. टाटा स्टील द्वारा 'तार कंपनी' को सब-लीज पर दी गई इस जमीन को बेचने के लिए टाटा स्टील प्रबंधन द्वारा दिए गए अनापत्ति प्रमाण-पत्र का मामला भी शक के घेरे में है। टाटा स्टील प्रबंधन ने भी श्री मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में लौह अयस्क खदान के लिए आवेदन किया था। साथ ही ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट हेतु जमीन के लिए भी इन्होंने आवेदन किया था। किसके दबाव में टाटा स्टील प्रबंधन ने सबलीज की जमीन बेचने के लिए अनापत्ति प्रमाण दिया? इसकी जाँच हो।
5. बिष्टुपुर, जमशेदपुर के आवासीय एरिया में स्थित 'तार कंपनी' को सब-लीज पर दी गई यह जमीन टाटा लीज आवासीय श्रेणी में थी। जमीन की आवासीय श्रेणी को बदलकर व्यावसायिक श्रेणी में कर दिया गया। अवैध बिक्रीवाली जमीन पर जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति ने आनन-फानन में नक्शा पास कर दिया। तब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे। इन अनियमितताओं के पीछे कौन है? आवासीय भूखंड पर कॉमर्शियल मॉल बनाने की अनुमति कैसे मिली? जे.एन.ए.सी. द्वारा इसका नक्शा कैसे स्वीकृत हो गया? जमीन खरीद के लिए शारदा कंसलटेंट के खाते में जमा किए गए पैसे का स्रोत क्या है? मनोज पुनमिया के साथ इस जमीन की सौदेबाजी के पीछे असली चेहरा किसका है? कौन है इस कीमती भूखंड का असली मालिक? कर सकती है तो निगरानी ब्यूरो इसकी जाँच करे, अन्यथा सरकार यह जाँच सी.बी.आई को सौंपे।

□

* झारखंड सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को प्रेषित तीसरा खुला पत्र, 14 मार्च 2010

नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज का तिलिस्म*

लौह अयस्क घोटाले के काले धन का उपयोग घोटालेबाजों और हवालेबाजों ने कई कंपनियाँ खरीदने में किया है। इनमें से एक 'नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज प्रा.लि.' है, जिसकी सौदेबाजी शक के घेरे में है। इस सौदेबाजी के लिए झारखंड सरकार द्वारा दो वैसी कंपनियों की वित्तीय साख (कोड़ा सरकार द्वारा अनुशंसित खनन पट्टे) का इस्तेमाल पूँजी की एवज में किया गया है, जिन्हें झारखंड में कोयला खदान का खनन पट्टा श्री मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री रहते समय दिया गया है। इस सौदेबाजी का विवरण निम्नांकित है—

1. 2 जनवरी, 2007 को मुंबई में 'बालाजी बुलियंस ऐंड कमोडिटीज प्रा.लि.' नामक कंपनी पंजीकृत हुई। मनोज पुनमिया, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी इसके निदेशक हैं। एक वर्ष के भीतर 31 मार्च, 2008 तक इनका टर्न ओवर 37 करोड़ 59 लाख रुपए हो गया। इस कंपनी ने एक वर्ष में सोना, चाँदी, हीरा, जवाहरात का व्यापार दिखाया है। वास्तव में इन्होंने कोड़ा घोटाले का काला धन सफेद किया है। निगरानी ब्यूरो देश-विदेश में सोने-चाँदी व्यापार से दिखाए गए इस टर्न ओवर की और कंपनी के अधिकृत एवं पेडअप पूँजी की जाँच करे।
2. बालाजी बुलियंस के इन निदेशकों ने 10 अक्तूबर, 2008 को 'नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज' नामक एक कंपनी के शेयर 'तेजस शाह और मनमोहन व्यास' से खरीदकर इस पर कब्जा किया। इस अवधि में 1 करोड़ 58 लाख रुपए का घाटा उठाने वाली इस कंपनी के शेयर का बाजार भाव प्रति शेयर 15 रुपए से भी कम था। परंतु इसे 41 रुपए प्रति शेयर की दर से खरीदा गया और 4 करोड़ 77 लाख रुपए का नकद भुगतान हुआ।

3. 'नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज' की सौदेबाजी में बताया गया कि 30 जून, 2008 तक मनोज पुनमिया के पास 91 लाख 52 हजार रुपए, विनोद सिन्हा के पास 1 करोड़ 17 लाख रुपए और संजय चौधरी के पास 30 लाख 85 हजार रुपए की पूँजी थी। यानी कुल मिलाकर इनकी आर्थिक क्षमता 2.50 करोड़ रुपए से भी कम थी। कुल 2.50 करोड़ रुपए से भी कम की क्षमता वाले बालाजी बुलियंस के इन तीन शेयरधारकों ने 'नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज' के 19,10,700 शेयर खरीदे, जिसकी कीमत उस समय करीब 8 करोड़ रुपए थी। सवाल उठता है कि जब इनकी वित्तीय क्षमता 2.5 करोड़ रुपए से कम थी तो इन्होंने 8 करोड़ रुपए मूल्य के शेयर खरीदने के लिए शेष राशि का जुगाड़ कहाँ से किया?
4. 'नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज' की खरीद के लिए इन्होंने 'विन्नी स्टील' नामक एक इस्पात कंपनी के धन का इस्तेमाल किया। इस कंपनी के कर्ता-धर्ता विजय जोशी, (शिवरामा स्पांज के निदेशक), हिमाद्री बनर्जी, (झारखंड बिजली बोर्ड की अनियमितताओं में क्वांटम पॉवर टेक के साथ शामिल) और श्रीमती बी. जैन (मनोज पुनमिया की पत्नी) हैं। विन्नी स्टील और मुकुंद आयरन को संयुक्त रूप से 'कोड़ा राज' में लौह अयस्क एवं कोयला की खदान आवंटित की गई है। इस कंपनी का धन भी कोड़ा घोटाले का अवैध धन है, जिसका उपयोग नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज को खरीदने में हुआ।
5. 'विन्नी स्टील' के साथ ही शिवरामा स्पांज, सिवांश स्टील, इंडो असई ग्लास फैक्टरी, आदित्यपुर स्थित सीमेंट प्लांट, भूमिपुत्र प्रोडक्ट्स प्रा.लि. सहित अन्य कई कंपनियों में लगा कोड़ा घोटाले के काले धन का उपयोग नटराज फाइनेंशियल ऐंड सर्विसेज की खरीद दिखाने में हुआ है। स्वयं नटराज फाइनेंशियल कंपनी बनाने में भी 2006 में कोड़ा घोटाले का ही धन लगा है।

झारखंड सरकार उपर्युक्त सौदेबाजी की जाँच करने का निर्देश राज्य निगरानी ब्यूरो को दे। अगर इसकी जाँच में ब्यूरो सक्षम नहीं है तो इसे सी.बी.आई. के हवाले करे।

□

घोटाला कंपनियों के कारनामे*

1. 17 जून, 2009 को मुंबई में 'जगुआर एनर्जी ऐंड पॉवर लिमिटेड (जे.ई.पी.एल.)' नामक एक कंपनी पंजीकृत कराई गई। मनोज पुनमिया इसके निदेशक हैं। इस कंपनी का वेबसाइट देखने से पता चलता है कि इसने इंडोनेशिया और थाईलैंड में कोयला का खदान खरीदा है। यह कंपनी वहाँ से देश के 8 बंदरगाहों पर 40 से 50 हजार मीट्रिक टन कोयला पानी जहाज से भेजने के लिए कोल इंडिया लि. के साथ व्यापार की इच्छुक थी। ये बंदरगाह हैं—कांडला, मगडला, धरमतार, मंगसोर (सभी पश्चिमी समुद्र तट) और तूतीकोरिन, पाराद्वीप, चेन्नई, विशाखापत्तनम (सभी पूर्वी समुद्र तट)।
2. जे.ई.पी.एल. को थाईलैंड और इंडोनेशिया में कोयला खदान के लिए पैसों का स्थानांतरण ब्लू टेक्नो, रियांटो और टाटा रॉयल आदि कंपनियों द्वारा हवाला के माध्यम से हुआ है। ब्लू टेक्नो द्वारा दिखाए गए 13.46 करोड़ रुपए की प्राप्ति उसे कहाँ से हुई? विनोद सिन्हा के स्वामित्ववाली कंपनी रॉयल टाटा ने भी थाईलैंड में कोयला खदान खरीदे हैं। इसके लिए पैसे कहाँ से आए? थाईलैंड में डीड संख्या 16665, 16666 और 1957 द्वारा वर्ष 2007 में खरीदी गई जमीन के लिए रियांटो के पास पैसे कहाँ से आए? इन सबके लिए कोड़ा घोटाले के काले धन का उपयोग हवाला के जरिए हुआ है। इसकी छानबीन करने में राज्य निगरानी ब्यूरो सक्षम है तो करे।
3. 30 दिसंबर, 2009 को कोल इंडिया के चेयरमैन पार्थ एस. भट्टाचार्या ने स्वीकार किया है कि 'जे.ई.पी.एल.' ने कोयला आपूर्ति के लिए कोल इंडिया को दिए गए आवेदन में कहा है कि वह प्रतिवर्ष 10 लाख टन कोयले की आपूर्ति करना चाहता है। उन्होंने बताया कि इसका मुख्य हस्ताक्षरकर्ता मनोज पुनमिया है और यह कंपनी कोड़ा घोटाले के काले धन का उपयोग करने वाली कंपनी है, इसलिए कोल इंडिया ने इसे विदेशों से कोयला आपूर्ति करने वाली कंपनियों की सूची में शामिल नहीं किया।

* झारखंड सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को भेजा गया चौथा खुला पत्र, 15 मार्च 2010

4. एक कंपनी है बी.ए.एस. यानी 'बिजनेस एडवाइजर सर्विसेस प्रा.लि.'। यह कंपनी भी विनोद सिन्हा और मनोज पुनमिया के संरक्षण में है। इस कंपनी के डायरेक्टर हैं रोहितास कृष्णन। ये क्वांटम पॉवर टेक के भी डायरेक्टर हैं। इस कंपनी के वेबसाइट के अनुसार वर्ष 2009-10 में इसका टर्नओवर 14 करोड़ रुपए है। 31 मार्च, 2007 तक इसकी शुद्ध पूँजी 23.45 करोड़ रुपए है। 2009-10 में इसके पास 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट ऑर्डर हैं। बिजली ट्रांसमिशन का 300 करोड़ का, ए.पी.डी.आर.पी. एवं 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' का 200 करोड़ रुपए का इसका प्रोजेक्ट 2009 में पूरा हो जाएगा। वेबसाइट के अनुसार यह कंपनी 132 के.वी. और 220 के.वी. ट्रांसमिशन का काम चाईबासा में कर रही है। 132 के.वी. के ट्रांसमिशन लाइन का 140 करोड़ रुपए का आदेश भी इसके पास है। चाईबासा-बेनीसागर पथ-निर्माण का 35 करोड़ रुपए का काम भी इस कंपनी के पास है।
5. कंडिका 4 में उल्लिखित सभी काम इस कंपनी की सहायक कंपनी 'क्वांटम पॉवर टेक' कर रही है। कंपनी की इस स्वीकारोक्ति से झारखंड राज्य बिजली बोर्ड में विगत 2007-2009 के बीच हुए घोटालों में काला धन हासिल करने की स्थिति का पता चलता है। 'क्वांटम पॉवर टेक' ने घोटाले के धन का उपयोग कोलकाता और राँची में कई कंपनियों की हिस्सेदारी खरीदने और गुजरात सहित अन्य स्थानों पर पंजीकृत कराई गई कंपनियों का बैंक खाता खुलवाने के लिए किया है।

सरकार बी.ए.एस. यानी 'बिजनेस एडवाइडजर सर्विसेज प्रा.लि.' और 'क्वांटम पॉवर टेक प्रा.लि.' की मिलीभगत से झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के पैसे के गोलमाल और हवाला रूट से इसके अन्यत्र जाने के मामले की जाँच का आदेश निगरानी ब्यूरो को दे। ब्यूरो सक्षम है तो इसकी जाँच करे, नहीं तो जाँच का जिम्मा सी.बी.आई. को सौंपे।

☐

* झारखंड सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को प्रेषित पाँचवाँ खुला पत्र, 16 मार्च, 2010

हवालाबाजों की विदेश-यात्रा*

1. कोड़ा घोटाला और इसके घोटालेबाजों के साथ जिन बड़ी-बड़ी इस्पात कंपनियों का प्रत्यक्ष-परोक्ष सरोकार सामने आ रहा है, उनमें विश्व प्रसिद्ध इस्पात कंपनी 'आर्सेलर मित्तल' भी एक है। इसके एक वाइस प्रेसिडेंट के माध्यम से प्रेषित घोटालेबाजों के लिए मैत्रीपूर्ण संबंध का पत्र और उनके द्वारा लंदन में घोटालेबाजों का स्वागत-सत्कार करने का रहस्य अब उजागर हो गया है। कोड़ा शासन में इस कंपनी के लौह अयस्क खदान के आवेदन को भी मंजूरी मिली है। लीज के लिए इसके आवेदन की अनुशंसा करने में प्राथमिकता देने में अनियमितताओं की जाँच निगरानी ब्यूरो को करनी चाहिए। इससे लौह अयस्क खदानों को लीज देने की अनुशंसा करने में रिश्वतखोरी और दलाली का भंडाफोड़ होगा। क्या निगरानी ब्यूरो इसकी जाँच करने में सक्षम है?
2. मधु कोड़ा घोटाला के एक प्रमुख अभियुक्त मनोज पुनमिया ने 22 मार्च, 2009 को पासपोर्ट संख्या 21781414 पर सपरिवार ब्रिटेन जाने के लिए वीजा हेतु आवेदन किया। इस यात्रा के लिए निमंत्रण देने वाले व्यक्ति के रूप में इस आवेदन में आर्सेलर मित्तल कंपनी के एक वाइस प्रेसीडेंट का नाम लिखा हुआ है। घोटालेबाजों के यहाँ से जब्त की गई एक डायरी में भी 2.50 करोड़ रुपए का भुगतान 'आर्सेलर मित्तल' के एक वाइस प्रेसिडेंट के नामवाले व्यक्ति से होने का उल्लेख है। पुनमिया को लंदन का आमंत्रण देनेवाले और पुनमिया की डायरी में 2.50 करोड़ रुपए का लेन-देन करनेवाले के रूप में अंकित ये दोनों नाम एक ही हैं या अलग-अलग हैं, इसकी जाँच होनी चाहिए।
3. कोड़ा घोटाले के एक अन्य अभियुक्त अरविंद व्यास ने भी ब्रिटेन जाने के लिए वीजा लेने का आवेदन किया। आवेदन में यात्रा का उद्‍देश्य उन्होंने एक मित्र से मिलना बताया और इस हेतु दो सप्ताह की यात्रा पर 15 सितंबर, 2009 को लंदन जाने का उल्लेख किया। वीजा आवेदन में ब्रिटेन में अपने इस संपर्क सूत्र

का उल्लेख अरविंद व्यास ने भी वाइस प्रेसीडेंट (ओ) मित्तल स्टील किया है और उनका पता मित्तल कं., 7वीं मंजिल, बर्कले स्क्वायर, लंदन बताया है।

4. 'आर्सेलर मित्तल स्टील' की भारतीय कंपनी के लिए 500-500 हेक्टेयर की दो लौह अयस्क खदानों की अनुशंसा झारखंड सरकार द्वारा की गई है। एक मधु कोड़ा शासन में और दूसरे राष्ट्रपति शासन में 19 दिसंबर, 2009 को झारखंड विधान सभा चुनाव के समय। लौह अयस्क खदानों की अनुशंसा की बावत 'आर्सेलर मित्तल' के अधिकारी अकसर राँची आते रहते थे तथा मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा के संपर्क में रहते थे।
5. लंदन-यात्रा के बाद अरविंद व्यास ने वहाँ से अफ्रीका के एक देश 'घाना' की यात्रा की, जहाँ पर लोहे और सोने की खदान की सौदेबाजी करने की बात में सामने आ रही है। उपर्युक्त बिंदुओं के आलोक में सक्षम एजेंसी की जाँच से उद्योगपतियों और घोटालेबाजों के बीच के संबंधों का और लौह अयस्क की खदान आवंटन की अनुशंसा करने में भ्रष्टाचार और नजायज वसूली का पर्दाफाश हो सकता है। क्या ऐसी जाँच के लिए राज्य निगरानी ब्यूरो सक्षम है?
6. कोड़ा घोटाला के एक शातिर अभियुक्त विनोद सिन्हा के साले अजित कुमार ने अगस्त 2009 में दक्षिण अफ्रीका के एक देश सियरा लियोन की यात्रा किया। इस यात्रा में इन्होंने अफ्रीकी देश के खनिज बहुत सुदुरवर्ती इलाको का भ्रमण किया। इसके लिए इन्होंने विहित शुल्क जमा कर वहाँ की फौज से सुरक्षा गार्ड लिया। गुप्त रखी गई इस यात्रा में उनके साथ घोटाले से जुड़े एक प्रमुख हवाला कारोबारी अरविंद व्यास भी थे। यह यात्रा घोटाले के धन की अफ्रीकी देशों में निवेश की संभावना साकार करने के लिए की गई थी।

यदि झारखंड राज्य निगरानी ब्युरो कारपोरेट जगत और घोटालेबाजों-हबालेबाजों के बीच सांठगांठ के इस पहलू की जाँच करने में सक्षम है तो अवश्य करें अन्यथा सरकार इसकी जाँच सी.बी.आई. अथवा किसी अन्य सक्षम जाँच को सौंप दे।

☐

घोटाले की परिधि में देशी-विदेशी कंपनियाँ*

20 अक्तूबर, 2008 को मैंने राँची में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित कर मधु कोड़ा घोटाला कांड का पर्दाफाश किया था और देश-विदेश की कई कंपनियों के जरिए घोटाले का पैसा हवाला रूट से विदेश भेजने का प्रमाण दिया था। जाँच करने के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने मेरे द्वारा दिए गए प्रमाणों को काफी हद तक सही पाया और 30 अक्तूबर, 2009 को देश भर में घोटालेबाजों के ठिकानों पर व्यापक एवं सघन छापेमारी हुई। इस दरम्यान 100 से अधिक कंपनियाँ बनाकर अथवा अधिगृहित कर कोड़ा घोटाले से अर्जित काले धन का हवाला के जरिए वारा-न्यारा करने के सटीक प्रमाण सामने आए हैं। घोटाले के काले धन का देश-विदेश के कई बैंक खातों के माध्यम से हुए स्थानांतरण का मामला काफी पेचीदा है। झारखंड सरकार कहती है कि इन पेचों को सुलझाने का काम राज्य निगरानी ब्यूरो कर लेगा, इसलिए इसकी सी.बी.आई. जाँच की जरूरत नहीं है। निगरानी ब्यूरो बताए कि क्या कोड़ा घोटाले में निम्नांकित कंपनियों की संलिप्तता और साँठ-गाँठ की जाँच करने में वह सक्षम है—

(क) विदेश में पंजीकृत कंपनियाँ—

कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग एल.एल.सी. (दुबई), ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स (दुबई), सिंह इंपीरियल कं. (बैंकाक), अल शमल कैम्टेक इनकॉरपोरेट (दुबई), अल शमल एल.एल.सी. (दुबई), सूर्यम् जेम्स ऐंड ज्वेलरी एल.एल.सी. (दुबई), ए.रियेंटो (थाईलैंड), क्लीन एनर्जी कं. (दुबई) के.जी.एम. जेम्स ऐंड ज्वेलरी एल.एल.सी. (दुबई)।

(ख) देश में पंजीकृत कंपनियाँ—

बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंक, केमैन एडवाइजरी सर्विसेज, वर्ल्डवाइड ऑन लाइन सर्विसेज, एक्सेस डायमंड्स प्रा.लि., नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज, कोर स्टील ऐंड पॉवर लि., बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स, सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया प्रा.लि., मनोज पुनमिया ऐंड एसोसिएट्स, थ्रीविन मेरिटाइम कं., रॉयल फोरेक्स, जगुआर इलेक्ट्रिकल

* झारखंड सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को भेजा गया छठवाँ खुला पत्र, 17 मार्च, 2010

ऐंड पॉवर लि., लक्ष इंफ्रास्ट्रक्चर्स, नासिक, (सभी मुंबई),

आर.एस.वी. इंफ्रास्ट्रक्चर, केजरीवाल फिनवेस्ट, रेंडील कॉम, अकाई सिक्यूरिटीज, वासुदेव टाईअप, स्वास्तिक सिक्यूरिटीज, रमनिक डील कॉम, कंडूर डील कॉम, शिवांश स्टील, आई.ए.जी. कं. लि., क्रिएटिव फिस्कल सर्विसेज, लक्की प्रोजेक्ट्स, दक्षिणेश्वरी लॉजिस्टिक्स ऐंड सर्विसेज, ए.टी.एस.एल. ग्रीन प्रोजेक्ट्स, अत्रेयी ट्रेड लिंक (सभी कोलकाता), वी.ए.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशंस, श्रीनेत ऐंड शांडिल्या कंस्ट्रक्शन, बर्मेको इंडस्ट्रीज, बी.ए.एस. मैनेजमेंट सोल्यूशंस, राँची मेटल ऐंड इस्पात कं., ग्लोबल एब्सोल्यूट रिसर्च (सभी दिल्ली),

सत्यम् पब्लिकेशन ऐंड ब्रॉडकास्टिंग, पेरिलॉन कॉमर्स, बी. व्यापार प्रा.लि., ए. कॉमर्शियल प्रा.लि., रामजी पॉवर कंस्ट्रक्शन लि., रामजी स्ट्रक्चर प्रा.लि., न्यूट्रान कंसलटेंट्स, क्वांटम पॉवर टेक लि., शिवरामा स्पांज, समृद्धि स्पांज, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, क्लासिक कोल लि., मणिकरण पॉवर लि., एम्मार ग्रुप ऑफ कंपनीज, जिसमें 7 कंपनियाँ हैं (सभी राँची), बालाजी कृपा आयरन ऐंड स्टील, (जयपुर), रिप्पल्स टोटल फिटनेस, (बंगलोर) एवं गुजरात में विभिन्न स्थानों पर पंजीकृत 40 कंपनियाँ।

अगर राज्य सरकार को लगता है कि वास्तव में राज्य निगरानी ब्यूरो इन कंपनियों में हुए लेन-देन और इनमें स्थानांतरित अवैध धन की जाँच करने में सक्षम है तो अवश्य करे, अन्यथा इनकी जाँच सी.बी.आई. अथवा किसी अन्य सक्षम केंद्रीय एजेंसी को सौंपे।

□

180 करोड़ रुपए कमीशन*

भारत सरकार की एक सक्षम संस्था ने गृह मंत्रालय से अनुमति लेकर 'वैष्णवी कंसलटेंसी प्रा.लि.' नामक एक कंपनी की प्रमुख श्रीमती नीरा राडिया एवं उनके सहयोगियों का टेलीफोन वार्त्तालाप कई दिनों तक सुना और रिकॉर्ड किया। इस आधार पर तैयार एक प्रतिवेदन के हवाले से इस विषय का जिक्र गोड्डा (झारखंड) के सांसद श्री निशिकांत दूबे ने 2010 के वार्षिक बजट पर अपने भाषण के दौरान संसद् में किया। रिपोर्ट के अनुसार 'वैष्णवी कंसलटेंसी' टाटा उद्योग समूह एवं अन्य कॉरपोरेट संस्थाओं के लिए जनसंपर्क एवं प्रबंधन का काम करती है। इसी ने सिंगुर में असफल होने के बाद उस प्रोजेक्ट को गुजरात ले जाने के लिए टाटा समूह की तरफ से प्रबंधन का काम किया था। पश्चिम बंगाल के कतिपय महत्त्वपूर्ण सी.पी.एम. नेताओं का 'प्रबंधन' भी इसमें शामिल था। रिपोर्ट के मुताबिक वाम मोरचा और सीटू के कतिपय महत्त्वपूर्ण नेताओं के साथ श्रीमती नीरा राडिया के काफी अच्छे संबंध जगजाहिर रहे हैं।

रिकॉर्ड की गई वार्त्ता से पता चलता है कि टाटा उद्योग समूह के किसी लीज क्षेत्र विस्तार के लिए तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 180 करोड़ रुपए रिश्वत के रूप में माँगा। बाद में श्रीमती राडिया ने यह काम झारखंड के राज्यपाल से कराया, जिसके लिए उन्हें उनका वाजिब शुल्क दिया गया। श्री रतन टाटा ने इस कार्य के लिए मेहनत करनेवालों को इनाम के तौर पर अलग से एक करोड़ रुपए दिए।

टेप की गई टेलीफोन वार्त्ता में इस बारे में विस्तार से जिक्र है कि श्रीमती राडिया अपना व्यापार दक्षिण अफ्रीका में भी फैला रही हैं। इस प्रसंग में एक जगह श्री मुत्थुरमण (तत्कालीन प्रबंध निदेशक, टाटा स्टील) और श्री बैजल (श्रीमती राडिया के सहयोगी) द्वारा ग्लोबल मिनरल के माध्यम से दक्षिण अफ्रीका के गायना और सेनेगल में निवेश के बारे में एक ई-मेल का उल्लेख भी है।

मेरी जानकारी के मुताबिक टाटा उद्योग समूह ने अंकुआ क्षेत्र में 3200 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए आवेदन दिया था। खनन पट्टा के बदले में 1800 हेक्टेयर

* झारखंड सरकार और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो को प्रेषित सातवां खुला पत्र, 18 मार्च, 2010

में पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अनुशंसा करने का निर्णय कोड़ा सरकार के समय हुआ, मगर सौदेबाजी की शर्तों पर सहमति नहीं बन पाने के कारण आदेश नहीं निकला। बाद में राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल श्री सिब्ते रजी ने इसका आदेश निकाला। इस बीच इस मामले में 'ब्राह्मी इम्पेक्स' नामक कंपनी खनन क्षेत्रों की ओवरलैपिंग के मुद्दे पर न्यायालय चली गई। कोड़ा सरकार के समय यह आम चर्चा रहती थी कि प्रति 10 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क लीज के लिए एक करोड़ रुपए के हिसाब से नाजायज माँग उद्योगपतियों से हुआ करती थी। इस हिसाब से भी 1800 हेक्टेयर के लिए 180 करोड़ रुपए की माँग का उल्लेख तार्किक प्रतीत हो रहा है। अगर प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस देने के लिए यह माँग थी, तो जिन्हें सीधे खनन पट्टा की स्वीकृति मिली, उनसे कितने धन की माँग की गई होगी, यह जाँच का विषय है।

यह एक गंभीर मामला है। झारखंड के एक प्रतिष्ठित उद्योग समूह के साथ राज्य के तत्कालीन मुख्यमंत्री द्वारा इस तरह पेश आना शर्मनाक है। इसकी जाँच होनी चाहिए। राज्य सरकार और राज्य निगरानी ब्यूरो अगर सक्षम है तो इसकी तह में जाकर पता करे कि राज्य में खनन पट्टा प्राप्त करनेवाले अन्य उद्यमियों के साथ कोड़ा सरकार के समय लेन-देन की वस्तुस्थिति क्या रही है!

मैं कोड़ा घोटाला कांड की जाँच में जुटी एजेंसियों से इस मामले की भी जाँच करने की माँग करता हूँ। साथ ही मैं झारखंड सरकार से भी माँग करता हूँ कि अगर वह अपने निगरानी ब्यूरो को सक्षम समझती है तो उसे इसकी जाँच करने के लिए निर्देश दे, अन्यथा इस मामले की जाँच सी.बी.आई. अथवा किसी अन्य सक्षम केंद्रीय एजेंसी को सौंपे। □

* संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य, 2 अप्रैल, 2010

लौह अयस्क घोटाला ई.डी. की नजर में*

लौह अयस्क घोटाला मामले में आरंभिक अनुसंधान के दौरान उपलब्ध प्रमाणों के आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों द्वारा घोटाला से अर्जित काले धन का विदेशों में निवेश करने के संबंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.), भारत सरकार ने लाइबेरिया, यू.ए.ई. (दुबई), स्वीडन और बैंकॉक आदि देशों को आग्रह-पत्र भेजा है।

आग्रह-पत्रों के प्रासंगिक अंशों को नीचे हू-ब-हू उद्धृत कर रहा हूँ। इससे पता चलता है कि कोड़ा एवं उनके सहयोगियों का विदेशी बैंकों में खाते हैं। उन्होंने भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर दी थीं और घोटाले का धन हवाला के जरिए विदेशी बैंकों में जमा किया था।

1. ई.डी. द्वारा लाइबेरिया (अफ्रीका) सरकार को भेजे गए एल.आर. (अनुरोध पत्र) का अंश (पृष्ठ 3 और 5)—

मंत्री और मुख्यमंत्री रहने की अवधि में श्री मधु कोड़ा भ्रष्टाचार की सभी हदें पार कर गए और भारत तथा भारत के बाहर के देशों में बेहिसाब संपत्ति जमा की। जाँच के दौरान पता चला कि श्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों ने लाइबेरिया में मै. 'ए. रियांटो' के साथ निवेश किया और इंडोनेशिया के सेंट्रल असिस बैंक के मिलेनियम शाखा, जकार्ता में बैंक खाता खोला जिसका खाता संख्या—0050402118 एवं स्विफ्ट कोड सी.ई.एन. ए.आई.डी.जे.ए. है।

जाँच के दौरान पाया गया कि श्री मधु कोड़ा ने सर्वश्री विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, धनंजय चौधरी एवं अन्य की मिलीभगत से भ्रष्टाचार द्वारा कमाया गया अवैध धन हवाला के माध्यम से जकार्ता (इंडोनेशिया) भेजा, जिससे चल एवं अचल संपत्ति खरीदा और लाइबेरिया में 'मैं ए. रियांटो' के साथ निवेश किया। जाँच के दौरान स्पष्ट हुआ कि लाइबेरिया में निवेश करने हेतु पैसा भेजने के लिए उपर्युक्त कंपनी का उपयोग किया गया।

2. दुबई (संयुक्त अरब अमीरात) की सरकार को भेजे गए एल. आर. (अनुरोध-पत्र) का अंश (पृष्ठ 3 से 7 तक)—

जाँच के दौरान अभी तक जो प्रमाण एकत्र किए गए हैं, उनसे स्पष्ट होता है कि मंत्री और मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार की सभी सीमाएँ लाँघकर श्री मधु कोड़ा ने अपने सहयोगियों की मिलीभगत से भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध धन को भारत और भारत के बाहर के देशों के व्यावसायिक संस्थानों में लगाया, जिनमेंइनका नियंत्रण/व्यावसायिक हित/निवेश है, जिनका विवरण निम्नांकित है—

(क) सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वैलरी, पोस्ट बॉक्स-118936, दुबई, यू.ए.ई., चालू खाता-स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यू.ए.ई.।

(ख) के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी, पोस्ट बॉक्स-119322, दुबई, यू.ए.ई., चालू खाता-स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यू.ए.ई.।

(ग) बालाजी होल्डिंग, यू.ए.ई.।

(घ) ब्लू स्टार होल्डिंग, यू.ए.ई.।

(ङ) ब्लू टेक्नो प्रोजेक्टस कंपनी लि., बैंकाक-10100 थाईलैंड।

(च) ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स, एफ.जेड.सी.ओ., प्रबंध निदेशक-संजय कुमार चौधरी, दुबई, चालू खाता संख्या-0153662065, नेशनल बैंक ऑफ दुबई और चालू खाता संख्या-0...18501 स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, यू.ए.ई.।

जाँच के दौरान पाया गया कि श्री मधु कोड़ा एवं अन्य लोगों ने अनिल वस्तावडे नामक एक व्यक्ति के द्वारा हवाला माध्यम से इंडोनिशिया में निवेश करने के लिए धन भिजवाया। जाँच में यह तथ्य सामने आया कि विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, धनंजय चौधरी एवं अन्य लोगों की साँठ-गाँठ से श्री मधु कोड़ा ने भ्रष्टाचार द्वारा गलत तरीके से हासिल किए गए धन को संयुक्त अरब अमीरात में चल एवं अचल संपत्ति खरीदने में लगाया तथा निवेश करने के लिए हवाला द्वारा दुबई, यू.ए.ई. भेजा।

आगे जाँच में यह भी उजागर हुआ कि मधु कोड़ा ने अपने सहयोगियों विनोद सिन्हा और अनिल आदिनाथ वस्तावडे की मार्फत दुबई की निम्नांकित परियोजनाओं में पूँजी निवेश किया है—

क्र. सं.	परियोजना का नाम	माध्यम का नाम	निवेश राशि (दिहरम में)
1.	एस.पी.आई.सी.ए.	अनिल आदिनाथ वस्तावडे	19,001,300
2.	आर.आई.जी.ई.एल.	फार्चून होम इंवेस्टमेंट लि.	20,013,900
3.	मक्स्तर	फार्चून होम इंवेस्टमेंट लि.	18,207,300
4.	ट्रैंगल टावर	अनिल आदिनाथ वस्तावडे	34,400,500
5.	नाम निर्धारित नहीं	न्यू स्टार डेवलपमेंट ऐंड इंवेस्टमेंट	41,177,100
6.	नाम निर्धारित नहीं	फार्चून होम इंवेस्टमेंट लि.	82,700,700
		कुल निवेश	**215,500,800**

1 दिहरम का तत्कालीन मूल्य 11.90 रुपए

कुल निवेश 215,500,800 × 11.90 = 2,56,44,59,520 रुपए

3. ई.डी. द्वारा स्वीडन की सरकार को भेजे गए एल.आर. (आग्रह पत्र) का प्रासंगिक अंश (पृष्ठ 4 एवं 5)—

जाँच के दौरान यह स्पष्ट हुआ कि विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, धनंजय चौधरी एवं अन्य लोगों की साँठ-गाँठ से मधु कोड़ा ने भ्रष्टाचार और गलत तरीके से भारी मात्रा में अर्जित धन को हवाला के जरिए स्वीडन भेजा और स्वीडन में इसका निवेश करने के लिए स्टाकहोम की 'डेलोआइट' नामक कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट किया। इस कंपनी का पता है—डेलोआइट एबी-11379, स्टाकहोम, स्वीडन, दूरभाष संख्या है-0850671000, फैक्स संख्या है-0850672401 और वेबसाईट-WWW.deloitte.sc है।

मै. बालाजी होल्डिंग्स, एबी ऑरोगोल्ड ज्वैलरी (प्रा.) लि., सूर्यम् जेम्स ऐंड ज्वैलरी एल.एल.सी. और के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वैलरी एल.एल.सी. के बीच हुए इस एग्रीमेंट से संबंधित कंपनियों और व्यक्तियों का विवरण निम्नांकित हैं—

1. मै. डेलोआइट ए.बी. स्वीडन (श्री प्रणय पंडा, वरीय सलाहकार)
2. मै. बालाजी ग्रुप (श्री मनोज पुनमिया)
3. मै. सूर्यम् जेम्स ऐंड ज्वैलरी (श्री अरविंद व्यास)
4. मै. ऑरो गोल्ड ज्वैलरी (प्रा.) लि. (श्री रितेश जैन)
5. मै. स्कैंड इंडिया वेंचर (श्री लार्स ओलोफ बैकमैन)
6. मै. के.बी.ई. ओ.एस.ओ. (श्री सैमुएल जोनाट)
7. मै. सीन कनेक्शंस (श्री उल्फ वाल्लिन)
8. मै. नेक्सट जेनरेशन ब्रांडकास्टिंग एबी (श्री निकोलस श्यूलम बर्गर)

जाँच में यह जानकारी भी मिली कि यू.ए.ई., बैंकॉक और जकार्ता स्थित उपर्युक्त कंपनियों का उपयोग स्वीडेन में निवेश करने हेतु धन स्थानांतरित करने में हुआ है।

4. ई.डी. द्वारा थाईलैंड (बैंकाक) भेजे गए एल.आर. (अनुरोध-पत्र) का प्रासंगिक अंश (पृष्ठ 3 एवं 4)—

झारखंड में मुख्यमंत्री और मंत्री रहने की अवधि में मधु कोड़ा ने देश और देश

के बाहर भारी मात्रा में संपत्तियाँ खरीदी। ये संपत्तियाँ पद का दुरुपयोग कर भ्रष्टाचार से कमाए गए अवैध धन से खरीदी गईं। जाँच के दौरान निम्नांकित प्रमाण उभरकर सामने आए—

थाईलैंड के अयुथ्या बंदरगाह पर विभिन्न गतिविधियाँ आरंभ करने, कोयला का आयात और निर्यात करने, लाइमस्टोन का निर्यात करने और थाईलैंड में अन्य व्यापारिक गतिविधियों के लिए मै. ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स कंपनी लि. (मै. ब्लू टेक्नो) और रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट कंपनी प्रा.लि. (मै. रॉयल टाटा) के बीच एक एम.ओ.यू. पर हस्ताक्षर हुए। ब्लू टेक्नो रॉयल किंग्डम ऑफ थाईलैंड में पंजीकृत एक कंपनी है। जिसका पता है—19/243 सुरकमविट, साई 1 रुआमकी क्वांग क्लोंटोय नुआ, बैंकॉक, थाईलैंड। मै. रॉयल टाटा भी रॉयल किंग्डम ऑफ थाईलैंड के नियमों के अधीन थाईलैंड में पंजीकृत कंपनी है, जिसका पता है—137/257, भुवन, बैंडिलक्सा-3, रॉयल 7, रामिंद्रा—71 बैंकाक—10220, थाईलैंड। थाईलैंड में खरीदी गयी परीसंपति का विवरण निम्नाकिंत है—

क्र. सं.	प्लॉट नं.	क्षेत्रफल	टाइटल डीड नं.	मालिक	बिक्री मूल्य (वाट)
1.	596	12 रई	16665	खूं खुंवाने तांगपोंग	72,00,000
2.	597	12 रई	16666	खूं स्वाथ जारुयाड	72,00,000
3.	121	24 रई	1957	खूं वांग तानुसिन एवं सवंग तानुसिन	1,44,00,000
कुल		**48 रई**	-	-	**2,88,00,000**

1 वाट=1.40 रुपए होता है। अतः कुल विक्रय मूल्य-4.032 करोड़ रुपए।

प्रत्येक एल. आर. (अनुरोध-पत्र) में अंकित है कि संबंधित देशों के अधिकारियों की मदद से वहाँ पर दस्तावेज जुटाने और संबंधित व्यक्तियों का बयान दर्ज करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय में एक अधिकारी नियुक्त किया जाएगा। मगर जहाँ तक मेरी जानकारी है, आज तक प्रवर्तन निदेशालय की ओर से ऐसे एक भी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की अधिसूचना जारी नहीं हुई है।

इसी तरह प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग ऐक्ट (पी.एम.एल.ए.) में प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी, जो उपनिदेशक स्तर से नीचे का नहीं होगा, द्वारा सक्षम न्यायालय की अनुमति लेकर अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से कमाए गए धन को जब्त करने का प्रावधान भी है। परंतु प्रवर्तन निदेशालय ने अभियुक्तों की अवैध संपत्ति जब्त करने

अथवा भारत के बाहर के देशों में दस्तावेज आधारित पुख्ता सबूत जुटाने के लिए किसी अधिकारी को प्रतिनियुक्त नहीं किया गया है। अभी तक केवल दो अभियुक्त मधु कोड़ा और विकास सिन्हा ही इस घोटाले के सिलसिले में गिरफ्तार किए गए हैं। बाकी सभी अभियुक्त पहले की ही तरह स्वतंत्र होकर घूम रहे हैं।

आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय की जाँच घोटाला से जुड़े आर्थिक पहलुओं तक ही सीमित है। नियमानुसार आयकर विभाग अवैध रूप से अर्जित काले धन की शिनाख्त कर इस पर दंड वसूल लेगा और घोटाले का 70 प्रतिशत काला धन सफेद हो जाएगा। नख-दंत विहीन हो चुका प्रवर्तन निदेशालय 'मनी लाउंड्रिंग' का प्रमाण जुटाने के लिए विदेशी दूतावासों के चक्कर लगाता रहेगा। अपने पद का दुरुपयोग कर सार्वजनिक संपत्ति की लूट करनेवालों और लूट के काले धन का हवाला के जरिए देश-विदेश में निवेश करनेवालों तक अवैध धन से अर्जित परिसंपत्तियों के व्यावसायिक उपयोग से हो रहे मुनाफे का प्रवाह जारी रहेगा, जिसका दुरुपयोग ये लोग राजनीति, शासन, प्रशासन और जाँच को प्रभावित करने में तथा आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय के साथ मुकदमा लड़ने में करते रहेंगे। आवश्यक है कि घोटाले के आपराधिक पक्ष की गहन जाँच हो। आरोपियों के विरुद्ध मुकदमे दर्ज हो और अवैध कमाई से अर्जित परिसंपत्ति जब्त की जाए।

विदेशों तक फैले घोटाले के जाल को बेधने में झारखंड सरकार का निगरानी ब्यूरो सक्षम नहीं है। यह काम अपनी तमाम खूबियों-खामियों के साथ सी.बी.आई. ही कर सकती है। अगर झारखंड सरकार यह मामला सी.बी.आई. को नहीं सौंपती है तो आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय को चाहिए कि जाँच के दौरान पाए गए जो सबूत घोटाले के आपराधिक पक्ष से जुड़े हैं, उन्हें वे आवश्यक काररवाई का अनुरोध करते हुए स्वयं सी.बी.आई. को सौंप दे।

* संवाददाता सम्मेलन में जारी वक्तव्य, 19 अप्रैल, 2010

खंड-4

उच्च न्यायालय का फैसला
जाँच और आरोप पत्र

उच्च न्यायालय में मुकदमा और फैसला

राँची के एक सामाजिक कार्यकर्ता दुर्गा उराँव ने मधु कोड़ा और उनके मंत्रिपरिषद के कतिपय सदस्यों के विरुद्ध भ्रष्टाचार द्वारा आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप की जाँच सी.बी.आई. से कराने के लिए झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में 13 अगस्त 2008 को एक जनहित याचिका दायर की थी, माननीय उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका की सुनवाई त्वरित गति से आरंभ कर दी।

उच्च न्यायालय की खंडपीठ द्वारा मुकदमे की सुनवाई की विभिन्न तिथियों पर आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य निगरानी ब्यूरो को मुकदमे के विभिन्न पहलुओं पर जाँच प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाता था। नतीजा हुआ कि इन जाँच एजेंसियों ने अभियुक्तों द्वारा उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से अधिक आमदनी के बारे में काफी जानकारियाँ एकत्र कर लीं। इस बीच अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी कर अनेक संवेदनशील दस्तावेज बरामद किए गए और कतिपय अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया। मुकदमा की सुनवाई के क्रम में माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अपनी जाँच के प्रारंभिक नतीजों से न्यायालय को अवगत कराते रहे।

मामले की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने का आदेश पारित होने की तिथि तक आयकर विभाग के अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों की जाँच में काफी प्रगति हो गई थी। आयकर अन्वेषण अधिकारियों ने इस बारे में 45 भागों में अपना प्रतिवेदन तैयार कर लिया था, जिसमें घोटालेबाजों द्वारा हासिल किए गए अवैध धन और देश-विदेश में विभिन्न स्थानों पर इस अवैध धन के हवाला के माध्यम से निवेश करने का आधिकारिक वर्णन है। भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय और राज्य निगरानी ब्यूरो ने भी धीमी गति से ही सही, अपनी जाँच में पर्याप्त प्रासंगिक तथ्य एकत्र कर लिए थे।

अभियुक्तों ने इस बीच उच्च न्यायालय के समाने अंतिम हथियार के रूप में यह

दलील रखी कि दुर्गा उराँव एक काल्पनिक व्यक्ति है। इस नाम के किसी व्यक्ति का अस्तित्व नहीं है। इसलिए उनके खिलाफ दायर की गई यह याचिका दुर्भावनापूर्ण है और एक साजिश के तहत दायर की गई है। इस पर उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ता दुर्गा उराँव को तलाशने का जिम्मा झारखंड के आरक्षी महानिदेशक को दिया झारखंड की पुलिस दुर्गा उराँव का पता नहीं लगा सकी। आरक्षी महानिरीक्षक ने उच्च न्यायालय में शपथ-पत्र देकर दुर्गा उराँव को खोज पाने में राज्य पुलिस बल की असमर्थता जता दी। इसके बाद न्यायालय ने दुर्गा उराँव को ढूँढ़कर न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने का आदेश सी.बी.आई. को दिया। सी.बी.आई. ने न्यायालय का आदेश मिलने के तीन दिन के भीतर दुर्गा उराँव को ढूँढ़कर उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उच्च न्यायालय में दुर्गा उराँव ने स्वीकार किया कि भ्रष्टाचारी मंत्रियों को सजा दिलाने के लिए उसने स्वयं यह याचिका दायर की है।

इस प्रकरण से इस मामले में सी.बी.आई., राज्य निगरानी ब्यूरो और झारखंड पुलिस की कार्यप्रणाली क्षमता और दक्षता के बीच अंतर का पता चल गया। इससे झारखंड सरकार में बैठे उन लोगों की कलई खुल गई, जिन्होंने झारखंड उच्च न्यायालय में चार महीनों के भीतर तीन बार शपथ-पत्र दायर कर कहा कि राज्य सरकार इस मामले की जाँच सी.बी.आई. से कराना आवश्यक नहीं समझती है, क्योंकि झारखंड सरकार का निगरानी ब्यूरो इसकी जाँच करने में सक्षम है।

करीब दो वर्ष तक सुनवाई के उपरांत जनहित याचिका संख्या 4700/2008 एवं 2252/2009 में झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के माननीय न्यायाधीशद्वय, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश श्री एस.के. हरकौली और न्यायमूर्ति डी.एन.पटेल, की खंडपीठ ने दिनांक 4 अगस्त, 2010 को फैसला सुनाया और निगरानी के विशेष न्यायालय में चल रहे मुकदमे संख्या 26/2008 और 9/2009 की जाँच सी.बी.आई. को सौंप दिया। इन्होंने 48 घंटे के भीतर इस आदेश की एक प्रति सी.बी.आई. को निःशुल्क उपलब्ध कराने का निर्देश भारत के उप महान्यायवादी को दिया।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले की शुरुआत में ही स्पष्ट किया है कि इस मुकदमे की सुनवाई में काफी समय निकल गया है। साक्ष्य समाप्त नहीं हो जाएँ इसके पहले ही इसमें निहित मुख्य मुद्दे पर निर्णय लेना आवश्यक है कि न्यायालय में दर्ज इन आपराधिक मुकदमों के सभी पहलुओं से जुड़े तथ्यों के मद्देनजर इसकी जाँच, अग्रतर जाँच अथवा पुनः जाँच सी.बी.आई. को सौंपी जाए या नहीं याचिकाकर्ता का आरोप है कि ''घोटाले के कतिपय आरोपियों द्वारा अपने पद का दुरुपयोग कर काफी मात्रा में धन अर्जित किया गया है, जो भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के अंतर्गत अपराध है।'' अवैध तरीके से

धन उगाही के अपराध में शामिल होने और सहयोग करने का आरोप कई निजी व्यक्तियों पर भी है। इस आशय की खबरें समाचार-पत्रों में भी प्रकाशित हुई हैं। इनमें से कुछ मामलों की जाँच संप्रति आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो द्वारा की जा रही है।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में सरकारी पद का दुरुपयोग कर धन अर्जित करने के मामले में भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण कानून एवं पी.एम.एल.ए. कानून के प्रावधानों की व्याख्या की है और कहा है कि सरकारी पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से संपत्ति हासिल करने के अपराध की जाँच भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत आमतौर पर राज्य सरकार की एजेंसियाँ करती हैं। हालाँकि यदि अवैध तरीके से अर्जित ऐसा धन पी.एम.एल.ए. की धारा तीन के अंतर्गत शुमार होता है, तो इसकी जाँच प्रवर्तन निदेशालय करता है; परंतु प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की जाने वाली ऐसी जाँच को भारत सरकार के सामान्य अथवा विशेष आदेश से अन्य जाँच एजेंसियों को भी सौंपा जा सकता है। इस बारे में माननीय न्यायाधीश द्वय ने पी.एम.एल.ए. की धारा 15 (1ए) को अपने फैसले में उद्धृत किया है। माननीय उच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि इस मामले में भारी राशि का राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेन-देन हुआ है एवं देश-विदेश में संपत्ति एवं शेयर का क्रय हुआ है। अब यह स्थापित करना बाकी है कि इस भारी राशि को अर्जित करने में सरकारी पद का दुरुपयोग हुआ है या नहीं? कितने व्यक्तियों की मिलीभगत द्वारा यह धन अर्जित किया गया है? कितना धन अर्जित किया गया है? इसका निवेश कहाँ-कहाँ पर किया गया है?

माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार घोटाले की राशि करोड़ों में होने का आरोप है, मगर अभी तक की जाँच में एक मामले में मात्र 1.50 करोड़ रुपए और एक अन्य मामले की जाँच में मात्र 6.65 करोड़ का ही पता चला है, जो मात्र एक नमूना है और समुद्र में एक बूँद जैसा है। असली राशि का पता चलना तो अभी बाकी है। चूँकि इस प्रकार से अर्जित राशि का निवेश झारखंड राज्य में, देश के विभिन्न भागों में एवं देश के बाहर विभिन्न जगहों पर किया गया है, फलतः यह मामला अंतरराज्यीय एवं अंतरराष्ट्रीय प्रकृति का है। अतः इसकी जाँच सिलसिलेवार व वैधानिक तरीके से सी.बी.आई. जैसी विशेषज्ञतायुक्त एजेंसी से कराई जानी चाहिए।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कतिपय आरोपी कंपनियों का नाम भी अंकित किया है, जिनकी सूची मुकदमे की सुनवाई के दौरान माननीय उच्च न्यायालय को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा समर्पित की गई है। इन कंपनियों की सूची निम्नवत है—

1. मै. मोनेट व्यापार प्रा. लि., कोलकाता
2. मै. गणाधिपति ट्रेडर्स ऐंड क्रेडिट्स प्रा. लि., कोलकाता
3. मै. बासुदेव ट्रेडिंग कंपनी प्रा. लि., कोलकाता
4. मै. सुमित क्रेडिट कंपनी प्रा. लि., कोलकाता
5. मै. एकांत इंपोरियम प्रा. लि., कोलकाता
6. मै. जुबली डीलर्स प्रा. लि., कोलकाता
7. मै. सनकिस्ड एजेंसी प्रा. लि., कोलकाता
8. मै. अरिहंत ताराकॉम प्रा. लि., कोलकाता
9. मै. केजरीवाल फिनवेस्ट प्रा. लि., कोलकाता
10. मै. ए.सी.एम.ई. प्रा. लि., कोलकाता
11. मै. प्रशांत कॉमोट्रेड प्रा. लि., कोलकाता
12. मै. गिरधर सिंटेक्स प्रा. लि., कोलकाता
13. मै. सेवेसी विन्कम प्रा. लि., कोलकाता
14. मै. सालासर सप्लायर प्रा. लि., कोलकाता
15. मै. जे. एम. टेक्सटाईल्स प्रा. लि., कोलकाता
16. मै. श्रद्धा व्यापार प्रा. लि., कोलकाता
17. मै. अजंता मर्चेंट्स प्रा. लि., कोलकाता
18. मै. मैजेस्टिक सेल्स प्रोमोशन प्रा. लि., कोलकाता
19. मै. हनु रंग विनमय प्रा. लि., कोलकाता
20. मै. विवेक ट्रेडिंग ऐंड क्रेडिट्स प्रा. लि., कोलकाता
21. मै. कारबेल मर्केंटाइल प्रा. लि., कोलकाता
22. मै. कोल्हान ट्रेडिंग प्रा. लि., कोलकाता
23. मै. यशमन दीपक प्रा. लि., कोलकाता
24. मै. विनायका फिनलिज प्रा. लि., कोलकाता
25. मै. डोएन मार्केटिंग प्रा. लि., कोलकाता
26. मै. लक्की प्रोजेक्ट प्रा. लि., कोलकाता
27. मै. क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज प्रा. लि., कोलकाता
28. मै. इंडिया कार्स ऐंड मोटर्स प्रा. लि., कोलकाता

साथ ही देश से बाहर के जिन देशों में हवाला के माध्यम से अवैध तरीका से हासिल किए गए धन का निवेश किया गया है उन का उल्लेख भी न्यायालय के आदेश में है। इन चिह्नित देशों में बैंकाक, दुबई, इंडोनेशिया, स्वीडेन, लाइबेरिया आदि प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में उन विदेशी कंपनियों

का भी जिक्र किया है, जिनमें भारी पूँजी निवेश किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि अनेक ऐसी कंपनियाँ भी हैं जिनका पता चलना अभी बाकी है।

अपने फैसले में माननीय उच्च न्यायालय ने इस बात का उल्लेख किया है कि ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट, जिनके प्रबंध निदेशक श्री संजय चौधरी हैं, जैसी कई कंपनियाँ थाईलैंड में पंजीकृत हैं, और उन कंपनियों में अभियुक्तों द्वारा अवैध तरीके से हासिल किए गए धन का बड़े पैमाने पर निवेश किया गया है। इस प्रकार की विदेशी कंपनियाँ एक दर्जन से अधिक हैं, जिनमें अभियुक्तों ने कई सौ करोड़ रुपए जमा किए हैं। कतिपय कंपनियों के उल्लेख माननीय उच्च न्यायालय के फैसले में अंकित हैं, जो निम्नवत हैं—

(i) सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलर्स, दुबई (यू.ए.ई)
(ii) के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी, दुबई (यू.ए.ई.)
(iii) बालाजी होल्डिंग्स, दुबई (यू.ए.ई.)
(vi) ब्लू स्टार होल्डिंग्स, दुबई (यू.ए.ई)

माननीय उच्च न्यायालय के फैसले में उल्लेख है कि इसी तरह विदेश में स्थित कई अन्य कंपनियों की जानकारी दी गई है, जिनमें अभियुक्तों द्वारा उनके सहयोगियों के माध्यम से भारी मात्रा में अवैध धन का निवेश किया गया है। ऐसे देशों और ऐसी कंपनियों की सूची देखने से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता है कि निवेश का यह मामला केवल कुछ करोड़ रुपए तक सीमित नहीं है, बल्कि यह कई सौ करोड़ रुपए के करीब है। अभी तक की जाँच के क्रम में कुछ करोड़ रुपए तक का निवेश ही उजागर हो पाया है, जिससे लगता है कि अभी तक की गई जाँच प्रथम दृष्टया अपर्याप्त है। इसलिए इस गंभीर प्रकृति के मामले की जाँच ऐसी विशेषज्ञ एजेंसी से कराना आवश्यक है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री एवं उनके मंत्रिमंडल के अन्य सहयोगी मंत्री प्रभावित नहीं कर सकें।

माननीय उच्च न्यायालय के अनुसार राज्य सरकार की जाँच एजेंसी के पास न तो ऐसी विशेषज्ञता है, न इस प्रकार की जाँच का अनुभव है जैसा केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को है। इसके अलावा इस मामले के अभियुक्त राज्य सरकार में उच्च पदों पर आसीन रहे हैं और भविष्य में पुन: इन पदों पर उनके लौटने की संभावना हमेशा बरकरार है, जो राज्य की जाँच एजेंसी के अधिकारियों द्वारा निष्पक्ष निर्णय, उपयुक्त एवं समग्र जाँच की राह में बाधा है। माननीय उच्च न्यायालय ने अपने फैसले में यह भी कहा है कि काफी समय बीत जाने के बावजूद आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय कई अभियुक्तों की उपस्थिति संबंधित न्यायालयों में नहीं करा पाया। ऐसी

परिस्थिति में व्यापक जनहित में जरूरी हो गया है कि इस मामले की उचित, व्यापक एवं समग्र जाँच ऐसी एजेंसी से कराई जाए, जो राज्य सरकार के प्रभाव से दूर हो।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा है कि चूँकि इस मामले में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री एवं मंत्रियों की संलिप्तता है, अत: इसकी जाँच ऐसी एजेंसी से कराना उचित होगा, जो इनके प्रभाव में नहीं आती हो। साथ ही राज्य की जाँच एजेंसियों की एक सीमा है, जिससे बाहर जाकर जाँच करना इनके लिए संभव नहीं होगा।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि पूर्व में 'रूबाउद्दीन शेख बनाम गुजरात सरकार' मामले में जाँच एजेंसी द्वारा चार्जशीट दाखिल होने के बाद भी माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा संबंधित मामले की जाँच सी.बी.आई. से कराने का आदेश दिया गया है। यह मामला इस परिप्रेक्ष्य में 'रूबाउद्दीन शेख बनाम गुजरात सरकार' के मामले से मेल खाता है। इसकी उचित जाँच राज्य सरकार की एजेंसी से नहीं हो सकती है। फलत: इसकी जाँच सी.बी.आई. से कराना उचित होगा।

माननीय उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में आगे कहा है कि भारत सरकार के सहायक महान्यायवादी ने, जिन्होंने केंद्र, राज्य और सी.बी.आई. का पक्ष न्यायालय के सामने रखा है, तथा राज्य सरकार के विद्वान् अधिवक्ता ने, इस मामले की जाँच सी.बी.आई से कराने का विरोध किया। परंतु इस बारे में उनके द्वारा कोई ठोस तथ्य न्यायालय के समक्ष उपस्थापित नहीं किए जा सके। साथ ही अपराध दंड प्रक्रिया संहिता (Code of Criminal Procedure) की धारा 156(3) के तहत आरोपी को यह बताने का अधिकार नहीं है कि उस पर लगे आरोपों की जाँच किस एजेंसी से कराई जाए। उपयुक्त जाँच एजेंसी से जाँच कराने पर केस की सुनवाई में मदद मिलेगी। सी.बी.आई. से जाँच कराना कोई दंड नहीं है। इसके साथ ही माननीय उच्च न्यायालय ने निगरानी अदालत में लम्बित दो मुकदमों, यथा मुकदमा संख्या 26/2008 और 9/2009 को भी सी.बी.आई न्यायालय में स्थानांतरित करने का आदेश दिया।

माननीय न्यायालय ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया है कि सी.बी.आई. से जाँच कराने का आदेश देने का न्यायालय का निर्णय समाचार-पत्रों में छपी खबरों अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में दिखाई गई खबरों पर आधारित नहीं है। यह पूर्णत: मामले की गंभीरता एवं इसमें भारी राशि के देश-विदेश में निवेश एवं सरकार के उच्च पदों पर बैठे व्यक्तियों की इसमें संलिप्तता को देखते हुए लिया गया निर्णय है।

□

आयकर विभाग एवं ई.डी. की जाँच

मधु कोड़ा लूट राज की जाँच सी.बी.आई. से कराने की माँग को लेकर झारखंड उच्च न्यायालय में दायर की गई जनहित याचिका में शामिल किए गए कागजातों और 20 अक्तूबर, 2008 को मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उजागर किए गए लूट राज के प्रामाणिक दस्तावेजों के आधार पर आयकर अन्वेषण निदेशालय तथा प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने अपने स्तर से इस मामले की जाँच आरंभ कर दी। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान समय-समय पर आयकर अन्वेषण निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य निगरानी ब्यूरो के अधिकारियों को जाँच की अद्यतन प्रगति से न्यायालय को अवगत कराने के निर्देश दिए जाते रहे। इन निर्देशों के आलोक में केंद्रीय जाँच एजेंसियों के अधिकारी घोटालेबाजों और हवालेबाजों द्वारा अवैध धन अर्जित करने की प्रक्रिया, इसे वैध बनाने के तरीके, इसे हवाला के माध्यम से विदेश में कई देशों में तथा देश के कई भागों में स्थानांतरित करने की तमाम सूचनाएँ एकत्र करते रहे और उपलब्ध सूचनाओं का विश्लेषण कर इसके निष्कर्षों से माननीय उच्च न्यायालय को अवगत कराते रहे।

मार्च 2009 के अंत तक आयकर अन्वेषण निदेशालय ने अपने स्तर पर सूचना संग्रह की तैयारी पूरी कर ली। अभियुक्तों के ठिकानों और उनके कारोबार, उनके सहयोगी व्यक्तियों एवं संस्थाओं और उनसे जुड़ी कंपनियों के लेन-देन के बारे में पर्याप्त सूचना संग्रह कर लेने के बाद आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के उच्चाधिकारियों से इनके ठिकानों पर छापेमारी करने की अनुमति माँगी। इस बीच लोकसभा चुनाव घोषित हो जाने का हवाला देकर जाँच अधिकारियों को इस मामले में आगे की कारवाई करने की अनुमति नहीं मिली। फस्वरूप अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी का कार्य अधर में लटक गया।

लोकसभा चुनाव के पश्चात् मई 2009 में वित्त मंत्रालय ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी) के अन्वेषण विभाग को अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी

करने की अनुमति तो दे दी, परंतु सी.बी.डी.टी. के सदस्य, अन्वेषण के स्तर पर इस आदेश को शिथिल कर दिया गया। फलतः इस मामले में आगे काररवाई नहीं हो सकी। उलटे आयकर विभाग में चल रही इन गतिविधियों की जानकारी घोटालेबाजों तक पहुँच गई और वे सावधान हो गए।

प्रारंभिक जाँच में अपने स्तर पर जुटाए गए तथ्यों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने 9 अक्तूबर, 2009 को मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, संजय चौधरी एवं उनके अन्य सहयोगियों के खिलाफ पी.एम.एल.ए. (प्रिवेंशन ऑफ मनी लाउंड्रिंग ऐक्ट 2002) के तहत मनी-लाउंड्रिंग यानी गैर-कानूनी ढंग से भारत का धन विदेशों में तथा देश के विभिन्न भागों में भेजने का मुकदमा दर्ज किया और उनके ठिकानों पर छापेमारी करने का निर्णय लिया। इतने बड़े पैमाने पर छापेमारी करने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के पास 'मैन पॉवर' के साथ-साथ इंफ्रास्ट्रक्चर का अभाव था, इसलिए उन्होंने आयकर विभाग से इस मामले में सहयोग करने के लिए अनुरोध किया।

ई.डी. द्वारा छापेमारी के लिए सहयोग माँगने की सूचना मिलते ही सी.बी.डी.टी. के सदस्य, अन्वेषण के कान खड़े हो गए। उन्हें आशंका हुई कि कहीं यह भेद न खुल जाए कि उन्होंने ही मई 2009 में भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए दी गई अनुमति के आदेश को दबा कर रखा है! इसलिए उन्होंने आनन-फानन में ई.डी. को सूचित किया कि आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा बहुत पहले से इस बारे में सूचना संग्रह करने की काररवाई की जा रही है और छापेमारी के पूर्व की सभी आवश्यक औपचारिकताओं एवं कार्यों को पूरा कर लिया गया है, जबकि वस्तुस्थिति ऐसी नहीं थी। वाह-वाही लूटने के लिए और अपनी गलत करनी पर परदा डालने के लिए उन्होंने अपने अधीनस्थ अधिकारियों को सिर्फ दो दिन का समय देते हुए देश भर में फैले मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के विभिन्न ठिकानों पर छापेमारी की काररवाई करने का आदेश दिया। इस बीच श्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों को भी इसकी भनक लग गई। उन्होंने अपने स्तर पर यथासंभव प्रयास किया कि ये छापे कुछ दिन और आगे टाल दिए जाएँ। परंतु ई.डी. के साथ संयुक्त छापेमारी का निर्णय होने के कारण ऐसा नहीं हो पाया। फिर भी उन्होंने अपने ठिकानों से संवेदनशील दस्तावेजों और अवैध कमाई के सबूतों को यथासंभव हटाने का प्रयास किया।

प्रथम चरण की छापेमारी

इसके बाद प्रवर्तन निदेशालय और आयकर अन्वेषण निदेशालय की बिहार-झारखंड इकाई ने श्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के खिलाफ अपनी मुहिम तेज कर दी। 28 अक्तूबर, 2009 को देश भर में मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के लगभग 73 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी शुरू हुई। यह छापेमारी अभियान आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा संयुक्त रूप से चलाया गया। प्रथम चरण की छापेमारी 31 अक्तूबर, 2009 तक चली। इस छापेमारी में आयकर अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकरियों ने मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के राँची, जमशेदपुर, चाईबासा, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता एवं दिल्ली स्थित ठिकानों से घोटाले से संबंधित दस्तावेजों के साथ-साथ नकद राशि, सोने-चाँदी के आभूषण, लैपटॉप एवं संदिग्ध बैंक एकाउंट अपने कब्जे में लिया।

28 अक्तूबर, 2009 को आयकर अधिकारियों ने राँची शहर के ए.जी. कॉलोनी स्थित राकेश प्रसाद की कंपनी ए.बी.सी. इंफ्रास्ट्रक्चर के कार्यालय में छापा मारा और हवाला से संबंधित बैंक एकाउंट एवं दस्तावेज बरामद किए। इससे यह पता चला कि मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा एवं उनके सहयोगियों ने किस प्रकार घोटाला की कमाई का देश-विदेश की विभिन्न कंपनियों में निवेश किया है। इसी क्रम में मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल में उनके निजी सचिव रहे हरेंद्र कुमार सिंह के आवास पर छापा मारकर निवेश से संबंधित कई दस्तावेज एवं कागजात जब्त किए गए। 31 अक्तूबर, 09 को मैसर्स क्वांटम पॉवर टेक, जिसके निदेशक बी.के. सिंह एवं रोहितास कृष्णन हैं, के रूकमनी टावर, राँची स्थित ऑफिस में छापेमारी के दौरान आयकर विभाग के हाथ कुछ ऐसे दस्तावेज लगे, जो चौंकाने वाले थे। इनसे पता चला कि इस कंपनी का मुख्य कार्य बिजली विभाग एवं सड़क विभाग द्वारा आवंटित विभिन्न ठेकों में कमीशन लेना और दूसरों के नाम ठेके आवंटित कराकर उन ठेकों का कार्य परोक्ष या अपरोक्ष रूप से स्वयं हथिया लेना है। इस छापे में जब्त दस्तावेजों से पता चला कि विभिन्न ठेकों में कमाए हुए काले धन को पहले दिल्ली, मुंबई एवं कोलकाता स्थित विभिन्न हवाला एजेंटों तक पहुँचाया जाता था। बाद में इसे उनकी बेनामी कंपनियों के एकाउंट में डालकर ऋण और शेयर अप्लीकेशन के माध्यम से क्वांटम पॉवर टेक के खाते में कैपिटल के रूप में हस्तांतरित किया जाता था। क्वांटम पॉवर टेक के माध्यम से घोटालेबाजों ने दिल्ली एवं नोएडा में विभिन्न रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स में धन को निवेश किया। विनोद सिन्हा, बी.के. सिंह एवं रोहितास कृष्णन के एक अन्य सहयोगी अशोक कुमार सिंह की कंपनी 'रामजी पॉवर' के कोकर, राँची स्थित कार्यालय-सह निवास में छापे के दौरान प्राप्त दस्तावेजों से बिजली विभाग के ए.पी.डी.आर.पी. एवं ट्रांसमिशन लाइन के टेंडर आवंटन में व्याप्त अनियमितताओं का खुलासा हुआ।

मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल में मीडिया एडवाइजर का कार्य देखनेवाले एक पत्रकार के आवास पर भी 30 अक्तूबर, 2009 को आयकर विभाग ने छापा मारा और

कई ऐसे दस्तावेज जब्त किए, जो इनके माध्यम से हुए काले धन के निवेश की ओर इशारा कर रहे थे। मधु कोड़ा के एक अन्य निजी सहायक अरुण कुमार श्रीवास्तव के अर्पित इंक्लेव, कांके रोड, राँची स्थित आवास पर छापेमारी में प्राप्त दस्तावेज इस बात की ओर स्पष्ट संकेत कर रहे थे कि मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री पद का दुरुपयोग करते हुए विनोद सिन्हा ने खनन और बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर अनियमितताएँ की थीं। इस दौरान कई बेनामी संपत्तियों का ब्योरा मिला। विनोद सिन्हा और विकास सिन्हा के पार्टनर विजय जोशी के राँची, जमशेदपुर एवं कोलकाता स्थित आवासों पर भी आयकर और ई.डी. की छापेमारी हुई। छापेमारी के दौरान प्राप्त दस्तावेजों से यह पता चला कि विनोद सिन्हा एवं विकास सिन्हा ने अनियमित ढंग से कमाए हुए काले धन का उपयोग चांडिल स्थित शिवरामा स्पांज, रामगढ़ स्थित इंडो असाई ग्लास कंपनी, उड़ीसा की चैरियट स्टील ऐंड पॉवर कंपनी, क्रियेटिव फिस्कल जैसी कंपनियों के अधिग्रहण हेतु किया था। प्राप्त दस्तावेज इस बात की ओर संकेत कर रहे थे कि काले धन का उपयोग देश के विभिन्न भागों, जैसे—दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, चंडीगढ़, राँची एवं जमशेदपुर में चल एवं अचल संपत्ति का अधिग्रहण करने में भी किया गया था।

मुंबई स्थित बालाजी ग्रुप के कार्यालय पर 31 अक्तूबर, 2009 को आयकर विभाग की छापेमारी हुई। यहाँ प्राप्त दस्तावेज सबसे ज्यादा चौंकाने वाले थे। इन दस्तावेजों के विश्लेषण से आयकर विभाग के अधिकारी सन्न रह गए। मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, संजय चौधरी एवं इनके अन्य सहयोगियों के 'मुंबई कनेक्शन' का पर्दाफाश करने में इन दस्तावेजों ने अहम भूमिका अदा की। इनसे स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार इन लोगों ने झारखंड की लूट से हासिल काले धन को हवाला के माध्यम से देश के भीतर विभिन्न स्थानों पर और देश से बाहर कई देशों में पहुँचाया और इस अवैध धन का उपयोग दुबई, इंडोनेशिया एवं थाईलैंड तक संपत्ति खरीदने में किया। यहाँ से प्राप्त दस्तावेज इस बात की ओर भी इशारा कर रहे थे कि काली कमाई के एक बड़े हिस्से का उपयोग देश-विदेश में शिपिंग, माइनिंग एवं रियल स्टेट से संबंधित कंपनियों के अधिग्रहण में हुआ है। इंडोनेशिया में माइंस, जमशेदपुर में मॉल प्रोजेक्ट एवं दुबई में जाबेर अली के रियल स्टेट में इस काले धन का निवेश किया गया है। जब्त किए गए दस्तावेजों से पता चला कि बालाजी ग्रुप के निदेशक मनोज पुनमिया एवं अरविंद व्यास ने मिलकर मुंबई के झवेरी बाजार स्थित यूनियन बैंक के चालू खाता में लगभग 1260 करोड़ रुपए नकद जमा किए हैं, जोकि अपने आप में अत्यंत सनसनीखेज सूचना थी। इन दस्तावेजों से इस बात का संकेत मिला कि बालाजी ग्रुप के निदेशक मनोज पुनमिया एवं अरविंद व्यास के सहयोग से मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगी अफ्रीका के एक देश 'सियरा लियोन' में एक सोने की खान खरीदने के प्रयास में थे, जिसकी सौदेबाजी उस समय अंतिम चरण में थी।

31 अक्तूबर, 2009 को आयकर विभाग ने लखनऊ में आंध्र प्रदेश की एक निर्माण कंपनी आई.वी.आर.सी.एल. के अधिकारी डी.के. श्रीवास्तव के आवास पर छापा मारकर झारखंड बिजली बोर्ड के ठेके से संबंधित कई दस्तावेज बरामद किए। इन दस्तावेजों से यह स्पष्ट हो गया कि मधु कोड़ा के मुख्यमंत्रित्व काल में बिजली विभाग में बड़े पैमाने पर घोटाला फल-फूल रहा था। यह प्रमाण भी मिला कि डी.के. श्रीवास्तव ने ग्रामीण विद्युतीकरण के एक बड़े टेंडर के आवंटन की एवज में विनोद सिन्हा, रोहितास कृष्णन एवं बी.के. सिंह के माध्यम से तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को करोड़ों रुपए कमीशन के तौर पर दिए थे।

30 अक्तूबर, 2009 को मधु कोड़ा एवं विनोद सिन्हा के करीबी शैलेश प्रसाद के चाईबासा स्थित आवास एवं कार्यालय पर छापेमारी के दौरान प्राप्त दस्तावेज अवैध खनन एवं लौह अयस्क के ट्रांसपोर्टेशन में व्याप्त बड़े घपले की ओर इशारा कर रहे थे। कई बेनामी कंपनियों के नाम से फर्जी चालान बनाकर झारखंड एवं झारखंड से बाहर लौह अयस्क का अवैध ट्रांसपोर्टेशन किया जा रहा था, जिससे राज्य को करोड़ों रुपए के राजस्व की हानि हो रही थी।[1]

दूसरे चरण की छापामारी

दूसरे चरण में आयकर विभाग ने 16 फरवरी, 2010 को मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के लगभग 60 ठिकानों पर छापेमारी की। इस छापेमारी में कोड़ा लूट राज घोटाला से जुड़े अनेक महत्त्वपूर्ण दस्तावेज मिले। तत्कालीन मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के निजी सचिव मनोहर लाल पाल के राँची एवं जमशेदपुर स्थित ठिकानों पर लगभग 65 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति का पता चला। छापेमारी के दौरान आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों को कई ऐसे दस्तावेज भी मिले, जो इस ओर इशारा कर रहे थे कि श्री मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों द्वारा झारखंड की लूट में हासिल किए गए काले धन की बंदर-बाँट में कई अन्य महत्त्वपूर्ण लोग भी शामिल थे। इस दौरान आयकर विभाग ने पुणे (महाराष्ट्र) स्थित दो हवाला एजेंटों अनिल वस्तावडे और अजय बाफना के ठिकानों पर भी छापेमारी की। अनिल वस्तावडे के यहाँ से जब्त किए गए दस्तावेजों से प्रमाणित हो गया कि मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा एवं उनके अन्य सहयोगियों ने लगभग 273 करोड़ रुपए का निवेश दुबई एवं थाईलैंड में अनिल वस्तावडे के माध्यम से किया है।

दूसरे चरण की छापेमारी के दौरान हवाला के माध्यम से राजनेताओं और बड़े अफसरों का काला धन विदेश भेजने और विदेश के बैंकों में इनका खाता खुलवाने का काम करने वाले नई दिल्ली के एक हवाला कारोबारी अशोक चितकारा के कार्यालय

पर आयकर अधिकारियों ने छापा मारा। अशोक चितकारा के ऐसे कार्यकलापों की सूचना मैंने काफी पहले आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों को दी थी। झारखंड के राजनीति में विशेष रुचि लेते रहने वाले दिल्ली के देवेंद्र मुखिया ने इस शातिर हवालेबाज के बारे में मुझे बताया था। अपनी सूचना को संपुष्ट करने के लिए उन्होंने मोबाइल फोन पर चितकारा से मेरी बात भी कराई थी। उस समय उनके साथ मेन रोड, राँची का तनवीर हसन भी था। मोबाइल फोन पर बातचीत में अशोक चितकारा ने मुझे बताया कि उसने झारखंड के कतिपय बड़े नेताओं का खाता विदेश के बैंकों में खुलवाया है, दो बैंक खाता तो उसने हाल ही संसद् में हुए न्युक्लियर बिल पर हुई बहस के तुरंत बाद में झारखंड के एक बड़े नेता और उनके पुत्र के नाम से खुलवाया है। उसने आगे कहा कि यदि आप भी अपना खाता भी किसी विदेशी बैंक में खोलवाना चाहते हैं; तो स्वागत है, परंतु इसके लिए कम-से-कम 5 करोड़ रुपए लेकर आना होगा। इस बातचीत का विवरण मैंने पटना जाकर आयकर अन्वेषण निदेशालय के एक वरीय पदाधिकारी को बता दिया।

आयकर विभाग के अधिकारीगण 16 फरवरी, 2010 को चितकारा के नई दिल्ली स्थित आवास पर छापेमारी के लिए तो गए, परंतु उन्होंने पर्याप्त पुलिस बल अपने साथ नहीं लिया। नतीजा हुआ कि छापेमारी करने गए दिल्ली शाखा के आयकर अधिकारियों के दल पर चितकारा ने अपने सहयोगियों के साथ हमला कर दिया। इनके साथ मारपीट किया और अपने कार्यालय में घेर कर इन्हें दो घंटा तक उलझाए रखा। इस बीच उसने अपने कार्यालय से सटे आवास से हवाला संबंधी सभी संवेदनशील दस्तावेजों को हटवा दिया। उसके कार्यालय के कंप्यूटर का हार्ड डिस्क और दो-चार फाइलें ही आयकर अधिकारियों के हाथ लग सकीं, जिन्हें उन्होंने फॉरेंसिक साइंस लेबोरेट्री में जाँच के लिए भेज दिया। दिल्ली के आयकर अधिकारी यदि पूरी तैयारी और पर्याप्त सुरक्षा के साथ अशोक चितकारा के यहाँ छापेमारी करने गए होते तो न केवल मधु कोड़ा लूट राज के बारे में, बल्कि देश के राजनीतिक-प्रशासनिक जगत की प्रभावशाली हस्तियों का काला धन विदेश में कहाँ-कहाँ जमा किया गया है, इसका विस्तृत विवरण भी उन्हें मिल गया होता। चितकारा के कार्यालय से आयकर अधिकारियों द्वारा एक डायरी जब्त करने की सूचना है, जिसमें देश की राजधानी के कतिपय प्रभावशाली हस्तियों के नामों का उल्लेख है।

ई.डी. के अनुरोध-पत्र

दिनांक 9 अक्तूबर, 2009 को प्रवर्तन निदेशालय ने पी.एम.एल.ए. (प्रिवेन्शन ऑफ मनी लाउंड्रिंग ऐक्ट) के अधीन घोटालाबाजों और हवालाबाजों के विरुद्ध राँची

के विशेष न्यायालय में मुकदमा दर्ज किया। इसके बाद ई.डी. के अधिकारियों ने दिनांक 28 अक्तूबर, 2009 से 31 अक्तूबर, 2009 तक आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों के साथ मिलकर अभियुक्तों के ठिकानों पर सघन छापेमारी में भाग लिया। छापेमारी के दौरान इन्हें घोटाले के धन को हवाला के जरिए देश से बाहर ले जाने के तथ्यपरक प्रमाण मिले। इन प्रमाणों को जाँचने-परखने और इनके आधार पर जाँच की अग्रेतर कारखाई करने के दौरान उपलब्ध अतिरिक्त तथ्यों के आधार पर ई.डी. ने 09 दिसंबर, 2009 को अभियुक्तों के खिलाफ विदेश में जाँच करने का निर्णय लिया। इस हेतु संबंधित देशों को अनुरोध-पत्र भेजने की अनुमति के लिए राँची स्थित अपनी विशेष अदालत में अर्जी डाला। लौह अयस्क घोटाला में आरंभिक अनुसंधान के दौरान मिले प्रमाणों के आधार पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा और उनके सहयोगियों द्वारा घोटाले से हासिल काले धन का विदेशों में निवेश करने के संबंध में जाँच करने के लिए भारत सरकार के प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) ने लाइबेरिया, संयुक्त अरब अमीरात (दुबई), स्वीडन, थाईलैंड आदि देशों को आग्रह-पत्र भेजकर घोटाले की जाँच में सहयोग करने का अनुरोध किया। अर्जी में ई.डी. ने अनुरोध-पत्रों का विवरण भी विशेष न्यायालय के सामने रखा। विशेष न्यायालय ने संबंधित देशों को उचित माध्यम से इन अनुरोध-पत्रों को भेजने की अनुमति ई.डी. को प्रदान कर दी। ई.डी. द्वारा विशेष न्यायालय में अनुमति अर्जी के साथ दाखिल किए गए ये अनुरोध-पत्र मुझे एक विश्वसनीय सूत्र से प्राप्त हो गए। इन अनुरोध-पत्रों का विवरण मैंने दिनांक 19 अप्रैल, 2010 को जमशेदपुर में एक संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर सार्वजनिक किया। इन अनुरोध-पत्रों में अंकित विवरण से पता चलता है कि मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों का विदेशी बैकों में खाता है। उन्होंने मुख्यमंत्री रहते हुए भ्रष्टाचार की सारी हदें पार कर ली थीं।

जाँच में अड़ंगा

बिहार राज्य के बहुचर्चित चारा घोटाला की तरह 'कोड़ा लूट राज' के लौह अयस्क घोटाले में भी हवालेबाजों, घोटालेबाजों, उद्योगपतियों, राजनीतिज्ञों, अफसरों का एक निहित स्वार्थी समूह घोटाले की समुचित जाँच नहीं होने देने के षड्यंत्र में लगा है। इन घोटालेबाजों, हवालेबाजों और षड्यंत्रकारियों ने धन-बल की बदौलत काफी ऊपर तक पहुँच बना रखी है। 16 फरवरी, 2010 को आरंभ हुई आयकर अन्वेषण निदेशालय की दूसरे चरण की छापेमारी के दौरान ही छापेमारी का नेतृत्व कर रहे आयकर निदेशक (अन्वेषण) उज्जवल चौधरी का तबादला आनन-फानन में कर दिया गया। छापेमारी के वक्त मधु कोड़ा के गुर्गों ने उज्जवल चौधरी पर खुले आम छीटाकशी

की कि छापेमारी के बाद पटना पहुँचने के पहले उनकी कुरसी चली जाएगी और हुआ भी यही। उज्जवल चौधरी चाईबासा से निकले ही थे कि सूचना मिली कि उन्हें पद से हटा दिया गया है। श्री चौधरी के स्थानान्तरण के विरुद्ध झारखंड उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की गयी। उच्च न्यायालय ने तबादले को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए इस पर रोक लगा दी। इस उज्जवल चौधरी के तबादले का उच्चस्तरीय षड्यंत्र केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड में रचा गया था। ऐसा केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड के सदस्य अन्वेषण और केंद्रीय वित्त मंत्री की विशेष कार्य अधिकारी (ओ.एस.डी.) की शह पर हुआ।

केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सी.बी.डी.टी.) के सदस्य अन्वेषण ने उज्जवल चौधरी के स्थानांतरण के लिए सी.बी.डी.टी. के तत्कालीन अध्यक्ष और सदस्य कार्मिक पर केंद्रीय वित्त मंत्री के ओ.एस.डी. के आदेश का हवाला देकर उज्जवल चौधरी का ट्रांसफर करने का दबाव बनाया। इन्होंने केंद्रीय बजट की तैयारी में व्यस्त वित्त मंत्री प्रणव मुखर्जी को अंधकार में रखकर उज्जवल चौधरी के तबादले को अपने स्तर से अंजाम दिया।

सी.बी.डी.टी. के तत्कालीन सदस्य अन्वेषण का आचरण इस मामले में पहले से संदिग्ध रहा है। कोड़ा घोटाले की जाँच में ये प्रत्यक्ष-परोक्ष अड़ंगेबाजी करते रहे और जाँच की गति धीमी करने की हरसंभव कोशिश करते रहे। 31 अक्तूबर, 2009 को कोड़ा और सहयोगियों के ठिकानों पर छापेमारी करने के लिए इन्होंने संबंधित आधिकारियों को मात्र दो दिन का समय दिया, जिसका नतीजा हुआ कि वह छापेमारी पूरी तरह सफल नहीं हो सकी। इन्होंने अपने प्रभाव का उपयोग कर मुंबई के अधिकारियों को सक्रिय नहीं होने दिया, अन्यथा इस्पात व्यवसायियों एवं घोटाले के अभियुक्तों के ठिकानों से काफी धन बरामद हुआ होता, जिसकी संभावना अभी भी है। 15 फरवरी से 18 फरवरी, 2010 तक चली छापेमारी की सफलता और इसमें बरामद हुए पुख्ता दस्तावेजों की संवेदनशीलता के कारण ऐसे अधिकारी बौखला गए। इन्होंने छापेमारी के दौरान ही उज्जवल चौधरी के स्थानांतरण की साजिश की, ताकि जाँच की तेज गति को रोका जा सके।

□

जाँच एजेंसियों के आरोप-पत्र

झारखंड उच्च न्यायालय, राँची ने 4 अगस्त, 2010 को निर्णय सुनाया कि मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों के विरुद्ध उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका में लगाए गए आरोपों की जाँच सी.बी.आई. करेगी और इस संबंध में जिन मामलों की जाँच राज्य निगरानी ब्यूरो कर रही है, वे मामले भी सी.बी.आई. के पास स्थानांतरित हो जाएँगे। माननीय उच्च न्यायालय का यह निर्णय आने के पूर्व झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो अपने विशेष न्यायालय के निर्देश पर मधु कोड़ा के विरुद्ध दायर एक मामला की जाँच कर रहा था। यह मामला आमदनी के ज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति से संबंधित था। निगरानी ब्यूरो ने 28 जनवरी, 2010 को अपने विशेष न्यायालय में इस बारे में आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। माननीय उच्च न्यायालय का फैसला आने के बाद सी.बी.आई. ने अपने विशेष न्यायालय में श्री मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के खिलाफ एक आरोप-पत्र 12 नवम्बर, 2010 को दायर किया। इसके बाद प्रवर्तन निदशालय ने इस मामले में दो आरोप-पत्र अपने विशेष न्यायालय में दायर किया। एक आरोप-पत्र विनोद सिन्हा के विरुद्ध 4 मार्च, 2011 और दूसरा आरोप विजय जोशी के खिलाफ 18 सितम्बर, 2011 को दायर हुआ।

जाँच के निष्कर्षों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने जिन अभियुक्तों एवं उनके द्वारा अवैध रूप से हासिल धन की हेराफेरी में लिप्त जिन कंपनियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया था, उन सभी ने पी.एम.एल.ए. के प्रावधान के अंतर्गत त्रि-सदस्यीय न्यायायिक प्राधिकरण के सामने इसके खिलाफ अपील दायर की। इस अपील का निष्पादन प्राधिकरण ने 6 अप्रैल, 2011 को कर दिया। प्राधिकरण ने प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई अभियुक्तों की प्राय: सभी संपत्तियों की जब्ती को सही ठहरा दिया। जिन अभियुक्तों ने न्यायिक प्राधिकरण के सामने अपने जब्त संपत्ति को मुक्त कराने के लिए प्रवर्तन निदेशालय के निर्णय के विरुद्ध अपील दायर की थी, उनमें मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा, सुनील सिन्हा, विजय जोशी और इनसे संबंधित वे कंपनियाँ

शामिल हैं जिनके माध्यम से मधु कोड़ा लूट राज में अवैध कमाई की हेरा-फेरी हुई है। गैर-कानूनी ढंग से की गई अवैध कमाई को निवेश एवं शेयर खरीद के नाम पर वैध करने का आरोप प्रवर्तन निदेशालय के आरोप-पत्रों में इन पर है। न्यायिक प्राधिकरण द्वारा इस बारे में दिए गए 90 पृष्ठों के फैसले के प्रभावी अंश में की गई टिप्पणी को हू-ब-हू उद्धृत करना प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है यह टिप्पणी निम्नवत है—

"In our Opinion considering the offence committed by sh. Madhu koda as well as involvement of so many other persons/companies in layering the tainted money and the planned strategy adopted for projecting them as untainted, it can certainly be held that the connected persons had full knowledge of it. It would offend common sense to assume that they were like, to quote from Mohamudgara of Adi Shankar, nalini dalagata jalabat taralam (glistening water drops on a lotus leaf) unattached and unconnected. They were not certainly aimless wanderers unknown to each other travelling to the city of joy with such huge amount in search of salvation, believing in shakespearian epithet: " Life is a tale told by an idiot, full of sound and fury signifying nothing". They were birds of different feathers flocking together for money. Enough was not enough for them. They knew what they were doing. They knew the huge money they invested did not grow on the trees of their back yards or fall from the sky."

न्यायिक प्राधिकरण के फैसले में अभिव्यक्त उपर्युक्त टिप्पणी का हिंदी अनुवाद निम्नवत है—

''हमारे विचार में श्री मधु कोड़ा द्वारा किया गया अपराध तथा अवैध रूप से अर्जित धन का वारा-न्यारा करने में अन्य कई व्यक्तियों/कंपनियों की मिलीभगत एवं इस धन को वैध सिद्ध करने के लिए अपनाए गए सुनियोजित तरीकों से यह निश्चित निष्किर्ष निकलता है कि इसमें शामिल सभी संबंधित व्यक्तियों को इसकी पूरी जानकारी थी। यह समझ लेना सामान्य विवेक से परे होगा कि इनका आचरण 'कमल के पत्तों पर जलबिंदु' सदृश अनासक्त और असंबद्ध है। ये सभी इतनी बड़ी नकद संपत्ति लेकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए किसी आनंदमय स्थान का निरुद्देश्य भ्रमण करने वाले एक-दूसरे से अपरिचित लोग नहीं हैं; बल्कि विभिन्न रंग-रूपोंवाले और उद्देश्यों वाले ऐसे लोग हैं जो एक विशेष उद्देश्य से एक स्थान पर एकत्र हो गए हैं। ये लोग धन कमाने के लिए एक साथ जुटे विभिन्न प्रवृत्तियों के लोग हैं। इनके लिए लोभ की कोई अधिकतम सीमा नहीं है। ये लोग अच्छी जानते है कि ये क्या कर रहे हैं! ये जानते थे कि इन्होंने जिस विपुल धनराशि का निवेश किया है वह इनके घर के पिछवाड़े लगे किसी पेड़ पर नहीं उगी है। यह इनके घर का छप्पर

फाड़कर आसमान से भी नहीं आई है। यह प्रमाणित हो गया है कि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा जब्त की गई संपत्ति इन्होंने आपराधिक कृत्य से हासिल की है, जिसे ये वैध बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं।

ई.डी. का पहला आरोप-पत्र

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारीगण एवं आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारीगण साथ मिलकर इस मामले के विभिन्न पहलुओं पर काफी समय से काम कर रहे थे। इन्होंने 8 अक्तूबर, 2009 को इस बारे में प्राथमिकी दर्ज की थी। जाँच के दौरान पाए गए सबूतों के आधार पर प्रवर्तन निदेशालय ने अपना पहला आरोप-पत्र अभियुक्त विनोद सिन्हा के खिलाफ अपने विशेष न्यायालय में दिनांक 4 मार्च, 2011 को दायर किया। इस आरोप-पत्र में कहा गया है कि मधु कोड़ा ने अपने पद का दुरुपयोग कर अवैध तरीके से धन अर्जित किया। इस षड्यंत्र में उनके साथ विनोद सिन्हा, संजय चौधरी सहित कई लोग शामिल थे, जिन्होंने अवैध रूप से कमाए गए इस धन का हवाला द्वारा देश-विदेश में निवेश किया और इसे वैध बनाने के लिए कई कंपनियों को माध्यम बनाया। विनोद सिन्हा ने अवैध रूप से अर्जित करीब 927 करोड़ रुपए का निवेश देश-विदेश में चल एवं अचल संपत्ति खरीदने एवं विभिन्न कंपनियों को माध्यम बनाकर अवैध रूप से हासिल किए गए काले धन को इनके खाते में डालने और इनके खाता से समान राशि का चेक लेकर अपने अवैध धन को सफेद करने का जो कारनामा किया है, उसका विस्तृत विवरण प्रवर्तन निदेशालय के आरोप-पत्र में है। विनोद सिन्हा द्वारा नाजायज तरीके से वसूले किए गए अवैध धन और इसके निवेश का संक्षिप्त ब्योरा निम्नवत है—

क्र.	विवरण	निवेश राशि
1.	रियल इस्टेट	11.51 करोड़ रुपए
2.	एम्मार एलवायज	42.80 करोड़ रुपए
3.	खलारी सीमेंट	13.70 करोड़ रुपए
4.	इंडिया कार एवं डीजल्स	01.79 करोड़ रुपए
5.	क्वांटम पॉवर टेक	12.40 करोड़ रुपए
6.	कोल्हान ट्रेडिंग	00.03 करोड़ रुपए
7.	शिवांस स्टील	05.60 करोड़ रुपए
8.	इंडो असाई ग्लास कं.	15.00 करोड़ रुपए
9.	बिलबॉडी व्यापार प्रा. लि.	15.00 करोड़ रुपए

10.	समृद्धि स्पांज लि.	33.66 करोड़ रुपए
11.	लैक्की प्रोजेक्ट प्रा. लि.	21.00 करोड़ रुपए
12.	शिवम् डेवकाँन प्रा. लि.	01.05 करोड़ रुपए
13.	माइल स्टोन विनिमय प्रा. लि.	12,00 करोड़ रुपए
14.	मैजेस्टिक विनकॉम प्रा. लि.	10.00 करोड़ रुपए
15.	पार्वती डेवकॉन प्रा. लि.	01.05 करोड़ रुपए
16.	रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट-इम्पोर्ट	00.23 करोड़ रुपए
17.	मधु कोड़ा का लोकसभा चुनाव 2009	06.05 करोड़ रुपए
18.	भारत ग्लास ट्यूब प्रा. लि.	00.93 करोड़ रुपए
19.	इस्टर्न स्टील पॉवर लि.	10.00 करोड़ रुपए
20.	क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज प्रा. लि.	22.65 करोड़ रुपए
21.	अंजनीपुत्र इस्पात लि.	04.34 करोड़ रुपए
22.	विन्नी आयरन ऐंड स्टील लि.	00.69 करोड़ रुपए
23.	इंडो असाई ग्लास प्रा. लि.	29.80 करोड़ रुपए
24.	बालाजी बुलियंस प्रा.लि.	00.13 करोड़ रुपए
25.	नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज लि.	00.23 करोड़ रुपए
26.	सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया प्रा. लि.	05.89 करोड़ रुपए
27.	बालाजी बुलियन बाजार	650.00 करोड़ रुपए
	कुल	**927.18 करोड़ रुपए**

ई.डी. का दूसरा आरोप-पत्र

प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरा अभियोग-पत्र विजय जोशी के खिलाफ 18 सितम्बर, 2011 को राँची स्थित अपने विशेष न्यायालय में दायर किया। इस आरोप-पत्र में विजय जोशी और विनोद सिन्हा के बीच के साँठ-गाँठ को प्रमाण सहित प्रस्तुत किया गया है और बताया गया है कि विनोद सिन्हा की मिलीभगत से मधु कोड़ा ने अपने पद का दुरुपयोग कर जो संपत्ति अवैध तरीके से कमाई, उसे वैध बनाने के षड्यंत्र में विजय जोशी भी उसके साथ शामिल थे। विनोद सिन्हा और उसके सहयोगियों के साथ मिलकर श्री जोशी ने अपनी और अपनी हिस्सेदारी वाली कंपनियों के माध्यम से करीब 177 करोड़ रुपए के अवैध धन का निवेश किया। इनमें से कई निवेश ऐसे हैं जिनका उल्लेख विनोद सिन्हा के विरुद्ध प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर आरोप-पत्र में भी है। प्रवर्तन

निदेशालय के इस आरोप-पत्र में वैसे सभी व्यक्तियों द्वारा शपथ-पत्र पर दिया गया कबूलनामा विस्तार से अंकित है, जिससे साबित होता है कि काले धन को सफेद बनाने के इस अभियान में कागजी कंपनियों में नकद राशि जमा कर उसके बदले चेक लेने और शेयर खरीद अथवा ऋण के नाम पर इसका निवेश किसी अन्य कंपनी में करने के इस अभियान में ढेर सारे लोग और कंपनियाँ शामिल हैं। विजय जोशी के विरुद्ध दायर आरोप-पत्र में शामिल अवैध निवेश का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित है—

1. इंडो असाई ग्लास कंपनी लि. (जिसमें विजय जोशी, एन. चंपत्ति एवं आर. निदेशक हैं) में निवेश का विवरण—

क्र.	निवेश राशि	विवरण
1.	7 करोड़ रुपए	इंडो असाई ग्लास कंपनी लि. का 41.70 प्रतिशत शेयर अंजनीपुत्र इस्पात लि. के नाम से खरीदा जिसे भारत ग्लास ऐंड ट्यूब को बेचा।
2.	2.5 करोड़ रुपए	क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज लि. में ऋण के रूप में निवेश।
3.	20 करोड़ रुपए	अज्ञात स्रोतों से ऋण दिखाकर निवेश।
4.	15 करोड़ रुपए	विनोद सिन्हा द्वारा कागजी कंपनियों के माध्यम से दिखाया गया ऋण।

2. एम्मार एलवायज प्रा. लि. (जिसमें विजय जोशी, विकास सिन्हा, मनोज सिन्हा और ए.के. सिंह निदेशक हैं) में निवेश का विवरण—

क्र.	निवेश राशि	विवरण
1.	3 करोड़ रुपए	क्रियेटिव फिस्कल के माध्यम से निवेश।
2.	4 करोड़ रुपए	लैक्की प्रोजेक्ट के माध्यम से निवेश।
3.	4.80 करोड़ रुपए	कोलकाता की सात कागजी कंपनियों के माध्यम से निवेश।
4.	5.41 करोड़ रुपए	कोलकाता की सात कागजी कंपनियों के माध्यम से निवेश।

3. लैक्की प्रोजेक्ट (जिसमें विजय जोशी और उनकी पत्नी निदेशक हैं) में निवेश का विवरण–

क्र.	निवेश राशि	विवरण
1.	4 करोड़ रुपए	शेयर के रूप में किया गया निवेश।
2.	21 करोड़ रुपए	विनोद सिन्हा द्वारा कई कागजी कंपनियों से दिखाया गया निवेश।
3.	10.75 करोड़ रुपए	समृद्धि स्पांज लि. का 50 प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए विनोद सिन्हा द्वारा किया गया निवेश।
4.	11 करोड़ रुपए	क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज द्वारा समृद्धि स्पांज लि. का 50 प्रतिशत शेयर बिक्री दिखाकर किया गया निवेश।

4. क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज लि. (जिसमें श्री विजय जोशी निदेशक हैं) में निवेश का विवरण–

क्र.	निवेश राशि	विवरण
1.	3 करोड़ रुपए	शेयर खरीद दिखाकर एम्मार एलवायज में किया निवेश
2.	4 करोड़ रुपए	समृद्धि स्पांज का 50 प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए लैक्की प्रोजेक्ट के माध्यम से निवेश
3.	70 लाख रुपए	दक्षिणेश्वरी लॉजिस्टिक्स का शेयर लेने के लिए क्वांटम पॉवर टेक को दिया गया ऋण।
4.	20 करोड़ रुपए	इंडो असाई ग्लास कंपनी लि. को ऋण
5.	12.07 करोड़ रुपए	क्रियेटिव फिस्कल में किया गया नकद निवेश जिसमें से चेक द्वारा एम्मार एलवायज लि. को 39.50 लाख रुपए, अकाई सिक्युरिटीज प्रा.लि. को 3.30 करोड़ रुपए, वासुदेव कंपनी प्रा. लि. को 4.18 करोड़ रुपए, एकांत एम्पोरियम प्रा. लि. को 4.20 करोड़ रुपए दिए गए।

5. अंजनीपुत्र ईस्पात प्रा.लि. (जिसमें श्री विजय जोशी, मनोज शर्मा, एस. के. बसाक, निदेशक हैं) में निवेश का विवरण–

क्र.	निवेश राशि	विवरण
1.	25 लाख रुपए	अंजनीपुत्र प्रा. लि. का अधिग्रहण करने के लिए विजय जोशी द्वारा किया गया भुगतान।
2.	7 करोड़ रुपए	इंडो असाई कंपनी का 70 लाख शेयर खरीदने के लिए अंजनीपुत्र ईस्पात लि. के माध्यम से भारत ग्लास ऐंड ट्यूब लि. को किया गया भुगतान।
3.	2.25 करोड़ रुपए	इस कंपनी द्वारा निवेश दिखाने के लिए किया गया भुगतान।

6. खलारी सिमेंट्स प्रा. लि. (जिसमें श्री विजय जोशी, आर.एस. रुँगटा, विकास सिन्हा, विनोद सिन्हा निदेशक हैं) में निवेश का विवरण–

क्र.	निवेश राशि	विवरण
1.	2.30 करोड़ रुपए	विजय जोशी द्वारा कागजी कंपनियों के माध्यम से दिखाया गया निवेश।
2.	6.50 करोड़ रुपए	विनोद सिन्हा द्वारा कागजी कंपनियों के माध्यम से किया गया निवेश।
3.	2.50 करोड़ रुपए	विनोद सिन्हा द्वारा कागजी कंपनियों के माध्यम से किया गया निवेश।

7. भारत ग्लास ऐंड ट्यूब लि. (जिसमें श्री विजय जोशी, विकास सिन्हा और विनोद सिन्हा निदेशक हैं) में निवेश का विवरण–

क्र.	निवेश राशि	विवरण
1.	31 लाख रुपए	मनोज सिन्हा द्वारा इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए रैना कॉमोडिटि्ज प्रा.लि. के चेक से किया गया निवेश।
2.	31 लाख रुपए	विकास सिन्हा द्वारा इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए शेखर कॉमर्स प्रा.लि. के चेक से किया गया निवेश।

3.	31 लाख रुपए	विजय जोशी द्वारा इस कंपनी का शेयर खरीदने के लिए वी.डी.आर. कंसल्टेंट्स के चेक से किया गया निवेश।

विजय जोशी ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में उपर्युक्त कारगुजारियों में अपनी संलिप्तता स्वीकार की है। इस विषय में प्रवर्तन निदेशालय का अनुसंधान अभी जारी है। अभियुक्तों के खिलाफ नए प्रमाण मिलने पर प्रवर्तन निदेशालय अतिरिक्त आरोप-पत्र दायर कर सकता है। स्वीडन, दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड, लाईबेरिया आदि देशों की सरकारों के पास प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इस संबंध में वहाँ जाकर जाँच करने की अनुमति के लिए भेजे गए आग्रह-पत्रों के उत्तर की प्रतीक्षा की जा रही है।

निगरानी ब्यूरो का आरोप-पत्र

झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो ने 28 जनवरी, 2010 को विशेष न्यायालय में मधु कोड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 409,420,423, 424, 465 और 120बी के तहत आरोप-पत्र दायर किया। इस आरोप-पत्र के अनुसार विनोद सिन्हा, संजय चौधरी एवं इनके अन्य सहयोगियों ने कई कंपनियो में मधु कोड़ा द्वारा अवैध तरीके से कमाए गए धन का निवेश करने में सहयोग किया। मधु कोड़ा के पास उनकी आय के ज्ञात स्रोतों से 394 प्रतिशत अधिक धन पाया गया। आरोप-पत्र में 25.1.2005 से 30 जून, 2009 के बीच की अवधि में श्री कोड़ा के आय-व्यय का विवरण अंकित है, जो निम्नांकित है—

1. 25 जवनरी, 2005 को श्री कोड़ा की संपत्ति	— 11,99,255 रुपए
2. उनके द्वारा अर्जित परिसंपत्तियों का मूल्य	— 1,22,73,622 रुपए
3. ज्ञात स्रोतों से श्री कोड़ा की आय	— 36,56,292 रुपए
4. इनके द्वारा इस अवधि में किया गया कुल व्यय	— 63,92,218 रुपए
5. ज्ञात स्रोत से अधिक अवैध आय	— 1,40,10,333 रुपए

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में मधु कोड़ा ने विनोद सिन्हा के साथ अपनी नजदीकी स्वीकार किया और बताया कि ''चाईबासा के निवासी विनोद सिन्हा उनके पुराने मित्र हैं। जब वे झारखंड सरकार में खान और सहकारिता विभाग के मंत्री थे तो 2005 में विनोद सिन्हा के साथ बैंकॉक गए थे। यह उनकी थाईलैंड की निजी यात्रा थी। वे पहली बार थाईलैंड गए थे, जबकि विनोद सिन्हा उसके पहले कई बार वहाँ जा चुके थे। विनोद सिन्हा ने इस यात्रा के दौरान कई लोगों के साथ उनकी मीटिंग कराई। जिनके साथ उनकी मुलाकात हुई उनका नाम उन्हें याद नहीं है। विनोद सिन्हा ने उन्हें बताया था कि थाईलैंड में उसका कारोबार है, इसलिए वहाँ रहने-ठहरने में कोई कठिनाई नहीं होगी। यात्रा के दौरान विनोद सिन्हा ने थाईलैंड में अपने परिवहन व्यवसाय के बारे में भी उन्हें जानकारी दी।'' उल्लेखनीय है कि झारखंड सरकार में मंत्री पद पर रहने के बावजूद श्री कोड़ा ने अपनी इस विदेश-यात्रा के बारे में न तो झारखंड सरकार को बताया था और न ही भारत सरकार से इसकी अनुमति ली थी। आरोप-पत्र के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के सामने श्री कोड़ा ने स्वीकार किया कि विनोद सिन्हा, विकास सिन्हा, नीरज भट्टाचार्या और बसंत भट्टाचार्या से उनकी कोई रंजिश नहीं है।

सी.बी.आई. का आरोप-पत्र

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा मधु कोड़ा एवं अन्य के विरुद्ध दायर याचिका में लगाए गए आरोपों की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने के निर्देश के तीन माह बीतते-बीतते सी.बी.आई. ने 12 नवम्बर, 2010 को राँची स्थित अपने विशेष न्यायालय में मधु कोड़ा और उनके षड्यंत्रकारी सहयोगियों विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 120 बी. तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 9, 13(2) साथ में 13(1)(डी) के अंतर्गत आरोप-पत्र दाखिल कर दिया। यह आरोप-पत्र मुख्य रूप से आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा किए गए अनुसंधान से निकले तथ्यों पर आधारित है।

इसमें आरोप है कि झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिला स्थित जेरलदाबुरू-चाटुबुरू क्षेत्र पर लौह अयस्क खनन पट्टा आवेदन की अनुशंसा करने की एवज में बंबई की एक कंपनी ''कोर स्टील इंडस्ट्रिज लि.'' के संजीव मन्सोत्रा से विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री-सह खान मंत्री मधु कोड़ा को देने के लिए 13 करोड़ रुपए रिश्वत ली। यह रिश्वत चेक द्वारा संजीव मन्सोत्रा के एक सहयोगी विरेन आहूजा की कंपनी 'बर्माको लि.'' के बैंक खाते से ली गई और रिश्वत की राशि को जमशेदपुर के शारदा कंसलटेंट/शारदा इंटरप्राइजेज के खाते में जमा किया गया और इसके मालिक आशीष घोष उर्फ बबलू घोष से उनके द्वारा बनाए जा रहे जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट को खरीदने की सौदेबाजी की गई।

रिश्वत मिल जाने पर मधु कोड़ा ने कोर स्टील लि. के आवेदन को खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु भारत सरकार को अनुशंसा भेजने का आदेश संचिका पर कर दिया, पर इस आदेश का कार्यांवयन नहीं हुआ। जिन आवेदनों की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई, उनकी सूची से कोर स्टील इंडस्ट्री का नाम गायब था। हुआ यह कि मुख्यमंत्री का आदेश होने और अनुशंसा का पत्र निर्गत करने के बीच की अवधि में कोड़ा लूट

राज का संचालन करनेवाले गिरोह का लोभ बढ़ गया। इन्होंने संजीव मन्सोत्रा के सामने सौदेबाजी की नई शर्त रख दी कि अबतक उनके द्वारा दिए गए 13 करोड़ रुपए के अतिरिक्त उन्हें खदान में भी इस गिरोह को हिस्सेदारी देनी पड़ेगी। यह शर्त मन्सोत्रा को मंजूर नहीं हुई। उन्होंने 13 करोड़ रुपए वापस लेकर पिंड छुड़ाना मुनासिब समझा। पर 13 करोड़ में से उन्हें लौटाए गए मात्र 5 करोड़ रुपए, उनके शेष रुपए डूब गए।

सी.बी.आई. ने अपने आरोप-पत्र में खनन पट्टा आवेदन की अनुशंसा संबंधी इस भ्रष्टाचार की परत-दर-परत खोलने का प्रयास किया है। वास्तव में कोर स्टील इंडस्ट्रीज लि. के साथ घटी यह घटना तो एक उदाहरण मात्र है। मधु कोड़ा लूट राज की दो वर्ष की अवधि में जिन आवेदकों के खनन पट्टा आवेदनों की अनुशंसा भारत सरकार को भेजी गई अथवा नहीं भेजी गई, उन सभी को भ्रष्टाचार की ऐसी ही प्रक्रिया से जूझकर अपने प्रयास में सफल अथवा असफल होना पड़ा है।

इस मामले में सी.बी.आई. द्वारा मधु कोड़ा, संजय चौधरी और विनोद सिन्हा की तिकड़ी के विरुद्ध दायर आरोप-पत्र का सार संक्षेप निम्नांकित है—

1. तत्कालीन खान सचिव जयशंकर तिवारी और टाटा स्टील लि., जमशेदपुर के वाइस प्रेसिडेंट पार्थो सेनगुप्ता ने सी.बी.आई. को दिए गए बयान में बताया कि उन्हें मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का स्पष्ट मौखिक निर्देश था कि खान आवंटन संबंधी मामलों को उनकी ओर से विनोद सिन्हा देखा करेंगे।
2. सी.बी.आई. के अनुसार मुंबई के कोर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज पहले जमशेदपुर के टाटा स्टील कंपनी में लाइम स्टोन (चूना पत्थर) की आपूर्त्ति करती थी। इस सिलसिले में कोर ग्रुप के चेयरमैन संजीव मन्सोत्रा की जान-पहचान संजय चौधरी से हुई। संजय चौधरी ने जमशेदपुर में व्यवसाय बढ़ाने के लिए कोर ग्रुप के प्रतिनिधियों को टाटा स्टील के अधिकारियों से मिलाने के काम में मदद किया।
3. वर्ष 2006 में कोर ग्रुप ने झारखंड में एक स्टील प्लॉट लगाने का निर्णय किया। इसके लिए 'आयरन ओर' की जरूरत पूरा करने के लिए संजय चौधरी ने कोर ग्रुप के निदेशक हेमंत सरवटे को सलाह दी कि वे लौह अयस्क खदान आवंटित कराने हेतु आवेदन तैयार करने के लिए भूगर्भवेत्ता रणविजय सिंह से संपर्क करें। रणविजय सिंह उस समय चाईबासा में विनोद सिन्हा के घर में किराएदार था। विनोद सिन्हा ने भी उसे आवेदन का प्रारूप तैयार करने में कोर ग्रुप की मदद करने का निर्देश दिया। तद्नुसार कोर स्टील इंडस्ट्रीज प्रा.लि. के नाम से खनन पट्टा आवंटन के लिए 5 आवेदन जिला खनन पदाधिकारी, पश्चिम सिंहभूम चाईबासा के यहाँ डाले गए, जिनमें एक आवेदन जेरलदाबुरू-चाटुबुरू खनन क्षेत्र के लिए था। कोर स्टील इंडस्ट्री ने खनन पट्टा का आवेदन संजय चौधरी और विनोद सिन्हा के इस आश्वासन के बाद डाला कि वे मधु कोड़ा पर अपना व्यक्तिगत प्रभाव डालकर खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा करवा देंगे।
4. 6.3.2006 को पश्चिम सिंहभूम के उपायुक्त एम.पी. मिश्रा अपने पत्र संख्या 701/एम. द्वारा मौजा जेरलदाबुरू-चाटुबुरू में 1300 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए जिंदल स्टील ऐंड पॉवर लि. का आवेदन खान निदेशक, झारखंड सरकार के पास भेजा। इसके आधार पर जेरलदाबुरू-चाटुबुरू मौजा में खनन पट्टा आवंटन के लिए संचिका संख्या ख. नि. (चाईबासा)-30/2006 खान विभाग में तैयार हुई। संचिका में कतिपय त्रुटियों के मद्देनजर उपायुक्त, पश्चिम सिंहभूम से आवश्यक कागजातों का ब्योरा खान विभाग ने माँगा।
5. उपायुक्त का उत्तर प्राप्त होने की प्रत्याशा में तत्कालीन खान सचिव एस.के. सत्पथी ने खनन पट्टा के आवेदनों की सुनवाई के लिए 24.11.2006 की तिथि निर्धारित कर दी। इस तिथि तक उपायुक्त के यहाँ से विस्तृत विवरण नहीं आया तो सचिव ने सुनवाई की तिथि बढ़ाकर 8.12.2006 कर दिया। इसके पहले 16.11.2006 को पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी का एक पत्र खान निदेशालय में प्राप्त हुआ, जिसके साथ जेरलदाबुरू-चाटुबुरू क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए पड़े कई आवेदनों की सूची संलग्न थी।
6. इसके बाद जिला खनन पदाधिकारी ने 5.12.2006 को फैक्स द्वारा इस क्षेत्र के लिए आवेदकों की एक नई सूची खान निदेशक के पास भेजा। इस सूची में जोड़े गए चार नए आवेदकों के साथ कोर स्टील इंडस्ट्रीज का आवेदन भी था, जिस पर एक दिन पहले, 4.12.2006, की तिथि अंकित थी।
7. 8.12.2006 को राँची में आवेदनों की सुनवाई शुरू हुई। सचिव, खान विभाग, झारखंड सरकार की अध्यक्षता में आवेदनों की सुनवाई के लिए गठित समिति में निदेशक उद्योग, निदेशक खान, निदेशक भू-तत्व, उपसचिव खान 'इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस' के प्रतिनिधि और 'जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधि शामिल थे। 46 आवेदकों में से 13 आवेदकों ने सुनवाई में भाग नहीं लिया।
8. खान निदेशक बी. बी. सिंह ने 23.12.2006 को संचिका में दर्ज अपनी टिप्पणी में सुनवाई प्रक्रिया का विस्तृत विवरण देते हुए लिखा कि खान सचिव द्वारा तैयार किए गए मापदंड के अनुसार सुनवाई समिति ने विभिन्न आवेदकों को अंक दिया है, जिसके आधार पर समिति ने सर्वसम्मति से खनन पट्टा आवंटन

अनुशंसा के लिए जिंदल स्टील ऐंड पॉवर लि. और भूषण पॉवर ऐंड स्टील लि. का चयन किया है। आवश्यक अंक नहीं प्राप्त कर पाने के कारण कोर स्टील इंडस्ट्रीज को चयन योग्य नहीं समझा गया।

9. खान निदेशक की यह टिप्पणी खान सचिव के पास 18.12.2006 को उपस्थापित की गई। संचिका पर अंकित अपनी टिप्पणी में खान सचिव ने चयन के लिए निर्धारित किए गए मापदंड का विस्तार से वर्णन किया और समिति द्वारा सर्वसम्मति से चयनित दोनों आवेदकों के पक्ष में खनन पट्टा देने का अनुमोदन किया। मुख्य सचिव, झारखंड सरकार संचिका के पास पहुँची तो उन्होंने 21.12.2006 को इसे मुख्यमंत्री के पास अग्रसारित कर दिया।
10. मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने, जो खान मंत्री भी थे, आवेदकों को अंक देने के लिए मापदंड निर्धारित करने पर सवाल उठाया और स्पष्टीकरण पूछा कि यह मापदंड निर्धारित करने की प्रक्रिया में खान मंत्री का अनुमोदन क्यों नहीं प्राप्त किया गया।
11. मुख्यमंत्री द्वारा पूछे गए स्पष्टीकरण के संदर्भ में खान सचिव श्री सत्पथी ने विस्तारपूर्वक बताया कि चयन समिति ने सुनवाई के लिए अत्यंत पारदर्शी प्रक्रिया अपनाई है। उन्होंने मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह से आग्रह किया कि वे समिति की अनुशंसा के बारे में शीघ्र निर्णय कराएँ।
12. इसके बाद श्री सत्पथी का तबादला हो गया और उनके जगह जयशंकर तिवारी को खान सचिव बना दिया गया। मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव सुखदेव सिंह ने 13.1.2007 को इस टिप्पणी के साथ संचिका खान विभाग में वापस कर दी कि मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि नव नियुक्त खान सचिव इस अनुशंसा पर पुनर्विचार करें।
13. दिनांक 9.3.2007 को खान विभाग के उप सचिव गौरी शंकर प्रसाद ने निदेशक खान को एक पीत पत्र भेजा कि खान सचिव जेरलदाबुरू-चाटुबुरू क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए अब तक पड़े सभी आवेदनों को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करना चाहते हैं, इसलिए एक सप्ताह का समय देकर फिर से सुनवाई की तिथि निधारित करें।
14. उपसचिव के पीत पत्र के आलोक में सुनवाई के लिए 22.3.2007 की तिथि तय की गई। इस तिथि पर केवल पाँच अन्य आवेदकों ने सुनवाई में भाग लिया। खान सचिव ने अपनी टिप्पणी में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि कोई भी आवेदक नहीं छूटे।
15. जाँच के दौरान सी.बी.आई. को इस संबंध में की गई बैठक की एक नई कार्यवाही और अनुशंसा का पता चला, जिस पर केवल खान सचिव जयशंकर तिवारी, उपसचिव गौरी शंकर प्रसाद और खान निदेशक बी.बी. सिंह के दस्तखत थे। इस पर कोई तिथि नहीं अंकित थी। जयशंकर तिवारी ने इस अनुशंसा को 3.5.2007 को मुख्यमंत्री के पास भेजा। इस अनुशंसा में जिंदल स्टील ऐंड पॉवर लि. तथा भूषण पॉवर ऐंड स्टील लि. के साथ कोर स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि. का नाम भी था। मुख्यमंत्री मधु कोड़ा ने 23.5.2007 को इस अनुशंसा का अनुमोदन कर दिया।
16. संचिका पर मुख्यमंत्री के अनुमोदन के बाद तीनों कंपनियों के लिए खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा करने का पत्र भारत सरकार के पास अनुमति के लिए भेजा जाना था, परंतु केवल दो आवेदकों—जिंदल स्टील ऐंड पॉवर लि. (पत्र संख्या 94/एच.सी., दिनांक 29.5.2007) और भूषण पॉवर ऐंड स्टील लि. (पत्र संख्या 99/एम.सी., दिनांक 5.6.2007)—के पत्र ही भारत सरकार को भेजे गए। कोर स्टील इंडस्ट्रीज लि. का आवेदन कतिपय तकनीकी कारणों से नहीं भेजा गया।
17. सी.बी.आई. की जाँच में यह भी पता चला कि जिस समय जेरलदाबुरू-चाटुबुरू क्षेत्र पर खनन पट्टा आवंटन की संचिका प्रगति में थी, उसी बीच विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने कोर स्टील ऐंड पॉवर लि. और झारखंड सरकार के बीच एम.ओ.यू. कराया, ताकि खनन पट्टा आवंटन के लिए इनका दावा मजबूत बनाया जा सके।
18. सी.बी.आई. को जाँच के दौरान प्रमाण मिला कि कोर स्टील इंडस्ट्रीज का नाम खनन पट्टा अनुशंसा सूची में डालने के लिए श्री मधु कोड़ा ने निर्देश दिया था, जिसके बारे में विभागीय सचिव जयशंकर तिवारी ने खान निदेशक बी.बी. सिंह को बताया था। मधु कोड़ा ने यह निर्देश विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के दबाव में दिया था।
19. इस दरम्यान जब खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा का पत्र भारत सरकार को भेजा जाना था, तब संजय चौधरी और विनोद सिन्हा ने कोर स्टील इंडस्ट्रीज के चेयरमैन संजीव मंसोत्रा से 10 करोड़ रुपए रिश्वत ली, जिसका निवेश शारदा कंसलटेंट्स के प्रोप्राइटर आशीष घोष उर्फ बबलू घोष के निर्माणाधीन 'जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट' को खरीदने के लिए किया गया। संजीव मंसोत्रा ने 10 करोड़ रुपए की व्यवस्था अपने सहयोगी मै. बर्मेको इंडस्ट्रीज लि. से की। बर्मेको इंडस्ट्रीज लि. के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, मुंबई के खाते से 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए के तीन चेक मई 2007 के अंतिम सप्ताह और जून 2007 के प्रथम सप्ताह में संजय चौधरी को दिए गए

जिसे उसने शारदा कंसलटेंट के एक्सिस बैंक, बिष्टुपुर, जमशेदपुर स्थित खाते में डाला।

20. पुन: सितंबर 2007 में संजय चौधरी ने काम कराने के लिए 3 करोड़ रुपए संजीव मंसोत्रा से माँगा, जिसे उसने बर्मेको इंडस्ट्रीज को स्टॉक एक्सचेंज ब्राच, मुंबई स्थित खाते के दो चेक के माध्यम से दिया। एक चेक 2 करोड़ रुपए का और एक चेक एक करोड़ रुपए का था।
21. कोर स्टील इंडस्ट्रीज के चेयरमैन संजीव मंसोत्रा और निदेशक हेमंत सरवटे ने सी.बी.आई.को दिए बयान में बताया कि संजय चौधरी ने उन्हें विनोद सिन्हा से मिलवाया और विनोद सिन्हा संजीव मंसोत्रा को तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के यहाँ ले गया। इसके बाद विनोद सिन्हा का लालच बढ़ गया और वह कंपनी में हिस्सेदारी की माँग करने लगा, जिसे पूरा करने से संजीव मंसोत्रा ने इनकार कर दिया।
22. इसके बाद मंसोत्रा पूर्व में दिया गया पैसा लौटाने की माँग संजय चौधरी से करने लगा। संजय चौधरी ने उन्हें 5.35 करोड़ रुपए शारदा कंसलटेंट और शारदा इंटरप्राइजेज के बैंक खाते से लौटाया। बाकी पैसा लौटाने से इन लोगों ने इनकार कर दिया और कहा कि यह पैसा लौह अयस्क आवंटन की संचिका आगे बढ़ाने में तथा एम.ओ.यू. करने में खर्च हो गया और मधु कोड़ा को दे दिया गया।

खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा भारत सरकार को भेजे जाने वाली संबंधित संचिका से कोर स्टील इंडस्ट्री लि. का नाम हटाने के लिए भी इन दोनों ने मधु कोड़ा की सहमति से एक जालसाजी की। उन्होंने कोर स्टील इंडस्ट्रीज लि. के साथ पूर्व में राँची में काम करने वाले भूतत्त्ववेत्ता रणविजय सिंह से एक पत्र लिखवाकर खान विभाग में जमा कर दिया कि कोर स्टील इंडस्ट्रीज लि. की रुचि अब लौह अयस्क खनन पट्टा लेने में नहीं है, इसलिए इस हेतु पहले दिया गया आवेदन वापस लिया जा रहा है। जबकि यह पत्र लिखने के काफी पहले रणविजय सिंह ने कोर स्टील इंडस्ट्री लि. की नौकरी छोड़ दी थी। उल्लेखनीय है कि रणविजय सिंह जब चाईबासा में रहता था तो उस समय वह विनोद सिन्हा के मकान में किराएदार था।

सी.बी.आई. ने अपने आरोप-पत्र के साथ संजीव मंसोत्रा, जयशंकर तिवारी, बी.बी. सिंह, आशीष घोष का शपथ-पत्र पर लिया गया बयान तथा मुंबई के ओरियंटल बैंक ऑफ कॉमर्स से जारी बर्मोको लि. के खाते से चेक के माध्यम से हुई रिश्वत राशि का भुगतान तथा जमशेदपुर के एक्सिस बैंक में आशीष घोष के खाते में ये चेक जमा होने का विवरण तथा इन बैंकों के अधिकारियों का बयान विशेष न्यायालय में जमा किया

है और मधु कोड़ा द्वारा विनोद सिन्हा और संजय चौधरी की साँठ-गाँठ से 13 करोड़ रुपए रिश्वत लेना साबित किया है।

हालाँकि घोटाले की कुल राशि के मद्देनजर 13 करोड़ रुपए की यह रिश्वत राशि नगण्य प्रतीत होती है, फिर भी इसके लेन-देन के पुख्ता प्रमाण और इन्हें संपुष्ट करने के लिए गवाहों की सूची में सरकार और कॉरपोरेट जगत के उच्च पदाधिकारियों के नाम इस मामले को गंभीर और महत्त्वपूर्ण बना देते हैं। इसी अकेले मामले में अभियुकों को 5 साल से 7 साल की सजा संभव है।

सी.बी.आई. की चुनौतियाँ

झारखंड उच्च न्यायालय में कोड़ा लूट राज मामले की लंबी सुनवाई के दौरान उभरी परिस्थितियों के मद्देनजर इस मामले की जाँच के क्रम में सी.बी.आई. की राह में आनेवाली गंभीर चुनौतियों का अनुमान आसानी से लगाया जा सकता है। आयकर विभाग, प्रवर्तन निदेशालय और राज्य निगरानी ब्यूरो द्वारा विगत दो वर्षों में की गई जाँच का प्रतिवेदन और जब्त किए गए दस्तावेजों का जो विवरण उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उससे कोड़ा लूट राज के अंतरराष्ट्रीय विस्तार का परदाफाश हो गया है। घोटाले से जुड़े पात्रों का प्रभाव क्षेत्र और उनकी कारगुजारियाँ उजागर हो गई हैं। 2500 करोड़ रुपए से 3000 करोड़ रुपए तक की अवैध कमाई के निवेश और काली कमाई से देश-विदेश में हासिल की गई परिसंपत्तियाँ, इनके आधार पर स्थापित किए गए उद्योग एवं व्यवसाय की एक झलक अब तक की जाँच में मिल गई है।

राँची उच्च न्यायालय द्वारा कोड़ा लूट राज के जाँच का आदेश दिए जाने के बाद सी.बी.आई. और प्रवर्तन निदेशालय ने अपनी प्रारंभिक जाँच के नतीजों के आधार पर मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा के विरुद्ध अपने विशेष न्यायालयों में आरोप-पत्र दाखिल किए हैं। श्री मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के विरुद्ध सी.बी.आई. ने करीब 13.50 करोड़ रुपए और प्रवर्तन निदेशालय ने विनोद सिन्हा के विरुद्ध देश के भीतर विभिन्न जगहों पर करीब 915 करोड़ रुपए का निवेश किए जाने का प्रमाण अपने आरोप-पत्रों में प्रस्तुत किए हैं। इसके अतिरिक्त झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो ने भी अपने विशेष न्यायालय में अभियुक्तों के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति एकत्र करने का प्रमाण दिया है।

मुख्यमंत्री रहते समय मधु कोड़ा के निजी सहायक बसंत भट्टाचार्या ने ऐसे एक दर्जन से अधिक बड़े औद्योगिक घरानों द्वारा श्री कोड़ा को दी गयी करीब 120 करोड़ रुपए के रिश्वत की अधिकारीक सूची जाँच एजेन्सियों को मुहेया कराया है। आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों ने घोटालेबाज अजय बाफना और अनिल वस्तावडे के 'पूने' स्थिति ठिकानों पर छापेमारी कर करीब 300 करोड़ रुपया का निवेश दुबई में

होने का पता लगाया है। मुंबई में मनोज पुनमिया के ठिकानों से बुलियन बाजार में 300 करोड़ रुपया से अधिक अवैध लेनदेन एवं अवैध करोबार का पता लगाया है।

अब सवाल उठता है कि यह अवैध धन आया कहाँ से? इसका स्रोत क्या है? मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और उनके चट्टों-बट्टों को यह अवैध राशि किन व्यक्तियों और कंपनियों ने उपलब्ध कराया और किस मकसद से कराया? आयकर अन्वेषण निदेशालय ने अपने जाँच प्रतिवेदन में संकेत दिया है कि झारखंड में लौह अयस्क खदानों का पट्टा हासिल करने, बिजली विभाग, पथ-निर्माण विभाग एवं अन्य कार्य विभागों में काम हथियाने के लिए धनाढ्य संवेदकों और कॉरपोरेट जगत के नामी-गिरामी उद्योगपतियों ने यह राशि रिश्वत के रूप में मुहैया कराई है। इन उद्योगपतियों के खाता-बही की जाँच से इसे संपुष्ट करना बेहद कठिन कार्य है। दुनिया भर में भारतीयों द्वारा जमा किए गए काले धन के साम्राज्य के साथ इसका रिश्ता सिद्ध कर पाना भी आसान नहीं है। काले धन और अवैध कमाई के महासमुद्र की बड़ी मछलियों की शिनाख्त हो जाने के बावजूद इन्हें कानून के जाल में ले पाना सी.बी.आई. के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है।

□

जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट का कोड़ा कनेक्शन

मनुष्य के भाग्य की तरह धरती के भूखंडों की तकदीर भी बदलती रहती है। यह उक्ति जमशेदपुर के बिष्टुपुर स्थित कॉन्ट्रैक्टर एरिया के जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट के इस भूखंड पर अक्षरश: लागू होती है। 1909 में तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने जमशेदपुर में, स्टील बनाने का कारखाना लगाने और आवासीय कॉलोनी बनाने के लिए जिस जमीन का अधिग्रहण कर टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी (टिस्को) को दिया था, यह भूखंड उसी जमीन का एक अंश है। इस भूखंड, पर मधु कोड़ा लूट राज के एक प्रमुख अभियुक्त मनोज पुनमिया ने एक आलीशान मॉल प्रोजेक्ट खड़ा करने की नींव रखी है। सर जहाँगीर नौसेरवानजी टाटा से लेकर मनोज पुनमिया के आधिपत्य में आने तक के सफर में इस भूखंड के ऊपर आए उतार-चढ़ाव की कहानी रोचक है। अब यह भूखंड सी.बी.आई. के आरोप-पत्र और आयकर अन्वेषण निदेशालय एवं प्रवर्तन निदेशालय के जाँच प्रतिवेदनों का एक अहम हिस्सा बन गया है।

केंद्रीय एजेंसियों की जाँच में इस भूखंड पर बनने वाले जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट का 'मधु कोड़ा लूट राज' के साथ सीधा संबंध स्थापित हो जाने के कारण यह भूखंड विवादों के घेरे में आ गया है। इस प्रोजेक्ट की खरीद कोड़ा लूट राज के अवैध धन से होने का उल्लेख कमोबेश सभी जाँच समितियों के प्रतिवेदनों में है। यह सी.बी.आई. द्वारा 'मधु कोड़ा लूट राज' के बारे में दायर प्रथम आरोप-पत्र का केंद्रबिंदु है। आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय को सौंपे गए विभिन्न प्रतिवेदनों में इस प्रोजेक्ट का उल्लेख प्रमुखता से है। घोटाले और रिश्वत के धन की हेरा-फेरी करनेवाले कोड़ा लूट राज के अभियुक्तों का इसमें सीधा निवेश होने के कारण यह प्रोजेक्ट प्रवर्तन निदेशालय की निगाह में भी है। इस प्रोजेक्ट के साथ अंतरराष्ट्रीय ख्याति की भारतीय कंपनी 'टाटा स्टील' की साख भी जुड़ गई है। जमशेदपुर में झारखंड सरकार के शासन-प्रशासन की विश्वसनीयता भी इस प्रोजेक्ट केंद्रित गतिविधियों से प्रभावित हुई है।

भूखंड की पृष्ठभूमि

झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा 'मधु कोड़ा लूट राज' की जाँच सी.बी.आई. को सौंपने के काफी पहले से जमशेदपुर का यह मॉल प्रोजेक्ट विवादों के घेरे में है। जिस जमीन पर इस मॉल प्रोजेक्ट का निर्माण शुरू हुआ, वह जमशेदपुर के सर्वाधिक महँगे और महत्त्वपूर्ण आवासीय क्षेत्र बिष्टुपुर के कांट्रैक्टर्स एरिया में है। यह जमीन तत्कालीन ब्रिटिश सरकार के समय जमशेदपुर में तार कंपनी के नाम से मशहूर ''इंडियन वायर ऐंड स्टील वायर प्रोडक्ट्स'' के मालिक सरदार इंदर सिंह को 'टिस्को' ने आवासीय उद्देश्य से 1 जनवरी, 1934 को 30 वर्ष के लिए लीज पर दी थी। उस समय लीज का सालाना शुल्क 680 रुपए 4 आना निर्धारित हुआ, जिसे प्रतिमाह 56 रुपए 11 आना की दर से चुकाना था। लीज एग्रीमेंट के अनुसार इस जमीन का रकबा 1.89 एकड़ है और इसका उपयोग आवासीय उद्देश्य के लिए किया जाना है। आवास हेतु यह जमीन लीज पर लेने के लिए सरदार इंदर सिंह ने टिस्को प्रबंधन के पास आवेदन दिया था। लीज की शर्तों पर सहमति बन जाने के बाद 1.4.1936 को टिस्को और सरदार इंदर सिंह के बीच एक लीज समझौता हुआ, जिसे 25.5.1936 को (लीज डीड संख्या 800/36) पंजीकृत कराया गया। इस लीज समझौते की कंडिका-2 में इस जमीन के उपयोग के लिए 'बंधेज एवं शर्तों' का उल्लेख है। जिसके अनुसार टिस्को की पूर्व अनुमति लिए बिना इस जमीन की अथवा इस पर निर्मित भवनों की पूर्णत: या अंशत: ब्रिक्री करने, बंधक रखने, सबलीज पर देने का अधिकार लीजधारी को नहीं है। सरदार इंदर सिंह की मृत्यु हो जाने के बाद उनके वंशजों ने पूर्व निर्धारित शर्तों के अनुसार कंपनी को लीज शुल्क चुकाकर इस भूखंड पर बने अलीशान भवन पर अपना अधिकार बनाए रखा।

तार कंपनी को सब-लीज

1972 में 'बिहार भूमि सुधार अधिनियम' में संशोधन के प्रावधान लागू हो जाने के बाद जमशेदपुर की टाटा लीज की जमीन पर 'टिस्को' का मालिकाना अधिकार समाप्त हो गया और बिहार सरकार इसका मालिक बन गई। लंबी मुकदमेबाजी के बाद कंपनी ने बिहार सरकार के निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में दायर मुकदमा वापस ले लिया। बिहार सरकार और 'टिस्को' के बीच न्यायालय से बाहर समझौता हुआ। इसके बाद 1985 में बिहार सरकार ने यह जमीन कंपनी को 40 वर्षों के लिए लीज पर दे दी। यह लीज समझौता भूतलक्षी प्रभाव से 1956 की तिथि से प्रभावी माना गया। इसमें लीज की अवधि समाप्त हो जाने पर अगले 30 वर्ष के लिए लीज के नवीनीकरण का प्रावधान रखा गया। इस प्रकार सरदार इंदर सिंह को 1936 में टिस्को द्वारा लीज पर दिया गया प्रासंगिक भूखंड स्वत: सब-लीज की श्रेणी में आ गया। वर्तमान

स्थिति यह है कि वैधानिक दृष्टि से यह भूखंड संप्रति टाटा लीज के अंतर्गत है और सरदार इंदर सिंह के वंशज सब-लीजधारी की श्रेणी में हैं। इसका असली मालिक झारखंड सरकार है।

भूखंड पर विवाद

9.1.2001 को इस भूखंड की लीज धारी कंपनी 'टाटा स्टील' को जानकारी मिली कि सरदार इंदर सिंह के उत्तराधिकारी इस भूखंड को बेचने के लिए कतिपय व्यक्तियों के साथ सौदेबाजी कर रहे हैं। भूखंड की बिक्री रोकने के लिए टाटा स्टील ने जमशेदपुर के मुंसिफ न्यायालय में दिनांक 30.3.2001 को एक मुकदमा दायर किया और कहा कि यह भूखंड टाटा लीज की संपत्ति है, इसके सब-लीजधारियों को 'लीज समझौते की कंडिका-2 के अनुसार' इसे बेचने, गिरवी रखने या किराया पर देने का अधिकार नहीं है, इसलिए न्यायालय इस भूखंड की ब्रिकी पर रोक लगाए। इसके पहले सरदार इंदर सिंह के उत्तराधिकारियों ने इसे बेचने के लिए कोलकाता के किशन लाल बागड़िया को पॉवर ऑफ एटार्नी दे दिया था और वे इसे बेचने के लिए ग्राहक की तलाश में थे।

इसके बाद पुन: 2006 में टाटा स्टील प्रबंधन को जानकारी मिली कि सरदार इंदर सिंह के वंशजों ने इस भूखंड को बेचने के लिए नए सिरे से प्रयत्न आरंभ किया है। टाटा स्टील प्रबंधन ने आम जनता और संभावित खरीददारों को आगाह करने के लिए जमशेदपुर और बाहर के दैनिक समाचार-पत्रों में बड़े अक्षरों में बड़े आकार का एक विज्ञापन छपवाया और प्रासंगिक भूखंड के बारे में 1934 के बाद की स्थिति का विवरण देते हुए बताया कि इस भूखंड की बिक्री रोकने के लिए टाटा स्टील ने जमशेदपुर के मुंसिफ कोर्ट में मुकदमा संख्या 23/2001 दायर कर रखा है। इसलिए जो भी व्यक्ति इस भूखंड को खरीदने के लिए सरदार इंदर सिंह के उत्तराधिकारियों के साथ सौदेबाजी करेगा और यह जमीन पूर्णत: या अशत: खरीदेगा, उसे कानूनी काररवाई का सामना करना पड़ेगा। टाटा स्टील द्वारा समाचार-पत्रों में अंग्रेजी में प्रकाशित यह आम सूचना हू-ब-हू नीचे दी जा रही है—

Jamshedpur, 20 January, 2006

TATA STEEL LIMITED

PUBLIC NOTICE

This is to notify that H.No. Nil Contractor's Area, Bistupur, Jamshedpur measuring 1.89 acres was leased out by M/S. Tisco Limited to Sardar Inder Singh in the year 1934. As per terms of lease deed the lessee was prohibited to transfer or assign his right over the

land without written consent of M/s. Tisco Limited. Sardar Inder Singh has died. His heirs namely Ravi Inder Singh, Gurdeep Singh and Tejbal Singh are holding the land as sub- lessees under M/s. Tisco Limited on the same terms and conditions.They has no right to transfer the said lease hold land or the building thereon. M/s. Tisco Limited filed T.S.No.23 of 2001 against those heirs in Munsiff Court at Jamshedpur which is pending. In the said suit Ravi Inder Singh and Tejbal Singh filed show cause specifically stating that they are not contemplating to transfer any portion of the said premises which is supported by an affidavit. It has come to our knowledge that said heirs of Sardar Inder Singh are negotiating for sale of the said holding.

It has, therefore become necessary to issue this notice, that no one should negotiate with heirs of Sardar Inder Singh for purchase of the said holding or any part there of, and if they do so, it will be at their own risk and they will face the legal consequence.

For **THE TATA STEEL LIMITED**

मॉल प्रोजेक्ट की अनुमति

सरदार इंदर सिंह के उत्तराधिकारियों को जमशेदपुर माल प्रोजेक्ट वाली जमीन को बेचने से रोकने के लिए जमशेदपुर के मुंसिफ कोर्ट में 30 मार्च, 2001 को मुकदमा करने वाले और 20 जनवरी, 2006 के सभी अखबारों में आम लोगों की सूचना के लिए यह इश्तेहार निकालकर इसे खरीदनेवालों पर कानूनी काररवाई करने की चेतावनी देनेवाले टाटा स्टील ने अपने मुख्य सुरक्षा पदाधिकारी (प्रशासन) के पत्रांक 4489, दिनांक 28.9.2006 के माध्यम से इस भूखंड पर प्रस्तावित जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट बनाने के लिए अनुमति दे दी और इसे आवसीय श्रेणी से वाणिज्यिक श्रेणी में परिवर्तित कर दिया। टाटा स्टील ने आशीष घोष उर्फ बबलू घोष को उनके द्वारा दिनांक 4.8.2006 को दिए गए आवेदन का हवाला देते हुए सूचित किया कि इस भूखंड पर शो रूम, ऑफिस, दुकान, मल्टीप्लेक्स आदि का निर्माण करने की अनुमति उन्हें दी जाती है। टाटा स्टील लि. ने आवेदन के साथ संलग्न भवन प्लान को भी मंजूरी दे दी और आवश्यक सुविधाएँ प्राप्त कराने के लिए निर्धारित शुल्क टाटा स्टील के टाउन बिल्डिंग सेक्शन में जमा करने का निर्देश दिया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि इस पर आवश्यक काररवाई हेतु वे इस भवन प्लान को जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के पास जमा करें।

इसके बाद टाटा स्टील के लैंड विभाग के प्रमुख ने 27 फरवरी, 2007 को अपने पत्र-संख्या 699 द्वारा जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति को सूचित किया कि सरदार इंदर सिंह (पर्सनल इस्टेट) की जमीन पर प्रस्तावित बहुमंजिली इमारत (जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट) के बारे में जो भवन प्लान आपने हमारे पास भेजा है, उसकी स्वीकृति हमारे यहाँ से 28.9.1006 को ही दी जा चुकी है। यह अनुमति इनके पॉवर ऑफ एटार्नी धारक आशीष घोष को ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी श्री रवि इंदर सिंह द्वारा 23.12.2005 को दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी के आधार पर दी गई है। उल्लेखनीय है कि रवि इंदर सिंह ने इसके पहले कोलकाता के किशन लाल बागड़िया को भी इसी प्रकार की रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ एटार्नी संख्या 120, दिनांक 30.10.2004 दी थी। आशीष घोष को 23.12.2005 को पॉवर ऑफ एटार्नी देने के पहले श्री बागड़िया को दी गई पॉवर ऑफ एटार्नी को रद्द नहीं किया गया था।

टाटा स्टील का असमंजस

जिस समय, 28.9.2006 को, टाटा स्टील ने जमशेदपुर माल प्रोजेक्ट वाले भूखंड पर बहुमंजिली व्यावसायिक इमारत खड़ी करने के भवन प्लान को स्वीकृति प्रदान की और इसके बाद 27.2.2007 को इस बारे में जमशेदपुर नोटिफायड एरिया समिति को भवन प्लान को स्वीकृत करने के बारे में सूचित किया, उस समय तक जमशेदपुर के मुंसिफ कोर्ट में टाटा स्टील द्वारा दायर किया गया मुकदमा संख्या 231/2001 लंबित था। यानी एक तरफ टाटा स्टील ने न्यायालय में मुकदमा दायर किया था कि सर इंदर सिंह के उत्तराधिकारियों द्वारा लीज एग्रीमेंट के प्रावधानों का उल्लंघन कर प्रासंगिक भूखंड को बेचने अथवा हस्तांतरित करने पर कोर्ट रोक लगाए तो दूसरी ओर इसी अवधि में टाटा स्टील प्रबंधन इस जमीन पर जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट की बहुमंजिली व्यावसायिक इमारत खड़ा करने की अनुमति भी मुकदमे के प्रतिवादी पक्ष को प्रदान कर रहा था!

इसके बाद टाटा स्टील ने दिनांक 18.4.2007 को जमशेदपुर मुंसिफ कोर्ट में एक आवेदन डाला कि वह इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहता है, इसलिए न्यायालय इस मुकदमा को खारिज कर दे। अपने द्वारा ही दायर मुकदमा को खारिज करने की प्रार्थना न्यायालय से करना और 7 साल बाद इसे वापस लेने के लिए कोर्ट में आवेदन डालने हेतु टाटा स्टील जैसे शक्तिशाली औद्योगिक साम्राज्य को विवश होना पड़ता है, तो इसे साधारण घटना मानकर इसकी उपेक्षा करना न तो जनहित में होगा, न राज्यहित में और न ही जमशेदपुर के हित में। आखिर टाटा स्टील के सामने क्या असमंजस था? इसको जानने का हक कम-से-कम उस आम व्यक्ति को है जिसे इन्होंने अखाबारों में सार्वजनिक इश्तेहार जारी कर सरदार इंदर सिंह के उत्तराधिकारियों के साथ प्रांसगिक भूखंड के बारे में सौदेबाजी करने पर कानूनी काररवाई करने की चेतावनी दी थी।

पॉवर ऑफ एटार्नी का तिलिस्म

सरदार इंदर सिंह (पर्सनल ट्रस्ट) के बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टी और तार कंपनी के मालिक सरदार रवि इंदर सिंह को कांट्रैक्टर्स एरिया, बिष्टुपुर स्थित सरदार इंदर सिंह बंगला की संपत्ति का सौदा करने का अधिकार सर्वसम्मति से दे दिया। इसके बाद उन्होंने अपनी ओर से इस संपत्ति का सौदा करने के लिए दो पॉवर अटार्नी दी। पहली पॉवर ऑफ अटार्नी उन्होंने कोलकाता के किशन लाल बागड़िया को 2004 में दी। दूसरी पॉवर ऑफ एटार्नी उन्होंने 2005 में जमशेदपुर के बिल्डर आशीष घोष उर्फ बबलू घोष को दी। दोनों पॉवर ऑफ अटार्नी का रजिस्ट्रेशन पंजाब में हुआ है। आशीष घोष को 2005 में रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अटर्नी देने के पहले उन्होंने 2004 में किशन लाल बागड़िया को दी गई पॉवर ऑफ अटार्नी रद्द नहीं किया। ऐसा आमतौर पर नहीं होता है कि एक ही संपत्ति की सौदेबाजी के लिए एक ही व्यक्ति दो लोगों को अलग-अलग समय रजिस्टर्ड पॉवर ऑफ अटार्नी दे। मगर इस मामले में ऐसा हुआ है तो उसके पीछे कोई-न-कोई कारण जरूर है।

मामले की तह में जाने पर पता चलता है कि दोनों ही पॉवर ऑफ अटार्नी का उपयोग सुनियोजित तरीका से किया गया है। 2005 में मिली पॉवर अटार्नी का उपयोग आशीष घोष ने जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट की स्कीम स्वीकृत कराने के लिए किया। इन्होंने यह प्रदर्शित किया कि जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट स्वीकृत कराने और इसे आवासीय श्रेणी से व्यावसायिक श्रेणी में बदलवाने के लिए वे जो आवेदन टाटा स्टील लि. और जमशेदपुर अधिसूचित क्षेत्र समिति के कार्यालय में डाल रहे हैं, वह आवेदन सरदार इंदर सिंह (पर्सनल ट्रस्ट) की ओर से डाला जा रहा है, ताकि प्रोजेक्ट स्वीकृत करने और आवासीय श्रेणी के भूखंड को व्यावसायिक श्रेणी में बदलने की अनुमति देनेवाली सरकारी एवं गैर-सरकारी संस्थानों को भी यह कहने का बहाना मिल जाए कि यह मामला संपत्ति की खरीद-बिक्री अथवा हस्तांतरण का नहीं है, बल्कि सब लीजधारी द्वारा उसे आवंटित सब लीज की जमीन को विकसित कर, उसे अधिक उपयोगी और कमाऊ बनाने का है।

मुकदमा वापसी और भूखंड बिक्री

जैसे ही टाटा स्टील ने 4.8.2006 को भवन प्लान और मॉल प्रोजेक्ट का नक्शा अनुमोदित कर दिया, वैसे ही जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट के पीछे के असली चेहरों ने अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया। किशन लाल बागड़िया ने 2004 में अपने नाम से पंजीकृत पॉवर आफ अटार्नी के आधार पर इस भूखंड की रजिस्ट्री आशीष घोष के नाम पर कर दी। यह रजिस्ट्री जमशेदपुर के जिला सब रजिस्ट्रार के यहाँ 21 जून, 2007 को हुई, जिसका डीड नंबर- 5095 है। इसके ठीक पहले 30 मई, 2007 को इस भूखंड को बेचने के विरुद्ध टाटा स्टील ने जमशेदपुर के मुंसिफ कोर्ट में दायर अपना मुकदमा वापस ले लिया और इसके तीन सप्ताह बाद किशन लाल बागड़िया ने अपने पॉवर ऑफ अटार्नी की पॉवर दिखाकर इस भूखंड को आशीष घोष के हाथ बेच दिया। मानो इस ब्रिक्री की प्रक्रिया को अंजाम देने के लिए टाटा स्टील द्वारा मुंसिफ कोर्ट में दायर मुकदमा वापस लिए जाने का इंतजार हो रहा था!

मॉल प्रोजेक्ट का कोड़ा कनेक्शन

सी.बी.आई. के आरोप-पत्र में इसका उल्लेख है कि लौह अयस्क खनन पट्टा देने के नाम पर मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने कोर स्टील इंडस्ट्रीज प्रा. लि. के अध्यक्ष संजीव मंसोत्रा से 13 करोड़ रुपए रिश्वत ली और इसका निवेश जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट में किया। रिश्वत के 13 करोड़ रुपए में से 10 करोड़ रुपए मुंबई की बर्मेको इन्डस्ट्रीज से मई 2007 के अंतिम सप्ताह और जून 2007 के प्रथम सप्ताह के बीच 5 करोड़ रुपए, 3 करोड़ रुपए और 2 करोड़ रुपए के तीन चेक के माध्यम से आए। ये सभी चेक शारदा कंसलटेंट के जमशेदपुर स्थित एक्सिस बैंक के एकाउंट में जमा किए गए। 21 जून, 2007 को किशन लाल बागड़िया ने यह भूखंड और बंगला आशीष घोष के नाम पर रजिस्ट्री किया तो स्पष्ट है कि इसकी एवज में किया गया भुगतान रिश्वत के इसी पैसे से किया गया। रिश्वत के बदले में मधु कोड़ा ने कोर इंडस्ट्रीज लि. को जेरलदाबुरु-चाटुबुरु क्षेत्र पर लौह अयस्क खदान की अनुशंसा करने का निर्णय लिया।

इसके बाद इस भूखंड को 'मधु कोड़ा ऐंड कंपनी' के सीधे नियंत्रण में लेने का खेल शुरू हुआ। आशीष घोष पर इस भूखंड और बंगले को कोड़ा ऐंड कंपनी से जुड़े शातिर हवाला-कारोबारी मनोज पुनमिया को बेच देने का दबाव पड़ने लगा, ताकि इस पर बहुमंजिली व्यावसायिक इमारत खड़ा कर घोटाला के काला धन को सफेद किया जाए और अरबों रुपए कीमत की इस परिसंपत्ति को अपने कब्जा में ले लिया जाए। वैसे भी आशीष घोष इतने सक्षम नहीं थे कि बंगले और भूखंड खरीद लेने के बावजूद शासन के सहयोग के बिना इसके भीतर कदम भी रख पाते! कारण कि बहुत दिनों से खाली पड़े इस बंगले के दो दर्जन से अधिक क्वार्टरों पर करीब 50 किराएदार परिवारों ने कब्जा जमा रखा था। ये सभी पुराने किराएदार थे और वर्षों से यहाँ रह रहे थे। भूखंड और बंगले को इनसे कब्जा-मुक्त कराना तभी संभव था, जब जमशेदपुर का जिला प्रशासन और स्थानीय पुलिस उन्हें वहाँ से जबरन हटा देती या न्यूनाधिक मुआवजा का प्रलोभन देकर उन्हें अन्यत्र जाने के लिए तैयार कर लेती।

जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने की पुलिस ने इस काम को बखूबी अंजाम दिया। मनोज पुनमिया के नाम रजिस्ट्री होने के पहले कई वर्ष से इन क्वार्टरों में रह रहे किराएदारों को जबरन भगाकर बंगला खाली करा लिया। इस परिस्थिति को भाँपकर आशीष घोष ने यह बंगला और भूखंड मनोज पुनमिया के हाथ में सौंप देने में ही अपनी भलाई समझी। इन्होंने बंगला और भूखंड को 8 करोड़ 70 लाख रुपए में मनोज पुनमिया को बेच दिया, जिसकी रजिस्ट्री 3.4.2008 को जमशेदपुर के जिला रजिस्ट्री कार्यालय में हुई। मनोज पुनमिया ने 8.70 करोड़ रुपए का भुगतान 5 करोड़, 2 करोड़, 1करोड़ और 70 लाख रुपए के चार चेक के माध्यम से शारदा कंसलटेंट के खाते में किया गया। ये सभी चेक यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, झवेरी बाजार, मुंबई में मनोज पुनमिया के खाते के थे।

मॉल प्रोजेक्ट का संक्षिप्त विवरण

सर इंदर सिंह (पर्सनल इस्टेट) का बंगला और भूखंड कब्जे में आते ही मनोज पुनमिया की कंपनी बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स ने बंगले के पुराने ढाँचा को तोड़कर जोर-शोर से जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट का निमार्ण करना शुरू कर दिया। निवेशकों को आकर्षित करने के लिए जमशेदपुर और बाहर के अखबारों में हर सप्ताह पूरे और आधे पृष्ठ के विज्ञापन प्रकाशित किए जाने लगे। इन विज्ञापनों में जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट की विशेषताओं का जिक्र बढ़ा-चढ़ाकर किया जा रहा था। मनोज पुनमिया की कंपनी 'बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स प्रा. लि.' के निर्माणाधीन जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट की एक झलक निम्नांकित है—

	भवन का स्वरूप	बेसमेंट+भूतल+7 तल्ला
1.	मॉल एरिया	1,58,600 वर्ग फीट
2.	होटल एरिया	86,413 वर्ग फीट
3.	ऑफिस काम्पलेक्स	38,597 वर्ग फीट
4.	कुल व्यवासायिक एरिया	2,83,610 वर्ग फीट
5.	कुल प्रोजेक्ट व्यय	134.50 करोड़ रुपए.
6.	प्रोजेक्ट पूरा होने का समय	मॉल - फरवरी 2011 ऑफिस/होटल-अगस्त 2011
7.	बिक्री का निर्धारित दर-मॉल एरिया	
		भूतल-10,000 रुपए/वर्गफीट
		प्रथम तल-9,000 रुपए/वर्गफीट
		द्वितीय तल-8,000 रुपए/वर्गफीट
	आफिस स्पेस प्रति वर्गफीट-	5,500 रुपए से 7,500 रुपए
	होटल के लिए लीज दर-	75,00,000 रुपए प्रतिमाह।

8. मॉल प्रोजेक्ट भवन का उपयोग
   - क. बेसमेंट में दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों की पार्किंग।
   - ख. भूतल, प्रथम तल एवं द्वितीय तल पर 3 मल्टीप्लेक्स, दुकानें, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट।
   - ग. तीसरे एवं छठे तल तक होटल—108 कमरे और 8 सुइट्स।
   - घ. तीसरे और पाँचवें तल पर 15,000 वर्गफीट क्षेत्र में ऑफिस स्पेस।

20 अक्तूबर, 2008 को राँची में आयोजित प्रेंस कॉन्फ्रेंस में कोड़ा लूट राज के अंतरराष्ट्रीय आयाम को उजागर करते समय मैंने जमशेदपुर माल प्रोजेक्ट में घोटाले के धन के अवैध निवेश का विषय भी सार्वजनिक किया था। 2009 के आरंभ में इस प्रोजेक्ट का काम शुरू हुआ तो मैंने राज्य सरकार एवं जमशेदपुर प्रशासन को सूचित किया कि उसका निर्माण घोटाले के प्रमुख अभियुक्त मनोज पुनमिया की कंपनी द्वारा कराया जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के बिष्टुपुर मंडल के और पश्चिम जमशेदपुर के अन्य मंडलों के कार्यकर्ताओं ने निर्माण स्थल पर प्रदर्शन किया, तो कुछ दिनों तक निमार्ण कार्य रूका रहा। इसके बाद निर्माण स्थल के चारो ओर करीब 15 फीट ऊँची दीवार खड़ा कर दी गई। गेट पर कुत्ते छोड़ रखे गए और भारी संख्या में निजी सुरक्षा प्रहरी नियुक्त कर दिए गए ताकि बाहर में विरोध हो तब भी अंदर मशीनों के द्वारा काम जारी रहे।

मॉल प्रोजेक्ट की अद्यतन स्थिति

केंद्रीय एजेंसियों की जाँच में तेजी तथा मधु कोड़ा तथा अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी के बाद से इस प्रोजेक्ट का काम ठप्प पड़ा है। मधु कोड़ा लूट राज के अभियुक्तों के यहाँ हुई छापेमारी में जब्त कागजातों एवं कंप्यूटरों से इस बारे में प्राप्त जानकारियों से पता चलता है कि मॉल प्रोजेक्ट निर्माण का कार्य कितना तेजी से हो रहा था और इसका डिजाइन और नक्शा किस प्रकार का था। काम शुरू होने और ठप्प होने के बीच की अवधि में जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट पर जितना काम हो चुका है, उसका विवरण और जिन व्यक्तियों एवं ठेकेदारों से यह काम कराया गया है, उनको आवंटित कार्य का विवरण निम्नांकित है—

1. नींव एवं बेसमेंट की खुदाई का काम पूरा हो गया है।
2. आर.एम.सी. (रेडी मिक्स्ड कंक्रीट) की आपूर्ति का काम जमशेदपुर की कंपनी 'जुस्को' को दिया गया है, जो टाटा स्टील की शत-प्रतिशत अधिकारवाली

कंपनी है। 'जुस्को' द्वारा कुल 11,000 घन मीटर आर.एम.सी. की आपूर्ति करना है, जिसके लिए कुल 4.93 करोड़ रुपए का कार्यादेश दिया गया है।

3. प्रोजेक्ट के सिविल वर्क का काम जमशेदपुर की कंपनी 'मै. आविष्कार' को दिया गया है। इन्हें संप्रति दिया गया कार्यादेश 11.00 करोड़ रुपए का है। इन्होंने 1.50 करोड़ रुपए मोबलाइजेशन एडवांस देने का आग्रह किया था, जिसमें से 1.30 करोड़ रुपए का भुगतान किया गया है।
4. स्टील बार आपूर्ति का काम जमशेदपुर के 'मै. स्टील हाउस' को दिया गया है।
5. आर्किटेक्चरल उवं स्ट्रक्चरल डिजाइन का काम मुंबई के 'मै. संजय पुरी' के जिम्मे है। इन्होंने डिजाइन का काम कर दिया है, जिसे मार्च 2009 में जारी कर दिया गया है।
6. शटरिंग एवं स्कैफोल्डिंग सामग्रियों का इंतजाम कंपनी के जिम्मे है।
7. करीब 2200 घन मीटर में कंक्रीट का काम पूरा हो गया है।
8. कुल करीब 190 मीट्रिक टन स्टील की खपत निर्माण कार्य में हो चुकी है।
9. नींव का कार्य करीब करीब पूरा हो गया है। बेसमेंट फ्लोरिंग का 50 प्रतिशत काम हो गया है।
10. अब तक प्रोजेक्ट पर करीब 5 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं।
11. कतिपय मदों में टाटा स्टील लि. को 2.28 लाख रुपए का भुगतान बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स ने किया है।

कोड़ा लूट राज के शातिर अभियुक्त मनोज पुनमिया की कंपनी बालाजी लाइफ स्टाइल रियल्टर्स के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान जाँच एजेंसियों को जमशेदपुर के मॉल प्रोजेक्ट निर्माण से संबंधित कई कागजात मिले। इनसे पता चलता है कि मनोज पुनमिया की इस कंपनी ने जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट निर्माण के लिए साक्ची, जमशेदपुर के मै. आविष्कार को 25 मार्च, 2009 को 'इच्छा की अभिव्यक्ति (एल.ओ.आई.)' 1 अप्रैल, 2009 से 27 अक्तूबर, 2009 के बीच करीब 2.50 करोड़ रुपए का भुगतान विभिन्न कार्यमदों में इस कंपनी ने विभिन्न व्यक्तियों और संस्थाओं को किया है, जिनमें टाटा स्टील, जुस्को, स्टील हाउस, मुकुंद स्टील, आविष्कार, आकृति आर्किटेक्ट, संजय चौधरी, के.के. इंटरप्राइजेज आदि के नाम सामिल है।

जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट कोड़ा लूट राज के समय हवालेबाज-घोटालेबाज, सत्ता के शीर्ष पर बैठे राजनेता, प्रशासन एवं पुलिस तथा बड़े उद्योगिक घरानों के बीच परस्पर लाभ के लिए परस्पर अनुकुल साँठ-गाँठ का एक ज्वलंत उदाहरण है। रतन टाटा-नीरा राडिया की बातचीत वाली चर्चित सी.डी. में कोड़ा लूट राज के दौरान खनन पट्टा आवंटन का जिक्र, कोर इंडस्ट्रीज लि. द्वारा चेक से रिश्वत देने की स्वीकारोक्ति, रिश्वत

के धन से जमशेदपुर के मॉल प्रोजेक्ट के भूखंड की खरीद, मधु कोड़ा के निजी सचिव बसंत भट्टाचार्या द्वारा कॉरपोरेट घरानों से श्री कोड़ा को रिश्वत मिलने का बयान, आवासीय श्रेणी के भूखंड को मॉल प्रोजेक्ट के लिए व्यावसायिक श्रेणी में बदलने हेतु टाटा स्टील लि. की सहमति, मुंसीफ कोर्ट में मुकदमा लंबित रहने के बावजूद सब-लीज वाले भूखंड पर मॉल निर्माण के लिए टाटा स्टील की स्वीकृति, मॉल प्रोजेक्ट के भूखंड को कोड़ा लूट राज के प्रमुख अभियुक्त मनोज पुनमिया के हाथों बेचना, सब-लीज की जमीन की एक साल के भीतर दो बार जिला सब रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्री, जमशेदपुर नॉटिफाइड एरिया कमिटी द्वारा संबंधित कागजातों का उचित परीक्षण किए बिना मॉल प्रोजेक्ट का नक्शा पास कर देना, टाटा स्टील द्वारा इसके पहले ही मॉल प्रोजेक्ट के प्रस्तावित भवन प्लान की स्वीकृति प्रदान कर देने, भखंड की बिक्री रोकने के लिए मुसिफ मजिस्ट्रेट की अदालत में दायर मुकदमा टाटा स्टील द्वारा वापस ल लेने, जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाने द्वारा मॉल प्रोजेक्ट के भूखंड पर बने भवनों में वर्षों से रह रहे किराएदारों को निकाल बाहर करने की घटनाएँ ऐसी साँठ-गाँठ का पुख्ता आधार प्रदान करती हैं।

□

खंड-5

लूट राज का साम्राज्य

लूट राज का साम्राज्य

झारखंड

- राँची
- जमशेदपुर
- रामगढ़
- बोकारो
- चाईबासा
- नोआमुड़ी
- बड़ा जामदा
- खलारी
- चौका

देश

- दिल्ली
- नोएडा
- मुंबई
- पूणे
- कोलकाता
- देहरादून
- लखनऊ
- पटना
- हैदराबाद
- बंगलुरु

विदेश

- दुबई
- चीन
- धाना
- सिंगापुर
- लंदन
- सियरा लियॉन
- हाँगकाँग
- इंडोनेशिया
- लाइबेरिया
- बैंकॉक
- स्वीडेन
- टेक्स फ्री द्वीप

सरकारी एवं गैर-सरकारी विभाग

- खनन
- ऊर्जा
- पथ
- नागरिक विमानन
- रियल इस्टेट
- हेल्थ केयर
- मीडिया
- शिपिंग
- अनुचित लाभ

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 184-185 02-Jul-12, 7:25 PM

लूट राज का साम्राज्य

कहावत है कि 'अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ता'। लौह अयस्क घोटाला कहें या मधु कोड़ा लूट राज कहें या विनोद सिन्हा-मनोज पुनमिया का षड्यंत्र कहें, इस प्रकरण में भी यह कहावत पूरी तरह चरितार्थ होती है। करीब 4000 करोड़ रुपए से अधिक के इस घोटाले में भी कई ऐसे पात्र हैं जिनकी सक्रिय साँठ-गाँठ के बिना दो वर्ष की अल्प अवधि में झारखंड के लौह अयस्क संसाधन की सौदेबाजी और देश-विदेश में करोड़ों रुपए का वारा-न्यारा करना संभव नहीं था। इसके कुख्यात पात्रों और उनके कुटिल कारनामों की बानगी देखने लायक है।

झारखंड लौह अयस्क घोटाला में सक्रिय भूमिका निभानेवाले इन पात्रों के कारनामें अब उजागर हो गए हैं। झारखंड उच्च न्यायालय के आदेश से सी.बी.आई. इस मामले की जाँच कर रही है। देश का धन अवैध रूप से विदेश में भेजने के आरोप में मनी लाउंड्रिंग का मुकदमा दर्ज कर भारत सरकार का प्रवर्तन निदेशालय (ई.डी.) मामले की जाँच अलग से कर रहा है। आयकर अन्वेषण निदेशालय ने अपनी जाँच का प्रारंभिक प्रतिवेदन सौंप दिया है, जिस पर विभाग में आगे की काररवाई चल रही है। सी.बी.आई. और ई.डी. ने इस मामले में आरोप-पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया है।

मधु कोड़ा लूट राज में लौह अयस्क घोटाला को अंजाम देने वाले छोटे-बड़े बहुत सारे किरदार हैं। इनमें से जो प्रमुख हैं, उनमें से कइयों का जिक्र इस पुस्तक में यथास्थान है। इनके अंत:संबंध और कारनामें काफी रोचक हैं। परदे के सामने दिखाई पड़ने वाले इन पात्रों के अतिरिक्त कई पात्र ऐसे भी हैं जिनके सहयोग, समर्थन, संरक्षण और प्रोत्साहन के बिना यह घोटाला संभव नहीं था। विभिन्न दलों के राजनीतिज्ञ, सरकारी अधिकारी, उद्योगपति, बिचौलिए, हवाला कारोबारी इनमें शामिल हैं। 20 अक्तूबर, 2008 को घोटाले का राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय आयाम उजागर करते समय मैंने कतिपय ऐसे व्यक्तियों और कंपनियों का नाम सार्वजनिक किया था, जिनके माध्यम से घोटाले का पैसा विदेशों में जा रहा था। आयकर अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय की अब तक की जाँच में मेरे सारे आरोप सही साबित हो रहे हैं और वे सभी व्यक्ति और कंपनियाँ घोटाले के लिए दोषी ठहराई जा रही हैं। पूरी जाँच के नतीजे इन्हीं के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं।

कयास लगाया जा रहा है कि लौह अयस्क घोटाले में करीब 4000 करोड़ रुपए का वारा-न्यारा हुआ है, जिसमें से 2500 करोड़ से 3000 करोड़ रुपए किस-किस के पास से होकर कहाँ-कहाँ गए है, इसका पता चल जाने की प्रबल संभावना है। इस घोटाले के विस्तार में जाने पर पता चलता है कि देश-विदेश की कई कंपनियों से रिश्वत के रूप में घोटालेबाजों ने काफी बड़ी रकम का अनुचित लाभ जबरन हासिल किया। यह रिश्वत मुख्य रूप से झारखंड की लौह अयस्क खदानों का खनन पट्टा हासिल करने के लिए उद्योगपतियों के आवेदनों की अनुशंसा भारत सरकार के पास भेजने की एवज में ली गई। इसके अलावा अवैध खनन को बढ़ावा देकर, राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं में तथा पथ-निर्माण विभाग के कार्यों में कमीशन एवं हिस्सेदारी लेकर इस नाजायज रकम की उगाही की गई।

इस घोटाले की जद में झारखंड सरकार के खनन विभाग, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग सहित कई विभागों के अधिकारी और राजनीतिज्ञ आ रहे हैं। घोटाले के संपर्क सूत्र कोलकाता, मुंबई, राँची, जमशेदपुर, पुणे के साथ-साथ दुनिया के कई देशों में फैले हुए हैं। इन्होंने मीडिया जगत में भी प्रभावी हस्तक्षेप करने और मीडिया से जुड़े कतिपय तेज-तर्रार लोगों पर भी डोरे डालने का प्रयास किया है।

नाजायज वसूली के शिकार

'मधु कोड़ा लूट राज' में प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष भूमिका निभाने वाली अथवा इसकी नाजायज वसूली का शिकार होने वाली कंपनियों और इनसे जुड़े कारिंदों की सूची काफी लंबी है। नाजायज वसूली का शिकार होनेवालों में राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय ख्याति की कंपनियों के नाम भी शामिल हैं और स्थानीय स्तर के महात्त्वाकांक्षी उद्योगपतियों की कंपनियों के नाम भी। मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में उनके निजी सहायक रहे बसंत भट्टाचार्य ने एक ऐसी सूची केंद्रीय अन्वेषण विभाग के जाँच अधिकारियों को सौंपी है, जिनसे करीब 120 करोड़ रुपए की रिश्वत उन्हें खनन पट्टा देने की एवज में वसूली गई है। खान विभाग के तत्कालीन सचिव जयशंकर तिवारी ने भी खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा करने के लिए रिश्वत के रूप में लिए जाने वाले कमीशन और इसके लिए दबाव डालने की बात पूछताछ के दौरान केंद्रीय जाँच एजेंसियों के सामने स्वीकार की है।

डेढ़ दर्जन के करीब नामी-गिरामी औद्योगिक एवं व्यावसायिक कंपनियों से मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा ने अनुचित आर्थिक लाभ वसूला है अथवा रिश्वत या कमीशन

लेने के लिए उनपर अनुचित दबाव डाला है। इन कंपनियों में आर्सेलर मित्तल इंडिया लि., जिंदल स्टील ऐंड पॉवर लि., जे.एस.डब्ल्यू. लि., टाटा स्टील लि., एस्सार स्टील लि, नागार्जुन कंसट्रक्शन लि., भूषण पॉवर ऐंड स्टील लि., विन्नी आयरन ऐंड स्टील लि., कोर प्रोजेक्ट्स लि., आई.वी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर लि., अनिंदिता ट्रेडर्स ऐंड इंवेस्टमेंट लि., ए.टी.एस.एल. लि., होराइजन लोहा उद्योग लि. आदि विख्यात कंपनियाँ शामिल हैं। इनसे कुल करीब 120 करोड़ रुपए का नाजायज लाभ वसूले जाने के अधिकारिक सबूत आयकर अन्वेषण निदेशालय के दस्तावेजों में मौजूद हैं।

इसके अलावा स्टील क्षेत्र एवं ऊर्जा क्षेत्र की करीब एक दर्जन कंपनियों से भी काफी बड़ी धनराशि वसूली गई है, जिनमें सनफ्लैग आयरन ऐंड स्टील पॉवर कं. लि., बिहार स्पांज आयरन लि., मुकुंद आयरन लि., जूम वल्लभ स्टील, डेंको इंफ्राटेक लि., जिंदल स्टील ऐंड पॉवर लि., गगनदीप स्टील ऐंड पॉवर लि. आदि के नाम शामिल हैं। जिन्होंने रिश्वत के रूप में मुँह माँगा अनुचित लाभ दिया, उन्हें बदले में मनचाहा लाभ मिला। जिन्होंने दबाव के आगे झुकना मंजूर नहीं किया, उनके मामले लटका दिए गए।

खनन क्षेत्र की कंपनियों से मधु कोड़ा की ओर से विनोद सिन्हा खदान के अनुमानित मूल्य का 10 भंडार प्रतिशत कमीशन अथवा प्रति एकड़ 2 लाख रुपए की दर से कमीशन वसूलता था। संजय चौधरी की वसूली का दायरा केवल कमीशन वसूलने तक ही सीमित नहीं था, वह खनन कंपनियों में हिस्सेदारी भी माँगता था। विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के अलावा विकास सिन्हा, राकेश प्रसाद, हरेंद्र सिंह, बसंत भट्टाचार्या, अरुण कुमार श्रीवास्तव, विजय जोशी, ललित जैन, मनोज पुनमिया, महेंद्र भाई पाटोदिया, रोहितास कृष्णन, बी.के. सिंह, रितेश श्रॉफ, राघव नंदन प्रसाद, सौभिक चट्टोपाध्याय, शैलेश प्रसाद, अरविंद व्यास, प्रभास मित्तल, वीरेन आहूजा, संजीव मंसोत्रा, एस.के. नरेडी, बी.बी. सिंह आदि इस घोटाले के ऐसे पात्र हैं, जो अनुचित लाभ के लेन-देन से प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े रहे हैं।

खनन एवं स्टील उद्योग की जिन कंपनियों में घोटाले से हासिल अनुचित लाभ का निवेश हुआ है, उनमें से कुछ प्रमुख कंपनियाँ हैं—एम्मार एलवाय प्रा.लि. (जमशेदपुर), शिवांश स्टील प्रा.लि. (चाईबासा), सनराईज रोडलाइंस (कोलकाता), समृद्धि स्पांज प्रा.लि. (जमशेदपुर), इंडो असाइ उलास प्रा.लि. (रामगढ़), श्री राम मिनरल्स कंपनी प्रा.लि. आदि।

मुंबई केंद्रित कंपनियाँ

भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई घोटालेबाजों की प्रमुख कार्यस्थली रही है। झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों की सौदेबाजी एवं सरकारी ठेकेदारी में हेरा-फेरी से

एकत्र किया गया अवैध धन राँची, जमशेदपुर आदि स्थानों से हवाला के जरिए मुंबई पहुँच जाता था, जहाँ से इनके विदेशों में निवेश की योजनाएँ क्रियान्वित होती थीं। मुंबई और आस-पास के क्षेत्रों में नई कंपनियाँ बनाकर अथवा वहाँ पंजीकृत निष्क्रिय कंपनियों को हथियाकर उन्हें घोटाले के अवैध धन को काला से सफेद बनाने का माध्यम बनाया जाता था। यह कारनामा करने में हवालाबाजों और घोटालाबाजों का एक समूह दिन-रात सक्रिय रहता था। इस संदर्भ में निम्नांकित दो घटनाएँ उल्लेखनीय हैं—

एक घटना मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा की है। मधु कोड़ा लूट राज के एक शातिर सरगना संजय चौधरी को अनुमति की सीमा से काफी अधिक नकदी, जिसमें भारत के रुपए, अमेरिका का डॉलर, दुबई का दिहरम, थाईलैंड का वाट आदि मुद्राएँ शामिल थीं, ले जाते समय 17 सितंबर, 2008 को मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क विभाग के 'एयर इंटेलिजेंस विंग' के अधिकारियों द्वारा पकड़ा गया, तो उसके बचाव में मुंबई के रसूखदार लोग और व्यवसायिक कंपनियाँ सामने आ गईं। इनमें मनोज पुनमिया की कंपनी 'बालाजी टूर ऐंड ट्रैवेल्स' ने जाँच अधिकारियों के सामने संजय चौधरी के इस बयान को संपुष्ट किया कि वह नकद राशि 'बालाजी टूर ऐंड ट्रैवेल्स' को देने के लिए लाया था, पर दे नहीं सका। संजय चौधरी को गिरफ्तारी से बचाने के लिए तत्कालीन रेलमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद ने सीधा हस्तक्षेप किया। नतीजतन 60 हजार रुपए फाईन कर और विदेशी मुद्राये जब्त कर उसे रिहा कर दिया गया।

दूसरी घटना अपनी अंतरंग मित्र मंडली के बीच मनोज पुनमिया की बातचीत से संबंधित है। मनोज पुनमिया के साथ इस बातचीत की एक सीडी मैंने दिनांक 28 फरवरी, 2010 को जमशेदपुर में जारी की जिसमें पुनमिया कह रहा है कि मुंबई के आयकर विभाग एवं प्रवर्तन निदेशालय के अधिकरियों के साथ तो उसकी दोस्ती है और 50 से अधिक अफसरों को वह रिश्वत देता है। परंतु उज्जवल चौधरी तो पैसा से भी नहीं मानने वाला है। उल्लेखनीय है कि उज्जवल चौधरी आयकर अन्वेषण निदेशालय के बिहार-झारखंड क्षेत्र के निदेशक के नाते अधिकारियों की उस टोली के प्रमुख थे, जिसने अभियुक्तों के ठिकानों पर छापेमारी कर 'मधु कोड़ा लूट राज' के काला धन के भंडार का पता लगाया और झारखंड उच्च न्यायालय को वस्तुस्थिति से अवगत कराया।

मुंबई केंद्रित जिन कंपनियों ने 'कोड़ा-कुनबा' के घोटाले के काले धन को झारखंड और झारखंड से बाहर विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में डालकर सफेद करने का प्रयास किया है, उनमें से प्रमुख हैं—

ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स लि., बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स प्रा.लि., बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक प्रा.लि., वर्ल्डवाइड ऑनलाइन सर्विसेज प्रा.लि., बालाजी बुलियन कमोडिटीज

प्रा.लि., फ्लेमिंग ड्यूटी फ्री शॉप प्रा.लि., लक्जरी एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., जगुआर जेम्स ऐंड ज्वेलरी लि., थ्रीविन मेरिटाइम्स प्रा.लि, नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज लि., आर्बिट डायमंड्स प्रा.लि., ओम मूवी प्रोडक्शन प्रा.लि., लाभ कमोडिटीज प्रा.लि., हिलभिउ इम्पेक्स प्रा.लि., बालाजी रिफाइनरीज प्रा.लि., बालाजी प्रौप बिल्डर्स प्रा.लि., आमला ग्लोबल इंपेक्स प्रा.लि., केमैन एडवाइजरी सर्विसेज प्रा.लि., शैलभद्र एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., हाई हिल अर्थ इंफ्राकॉन ऐंड फार्मस प्रा.लि., डिलाइट एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., राधा गोपाल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा.लि., आकृति डायमंड्स प्रा.लि., आदर्श डायमंड्स प्रा.लि., त्रिनेत्र इंफ्राकॉन प्रा.लि., ए.वी.आई. डायमंडस प्रा.लि., सैटर्न आयरन ओर ऐंड माइनिंग लि., सत्यम् आर्ट्स ऐंड मीडिया प्रा.लि., इनडेप्थ इम्पेक्स प्रा.लि., बोनाफाइड एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., परिधि ओवरसीज प्रा.लि., कुबेर डायमंड्स प्रा.लि., इंक्रेडिबुल एक्सपोर्ट्स प्रा.लि., कैम्टेक मैनुफैक्चरिंग प्रा.लि., यूरेका फैशन प्रा.लि., त्रिकेश ट्रेड लिंक प्रा.लि., अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा.लि. आदि।

इन कंपनियों से जुड़े जिन पात्रों ने घोटाले की इस प्रक्रिया में अपना पराक्रम प्रदर्शित किया है, उनमें से प्रमुख हैं—विनोद सिन्हा, मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास, संजय चौधरी, ललित कांतिलाल जैन, हस्तीमल नथमल खंडेलवाल, समीर बसंत विसे, नितिन गुलराज राठौर, सुभाष, सी.एम. गुप्ता, लक्ष्मीमल सिंघवी, लता जैन, दिनेश जी. जॉनी, सुहेल पी. अंसारी, अंकुर एस. अग्रवाल, मुकेश कुमार खंडेलवाल, भवेश माधव लाल दवे, सरजु कुमार खंडेलवाल, जितेंद्र खंडेलवाल, कुमार पाल, जे. पुनमिया, मुकना राम जे. विश्नोई, प्रीतम एस. दोषी, कदम जोशी आदि।

कोलकाता की कंपनियाँ

झारखंड के पड़ोसी राज्य पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता भी घोटाला के अवैध धन की हेराफेरी करने में मुंबई से पीछे नहीं रही है। राँची और जमशेदपुर में की गई नाजायज वसूली के काले धन को सफेद करने में कोलकाता की दर्जनों कागजी कंपनियों की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। इनके साथ होने वाले अवैध कारोबार का संचालन और नियंत्रण विनोद सिन्हा के भाई विकास सिन्हा के हाथ में था। वसूली का नकद पैसा कोलकाता ले जाने और इसके बदले में कमीशन देकर वहाँ की कागजी कंपनियों से समान राशि का चेक ले आने के काम में जमशेदपुर का एक कुख्यात जालसाज सौभिक चट्टोपाध्याय उसका प्रमुख सहयोगी था।

प्रवर्तन निदेशालय द्वारा दायर किए गए आरोप-पत्रों में ऐसे कई व्यक्तियों के नाम का उल्लेख है जिन्होंने विकास सिन्हा के निर्देश पर नकदी पैसा ले जाने और कोलकाता की कागजी कंपनियों से कमीशन देकर चेक की लेन-देन में अपनी भूमिका स्वीकार किया है। शपथ-पत्र पर ऐसा बयान देनेवालों में गुणमय कॉलोनी, मानगो, जमशेदपुर के बुद्ध नारायण गुप्ता, कोलकाता के चंद्र भूषण झा, मृदुल भौमिक, विवेक गोयनका, प्रदीप परशुरामका शामिल हैं। घोटाले का नकद पैसा लेकर कोलकाता जाने वालों में बुद्ध नारायण गुप्ता के अलावा बी. के. झा, अभिमन्यु सिंह, के.बी.पटेल, सौभिक चट्टोपाध्याय के नाम का उल्लेख भी है। विकास सिन्हा के निर्देश पर ये सभी व्यक्ति नकदी लेकर कोलकाता के ओ.पी. बंका के निवास 125, एन. एच. रोड, ब्रजेश चौधरी के निवास 27, ब्राब्रोर्न रोड, गिरधारी गोयनका के निवास के ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट और आर.के सिंघल के निवास 21, हेमंत बसु सरनी जाते थे। नकदी के बदले चेक देने वाली कागजी कंपनियों को 4 प्रतिशत से 6 प्रतिशत के बीच कमीशन देना पड़ता था।

घोटाले की सहयोगी कोलकाता केंद्रित कंपनियों में प्रमुख हैं—आई.ए.जी. कंपनी लि., एस. के. नरेडी ऐंड कं., चैरियेट स्टील ऐंड पॉवर प्रा.लि., पुष्पक फाइनेंशियल सर्विसेज लि., क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज लि., पुष्पक मैनेजमेंट सर्विसेज लि., लक्की प्रोजेक्ट्स प्रा. लि., के. स्टार प्रोपर्टीज प्रा. लि., अंजनीपुत्र इस्पात लि., पारसनाथ मार्केटिंग प्रा. लि., विन्नी आयरन ऐंड स्टील उद्योग लि., ठाकुर प्रसाद साव ऐंड संस प्रा. लि., फिन् रोप इस्टेट्स प्रा. लि., इस्टर्न स्टील ऐंड पॉवर लि., ट्यूलिप माइंस प्रा. लि., एस.पी. इंटरनेशनल लि., जयश्री इंफ्रास्ट्रक्चर ऐंड प्रोजेक्ट्स लि., पुष्पक वेंचर्स प्रा. लि., गिरिधर सिनटैक्स प्रा. लि., प्रसन्न कोमोट्रेड प्रा. लि., शारदा व्यापार प्रा. लि., सेवेन सी विन्कॉम प्रा. लि., जे.एम. टैक्सटाइल प्रा. लि., मैजेस्टिक सेल्स प्रोमोशन प्रा.लि, हनुराग विनिमय प्रा.लि., गणाधिपति ट्रेडर्स ऐंड क्रेडिट्स प्रा. लि., मोनेट व्यापार प्रा. लि., सुमित क्रेडिट कंपनी प्रा. लि, जुबली डीलर्स प्रा. लि. आदि।

कोलकाता की उपर्युक्त कंपनियों से जुड़े अनेक पात्रों मे से प्रमुख हैं— विजय जोशी, मीना जोशी, एस.के. नरेडी, रचना नरेडी, विवेक कुमार गोयनका, अशोक उप्पल, प्रदीप कुमार परसरामका, चंद्रभूषण झा। इनके केंद्र में रहे हैं स्वयं श्री मधु कोड़ा और इनके चारों ओर अभेद्य दुर्ग की तरह घेरा बनाए रहे हैं, विनोद सिन्हा एवं उसके शातिर सहयोगी।

विदेशी कंपनियाँ

मधु कोड़ा लूट राज में हासिल किए गए अवैध धन का प्रभाव और प्रसार केवल भारत भूमि तक ही सीमित नहीं रहा है। दुनिया के कई देशों में इसने पैर पसारे हैं, चल-अचल संपत्ति का कारोबार किया है और घोटाले का काला धन विदेशी बैंकों के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित किया है। इस भूमिका में सक्रिय रही और घोटाले से जुड़ी प्रमुख विदेशी कंपनियों के नाम निम्नवत हैं—

सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वैलरी एल. एल. सी. (दुबई), के जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वैलरी (दुबई), टिफनी गोल्ड प्रा.लि. (सिंगापुर), रिगल जेवेल्स इ. (अमेरिका), मैसर्स स्टार्ड वाल्वे (चीन), अत्रिया ज्वैलर्स (सियरा लियोन), स्टारलाइट डायमंड्स एफ.जे.इ.ई. (सियरा लियोन), बालाजी कमर्शियल ब्रोकरेज (ब्रुंडी), ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स (इंडोनेशिया), कैम्टेक मैनुफैक्चरिंग कं. (बैंकाक/दुबई), अल शमल गोल्ड ज्वैलरी (हाँगकाँग), फॉर्चून होम्स इंवेस्टमेंट (घाना), न्यू स्टार इंवेस्टमेंट ऐंड डेवलपमेंट (इंग्लैंड), टाइम्स 08 लि. (स्वीडन), प्राम्प्ट लि. (स्वीडन), ग्लोबल प्राफिट क्रिएशन (स्वीडेन), जेवेल्स इंडिया एच.के. (अंगोला), बेस्ट लिंक इंटरनेशनल क्रिएशन (अंगोला), मिडवे क्रिएशन लि. एच.के. (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स), फॉक्स वुड्स वेंचर्स इं. (ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स), रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट्स इंपोर्ट्स (बैंकॉक), अमास स्विस बैंक लि. (स्विटजरलैंड), ए. रियांटों (बैंकॉक) आदि।

घोटाले के धन का विदेशों में निवेश करनेवाली इन कंपनियों के साथ जो व्यक्ति निवेशक के रूप में जुड़े हुए हैं, उनमें से प्रमुख हैं—अरविंद व्यास, मुकना राम विश्नोई, संजय चौधरी, धनंजय चौधरी, प्रीतम दोषी, माल्टा सिंह, अजय बाफना, अनिल सिंह, अशोक उप्पल, अनिल वस्तावडे, महेंद्र भाई पाटोदिया, दीपक साह, भूषण जैन, रितेश जैन, प्रणव पांड्या आदि।

इन कंपनियों को लूट राज में अर्जित अवैध धन को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने का माध्यम बनाया गया है। इनके माध्यम से धन के स्थानांतरण की प्रक्रिया काफी क्लिष्ट है। केंद्रीय जाँच एजेंसियाँ इस प्रक्रिया का उद्‌भेदन कर अधिक-से-अधिक जानकारियाँ एकत्र करने और इनके बैंक खातों की जाँच करने में जुटी हुई हैं।

इसके अलावा रियल इस्टेट, मीडिया, सरकार के कार्य विभागों की ठेकेदारी से जुड़ी कई ऐसी कंपनियाँ हैं, जिनके नाम और कार्य-अनुभव के आधार पर उन्हें आवंटित कार्यों को विनोद सिन्हा और इनके गुर्गे जबरन या उनकी सहमति से हथिया लेते थे, इनके प्राक्कलन में बेहिसाब वृद्धि की जाती थी और न केवल कमीशन की राशि, बल्कि पूरा-का-पूरा मुनाफा भी ये लोग अपनी जेब में डाल लेते थे। रियल इस्टेट के क्षेत्र में इन्होंने जो परिसंपत्तियाँ और परियोजनाएँ घोटाले के धन से हथियाई हैं, उनमें मुंबई के माटुंगा और माहिम में तथा जमशेदपुर के बर्मा माइंस और बिष्टुपुर में मॉल प्रोजेक्ट आदि अन्य कई बड़े निर्माण कार्य शामिल हैं। इसके अतिरिक्त दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड में भी रियल इस्टेट में भारी निवेश का प्रमाण मिले हैं। घोटाले के इस रियल इस्टेट व्यवसाय से जुड़े पात्रों में मनोज पुनमिया, बी.के. सिंह, अनूप चटर्जी, आशीष घोष उर्फ बबलू घोष, विकास सिन्हा, रश्मिकांत शाह, हिमाद्रि बनर्जी, अरविंद व्यास अनिल वस्तावडे, संजय चौधरी और इसका भाई मृत्युंजय चौधरी प्रमुख हैं।

ऊर्जा और पथ-निर्माण क्षेत्र से जुड़ी कंपनियाँ

ऊर्जा (विद्युतीकरण) क्षेत्र में कार्यरत कई कंपनियों की सहभागिता इस घोटाले में उजागर हुई हैं। घोटालेबाजों द्वारा इन्हें अवैध धन कमाने का माध्यम बनाया गया है। ये कंपनियाँ हैं— क्वांटम पॉवर टेक प्रा. लि. (राँची), रामजी पॉवर कॉरपोरेशन लि. (राँची) पॉवर टेक इंजीनियर्स (गाजियाबाद), पॉवर टेक इंजीनियर्स (गाजियाबाद), आई.वी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर लि. (लखनऊ), नागार्जुन कंसट्रक्शन कं. लि. (हैदराबाद), नेकॉन/कम्युमिनो (बोकारो), ए.टी.एस.एल., आई.ई.सी.एस. (राँची), एम. एन. प्रोजेक्ट्स, न्यूटन कंसलटेंट्स आदि।

इन कंपनियों के अवैध कारोबार के साथ प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जुड़े तथा इन्हें लाभ पहुँचाने वाले प्रमुख पात्र हैं—रोहितास कृष्णन, बी.के. सिंह, अशोक सिंह, डी.के. श्रीवास्तव, बी.एन. पांडे, बी.एन. वर्मा, एच.बी. लाल, एस.एन. चौधरी पी.के. सिन्हा आदि। इन्होंने विनोद सिन्हा के जरिए 'कोड़ा-कुनबा' के लिए कमीशन वसूलने का काम किया, नाजायज धन का भुगतान लिया और कार्य आवंटन की सरकारी प्रक्रिया में हस्तक्षेप किया।

पथ-निर्माण विभाग एवं सरकार के अन्य कार्य विभागों में घोटालाबाज कोड़ा कुनबा का काम देखनेवालों में रोहितास कृष्णन, बी.के. सिंह, रीतेश श्रॉफ, राकेश प्रसाद, डॉ. दीपक कुमार और श्रीनेत शांडिल्या के नीरज सिंह आदि प्रमुख रूप से शामिल हैं। इन्होंने सरकारी क्षेत्र के निर्माण विभागों का काम मुख्य रूप से क्वांटम पॉवर टेक, श्रीनेत शांडिल्या कंस्ट्रक्शन प्रा.लि., श्रीनेत शांडिल्या ब्रजमोहन अग्रवाल ज्वाइंट वेंचर कंपनी, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी, रामकृपाल सिंह ऐंड कंपनी को माध्यम बनाकर किया है।

मीडिया क्षेत्र में दखलअंदाजी

घोटालेबाजों ने मीडिया क्षेत्र को भी नहीं बख्शा। धन के घमंड में चूर इन धन-पिपासुओं ने एक स्वतंत्र मीडिया साम्राज्य खड़ा करने का लक्ष्य रखा था। अपने अखबारों में इनके घोटाले के काली कारतूतों को उजागर करनेवाले पत्रकारों और संपादकों को ये लोग कभी व्यंग्य में तो कभी खीझ में ताना दिया करते थे कि कुछ दिन बाद आप लोग हमारे पास नौकरी माँगने के लिए लाइन लगाओगे। घोटालाबाजों की दंभ भरी ऐसी उक्तियों में प्रलोभन, भय, आतंक, हेठी, हेकड़ी का समावेश रहता था। इनकी यह सोच अंततः शेखचिल्ली का सपना साबित हुआ।

मीडिया क्षेत्र को प्रभावित करने के लिए इन लोगों ने मुंबई में सत्यम् मीडिया ऐंड आर्ट्स प्राइवेट लि. नामक एक कंपनी बनाई। एक अन्य कंपनी इन्होंने राँची में भी बनाई जिसका नाम है मै. सत्यम् पब्लिकेशंस। मीडिया क्षेत्र की इन कंपनियों की लगाम खुद विनोद सिन्हा और अरविंद व्यास ने अपने हाथों में रखी थी और अजीत कुमार द्विवेदी,

राजेश पटेल, सुधीर पाल जैसे तेज-तर्रार पत्रकारों को इन्होंने अपने खुदगर्ज अभियान में फाँसने की कोशिश की। असलियत समझ में आई तो इन पत्रकारों ने इनकी कंपनियों से पल्ला झाड़ लिया।

घोटालेबाजों की योजना स्थापित मीडिया समूहों पर कब्जा करने, इन्हें विज्ञापन कारोबार के जरिए अपनी गिरफ्त में लेने और बाद में अपना मीडिया साम्राज्य स्थापित करने की थी। किसी स्थापित मीडिया समूह की विश्वसनीयता को भुनाने का अपना पहला प्रयास इन्होंने सहारा इंडिया नेटवर्क से शुरू किया। सहारा इंडिया टी.वी. चैनल का बिहार और झारखंड क्षेत्र का विज्ञापन अधिकार इन्होंने खरीद लिया। हर महीने 1.25 करोड़ रुपए सहारा चैनल को देने और इसके एवज में विहार झारखंड क्षेत्र में इनके विज्ञापन की व्यवस्था अपने हाथ में लेने का समझौता इन्होंने 5 जुलाई, 2008 को किया। इस समझौते पर सहारा इंडिया की तरफ से अनिल वी. अब्राहम ने और सत्यम् मीडिया ऐंड आर्ट्स प्रा.लि. की तरफ से अजित कुमार द्विवेदी ने हस्ताक्षर किए। गवाह के रूप में सहारा टी.वी. चैनल की ओर से संजय मिश्रा और सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया प्रा.लि. की ओर से क्वान्टम पॉवर टेक के रोहितास कृष्णन के हस्ताक्षर इस दस्तावेज पर है। सितंबर 2008 में मधु कोड़ा की सरकार गिरने के बाद जब शिबू सोरेन झारखंड के मुख्यमंत्री बने, तब श्री अजीत कुमार द्विवेदी उनके प्रेस सलाहकार बन गए।

थोड़े ही दिनों में पता चल गया कि इनकी असली मंशा क्या है! ये विज्ञापन देने की एवज में सहारा नेटवर्क से प्रसारित होनेवाले समाचारों को प्रभावित करने का प्रयास करने लगे। इसकी एक झलक उस वक्त दिखाई पड़ी, जब मधु कोड़ा की सरकार का जाना निश्चित हो गया था और उनकी जगह कांग्रेस और यू.पी.ए. के अन्य घटक दलों ने शिबू सारेन की ताजपोशी करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी थी। उस समय एक ओर मधु कोड़ा के प्रबंधक विनोद सिन्हा के निर्देशन में करोड़ों रुपए का थैला लेकर शिबू सोरेन के आवास और झारखंड मुक्ति मोरचा विधायकों के आवासों के इर्द-गिर्द विधायकों को पटियाने के लिए चक्कर काटते रहते थे, तो दूसरी ओर सहारा चैनल से ऐसी खबरें प्रकाशित कराने के जुगाड़ में लगे रहते थे जिससे विधायकों को यह अहसास होता रहे कि मधु कोड़ा की गद्दी सुरक्षित है, मधु कोड़ा विश्वास से भरे हुए हैं और बेखौफ होकर अपना कामकाज सँभाल रहे हैं।

घोटालेबाजों की नीयत में खोट का अहसास होते ही सहारा चैनल ने विनोद सिन्हा की कंपनी सत्यम मीडिया ऐंड आर्ट्स प्राइवेट लि. के साथ उपर्युक्त समझौता कुछ ही दिनों में तोड़ दिया और इन लोगों से छुटकारा पा लिया। जिन पत्रकारों ने यह समझौता कराने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उन्होंने भी सत्यम् मीडिया ऐंड आर्ट्स प्रा.लि. से किनारा कर लिया। जिन्होंने विज्ञापन अधिकार के करार पर हस्ताक्षर किए थे और

मधु कोड़ा की छवि चमकाने वाले आलेख तैयार करने में अपना समय लगाया था, उन्होंने भी इनसे किनारा कर लिया।

मीडिया, कंस्ट्रक्शन, ठेकेदारी, कमीशनखोरी, रिश्वतखोरी, हवाला आदि के अलावा हेल्थकेयर के ऐश-मौज वाले क्षेत्र में भी इन्होंने प्रभावी हस्तक्षेप का प्रयास किया था। इसके लिए इन्होंने बंगलुरु में एक कंपनी रजिस्टर्ड कराया जिसका नाम है—रिप्पल टोटल फिटनेस। इस कंपनी का काम फैलाने का जिम्मा इन्होंने रितेश श्रौफ को सौंपा था। देश के बड़े और मध्यम श्रेणी के शहरों मे 'टोटल फिटनेस' की दुकान खड़ा करने और हेल्थ रिर्सोट बनाने की महात्त्वाकांक्षी योजना इन्होंने बनाई थी। मध्यम एवं उच्च वर्ग के बीच हेल्थकेयर के बढ़ते क्रेज को भुनाने की आड़ में ऐशो-आराम के साधनों का जुगाड़ करने के लिए इस क्षेत्र में घोटाले के धन का निवेश करने की इनकी व्यापक योजना थी।

लूट की राजदार कंपनियाँ

'मधु कोड़ा लूट राज' से जुड़ी देश-विदेश की अनेक कंपनियों की सूची इसके पूर्व के पृष्ठों पर यथास्थान दी गई है। इनके अलावा कई अन्य कंपनियाँ भी लूट राज के गोरखधंधे में शामिल हैं, जिनका पूरा विवरण फिलहाल उपलब्ध नहीं है। इनमें से दर्जनों कंपनियाँ ऐसी हैं, जिन्हें वर्ष 2006 से 2009 के बीच देश के विभिन्न स्थानों पर कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत कराया गया। इन कंपनियों के निदेशक मंडल में व्यक्तियों का वही समूह शामिल है, जिसका जुड़ाव किसी-न-किसी रूप में 'मधु कोड़ा लूट राज' से सीधे अथवा इसके प्रमुख पात्रों के माध्यम से है। इन कंपनियों में नकद एवं आर.टी.जी.एस. द्वारा भारी मात्रा में धन डाला गया है। अधिकांश कंपनियों में डाला गया धन घुमा-फिराकर मनोज पुनमिया की बालाजी ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में इन्हें कर्ज देने अथवा इनके शेयर खरीदने के नाम पर स्थानांतरित किया गया है। ऐसी कतिपय प्रमुख कंपनियों की सूची निम्नांकित है—

	कंपनी का नाम	निदेशक	(नियुक्ति तिथि)
1.	बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि.	• मनोज पुनमिया,	(03.10.2006)
		• लता जैन	(20.02.2007)
2.	बालाजी बुलियंस ऐंड कमॉडिटिज (इं) प्रा. लि.	• विनोद सिन्हा,	(02.01.2008)
		• मनोज पुनमिया	(02.01.2007)
		• संजय चौधरी,	(02.08.2008)
3.	बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स प्रा. लि.	• मनोज पुनमिया	(22.11.2006)
		• लता जैन	(28.03.2008)
4.	बालाजी प्रौप बिल्डर्स प्रा. लि.	• मनोज पुनमिया	(28.11.2006)
		• लता जैन	(28.03.2008)

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 194-195 02-Jul-12, 7:25 PM

5. लाभ कमॉडिटिज प्रा. लि.	• मनोज पुनमिया	(02.12.2005)
	• लता जैन	(02.12.2005)
6. वर्ल्डवाइड ऑन लाइन सर्विस प्रा. लि.	• ललित कांतिलाल जैन,	(28.02.2008)
	• अरविंद व्यास	(28.02.2008)
7. शालिभद्र एक्सपोर्ट प्रा. लि.	• कदम जोशी,	(10.05.2008)
	• मुकनाराम विश्नोई,	(10.05.2008)
8. एक्सेस डायमंड्स प्रा. लि.	• दिनेश घनश्याम जानी,	(15.05.2008)
	• सोहेल परवेज अंसारी,	(16.05.2008)
9. बालाजी ब्लेस बिल्ड मार्ट प्रा. लि.	• ललित कांतिलाल जैन,	(26.02.2008)
	• अरविंद व्यास,	(26.02.2008)
10. केमैन एडवाईजरी सर्विसेज प्रा. लि.	• ललित कांतिलाल जैन,	(26.02.2008)
	• प्रीतम सोहनलाल दोषी,	(31.03.2008)
11. नमोकार एक्सपोर्ट प्रा. लि.	• संजय कुमार	(01.02.2009)
	• मनोज जैन,	(01.02.2009)
12. हाई हिल्स अर्थ इंफ्राकॉन ऐंड फार्म्स प्रा. लि.	• ललित कातिलाल जैन,	(28.01.2008)
	• अरविंद व्यास,	(28.01.2008)
13. डिलाइट एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	• अंकुर सुशील अग्रवाल,	(01.02.2009)
	• मुकेश कुमार शेषमल	(01.02.2009)
14. राधा गोपाल फाइनंशियल सर्विसेज प्रा. लि.	• सुभाष चंद मोतीलाल गुप्ता,	(15.04.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(01.07.2008)
15. आकृति डायमंड्स प्रा. लि.	• सुभाष चंद, मोतीलाल गुप्ता,	(07.08.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(09.08.2008)
16. आदर्श डायमंड्स प्रा. लि.	• सुभाष चंद मोतीलाल गुप्ता,	(07.08.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(09.08.2008)
17. त्रिनेत्र इंफ्राकॉन प्रा. लि.	• सुनिल कु. तातेर,	(18.03.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(01.07.2008)
18. लक्जरी एक्सपोर्ट प्रा. लि.	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(01.02.2009)
	• केतन सुकन राज जैन,	(01.02.2009)
19. ए.वी.आई. डायमंड्स प्रा. लि.	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(01.02.2009)
	• भवेश माधव लाल दवे,	(01.02.2009)
20. सैटर्न आयरन ऐंड माइनिंग लि.	• विनोद कु. सिन्हा,	(20.02.2008)
	• अरविंद व्यास,	(20.02.2008)
	• प्रीतम सोहनलाल दोषी,	(15.04.2008)
21. सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया प्रा.लि.	• विनोद कु. सिन्हा,	(04.07.2008)
	• अरविंद व्यास,	(04.07.2008)
22. ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	• विनोद कु. सिन्हा,	(15.12.2007)
	• मुकनाराम विशनोई,	(15.04.2008)
	• प्रीतम सोहनलाल दोषी,	(15.04.2008)
23. श्रीविन मैरिटाइम (इंडिया) प्रा. लि.	• मनोज पुनमिया,	(22.11.2007)
	• समीर बसंत भिसे,	(26.11.2007)
24. इंडेप्थ इम्पेक्स प्रा. लि.	• सुभाष चंद मोतीलाल गुप्ता,	(29.10.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(13.11.2008)
25. बोनाफाइड एक्सपोर्ट्स प्रा. लि.	• सुभाष चंद मोतीलाल गुप्ता,	(29.10.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(13.11.2008)
26. परिधि ओवरसिज प्रा. लि.	• सुभाष चंद मोतीलाल गुप्ता,	(10.11.2008)
	• कुमारपाल जावेरचंद पुनमिया,	(01.02.2009)
27. ऑरबिट डायमंड्स प्रा. लि.	• सुभाष चंद मोतीलाल गुप्ता,	(07.08.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(09.08.2008)
28. इंक्रेडिबल एक्स्पोर्टस प्रा. लि.	• सुभाष चंद मोतीलाल गुप्ता,	(06.06.2008)
	• लक्ष्मीलाल सिंघवी,	(09.08.2008)
29. बालाजी रिफाइनरीज लिमिटेड	• मनोज पुनमिया,	(11.11.2008)
	• लता जैन,	(11.11.2008)
	• हस्तीमल खंडेलवाल,	(22.12.2008)
30. ओम मूवीज प्रोडक्शन प्रा. लि.	• मनोज पुनमिया,	(17.11.2008)
	• लता जैन,	(17.11.2008)
31. कैमटेक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि.	• ललित कांति लाल जैन,	(20.02.2008)
	• अरविंद व्यास,	(20.02.2008)
32. अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा. लि.	• ललित कांति लाल जैन,	(08.04.2008)
	• अरविंद व्यास,	(08.04.2008)

33. यूरेका फैशन प्रा. लि. • अरविंद व्यास, (28.03.2008)
• आशिष तुली, (06.12.2007)
34. ऑर्बिट डायमंड्स प्रा. लि. • सुभाष चंद (07.08.2008)
मोतीलाल गुप्ता
• लक्ष्मी मल सिंघवी (09.08.2008)
35. कुबेर डायमंड्स प्रा. लि. • सुभाष चंद (07.08.2008)
मोतीलाल गुप्ता
• लक्ष्मी मल सिंघवी (09.08.2008)
36. त्रिकेश ट्रेड लिंक प्रा. लि. • सरजू कुमार (18.02.2008)
त्रिलोक चंद्र खंडेलवाल
• जितेंद्र मलय चंद (27.03.2008)
37. जगुआर एनर्जी प्रा. लि. • मनोज पुनमिया
• प्रीतम दोषी
• हस्तीमल खंडेलवाल
38. दक्षिणेश्वरी लॉजिस्टिक्स • राजीव शंकर
• रोहितास कृष्णन
39. आर.एस.बी. इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. • शिल्पा अग्रवाल, पश्चिम बंगाल
40. केजरीवाल फिनवेस्ट प्रा. लि. • दीपक दोकानिया, कोलकाता
41. वारेन डीलकॉम प्रा. लि. • परवीर संत्रा, पश्चिम बंगाल
• किलोल अरुण उदानी, कोलकता
42. अकाई सिक्युरिटीज प्रा. लि. • राकेश प्रसाद, राँची
• अनूप कुमार भगत, राँची
43. वासुदेव टाई-अप प्रा. लि. • अंबिका देवी बजोरिया, कोलकाता
• विकास कुमार बजोरिया, कोलकाता
44. स्वस्तिक सिक्युरिटीज ऐंड फाइनेंस लि. • विरेंद्र कुमार केशरी, कोलकाता
• विकास लठ, कोलकाता
• योगेश शर्मा, कोलकाता
45. रमनिक डीलकॉम प्रा. लि. • दीपु कुमार टीबरेवल, कोलकाता
• प्रवीण शर्मा, पश्चिमी बंगाल
46. बीएएस इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रा. लि. • रोहितास कृष्णन, पटना,
47. मैसर्स सत्यम पब्लिकेशंस ऐंड ब्रॉडकास्टिंग प्रा. लि. • सुधीर कुमार पाल, राँची
• उमेश प्रसाद, राँची
48. श्रीनेत ऐंड शांडिल्या कंस्ट्रक्शन प्रा. लि. • संजय प्रताप सिंह, उत्तर प्रदेश
49. कैंडौर डिलकॉम प्रा. लि. • परवीर संत्रा,
• किलोल अरुण उदानी

50. सांची ट्रेडर्स प्रा. लि. • प्रमोद कुमार अग्रवाल, कोलकाता
51. मैसर्स रामजी पॉवर • अशोक कुमार सिंह
• राजीव सिंह
• श्रीमती चंचल सिंह
52. मैसर्स रामजी स्ट्रक्चर प्रा. लि. • सिस्टर कॉन्सर्न ऑफ रामजी पावर कं. लि.
53. न्यूट्रॉन कंसलटेंटस प्रा. लि. • रोहितास कृष्णन, पटना, बिहार
• ब्रजेश कुमार सिंह, न्यू दिल्ली
54. क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज लि. • बिजय जोशी, उड़ीसा
55. रिप्पल्स टोटल फिटनेस प्रा. लि. • प्रकाश कुमार प्रसाद, बंगलोर
• रितेश श्रौफ, हावड़ा
• होरो करुणा, बंगलोर
56. मेसर्स क्वांटम पॉवर टेक प्रा. लि. • बी. के. सिंह, नई दिल्ली
• रोहितास कृष्णन, पटना
57. मेसर्स अत्रेयी ट्रेडलिंक प्रा. लि. • आयुश सोन्थालिया, कोलकाता
• भरत यादव, कोलकाता
58. पारीलोन कॉमर्स प्रा. •
59. डी.बी. वे. बिल्डिंग्स प्रा. लि. •
60. बी. व्यापार प्रा. लि. •
61. ए. कॉमर्सियल प्रा. लि. •

□

लूट राज की कार्यप्रणाली

अवैध धन को वैध करने के लिए और इसके आधार पर एक सशक्त अंतरराष्ट्रीय आर्थिक साम्राज्य खड़ा करने के लिए 'मधु कोड़ा लूट राज' में शामिल कंपनियों का उपयोग घोटालेबाजों और हवाला बाजों द्वारा मुख्यत: तीन चरणों में किया गया। प्रत्येक चरण में शामिल कंपनियों ने और इनके प्रबंधकों ने अलग-अलग प्रकार की भूमिकाएँ अदा की। पहले चरण की कंपनियाँ मुख्यत: कोलकाता केंद्रित थीं। लूट राज के शुरुआती दौर में इनका उपयोग रिश्वत से वसूले गए काले धन को सफेद बनाने, झारखंड में नई कंपनियाँ बनाने, पहले से यहाँ स्थापित कंपनियों का शेयर खरीदकर अथवा उन्हें ऋण देकर उनके संचालन पर कब्जा जमाने के लिए किया गया। इस चरण में मुख्य भूमिका उन घोटालेबाजों की थी, जिन्हें तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का सीधा संरक्षण प्राप्त था। मुख्यमंत्री पद के प्रभाव का उपयोग कर ये लोग लौह अयस्क का खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा कराने की एवज में उद्योगपतियों से नाजायज वसूली करते थे और इस प्रकार वसूले गये नकद अवैध धन को विभिन्न कंपनियों में डालकर सफेद करते थे।

दूसरे चरण में घोटालोबाजों और हवालेबाजों की संयुक्त कंपनियों ने बड़े पैमाने पर अवैध धन को हवाला चैनल के माध्यम से देश-विदेश में ले जाने का अभियान आरंभ किया। तीसरे चरण में वैसी कंपनियों को मिलाकर एक किया गया, जिनमें जमा अवैध धन जगह-जगह पर छितराया हुआ था। इन्हें एक होल्डिंग कंपनी में एकत्र करना, अंतरराष्ट्रीय स्तर की कतिपय कंपनियों को मिलाकर इसे विश्व स्तर के स्टॉक एक्सचेंज नास्डाक (NASDAQ) में सूचीबद्ध कराना, इसका उपयोग अफ्रीकी महाद्वीप में लौह अयस्क, सोना, हीरा आदि खदानों में निवेश के लिए करना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सुदृढ़ आर्थिक साम्राज्य खड़ा करना था। घोटालेबाजों और हवालेबाजों के इस संयुक्त अभियान का ब्योरा काफी रोचक है।

प्रथम चरण की कंपनियाँ

घोटाले के आरंभिक चरण में मुख्यत: वैसी कंपनियाँ शामिल हैं, जिनका उपयोग नाजायज तरीके से कमाए गए रिश्वत के अवैध नकदी धन को वैध बनाने के लिए स्थानीय परिप्रेक्ष्य में किया गया। इनमें से अधिकांश कंपनियाँ कोलकाता केंद्रित हैं। घोटाले से जुड़े व्यक्ति या उनके प्रतिनिधि नकद पैसा लेकर इन कंपनियों के पास जाते थे और बदले में 5 से 6 प्रतिशत कमीशन चुकाकर उनसे समान राशि का चेक ले आते थे। इस चेक को शेयर के नाम पर, ऋण के नाम पर अथवा निवेश के नाम पर अपनी कंपनियों के खाते में डालकर इनकी वित्तीय स्थिति मजबूत बनाते थे और अपना व्यवसाय बढ़ाते थे। इस अभियान की कमान विनोद सिन्हा के भाई विकास सिन्हा के हाथ में थी।

शुरुआती दिनों में इनकी गतिविधियाँ इस श्रेणी की कंपनियों को माध्यम बनाकर अवैध धन को वैध बनाने और उसे अपनी प्रोप्राइटरशिप एवं पार्टनरशिप वाले प्रतिष्ठानों में खपाने अथवा अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों की वित्तीय स्थिति मजबूत बनाने और चल-अचल संपत्तियाँ खरीदने तक ही सीमित थी। घोटाला करनेवालों को उस समय यह उम्मीद नहीं थी कि नाजायज रिश्वत वसूली से इस सीमा तक अकूत धन हासिल किया जा सकता है। जैसे-जैसे नाजायज धन की आमद तेज होते गई, वैसे-वैसे इनकी महत्त्वाकांक्षा भी बढ़ने लगी।

इसके बाद इन्होंने पहले से स्थापित नामचीन व्यवसायियों की कंपनियों का अधिग्रहण कर अथवा उनमें शेयर होल्डर बनकर उनका संचालन अपने प्रभुत्व में लेने की रणनीति पर काम करना शुरू किया। झारखंड के उद्योग एवं व्यवसाय जगत में पहले से स्थापित और औद्योगिक व व्यावसायिक समाज में विशेष स्थान रखनेवाली हस्तियों की कंपनियों पर भी इन लोगों ने नाजायज पैसे के प्रभाव से और प्रशासन तंत्र के दबाव से हाथ डालना शुरू किया। इस श्रेणी के कतिपय जरूरतमंद उद्योगपतियों ने अपनी रुग्ण कंपनियों के जीर्णोद्धार हेतु नकद धन की जरूरत पूरा करने के लिए इनसे ऋण अथवा शेयर के रूप में धन स्वीकार कर लिया, कुछ लोगों पर शासन-प्रशासन का दबाव डालकर उन्हें इसके लिए विवश किया गया।

जमशेदपुर के एक चार्टर्ड एकाउंट एस.के. नरेडी ने केंद्रीय जाँच एजेन्सियों को दिए गए अपने बयान में इस श्रेणी की कंपनियों की भूमिका का बखूबी वर्णन किया है। श्री नरेडी 2005-06 से मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा की कंपनियों के वित्तीय अंकेक्षण के लिए उन्हें अपनी सेवाएँ देते रहे हैं। श्री नरेडी के अनुसार आरंभ में विनोद सिन्हा और विकास सिन्हा स्वयं नकद पैसा लेकर कोलकाता जाते थे और कमीशन चुकाकर नकदी के बदले अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के नाम से चेक लेकर

आते थे। इस चेक का उपयोग वे इंडिया डीजल, इंडिया मोटर्स ऐंड ट्रेक्टर्स, कोल्हान ट्रेडिंग, इंडिया डीजल एवं कार्स, शिवांस स्टील आदि प्रतिष्ठानों में पूँजी निवेश के रूप में करते थे। ये सभी इनकी और इनके परिवार के सदस्यों की प्रोप्राइटरशिप और पार्टनरशिप वाले प्रतिष्ठान हैं।

सबसे पहले कोलकाता की 6 प्राइवेट कंपनियों ने इनसे नकदी लेकर बदले में चेक दिया। कोलकाता की अरिहंत ट्रेकॉम ने 25 लाख रुपए, वासुदेव ट्रेडिंग कंपनी ने 3.65 करोड़ रुपए, डोयलेन मार्केटिंग ने 25 लाख रुपए, सुमित क्रेडिट कंपनी ने 65 लाख रुपए, लैक्की प्रोजेक्ट ने 4 करोड़ रुपए और क्रियेटिव फिस्कल सर्विसेज ने 13 करोड़ रुपए का चेक इन्हें नकदी के बदले में दिया। वित्तीय वर्ष 2005-06 में इन्हीं कंपनियों द्वारा नकदी के बदले चेक देकर अवैध से वैध किए गए धन से विनोद सिन्हा ने थाईलैंड की कंपनी 'रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट-इंपोर्ट प्रा. लि.' में 22 करोड़ 52 लाख 480 रुपए का निवेश किया। यह कंपनी अनिल सिंह-माल्टा सिंह की है। विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के साथ मधु कोड़ा की थाईलैंड की गुप्त-यात्रा के दौरान अक्तूबर 2005 में इस निवेश की योजना बनी थी।

इसके अलावा जमशेदपुर के संजय पलसानिया की स्पांज आयरन फैक्ट्री, शिवरामा स्पांज, जिसकी कुल कीमत उस समय 31 करोड़ रुपए आँकी गई थी, के 11.80 करोड़ रुपए के शेयर विनोद सिन्हा ने खरीदे, उस पर बैंक की 11 करोड़ रुपए की देनदारी को चुकाया और 8 करोड़ रुपए नकद भुगतान किया। इस व्यय को उन्होंने संबंधित वर्ष के आयकर रिटर्न में प्रदर्शित नहीं किया। इस भुगतान का स्रोत भी कोलकाता की उपर्युक्त 6 कंपनियाँ ही हैं। शिवरामा स्पांज की शेयर खरीद उनके नाम पर दिखलाया तो गया पर इस मामले में उन्हें वास्तविक भुगतान नहीं हुआ। इन शेयरों की बिक्री प्रति शेयर 20 रुपए के हिसाब से केवल कागज पर हुई। कारण कि ये सभी कंपनियाँ पहले ही अच्छी-खासी रकम का चेक इनसे प्राप्त नकदी के विरुद्ध इन्हें दे चुकी थीं।

इसके अतिरिक्त कोलकाता के एकांत इम्पोरियम (3.90 करोड़ रुपए), केजरीवाल फिनवेस्ट (15 लाख रुपए), मोनेट व्यापार (3.50 करोड़ रुपए) जे. एम. के. टैक्सटाइल्स (1 करोड़ रुपए), जलसागर कमोडिटिज (1.09 करोड़ रुपए) सहित कोलकाता की कुल 11 कंपनियों से 5.41 करोड़ रुपए शेयर के माध्यम से शिवरामा स्पांज के खाते में प्राप्त दिखाया गया। ये सभी कंपनियाँ प्राइवेट लिमिटेड कंपनियाँ हैं।

कोलकाता के चंद्रभूषण झा, मृदुल भौमिक, विवेक कुमार गोयनका, प्रदीप कुमार परशुरामका की आधिपत्यवाली प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों से भी कई करोड़ रुपए का अवैध धन, नकदी-चेक अदला-बदली की माध्यम से, वैध कराया गया। इस धन का उपयोग मुख्य रूप से मै. लेमोस सीमेंट लि., क्वांटम पॉवर टेक, विन्नी आयरन ऐंड

स्टील उद्योग, एम्मार एवायज, इंडो असाई ग्लास फैक्ट्री, समृद्धि स्पांज आदि के शेयर खरीदकर इन पर अधिकार जमाने के लिए किया गया। ये सभी स्थापित कंपनियाँ हैं और इनके संचालक प्रतिष्ठित कारोबारी माने जाते हैं।

हवाला की व्यूह-रचना

कठपुतली मुख्यमंत्री और लोभी उद्योगपतियों के बीच तिकड़मी संपर्क सेतु की भूमिका निभानेवाले विनोद सिन्हा और संजय चौधरी की झोली में जिस बड़े पैमाने पर अवैध धन आने लगा था, उसे पूरी तरह से खपा लेना कोलकाता केंद्रित ऐसी कंपनियों और झारखंड के उद्योगों के बूते की बात नहीं थी। अवैध धन की छप्परफाड़ प्राप्ति ने इनकी महत्त्वाकांक्षा को पंख लगा दिया। बेहिसाब अवैध धन का वारा-न्यारा करने के लिए इन्होंने मुंबई का रुख किया। इस दरम्यान इनका संपर्क मुंबई के शातिर हवाला कारोबारी और सर्राफा बाजार के माहिर खिलाड़ी मनोज पुनमिया से हुआ। पुनमिया ने इन्हें हवाला कारोबार के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय संसार की चकाचौंध से परिचित करा दिया। मनोज पुनमिया के कारोबारी नियंत्रण में पहले से ही बालाजी ग्रुप की कंपनियाँ सक्रिय थीं। इनमें से कुछ कंपनियाँ मुंबई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड भी थीं। पुनमिया ने विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के साथ मिलकर झारखंड से आने वाले काले धन के तीव्र प्रवाह को थामने और नाजायज वसूली के अवैध धन को वैध बनाने की सुदृढ़ व्यूह-रचना आरंभ कर दी।

इसके लिए उसने 50 से अधिक नई कंपनियाँ बनवाईं। दर्जन भर कंपनियों में स्वयं निदेशक बनकर और इतनी ही कंपनियों में अपने भाई ललित कांति लाल जैन और अरविंद व्यास को निदेशक बनाकर इनपर नियंत्रण स्थापित किया। इसके अतिरिक्त तीन दर्जन से अधिक नई कंपनियाँ बनवाईं। अन्य कईं कंपनियों में भी उसने अपने गिरोह से संबंधित किसी-न-किसी व्यक्ति को निदेशक बनवाया। नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज, जगुआर एनर्जी ऐंड पॉवर, अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंशयल, थ्रीविन मेरिटाइम लि. आदि कॉरपोरेट क्षेत्र की जानी-मानी कंपनियों का अधिग्रहण किया। पुनमिया ने विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को भी निदेशक बनाकर इनके साथ जोड़ा और इन्हें कॉरपोरेट जगत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार में हेरा-फेरी की संभावना से परिचित कराया। अपने आकर्षक तिलिस्म के जाल में फाँसकर मनोज पुनमिया ने विनोद सिन्हा-संजय चौधरी ऐंड कंपनी की धन पिपासा को पहले से भी अधिक बढ़ा दिया और अधिक-से-अधिक अवैध धन की उगाही करने के लिए इन्हें प्रेरित किया।

विनोद सिन्हा की महत्त्वाकांक्षा तो इस कदर बढ़ गई कि वह कुछ ही दिनों में टाटा स्टील के समकक्ष उद्योगपतियों की कतार में शामिल हो जाने का सपना देखने

लगा। 'प्रभुता पाय काही मद नाही' की गोस्वामी तुलसीदास की चौपाई इनपर सटीक बैठने लगी। कठपुतली मुख्यमंत्री के संरक्षण में विनोद सिन्हा और संजय चौधरी का अहंकार सिर चढ़कर बोलने लगा। नाजायज वसूली के लिए सौदेबाजी के दौरान इनकी कठोरता, क्रूरता, धोखाधड़ी और धनलोलुपता पराकाष्ठा पर पहुँच गई। जल्द-से-जल्द और अधिक-से-अधिक नाजायज वसूली करना इनका मिशन बन गया। मनोज पुनमिया द्वारा दिखाए गए सब्जबाग ने इन्हें व्याकुल बना दिया। देश-दुनिया के विभिन्न स्थानों का चक्कर लगाने की इनकी रफ्तार काफी तेज हो गई। सुबह में राँची या जमशेदपुर, शाम में कोलकाता या दिल्ली और रात में बैंकॉक, सिंगापुर या दुबई के किसी स्थान पर और फिर अगले दिन राँची-जमशेदपुर की वापसी की इनकी कहानी इनके पासपोर्ट पर वीजा मुहर के रूप में दर्ज है। रिश्वत से प्राप्त नकदी को कोलकाता की कंपनियों के माध्यम से शेयर अथवा ऋण के रूप में चेक/ड्राफ्ट में बदलवाना और उसे झारखंड की छोटी-बड़ी कंपनियों में लगाकर उन्हें कब्जे में लेने का अब तक चल रहा काम अब इन्हें तुच्छ लगने लगा।

जमशेदपुर के पॉश इलाका बिष्टुपुर के मेन रोड पर स्थित तिवारी बेचर ऐंड कंपनी के दूसरे तल्ला से चल रही इनकी अवैध गतिविधियाँ आस-पास की व्यावसायिक कंपनियों के मालिकों से लेकर कारिंदों तक के बीच करिश्माई चर्चा का विषय बन गई थीं। इस इमारत के एक ऑफिस में काम करनेवाले एक कर्मचारी ने एक दिन मुझे रोमांचक अंदाज में बताया कि 'तिवारी बेचर ऐंड कंपनी' की इमारत के दूसरे तल्ले पर स्थित शिवरामा स्पांज के कार्यालय में रोजाना नोटों के बंडल बोरों में भरकर आते हैं और शाम होते-होते पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। यह सिलसिला पिछले कई महीनों से लगातार चल रहा है। यह समय वर्ष 2007 के मध्य का था। उस समय उस व्यक्ति का यह कथन मुझे अतिरंजित एवं अतिशयोक्तिपूर्ण लगा।

कुछ दिन बाद उसी व्यक्ति ने मुझे बताया कि विनोद सिन्हा के भाई कहते फिर रहे हैं कि तीन-चार साल में वे लोग टाटा स्टील की बराबरी वाली हैसियत में आ जाएँगे। उनका ऐसा अहंकारयुक्त बड़बोलापन उस समय मुझे अविश्वसनीय, निराधार और कपोल-कल्पित प्रतीत हुआ था। परंतु आयकर अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा कोड़ा लूट राज के विभिन्न पहुलओं का गहन अनुसंधान करने की प्रक्रिया में सामने आए तथ्यों एवं निष्कर्षों पर एक नजर डालने से अहसास होता है कि इस घोटाले के केवल एक पहलू से अभिभूत और आश्चर्यचकित उस व्यक्ति का कथन सत्य के काफी करीब था।

दूसरे चरण की कंपनियाँ

'मधु कोड़ा लूट राज' के दूसरे चरण में वैसी कंपनियों की प्रमुख भूमिका है, जिनकी गतिविधियों का विस्तार कॉरपोरेट जगत की अंतरराष्ट्रीय परिधि तक है। इनमें भारतीय कंपनियाँ भी शामिल हैं और विदेशी कंपनियाँ भी। इन कंपनियों को निदेशित एवं नियंत्रित करने में मनोज पुनमिया की आधिपत्यवाली बालाजी ग्रुप की कंपनियों की मुख्य भूमिका रही है। झारखंड के मुख्यमंत्री पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर लौह अयस्क खनन पट्टा आवंटन में कदाचार और भ्रष्टाचार द्वारा बेशुमार अवैध धन इकट्ठा करनेवाला विनोद सिन्हा भी इस कंपनी समूह में निदेशक और हिस्सेदार बन गया। कोड़ा लूट राज के अवैध धन के विपुल भंडार को वैध बनाकर, कॉरपोरेट कार्य संस्कृति की भ्रष्ट प्रक्रियाकों से गुजारते हुए इसका उपयोग बालाजी ग्रुप की कंपनियों की वित्तीय क्षमता सुदृढ़ बनाने में करने और इसके आधार पर एक मजबूत अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक साम्राज्य की नींव डालने परिकल्पना को साकार करना, दूसरे चरण में शामिल इन कंपनियों के गठन, अधिग्रहण, संचालन का मुख्य उद्‌देश्य रहा है।

वर्ष 2005 से 2009 के बीच देश के अनेक स्थानों पर इन्होंने कई दर्जन कंपनियाँ पंजीकृत कराया। एक दर्जन से अधिक ऐसी कंपनियों में मनोज पुनमिया स्वयं निदेशक है, इतनी ही कंपनियों में उसके ममेरे भाई ललित कांति जैन और अरविंद व्यास निदेशक हैं, शेष कंपनियों में भी मनोज पुनमिया से किसी-न-किसी रूप में संबंधित व्यक्ति निदेशक हैं। ऐसी कंपनियों की सूची इस पुस्तक में यथास्थान दी गई है। इनमें अनेक कंपनियाँ ऐसी भी हैं जिनका प्रत्यक्ष जुड़ाव मधु कोड़ा लूट राज में केंद्रीय भूमिका निभानेवाली बालाजी ग्रुप की कंपनियों के साथ नहीं दिखाई पड़ता है। परंतु इन कंपनियों से भारी मात्रा में धन का निवेश अथवा स्थानांतरण बालाजी ग्रुप की कंपनियों में हुआ है। यह निवेश शेयर आवेदन, शेयर विनिमय एवं ऋण के रूप में हुआ है। परंतु ये कंपनियाँ यह बतला पाने में असमर्थ हैं कि उनके खाते में शेयर खरीद अथवा आर.टी.जी.एस. के माध्यम से जमा किए गए करोड़ों रुपए का स्रोत क्या है! इ न कंपनियों के बीच हवाला के माध्यम से बड़े पैमाने पर लेन-देन हुआ है, जिसका स्रोत बता पाना इनके वश की बात नहीं है। वास्तव में 'मधु कोड़ा लूट राज' का अवैध धन ही इसका मुख्य स्रोत है। अपने यहाँ आए अवैध धन को वैध बनाकर उसे असली गंतव्य तक पहुँचाने के लिए इन्होंने बालाजी ग्रुप की कंपनियों के शेयर भारी प्रीमियम पर खरीदकर उनमें निवेश किया है, अथवा इस ग्रुप की कंपनियों को ऋण देकर उनमें पूँजी निवेश दिखाया है। बालाजी ग्रुप की कतिपय कंपनियों के खाते में इस बीच जमा और उधार के विवरणों में इनके पर्याप्त संकेत मिलते हैं। इनसे की गई भारी रकम की निकासी के चौंकाने वाले कतिपय विवरण निम्नांकित हैं—

1.	बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि.	–2176 करोड़ रुपए
2.	बालाजी बुलियन कमोडिटिज (ई.) प्रा. लि.	– 313 करोड़ रुपए
3.	बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स प्रा. लि.	– 178 करोड़ रुपए
4.	नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.	– 33 करोड़ रुपए
	कुल जोड़	**– 3700 करोड़ रुपए**

वस्तुत: 3700 करोड़ रुपए की पूँजी को 150 से अधिक कंपनियों में नकद पैसा डालकर और बदले में इनसे ऋण एवं शेयर के रूप में चेक लेकर उपर्युक्त 4 कंपनियों में स्थानांतरित किया गया है। इसके लिए 40 कंपनियाँ गुजरात के विभिन्न स्थानों, जैसे—सूरत, बड़ौदा, गांधीधाम, जाम नगर, अहमदाबाद आदि स्थानों पर पंजीकृत कराई गई हैं और इनमें नकद अथवा ई-बैंकिंग के माध्यम से धन डालकर उपर्युक्त कंपनियों में स्थानांतरित किया गया है। इसके साथ ही उपर्युक्त कंपनियों ने इन सभी कंपनियों से ऋण लेने के नाम पर अपने खाते में भारी राशि जमा की है।

इसके अतिरिक्त मुंबई सर्राफा बाजार के कतिपय प्रतिष्ठानों में भी बड़े पैमाने पर नकद धनराशि की आमद इस अवधि में हुई दिखाई गई है। ऐसे सभी प्रतिष्ठानों का संबंध मनोज पुनमिया के मुखौटे के रूप में काम कर रहे व्यक्तियों से है। भारी मात्रा में नकद राशि की ऐसी प्राप्तियों के पीछे की असलियत को सोना-चाँदी की बिक्री से प्राप्त दिखाकर छुपाने की कोशिश की गई है। ऐसे तीन प्रतिष्ठानों और इनको प्राप्त राशि का ब्योरा निम्नांकित है—

1.	बालाजी बुलिंयस बाजार	–672.00	करोड़ रुपए
2.	बालाजी बुलिंयस कॉरपोरेशन	–389.74	करोड़ रुपए
3.	चाँदी के सिक्के	–60.04	करोड़ रुपए
	कुल जोड़	**–1121.78**	**करोड़ रुपए**

बालाजी बुलियंस बाजार और बालाजी बुलियंस कॉरपोरेशन मनोज पुनमिया के मुखौटा प्रतिष्ठान हैं। मुंबई की सर्राफा बाजार की कतिपय कंपनियों ने सूरत और नोएडा के स्पेशल इकोनॉमिक जोन (एस.ई.जेड) में अपनी व्यावसायिक शाखा खोल रखी है। इस तरह ये इन राज्यों में सोना-चाँदी के गहने बनाकर उन्हें बेचने के नाम पर बड़े पैमाने पर 'बिक्री कर' बचाते हैं। दूसरी ओर इसके लिए विदेशों से सोना, चाँदी, हीरा जवाहरातों का आयात दिखाकर अवैध तरीके से कमाए गए धन को सफेद बनाते है।

'बालाजी बुलियंस बाजार' के खाता में दिखाए गए 672 करोड़ रुपए को वास्तव में विदेश से आयातित सोना की छड़ों को काट-छाँटकर बिक्री करने से हुई आय बताया

गया है। इसमें से 730 करोड़ रुपए विभिन्न व्यक्तियों एवं संस्थाओं के साथ नकद बिक्री से और शेष राशि चेक द्वारा बिक्री से प्राप्त हुई दिखाई गई है। नकदी बिक्री के बारे में इनके पास कोई हिसाब-किताब नहीं है कि यह बिक्री किन लोगों को की गई है और इसके खरीददार कौन है? जिन लोगों के साथ इन्होंने चेक लेकर विक्रय किया है, उनकी जाँच करने पर पता चला कि प्राय: सभी संस्थान, जिनके नाम पर चेक से राशि ली गई है, उनके पते या तो फर्जी हैं या उन व्यक्तियों का कोई अस्तित्व ही नहीं है।

ऐसे फर्जी और अस्तित्वहीन कंपनियों में सभी-की-सभी मुंबई की हैं। बिक्री दिखाई गई है उत्तर प्रदेश के नोएडा में और जिनसे चेक लिया गया है, उनका पता है मुंबई का। इनमें जिन कतिपय संस्थानों से 10 करोड़ रुपए से अधिक का चेक लेकर बालाजी बुलिंयस बाजार के खाते में जमा किया गया है, उनमें एन.बी.बी. एक्सपोर्ट, नकोडा कॉमर्शियल, शाह ऐंड कंपनी, श्री जी पैकिंग डिपो, एडवांस फ्रीन स्टॉक, बजाज हिंदुस्तान लिमिटेड, क्रायोशन ट्रेडिंग, शुभ लक्ष्मी प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त कुबेर टैक्सटाइल्स,गोर्धन ट्रेडर्स, अजिक्या मल्टी ट्रेड आदि दर्जनों फर्जी संस्थाओं के नाम इसमें शामिल हैं, जिनके नाम पर 10 करोड़ से कम राशि का चेक/ड्राफ्ट लेकर बालाजी बुलिंयस बाजार के खाते में जमा दिखाया गया है।

इसी तरह बालाजी बुलिंयस कॉरपोरेशन के खाते में दिखाए गए 389.74 करोड़ रुपए में से 232.10 करोड़ रुपए नकद बिक्री के माध्यम से और 157.64 करोड़ रुपए चेक लेकर बिक्री से प्राप्त दिखाया गया है। इस कॉरपोरेशन के पास भी वैसे एक भी व्यक्ति या संस्था का नाम नहीं है जिससे नकद राशि लेकर उसे सोना अथवा सोने से बने गहने बेचे गए हैं। जिन लोगों से बिक्री के बदले चेक लिया गया है, उनका नाम-पता भी फर्जी है। ये सभी व्यक्ति और संस्थाएँ भी मुंबई की हैं। इनमें मोनार स्टील्स, अस्तम ट्रेडिंग, क्रोएशन ट्रेडिंग, एलोरा सेल्स, विभा ट्रेड लाइन, अंजनी इंटरनेशनल, मिहिर एजेंसी, राज एलवायज ऐंड स्टील, एफ.टी.हाइ टेक कंप्यूटर्स, डिजाइन कंप्यूटर्स, वृद्धि इनगौट, गौंट ट्रेडर्स, तपस्या फेयरवाइड, आर.बी. इंवेस्टमेंट का नाम शामिल है।

इन प्रतिष्ठानों द्वारा दिखाई गई बिक्री जाँच में पूरी तरह फर्जी साबित हो गई है। जाँच के दौरान भी संस्थान या कंपनी या व्यक्ति जाँच के दौरान यह स्वीकार करने के लिए सामने नहीं आया, जिससे कि इन प्रतिष्ठानों से की गई खरीद को सही साबित किया जा सके। जिन पार्टियों को सोने-चाँदी की बिक्री दिखाकर उनसे इतनी बड़ी राशि की प्राप्ति बताई गई है, उन पार्टियों का या तो अस्तित्व नहीं है या वे खुलकर सामने नहीं आ रही हैं।

इन प्रतिष्ठानों ने सोने की छड़ें बैंक के माध्यम से खरीदने की बात बताई, परंतु

वे यह नहीं बता पाए कि बैंक से निकालने के बाद सुरक्षित गोदाम तक पहुँचाने के लिए सोने की छड़ों का परिवहन किस प्रकार हुआ? वे यह भी नहीं बता पा रहे हैं कि यदि ऐसा कोई सुरक्षित गोदाम है, जहाँ सोने की छड़े बैंक से निकालने के बाद रखी गईं तो उसका अता-पता क्या है ? सोने की छड़ों की कटाई-छटाई और उनसे गहने, सिक्के या किसी अन्य प्रकार का निर्माण करने के संबंध में कोई भी प्रमाण ये प्रतिष्ठान उपलब्ध नहीं करा सके। इनके द्वारा सोने की बिक्री दिल्ली के समीप नोएडा में दिखाई गई है, जबकि इसके लिए पैसा इन्होंने मुंबई स्थित बैंक की शाखा में जमा किया है। इसका स्पष्ट अर्थ है कि सोने की छड़ों और चाँदी के सिक्कों की ब्रिकी दिखाकर बैंकों में जमा की गई भारी धनराशि का स्रोत जायज नहीं है।

वास्तव में बालाजी युनिवर्सल ट्रेडलिंक प्रा. लि., बालाजी बुलियन कॉमोडिटिज (ई.) प्रा. लि. , बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स प्रा. लि., नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि. आदि के खाते में 3700 करोड़ रुपए और बालाजी बुलिंयस बाजार, बालाजी बुलिंयस कॉरपोरेशन, सिल्वर क्वाईंस के खाते में 1121.78 करोड़ रुपए, यानी कुल मिलाकर 4821.78 करोड़ रुपए का जो धन इन कंपनियों एवं संस्थाओं द्वारा किए गए लेन-देन में शामिल है, वह वास्तव में उस अवैध धन का हिस्सा है जिसे झारखंड के 'मधु कोड़ा लूट राज' के दौरान नाजायज वसूली के रूप में इकट्ठा किया गया है और हवाला के माध्यम से उपर्युक्त कंपनियों और संस्थाओं की जमापूँजी के रूप में दिखाया गया है।

काला धन की तिरछी चाल

एक ओर इस श्रेणी में शामिल कंपनियों ने बालाजी ग्रुप की कंपनियों का शेयर काफी ऊँचे भाव पर खरीदा है और अच्छा-खासा प्रीमियम देकर इनमें नाजायज वसूली के अवैध धन का निवेश किया है तो दूसरी ओर बालाजी ग्रुप की कंपनियों ने कोड़ा लूट राज की प्रमुख कंपनियों से संबंधित व्यक्तियों को छूट देकर अपना शेयर उन्हें काफी सस्ता में बेचा है तथा अपना शेयरहोल्डर और निदेशक बनाकर उन्हें लाभ पहुँचाया है। उदाहरण के लिए बालाजी कॉमोडिटी इंडिया प्रा.लि. ने अपने शेयर विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को काफी सस्ते भाव में बेचा है। इसके कारण इस कंपनी ने 25 करोड़ रुपए से अधिक का नुकसान उठाया है। इस कंपनी के शेयर का बाजार भाव उस समय 1000 रुपए प्रति शेयर था, जबकि विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को इसे मात्र 10 रुपए प्रति शेयर की दर से बेचा गया। इसी प्रकार बालाजी ग्रुप द्वारा अधिगृहित की गई एक अन्य कंपनी नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज ने भी विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को बाजार भाव से सस्ते दर पर अपना शेयर बेचा है और 25 करोड़

रुपए से अधिक का नुकसान उठाया है। इस कंपनी के शेयर का बाजार भाव उस समय 41 रुपए प्रति शेयर था, जबकि विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को यह शेयर मात्र 25 रुपए प्रति शेयर के भाव पर दिया गया है।

इस प्रकार इन कंपनियों ने मधु कोड़ा लूट राज के अवैध धन के एक हिस्से को वैध बनाकर घोटालेबाजों को प्रत्यक्ष लाभ पहुँचाया है। इसी तरह का लाभ एक अन्य व्यक्ति मोहम्मद यूसुफ करीम को भी मिला है। बाजार भाव से काफी कम दर पर अपना शेयर इन्हें बेचकर बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि. ने 66 करोड़ रुपए का प्रत्यक्ष नुकसान उठाया है। श्री करीम का संबंध भी मनोज पुनमिया की उन मुखौटा कंपनियों के साथ है, जिनका उपयोग मधु कोड़ा लूट राज के काले धन को सफेद बनाने में किया गया है।

मनोज पुनमिया के साथ संबंधित जिन कंपनियों ने कोड़ा लूट राज के नाजायज धन को विनोद सिन्हा की सहयोगी कंपनियों में समय-समय पर स्थानांतरित किया है, उनमें प्रमुख भूमिका निभानेवाली कंपनियाँ हैं—

1. वर्ल्ड वाइड ऑन लाइन सर्विसेज प्रा. लि.
2. केमैन एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि.
3. सैटर्न आयरन ओर ऐंड माइनिंग लि.

वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लि. मनोज पुनमिया की उन प्रमुख कंपनियों में से एक है, जिसका इस्तेमाल हवाला द्वारा अवैध धन की हेरा-फेरी करने में किया गया है। इस कंपनी ने शेयर पूँजी के नाम पर जमशेदपुर के मै. शारदा कंसल्टेंट के खाते में 5 करोड़ रुपए जमा किया है, जिसका लाभ अंततः विनोद सिन्हा के पास गया है।

केमैन एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि. मनोज पुनमिया की एक मुखौटा कंपनी है। इस कंपनी ने विनोद सिन्हा की एक प्रमुख कंपनी एम्मार एवायज प्रा. लि. के खाते में 3 करोड़ रुपए, अनिल वस्तावडे की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा. लि. के खाते में 1.05 करोड़ रुपए, विनोद सिन्हा के नियंत्रण वाली कंपनी क्वांटम पॉवर टेक के खाते में 3.55 करोड़ रुपए जमा कराए हैं। क्वांटम पॉवर टेक के एक निदेशक ने तो जाँच एजेंसियों को लिखकर दे दिया है कि 3.55 करोड़ रुपए की यह राशि वास्तव में विनोद सिन्हा के माध्यम से आई है। विनोद सिन्हा द्वारा समृद्धि स्पांज को खरीदने के लिए दिया गया करीब 12 करोड़ रुपए और कोर स्टील इंडस्ट्रीज की ओर से बर्मेको इंडस्ट्रीज द्वारा शारदा कंसल्टेंट के खाता में जमशेदपुर मॉल निर्माण के लिए डाले गए 13 करोड़ रुपए भी केमैन एडवाइजरी सर्विसेज के माध्यम से ही अंतिम गंतव्य तक पहुँचे हैं।

सैटर्न आयरन ओर ऐंड माइनिंग लि. कंपनी में मनोज पुनमिया के खासमखास अरविंद व्यास, ललित कांति लाल जैन और प्रीतम जोशी निदेशक हैं। क्योंझर (ओडिसा)

के जोड़ा नामक स्थान पर स्थित इस कंपनी की एक लौह अयस्क खदान को इसके एक पार्टनर की साँठ-गाँठ से काफी कम कीमत दिखाकर खरीदा गया है। बाजार भाव के हिसाब से इस लौह अयस्क खदान की कीमत 25 करोड़ रुपए से अधिक है, परंतु इन लोगों ने इस खदान के एक-तिहाई हिस्से की खरीद में मात्र 50 लाख रुपए का भुगतान दिखाया है। विनोद सिन्हा के भाई विकास सिन्हा ने इसके एक हिस्सेदार पर दबाव बनाकर जबरन यह सौदा कराया, ताकि कोड़ा लूट राज की अवैध राशि का इस्तेमाल कर वैध कमाई का एक स्थायी जरिया हवालेबाजों को उपलब्ध हो जाए।

हवाला की एक झलक

घोटाले के अवैध धन को हवाला के जरिए विदेशों में भेजने और फिर उसे बालाजी ग्रुप की कंपनियों के पास वापस लाने में भारत की बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि. एवं बालाजी बुलियन कॉमोडिटिज लि. की और दुबई के इसी ग्रुप की कंपनी सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी एवं के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी की मुख्य भूमिका रही है। दुबई की इन दोनों ज्वेलरी कंपनियों में मनोज पुनमिया के विश्वासपात्र मुकना राम और अरविंद व्यास निदेशक हैं। जबकि इस कार्य में सक्रिय भारत की उपर्युक्त दोनों कंपनियों में मनोज पुनमिया ने अपने साथ विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को भी निदेशक के रूप में जोड़ लिया है और इन्हें 27 प्रतिशत का हिस्सेदार बना लिया है। यह हिस्सेदारी इन्हें नकद राशि उपलब्ध कराते रहने का वादा करने की एवज में दी गई है। इन मामलों में हवाला कारोबार का मुख्य रास्ता भारत से दुबई वाया सिंगापुर है। हवाला की दो-एक घटनाओं का संक्षिप्त उल्लेख यहाँ प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है—

1. दुबई की कंपनी के जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी ने 22 करोड़ रुपए पहले सिंगापुर के टिफनी गोल्ड प्रा. लि. नामक कंपनी के पास भेजा। बाद में टिफनी गोल्ड के माध्यम से हवाला द्वारा यह धन भारत में बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक के खाते में स्थानांतरित होकर वापस आ गया।
2. इसी प्रकार की हवाला हेरा-फेरी की घटना को बेस्ट लिंक इंटरनेशनल क्रियेशन नामक कंपनी ने दुबई से भारत वाया हांगकांग अंजाम दिया है। बेस्ट लिंक इंटरनेशनल क्रियेशन लि. और टिफनी गोल्ड प्रा. लि. दोनों ही कंपनियाँ मनोज पुनमिया से संबंधित है।
3. ऐसे ही हवाला का एक प्रमाण सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी के अंकेक्षण रिपोर्ट में अंकित वित्तीय विवरणी से मिलता है। इसमें दिखाया गया है कि 5.15 करोड़ डॉलर की रकम भारत की कंपनियों से सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी के खाते में गई, जिसका भुगतान उसने हांगकांग में किया और बाद में उसके बदले 4 करोड़ डॉलर की प्राप्ति भारत में हो गई।

4. इसी तरह का हवाला कारोबार इन लोगों ने मुख्य रूप से हीरे का फर्जी आयात दिखाकर भी किया है। इसके लिए भारत स्थित कंपनियों ने जो चेक जमा किया है, उसका भुगतान सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी द्वारा हांगकांग में किया गया है। परंतु इसके एवज में हीरा के आयात के संबंध में सीमा शुल्क भुगतान करने का जो कागज इन्होंने प्रस्तुत किया, वह जाँच में फर्जी निकला। यानी हीरा का आयात फर्जी था और इसका उद्देश्य मनी लाउंड्रिंग था।
5. सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी तथा के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी शुद्ध रूप से हीरा-जवाहरात का व्यवसाय करनेवाली कंपनियाँ हैं, परंतु इन्होंने कोयले के व्यवसाय से संबंधित भुगतान इंडोनेशिया की कंपनी मै.ए. रियांटो को किया है। इस तरह का एक भुगतान लाइम स्टोन के व्यापार में भी इनके द्वारा किया गया है।
6. न केवल विदेश से भारत में, बल्कि भारत के एक भाग से दूसरे भाग मे नाजायज कमाई की नकद राशि को ले जाने के लिए भी मनोज पुनमिया और विनोद सिन्हा से संबंधित कंपनियों ने एक जाल बना रखा था। उदाहरण के लिए विनोद सिन्हा की धोखाधड़ी और तिकड़मी प्रवृत्ति को प्रदर्शित करनेवाली आरंभिक घटनाओं में सबसे बड़ी, और सोनालिका ट्रैक्टर घोटाला अथवा बैंक ऑफ बड़ौदा घोटाला के नाम से कुख्यात, धोखाधड़ी की घटना में विनोद सिन्हा को सी.बी.आई. जाँच से बचाने के लिए भुगतान की गई राशि निकाली तो गई बालाजी बुलिंयस के यहाँ से, परंतु बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा तक पहुँचने की यात्रा के दौरान और इससे पहले भी इसे हवाला के कई पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा।

इसके लिए झारखंड में नाजायज वसूली का धन हवाला द्वारा बालाजी ग्रुप की सहयोगी कंपनियों में नकद जमा हुआ, वहाँ से बालाजी बुलिंयस के खाते तक पहुँचाया गया, बालाजी बुलिंयस से केमैन एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि. के पास आया, जहाँ नटराज फॉइनेंशियल सर्विसेज से आया फंड भी इसके साथ जुड़ा। इसके बाद इससे अमितोसा लीजिंग फॉइनेंस प्रा. लि. का अधिग्रहण किया गया। वहाँ से यह राशि युनियन बैंक ऑफ इंडिया, मुंबई की मार्फत बैंक ऑफ बड़ौदा की पटना शाखा में आई, जहाँ से इसे बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा में लाकर फर्जी लाभुक किसानों के खाते में जमा किया गया, ताकि विनोद सिन्हा और उसके भाइयों द्वारा की धोखाधड़ी की सी.बी.आई. जाँच होने से रोका जा सके। हालाँकि इतना सब होने के बाद भी अंततः उन्हें सी.बी.आई. जाँच से बचाया नहीं जा सका। सी.बी. आई. ने इसकी जाँच अपने हाथ में ले ली है। इसी प्रकार जमशेदपुर मॉल प्रोजेक्ट की खरीद के लिए 13

करोड़ रुपए की जो राशि शारदा कंसल्टेंट के खाते में जमा हुई, उस राशि को भी नाजायज वसूली के अवैध धन को वैध बनाने और फिर शारदा कंसल्टेंट के खाते में आने की प्रक्रिया में अनेक हवाला पड़ावों से होकर गुजरना पड़ा है।

घोटाले के धन का विदेश में निवेश करने के जितने दस्तावेजी प्रमाण अब तक उपलब्ध हुए हैं, उनके अनुसार झारखंड के मधु कोड़ा लूट राज में वसूली गई अवैध राशि का निवेश दुबई, इंडोनेशिया, थाईलैंड में अचल संपत्तियाँ खरीदने के साथ ही वहाँ के उद्योग एवं व्यवसाय में भी हुआ है। इसके अतिरिक्त दुबई की कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी प्रा. लि., जिसमें मनोज पुनमिया और अरविंद व्यास के साथ ही संजय चौधरी और उसके भाई धनंजय चौधरी भी निदेशक हैं, में घोटाले के धन का निवेश हुआ है। कैम्टेक ने अपने खाते से एक बड़ी रकम अमेरिकी डॉलर में चीन की एक कंपनी 'स्टार्ड वाल्वे' को भेजी है। कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि., दुबई के साथ ही इसी नाम की एक कंपनी मुंबई में भी बनाई गई है जिसके निदेशक मनोज पुनमिया और अरविंद व्यास हैं। कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग के माध्यम से चीन के 'स्टार्ड वाल्वे' कंपनी तक पहुँचने वाला कोड़ा लूट राज का अवैध धन भारत से अरविंद व्यास के माध्यम से दुबई में पुनमिया-संजय चौधरी-वस्तवडे की कंपनी कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग में गया और तब अमेरिकी डॉलर के रूप में अपने अंतिम लक्ष्य चीन के 'स्टार्ड वाल्वे' कंपनी के पास पहुँचा।

मधु कोड़ा लूट राज की अवैध कमाई का उपयोग इंडोनेशिया में एक कोयला की खदान खरीदने में भी हुआ है। 300 करोड़ रुपए मूल्य की इस खदान का अधिग्रहण करने की योजना में 25 करोड़ रुपए अग्रिम के रूप में दिया जा चुका है। इस संदर्भ में 5 करोड़ रुपए का भुगतान मै.ए. रियांटो के खाता में भी हुआ है। इसके अतिरिक्त थाईलैंड में अचल संपत्ति की खरीद के साथ ही चूना पत्थर की एक खदान में भी रायल टाटा सेंटर ऑफ एक्सपोर्ट ऐंड इंपोर्ट के माध्यम से किया गया है। इसमें अनिल सिंह और माल्टा सिंह के साथ विनोद सिन्हा भी विनोद कुमार के नाम से निदेशक है। इस सौदे में भी कोड़ा लूट राज के अवैध धन का उपयोग हवाला के माध्यम से हुआ है। मधु कोड़ा लूट राज के दूसरे चरण में प्रभावी भूमिका निभानेवाली कंपनियों की कार्यप्रणाली की सफलता से उत्साहित होकर हवाला कारोबारियों और घोटाला सरगनाओं ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करने की योजना पर काम शुरू कर दिया।

लूट राज का तीसरा चरण

'मधु कोड़ा लूट राज' के तीसरे चरण में हवाला कारोबार के उस्ताद मनोज पुनमिया और घोटाला के माहिर खिलाड़ी विनोद सिन्हा ने हाथ मिला लिया। मनोज पुनमिया की आधिपत्य वाली बालाजी ग्रुप की प्रमुख कंपनियों में विनोद सिन्हा निदेशक और हिस्सेदार के रूप में शामिल हो गया। जनवरी 2008 में विनोद सिन्हा को बालाजी बुलिंयस में बतौर निदेशक शामिल किया गया। अगस्त 2008 में संजय चौधरी भी इस कंपनी का निदेशक बन गया। बालाजी ग्रुप की दो प्रमुख कंपनियों में इन्हें 27.39 प्रतिशत की हिस्सेदारी दे दी गई। झारखंड में लौह अयस्क पट्टा आवंटन के सिलसिले में और बिजली विभाग तथा पथ-निर्माण विभाग के ठेकेदारी में अब तक हो चुकी अरबों रुपए की कमाई को बालाजी ग्रुप की आधा दर्जन प्रमुख कंपनियों में डालकर उनकी वित्तीय स्थिति मजबूत करने और इन सभी कंपनियों की वित्तीय ताकत को एक होल्डिंग कंपनी में समेटकर अंतरराष्ट्रीय उद्योग जगत में अपनी सशक्त उपस्थिति दर्ज कराने की योजना पर इन लोगों ने मिलकर काम करना शुरू किया।

इस महत्त्वाकांक्षा को मूर्त रूप देने की संभावना तलाशने के लिए इन्होंने फरवरी 2008 में अरविंद व्यास को अफ्रीकी देशों की यात्रा पर भेजा। अफ्रीका महादेश के कई छोटे-बड़े देशों में लौह अयस्क, कोयला, सोना, हीरा आदि बहुमूल्य खनिज पदार्थों की बहुलता है। अरविंद व्यास ने फरवरी 2008 से जून 2008 के बीच घाना, सियरा लियोन, गुयाना आदि अफ्रीकी देशों का भ्रमण किया। बीच में उसके साथ अनिल वस्तावडे भी शामिल हो गया। इनका उद्‌देश्य था कि अफ्रीका के देशों में कार्यरत कारोबारियों के साथ व्यापारिक समझौते किए जाएँ और इन समझौतों को कार्यरूप देने की योजना पर 2009 के आरंभ से अमल शुरू कर दिया जाए। इस यात्रा के क्रम में ये लोग स्वीडन भी गए। अरविंद व्यास की योजना अमेरिका जाने की भी थी। इसके लिए इसने शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका, की कंपनी 'रीगल जेवेल एल.एल.सी.' से दुबई स्थित अमेरिका के कॉन्सुलेट जनरल के नाम से एक पत्र लिखवाया था, जिसके अनुसार अरविंद व्यास को अमेरिका आने के लिए 'बिजनेस वीसा' जारी करने का अनुरोध किया गया था।

मनोज पुनमिया अपनी प्रमुख कंपनियों को मिलाकर एक होल्डिंग कंपनी बनाना चाहता था और इस कंपनी को विश्व के सर्वाधिक सशक्त स्टाक एक्सचेंज-नास्डाक (**NASDAQ**) में सूचीबद्ध कराना चाहता था। इस होल्डिंग कंपनी की वित्तीय क्षमता पर्याप्त सुदृढ़ होने पर ही इसे नास्डाक के साथ सूचीबद्ध कराना संभव था। विनोद सिन्हा ने इसके लिए वित्त की व्यवस्था करने का आश्वासन दिया। इसके बाद मनोज पुनमिया ने अपनी इस महात्त्वाकांक्षी परिकल्पना को साकार करने की दिशा में प्रयत्न आरंभ किया। उसने बालाजी ग्रुप की पाँच प्रमुख कंपनियों—बालाजी बुलिंयस ऐंड कॉमोडिटिज (ई) प्रा. लि., बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि., सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी एल.एल.सी., के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी एल.एल.सी. और रियल स्टेट के अपने समस्त प्रतिष्ठानों को मिलाकर एक 'स्वीडिश होल्डिंग कंपनी' बनाने की योजना तैयार की।

इसके लिए स्वीडन के स्टॉकहोम में पहले से पंजीकृत एक कंपनी 'गोल्ड कप 4623 एबी' (पंजीयन संख्या 556774-1102) को अधिकृत करने के लिए मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास और प्रणय पंडा स्टॉकहोम गए। इस स्वीडिश कंपनी के निदेशक-मंडल की बैठक बुलाकर उसमें मनोज पुनमिया को कंपनी का अध्यक्ष और अधिकृत हस्ताक्षरी बनाने का प्रस्ताव पारित किया गया और स्वीडन के कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में इसका नाम बदलकर 'बालाजी होल्डिंग्स एबी' करने का आवेदन दिया गया।

बालाजी होल्डिंग्स एबी में इन्होंने मुंबई में निर्मित अपने दस फ्लैट का आई.आई. सी.आई. बैंक से प्रति फ्लैट 5 करोड़ रुपए की दर से मूल्यांकन कराकर 50 करोड़ रुपए की परिसंपत्ति दिखाई जिसका विनिवेश कर 55 करोड़ रुपए तरल नकदी के रूप में हाथ में होना दिखाया ताकि प्रस्तावित स्वीडिश होल्डिंग कंपनी बालाजी वेंचर्स एबी के संयुक्त अधिशेष में इसका जिक्र किया जा सके। इस प्रस्ताव में इसे निम्नवत प्रदर्शित किया गया।

बालाजी होल्डिंग्स एबी

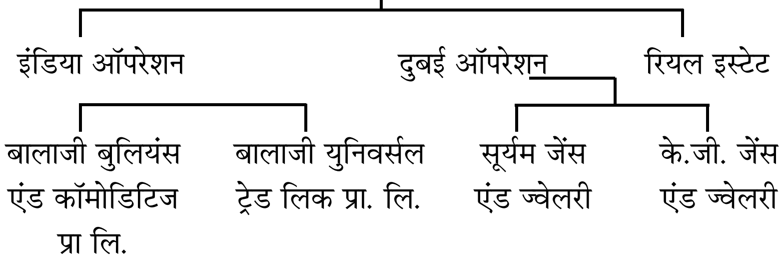

इस नवगठित स्वीडीश होल्डिग कंपनी 'बालाजी होल्डिंग्स एबी' की वित्तीय स्थिति को और भी सुदृढ़ करने के लिए इन लोगों ने आई.जी.ई. नामक एक कंपनी को इसमें मिलाया। आई.जी.ई. भी एक स्वीडिश कंपनी है, जिसकी होल्डिंग का विस्तार अफ्रीका के देशों में आई.जी.ई. (अंगोला), आई.जी.ई. (ब्रुंडी), आई.जी.ई. (केन्या), आई.जी.ई. (नारडिक) के रूप में था। इसे मिला लेने के बाद बालाजी होल्डिंग्स एबी का नाम बदल कर 'बालाजी वेंचर्स एबी' कर दिया गया, जिसका, स्वरूप निम्नवत हो गया—

बालाजी वेंचर्स एबी

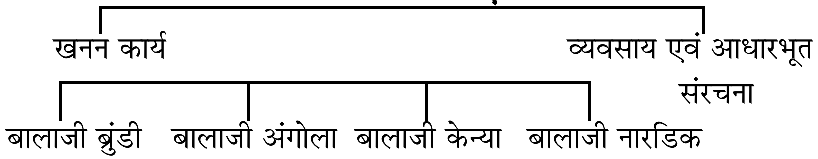

इस योजना में इन सभी कंपनियों में तरल नकदी सहित शुद्ध आय, इनके संपूर्ण राजस्व का विवरण, कुल परिसंपत्तियों, देनदारी, हिस्सेदारी, खरीदी एवं विकसित की गई रियल स्टेट संपत्ति का ब्योरा था। आई.जी.ई. के पास अफ्रीका में सोने की खदान है। स्वीडन के एक परामर्शी संगठन 'डिलायट' द्वारा आई.जी.ई. और बालाजी होल्डिंग्स एबी की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन कराया गया। 'डिलायट' ने बालाजी होल्डिंग्स एबी का शुद्ध मूल्य 210 मिलियन अमरिकी डॉलर और आई.जी. का शुद्ध मूल्य 90 मिलियन अमेरिकी डॉलर निर्धारित किया। दोनों कंपनियों के विलय के बाद नवगठित बालाजी बालाजी वेंचर्स एबी को नास्डाक में सूचीबद्ध कराकर अतिरिक्त 50 मिलियन अमरिकी डॉलर की पूँजी बाजार से उगाहने की योजना तैयार की गई। इसके बाद बालाजी होल्डिंग कंपनी की सुदृढ़ वित्तीय स्थिति के नाम पर अन्य कई देशी-विदेशी कंपनियों से निवेश का प्रबंध किया गया। 'विशाल इंटरनेशनल टेक्नॉलाजी' सहित अन्य कंपनियों से भी इसमें निवेश कराया गया।

इस होल्डिंग कंपनी में मनोज पुनमिया ने अपना व्यवसाय रियल स्टेट डेवलपर्स, सोने एवं हीरे का व्यवसाय, वित्तीय, धन एवं ट्रस्ट प्रबंधन, शिपिंग ऐंड लॉजिस्टक्स तथा विदेशी मुद्रा विनिमयकर्ता के रूप में दर्ज कराया था और स्वयं को दुबई में रहनेवाला अनिवासी भारतीय बताया था। अपने मुख्य संपर्क के रूप में इसने श्री ए.एल.एन. मित्तल का नाम दिया है। प्रस्ताव के इस अंश को निम्नवत प्रदर्शित किया गया है।

अफ्रीकी देशों में खनन कार्य आरंभ करने हेतु इन लोगों ने आवश्यक संरचनाएँ अक्तूबर 2009 तक स्थापित कर लिया था। इसके अतिरिक्त स्वीडेन, ऑस्ट्रेलिया, बुरूंडी, नार्वे, किंबरलेट आदि विश्व के कतिपय अन्य देशों में लौह अयस्क, सोना, हीरा आदि के कारोबार में निवेश करने की पूरी तैयारी इन्होंने कर ली थी। अंगोला में इनकी गतिविधियाँ काफी प्रगति पर थीं इन्होंने कई कंपनियों के साथ विलय,

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 214-215 02-Jul-12, 7:25 PM

अधिग्रहण अथवा सहमति के लिए समझौता कर लिया। समझौता का संक्षिप्त विवरण निम्नांकित तालिका से स्पष्ट हो जाता है।

क्र.	समझौता का प्रकार	समझौता की तिथि	संबंधित कंपनियों का नाम	अभियुक्ति
1.	समझौता	13-10-2009	गोल्डबर्ड होल्डिंग लि. एंड जो फ्राँज	बालाजी वेंचर एबी का शेयर खरीदने का विकल्प
2.	समझौता	13-10-2009	गोल्डबर्ड होल्डिंग लि. सी.जे. हौंग्बम	बालाजी वेंचर एबी का शेयर खरीदने का विकल्प
3.	शेयर होल्डर	13-10-2009	ब्लु स्टार होल्डिंग एबी, अरविंद व्यास एवं अन्य	बालाजी वेंचर एबी का शेयर खरीदने का विकल्प
4.	शेयर खरीद	13-10-2009	गोल्डबर्ड लि. और मनोज पुनमिया	शेयर खरीद
5.	शेयर खरीद	13-10-2009	रितेश जैन और बालाजी होल्डिंग एबी,	शेयर खरीद
6.	शेयर खरीद	13-10-2009	रितेश जैन और जेवेलरी प्रा. लि. एंड बालाजी होल्डिंग एबी	ऑरो गोल्ड लि. का शेयर बालाजी को देना
7.	शेयर खरीद	13-10-2009	बालाजी होल्डिंग एबी, अरविंद व्यास, मुकना राम	शेयर खरीद
8.	शेयर खरीद	13-10-2009	गोल्ड बर्ड होल्डिंग एबी, अरविंद व्यास, मो. हुसैन, सामेला राम	शेयर खरीद
9.	शेयर खरीद	13-10-2009	गोल्ड बर्ड होल्डिंग एबी, अरविंद व्यास, जासिम हसन अलमाजम, मुकना राम	शेयर खरीद

ये सभी समझौते एक ही दिन 13 अक्तूबर, 2009 को हुए, और समझौते पर हस्ताक्षर करनेवाले सभी संबंधित व्यक्ति भी एक ही दिन, एक ही स्थान पर दुनिया के विभिन्न हिस्सों से एकत्र हो गए। इससे स्पष्ट है कि कोड़ा घोटाले का भंडाफोड़ होने के समय तक बालाजी ग्रुप की कंपनियों ने अफ्रीकी महादेश की खनन गतिविधियों की प्रतिस्पर्द्धा में पूरी ताकत के साथ कूदने और प्रभावी हस्तक्षेप करने की मुकम्मल योजना तैयार कर लिया था और इस योजना को मूर्त रूप देने का प्रयास आरंभ कर दिया था।

समझौता के उपर्युक्त विवरण से यह स्पष्ट है कि घोटालेबाजों-हवालेबाजों के संयुक्त समूह ने बालाजी ग्रुप की प्रमुख कंपनियों एवं उनकी अन्य कारोबारी परिसंपत्तियों को मिलाकर बालाजी होल्डिंग ए.बी./बालाजी वेंचर्स ए.बी. नाम से एक नई स्वीडिश होल्डिंग कंपनी बना ली। परंतु इस कंपनी का असली अधिपति अब 'गोल्ड बर्ड होल्डिंग ए.बी.' हो गया। 'गोल्ड बर्ड' में आधे से अधिक शेयर 'ब्लूस्टार होल्डिंग एबी' का है, जो पूर्णरूपेण मनोज पुनमिया के अधीन है। 'गोल्ड बर्ड होल्डिंग एबी' में अन्य शेयरधारक हैं—अरविंद व्यास, रीतेश जैन, सैम जोना, उल्फ वालीन, लार्स बैकमैन, मुकना राम, जासिम हसन अजमल, मो. हुसैन। 'गोल्ड बर्ड होल्डिंग एबी' के शेयरधारकों का ब्योरा निम्नवत है—

गोल्ड बर्ड होल्डिंग एबी

शेयरधारक	शेयर संख्या	प्रतिशत
ब्लूस्टार होल्डिंग एबी	8100	54
रितेश जैन	4050	27
अरविंद व्यास	900	6
सैम जोना	750	5
उल्फ वालीन	375	2.5
लार्स बैकमैन	375	2.5
मुकना राम	150	1
जासिम हसन अजमल	150	1
मो. हुसैन	150	1
कुल	**6,900**	**100**

बालाजी होल्डिंग ए.बी. की आंतरिक व्यवस्था में प्रमुख शेयरधारक 'ऑरो गोल्ड', सन स्टोन होल्डिंग लि., सुर्यम् जेम्स ऐंड ज्वेलरी एल.एल.सी., के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी एल.एल.सी. हैं। इनका नियंत्रण भी मनोज पुनमिया के हाथ में है। सन स्टोन होल्डिंग लि. तथा ऑरो गोल्ड के 70 प्रतिशत शेयर बालाजी होल्डिंग ए.बी. के कब्जे में हैं। मनोज पुनमिया की रणनीति के अनुसार बालाजी होल्डिंग ए.बी. द्वारा 'सन स्टोन होल्डिंग लि.' का अधिग्रहण किए जाने बाद सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी के शत-प्रतिशत शेयर अब स्वत: उसके पास चले गए हैं।

अफ्रीका महाद्वीप के खनन क्षेत्रों की अकूत संपदा का बेहतर उपयोग करने के लिए आवश्यक तकनीक एवं उपकरणों की व्यवस्था करना तथा इसके लिए कार्यशील पूँजी का जुगाड़ करना इस पूरी व्यवस्था की वित्तीय एवं व्यवसायिक जरूरतों में अत्यावश्यक और अविलंब पूरा की जानेवाली जरूरत हो गई। इस हेतु इन्होंने अपनी कंपनियों में निवेश करनेवालों के लिए पूर्व निर्धारित प्रावधानों को लचीला बनाने और उन्हें प्रमुख हिस्सेदारी देने की रणनीति अख्तियार करने का प्रावधान अपने वित्तीय प्रबंधन में शामिल किया। इस प्रावधान से रहस्योद्‌घाटन हो जाता है कि क्यों विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को बालाजी बुलियन कमोडिटिज (ई) प्रा. लि. और बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि. के शेयर आवंटित किए गए और बालाजी ग्रुप की ये दोनों कंपनियाँ नवगठित स्वीडिश होल्डिंग कंपनी बालाजी होल्डिंग्स एबी/बालाजी वेंचर्स एबी में समाहित कर दी गईं। इसका मुख्य उद्‌देश्य झारखंड से आ रहे अवैध धन के प्रवाह को हवाला के जरिए नियत्रित कर घोटालेबाजों एवं हवालेबाजों की अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करने की महत्त्वाकांक्षा को मूर्त रूप देना था।

इनकी व्यवसायिक रणनीति में पश्चिमी अफ्रीकी उपमहाद्वीप में उपयुक्त स्थान पर रिफाइनरी खड़ा करने के लिए आधारभूत संरचना की व्यवस्था करना और वहाँ की खनन संपदा का अधिक-से-अधिक दोहन करना शामिल है। विभिन्न कंपनियों के विलय के उपरांत स्थापित किए गए सुदृढ़ एवं प्रभावी तंत्र की ये प्रमुख गतिविधियाँ होंगी। पश्चिमी अफ्रीका महाद्वीप की भौगोलिक स्थिति के अनुसार उपयुक्त स्थानों पर सोना और हीरा के लिए खनन और प्रसंस्करण संबंधी समस्त सहुलियतें एकत्र की जाएँगी।

इससे स्पष्ट है कि हवालाबाजों और घोटालाबाजों का यह समूह झारखंड में अवैध रूप से एकत्रित धन के व्यावसायिक उपयोग के लिए अफ्रीकी महाद्वीप को अपना प्रमुख निशाना बना रहा था, जहाँ पर प्राकृतिक संसाधनों और सामाजिक-आर्थिक पिछड़ेपन का ऐसा ही नजारा है, जैसा झारखंड में है। विभिन्न कंपनियों के विलय के उपरांत इनकी क्षमता का पूरा उपयोग करने हेतु नकदी के रूप में तरल वित्तीय संसाधन तथा कार्यशील पूँजी की जरूरत मुख्य रूप से विनोद सिन्हा और संजय चौधरी के माध्यम से पूरा करने की योजना थी। इस हेतु बालाजी ग्रुप की भारत स्थित कंपनियों की वित्तीय संसाधन क्षमता में विस्तार करना इनकी व्यावसायिक रणनीति में शामिल था। विनोद सिन्हा एवं संजय चौधरी को बालाजी ग्रुप की कंपनियों में 27.39 प्रतिशत के अंशधारी शेयरधारक एवं हिस्सेदार के रूप में शामिल करने एवं नटराज फाईनेंशियल सर्विसेज जैसी वित्तीय कंपनी को खरीदकर पूर्णत: अपने अधीन करने और इसके शेयर को सस्ते भाव में इन दोनों के नाम पर करने के पीछे यही रहस्य था।

केंद्रीय जाँच ऐजेंसियों को अरविंद व्यास के ठिकानों पर छापेमारी के दौरान 30 अक्तूबर, 2009 को जो दस्तावेज मिले, उनका विश्लेषण करने से स्पष्ट हो जाता है कि बालाजी ग्रुप की कंपनियों को एक स्वीडिश होल्डिंग कंपनी की छतरी के नीचे लाने, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को इसमें शामिल करने, अन्य कंपनियों का इसमें विलय करने, कई अन्य कंपनियों के साथ व्यावसायिक समझौता करने और बालाजी होल्डिंग्स ए.बी बालाजी वेंचर्स एबी के नाम से बनाई गई स्वीडिश होल्डिंग कंपनी को अमेरिका के नास्डाक स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कराने की योजना पर काम तभी शुरू हुआ, जब विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने इस हेतु नकद राशि की व्यवस्था करते रहने पर हामी भर दी और बालाजी ग्रुप की कंपनियों में शेयर होल्डर हिस्सेदार के रूप में शामिल हो गए।

बालाजी बुलियन, बालाजी ट्रेड लिंक, सुर्यम् जेम्स ऐंड ज्वेलरी, के.जी.एन. जेम्स ऐंड ज्वेलरी आदि कंपनियों के लाभ-हानि का अंकेक्षित खाता अब उजागर हो गया है। इस पर सरसरी निगाह डालने से स्पष्ट हो जाता है कि 'मधु कोड़ा लूट राज' की अवधि में इन कंपनियों की संपत्ति बेतहाशा बढ़ी है और इनके व्यवसाय क्षेत्र का विस्तार भारत और दुबई से निकलकर विश्व के कई हिस्सों में फैल गया है। पुनमिया और विनोद सिन्हा की जोड़ी वस्तुत: अफ्रीका महादेश की खनन गतिविधियों को अपने व्यवसाय का प्रमुख क्षेत्र बनाने और इसके आधार पर एक सशक्त अंतरराष्ट्रीय औद्योगिक साम्राज्य खड़ा करने की योजना की मुख्य सूत्रधार है। आने वाला समय बताएगा कि 'लौह अयस्क घोटाला' उजागर हो जाने के बाद और इनके अवैध क्रियाकलाप आयकर अन्वेषण निदेशालय, प्रवर्तन निदेशालय और सी.बी.आई. आदि केंद्रीय एजेंसियों की नजर में आ जाने के बाद इनकी यह महत्त्वाकांक्षी परियोजना किस सीमा तक कार्यरूप में परिणत हो पाती है।

□

लूट राज के हिस्सेदार

झारखंड के तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को केंद्र मे रखकर, सरकारी अधिकारियों को मनमाफिक मोड़कर और नियम, कानून, संविधान के प्रावधानों को धत्ता बताकर झारखंड में 'मधु कोड़ा लूट राज' का ताना-बाना बुना गया। सत्ता के गलियारों आदतन में यत्र-तत्र-सर्वत्र चक्कर लगाते रहनेवाले विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने श्री कोड़ा की महत्त्वाकांक्षा को हवा देकर इन्हें अपनी गिरफ्त में ले लिया और इस्पात बाजार में आई तेजी के कारण लौह अयस्क की माँग और कीमतों में बेतहाशा वृद्धि को कमाई का जरिया बनाने के लिए प्रेरित किया। श्री कोड़ा ने लौह अयस्क खनन पट्टा आंवटन हेतु वार्ता के लिए विनोद सिन्हा को अपनी ओर से अधिकृत करने का मौखिक निर्देश संबंधित अधिकारियों एवं खनन पट्टे के लिए इच्छुक उद्योगपतियों को दे दिया। टाटा स्टील के एक वाइस प्रेसीडेंट पार्थो सेनगुप्ता और खान विभाग के सचिव जयशंकर तिवारी की इस आशय की स्वीकारोक्ति सी.बी.आई. के आरोप-पत्र में दर्ज है।

मुख्यमंत्री के नुमाइंदे के नाते लौह अयस्क बाजार में विनोद सिन्हा की तूती बोलने लगी। लौह अयस्क का खनन पट्टा प्राप्त करने के लोभी व्यवसायियों के बीच विनोद सिन्हा से संपर्क साधने की होड़ मच गई। ऐसे लोगों से अधिक-से-अधिक धन वसूलने के नाजायज तरीके को अंजाम देने की व्यवस्था में संजय चौधरी इसका प्रमुख शार्गिद बन गया। भ्रष्ट राजनेताओं और अधिकारियों का धन देश-दुनिया के काला बाजार में खपानेवालों के बीच मधु कोड़ा , विनोद सिन्हा और संजय चौधरी की तिकड़ी के इस कारनामें की खबर जंगल में आग की तरह फैल गई। मुंबई के सर्राफा बाजार का अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी और देश-विदेश के प्रमुख हवाला कारोबारियों के बीच गहरी पैठ रखनेवाला मनोज पुनमिया इनकी टोली में शामिल हो गया, इनकी चौकड़ी बन गयी। रिश्वत के काले धन को सफेद बनाने की कला में प्रवीण कतिपय चतुर चार्टर्ड एकाउंटेंट भी इस टोली को अपनी सेवा देने के लिए राजी हो गए। लूट राज का खुला खेल शुरू हो गया।

लूट राज के शातिर पात्र

लूट राज के इस खेल में शामिल प्रमुख पात्रों के बीच जिम्मदारियाँ बाँट दी गई। अपने दायित्व क्षेत्र की सीमा में सभी सक्रिय हो गए। मधु कोड़ा के लिए जिम्मेदारी तय हुई कि विनोद सिन्हा जैसा कहे, उसे क्रियान्वित करने के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देश देना और उनपर दबाव बनाकर निर्देश को क्रियान्वित कराना। यदि खनन पट्टा या ठेका के लिए कोई उनसे सीधा संपर्क करे तो उसे विनोद सिन्हा के पास भेज देना। इसमें उनका सहयोग करने के लिए तत्पर रहते थे उनके निजी सहायक हरेंद्र कुमार सिंह, बसंत भट्टाचार्या, अरुण श्रीवास्तव और विभागीय सचिव से लेकर निदेशक और जिला खनन पदाधिकारी तक खान विभाग का संपूर्ण सरकारी महकमा।

विनोद सिन्हा का कार्य था—मुख्यमंत्री के नुमाइंदे के रूप में उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों के साथ सौदेबाजी करना, उनका काम हो जाने के प्रति उन्हें आश्वस्त करना, उनसे रिश्वत वसूलना, नकद रिश्वत के अलावा उनके उद्योग-व्यवसाय में अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित करना, इसके लिए उनपर दबाव डालना और जिसे निविदा के आधार पर भी ठेका-पट्टा मिला, उसपर दबाव डालकर या उसे समझा-बुझाकर आवंटित कार्य अपने हाथ में ले लेना। इस काम में उसके प्रमुख सहयोगी की भूमिका में थे, संजय चौधरी और रोहितास कृष्णन।

मनोज पुनमिया ने नाजायज वसूली से हासिल किए गए धन को हवाला के माध्यम से देश-विदेश में खपाने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले रखी थी। इसके लिए उसके पास एक सुव्यवस्थित तंत्र था। इसके अलावा उसने 2006 से 2008 के बीच कई नई कंपनियाँ पंजीकृत कराया। कोलकाता, मुंबई एवं अन्य स्थानों पर पहले से पंजीकृत, परंतु अपेक्षाकृत निष्क्रिय कंपनियों को नकदी के बदले कमीशन लेकर चेक देने के लिए तैयार कराया। साथ ही सर्राफा बाजार के अपने अनुभवों और संपर्क सूत्रों को तथा हवाला के धंधे में दक्ष एवं निपुण अपने एवं अपने विश्वस्त सहयोगियों के अंतरराष्ट्रीय संपर्को को सक्रिय किया। इस काम में उसके साथ अरविंद व्यास, ललित जैन, अनिल वस्तावडे, अजय बाफना जैसे लोग जुड़े।

मनोज पुनमिया जिस काम को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अंजाम दे रहा था, वैसा ही काम स्थानीय स्तर पर करने के लिए भी इनके बीच एक टोली सक्रिय थी। इस टोली का सरगना था विनोद सिन्हा का भाई विकास सिन्हा और उसके साथ जुड़े थे विजय जोशी, राकेश प्रसाद, सौभिक भट्टाचार्य और जमशेदपुर से कोलकाता नकदी पहुँचाने के लिए कुरियर का काम करने वाले कतिपय अन्य व्यक्ति। जमशेदपुर के ख्यातिप्राप्त चार्टर्ड एकाउंटेंट सज्जन नरेड्डी, इन्हें वित्तीय प्रबंधन का गुर सिखाने के लिए अपनी विशेषज्ञता और अनुभव के साथ तत्पर थे।

लौह अयस्क बहुल पश्चिम सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा में केंद्र बनाकर खनन एवं परिवहन गतिविधियों पर नजर रखने के लिए भी इन लोगों ने एक व्यवस्था खड़ी कर रखी थी, जिसमें मधु कोड़ा के निजी सहायक अरुण कुमार श्रीवास्तव उनके साले विजय श्रीवास्तव, सुबोध दुबे, संजय पोद्दार और श्री कोड़ा के निकट संबंधी राकेश हो मारला आदि शामिल थे।

मधु कोड़ा : लूट राज के केंद्रबिन्दु

मधु कोड़ा लूट राज के विविध आयाम प्रथमदृष्टया अविश्वसनीय और कल्पना की उड़ान प्रतीत होते हैं। श्री कोड़ा सितंबर 2006 से अगस्त 2008 तक मात्र 2 वर्ष के लिए झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। मुख्यमंत्री पद के प्रभाव का दुरुपयोग कर दो वर्ष की अल्प अवधि में झारखंड की धरती में विद्यमान अनेक खनिज पदार्थों में से केवल एक— लौह अयस्क—के खनन पट्टों की सौदेबाजी तथा श्री कोड़ा के प्रभार में रहे कई विभागों में से केवल दो—ऊर्जा और पथ-निर्माण—से संबंधित ठेका पट्टा पर कब्जा जमाने की कारस्तानी को माध्यम बनाकर हवालेबाजों, घोटालेबाजों और तिकड़मबाजों के एक संगठित समूह ने करीब 4000 करोड़ रुपए का अवैध धन अनुचित तरीके से वसूल किया। इस धन को देश और दुनिया के विभिन्न भागों में ले जाकर परिसंपत्तियाँ खरीदा, उद्योग स्थापित किया, व्यवसाय बढ़ाया, पूँजी निवेश किया। इसकी परत-दर-परत जाँच के दौरान उभरकर सामने आ रही है तो पता चलता है किस चतुराई के साथ झारखंड के 'हो आदिवासी' बहुल पश्चिम सिंहभूम जिला के अंतर्गत जगन्नाथपुर प्रखंड के एक छोटे से गाँव 'पाताहातू' में जन्मा और पला-बढ़ा, सीधा-सादा दिखने वाले एक इनसान को निर्दल विधायक से मुख्यमंत्री की कुरसी पर काबिज कराकर, उस्ताद किस्म के निहित स्वार्थी कारोबारियों के एक अदने से समूह ने पूरी तरह अपने कब्जे में लिया, कठपुतली की तरह नचाया और झारखंड के लौह अयस्क संसाधन को बेचकर अकूत अवैध धन इकट्ठा करने के अपने मंसूबों में कामयाब हो गया।

जिस व्यक्ति को केंद्रबिंदु बनाकर और उसके मुख्यमंत्री पद के प्रभाव का इस्तेमाल कर इस निहित स्वार्थी तिकड़मी समूह ने हजारों करोड़ रुपए का वारा-न्यारा किया, उस व्यक्ति को इसकी जानकारी समय रहते शायद ही हो पाई हो! एक ऑडियो सी.डी. में, जिसका विवरण इस पुस्तक में यथास्थान है, हवाला कारोबारी मनोज पुनमिया ने स्वीकार किया है कि ''विनोद सिन्हा ने सभी प्रकार के इंवेस्टमेंट के बारे में मधु कोड़ा को नहीं बताया है। मधु कोड़ा को कुछ की ही जानकारी है, जो 50 करोड़ रुपए के आस-पास है। विनोद सिन्हा तो कभी-कभी मधु कोड़ा के फोन का उत्तर भी नहीं देता है।''

जिन लोगों ने शुरुआती दौर में मधु कोड़ा को पाताहातू के ग्रामीण परिवेश और गुआ के लौह अयस्क व्यवसाय केंद्र से लेकर जिला मुख्यालय चाईबासा तक की

गतिविधियों में विभिन्न रूपों में देखा-परखा है, उनका मानना है कि श्री कोड़ा के व्यक्तित्व को गढ़ने तथा लोक बुद्धिमता से परिपूर्ण एक शर्मीले और संकोची स्वभाववाले इस युवा कार्यकर्ता को भारतीय जनता पार्टी और भारतीय मजदूर संघ की गतिविधियों से जोड़कर उसकी महत्त्वाकांक्षा को पंख लगाने और उसे विधायक पद तक पहुँचाने में जिन दो व्यक्तियों का सर्वाधिक योगदान रहा है वे हैं, विनोद श्रीवास्तव और हरिओम झा। विधायक बनने के बाद मधु कोड़ा से इन दोनों की दूरी बन गई। हरिओम झा की इस बीच कोलकाता के एक होटल में संदिग्ध परिस्थिति में मृत्यु हो गई। इन्हें जाननेवालों का मानना है कि व्यावसायिक एवं राजनीतिक प्रतिस्पर्द्धा के कारण एक षड्यंत्र के तहत हरिओम झा को गुआ से बड़बील और बड़बील से कोलकाता ले जाकर उनकी हत्या कर दी गई। हरिओम झा से जुड़े गुआ के कार्यकर्ता आज भी 'आशीर्वाद' नाम से बनाई उनकी संस्था के नाम पर गुआ में सक्रिय हैं। अत्यंत कर्मठ, संवेदनशील एवं स्वाभिमानी स्वभाव के व्यक्तित्व वाले विनोद श्रीवास्तव आज भी जमशेदपुर से सटे आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में सामाजिक, राजनीतिक गतिविधियों में सक्रिय हैं। 2009 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने यथासंभव मधु कोड़ा की मदद भी की।

पहला मुकदमा

झारखंड सरकार में मंत्री बन जाने के बाद मधु कोड़ा कानून हाथ में लेने, कानून तोड़ने और कानून के साथ आँख मिचौनी खेलने में माहिर होते गए। इन्होंने अपने पद का दुरुपयोग न सिर्फ पुलिस तंत्र का गलत इस्तेमाल करने में किया, बल्कि न्यायालय की आँख में धूल झोंककर यह जताने की कोशिश भी की, कि उनके प्रभाव के सामने न्यायिक प्रक्रिया कुछ भी नहीं है। वे जो मरजी करेंगे, जब पुलिस प्रशासन उनकी मुट्ठी में है तो न्यायालय उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता।

पहले मंत्री के रूप में और फिर मुख्यमंत्री के रूप में इन्होंने अपने ऊपर दायर एक मुकदमे में प्राथमिकी दर्ज करने के राँची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायिक आदेश को ढाई साल तक प्रभावहीन बनाए रखा और पद के मद में न्यायिक प्रक्रिया को धत्ता बताते रहे। संविधान ने जिस पद को न्यायिक आदेशों का अनुपालन कराने की जिम्मेदारी सौंपी है, उसी पद पर बैठा व्यक्ति न्यायालय को बौना साबित करने का काम करता रहे और न्यायिक व्यवस्था के प्रति लोगों की आस्था को डिगाने की कोशिश करता रहे, तो यह लोकतंत्र का दुर्भाग्य ही है। श्री कोड़ा के संदर्भ में इसे 'सोहबत का असर' कहा जा सकता है।

वर्ष 2002 में मधु कोड़ा ने राँची के अरगोड़ा मुहल्ला में झारखंड राज्य हाउसिंग बोर्ड का एक फ्लैट 6.50 लाख रुपए में खरीदने के लिए हीरा लाल साव नामक एक

जमीन दलाल से करार किया। उन्होंने नकद भुगतान के साथ ही 1 लाख 20 हजार 511 रुपए का चेक हीरालाल साव को दिया, यह चेक बाउंस हो गया। कई बार तगादा के बाद जब बाउंस चेक की एवज में भुगतान के बदले धमकियाँ मिलने लगीं, तब हीरालाल साव ने 20 अगस्त, 2004 को मधु कोड़ा पर 'अमानत में खयानत' का एक मामला (783/2004) राँची के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत में दर्ज कराया। कारण बताया कि श्री कोड़ा ने 2002 में उससे एक मकान खरीदा था। मकान खरीदने के लिए उन्होंने जो चेक दिया था, उसे 'एकाउंट में पर्याप्त धन नहीं होने' के कारण बैंक ने लौटा दिया। जब मैने बकाया धन की माँग की तो श्री कोड़ा ने मुझे धमकाया। एफ.आई.आर. कराने थाना गया तो थाना ने एफ.आई.आर. लेने से मना कर दिया। आजिज आकर अपना धन पाने के लिए मैंने मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी, राँची की अदालत में श्री कोड़ा के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 381 एवं 386 में मुकदमा दायर किया। उस समय श्री कोड़ा झारखंड सरकार में मंत्री थे, बाद में पता चला कि बाउंस हो गया चेक संख्या 671428, आई.डी.बी.आई., जमशेदपुर ब्राँच के बैंक खाता संख्या 0142019031500 का था। यह बैंक खाता विनोद सिन्हा का था। स्पष्ट है कि श्री कोड़ा और विनोद सिन्हा के बीच लेन-देन का रिश्ता लौह अयस्क घोटाले से पहले का था।

23 अगस्त, 2004 को मुकदमे की सुनवाई के बाद मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने धारा 156(3) के तहत श्री कोड़ा पर एफ.आई.आर. दर्ज करने तथा मामले का अनुसंधान कर फाइनल फार्म न्यायालय में प्रस्तुत करने का आदेश अरगोड़ा थाना, राँची को दिया, सुनवाई की अगली तिथि 28 सितंबर, 2004 तय हुई। इस तिथि तक न्यायालय के आदेश का पालन राँची पुलिस ने नहीं किया तो न्यायालय ने 4 सितंबर, 2004 की अगली तारीख तय कर दी। 4 सितंबर, 2004 को यह मुकदमा पुनः मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष प्रस्तुत हुआ। उस दिन भी थाने से एफ.आई.आर की कॉपी न्यायालय में नहीं दी गई। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को बताया गया कि संबंधित पुलिस अधिकारी छुट्टी पर हैं, इसलिए इस बारे में कोई काररवाई नहीं हुई है। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ने इसे मुकदमे की टिप्पणी में दर्ज कर दिया। एफ.आई.आर. की प्रत्याशा में न्यायालय ने एक बार फिर सुनवाई के लिए 1 जनवरी, 2005 की तारीख तय की। इस तरह ढाई साल गुजर गए, श्री कोड़ा मंत्री से मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन पुलिस ने उनपर एफ.आई.आर दर्ज करने के न्यायालय के आदेश का अनुपालन नहीं किया।

26 मार्च, 2007 को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने पाया कि अब तक न तो इस मामले में पुलिस ने कोई काररवाई की है और न ही न्यायालय को एफ.आई.आर. की कॉपी मिली है। न्यायालय ने अपने कार्यालय को आदेश दिया कि वह राँची के वरीय पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखकर अरगोड़ा थाना प्रभारी को मधु कोड़ा पर मुकदमा दर्ज करने एवं इसकी सूचना न्यायालय को देने का निर्देश दे। न्यायालय के इस आदेश के बाद भी एफ.आई.आर. दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद राज्य सरकार की पूरी मशीनरी इस प्रयास में जुट गई कि मुख्यमंत्री कोड़ा जी पर मुकदमा दर्ज करने के न्यायालय के ढाई साल से लंबित आदेश का अनुपालन कैसे रोका जाए! मुकदमा करने वाले को पटाने, प्रलोभन देने एवं मुकदमा उठा लेने के लिए उसपर दबाव बनाने में राज्य की प्रशासनिक मशीनरी को झोंक दिया गया। प्रशासन ने अंततः मुकदमा दायर करने वाले पर दबाव डालकर उसे मुकदमा वापस लेने के लिए राजी कर लिया। मुकदमा तो वापस हो गया, पर सवाल यह है कि कानून की दृष्टि में ऐसा होना कितना जायज है ? किसी राज्य के मुख्यमंत्री द्वारा संवैधानिक एवं न्यायिक व्यवस्था को इस तरह ध्वस्त करने की कोई दूसरी मिसाल शायद ही अन्यत्र कहीं मिले! जब रक्षक ही कानून का भक्षक बनकर नंगा नाँच करने पर उतर जाए, तब न्यायालय के आदेश और कानून का कितना और कैसे पालन होगा ?

अघोषित संपत्ति

लौह अयस्क घोटाला उजागर होने के बाद केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने मधु कोड़ा के ठिकानों पर छापेमारी किया तो उनके पास करीब 52 लाख रुपए के सोने और हीरे के गहने मिले। लोक सभा प्रत्याशी के रूप में चुनाव आयोग के सामने 30 मार्च, 2009 को श्री कोड़ा ने जो शपथ-पत्र दिया उसमें बताया कि उनके और उनके परिवार के पास 35,34,301 रुपए के जेवरात हैं, परंतु इसका स्रोत उन्होंने नहीं बताया इसके पूर्व 2005 में जब उन्होंने विधानसभा चुनाव के समय चुनाव आयोग के सामने शपथ-पत्र दिया था तो अपने और अपने पत्नी के पास मात्र 1.50 लाख रुपए के जेवरात होने की बात बताई थी। उनका विवाह गीता कोड़ा के साथ 2004 में हुआ। इस प्रकार 2005 से 2008 के बीच इनके पास पाए गए करीब 50 लाख रुपए के अतिरिक्त जेवरात कहाँ से आए अथवा कैसे खरीदे गए, इसकी जानकारी न तो मधु कोड़ा जाँच एजेंसियों को दे पाए, न उनकी धर्मपत्नी गीता कोड़ा ही इसका खुलासा कर पाईं।

इसके अतिरिक्त श्री कोड़ा द्वारा जीवन बीमा निगम की पॉलिसी खरीदने में भी अवैध धन के इस्तेमाल के प्रमाण जाँच एजेंसियों को प्राप्त हुए। अपने आयकर रिटर्न में श्री कोड़ा ने 2005 से 2008 के बीच 1,57,365 रुपए की जीवन बीमा निगम की पॉलिसी होने का विवरण दिया। परंतु जीवन बीमा निगम के जमशेदपुर प्रमंडलीय कार्यालय ने इस अवधि में श्री कोड़ा के नाम से 25,46,739 रुपए की बीमा पॉलिसी खरीदे जाने की जानकारी दी। लोकसभा चुनाव 2009 के समय चुनाव आयोग के सामने दायर शपथ-पत्र में श्री कोड़ा ने 41,67,827 रुपए की जीवन बीमा पॉलिसी उनके पास होने

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 224-225 02-Jul-12, 7:25 PM

का उल्लेख किया। 2005 में इनके पास 'फिक्स डिपोजिट' में कोई धन नहीं था, पर 2008 में इनका फिक्स डिपॉजिट 7,23,301 रुपए हो गया। इसके अलावा इस बीच गीता कोड़ा के एल.आई.सी., फिक्स डिपोजिट, सहारा इंडिया बांड में कुल करीब 18 लाख रुपए का निवेश हुआ। यह सब विवरण इन लोगों ने अपने आयकर रिटर्न में भी नहीं दिया और जाँच एजेंसियों को भी यह बताने में असमर्थता जाहिर की कि यह संपत्ति इन्होंने किस स्रोत से हासिल की। इस प्रकार बीमा पॉलिसी एवं सावधि जमा योजना में मधु कोड़ा एवं गीता कोड़ा के पास 45,23,973 रुपए की संपत्ति उजागर हुई जिसका कोई स्रोत उन्होंने नहीं बताया।

इसके अलावा जगन्नाथपुर, तुपुदाना और बी.आई.टी. मेसरा, राँची में कुल 4,26,000 रुपए की जमीन इनके पास होने के कागजात मिले हैं। श्री कोड़ा ने 55 डिसमिल जमीन 4 लाख रुपए में खरीदना को स्वीकार किया है, पर यह पैसा कहाँ से आया, इसके बारे में उन्होंने नहीं बताया। श्री कोड़ा ने स्वीकार किया है कि तुपुदाना, राँची में पेट्रोपॉवर प्वाइंट नाम से इनके भाई नरसिंह कोड़ा का एक पेट्रोल पंप है, जिसमें 4 से 5 लाख रुपए का निवेश हुआ है।

विदेश में निवेश

केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने 'मधु कोड़ा लूट राज' के विभिन्न पहुओं की जाँच एवं तहकीकात के दौरान श्री कोड़ा एवं इनके सहयोगियों द्वारा अवैध तरीका से अर्जित करीब 2500 करोड़ रुपए के निवेश एवं परिसंपत्तियों का पता लगा लिया है, इस निवेश में से करीब 300 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता केवल दुबई में चला है। स्वीडन, थाईलैंड, लाईबेरिया, घाना, सियरा लियोन, न्यूयॉर्क, कनाडा और टैक्स हेवेन के नाम से कुख्यात कई द्वीप-समूहों में इस अवैध धन के निवेश, व्यवसाय, संपत्ति क्रय के मामलों को उजागर करने में प्रवर्तन निदेशालय की जाँच टीम को काफी सफलता मिली है। मगर संबंधित देशों के साथ विभिन्न प्रकार की संधियाँ होने और नहीं होने के कारण जाँच एजेंसियों को इनकी तह तक पहुँचने में अनेक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है।

रिश्वत की रकम

- मुख्यमंत्री रहते समय श्री कोड़ा के निजी सहायक के रूप में कार्यरत बसंत भट्टाचार्या ने अपने ऑफिस से निकालकर एक प्रामाणिक दस्तावेज जाँच अधिकारियों के सामने प्रस्तुत किया, जिसमें लौह अयस्क खनन पट्टा आवंटन की स्वीकृति देने की एवज में 118.38 करोड़ रुपए की रिश्वत लिए जाने का प्रमाण है। यह रिश्वत राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय ख्याति की 12 नामी-गिरामी कंपनियों से ली गई है।

- खनन विभाग के तत्कालीन सचिव जय शंकर तिवारी ने आयकर अन्वेषण विभाग के अधिकारियों के सामने शपथ-पत्र पर दिए गए बयान में कबूल किया है कि खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा के लिए श्री मधु कोड़ा को 2 रुपए प्रति हेक्टेयर अथवा 10 रुपए प्रति टन के हिसाब से रिश्वत मिलती थी।
- कोर स्टील ऐंड इंडस्ट्रीज लि. के अध्यक्ष संजीव मंसोत्रा ने जेरलदाबुरु-चाटुबुरु क्षेत्र पर खनन पट्टा पाने हेतु अनुशंसा कराने के लिए 13 करोड़ रुपए रिश्वत चेक से देने की बात कबूल किया। यह राशि जमशेदपुर के मॉल प्रोजेक्ट के लिए शारदा कंसल्टेंट के बैंक खाते में जमा की गई है। काम नहीं होने पर इसमें से 5 करोड़ रुपए विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने वापस लौटा दिए और बताया कि बाकी रुपए श्री मधु कोड़ा को एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित कराने और संचिका पर अपने स्तर पर आदेश करने के बदले में दे दिए गए।
- झारखंड के पलामू क्षेत्र में 'राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना' का काम करनेवाली आंध्र प्रदेश की कंपनी आई.वी.आर.सी.एल. के कार्यालय से जब्त कागजातों के आधार पर कंपनी के अधिकारियों ने जाँच अधिकारियों के सामने दिए गए बयान में स्वीकार किया कि 29.19 करोड़ रुपए की रिश्वत श्री मधु कोड़ा को इस मद में दी गई। वैसे जाँच अधिकारियों को आई.वी.आर.सी.एल. के कार्यालय से रिश्वत मद में 98 करोड़ रुपए भुगतान करने के कागजात मिले हैं।
- लोखंडवाला के हेमंत सरवटे द्वारा चेक और नकद मिलाकर 32.15 करोड़ रुपए की रिश्वत देने के प्रामाणिक कागजात मिले हैं।
- कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग कंपनी से 9.09 करोड़ रुपए की रिश्वत दिए जाने की बात को मनोज पुनमिया ने जाँच अधिकारियों के सामने संपुष्ट किया है।
- श्री विन मेरिटाइम लि. में 8.72 करोड़ रुपए की रिश्वत, निवेश के रूप में चेक से एवं नकद देने की बात मनोज पुनमिया ने स्वीकार की है।
- क्वांटम पॉवर टेक के निदेशक बी.के. सिंह ने 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात अपने बयान में कबूल की है।
- मांटुगा (मुंबई) में एक आलीशान फ्लैट खरीदने के लिए विनोद सिन्हा के माध्यम से 15 करोड़ रुपए रिश्वत देने की बात मुंबई के सी.आई.डी. ब्रांच ने प्रमाणित की है।
- रिश्वत की राशि से मधु कोड़ा के लोकसभा चुनाव 2009 में 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च होने का प्रमाण मिला है। जिन्हें नकद राशि चुनाव में खर्च करने के लिए अलग-अलग व्यक्तियों से मिली, उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया है।

विश्वस्त सहयोगी

मधु कोड़ा के आस-पास उनके विश्वस्त सहयोगी के रूप में काम करनेवालों की टीम में जिन दो व्यक्तियों का नाम प्रमुख है वे हैं—हरेंद्र कुमार सिंह और अरुण कुमार श्रीवास्तव। हरेंद्र कुमार सिंह सरकारी सेवक हैं और पेशे से जुनियर इंजीनियर हैं। 2006 से 2008 की बीच ये मधु कोड़ा के निजि सचिव के पद पर थे। श्री कोड़ा के मुख्यमंत्री पद से हटने के बाद इन्होंने अपने पैतृक विभाग में योगदान कर लिया। मधु कोड़ा से उनका परिचय 1997 से है, जब ये सिंहभूम क्षेत्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के विस्तारक के रूप में कार्य करते थे और श्री कोड़ा भाजपा के एक साधारण कार्यकर्त्ता थे।

हरेंद्र कुमार सिंह का मुख्य कार्य लोक-निर्माण विभाग के अभियंताओं के स्थानांतरण एवं पदस्थापन में मधु कोड़ा को सलाह देने का था। जाँच में पता चला कि ये अभियंताओं के मनचाहे स्थानांतरण एवं पदस्थापन के लिए ये उनसे मोल-तोल करते थे और रिश्वत वसूलते थे। रिश्वत की राशि कार्यालय के बाहर अन्यत्र वसूली जाती थी। केंद्रीय एजेंसियों की पूछताछ में इन्होंने स्वीकार किया कि इनके लैपटॉप और मोबाइल में श्री कोड़ा से संबंधित जितनी गोपनीय जानकारियाँ थीं, उसे इन्होंने मिटा दिया। इनका लैपटॉप फोरेंसिक साइंस लेबोरेटरी हैदराबाद में जाँच के लिए भेजा गया है, जिसकी रिपोर्ट आने पर श्री कोड़ा के अनुचित लेन-देन का विवरण उजागर होने की संभावना है।

मधु कोड़ा के दूसरे निजी सहायक अरुण कुमार श्रीवास्तव उनके गृह जिला के निवासी हैं। इन्होंने मै. ए.आर. माइनिंग इंटरप्राईजेज नामक कंपनी बना रखी है, जिसमें इनके साले अजय कुमार श्रीवास्तव बेनामी पार्टनर हैं। इस कंपनी को 2007-08 और 2008-09 में करीब 15 करोड़ रुपए की आमदनी हुई जिसमें से करीब 5.50 करोड़ रुपए श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव ने दी। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 132(4) में दिए गए बयान में इन्होंने स्वीकार किया है कि 5,47,69,479 रुपए इन्होंने और 6,48,41,600 रुपए इनके साले अजय कुमार श्रीवास्तव ने ए.आर. माइनिंग इंटरप्राइजेज की तरफ से सरेंडर की। इस फर्म के कागजातों में दिखाए गए करीब 12 करोड़ रुपए की आमदनी में से 1.25 करोड़ रुपए दिल्ली में कई लोगों को देने के प्रमाण मिले हैं। केंद्रीय जाँच एजेंसियों की छापेमारी में जब्त इनकी डायरी से पता चला कि कि मधु कोड़ा का घर चलाने में होने वाले विभिन्न मद के खर्चों का जुगाड़ अरुण कुमार श्रीवास्तव करते थे। इस मद में 89 लाख रुपए की रसीदें इनके पास से बरामद हुई। इन खर्चों का इंतजाम ये अज्ञात स्रोतों से करते थे।

श्री श्रीवास्तव ने कोलकाता के समीर घोष-मित्रा घोष के लौह अयस्क खनन पट्टा को पुलिस प्रशासन की मदद से जबरन हथिया लिया है, एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1956 के प्रावधानों के विपरीत छद्म एवं अवैध खनन का कार्य इनकी कंपनी

ए.आर. इंटरप्राइजेज करती है। इसमें गिरीडीह के किसी बागड़िया को भी इन्होंने पार्टनर बनाया है। चाईबासा के लौह अयस्क क्षेत्र में अवैध खनन मामले में इनके संलग्न रहने के प्रमाण जाँच एजेंसियों को मिले हैं।

इन दोनों के अतिरिक्त 'राकेश हो मारला' भी मधु कोड़ा ग्रुप के एक प्रमुख व्यक्ति हैं। ये श्री कोड़ा के निकट रिश्तेदार हैं। इनके पास नियमित आय का कोई जरिया नहीं है, फिर भी इनके बैंक खातों में लाखों रुपए जमा हैं। केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने छापेमारी के समय इनके यहाँ से कई कंपनियों के दस्तावेज जब्त किए, जिनमें अंजनी इंटरप्राइजेज, विस्थापित कोल ब्रिकेट मेकर्स ऐंड सप्लायर्स औद्योगिक सहयोग समिति, बी.एन. इंटरप्राइजेज, शुभम् ग्रुप ऐंड कंस्ट्रक्सन आदि शामिल हैं। दूसरे लोगों के नाम से जमीन की खरीद करने तथा गोनुवा आयरन ऐंड मैगनीज ओर माईंस, सुंदरगढ़, उड़ीसा तथा भवन-निर्माण संबंधी कई कागजात भी इनके यहाँ से मिले। भारत सरकार की कंपनी सी.सी.एल. और झारखंड सरकार के साथ कोयला की स्लरी के उठाव के संबंध में 'मारला' को अधिकृत करने वाले कागजातों के अतिरिक्त कई ऐसे कागजात भी इनके यहाँ से बरामद हुए जो कूट भाषा में हैं। इनकी डिकोडिंग होने से अवैध धन उगाही के कतिपय अन्य पहलुओं के भी उजागर होने की संभावना है।

विनोद सिन्हा : घोटाले का शातिर सरगना

मधु कोड़ा लूट राज के पात्रों में सबसे प्रमुख और शातिर पात्र है विनोद सिन्हा। जिस समय झारखंड के गलियारों में यह चर्चा का विषय था कि विनोद सिन्हा कौन है? उस समय बिहार के नालंदा जिला अंतर्गत हिलसा प्रखंड के गुलनी नामक गाँव के निवासियों ने इस बारे में मुझे एक हस्तलिखित पत्र भेजा। यह पत्र विनोद सिन्हा के बारे में था। इस पत्र से विनोद सिन्हा की परिवारिक पृष्ठभूमि की एक झलक मिलती है। यह पत्र निम्नवत है—

''हम सभी ग्रामीण जनता बिहार राज्य के नालंदा जिले के अंतर्गत हिलसा थाना के गुलनी ग्राम के रहनेवाले हैं। हमलोगों ने 20.08.2008 को ई.टी.वी. बिहार-झारखंड पर प्रसारित आपका समाचार देखा और 21.08.2008 को राँची एवं पटना के समाचार-पत्रों में प्रकाशित आपका बयान और अन्य समाचार पढ़ा। इस क्रम में हम सभी को मालूम हुआ कि विनोद सिन्हा झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय मधु कोड़ा के साथ पढ़ता था, जो आज एक साधारण आदमी से अरबपति बना हुआ है। जबकि सच्चाई यह है कि विनोद कुमार सिन्हा ग्राम-गुलनी, थाना-हिलसा, जिला-नालंदा, राज्य-बिहार का रहनेवाला है। विनोद कुमार सिन्हा राजकीय उच्च विद्यालय, योगीपुर-गोसाईपुर, थाना-हिलसा (नालंदा) में वर्ष 1982 ई. में वर्ग सप्तम में हम लोगों के साथ पढ़ता था। विनोद सिन्हा

एक साधारण परिवार का आदमी है। इसके पिता तीन भाई तथा दादा पाँच भाई थे। इसके दादा को मात्र चार (4) बिगहा (2.40 एकड़) जमीन थी, जिसमें से इसके पिता का हिस्सा मात्र एक-सवा बिगहा पड़ेगा। इसके पिता अखिलेश प्रसाद सिन्हा चाईबासा में गाय और भैंस का खटाल खोले हुए थे और उसी से अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे थे। इन सभी का तार 'पशुपालन घोटाले' से जुड़ा हुआ है।

जिस समय बिहार-झारखंड संयुक्त राज्य था, उस समय पशुपालन मंत्री चंद्रदेव प्रसाद वर्मा थे। उसी समय पशुपालन घोटाला हुआ था। चंद्रदेव प्रसाद वर्मा का अपना दामाद प्रो. ओम प्रकाश है, जो कि विनोद कुमार सिन्हा का चाचा है। पशुपालन घोटाले में चंद्रदेव प्रसाद वर्मा बहुत दिनों तक जेल में रहे थे। उसी समय विनोद का बड़का चाचा धनंजय प्रसाद सिन्हा ने चाईबासा में टैक्सटाइल व्यवसाय खोला, जिसका मालिक एवं मैनेजर धनंजय का बेटा विपिन कुमार सिन्हा था। पशुपालन घोटाला के समय छापा मारकर उसके यहाँ से करोड़ों रुपए बरामद किए गए थे एवं व्यवसाय सील कर दिया गया था।

इसी विनोद कुमार सिन्हा के पैसे से इसके छोटे चाचा हरदेव प्रसाद वर्मा का पटना राजा बाजार के शेखपुरा में आलीशान बिल्डिंग बना हुआ है तथा गुलनी गाँव (मूल गाँव) में भी बहुत बड़ा मकान बना हुआ है। विनोद सिन्हा की अपनी बहुत बड़ी हार्डवेयर की दुकान उड़ीसा राज्य के क्योंझर में है तथा किरीबुरू में लोहा का क्रेशर है और ऐसी-ऐसी कितनी जगह पर दुकान-फैक्ट्री एवं जगह लेकर छोड़ रखा है, वह तो हम लोगों को पता नहीं लग रहा है, जो हम लोगों की जानकारी में है, वो बता रहे हैं।

दूसरी तरफ यही विनोद कुमार सिन्हा अपने गाँव गुलनी में पैसे के बल पर हत्या की राजनीति भी बहुत लंबे समय से करता आ रहा है। अपने परिवार को पैसा से अंधा किए हुए है और बोलता है कि पैसा से हम जज एवं सरकारी तंत्र को खरीद लेंगे। आज से 6 (छह) साल पहले 2.10.2001 को गाँव के एक नौजवान धर्मवीर कुमार की इसी विनोद कुमार सिन्हा के चाचा राजेंद्र प्रसाद वर्मा एवं कुमार देवानंद राकेश उर्फ महेश प्रसाद के द्वारा दिन के 9 बजे दिनदहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इतना ही नहीं, 7.01.2006 को विनोद कुमार सिन्हा को पैसे के बल पर हिलसा के तत्कालीन द्वितीय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश मोहम्मद मुसलिम ने 10 लाख रुपए लेकर बरी कर दिया, जिसकी अपील हाईकोर्ट पटना में दाखिल हो गई है।

उस केस में बरी होने के मात्र चार महीने के अंदर 1.10.2006 को महेश प्रसाद उर्फ देवानंद राकेश ने गाँव के ही एक युवक विजेंद्र यादव की घर पर चढ़कर गोली मारकर हत्या कर दी और बोला कि 'पहले भी मर्डर कर दिए हैं तो कुछ नहीं हुआ है। तुम्हें भी मार देंगे तो कुछ नहीं बिगड़ेगा क्योंकि पिछले मर्डर वाले मुकदमा में हिलसा

कोर्ट से ही बरी हुए थे।' विनोद कुमार सिन्हा ने ही झारखंड के गम्हरिया अस्पताल सरायकेला से अपने चाचा कुमार देवानंद राकेश उर्फ महेश प्रसाद के बचाव में फर्जी (डुप्लीकेट) प्रमाण-पत्र (स्वास्थ्य से संबंधित) बनवा दिया था, जिससे काफी रुपए-पैसे लेकर हिलसा के डी.एस.पी. ने इसे बरी कर दिया था। पुन: आरक्षी अधीक्षक नालंदा ने स्वयं घटनास्थल का निरीक्षण किया, गवाहों का बयान लिया और महेश प्रसाद की पत्नी द्वारा दिए गए फर्जी इलाज प्रमाण-पत्र को निरस्त कर दिया और कुमार देवानंद राकेश उर्फ महेश प्रसाद को गिरफ्तार करने का आदेश जारी किया। गिरफ्तारी के भय से महेश प्रसाद (विनोद कुमार सिन्हा के छोटा चचेरा चाचा) विनोद कुमार सिन्हा के यहाँ चाईबासा में ही रहता था। उसके पीछे पुलिस गिरफ्तार करने के लिए लग गई। एक दिन 2.05.07 को चंद्रदेव प्रसाद वर्मा का दामाद प्रो. ओम प्रकाश, जो पटना में रहता है, के यहाँ आया हुआ था, जिसे पुलिस ने पटना में ही गिरफ्तार कर हिलसा जेल भेज दिया।

विनोद सिन्हा गाँव में कभी कुर्मी (महतो) तथा कभी यादव की हत्या करवाता है, अपने परदे के पीछे से खेल करते रहता है और गाँव में उसके चाचा राजेंद्र प्रसाद वर्मा एवं महेश प्रसाद गाँव के लीडर का काम करते हैं और बोलते हैं कि कभी भी किसी को मरवाकर जज को खरीदकर केस से बरी हो जाएँगे। अत: आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इस काले कारनामों को अवश्य उजागर करेंगे।''

आरंभिक जीवन

इस पता के अतिरिक्त विनोद सिन्हा का एक और ठिकाना भी है, जो उसके द्वारा झारखंड उच्च न्यायालय, राँची और उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में दायर की गई याचिकाओं एवं हस्तक्षेप याचिकाओं में अंकित है। इसका यही पता कंपनी रजिस्ट्रार के कार्यालय में पंजीकृत कराई गई कई कंपनियों के आवेदनों में भी है। इस ठिकाने का पता है—मुहल्ला-नीमडीह, चाईबासा, झारखंड। इस पते पर निवास करनेवाले एक ही व्यक्ति का तीन नाम अलग-अलग प्रयोजनों के लिए हैं—विनोद कुमार सिन्हा, विनोद सिन्हा और विनोद कुमार। एक ही पते पर रहनेवाले एक ही व्यक्ति के तीन नाम के उपयोग का रहस्य इनकी ओर से याचिका दायर करनेवाले हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के वकील तथा कंपनी रजिस्ट्रार का कार्यालय ही खोल सकते हैं।

आयकर अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों द्वारा की गई पूछताछ में विनोद सिन्हा ने अपने बारे में तथा अपने परिवार के बारे में जो बताया उसके अनुसार—''विनोद सिन्हा तीन भाइयों में सबसे बड़ा है। इसका एक भाई विकास कुमार सिन्हा चाईबासा में रहता है। विकास कुमार सिन्हा एम्मार एलवाय नामक स्पॉज आयरन निर्माता कंपनी में हिस्सेदार है, इसके अलावा उसका कोई दूसरा व्यवसाय नहीं है। दूसरा

भाई मनोज कुमार सिन्हा है। मनोज कुमार सिन्हा उड़ीसा के क्योंझर में कृषि उपकरणों की दुकान चलाता है। वह लौह अयस्क के ढुलाई का छोटा-मोटा काम करता है और एम्मार एलवाय में हिस्सेदार है। विनोद सिन्हा की माता कमला देवी एक गृहिणी हैं और तीन-चार गायों की एक गौशाला चलाती हैं। इनके नाम पर चाईबासा के न्यू कॉलोनी, नीमडीह में एक मकान है, जिसे इसके पिता अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा ने 1970 में खरीदा था। अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा एग्रो डेवलपमेंट एजेंसी, चाईबासा के मालिक हैं। इनके नाम से कोई अचल संपत्ति या निवेश या किसी दूसरी कंपनी में कोई हिस्सेदारी नहीं है।

विनोद सिन्हा के पिता के भाइयों का नाम धनंजय सिन्हा और हरदेव वर्मा है। धनंजय सिन्हा भाइयों में सबसे बड़े हैं, वे चाईबासा में सिंहभूम खादी भंडार चलाते हैं और कताई-बुनाई का काम कराते हैं। हरदेव वर्मा पटना में रहते हैं, आजीविका चलाने के लिए खेती-बाड़ी का काम करते हैं। विनोद सिन्हा के पिता और दोनों चाचा में कोई भी व्यवसायी नहीं है। विनोद सिन्हा के बड़े साले सुजीत कुमार बी.आई.टी., मेसरा से इंजीनियरिंग करने के बाद एम्मार एलवाय में काम करते हैं। दूसरे साले अजीत कुमार पुणे से एम.बी.ए. करने के बाद दुबई चले गए। इन लोगों के साथ विनोद सिन्हा का कोई व्यवसाय नहीं है। विनोद सिन्हा की एकमात्र साली अनिता सिन्हा की शादी राकेश कुमार के साथ हुई है, जो धुर्वा, राँची में कोचिंग इंस्टीट्यूट चलाते हैं। विनोद सिन्हा के मामा नरेंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार के जहानाबाद में रहते हैं और खेती-बाड़ी करते हैं। उनके तीन लड़के हैं। दो उनके साथ रहते हैं और तीसरे सुनील कुमार सिन्हा ने बी.ए. पास करने के बाद विनोद सिन्हा की कंपनी 'इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स' में 2001 से 2007 तक वेतनभोगी कर्मचारी के रूप में काम किया। उसके बाद वह चक्रधरपुर में ट्रैक्टर की एजेंसी चलाता है।''

चाईबासा केंद्रित गतिविधियाँ

अपनी अवैध व्यावसायिक गतिविधियों का विस्तार देश-विदेश के अनेक स्थानों तक करने वाले विनोद सिन्हा की गतिविधियाँ इनके आरंभिक दिनों में चाईबासा केंद्रित रही हैं। 1990 के दशक के पूर्वार्द्ध में इनके पिता अखिलेश्वर प्रसाद सिन्हा की डीजल पंप सेट आदि सिंचाई उपकरणों की एक दूकान चाईबासा के जिला परिषद् शॉपिंग कॉप्लेक्स में थी। ये पिता के व्यवसाय में हाथ बँटाने का काम करते थे। पारिवारिक धंधा बदलकर कमाई करने के उद्देश्य से इन्होंने अपने दो मित्रों, प्रभात भट्टाचार्य और चीकू अग्रवाल, के साथ मिलकर कपड़ा बेचने की दुकान खोल ली, यह व्यवसाय चल नहीं पाया।

इसके बाद इन्होंने प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना से 95,000 रुपए का ऋण लिया और कृषि उपकरणों की तथा सिलाई मशीन की आपूर्ति करने लगे। एग्रो डेवलपमेंट एजेंसी के नाम से इन्होंने चाईबासा जिला परिषद् शापिंग कॉम्प्लेक्स में एक दुकान आवंटित करा लिया। वहाँ से पंपसेट, हालर एवं इनसे संबंधित कल-पुर्जों की बिक्री करने लगे। यह समय 1994-95 के आस-पास का था। गाँव-गाँव जाकर पंपसेट एवं सिलाई मशीनों की आपूर्ति का यह धंधा भी बेदाग नहीं रहा। इन पर किर्लोस्कर पंपसेट और उषा सिलाई मशीन के उपकरण के बदले स्थानीय स्तर पर निर्मित या एकत्रित किए हुए उपकरणों की आपूर्ति करने का आरोप लगा। एस. सिद्धार्थ नामक एक अधिकारी, जो वहाँ जिला विकास आयुक्त थे, ने इनकी आपूर्ति बंद करा दी। इनकी संस्था काली सूची में डाल दी गई, तो इन्होंने जमशेदपुर के आर. लाल ऐंड कंपनी की ओर से यही काम करना शुरू कर दिया। 'इंडिया डीजल' के नाम से एक नई दुकान इन्होंने चाईबासा बस स्टैंड पर खोल ली। श्री सिद्धार्थ का तबादला हो जाने के बाद नए जिला विकास आयुक्त चाईबासा आए तो उनसे पटरी बैठाकर विनोद सिन्हा ने पुनः उपर्युक्त उपकरणों की आपूर्ति का आदेश हासिल कर लिया। इस आपूर्ति आदेश को आधार बनाकर बैंकों से कैश-क्रेडिट लिमिट (नकदी की उधार सीमा) स्वीकृत करा लिया और अपना कारोबार चलाने लगा।

बीज से विषवृक्ष

इसी समय विनोद सिन्हा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (ई) की छात्र शाखा एन.एस.यू.आई. में शामिल हो गया और इसकी टाटा कॉलेज, चाईबासा की इकाई का अध्यक्ष बन गया। वहाँ इसकी पहचान मधु कोड़ा से हुई, जो उस समय भारतीय जनता पार्टी की युवा शाखा भारतीय जनता युवा मोरचा में सक्रिय थे। एन.एस.यू.आई. में शामिल होने के कारण विनोद सिन्हा को जिला स्तर पर ठेकेदारी हासिल करने में सहूलियत हो गई। जिस समय इनका व्यापार चल कम और घिसट ज्यादा रहा था, उस समय भी इनकी व्यावसायिक छवि साफ-सुथरी नहीं थी। इन्हें कैश-क्रेडिट देनेवाले बैंकों को भी इन्होंने नहीं बख्शा। इसका खामियाजा बेचारे बैंक कर्मियों को भुगतना पड़ा, चाईबासा और आसन तोलिया के पंजाब नेशनल बैंक के प्रबंधक निलंबित हो गए, इलाहाबाद बैंक के कर्मियों को भी इनकी धोखाधड़ी का खामियाजा भुगतना पड़ा।

चाईबासा की प्रशासनिक गतिविधियों के जानकार बताते हैं कि 1995-2000 के बीच पश्चिम सिंहभूम जिला में सरकारी योजनाओं के तहत पंपसेट आपूर्ति में गड़बड़ियों की जाँच हो जाए तो वैसा ही नतीजा निकलेगा, जैसा बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से तथाकथित किसानों को किए गए सोनालिका ट्रैक्टर आपूर्ति घोटाला की जाँच का निकल

रहा है। इस अवधि में अफसरों और नेताओं के साथ मिलीभगत से अवैध कमाई के लिए आसान तरीका अपनाने का जो चस्का विनोद सिन्हा को लगा, उसी के बड़े रूप का प्रदर्शन अवसर मिलते ही इसने 'मधु कोड़ा लूट राज' में दिखा दिया। यह एक 'शातिर दिमाग बीज के विष-वृक्ष' में तब्दील हो जाने जैसा है। यह महज संयोग नहीं है कि 1990 के दशक में चाईबासा के व्यवसाय एवं राजनीति में यह बीज बोते समय भी कांग्रेस और राजद के नेतृत्व ने इनके तिकड़मी हुनर को खाद-पानी दिया और 'कोड़ा लूट राज' कांड में भी इन्हीं दलों के राष्ट्रीय नेताओं का खुला प्रोत्साहन और वरदहस्त इन्हें प्राप्त हुआ।

ऐसा नहीं कि जिस समय विनोद सिन्हा का फरेबी हुनर चाईबासा की धरती पर अंकुरित हो रहा था, उस समय वहाँ के जागरूक लोगों ने राज्य सरकार और जिला प्रशासन को इस बारे में सचेत नहीं किया। जब बिहार एक था तो कांग्रेस और राजद के नेता इन्हें संरक्षण देते रहे और जब झारखंड अलग हो गया तो यहाँ की पहली सरकार में मंत्री पद पर आसीन कॉलेज के जमाने के इनके मित्र मधु कोड़ा इनके लिए छतरी बन गए। झारखंड की प्रथम सरकार ने इनके खिलाफ आरोपों के पुलिंदों पर काररवाई करने के बदले इसे कूड़ेदान में डाल दिया। पंपसेट और सिलाई मशीन की आपूर्ति में बेइमानी, बैंकों के साथ धोखाधड़ी, बिक्री कर की चोरी सहित इनके तमाम कुकृत्यों पर परदा पड़ गया।

संयुक्त बिहार के समय में राबड़ी देवी की सरकार में कल्याण मंत्री, बागुन सुंब्रुई ने 6 जुलाई, 2000 को आधिकारिक पत्र लिखकर चाईबासा के जिला प्रशासन और राज्य सरकार के संबंधित विभागों को बताया कि जिस व्यक्ति के तीन व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को अनियमितताओं के आरोप में आपूर्ति आदेश देने से रोक दिया गया है, उसी व्यक्ति के पुत्र ने 'इंडिया डीजल' के नाम से एक नया प्रतिष्ठान बनाकर आपूर्ति में अनियमितता का पुराना गोरखधंधा फिर से शुरू कर दिया है। इसके कुछ माह बाद झारखंड राज्य अलग हो गया। झारखंड की नवगठित सरकार में संयुक्त बिहार के एक सद्यः निवर्तमान मंत्री और कोल्हान क्षेत्र के वरीय राजनेता द्वारा आधिकारिक पत्र में लगाए गए सप्रमाण आरोप नक्कारखाने में तूती की आवाज की तरह दब गए। पुनः 1 जून, 2006 को पश्चिम सिंहभूम जिले के उपायुक्त ने झारखंड के गृह सचिव-सह निगरानी आयुक्त को 800 पन्नों की जाँच रिपोर्ट संलग्न करते हुए बताया कि बैंक ऑफ बड़ौदा के ऋण से एवं सरकारी अनुदान से होने वाले सोनालिका ट्रैक्टर की आपूर्ति में काफी अनियमितताएँ पकड़ी गई हैं। उन्होंने इसकी जाँच निगरानी ब्यूरो से कराने का अनुरोध राज्य सरकार से किया। सोनालिका ट्रैक्टर की एजेंसी उस समय विनोद सिन्हा के पास थी, जिसमें इसके पिता और भाई पार्टनर थे।

उपायुक्त द्वारा भेजे गए प्रामाणिक दस्तावेजों पर आधारित इस जाँच प्रतिवेदन पर झारखंड सरकार में छानबीन एवं काररवाई की प्रक्रिया आरंभ होते ही अर्जुन मुंडा सरकार डाँवाडोल होने लगी। विनोद सिन्हा की अवैध कमाई के नुस्खे से लाभ उठाते रहनेवाले व्यवसायियों, उद्योगपतियों, अधिकारियों, राजनेताओं के समूह में खलबली मच गई। राज्य सरकार को अस्थिर करने की मुहिम शुरू हो गई। कांग्रेस के नेताओं ने दिल्ली और हरियाणा के अतिथि-गृहों में स्वागत-सत्कार के माध्यम से तत्कालीन झारखंड सरकार के मंत्रियों को साधना शुरू कर दिया। पटना के एक स्वनामधन्य पार्टी के सुप्रीमो भी इस अभियान में अपने केंद्रीय मंत्री पद की ताकत के साथ जुट गए। उन्होंने भारतीय जनता पार्टी विधायक दल के एक विक्षुब्ध और महत्त्वाकांक्षी नेता से भी वर्ग-वर्ण के आधार पर संपर्क साधा। इन्होंने भी अपने पार्टी की सरकार को अस्थिर करने के सुर में सुर मिलाने की चाल चली, पर इनका नेतृत्व स्वीकार करने के लिए अर्जुन मुंडा सरकार के निर्दलीय मंत्री तैयार नहीं हुए। इसके बाद निर्दलीयों के बीच से ही विकल्प ढूँढ़कर कांग्रेस, झामुमो और राजद ने अर्जुन मुंडा की सरकार को अपदस्थ कर दिया और उनकी जगह मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बना दिया।

मधु कोड़ा पर विनोद सिन्हा के प्रभाव का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि चाईबासा में अपने सहोदर भाई राजेश कोड़ा के आर्थिक लाभ को दरकिनार कर उन्होंने झालको के एक पदाधिकारी का स्थानांतरण रातो-रात करा दिया, जिसने एक योजना में विनोद सिन्हा के पसंद के व्यक्ति को तरजीह न देकर राजेश कोड़ा के पसंद के एक ठेकेदार को कार्य आवंटित करने का आदेश दे दिया था।

जैसी बहे बयार...

राजनीति में पद और प्रभाव की नब्ज पहचानने में विनोद सिन्हा का कोई सानी नहीं रहा है। 'जैसी बहे बयार, पीठ तब वैसी कीजै' की अवधारणा को अमल में लाने की इस व्यक्ति की हुनर काबिले तारीफ कही जा सकती है।

1990 के दशक में विजय सिंह सोय चाईबासा में कांग्रेस के दबंग नेता थे। ये खरसांवा विधान सभा (अ.ज.जा. सुरक्षित) क्षेत्र से बिहार विधान सभा के सदस्य भी थे। विनोद सिन्हा का आरम्भिक राजनीतिक जीवन श्री सोय की शागिर्दी में शुरू हुआ। श्री सोय पराभव के बाद विनोद सिन्हा ने बागुन सुम्ब्रुई से सटना चाहा, पर इन्होंने घास नहीं डाला। कांग्रेस ने बिहार में राजद सरकार को समर्थन दिया तो विनोद सिन्हा अपना धंधा जमाने के लिए लालू-राबड़ी के नजदीक हो गया। राबड़ी देवी के भाईयों साथ इसकी छनने लगी।

वर्ष 2000 में श्री मधु कोड़ा पश्चिम सिंहभूम जिले के जगन्नाथपुर (सुरक्षित)

सीट से पहली बार विधायक बने। 15 नवंबर, 2000 को झारखंड राज्य बनने के बाद ये बाबूलाल मरांडी की प्रथम राज्य सरकार में ग्रामीण अभियांत्रिकी संगठन विभाग के मंत्री बने। सत्ता का समीकरण कांग्रेस-राजद गठजोड़ से निकलकर भाजपा-एन.डी.ए. की ओर मुड़ गया। इस समय विनोद सिन्हा के शातिर दिमाग ने परिस्थिति को भाँपकर चाईबासा में कांग्रेस का पल्ला छोड़कर एन.डी.ए. दरबार में जगह तलाश ली और मधु कोड़ा के पद-प्रभाव का इस्तेमाल अपना धंधा चमकाने में करने लगा।

2004 में केंद्र में यू.पी.ए. सरकार बनी तो इसने फिर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद का दामन थाम लिया। मधु कोड़ा को मुख्यमंत्री बनवाने, लौह अयस्क घोटाला में संरक्षण पाने और कांग्रेस के आलाकमान का समर्थन पाने में इसने लालू प्रसाद के संपर्क का लाभ उठाया। इस दौरान राबड़ी देवी के भाई साधु यादव का दिल्ली स्थित सांसद निवास पर इनकी अड्डाबाजी होने लगी। बिहार के एक कांग्रेस विधायक सम्राट चौधरी भी इसमें शरीक हो गए। मधु कोड़ा मुख्यमंत्री से हटे तो विनोद सिन्हा के लिए उनकी बहुत उपयोगिता नहीं रही, इसने मनोज पुनमिया का दामन थाम लिया। संजय चौधरी के साथ मिलकर पुनमिया की बालाजी समूह की कंपनियों में शामिल हो गया और भारत से भागने की जुगत भिड़ाने लगा। इसे भरोसा था कि सी.बी.आई. को चकमा देने में सफल हो जाएगा। परंतु एक दिन सी.बी.आई. ने इसे दिल्ली हवाई अड्डे से बाहर निकलते ही दबोच लिया।

मुख्यमंत्री रहते समय मधु कोड़ा ने लौह अयस्क खदान आवंटन की प्रक्रिया पूरा कराने सहित राज्य विद्युत् बोर्ड एवं अन्य कार्य विभागों से अवैध धन उगाही करने का जिम्मा विनोद सिन्हा पर डाल दिया था। राँची, कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई आदि शहरों में लौह अयस्क का खनन पट्टा लेने एवं अन्य काम कराने के इच्छुक व्यवसायी और बिचौलिए इनसे मिलते थे। अवैध धन प्राप्त हो जाने के बाद झारखंड सरकार के संबंधित अधिकारियों को विनोद सिन्हा द्वारा इस बारे में आवश्यक निर्देश दिया जाता था। विनोद सिन्हा निम्नांकित कंपनियों का मालिक अथवा हिस्सेदार है—

(1) ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स	(2) सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया
(3) इंडिया कार ऐंड मोटर्स	(4) शिवांस स्टील, कोलकाता
(5) इंडिया डीजल्स ऐंड ट्रेक्टर्स	(6) सनराइज रोडलाइंस
(7) साई कंस्ट्रक्शन	(8) कोल्हान ट्रेडिंग लिमिटेड
(9) इंडिया डीजल्स	(10) एम्मार एलवाय प्रा.लि.
(11) नटराज फाइनेंशियल लि.	(12) केमैन एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि.
(13) इंडिया मोटर्स ऐंड ट्रेक्टर्स	(14) इंडिया डीजल्स ऐंड ट्रेक्टर्स
(15) एम्मार ट्रांसपोर्टेशन प्रा. लि.	(16) एम्मार मार्केटिंग प्रा. लि.

(17) एम्मार पॉवर प्रा. लि.	(18) एम्मार टेक्नो प्रोजेक्ट्स प्रा. लि.
(19) एम्मार इंफ्रास्टक्चर प्रा. लि.	(20) एम्मार वेंचर्स प्रा. लि.
(21) एम्मार टूरिज्म प्रा. लि.	(22) सैटर्न आयरन ओर ऐंड माइनिंग लि.
(23) हिल व्यू इंपेक्ट प्रा. लि.	(24) बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि.।

(25) रॉयल टाटा इंपोर्ट ऐंड एक्सपोर्ट, बैंकाक,
(26) सत्यम् पब्लिकेशंस ऐंड ब्रॉडकास्टिंग
(27) बालाजी बुलियंस ऐंड कमोडिटीज (ई) प्रा. लि.

संजय चौधरी : फरार मुजरिम

जमशेदपुर का जुड़वा शहर मानगो के डिमना रोड का निवासी संजय चौधरी 'मधु कोड़ा लूट राज' का एक प्रभावशाली स्तंभ रहा है। लूट राज की स्थानीय टोली में इनका स्थान मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा के बाद का है। इस घोटाला में इन्होंने दोहरी भूमिका निभाई है। इनकी एक भूमिका रही है, विनोद सिन्हा का दाहिना हाथ बनकर खनन पट्टा के लोभी उद्योगपतियों से अधिक-से-अधिक धन ऐंठने की। लूट राज के शिकार इन्हें विनोद सिन्हा से भी कठोर सौदेबाज मानते हैं। इनकी दूसरी भूमिका रही है हवालाबाजों के साथ मिलकर लूट के धन का विदेश में निवेश करने के दौरान अपने हितों को सुरक्षित रखने की। जब मधु कोड़ा मुख्यमंत्री थे, उसी समय इन्होंने दुबई में अपना स्थाई ठिकाना बना लिया। अपने भाई धनंजय चौधरी को भी साथ ले गए और अपने परिवार को भी। मनोज पुनमिया के ऑडियो टेप के अनुसार 'संजय भाई' को लगता था कि एक-न-एक दिन इसमें 'लोचा' होगा।

संजय चौधरी के पिता जय नारायन चौधरी टाटा आयरन ऐंड स्टील कंपनी, टिस्को, जमशेदपुर में काम करते थे। साथ-साथ खैनी और छोआ से बनने वाले गुड़ाखू का व्यवसाय भी करते थे। चार भाइयों में सबसे बड़ा होने के कारण संजय चौधरी ने पिता के काम में हाथ बँटाने के साथ-साथ अलग से बालू, गिट्टी आदि भवन-निर्माण सामग्रियों की आपूर्ति का काम भी शुरू किया। इस काम में ठेकेदारों को प्रभावित करने और उनसे आपूर्ति आदेश लेने के लिए इन्होंने जमशेदपुर के उस समय के दबंग व्यक्तियों के साथ संपर्क बढ़ाया और उनकी शागिर्दी में जुटे रहे।

यह समय 1990 के दशक का था। बिहार में लालू प्रसाद की सरकार थी, पर जमशेदपुर में भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व था। अपना रोजगार बढ़ाने के लिए दोनों दलों के नेताओं को साधने में ये सफल रहे। राष्ट्रीय जनता दल सरकार के मंत्रियों के पटना दरबार में और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जमशेदपुर दरबार में इन्होंने पैठ

बना ली। नवंबर 2000 में झारखंड अलग हो गया तो ये पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी के लिए समर्पित हो गए। राज्य के प्रथम वित्त मंत्री स्व. मृगेंद्र प्रताप सिंह के अत्यंत निकटस्थ लोगों में इनकी गिनती होने लगी। राज्य सरकार के दूसरे महत्त्वपूर्ण घटक जनता दल (यू) के नेता और झारखंड विधान सभा के प्रथम अध्यक्ष इंदर सिंह नामधारी के साथ संबंध बनाने के लिए इन्होंने जमशेदपुर के ट्रांसपोर्ट व्यवसायी गुरदीप सिंह 'पप्पू' का उपयोग किया।

इस बीच राज्य सरकार पलट गई, अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री बन गए तो इन्होंने मुख्यमंत्री के तत्कालीन प्रेस सलाहकार हरेंद्र सिंह को मोहरा बनाना चाहा। पर यहाँ इनकी दाल पूरी तरह नहीं गली। इसके बावजूद इन्होंने अपनी ओर से संपर्क संबंध बनाए रखा। 2005 में बिहार के लोजपा विधायकों को झारखंड में सुरक्षित स्थान पर रखने के लिए लाया गया था, तो प्रबंधकर्ताओं की टोली के साथ जमशेदपुर में ये भी दिखाई दे रहे थे। यहाँ भी इनकी दोहरी भूमिका थी। एक ओर ये विधायकों के प्रबंधन में भी सक्रिय थे और दूसरी ओर राजद के पुराने संपर्क सूत्रों को इस बारे में सूचना भी उपलब्ध कराते रहते थे। इनकी ऐसी ही दोहरी भूमिका उस समय भी दिखी, जब 2006 के सितंबर में अर्जुन मुंडा सरकार डावाँडोल होने लगी। एक ओर विक्षुब्धों के खेमे की गतिविधियों की सूचना देते रहने के लिए उनसे संपर्क बनाने की इजाजत इन्होंने अर्जुन मुंडा के सिपाहसलारों से ली तो दूसरी ओर विक्षुब्ध खेमे से मिलकर मधु कोड़ा की महत्त्वाकांक्षा को भी हवा देते रहे। इसी समय इनकी घनिष्ठता विनोद सिन्हा से बढ़ी। दोहरी भूमिका निभाने में अपनी महारत का उपयोग इन्होंने 'मधु कोड़ा लूट राज' के समय भी किया तो यह कतई आश्चर्यजनक नहीं है।

सीमा शुल्क अधिनियम में विदेश-यात्रा के लिए जितनी मूल्य की देशी-विदेशी मुद्राएँ साथ में ले जाने का प्रावधान है, उससे काफी अधिक मूल्य की मुद्राएँ लेकर भारत से दुबई जाते समय 17 सितंबर, 2008 को मुंबई हवाई अड्डे पर सीमा शुल्क के 'एयर विंग इंटेलीजेंस' अधिकारियों ने इन्हें पकड़ लिया। झारखंड के मुख्यमंत्री पद से कुछ ही दिन पहले हटे मधु कोड़ा सहित मुंबई-दिल्ली के यू.पी.ए. के प्रभावशाली राजनेताओं के साथ अपने प्रगाढ़ संबंधों को हवाला देकर इन्होंने सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रभावित करने की चेष्टा की तो यह घटना मीडिया की नजर में आ गई। तत्कालीन रेलमंत्री लालू प्रसाद ने इनके रिहाई के लिए पैरवी की, सीधा मुंबई सीमा शुल्क अधिकारियों से दूरभाष पर बात किया, केंद्र से भी दबाव बनवाया। ऐसा पहली बार होने और आगे इसे नहीं दुहराने की दुहाई देकर और 60 हजार रुपए का अर्थदंड चुकाकर इन्होंने अपनी रिहाई तो करा ली, परंतु सीमा शुल्क अधिकारियों ने इनसे बरामद की गई देशी-विदेशी मुद्राओं को बैग सहित जब्त कर लिया।

इस घटना के बाद संजय चौधरी का नाम कोड़ा लूट राज के एक प्रमुख किरदार के रूप में प्रचारित हो गया। इसी समय खुलासा हुआ कि संजय चौधरी ने संयुक्त अरब अमीरात (दुबई) की नागरिकता ले ली है। उस समय संजय चौधरी भागे तो फिर देश में नजर नहीं आए। 'मधु कोड़ा लूट राज' की जाँच में जुटे प्रवर्तन निदेशालय और सी.बी.आई. के अधिकारियों को उम्मीद थी कि एक न एक दिन संजय चौधरी पकड़ में जरूर आएँगे और तब कोड़ा लूट राज की काली कमाई की विदेशों में निवेश की अहम जनकारियाँ हाथ लगेंगी। इनकी यह उम्मीद '7 नवंबर, 2011 को पूरी हुई।' इस दिन 'इंटरपोल' ने सजय चौधरी को दुबई में दबोच लिया।

थाईलैंड के बैंकॉक में व्यवसाय स्थापित कर लेने वाले जमशेदपुर के अनिल सिंह के साथ पुराने संपर्क का उपयोग संजय चौधरी और विनोद सिन्हा ने लूट की अवैध कमाई को विदेशों में खपाने और इसके आधार पर बैंकाक सहित अन्य देशों में व्यवसाय खड़ा करने के लिए किया। 2005 में मंत्री रहते हुए, राज्य सरकार को सूचित किए बिना और केंद्र सरकार से अनुमति लिए बिना, मधु कोड़ा को थाईलैंड ले जाने और वहाँ पर इंडोनेशिया की कंपनी 'ए. रियांटो' के साथ मिलकर अवैध कमाई को विदेश व्यापार में लगाने और एक देश से दूसरे देश में स्थानांतरित करने की योजना बनाने में विनोद सिन्हा के साथ संजय चौधरी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है।

संजय चौधरी के मुंबई हवाई अड्डे पर पकड़े जाने और संदिग्ध चरित्र के व्यक्तियों के साथ मधु कोड़ा की गुप्त विदेश-यात्रा के मुद्दे पर झारखंड विधान सभा में काफी बबाल हुआ। इस मुद्दे पर सदन पहले विचार करे, इसके लिए मैंने विधान सभा में कार्य स्थगन प्रस्ताव दिया था। उस समय, कुछ ही दिन पहले, मधु कोड़ा को हटाकर शिबू सोरेन मुख्यमंत्री बने थे। मधु कोड़ा के अहं को संतुष्ट करने और सरकार संचालन में उनकी प्रमुख भूमिका का अहसास दिलाने के लिए श्री कोड़ा को झारखंड यू.पी.ए. की समन्वय समिति के अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी दी गई थी। विधान सभा में श्री कोड़ा ने संजय चौधरी के साथ जान-पहचान होने से इनकार कर दिया। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन इसकी जाँच कराने से मुकर गए। उन्होंने पलटवार करते हुए विधान सभा में इंदर सिंह नामधारी, अर्जुन मुंडा और मेरे ऊपर ही संजय चौधरी के साथ नजदीकी होने का आरोप लगा दिया।

इसके बाद अखबारों ने खुलासा किया तो सच सामने आ गया कि न केवल संजय चौधरी मधु कोड़ा की गुप्त-यात्रा में उनके साथ बैंकॉक गए थे, बल्कि संजय चौधरी और विनोद सिन्हा को बॉडीगार्ड देने का आदेश श्री कोड़ा ने छुट्टी के दिन देने के लिए तत्कालीन पुलिस महानिदेशक को बाध्य किया था और बॉडीगार्ड देने में बिलंब करने के लिए जमशेदपुर के तत्कालीन पुलिस अधीक्षक की खिंचाई भी की थी।

इसके तुरंत बाद मधु कोड़ा लूट राज में हुए घोटालों का पर्दाफाश होने लगा। झारखंड उच्च न्यायालय में हस्तक्षेप याचिका दायर होने और 20 अक्तूबर, 2008 को मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोड़ा घोटाला का अंतरराज्यीय आयाम उजागर हो जाने के बाद आयकर अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय सक्रिय हो गया। केंद्रीय जाँच एजेंसियों ने मधु कोड़ा लूट राज की जाँच शुरू किया और आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों ने 28 अक्तूबर, 2009 को डिमना रोड, मानगो, जमशेदपुर के इनके निवास स्थान सहित कोड़ा लूट राज के साथ प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े व्यक्तियों और कंपनियों के ठिकानों पर छापेमारी किया तो संजय चौधरी द्वारा मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा की साँठ-गाँठ से की गई अवैध कमाई और उनका देश-विदेश में हवाला के माध्यम से किए गए निवेश की पूरी तस्वीर सामने आ गई। पता चला कि संजय चौधरी विनोद सिन्हा, मनोज पुनमिया, अनिल वस्तावडे आदि के साथ दर्जनों कंपनियों में निदेशक एवं शेयरहोल्डर हैं और कोड़ा घोटाला की अवैध कमाई के एक बड़े हिस्से पर कब्जा जमाकर गिरफ्तारी से बचने के लिए देश से फरार हो गए हैं। दुबई इनका स्थायी ठिकाना बन गया है।

श्री चौधरी देश और विदेश की जिन कंपनियों में निदेशक अथवा हिस्सेदार हैं, उनमें निम्नांकित कंपनियाँ प्रमुख हैं—

1. बालाजी बुलियंस लि.,
2. बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि.
3. बालाजी बुलिंयस कॉमोडिटिज (इ) प्रा. लि.
4. कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि.
5. नटराज फाइनेंशियल एडवाईजरी लि.,
6. कैम्टेक वॉल्व लि.,
7. ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट कंपनी लि.,
8. जगुआर एनर्जी ऐंड पॉवर लि.,
9. श्री विन मेरिटाइम्स लि.,
10. रॉयल टाटा सेंटर एक्सपोर्ट इंर्पोट कंपनी लि.,
11. शिवांस स्टील लि.,
12. एन.के. ग्रुप कंपनी लि.,
13. इंड़िया डीजल ऐंड कार लि.
14. हिल व्यू इम्पेक्स प्रा. लि.

उपर्युक्त कंपनियों में मनोज पुनमिया, विनोद सिन्हा, अरविंद व्यास, अनिल वस्तावडे जैसे 'मधु कोड़ा लूट राज' के शातिर सरगना भी निदेशक और हिस्सेदार हैं।

मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री बनने के पहले तक जमशेदपुर में जन सामान्य के बीच संजय चौधरी की छवि गिट्टी, बालू, सप्लाई करने वाले एक साधारण ठेकेदार की थी, जिसका पूरा समय अपना प्रभाव बढ़ाने और धन कमाने के लिए जमशेदपुर से राँची और पटना तक का चक्कर काटते रहने, दबंग व्यक्तित्व के धनी लोगों से संबंध बनाने, सियासी हवा के रुख के हिसाब से रंग बदलते रहने और कतिपय प्रभावशाली नेताओं के आगे पीछे घूमते रहने में बीतता था।

जमशेदपुर के साधारण गिट्टी, बालू, सप्लायर से मुंबई में पानी का जहाज खरीदने की स्थिति में पहुँचनेवाले संजय चौधरी ने सुनियोजित तरीके से सत्ता के गलियारे में पैठ बनाकर अपना उल्लू सीधा किया और मान-मर्यादा एवं नियम-कानून की परवाह किए बगैर धन कमाने के लिए हर जायज-नाजायज तरीका अपनाया। झारखंड और बिहार में शासन यू.पी.ए. का रहा हो या एन.डी.ए. का, संजय चौधरी किसी-न-किसी का सहारा लेकर सत्ता के गलियारे के चकाचौंध में अपनी जगह बनाने में कामयाब रहा।

मनोज पुनमिया : हवाला का मास्टरमाइंड

मनोज पुनमिया अंतरराष्ट्रीय स्तर का एक प्रमुख हवाला कारोबारी है। इसे 'मधु कोड़ा लूट राज' के हवाला पक्ष का 'मास्टर माइंड' कहा जाता है। इस मामले में इसने हवाला कारोबार में अपनी दक्षता और प्रवीणता का अद्भुत उदाहरण प्रस्तुत किया है। पुनमिया झारखंड लौह अयस्क घोटाले के दौरान हासिल किए गए अवैध धन का इस्तेमाल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सशक्त औद्योगिक एवं व्यावसायिक साम्राज्य खड़ा करने की योजना पर काम कर रहा था। इस योजना में इसने विनोद सिन्हा और संजय चौधरी को शामिल कर लिया था।

विनोद सिन्हा के बाद मनोज पुनमिया झारखंड लौह अयस्क घोटाला का दूसरे नंबर का शक्तिशाली अभियुक्त है। मनोज पुनमिया 'काफेपोसा' कानून के तहत एक वर्ष जेल में रह चुका है। अवैध तरीके से एकत्र किए गए घोटाले के धन को अपने एजेंटों के माध्यम से देश के भीतर और बाहर निवेश करने में इसने सबसे बड़ी भूमिका निभाया है। यह व्यक्ति सोना, चाँदी (बुलियन) व्यापार से जुड़ा है। इसने अवैध धन को खपाने के लिए हवाला के जरिए 10.50 टन सोने की खरीद दिखाया है, जिसमें 6 टन का वाउचर नहीं है और बाकी 4.50 टन का भाउचर फर्जी है। इस फर्जीवाड़ा में इसने देश के एक प्रमुख राष्ट्रीयकृत बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की झावेरी बाजार, मुंबई शाखा का उपयोग किया है।

मनोज पुनमिया एवं विनोद सिन्हा के आधिपत्य वाली कंपनी बालाजी बुलियंस ने नोएडा ए.सी.जेड. में एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट की स्थापना की और इसकी आड़ में

वित्तीय वर्ष 2007-08 में 1260 करोड़ रुपए मूल्य की सोना-चाँदी की खरीद-बिक्री यूनियन बैंक के चालू खाते से की। इस संदेहास्पद वित्तीय लेन-देन के बारे में भारत सरकार के एफ.आई.यू. (फाइनेंशियल इंटेलीजेंस यूनिट) ने यूनियन बैंक के अध्यक्ष को नवंबर 2009 में तलब किया और जाँच का आदेश दिया। भ्रष्टाचार और अनियमितता के सभी स्रोतों से प्राप्त अवैध धन का हवाला के द्वारा निस्तार करने की जिम्मेदारी मनोज पुनमिया, उसके ममेरे भाई ललित कांतिलाल जैन और अनिल आदिनाथ वस्तावडे पर रहती थी। विनोद सिन्हा, मधु कोड़ा और इनके गिरोह द्वारा सभी प्रकार के अवैध स्रोतों से कमाया गया नाजायज काला धन मनोज पुनमिया, अरविंद व्यास, ललित कांतिलाल जैन, अनिल वस्तावडे आदि के माध्यम से हवाला के जरिए विदेशों में भेज दिया जाता था। अनिल वस्तावडे और अरविंद व्यास इस काले धन के निवेश की योजनाएँ तैयार कर उन्हें अमली जामा पहनाते थे। मधु कोड़ा लूट राज का भंडाफोड़ करने के संदर्भ में मेरे द्वारा समय-समय पर विधान सभा के भीतर और बाहर दिए गए वक्तव्यों में अवैध एवं काले धन के ऐसे निवेशों के बारे में विस्तार से उल्लेख है।

मनोज पुनमिया के साथ की गई अंतरंग बातचीत की एक सीडी किसी ने मुझे ई-मेल के जरिए भेजी, जिसे मैंने दिनांक 28 फरवरी, 2010 को जमशेदपुर में आयोजित एक संवाददाता सम्मेलन में सार्वजनिक किया। इस सीडी में पुनमिया स्वीकार करता है कि उसने समय-समय पर हवाला किया है। हवाला से झारखंड के बड़े नेताओं को धन दिया है। इसमें सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण पुनमिया का यह कथन है कि 'सभी जानते थे कि इसमें लोचा होगा यानी गड़बड़ी होगी।' इसलिए अधिक-से-अधिक धन विदेश ले जाया गया। कोड़ा घोटाला कांड के प्रमुख अभियुक्त में एक मनोज पुनमिया की आवाज में ऑडियो टेप के संक्षिप्त विवरण में उन व्यक्तियों के नाम शामिल हैं जिनका जिक्र मैंने 28 अक्तूबर, 2008 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में इस घोटाले को उजागर करते समय किया था। इनमें मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा, मनोज सिन्हा, ललित जैन, अनिल वस्तावडे, संजय चौधरी, अजय बाफना आदि का जिक्र कई स्थानों पर है। इसमें कई कंपनियों जैसे शिवरामा स्पांज, एम्मार, कैमटेक, ब्लू टेक्नो, क्लीन एनर्जी आदि का उल्लेख हवाला के माध्यम से हेरा-फेरी करने के बारे में है। साथ ही दुबई, थाईलैंड, लाइबेरिया आदि स्थानों का उल्लेख भी है।

इस सीडी में दो बार मनोज पुनमिया के मुँह से 'बाबा-गुरुजी' का नाम पैसों के लेन-देन के मामले में आया है। इस सिलसिले में इनके ड्राइवर धर्मेंद्र एवं अन्य का उल्लेख है, जो विनोद सिन्हा के निर्देश पर पुनमिया से पैसे ले जाने आया करते थे। जब संसद् में अमेरिका के साथ परमाणु करार पर बहस हो रही थी, उस समय और उसके बाद चुनाव के समय हुए लेन-देन की बात टेप में है। एक बार 10 करोड़ रुपए का

हवाला करने का जिक्र भी है। यह एक अभियुक्त का बयान है, जो लौह अयस्क घोटाले में पूरी तरह शामिल है। 45 मिनट के टेप में अंकित बातचीत के प्रासंगिक अंश का संक्षिप्त विवरण टेप में अंकित समय के अनुसार निम्नांकित है—

1 : 30	पुनमिया के मुँह से मधु कोड़ा के नाम का 'मधु कोड़ा उर्फ बॉस के रूप में उल्लेख।'
2 : 46	विनोद सिन्हा को बंबई में कार, निवास एवं अन्य आवश्यक सुविधाएँ उपलब्ध कराने का उल्लेख।
2 : 52	पी.आई.एल. दाखिल होने की सूचना विनोद सिन्हा से प्राप्त होने और उसे सावधान रहने की हिदायत दिए जाने का उल्लेख।
3 : 41	विनोद सिन्हा के भाई विकास द्वारा पुनमिया को समझाने का उल्लेख कि विनोद और संजय चौधरी को वह नटराज फाइनेंशियल लिमिटेड में निदेशक बनाए। इसके एवज में विन्नी के पास 2000 करोड़ रुपए मूल्य का लौह अयस्क खदान होने और इसका उपयोग करने की बात।
4 : 00	इस बीच किसी मनीष भाई का फोन आता है और पुनमिया उनसे आधे घंटे बाद बात करने के लिए कहता है।
5 : 15	मनोज पुनमिया कहता है कि न्यूक्लियर डील बहस के समय उसने 10 करोड़ रुपए का हवाला किया है। यह पैसा दिल्ली में विनोद सिन्हा के निर्देश पर धर्मेंद्र ड्राइवर के माध्यम से गुरुजी को दिया गया। इसके बाद करीब 5 मिनट तक रोहितास कृष्णन एवं अन्य बातों का जिक्र।
10 : 05	पुनः मधु कोड़ा के नाम का उल्लेख।
27 : 55	कैमटेक कंपनी का जिक्र और इसके बारे में कई बातें विस्तार से।
28 : 07	पुणे के अजय बाफना द्वारा विनोद सिन्हा से 3 करोड़ रुपए लेने का उल्लेख है, जिसे उसने लौटाया नहीं है।
28 : 42	पुनमिया कहता है कि वह अनधिकृत रूप से एप्रुवर (सरकार गवाह) बन जाएगा, क्योंकि उसे अपना व्यवसाय चलाना है।
29 : 06	पुनः 'बाबा' और 'गुरुजी' का नाम पुनमिया लेता है और स्वीकार करता है कि उसने उन्हें पैसा स्थानांतरित किया है।
31 : 40	पुनमिया कहता है कि मुंबई वाले ई.डी. के लोग उसके दोस्त हैं।
32 : 10	पुनमिया कहता है कि उज्ज्वल चौधरी तो पैसे से भी नहीं मानेगा।
32 : 43	पुनमिया कहता है कि मुंबई के आई.टी. वालों ने रिश्वत ली, मगर वे मदद करने की स्थिति में नहीं हैं।
33 : 12	वह स्वीकार करता है कि उसने मुंबई के 50 अधिकारियों को रिश्वत

दी है।

33 : 22 राँची उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे के बारे में पुनमिया स्वीकार करता है कि एडवोकेट कहता है कि केस मैनेज कर देगा, मगर शुरुआत में 10 लाख रुपए लेगा।

35 : 30 पुन: मधु कोड़ा के नाम का उल्लेख।

35 : 41 पुनमिया कहता है कि विनोद सिन्हा ने सभी प्रकार के इंवेस्टमेंट के बारे में मधु कोड़ा को नहीं बताया है। मधु कोड़ा को कुछ की ही जानकारी है, जो 50 करोड़ के आस-पास है। इसके कुछ सेकेंड बाद वह कहता है कि विनोद सिन्हा तो कभी-कभी मधु कोड़ा के फोन का उत्तर भी नहीं देता है।

38 : 01 पुन: मधु कोड़ा के नाम का उल्लेख। इसके बाद पुनमिया कहता है कि विनोद भाई ने तो 500 करोड़ कमाया, पर मुझे तो नहीं दिया।

44 : 00 पुनमिया द्वारा प्रति लाख रुपए हवाला की दर का उल्लेख, कोयला और सोने के व्यापार का जिक्र। पुनमिया की मार्मिक स्वीकारोक्ति कि **''मेरी 8 साल की बच्ची जब मुझसे पूछती है कि पिताजी हवाला क्या होता है और जब वह कहती है कि स्कूल में उसके दोस्त पूछते हैं कि टी.वी. पर हवाला करनेवाले के रूप में तुम्हारे पिताजी की तसवीर आती है, तो मैं शर्म से गड़ जाता हूँ।''**

मनोज पुनमिया 'बालाजी ग्रुप ऑफ कंपनीज' का सर्वेसर्वा है। इस समूह में चार दर्जन से अधिक कंपनियाँ हैं। इनमें से कुछ कंपनियों में वह सीधे निदेशक है और कुछ कंपनियों को वह अरविंद व्यास और अपने भाई कांति लाल जैन को निदेशक बनाकर नियंत्रित करता है। इनमें से अधिकांश कंपनियाँ 2006 से 2008 के बीच पंजीकृत हुई हैं, जो मधु कोड़ा लूट राज का समय था। इन कंपनियों को पंजीकृत कराने का उद्देश्य मधु कोड़ा लूट राज के समय नाजायज वसूली के अवैध धन को वैध बनाना और इसे हवाला के माध्यम से देश-दुनिया में स्थानांतरित करना है। मनोज पुनमिया से जुडी कतिपय प्रमुख कंपनियाँ निम्नवत हैं—

1. ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट लि.
2. बालाजी लाइफ स्टाइ रियलटर्स प्रा. लि.
3. बालाजी युनिवर्स ट्रेडलिंक प्रा. लि.
4. वर्ल्डवाइड ऑनलाइन सर्विसेज प्रा. लि.
5. बालाजी बुलियंस कॉमोडिटिज (इ) प्रा. लि.
6. केजरीवाल एक्सपोर्ट प्रा. लि.

7. जगुआर एनर्जी ऐंड पॉवर लि.
8. जगुआर जेम्स ऐंड ज्वेलरी लि.
9. थ्रीविन मेरिटाईम (इ.) प्रा. लि.
10. नटराज फाइनेंशियल सर्विसेज लि.
11. आरबिट डायमंड्स प्रा. लि.
12. ओम मूवीज प्रोडक्शन प्रा. लि.
13. लाभ कमोडिटीज प्रा. लि.
14. हिलव्यू इंपैक्स प्रा. लि.
15. बालाजी रिफाइनरीज लि.
16. बालाजी प्रोप बिल्डर्स प्रा. लि.
17. अमा 'गेव' इंपैक्स प्रा. लि.
18. केमैन एडवाइजरी सर्विसेज प्रा. लि.
19. शैलभद्रा एक्सपोर्ट प्रा. लि.
20. एक्सेस डायमंड्स प्रा. लि.
21. बालाजी बिल्डमार्ट प्रा. लि.
22. नमोकार एक्सपोर्ट प्रा. लि.
23. हाईहिल अर्थ इंफ्राकॉन ऐंड फार्म प्रा. लि.
24. डिलाइट एक्सपोर्ट प्रा. लि.
25. राधा गोपाल फाइनेंशियल सर्विसेज प्रा. लि.
26. आकृति डायमंड्स प्रा. लि.
27. आदर्श डायमंड्स प्रा. लि.
28. त्रिनेत्र इंफ्राकॉन प्रा. लि.
29. ए.बी.आई. डायमंड्स प्रा. लि.
30. सैटर्न आयरन ओर ऐंड माइनिंग लि.
31. सत्यम आर्टस ऐंड मीडिया प्रा. लि.
32. इंडेप्थ इम्पेक्स प्रा. लि.
33. बोनाफाइड एक्सपोर्ट प्रा. लि.
34. परिधि ओवरसीज प्रा. लि.
35. कुबेर डायमंड्स प्रा. लि.
36. कैमटेक मैन्यूफैक्चरिंग प्रा. लि.
37. यूरेका फैशन प्रा. लि.
38. त्रिकेश ट्रेडलिंक प्रा. लि.

39. अमितोसा लिजिंग ऐंड फाइनेंस प्रा. लि.

रोहितास कृष्णन : घोटालेबाजों का सहयोगी

मधु कोड़ा ऐंड कंपनी में रोहितास कृष्णन की पहचान विनोद सिन्हा के इशारे पर काम करनेवाले सहयोगी की है। राजनीतिज्ञों और उनके निजी सहायकों, केंद्र एवं सरकार के अधिकारियों, बैंकों के अधिकारियों को पैसा पहुँचाने एवं दिल्ली को केंद्र बनाकर हवाला कारोबारियों के साथ लेन-देन का हिसाब रखने का काम रोहितास कृष्णन करता रहा है। रोहितास कृष्णन पर प्रवर्तन निदेशालय का वारंट है, वह अभी फरार है। रोहितास झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड घोटाला का भी प्रमुख अभियुक्त है।

3 मार्च, 2010 को जमशेदपुर के पत्रकारों के बीच मैंने एक वी.सी.डी. प्रदर्शित किया था। इस वी.सी.डी. में पैसों का लेन-देन स्पष्ट रूप से दिखाई पड़ रहा था। हजार रुपए के नोट के बंडलों का लेन-देन एक कार में हो रहा था। यह कार दिल्ली के नेहरू प्लेस में एक स्थान पर खड़ी थी। यह वाकया 2008 का है। पैसा लेनेवाले युवक थे, झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के तत्कालीन अध्यक्ष वी.एन. वर्मा के सुपुत्र गौरव वर्मा और पैसा देने वाले शख्स थे रोहितास कृष्णन। ये मार्च 2008 में पंजीकृत एक कंपनी 'क्वांटम पॉवर टेक' के निदेशक हैं। इस कंपनी के अंशधारियों में मनोज पुनमिया भी है, जिसकी बातचीत की एक सी.डी. इसके कुछ दिन पूर्व मैंने जमशेदपुर में ही जारी किया था। इस वी.सी.डी. में ड्राइवर धर्मेंद्र भी दिख रहा है, जिसका जिक्र मनोज पुनमिया की सी.डी. में है।

रोहितास कृष्णन के पिता झारखंड सरकार में आर.ई.ओ. के अवकाश प्राप्त अभियंता हैं। ये लंबे समय तक चाईबासा में पदस्थापित रहे हैं। इस नाते इनका संबंध विनोद सिन्हा और मधु कोड़ा के साथ विगत 20 वर्षों से है। इनकी कंपनी 'क्वांटम पॉवर टेक' ने एक वर्ष के भीतर ही 200 करोड़ रुपए से अधिक का ठेका प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष तरीके से प्राप्त किया तथा 250 करोड़ से अधिक का लेन-देन विभिन्न कंपनियों के साथ किया। ये सभी लेन-देन विनोद सिन्हा के इशारे पर हुए, जैसाकि रोहितास कृष्णन ने प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों के समक्ष स्वीकार किया। यह विनोद सिन्हा और मनोज पुनमिया की ओर से भारत और इंडोनेशिया की कई परियोजनाओं में अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता भी हैं।

'क्वांटम पॉवर टेक' ने जिन कंपनियों से धन लिया है अथवा जिन्हें धन दिया है वे सभी विनोद सिन्हा, मनोज पुनमिया, हेमंत सरवटे, अनिल वस्तावडे, ललित जैन, संजय चौधरी से संबंधित हैं और सभी लेन-देन विनोद सिन्हा के निर्देश पर हुए हैं। इस कंपनी ने 2008-09 में झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के प्राय: सभी बड़े ठेकों को मैनेज किया है और सभी काम सब-लेट, हिस्सेदारी अथवा कमीशन के आधार पर किया है। इसके साथ ही पथ-निर्माण विभाग में भी सब-लेट के आधार पर इसने ठेकेदारी किया। इसने अपने वेबसाइट में प्रदर्शित किया है कि पश्चिमी सिंहभूम में करीब 100 करोड़ रुपए के विद्युत् संचरण लाइन लगाने और पॉवर सब-स्टेशन बनाने का काम इसकी कंपनी ने लिया है। इसके साथ ही श्रीनेत सांडिल्या कंस्ट्रक्शन प्रा.लि. को निविदा के आधार पर मिले हाटगम्हरिया से बेनीसागर (28 करोड़ रुपए) और टाटानगर से मझगाँव (35 करोड़ रुपए) सड़क-निर्माण ठेके का काम 'क्वांटम पॉवर टेक' ही कर रहा है। इसके लिए 'अकाई सेक्यूरिटीज' नामक कंपनी ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, अपर बाजार, राँची शाखा में 62 लाख रुपए की बैंक गारंटी दिया है।

सन् 2006-07 के दौरान विनोद सिन्हा के आदेश पर रोहितास कृष्णन और बी.के. सिंह ने दिल्ली स्थित 'बैस मैनेजमेंट सोल्यूसंस प्राइवेट लिमिटेड' का अधिग्रहण किया और इस कंपनी के माध्यम से नोएडा के सेक्टर-62 में एक चार मंजिली इमारत खरीदा, जिसके लिए पैसा मनोज पुनमिया के मुंबई स्थित कंपनी द्वारा उपलब्ध कराया गया। रोहितास कृष्णन एवं बी.के. सिंह ने मार्च 2008 में क्वांटम पॉवर टेक प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी की स्थापना की। बाद में इस कंपनी का नाम बदलकर 'क्वांटम पॉवर टेक इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड' कर दिया। इस कंपनी ने झारखंड सरकार के पथ निर्माण विभाग द्वारा आवंटित मझगाँव, बेलंदिया सड़क निर्माण कार्य को श्रीनेत एवं सांडिल्या और ब्रजमोहन अग्रवाल ज्वाइंट वेंचर नामक कंपनी से जबरदस्ती ले लिया, जिसे यह काम निविदा के माध्यम से मिला था।

बिजली विभाग द्वारा ए.पी.डी.आर.पी. योजना के तहत आवंटित लगभग 100 करोड़ रुपए का कार्य भी अपरोक्ष रूप से क्वांटम पॉवर टेक प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है। मैसर्स क्वांटम पॉवर टेक ने आर. टी.जी.एस. के माध्यम से मनोज पुनमिया के आधिपत्य वाली कंपनी बालाजी यूनिवर्सल ट्रेडलिंक प्राइवेट लिमिटेड से करोड़ों रुपए का लेन-देन किया है। इसके अलावा आर.एस.वी.इंफ्रास्ट्रक्चर, केजरीवाल फिनवेस्ट प्राइवेट लिमिटेड एवं वारेन डेल्कॉन प्राइवेट लिमिटेड जैसी कंपनियों का उपयोग काले धन को सिंगल एंट्री एवं शेयर एप्लीकेशन के माध्यम से क्वांटम पॉवर टेक द्वारा बतौर पक्के के रूप में दिखाया गया।

राँची निवासी राकेश प्रसाद विनोद सिन्हा के अत्यंत करीबी व्यक्तियों में से एक हैं। उनके आधिपत्य वाली अकाई सेक्यूरिटीज प्राइवेट लिमिटेड और क्वांटम पॉवर टेक के बीच में करोड़ों रुपए का लेन-देन होता रहा है। इसकी सूचना जाँच एजेंसियों के पास भी है। क्वांटम पॉवर टेक के निदेशक रोहितास कृष्णन और बी.के. सिंह ने कोलकाता स्थित बासुदेव टाई-अप, स्वास्तिक सेक्यूरिटीज एवं रमनीक डेल्कॉन नामक कंपनियों

का उपयोग घोटाले से हासिल काले धन को सिंगल एंट्री के माध्यम से अपनी कंपनी के एकाउंट तक पहुँचाने के लिए किया। दक्षिणेश्वरी लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड नामक एक अन्य कंपनी में 45 प्रतिशत की हिस्सेदारी लेने के लिए रोहितास कृष्णन ने लगभग 5 करोड़ रुपए का निवेश किया।

क्वांटम पॉवर टेक प्रा. लि. कंपनी 28 मार्च, 2008 को पंजीकृत हुई है। इसके पहले इसके दोनों निदेशक—रोहितास कृष्णन और ब्रजेश कुमार सिंह-बी.ए.एस. इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन प्रा. लि. के निदेशक थे। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के वेबसाइट से उपलब्ध 'कंपनी मास्टर डिटेल्स' के अनुसार इस कंपनी की अधिकृत पूँजी 50 लाख रुपए और पेड अप पूँजी शून्य है। शून्य पेडअप कैपिटल वाली इस कंपनी ने मार्च 2008 के बीच करोड़ों रुपए का लेन-देन किया।

जिन कंपनियों को 2008-09 में क्वांटम पॉवर टेक ने धन दिया, उनमें रेन डीलकॉम प्रा. लि. (20 लाख रुपए), अकाई सेक्यूरिटीज प्रा. लि. (1.30 करोड़ रुपए), बासुदेव टाइ अप (60 लाख रुपए), स्वास्तिक सिक्यूरिटिज (30 लाख रुपए), रमनिक डीलकॉम (18 लाख रुपए), दक्षिणेश्वरी लॉजिस्टिक (2.40 करोड़ रुपए), बीएएस इंफ्रास्ट्रक्चर सोल्यूशन (6.88 करोड़ रुपए), श्रीनेत सांडिल्या कंस्ट्रक्शन (30 करोड़ रुपए), कैनडुअर डीलकॉम (40 लाख रुपए), केमेन एडवायजरी सर्विसेज (90 लाख रुपए), सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया (3.85 करोड़ रुपए), बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स (2.50 करोड़ रुपए)।

इसके अतिरिक्त वर्ल्ड वाइड ऑनलाइन (मुंबई) ने क्वांटम पॉवर टेक की ओर से 2.5 करोड़ रुपए सत्यम् आर्ट एवं मीडिया को दिया। एक्सेस डायमंड (मुंबई) ने क्वांटम पॉवर टेक की ओर से सत्यम आर्ट एवं मीडिया के खाता में 1.25 करोड रुपए डाला। पेरिलान कॉमर्स (3 लाख रुपए), जी.वी.के. होल्डिंग (9 लाख रुपए), ए.कॉमर्शियल (6.10 लाख रुपए), साँची ट्रेडर्स (7.20 लाख रुपए), रिप्पल्स टोटल फिटनेस (29 लाख रुपए) और अत्रेय ट्रेडलिंक (25 लाख रुपए), नोएडा सेक्टर—63 में भवन-निर्माण हेतु 4 करोड़ रुपए और ए.टी.एस.एल. ग्रीन प्रोजेक्ट नोयडा में निवेश (15 करोड़ रुपए), सत्यम आर्ट ऐंड मीडिया (5 करोड़ रुपए) प्रमुख कंपनियों हैं, जिन्हें क्वांटम पॉवर टेक की ओर से कोष्ठक में अंकित राशि मिली है। इसके अतिरिक्त कई ऐसी कंपनियाँ भी हैं जिनसे क्वांटम पॉवर टेक ने इस अवधि में धन प्राप्त किया है। मणीकरण पॉवर लि. (पॉवर ट्रेडिंग कमीशन के रूप में) और बालाजी ग्रुप की कंपनियों सहित अन्य कई कंपनियों से विभिन्न अवैध मदों में वसूला गया धन इस कंपनी के खाते में आते रहा है।

रोहितास कृष्णन और बी.के. सिंह क्वांटम पॉवर टेक के निदेशक हैं, परंतु वास्तव में यह कंपनी परोक्ष रूप से विनोद सिन्हा द्वारा संचालित होती रही है। इसका मुख्य कार्य बिजली एवं पथ-निर्माण विभाग के टेंडर हथियाना, विनोद सिन्हा द्वारा हासिल काले धन का अनेक कंपनियों के माध्यम से निवेश करना एवं विनोद सिन्हा एवं मधु कोड़ा का निजी खर्च वहन करना रहा है। 2009 के लोकसभा चुनाव में भी इस कंपनी के माध्यम से मधु कोड़ा के चुनाव क्षेत्र में प्रचार एवं प्रबंधन कार्य के लिए भारी मात्रा में धन उपलब्ध कराया गया, जिसका जिक्र आयकर विभाग के छापों में जब्त रोहितास कृष्णन की निजी डायरी में है।

मनोहर लाल पाल

20 अक्तूबर, 2008 को मधु कोड़ा लूट राज का अंतरराष्ट्रीय आयाम उजागर करते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने लिखित वक्तव्य जारी किया था कि समृद्धि स्पांज 'सरायकेला-खरसाँवा, जिसे किसी गर्ग साहब से एक वर्ष के भीतर खरीदा गया है, में किया गया निवेश शक के दायर में है। इसमें श्री तरूण पाल और दो अन्य, जो पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के करीबी हैं, निदेशक के रूप में है। इसमें हुए निवेश के स्रोत की जाँच आवश्यक है'।

28 अक्तूबर, 2009 को आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों ने मनोहर लाल पाल के ठिकानों पर छापेमारी किया, तो मेरा यह आरोप प्रमाणित हो गया। मधु कोड़ा लूट राज से प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े कतिपय अन्य अभियुक्तों के यहाँ हुई छापेमारी में भी ऐसे प्रमाण मिले कि मनोहर लाल पाल का संबंध लूट राज के प्रमुख अभियुक्तों से है। इतना ही नहीं, समृद्धि स्पांज लि. की आधा हिस्सेदारी खरीदने के लिए जो धन श्री पाल ने लगाया था, वह भी घोटालेबाजों की कंपनियों से होकर आया था। इन्होंने 2007 से 2009 के बीच समृद्धि स्पांज लि. का 50 प्रतिशत शेयर खरीदने के लिए 12 करोड़ रुपए का निवेश किया है। श्री पाल 'पशुपति व्यापार प्रा. लि.' के भी मालिक हैं। इस कंपनी से समृद्धि स्पांज के खाते में 1.80 करोड़ रुपए डाला गया है।

उनके पुत्र मृणाल कांतिपाल ने जाँच एजेंसियों के सामने स्वीकार किया कि कोलकाता की शिवम् डेवकॉन प्रा. लि., मैं पार्वती डेवकॉन प्रा. लि, मै. माइलस्टोन विनियोग प्रा. लि., मै. मैजेस्टिक विनिमय प्रा. लि. से भी उन्होने अपने खाता में करीब 40 करोड़ रुपए लिया है। उसके अलावा विजय जोशी की कंपनी क्रियेटिव फिस्कल्स तथा महाबली व्यापार प्रा. लि, साहुवान मोटर फाइनेंस प्रा. लि. और रोजबेरी मरकेनटाइल प्रा. लि. आदि कंपनियों को करीब 10.26 करोड़ रुपए का भुगतान शेयर खरीदने के नाम पर श्री पाल के खाते में हुआ है। मनोज पुनमिया की कंपनी बालाजी युनिवर्सल ट्रेड लिंक प्रा. लि. के बैंक खाते का विश्लेषण करने पर पता चला कि 5 करोड़ रुपए का भुगतान इन्हें इस कंपनी से प्राप्त हुआ। समृद्धि स्पांज को खरीदने के लिए विनोद सिन्हा ने भी लक्की

प्रोजेक्ट के माध्यम से 21 करोड़ रुपए दिलवाया। विनोद सिन्हा की कंपनी एम्मार एलवायज ने 4 करोड़ रुपए इन्हें दिया। घोटाले की एक अन्य प्रमुख कंपनी क्वांटम पॉवर टेक लि. ने भी अपने खाता से 1.15 करोड़ रुपए इन्हें दिया। इसके अतिरिक्त श्री पाल एवं इनसे जुड़े लोगों ने राँची की सुरभि ट्रैवल और शांति ट्रैवल एजेंसियों से 38 लाख 68 हजार रुपए का टिकट लेकर हवाई जहाज से यात्रा की, जिसका भुगतान क्वांटम पॉवर टेक प्रा. लि. ने किया।

मनोहर लाल पाल पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन के अत्यंत करीबी लोगों में से एक हैं। श्री सोरेन सितंबर 2009 में मधु कोड़ा को हटाकर झारखंड के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने मनोहर लाल पाल को अपना निजी सचिव नियुक्त किया। श्री पाल को माध्यम बनाकर 'मधु कोड़ा लूट राज' के घोटालेबाजों ने शिबू सोरेन की सरकार पर अपनी पकड़ बनाए रखा। श्री पाल ने आई.आई.टी. खड़गपुर से इंजीनियरिंग की फर्जी डिग्री दिखाकर कई साल तक भारत सरकार के लोक उपक्रम कोल इंडिया लि. से संबद्ध संस्थान सी.एम.पी.डी.आई. में इंजीनियर के रूप में नौकरी किया। इंजीनियरिंग की उनकी डिग्री जाली प्रमाणित हो जाने के बाद सी.एम.पी. डी.आई. ने यह मामला काररवाई के लिए सी.बी.आई. को सौंप दिया तो श्री पाल फरार हो गए। मुख्यमंत्री शिबू सोरेन ने जब मनोहर लाल पाल को अपना निजी सचिव नियुक्त किया, तब मैंने इनकी फर्जी डिग्री और इनके विरुद्ध सी.बी.आई. जाँच के मामले का रहस्योद्घाटन किया, परंतु श्री पाल उनके निजी सचिव बने रहे।

सी.एम.पी.डी.आई. से निकाले जाने के बाद मनोहर लाल पाल ने इलाहाबाद के पास 'नैनी' में 'स्वर्णरेखा कोल कॉम्पलेक्स कंपनी प्रा. लि.' के नाम से धुँआ रहित ईंधन और सॉफ्ट कोक बनाने की एक फैक्ट्री स्थापित कर ली। कोल इंडिया में अपनी पहुँच की बदौलत इन्होंने इस फैक्ट्री के नाम पर भारत कोकिंग कोल लि. 'बी.सी.सी.एल.', धनबाद से कोल लिंकेज स्वीकृत करा लिया। इनकी इस फैक्ट्री में धुआँरहित सॉफ्ट कोक का कोई उत्पादन नहीं हुआ, परंतु इन्होंने सॉफ्ट कोक बनाने के लिए 2008 में 5 करोड़ रुपए और 2009 में 4 करोड़ रुपए मूल्य के कोयले की खरीद दिखाकर उसे खुले बाजार में बेच दिया।

इनके बैंक एकाउंट की जाँच से पता चला कि इन्होंने धनबाद, राँची, मुगलसराय, इलाहाबाद, रोहतास के विभिन्न बैंकों के माध्यम से 9 मार्च, 2007 से 6 मार्च, 2009 के बीच 1 करोड़ 60 लाख 22 हजार रुपए का काला धन सफेद कराया। नैनी स्थित अपनी फैक्ट्री में कोयला ले जाने के लिए कोल लिंकेज दर पर इन्होंने कोयला प्राप्त किया और उसे ई-ऑक्शन की दर पर बाजार में बेच दिया। उस समय कोल लिंकेज की दर और बाजार में कोयला के भाव के बीच अंतर की गणना करने के बाद जाँच एजेंसियों के सामने स्पष्ट हो गया कि इन्होंने कोल लिंकेज का दुरुपयोग कर 16 करोड़ रुपए से

अधिक की अवैध कमाई की। कोड़ा घोटाला के सिलसिले में आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी के दौरान श्री पाल और उनके पुत्रों के पास 65 करोड़ रुपए का कालाधन होने के प्रमाण मिले, जिसे उन्होंने स्वीकार किया।

सौभिक चट्टोपाध्याय उर्फ बाला

सौभिक चट्टोपाध्याय राधागोविंद नगर रोड, पो. हिंद मोटर्स, जिला-हुगली, पश्चिम बंगाल का रहने वाला है। इसके खिलाफ जमशेदपुर के मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के न्यायालय में धोखाधड़ी, जालसाजी और अमानत में खयानत का मुकदमा (वाद संख्या 1794/2006) चल रहा है। यह मुकदमा दायर किया है बिहार एयर प्रोडक्ट्स लि. नामक कंपनी ने, जिसका यह मुलाजिम था और खाताबही, हिसाब-किताब देखता था। इसने 6 अगस्त, 2005 से 17 अगस्त, 2005 के बीच 9 लाख रुपए से अधिक का गबन कंपनी के एकाउंट से किया। कंपनी के ग्राहकों द्वारा दिया जानेवाला पैसा इसने माधुरी जया इंटरप्राइजेज के एकाउंट में जमा कराया, जिसकी निदेशक इसकी पत्नी स्वाति चट्टोपाध्याय है। जालसाजी का यह धंधा वह अगस्त 2006 तक करता रहा। जलासाजी का पता चलने पर कंपनी ने इसे निकाल दिया और 23 नवंबर, 2006 को इसके खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी जमशेदपुर की अदालत में मुकदमा कर दिया।

इस कंपनी से निकाले जाने के बाद सौभिक चट्टोपाध्याय उर्फ बाला ने चौका स्थित संजय पलसानिया की कंपनी शिवरामा स्पांज में एकाउंटेंट की नौकरी कर ली। मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए और विनोद सिन्हा ने जमशेदपुर के संजय पलसानिया पर दबाव डालकर शिवरामा स्पांज खरीद लिया तो शिवरामा स्पांज के साथ ही सौभिक चट्टोपाध्याय भी विनोद सिन्हा ऐंड कंपनी के हाथों में बिक गया। अपने शातिर दिमाग का उपयोग कर यह विकास सिन्हा के काफी करीब आ गया और घोटालेबाजों के समूह का अभिन्न अंग बन गया। कोड़ा लूट राज के अवैध कालाधन को कोलकाता ले जाने और नगदी के बदले वहाँ की कागजी कंपनियों से चेक लेकर इसे सफेद करने के काम में यह कुरियर की भूमिका निभाने लगाा।

सौभिक चट्टोपाध्याय लौह अयस्क घोटालेबाजों का एक शातिर दिमाग मुहरा है और जालसाजी का आरोपी है। अक्तूबर 2009 मे प्रवर्तन निदेशालय द्वारा पी.एम.एल. ऐक्ट—2002 में मुकदमा दायर किए जाने और घोटालेबाजों के ठिकानों पर आयकर विभाग और ई.डी. की देशव्यापी छापेमारी होने के बाद जब विनोद सिन्हा का भाई विकास सिन्हा और पूर्ववर्ती मुख्यमंत्री मधु कोड़ा गिरफ्तार कर लिए गए, विनोद सिन्हा फरार हो गया तो सौभिक भट्टाचार्य घोटालेबाजों के मुख्य एजेंट के रूप में सामने आया। इसने घोटाला का मामला उठानेवालों को मुकदमा में फँसाने और इनका मुकदमा लड़नेवाले वकीलों को प्रलोभन देने के लिए षड्यंत्र रचना शुरू किया।

सौभिक ने दुर्गा उराँव की ओर से मधु कोड़ा कुनबा के खिलाफ मुकदमा लड़नेवाली झारखंड उच्च न्यायालय की वरीय अधिवक्ता रितु कुमार को ब्लैकमेल करने के लिए उनके साथ बातचीत की सी.डी. तैयार करा ली और न्यायालय में घोटालेबाजों की मदद पहुँचाने और मुझे फँसाने के लिए उन पर दबाव बनाने लगा। इसने 'प्रभात खबर' के निदेशक समीर लोहिया और विनोद सिन्हा एंड कंपनी के आँखों की किरकिरी राकेश पांडे को भी मुकदमा में फँसाने की साजिश रची। सी.बी.आई. और ई.डी. ने इसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है, यह एक फरार मुजरिम है।

टोनी दिलदार सिंह

विनोद सिन्हा और संजय चौधरी का एक सहयोगी है—टोनी दिलदार सिंह। इसने वर्ष 2007 में तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के साथ उनके राँची स्थित आवास पर मुलाकात की। इसके बाद मुख्यमंत्री के निजी सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव ने झारखंड सरकार की ओर से इसके साथ मार्च 2007 में पत्राचार किया और झारखंड सरकार की ओर से टोनी दिलदार सिंह को झारखंड का डेवलपमेंट कंसलटेंट बनने के लिए अधिकारिक रूप से आमंत्रित किया।

टोनी दिलदार सिंह ने ब्रुशमैन और ग्लोबल अब्सोल्यूट रिसर्च (जी.ए.आर.) के बीच हुए संदेहास्पद वित्तीय आदान-प्रदान में मुख्य भूमिका निभाई। 15 मार्च, 2007 को जी.ए.आर. के बैंक खाते में लंदन की मिसेज जेनिफर के खाते से 50,000 ब्रिटिश पाउंड यानी करीब 30 लाख रुपए ट्रांसफर हुआ। 18 अक्तूबर, 2007 को जी.ए.आर. को न्यूयॉर्क के सरहान फाउंडेशन के एकाउंट से 2,75,000 अमेरिकी डॉलर का ट्रांसफर हुआ। 11 मार्च, 2008 को पुन: सरहान फाउंडेशन से जी.ए.आर. के दिल्ली एकाउंट में 1,00,000 अमेरिकी डॉलर आया। 4 अप्रैल, 2008 को जी.ए.आर. के दिल्ली एकाउंट में 1,99,972.50 अमेरिकी डॉलर न्यूयॉर्क के विशेष इंफोटेक्निक की ओर से जमा हुआ। 14 जून, 2008 को लंदन की हाइथ सेक्युरिटीज लिमिटेड ने जी.ए.आर. को 14,114.02 ब्रिटिश पाउंड दिया। पुन: हाइथ सेक्युरिटीज लिमिटेड ने 1 अगस्त, 2008 को 11,710,507 अमेरिकी डॉलर ब्रुशमैन इंडिया लिमिटेड के खाता में स्थानांतरित किया, जिसे सिंगापुर, हांगकांग और दुबई भेजा गया। जी.ए.आर. का इन कंपनियों के साथ लेन-देन और जी.ए.आर. का मधु कोड़ा सरकार के साथ संबंध घोटाले के काले धन को देश-विदेश ले आने-ले जाने का एक पुख्ता प्रमाण है।

अनिल वस्तावडे

मधु कोड़ा लूट राज में हासिल किए गए काले धन के संरक्षण एवं निवेश के लिए अरविंद व्यास, अनिल वस्तावडे, विजय जोशी, संजय चौधरी, मुकुल परमार, हेमंत सरावस्ते, विरेन आहूजा, राकेश प्रसाद एवं विकास सिन्हा जैसे लोगों के एक सुव्यवस्थित

दल का गठन कर रखा था। अरविंद व्यास की हैसियत मनोज पुनमिया का व्यापार देखने वाले एक कारिंदा की है, जो इसकी कतिपय कंपनियों में निदेशक भी है। ललित कांतिलाल जैन मनोज पुनमिया का ममेरा भाई हैं।

एक अन्य नाम अनिल आदिनाथ वस्तावडे का है, जो पूणे (महाराष्ट्र) का निवासी है और 'अल शमल एल.एल.सी.' नामक दुबई की कंपनी का मालिक है। संजय चौधरी की तरह इसने भी भारत छोड़ दिया है और थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक को अपना अड्डा बना लिया है। अनिल वस्तावडे की मजबूरी है कि फिलहाल वह दुबई नहीं जा सकता, क्योंकि दुबई में इस पर वारंट है। यह वारंट बैंक का बकाया चुकाने में हीला-हवाला करने के बारे में है।

लौह अयस्क खनन के पट्टे, ऊर्जा विभाग, पथ निर्माण विभाग आदि के ठेके एवं गैरकानूनी खनन के माध्यम से अर्जित काले धन को दक्षिण-पूर्व एशियाई देशों जैसे—जकार्ता, थाईलैंड, इंडोनेशिया एवं बैंकाक से लेकर खाड़ी के देशों दुबई, सऊदी अरब एवं अफ्रीका के सुदूरवर्ती इलाकों लाइबेरिया, सियरा लियोन, घाना, जैसे देशों में विभिन्न कार्यों के लिए निवेश करने में इसने विनोद सिन्हा एवं सहयोगियों की सहायता की है। इसने जगुआर एनर्जी ऐंड पॉवर लिमिटेड नामक एक कंपनी के माध्यम से इंडोनेशिया में 7 कोयला खदानों का अधिग्रहण कराया, जिसके लिए पैसा मनोज पुनमिया की आधिपत्य वाली कंपनी बालाजी बुलियंस के माध्यम से उपलब्ध कराया गया।

नटराज फाइनेंशियल लिमिटेड मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की एक लिस्टेड कंपनी है। इस कंपनी में विनोद सिन्हा, संजय चौधरी एवं मनोज पुनमिया ने एक साथ निदेशक सह शेयरधारक के तौर पर प्रति व्यक्ति 90 हजार शेयर की खरीद के लिए आवेदन किया। सन् 2009 के अंत में आयकर विभाग के छापों के बाद विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने नटराज फाइनेंशियल लिमिटेड के निदेशक-सह शेयरधारक के लिए जमा किया गया आवेदन वापस ले लिया।

अरविंद व्यास ने पुनमिया के निर्देशन में विनोद सिन्हा एवं उनके सहयोगियों द्वारा हासिल काले धन को हवाला के माध्यम से दुबई स्थित अपने आधिपत्यवाली कई कंपनियों जैसे-सूर्यम् जेम्स ऐंड ज्वेलरी एल.एल.सी., अलशमल गोल्ड एल.एल.सी. एवं ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट एफ.जेड.सी.ओ. आदि के अधिग्रहण के लिए इस्तेमाल किया। अनिल आदिनाथ वस्तावडे ने दुबई में अपने माध्यम से कई रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स और शिपिंग कंपनियों में इस काले धन का निवेश किया।

शिपिंग कंपनी का अधिग्रहण

घोटाले के काले धन से समुद्री यातायात व्यापार में धाक जमाने की घोटालेबाजों की महत्त्वाकांक्षा का पर्दाफाश तब हुआ, जब आयकर अधिकारियों ने 31 अक्तूबर, 2009

को मनोज पुनमिया की कंपनी बालाजी लाइफस्टाइल रियलटर्स के कार्यालय पर छापेमारी के दौरान लेन-देन के एक समझौते वाला कागजात बरामद किया। यह समझौता विक्रम वैद, नाथ रामनुजम् और रंजना रामानुजम् तथा मनोज पुनमिया और समीर बसंत विसे के थ्रीविन मेरिटाइम्स प्रा.लि. नामक शिपिंग कंपनी की सौदेबाजी के बारे में था। यह समझौता 22 नवंबर, 2007 को हुआ था। इसमें अनिल वस्तावडे की अग्रणी भूमिका थी।

समझौते के अनुसार मनोज पुनमिया ने 7.25 करोड़ रुपए में थ्रीविन मेरिटाइम्स का अधिग्रहण कर लिया। समीर बसंत विसे को उस कंपनी में निदेशक और अनिल आदिनाथ वस्तावडे को सहायक निदेशक बनाया। समीर बसंत विसे की हिस्सेदारी कंपनी में 50 प्रतिशत की थी। इस शिपिंग कंपनी के 10 रुपए मूल्यवाले 15 हजार शेयरों को प्रति शेयर 24.70 रुपए की दर से खरीदा और इसके लिए 3.75 करोड़ रुपए का भुगतान किया। इसके साथ ही पूर्व के शेयरधारकों के समय कंपनी पर चढ़े 4.89 करोड़ का रुपए का भुगतान भी किया। ये भुगतान 5 नवंबर, 2007 से 22 नवंबर, 2007 के बीच किए गए।

थ्रीविन मेरिटाइम्स प्रा.लि. का पंजीकरण कंपनी अधिनियम के अंतर्गत मुंबई में हुआ है। रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी कार्यालय से उपलब्ध सूचना के अनुसार इस कंपनी की अधिकृत पूँजी 5 लाख रुपए और पेडअप पूँजी 1.5 लाख रुपए है। इस कंपनी के पास पानी वाले दो जहाज हैं। यह कंपनी खरीदने के लिए पैसों को भुगतान मनोज पुनमिया और विनोद सिन्हा की कंपनी (ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स) ने किया। ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स के खाते से थ्रीविन मेरिटाइम्स के खाते में धन स्थानांतरित हुआ। ब्लू टेक्नो प्रोजेक्ट्स के खाते में यह पैसा मनोज पुनमिया की कंपनी बालाजी यूनिवर्सल ट्रेड लिंक से आया।

मनोज पुनमिया के इकबालिया बयान के अनुसार विनोद सिन्हा ने उसका परिचय अनिल वस्तावडे से कराया था और कहा था कि दुबई में निवेश करने के लिए अनिल वस्तावडे का अनुभव काम आएगा। अनिल वस्तावडे हम लोगों को देश-विदेश में निवेश करने के बारे में सलाह देता है। थ्रीविन मेरिटाईम्स शिपिंग कंपनी इन लोगों ने अनिल वस्तावडे की सलाह पर ही लिया था। उसने इन्हें आश्वस्त किया था कि इस कंपनी से प्रतिमाह 60 लाख रुपए का मुनाफा होगा। अनिल वस्तावडे ने विनोद सिन्हा का करीब 100 करोड़ का निवेश दुबई में कराया है। बाद में अनिल वस्तावडे ने दुबई में कई अनियमितताएँ और धोखाधड़ी की, जिसके कारण वह दुबई से फरार है। दुबई की सरकार को उसकी तलाश है।

चीन की कंपनी स्टार्ड वाल्वे

इसी तरह के संदेहास्पद भुगतान का एक मामला चीन की कंपनी स्टार्ड वाल्वे की सौदेबाजी का है। इसकी भनक भी 2008 में लग गई थी। 20 अक्तूबर, 2008 को मेरे

द्वारा जारी किए गए कागजातों में विनोद सिन्हा और स्टार्ड वाल्वे को किए गए भुगतान के विवरण वाला एक पन्ना भी था, जिस पर हाथ से कोडवर्ड (कूट भाषा) में 143/- 25.10.07, = 66.00/-, 28.10.07 1 = 40.75 और 660/- 27.12.07 और इसका जोड़ 909.75 लिखा हुआ था।

छापेमारी के दौरान ई.डी. और आयकर अधिकारियों को एक ऐसा कागजात मिला, जिसमें घोटालेबाजों की एक कंपनी 'कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग' और चीन की एक कंपनी 'स्टार्ड वाल्वे' के बीच 28 नवंबर, 2007 को हुई एक मीटिंग का विवरण था, जिसके पहले ही बिंदु पर जिक्र था कि कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग ने स्टार्ड वाल्वे को एक लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है। इससे मेरे द्वारा सार्वजनिक किए गए कागजात में हाथ से कूट भाषा में लिखे गए भुगतान 28-10-07, 1-40.75 का मतलब स्पष्ट हो गया, जो बताता है कि 28-10-07 को एक लाख अमेरिकी डॉलर का भुगतान हुआ। उस दिन एक अमेरिकी डॉलर की कीमत 40.75 रुपए के बराबर थी। कूट भाषा में अंकित उपर्युक्त विवरण का सीधा मतलब है कि घोटालेबाजों ने दुबई की कंपनी कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग के माध्यम से चीन की कंपनी स्टार्ड वाल्वे को 909.75 लाख रुपए का भुगतान 25 अक्तूबर, 2007 से 27 दिसंबर, 2007 के बीच किया। अनिल वस्तावडे, विनोद सिन्हा, विजय जोशी और विकास सिन्हा 2008 के अगस्त और 2009 के फरवरी महीने में चीन गए। वहाँ से हांगकांग-सिंगापुर होते हुए दुबई आए।

इस संदर्भ में अनिल वस्तावडे ने सिंगापुर से 10 लाख अमेरिकी डॉलर दुबई के स्टैंडर्ड एवं चार्टर्ड बैंक में स्थित सूर्यम् जेम्स ऐंड ज्वेलरी की खाते में स्थानांतरित किया है। सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी ने इसे कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग के खाता में डाल दिया। ये दोनों ही कंपनियाँ मनोज पुनमिया और विनोद सिन्हा की हैं। सूर्यम जेम्स ऐंड ज्वेलरी में मनोज पुनमिया के साथ ही अरविंद व्यास शेयर धारक है। विनोद सिन्हा का खासम खास संजय चौधरी और उसका भाई धनंजय चौधरी भी इस कंपनी में शामिल है। अनिल वस्तावडे इन लोगों की ओर से विदेशों में धन लगाने का काम करता है। कैम्टेक मैन्यूफैक्चरिंग के खाता में 25 अक्तूबर, 2007 से 16 जून 2008 के बीच 21.87 करोड़ रुपए नकद संजय चौधरी और धनंजय चौधरी के माध्यम से झारखंड और भारत से दुबई गया है। इससे स्पष्ट है कि झारखंड का धन हवाला एवं घोटाले के माध्यम से देश और दुनिया में कहाँ-कहाँ चक्कर काट रहा है!

☐

सरकारी पात्रों के कारनामे

मधु कोड़ा लूट राज में उनके चारों ओर अभेद दुर्ग जैसा कब्जा बनाए हुए विनोद सिन्हा और उसके साथ जुड़े देश-विदेश के घोटालेबाजों और हवालेबाजों का षड्यंत्रकारी समूह झारखंड के प्राकृतिक संपदा की सौदेबाजी करने और इसे नीलाम करने में सफल नहीं हुआ होता, यदि मधु कोड़ा सरकार के भीतर बैठे अफसरों और कारिंदों का खुला समर्थन इन्हें नहीं मिला होता! कतिपय सरकारी अधिकारियों ने लौह अयस्क घोटाला के इस भ्रष्टाचार में मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा का बढ़-चढ़कर साथ दिया। इनमें प्रमुख हैं—झारखंड सरकार के खान विभाग के तत्कालीन सचिव जयशंकर तिवारी, खान विभाग के तत्कालीन उप सचिव गौरीशंकर प्रसाद, खान निदेशक बी.बी. सिंह, मधु कोड़ा के निजी सहायक हरेंद्र सिंह एवं अरुण कुमार श्रीवास्तव चाईबासा में पदस्थापित पश्चिमी सिंहभूम जिला के तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी राघव नंदन प्रसाद उर्फ आर.एन. प्रसाद, चाईबासा के खनन कार्यालय में कार्यरत अतिरिक्त जिला खनन पदाधिकारी दिवाकर सिंह, चाईबासा में पदस्थापित खान एवं भूतत्त्व विभाग के सहायक भूतत्त्ववेत्ता अनुज कुमार सिन्हा और मुख्यमंत्री कार्यालय में कार्यरत मधु कोड़ा का निजी सहायक बसंत भट्टाचार्या।

जयशंकर तिवारी

मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में झारखंड सरकार में खान एवं भूतत्त्व विभाग के पूर्व सचिव रहे श्री जयशंकर तिवारी राज्य प्रशासनिक सेवा के उप समाहर्ता से भारतीय प्रशासनिक सेवा के सचिव खान तक का सफर तय करनेवाले कुछ इने-गिने पदाधिकारियों मे से एक हैं। इनकी ख्याति अपने वरीय पदाधिकारियों एवं सत्ताधारी राजनेताओं के इशारों पर कुछ भी करने को तैयार रहनेवाले एक ऐसे पदाधिकारी के रूप में रही है, जो स्थापित नियमों को तार-तार कर उनके मनोनुकूल कार्यों को त्वरित गति से अंजाम देने में माहिर हैं। इस ख्याति के कारण श्री तिवारी को किसी भी शासन व्यवस्था में मनोनुकूल पद पाने और प्रोन्नति लेने में कभी भी कठिनाई नहीं हुई। इसी काबिलियत के कारण श्री तिवारी झारखंड सरकार में खान सचिव बनाए गए। मधु कोड़ा के आप्त सचिव हरेंद्र सिंह ने इनका परिचय मधु कोड़ा और लौह अयस्क घोटाला के कुख्यात किरदार विनोद सिन्हा से कराया। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी एस.के. सत्पथी को हटाकर मधु कोड़ा ने इन्हें तब खान सचिव बनाया, जब श्री सत्पथी कोर इंडस्ट्रीज को जेरलदाबुरु चाटुबुरु क्षेत्र में लौह अयस्क खनन की अनुशंसा करने पर सहमत नहीं हुए। सचिव खान का प्रभार ग्रहण करते ही श्री तिवारी ने दुबारा सुनवाई कर इस पर सहमति दे दिया।

खनन पट्टा स्वीकृति के लिए आवेदकों/उद्योगपतियों का चयन एवं उनके प्रस्ताव पर प्रशासनिक निर्णय लेते समय एम.एम.(डी.आर.) ऐक्ट 1957 और खनिज समानुदान नियमावली 1960 के प्रावधानों के अनुरूप निर्णय लेने से अधिक महत्त्वपूर्ण इनके लिए इस बारे में विनोद सिन्हा के निर्देश थे। विनोद सिन्हा ही इनके लिए एम.एम.(डी.आर.) ऐक्ट 1957 और खनिज समानुदान नियमावली 1960 था। श्री तिवारी ने अपने आकाओं का इशारा समझने और उनका हुक्म मानने में तनिक भी देरी या गलती नहीं की।

जयशंकर तिवारी द्वारा खान सचिव का पद ग्रहण करते ही लौह अयस्क खनन के आवेदनों के निस्तार में काफी तेजी आई। मिनरल कंसेशन रूल 1960 के नियम 26 के अनुसार सचिव खान को एक क्षेत्र पर प्राप्त एक से अधिक आवेदनों की सुनवाई कर इनमें से किसी एक को खनन पट्टा देने के लिए केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भेजने का अधिकार है। जिला स्तर पर डाले गए इन आवेदनों की गहन छानबीन जिला खान पदाधिकारी द्वारा करने के बाद संबंधित जिला के उपायुक्त द्वारा इनमें से उपयुक्त पाए जाने वाले आवेदनों को अपनी अनुशंसा के साथ राज्य स्तर पर खान विभाग में भेजने का प्रावधान है, ताकि राज्य सरकार इन पर सुनवाई करने के बाद नियमानुसार इनमें से सर्वाधिक उपयुक्त पाए जाने वाले एक आवेदन को खनन पट्टा देने की अनुशंसा भारत सरकार को भेजे। लेकिन श्री तिवारी के कार्यकाल में किसी क्षेत्र-विशेष पर खनन पट्टा का दावा करनेवालों आवेदकों की सूची जिला खनन कार्यालय से सीधे मंगाकर इनपर सुनवाई की औपचारिकता पूरा कर ली जाती थी और जिस आवेदक के पक्ष में अनुशंसा करने का संकेत इन्हें मधु कोड़ा अथवा विनोद सिन्हा से मिलता था, उसके आवेदन को खनन के पट्टा देने के लिए अनुशंसित कर भारत सरकार के खनन मंत्रालय को भेज दिया जाता था।

एक बार श्री तिवारी पंजाब विधान सभा चुनाव में चुनाव आयोग द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त थे। चुनाव ड्यूटी के बीच में एक दिन अचानक श्री तिवारी राँची आए, हवाई अड्डा से सीधे अपने कार्यालय पहुँचे, आनन-फानन में उन्होंने युद्ध स्तर पर 75 खनन

पट्टा आवेदनों की सुनवाई पूरी कर ली और केंद्र सरकार के पास अनुशंसा भेजने के लिए इनमें से एक आवेदन का चयन भी कर लिया। मधु कोड़ा के निर्देशानुसार श्री विनोद सिन्हा ने श्री तिवारी को चुनाव ड्यूटी छोड़कर राँची आने के लिए बाध्य किया था।

श्री तिवारी की भूमिका अपने स्तर पर विनोद सिन्हा के आदेश का पालन करने के साथ ही अधीनस्थ पदाधिकारियों से तुरंत काम कराने तथा लौह अयस्क खदान के आवंटन के लिए बिचौलियों को संतुष्ट करने की भी थी। श्री तिवारी नहीं होते तो इतने कम समय में इतने व्यापक पैमाने पर लौह अयस्क के खदान का अवैध आवंटन नहीं होता। श्री तिवारी के कार्यकाल में सचिव खान का कार्यालय कक्ष बिचौलियों की गतिविधियों के मुख्य केंद्रबिंदु के रूप में परिवर्तित हो गया था। लौह अयस्क खनन पट्टा आवंटन में कमीशन निश्चित करने और इसका भुगतान हो जाने पर आदेश सुनिश्चित करने में श्री तिवारी की महत्त्वपूर्ण भूमिका रहती थी। खनन पट्टा के आवेदकों से कमीशन के रूप में प्रति एकड़ ढाई लाख रुपए अथवा खान में दस प्रतिशत की हिस्सेदारी मिल जाने के बाद ही उनके आवेदनों पर अनुशंसा होती थी। कमीशन की राशि मधु कोड़ा के नाम पर विनोद सिन्हा वसूलता था।

श्री तिवारी की स्वीकारोक्ति

कोड़ा लूट राज के मामले में आयकर अधिकारियों ने खान विभाग के सचिव जयशंकर तिवारी से पूछताछ किया। तब तक इन्होंने राज्य प्रशासनिक सेवा से अवकाश प्राप्त कर लिया था। आयकर अधिनियम की धारा 131 के अंतर्गत दिए बयान में श्री तिवारी ने स्वीकार किया कि ''मैं विनोद सिन्हा को जानता हूँ, वे मेरे यहाँ आते-जाते थे और इनका संपर्क मेरे साथ टेलीफोन पर भी होता था। विनोद सिन्हा कहते थे कि वे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से काम करते हैं और अगर मधु कोड़ा के स्तर का कोई काम हो तो केवल वे ही करा सकते हैं। इस बात को मधु कोड़ा ने भी संपुष्ट किया और कहा कि मेरी तरफ से विनोद सिन्हा आपसे मिलते रहेंगे।''

श्री तिवारी ने आगे बताया कि जब ''मैं पंजाब में चुनाव ड्यूटी पर था तो विनोद सिन्हा ने फोन कर मुझसे कहा कि माइनिंग लीज का एक काम जल्दी में निबटाना है, इसलिए आप शीघ्र वापस चले आइए। उसने यह भी कहा कि मधु कोड़ा मुझे चुनाव कार्य से वापस बुलाना चाहते हैं। इसके बाद मधु कोड़ा ने भी मुझे फोन किया और फटकार लगाई कि मुझसे अनुमति लिए बिना आप चुनाव ड्यूटी में कैसे चले गए? यद्यपि मेरे विभाग ने इस मामले में सुनवाई की तिथि पहले ही निर्धारित कर दी थी, पर मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा के दबाव में मुझे यह तिथि बदलनी पड़ी, सुनवाई पहले करनी पड़ी और इसके लिए पंजाब से चुनाव ड्यूटी छोड़कर एक दिन के लिए वापस आना पड़ा।

जब भी मैं दिल्ली में 'झारखंड भवन' में होता था और मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी वहाँ होते थे, तब विनोद सिन्हा देर रात उनसे मिलता था। लोग बताते थे कि विनोद सिन्हा कंपनियों के साथ सौदेबाजी करता था और देर रात मधु कोड़ा को इस बारे में हुई प्रगति की जानकारी देता था। कतिपय भुक्तभोगियों ने मुझे बताया कि सौदेबाजी के दौरान विनोद सिन्हा काफी उच्च दर पर हिस्सेदारी की माँग कंपनियों से करता था। किसी लौह अयस्क खदान में लौह अयस्क की अनुमानित मात्रा के आधार पर प्रतिटन 10 रुपए की माँग करता था। संजय चौधरी तो इससे भी अधिक कठोर तरीका से हिस्सेदारी की माँग करता था। वह तो सीधे कंपनी को ही खरीदने अथवा उसमें शेयरहोल्डर बनने की बात करता था। करीब आधा दर्जन बार मैंने मुख्यमंत्री को इस बारे में बताया, पर हर बार उन्होंने यही कहा कि ऐसी बात नहीं हैं। ऐसी अफवाह मेरे राजनीतिक विरोधी फैला रहे हैं।''

''विनोद सिन्हा जब भी कोई सौदेबाजी पक्की कर लेता था तो इसकी सबसे पहले जानकारी मेरे कार्यालय में प्रशाखा पदाधिकारी बसंत भट्टाचार्या को होती थी। वह संबंधित संचिका को सुनवाई की तिथि निर्धारित करने के लिए तुरंत मेरे यहाँ भेज देता था। जैसे ही संचिका मेरे पास पहुँचती थी, मुख्यमंत्री मधु कोड़ा का फोन मेरे पास आता था। वे पूछते थे कि इस मामले में सुनवाई की स्थिति क्या है? वे दबाव देते थे कि जल्द-से-जल्द सुनवाई कर इस मामले का निस्तार कर दिया जाए। थोड़ी भी देर होने पर मधु कोड़ा जल्द सुनवाई और निस्तार के लिए बराबर फोन करते थे। कभी-कभी उनकी ओर से उनके निजी सचिव हरेंद्र सिंह का फोन भी आता था। वे कहते थे कि मुख्यमंत्री इस मामले में देरी होने से नाराज हैं। इस मामले में सुनवाई कर जल्द इसका निष्पादन करिए। ऐसी परिस्थिति में उनकी इच्छा के साथ तालमेल बैठाने में मुझे काफी कठिनाई होती थी। विलंब के लिए मुझे कोई-न-कोई बहाना ढूँढ़ना पड़ता था।''

भुक्तभोगी उद्योगपति मुझसे मिलकर अपनी व्यथा सुनाते थे और बताते थे कि ''जब इनकी सौदेबाजी की शर्तें कोई उद्योगपति नहीं मानता है तो विनोद सिन्हा और संजय चौधरी उन्हें आवंटित की जानेवाली खदान बदल देते हैं। जब कोई उद्योगपति अच्छी गुणवत्ता और अधिक लौह अयस्क की पर्याप्त मात्रा वाली कोई एक खदान माँगता और रिश्वत की शर्त नहीं पटती तो ये लोग उसके सामने कोई दूसरी खदान ले लेने का प्रस्ताव करते थे, जहाँ लौह अयस्क की गुणवत्ता न्यूनतम ग्रेड की होती थी और डिपोजिट काफी कम रहता था।''

अधिकारियों द्वारा अवैध वसूली की दर के बारे में ठोस जानकारी देते हुए जयशंकर तिवारी स्वीकार करते हैं कि ''कई ऐसे उद्योगपतियों को, जिनकी बात पर

भरोसा किया जा सकता है कि वे झूठ नहीं कहेंगे, मैंने कहते सुना कि विनोद सिन्हा लौह अयस्क डिपोजिट पर 10 रुपए प्रति टन से कम पर सौदेबाजी नहीं करता है। इस कारण कई उद्योगपति भाग खड़े होते थे। अगर कोई उद्योगपति कहता था कि 10 रुपए प्रति टन नकद भुगतान करना संभव नहीं है तो उसे ये लोग खदान में पार्टनरशिप कर लेने का विकल्प सुझाते थे। इस पार्टनरशिप का प्रतिशत भी 10 रुपए प्रति टन हिस्सेदारी की रकम के समतुल्य होता था।

अगर कोई उद्योगपति लौह अयस्क अथवा कोयला की खदान लीज हेतु अनुशंसा के लिए मधु कोड़ा के पास जाता था तो वे उसे विनोद सिन्हा के पास भेज देते थे, विनोद सिन्हा उसके साथ संजय चौधरी को लगा देते थे। वह उद्योगपति तब तक इन तीनों की बीच आवाजाही करते रहता था जब तक वह या तो थक हार कर भाग नहीं जाता था अथवा उनकी शर्तों को मानकर उनके साथ सौदेबाजी नहीं कर लेता था। इसमें असफल होने वाले अपनी भड़ास निकालते थे और सफल होने वाले अपना मुँह बंद कर लेते थे। इस प्रकार विनोद सिन्हा और संजय चौधरी द्वारा सौदा तय हो जाने पर अवैध वसूली की राशि का भुगतान, मुंबई, दिल्ली अथवा विदेश में होता था।''

इस प्रक्रिया में बसंत भट्टाचार्या और राघव नंदन प्रसाद की भूमिका परदे के पीछे से सहायक की रहती थी। बसंत भट्टाचार्या और राघव नंदन प्रसाद की परदे के पीछे की भूमिका को स्पष्ट करते हुए श्री तिवारी स्वीकार करते हैं कि ''विनोद सिन्हा उद्योगपतियों से सौदेबाजी करने के लिए संबंधित खदान की अद्यतन स्थिति और विशिष्ट जानकारी अपने पास रखता था, ताकि वह उद्योगपतियों को समझा सके कि खान विभाग में सबकुछ उसी की मरजी से चलता है। ये जानकारियाँ खदानों के बारे में होती थीं और खान विभाग के कार्यालय के बारे में भी। जैसे—संबंधित खदान की भौगौलिक स्थिति क्या है? आकार और विस्तार क्या है? उसमें अयस्क का कितना भंडार है, उसके मुताबिक अन्वेषण की स्थिति क्या है? खदान पहले किसी को आवंटित थी या नहीं? खदान में लौह अयस्क की गुणवत्ता क्या है?—आदि जानकारियाँ उसे राघव नंदन प्रसाद से प्राप्त होती थीं, जो पश्चिमी सिंहभूम, जहाँ लौह अयस्क खदानें अवस्थित हैं, के जिला खनन पदाधिकारी थे। बसंत भट्टाचार्या से उसे खान विभाग के कार्यालय में चल रही गतिविधियों की जानकारी मिलती थी। सौदा तय हो जाने पर संचिका को तेजी से ऊपर बढ़ाने, सचिव तक संचिका पहुँचने के विभिन्न स्तरों पर अनुकूल टिप्पणियाँ लिखवाने और सौदा नहीं पटने पर संचिका को लटकाए रखने की जिम्मेदारी बसंत भट्टाचार्या की थी। श्री जयशंकर तिवारी की उपर्युक्त स्वीकारोक्ति स्वत: स्पष्ट है और कोड़ा लूट राज में विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, राघव नंदन प्रसाद, बसंत भट्टाचार्या आदि की भूमिका रेखांकित करती है।''

गौरी शंकर प्रसाद

जयशंकर तिवारी को कार्यालय में सहयोग देनेवाले अधिकारी के रूप में खान विभाग में पदस्थापित उप सचिव गौरीशंकर प्रसाद ने बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका निभायी। वैसे तो खनन पट्टा के अनुशंसा के लिए सर्वाधिक उपयुक्त पाए जाने वाले आवेदन का चयन कर केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजने का निर्णय लेने के लिए खान सचिव की अध्यक्षता में एक समिति बनी हुई थी, जिसमें 'इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस' और 'जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया' के प्रतिनिधि भी सदस्य थे, परंतु अनुशंसा करने का निर्णय खान विभाग के सचिव, उप सचिव और निदेशक खान मिलकर कर ले लेते थे। विनोद सिन्हा के निर्देशानुसार खान सचिव जयशंकर तिवारी की मरजी पर उप सचिव गौरीशंकर प्रसाद और निदेशक बी.बी. सिंह भी सहमति प्रदान कर देते थे। इस हेतु तैयार की गई खनन पट्टा आवेदनों की विवरणी और एक आवेदन पर अनुशंसा के निर्णय पर केवल इन्हीं तीनों के हस्ताक्षर मिलते हैं। खान उप सचिव गौरीशंकर प्रसाद का तबादला हो जाने के एक साल बाद तक वे इस पद पर बने रहे तब तक और विरमित नहीं किए गए जब तक श्री जयशंकर तिवारी तबतक श्री प्रसाद खान सचिव के पद पर उप सचिव के पद पर बने रहे।

बी.बी. सिंह

लौह अयस्क घोटाला के दूसरे प्रमुख सरकारी पात्र हैं, प्रभारी निदेशक, खान विभाग बिपिन बिहारी सिंह। मधु कोड़ा लूट राज में ये विनोद सिन्हा और हरेंद्र सिंह के निर्देश पालन को ही अपना कर्तव्य समझते थे। विनोद सिंन्हा के द्वारा तय आवेदक/कंपनी के पक्ष में भारत सरकार को सहमति हेतु प्रस्ताव भेजने के लिए पत्र तैयार करने की जिम्मेदारी श्री सिंह पर थी। नियम-कानून को ताक पर रख विनोद सिन्हा द्वारा चयनित कंपनी के पक्ष में प्रस्ताव जल्द-से-जल्द तैयार हो जाए, जिला स्तर से लेकर खान निदेशक कार्यालय तक कहीं कोई विलंब नहीं हो, निदेशक से सचिव तक किसी स्तर पर विपरीत टिप्पणी नहीं हो, इसका ख्याल रखने की पूरी जिम्मेदारी श्री सिंह की थी। विनोद सिन्हा या हरेंद्र सिंह के पास जब चयनित व्यक्ति इनके विरुद्ध शिकायत करता था तो दोनों का उसे स्पष्ट उत्तर होता था। कि ''यह व्यक्ति काम तो हमारे कहे अनुसार कर दे रहा है, कहीं कोई रुकावट तो नहीं पैदा कर रहा है।'' यदि कोई चयनित आवेदक अनुचित लाभ का भुगतान करने में विलंब करता था तो खान निदेशक और उप सचिव के स्तर से संचिका के मजमून को पूरी तरह बदल देने में कोई संकोच नहीं होता था।

खान विभाग के सचिवालय में कोड़ा लूट राज के इशारे पर दुम हिलाने वाली

खान सचिव, खान उपसचिव और खान निदेशक की तिकड़ी के अलावा जिला स्तर पर भी एक तिकड़ी घोटालेबाजों का निहित स्वार्थ साधने के लिए तत्पर रहती थी। झारखंड के लौह अयस्क बहुत पश्चिम सिंहभूम जिला मुख्यालय में पदस्थापित इस तिकड़ी में जिला खान पदाधिकारी राघवनंदन प्रसाद उर्फ आर.एन. प्रसाद, जिला सहायक भूतत्त्ववेत्ता अनुज कुमार सिन्हा और माइनिंग इंसपेक्टर दिवाकर सिंह शामिल थे।

राघव नंदन प्रसाद

राघव नंदन प्रसाद उर्फ आर.एन. प्रसाद का नाम लौह अयस्क घोटाला एवं अवैध व्यापार के प्रमुख किरदारों में शुमार है। मधु कोड़ा लूट राज में जिला खनन पदाधिकारी चाईबासा के पद पर पदस्थापित इस पदाधिकारी की पहुँच सीधे मुख्यमंत्री मधु कोड़ा तक थी। श्री कोड़ा के खान विभाग से संबंधित कार्यों मे हस्तक्षेप करने एवं उनके निर्णय को प्रभावित करने की क्षमता यह व्यक्ति रखता था।

कुशाग्र बुद्धि और नियम-कानून की गहरी जानकारी रखनेवाला यह शख्स घोटाले का आधार स्तंभ था। खान सचिव जयशंकर तिवारी के बयान के अनुसार ''जब भी मेरी भेंट विनोद सिन्हा से होती थी तो वे चाईबासा के जिला खनन पदाधिकारी आर.एन. प्रसाद के बारे में कहते थे कि वह एक तेज अधिकारी है, जब भी आपको सहायता की जरूरत हो तो उसी से सहायता लें। आर.एन. प्रसाद विभागीय बैठकों में भी विनोद सिन्हा से मोबाइल पर बात करते रहता था और उन्हें सूचनाएँ देते रहता था।'' विभागीय सचिव का यह वक्तव्य लौह अयस्क घोटाला में आर.एन. प्रसाद की भूमिका को रेखांकित करता है। इसका मुख्य कार्य विनोद सिन्हा के व्यक्तियों द्वारा संचालित लौह अयस्क के अवैध व्यापार में मदद करना, खदान मालिकों तथा उद्योगपतियों एवं व्यवसायियों को खदान भंडार से संबंधित जानकारियाँ देने के लिए बिचौलिए के रूप में काम करना और विनोद सिन्हा द्वारा तय व्यक्तियों के पक्ष में खनन पट्टा के आवेदनों को तदनुकुल टिप्पणी के साथ राज्य सरकार तक पहुँचाना था। इसके अतिरिक्त विनोद सिन्हा द्वारा किसी खदान के आवंटन के लिए कमीशन अथवा रिश्वत के निर्धारण करने में भी इसकी मदद ली जाती थी। किसी खदान के लिए कितनी रिश्वत ली जाए, यह तय करने में श्री प्रसाद की मुख्य भूमिका रहती थी। कहा जाता है कि मुख्यमंत्री मधु कोड़ा भी इनकी सहमति के बाद ही संचिका पर हस्ताक्षर करते थे।

मधु कोड़ा लूट राज में खनन क्षेत्र से बड़े पैमाने पर अवैध राशि वसूल करने के लिए पुख्ता आधार तैयार करने का श्रेय आर.एन. प्रसाद को जाता है। किस क्षेत्र की कौन सी खदान में किस गुणवत्ता का लौह अयस्क कितनी मात्रा में मिलने की संभावना है, इसकी जानकारी उद्योगपतियों तक और विनोद सिन्हा तक पहुँचाने का

प्रमुख स्रोत था आर.एन. प्रसाद। किसी खदान के लिए कितनी कीमत वसूल की जा सकती है, इसके निर्धारण में आर.एन. प्रसाद की सलाह को विशेष महत्त्व दिया जाता था। खनन अधिनियम, नियमावली और पारंपरिक प्रावधानों की मनोनुकूल व्याख्या कर खान सचिव, खान निदेशक, जिला उपायुक्त एवं उद्योगपतियों को अपने तर्कों से प्रभावित कर लेना इस व्यक्ति की विशेषता थी। घोटाले को अंजाम देने में इसकी सलाह का विशेष स्थान था। यह व्यक्ति जिला मुख्यालय चाईबासा से अधिक सक्रिय मुख्यमंत्री के आवासीय कार्यालय में दिखाई पड़ता था।

आर.एन. प्रसाद के प्रभाव का अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि एक बार इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कोल माइंस, राँची के सभागार में भारत के खान सचिव अवैध खनन के संबंध में बैठक कर रहे थे। बैठक में चाईबासा में पदस्थापित अपर समाहर्ता स्तर के एक पदाधिकारी ने कह दिया कि पश्चिमी सिंहभूम जिला में लौह अयस्क का अवैध खनन धड़ल्ले से हो रहा है, जिसकी सी.डी. उनके पास है। बैठक में आर.एन. प्रसाद ने इसका प्रतिवाद किया। नतीजा हुआ कि अगली सुबह अल्पसंख्यक समुदाय के इस पदाधिकारी का तबादला चाईबासा से डाल्टेनगंज हो गया।

भारत सरकार के निर्देशानुसार झारखंड सरकार के वन विभाग ने सारंडा के घने और आरक्षित वन में से एक बड़े भू-भाग को अभग्न घोषित करने और वन्यजीवों की शरणस्थली को संरक्षित करने के लिए गजट नोटिफिकेशन निकालने का अनुरोध झारखंड सरकार से फरवरी 2006 में किया था। संचिका खान विभाग का मंतव्य प्राप्त करने के लिए विभाग में पहुँची तो आर.एन. प्रसाद ने पश्चिम सिंहभूम के जिला खनन पदाधिकारी के नाते उच्चतम न्यायालय के एक निर्णय की मनमानी व्याख्या कर संचिका में प्रतिकूल टिप्पणी दर्ज कर दिया। खान विभाग ने अपना मंतव्य संचिका पर अंकित करने के बदले आर.एन. प्रसाद की टिप्पणी को ही सरकार के पास भेज दिया। नतीजा हुआ कि यह संचिका मधु कोड़ा के पूरे कार्यकाल में लंबित रही और अभी तक इस पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। इस बीच अभग्न घोषित किए जाने वाले सारंडा क्षेत्र के अधिकांश भू-भाग पर विभिन्न आवेदकों के आवेदनों को खनन पट्टा देने के लिए अनुशंसित कर भारत सरकार को भेजा जाता रहा। राष्ट्रपति शासन के दौरान राज्यपाल एम.ओ.एच. फारुख के निर्देश पर राघव नंदन प्रसाद को सरकार ने उप निदेशक खान के पद से हटाया था, पर कुछ ही दिनों बाद इनकी प्रतिनियुक्ति खान विभाग में हो गई और इन्हें पुनः लौह अयस्क का प्रभार दे दिया गया। आयकर विभाग ने अपनी जाँच एवं अन्वेषण में आर. एन. प्रसाद के पास मकान, फ्लैट, जमीन एवं अन्य निवेश के रूप में करोड़ों रुपए की संपत्ति का पता लगाया है।

अनुज कुमार सिन्हा

अनुज कुमार सिन्हा सहायक भूतत्त्ववेत्ता के पद पर चाईबासा में विगत 12 वर्षों से पदस्थापित हैं। सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति की पसंद और नापसंद भलीभाँति परख लेनेवाला यह व्यक्ति विनोद सिन्हा का खासमखास बन गया। मधु कोड़ा लूट राज में अनेक फर्जी भूतात्त्विक प्रतिवेदन इस व्यक्ति ने विनोद सिन्हा के इशारे पर तैयार किए हैं। ऐसे फर्जी भूतात्त्विक प्रतिवेदनों की बुनियाद पर विनोद सिन्हा जैसे घोटालेबाजों ने खनन पट्टा आवेदकों से करोड़ों रुपए वसूल लिए।

खनन पट्टा आवंटन हेतु विभिन्न कंपनियों के आवेदनों की अनुशंसा करने के संदर्भ में ऐसे भूतात्त्विक प्रतिवेदनों की अहम भूमिका रहती है। ये प्रतिवेदन खान एवं भूतत्त्व विभाग, झारखंड सरकार द्वारा लौह अयस्क खनन क्षेत्रों में खनिज भंडार का आकलन करने के लिए कराए गए पूर्वेक्षणों पर आधारित होते हैं। परंतु पश्चिम सिंहभूम जिला के मुख्यालय चाईबासा में पदस्थापित अनुज सिन्हा बिना किसी वैधानिक पूर्वेक्षण के नेत्रानुमान और क्षेत्र भ्रमण के आधार पर जमीन की सतह को देखकर अपना मंतव्य विभाग को आधिकारिक प्रतिवेदन के रूप में सौंप देते थे। इसी प्रकार तैयार किए गए भूतात्त्विक प्रतिवेदनों को आधार बनाकर झारखंड सरकार का खान विभाग विभिन्न कंपनियों के पक्ष में संबंधित क्षेत्रों पर खनन पट्टा आवंटन की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज देता था। राज्य सरकार द्वारा विहित प्रपत्र में भेजे गए आवेदनों में संलग्न इसी प्रकार के फर्जी भूतात्त्विक प्रतिवेदन के खनिज भंडार एवं ग्रेड संबंधी सूचनाओं के आधार पर केंद्र सरकार भी खनन पट्टा आवंटन की स्वीकृति प्रदान कर देती थी।

ऐसे ही फर्जी भूतात्त्विक प्रतिवेदन 'मधु कोड़ा लूट राज' में लौह अयस्क घोटाला का आधार बने। कम-से-कम तीन ऐसे मामलों की जानकारी सामने आई है जिसमें भारत सरकार द्वारा खनन पट्टा की स्वीकृति मिल जाने के बाद संबंधित कंपनियों ने झारखंड सरकार को लिखित आवेदन कर उन तथ्यों के बारे में जानकारी की माँग की है जिनके बारे में पूरी जानकारी संबंधित क्षेत्र पर भूतात्त्विक प्रतिवेदन तैयार करने के पहले मौजूद रहनी चाहिए। चार खनन पट्टा धारियों ने केंद्र सरकार की पूर्वानुमति प्राप्त हो जाने के बाद खनन पट्टा लौटा दिया। क्योंकि ऐसे ही भूतात्विक प्रतिवेदन के आधार पर उन्हें जहाँ खनन पट्टा मिला है, वहाँ एक छटाँक भी लौह अयस्क नहीं मिला।

दिवाकर सिंह

चाईबासा के जिला खनन कार्यालय में पदस्थापित माइनिंग इंस्पेक्टर दिवाकर सिंह एक शांत कार्यकर्ता के रूप में घोटालेबाजों के लिए कार्य करता रहा है। आर.एन. प्रसाद ने फर्जी चालानों के आधार पर लौह अयस्क के अवैध परिवहन का जो नुस्खा तैयार किया, उसको क्रियान्वित करने का श्रेय दिवाकर सिंह को मिला। 2009 में राज्य निगरानी ब्यूरो द्वारा चाईबासा के गितिलिपि चेकपोस्ट पर की गई छापेमारी के दौरान लौह अयस्क के अवैध व्यापार का भंडाफोड़ हुआ। यह व्यक्ति जितना विश्वासपात्र आर.एन. प्रसाद का था, उतना ही विश्वासपात्र विनोद कुमार सिन्हा का भी रहा है। खान इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत यह व्यक्ति जिला खनन पदाधिकारी के प्रभाव का मनमाना उपयोग करता रहा। चाईबासा के गितिलिपी चेकपोस्ट पर निगरानी विभाग के छापेमारी में ये पकड़े गए और निलंबित हुए, पर कुछ ही दिन बाद इन्हें पुनः अतिरिक्त जिला खनन पदाधिकारी के पद पर चाईबासा में ही पदस्थापित कर दिए गए।

बसंत भट्टाचार्या

बसंत भट्टाचार्या मधु कोड़ा लूट राज की एक महत्त्वपूर्ण कड़ी है। भट्टाचार्या से मधु कोड़ा का संपर्क उस समय हुआ, जब श्री कोड़ा बाबूलाल मरांडी के नेतृत्ववाली झारखंड सरकार में ग्रामीण अभियंत्रण संगठन विभाग के मंत्री थे और भट्टाचार्या उस विभाग में सहायक के पद पर कार्यरत था। बाद में यह श्री कोड़ा के स्टाफ में आ गया और उनका करीबी बन गया। श्री कोड़ा की व्यक्तिगत इच्छाओं का खयाल रखनेवाले सहायक के रूप में इसकी ख्याति मशहूर हो गई। श्री भट्टाचार्या की मानें तो वही मधु कोड़ा का वास्तविक निजी सचिव था, जो उनकी खास रुचि का खयाल रखता था। यह पात्र कोड़ा-दरबार में विनोद सिन्हा से कम प्रभावशाली नहीं था। जब श्री कोड़ा खान मंत्री बने तो उन्होंने अनुरोध-पत्र भेजकर भट्टाचार्या को ग्रामीण विकास विभाग से अपने कार्यालय में बुला लिया। खान विभाग मे कार्यालय प्रबंधन एवं संबंधित संचिका को चयनित पूँजीपतियों के पक्ष में तैयार कराने में इसकी अहम भूमिका रहती थी। मधु कोड़ा लूट राज में सचिवालय सहायक स्तर के इस कर्मचारी से खान विभाग के अधिकारी एवं खनन पट्टा के इच्छुक उद्योगपति भय खाते थे। इसके इशारा कर देने भर से पूरी प्रशासनिक व्यवस्था में कोई कार्य रुकता नहीं था। सरकारी अधिकारी काम निकालने के लिए मधु कोड़ा को समझाने से बेहतर बसंत भट्टाचार्या को पटाकर संचिका इसके हवाले कर देना बेहतर मानते थे। लौह अयस्क खदान आवंटन में मधु कोड़ा के प्रतिनिधि के रूप में विनोद सिन्हा का आदेश इसके लिए सर्वोपरि था।

आयकर और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने खान विभाग, झारखंड सरकार में प्रशाखा पदाधिकारी बसंत भट्टाचार्या से कई बार पूछताछ किया। भट्टाचार्या ने बताया कि ''उसने वेतन के अतिरिक्त पैसा कमाने के लिए मधु कोड़ा से पैरवी कर अपनी प्रतिनियुक्ति खान विभाग में कराई।'' उसने बताया कि ''मधु कोड़ा और विनोद

सिन्हा कॉलेज के समय के दोस्त हैं। मधु कोड़ा खान मंत्री हुए तो दोस्ती और भी गहरी हो गई। विनोद सिन्हा केवल रात में ही मधु कोड़ा से उनके निवास पर मिलते थे। कार्यालय में नहीं आते थे। झारखंड में खान मामलों की काफी जानकारी उन्हें रहती थी। मुझसे विनोद सिन्हा का परिचय हरेंद्र सिंह और अरुण कुमार श्रीवास्तव ने कराया।'' उसने एक दिन में 48 संचिकाओं का निपटारा होना असंभव बताया और स्वीकार किया कि इसके बावजूद एक दिन में 48 संचिकाएँ निपटायी गईं। उसने बताया कि खनिज क्षेत्र के आवंटन में प्रति हेक्टेयर 2 लाख रुपए की रिश्वत मधु कोड़ा और विनोद सिन्हा द्वारा ली जाती थी। उसने अपनी जानकारी में दर्जन भर से अधिक कंपनियों द्वारा किए गए 118.38 करोड़ रुपए की लेन-देन का ब्योरा दिया। उसने बताया कि मधु कोड़ा के नाम पर विनोद सिन्हा पैसे वसूलता था। वैसे मामलों में भी वह कमीशन वसूल लेता था, जिनमें खदान लीज के बारे में अनुशंसा का आवेदन लंबित रहता था। ऐसे लोगों की संख्या 100 से कम नहीं होगी, जिनका आवेदन लंबित है, पर जिनसे विनोद सिन्हा ने 10-20 लाख रुपए वसूल लिया है। कई उद्योगपति विनोद सिन्हा से खफा रहते थे कि पैसा लेने के बाद भी वह उनका काम नहीं कर रहा है।

खान विभाग में प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद खदान आवंटन की सूची मधु कोड़ा के पास जाती थी, जिसे लेकर वे विनोद सिन्हा के साथ कभी मुख्यमंत्री निवास में और कभी विनोद सिन्हा के निवास पंचवटी प्लाजा, राँची में उद्योगपतियों के साथ मिलते थे। सौदेबाजी की शर्तें पूरा होने के बाद ही अंतिम आदेश निर्गत होता था। जिस काम के लिए 2005 में ये लोग लाख रुपए कमीशन लेते थे, लौह अयस्क मूल्यों में उछाल आ जाने के बाद करोड़ रुपए लेने लगे।

जयशंकर तिवारी और बंसत भट्टाचार्या की स्वीकारोक्ति से तथा गौरीशंकर प्रसाद, बीबी सिंह आर.एन. प्रसाद, अनुज कुमार सिंह आदि की भूमिका से मधु कोड़ा लूट राज में लौह अयस्क, खदान आवंटन के लिए अनुशंसा की प्रक्रिया की पोल खुल जाती है। यह उजागर हो जाता है कि मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा और संजय चौधरी की तिकड़ी किस प्रकार झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों को अपनी निजी संपत्ति की तरह उद्योगपतियों को नीलाम कर रहे थे और खान सचिव जयशंकर तिवारी, जिला खान पदाधिकारी राघव नंदन प्रसाद, खान निदेशक बीबी सिंह, खान उप सचिव गौरीशंकर प्रसाद और प्रशाखा पदाधिकारी बसंत भट्टाचार्या इनकी हबस पूरा करने के लिए अपने पद का दुरुपयोग कर इनके पीछे दुम हिला रहे थे!

□

लूट राज की कहानी*

यह एक आश्चर्यजनक अनुभव है, जो मेरे जीवन की एक महत्त्वपूर्ण घटना बन गया। 2006 के सितंबर तक मैं एक सामान्य कॉन्ट्रैक्टर था। अपने परिश्रम और प्रयास से भविष्य में बड़े व्यवसायियों की कतार में शामिल होना चाहता था। तब तक मेरा संपर्क किसी राजनीतिक दल के किसी नेता से नहीं था। एक दिन अखबार से मुझे पता चला कि पश्चिम सिंहभूम के कोल्हान क्षेत्र के एक निर्दलीय विधायक श्री मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बने हैं। यह समाचार मध्यमवर्गीय पृष्ठभूमिवाले मेरे जैसे व्यक्ति को रोमांचित करने वाला था कि एक निर्दलीय विधायक भी किसी राज्य का मुख्यमंत्री हो सकता है!

मैं विधि के विधान में, भाग्यफल में और कठिन परिश्रम में पूर्ण आस्था रखनेवाला व्यक्ति हूँ। मुझे लगता है कि जीवन की हर घटना या दुर्घटना का कोई-न-कोई कारण और औचित्य जरूर होता है। नवंबर 2006 में माघे मिलन के दिन जमशेदपुर के 'नोवल्टी होटल' के प्रवेश-द्वार पर मेरी मुलाकात एक प्रतिष्ठित व्यवसायी से हुई, जिनका व्यवसाय बिहार एवं झारखंड में फैला हुआ है। झारखंड में चांडिल स्थित उनके कारखाना में मैंने कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम किया था। उन्होंने मेरा परिचय दो व्यक्तियों से कराया। उन्होंने बताया कि इन दोनों की भूमिका उस वक्त की झारखंड सरकार में अत्यंत महत्त्वपूर्ण एवं प्रभावशाली है। ये व्यक्ति थे विनोद सिन्हा और संजय चौधरी।

बातचीत के दौरान विनोद सिन्हा और संजय चौधरी ने मेरे कार्यकलाप और व्यवसाय के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने राँची में राज्य सरकार के बिजली बोर्ड का कोई काम दिलवाने का आश्वासन दिया और अपनी कंपनी प्रोफाइल के साथ मुझे राँची आने के लिए कहा। दो दिन बाद अचानक संजय चौधरी का फोन मेरे पास आया। उन्होंने मुझे जमशेदपुर के डिमना रोड स्थित अपने आवास पर बुलाया। मुझे लगा कि 'बिन माँगे मोती मिले' वाली कहावत चरितार्थ हो रही है। मैं इस पर फूले नहीं समा रहा था कि हमारी पहुँच उन व्यक्तियों तक हो गई है जो झारखंड के मुख्यमंत्री के अत्यंत करीबी हैं।

संजय चौधरी से मैं उनके निवास पर मिला। उन्होंने बताया कि हम लोगों को 'विनोद भाई', (विनोद सिन्हा का प्रचलित नाम) से मिलने राँची जाना होगा। मैं अपनी कंपनी के दस्तावेज लेकर राँची के लिए निकल पड़ा। राँची पहुँचने पर मुझे मुख्यमंत्री आवास के बगल में स्थित श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव (मुख्यमंत्री के निजी सहायक) के आवास पर विनोद सिन्हा से मिलने के लिए इंतजार करने के लिए कहा गया। कुछ देर प्रतीक्षा करने के बाद हमारी मुलाकात श्री विनोद सिन्हा से हुई। उनके ठोस आश्वासन से मैं मंत्रमुग्ध हो गया।

मार्च 2007 का अंत आते-आते विनोद सिन्हा और संजय चौधरी से मेरा संबंध काफी घनिष्ठ हो गया। मैं अपने मुख्य कार्य कॉन्ट्रैक्टरी के अतिरिक्त विनोद सिन्हा एवं संजय चौधरी के दिल्ली से लेकर राँची तक के अन्य कार्यों में दिलचस्पी लेने लगा। इसमें मेरा निहित स्वार्थ भी था। मुझे लगता था कि भविष्य में मेरी कंपनी को कोई बड़ा कार्य आवंटित हो जाएगा और मैं एक सफल व्यवसायी के रूप में जाना जाने लगूँगा।

उसी दौरान एक दिन विनोद सिन्हा ने मेरा परिचय उनके करीबी रोहितास कृष्णन और ब्रजेश कुमार सिंह से कराया। ये दोनों व्यक्ति दिल्ली स्थित दो निजी कंपनियों में कार्यरत थे और विनोद सिन्हा के आदेश पर दिल्ली से राँची आए थे। इन दोनों ने विनोद सिन्हा के कहने पर दिल्ली स्थित 'बैस मैनेजमेंट एवं सोल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड' नामक कंपनी का अधिग्रहण किया था और एक नई कंपनी 'क्वांटम पॉवर टेक ऐंड इंफ्रा प्राइवेट लिमिटेड' का गठन किया था। उपर्युक्त कंपनियों के अधिग्रहण एवं गठन का मात्र एक ही उद्देश्य था कि आने वाले समय में झारखंड सरकार के बिजली विभाग, सड़क विभाग एवं खनन विभाग में निकलने वाले अधिकतम टेंडरों को इन्हीं कंपनियों को परोक्ष या अपरोक्ष रूप में दिलवाया जाए। समय के साथ-साथ ब्रजेश कुमार सिंह एवं रोहितास कृष्णन अपनी मंशा में सफल भी हुए। झारखंड राज्य बिजली बोर्ड एवं पथ-निर्माण विभाग के लगभग डेढ़ सौ करोड़ रुपए का काम परोक्ष या अपरोक्ष रूप से अपनी कंपनी द्वारा करने लगे।

इस बीच बिजली विभाग से मेरी कंपनी को भी रामगढ़ जिले में ए.पी.डी.आर.पी. का एक कार्य आवंटित हुआ। पर एक दिन अचानक वह काम मुझसे छीन लिया गया। बिजली बोर्ड के एक अधिकारी पी.के. सिन्हा (तत्कालीन कार्यपालक अभियंता) ने मुझसे कहा कि 27 करोड़ रुपए की इस निविदा में आप एल-1 हैं, मगर इसका कार्य आदेश लेने के लिए आप रोहितास कृष्णन से मिलिए। मिलने पर रोहितास कृष्णन ने कहा कि आप अपना इलेक्ट्रिकल लाइसेंस और दस्तखत किया हुआ चेक बुक मेरे पास जमा कर दीजिए, जिसे मैंने कर दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि आपकी कंपनी को मिलने वाला यह काम आपके नाम पर क्वांटम पॉवर टेक करेगी। काम पूरा होने के बाद

आपको 20 लाख रुपए मिल जाएगा। मैंने इस संदेहास्पद एवं अटपटी शर्त को मंजूर नहीं किया। नतीजा यह हुआ कि मेरा इलेक्ट्रिकल लाइसेंस और दस्तखत किए हुए चेकबुक के पन्ने अभी भी उन लोगों के ही पास हैं। काफी प्रयास के बाद भी मैं इन्हें हासिल नहीं कर पाया हूँ। रोहितास कृष्णन के प्रभाव एवं दबाव के आगे मुझे घुटना टेकना पड़ा। मेरी महात्त्वाकांक्षा और बड़ा काम करने की चाहत एकाएक धूल-धूसरित हो गई। इस अप्रत्याशित घटना ने मुझे अंदर तक झकझोर दिया। लगा, मैं मृगतृष्णा के पीछे दौड़ रहा था! मैं बिना किसी कार्य के नेताओं और उनके चमचों के पीछे भटकनेवाला व्यक्ति बन गया था।

मैंने कई दिनों तक आत्ममंथन किया। तत्पश्चात मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा कि भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के इस मायावी जाल को तोड़ने के लिए आगे आना होगा, अपने हक और अच्छे भविष्य के लिए सत्ता के इन दलालों से संबंध-विच्छेद कर इनके विरुद्ध लड़ाई लड़नी होगी। मेरे जैसे सामान्य व्यक्ति के लिए सत्ता में विराजमान मधु कोड़ा और अपरोक्ष रूप से सत्ता को अपनी मनमरजी से चलानेवाले विनोद सिन्हा, संजय चौधरी और उनके करीबी लोगों के खिलाफ युद्ध की तैयारी बहुत कठिन एवं काल्पनिक प्रतीत हो रही थी। यह सत्य मेरे मन-मस्तिष्क में घूमते रहता कि पानी का जहाज जितना बृहद होता है, उसके डूबने पर नुकसान भी उतना ही बड़े पैमाने पर होता है, भले ही उसके डुबने का कारण एक छोटी सी तकनीकी भूल ही क्यों ना हो!

नवंबर 2007 की एक सुबह झारखंड के समाचार-पत्रों के माध्यम से पता चला कि विनोद सिन्हा एवं उनके अनुज विकास सिन्हा की एक कंपनी मैसर्स इंडिया डीजल ऐंड ट्रैक्टर्स के खिलाफ बैंक ऑफ बड़ौदा की चाईबासा शाखा ने राँची हाईकोर्ट में एक रिट याचिका दाखिल कर इनकी सी.बी.आई. जाँच कराने की माँग की है। मेरे मन में विचार कौंधा कि अगर मैं इस केस में विनोद सिन्हा की मदद करने में सफल रहा तो मेरी कंपनी के दस्तावेज, चेक बुक एवं अन्य जरूरी कागजात लौट सकते हैं। मैंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि मैसर्स इंडिया डीजल एवं टैक्टर्स से संबंधित विचाराधीन मामले में मैं उनकी मदद कर सकता हूँ। पहले तो वे राजी नहीं हुए, मगर कुछ समय बाद उन्होंने मुझे इस केस में आवश्यक पहल करने की इजाजत दे दी। इस घोटाले का मुख्य बिंदु ऋणधारकों के बैंक खातों का एन.पी.ए. होना था, इसलिए मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा के तत्कालीन सी.एम.डी. और कार्यपालक निदेशक श्री गुप्ता से मुलाकात कर ऋण की राशि सूद समेत वापस करने की योजना बनाई।

इस बीच रोहितास कृष्णन के माध्यम से एक राष्ट्रीय दल के एक बड़े नेता के छोटे भाई ने भी इस मामले में रुचि लेना आरंभ कर दिया। उनके प्रयास से अंततोगत्वा यह मामला सुलझ गया। बैंक ऑफ बड़ौदा ने विनोद सिन्हा की कंपनी पर लगाए गए सभी आरोप वापस ले लिए। लगभग दो साल से चली आ रही एक विकट समस्या से

विनोद सिन्हा निजात पा गए। वस्तुतः मनोज पुनमिया और अरविंद व्यास ने इसके लिए पैसों का इंतजाम किया। इन दोनों व्यक्तियों के विनोद सिन्हा, संजय चौधरी एवं मधु कोड़ा से प्रगाढ़ संबंध थे। ये दोनों श्री विनोद सिन्हा के गैर-कानूनी ढंग से कमाए हुए पैसों को भारत एवं भारत के बाहर दुबई या अन्य स्थानों पर हवाला के माध्यम से पहुँचाने और निवेश करने का कार्य देखते थे। इन्हीं लोगों के आधिपत्य वाली मुंबई की कंपनी 'अमितोसा लीजिंग ऐंड फाइनेंस' ने बैंक ऑफ बड़ौदा को लगभग 5 करोड़ रुपए का भुगतान जून 2008 में किया। इसके बाद 'इंडिया डीजल एवं ट्रैक्टर' के पक्ष में बैंक ऑफ बड़ौदा ने झारखंड हाईकोर्ट, राँची में हलफनामा दायर कर अपना केस वापस ले लिया। एक बार फिर मेरे इस प्रयास को धक्का लगा कि मैं अपनी कंपनी और अपने आपको सत्ता के गलियारे में घूमनेवाले दलालों की चँगुल से निकाल सकूँ।

अब आए दिन रोहितास कृष्णन एवं बी.के. सिंह जैसे व्यक्तियों के द्वारा मुझे मानसिक और भावनात्मक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। प्रतिक्रिया स्वरूप मैंने सत्ता के गलियारे में घात लगाए बैठे दलालों को जड़ से मिटाने की ठान ली। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं इनसे दो-दो हाथ करने की शुरुआत कहाँ से और कैसे करूँ! कभी मुझे अपने परिवार, अपने बच्चों, तो कभी खुद की चिंता परेशान कर जाती। इनके धन, बल और साधन-संपन्नता के सामने मैं काफी कमजोर था। जान से मार दिए जाने के बाद मेरे परिवार के समक्ष आने वाली परेशानियों की कल्पना मात्र से ही मैं सिहर उठता था।

उस वक्त की एक घटना का यहाँ उल्लेख करना प्रासंगिक प्रतीत हो रहा है। यह घटना उस वक्त की राजनीतिक स्थिति में अवैध कमाई करनेवालों के प्रभाव और बढ़ते मनोबल को दरशाती है। सितंबर 2006 में मधु कोड़ा की तथाकथित यू.पी.ए. सरकार अल्पमत में आ गई और शिबू सोरेन ने उन्हें भविष्य में मुख्यमंत्री बने रहने के लिए समर्थन देने से इनकार कर दिया। वह वक्त विनोद सिन्हा, संजय चौधरी, श्री रोहितास कृष्णन एवं अन्य सहयोगियों के लिए एक दुःस्वप्न से कम नहीं था। झारखंड मुक्ति मोरचा ने अपने सारे विधायकों को राँची में एकत्रित होने के लिए कहा था, ताकि उनके नेतृत्व में सरकार गठन की प्रक्रिया को सुनिश्चित किया जा सके। शिबू सोरेन को नया मुख्यमंत्री बनाने के लिए एक बैठक बुलाई गई थी। विनोद सिन्हा ऐंड कंपनी कुछ ऐसा करना चाहती थी कि झारखंड मुक्ति मोरचा के सभी विधायक इस बैठक में भाग नहीं ले सकें। इस मंशा से रोहितास कृष्णन अपनी गाड़ी में रुपए से भरा हुआ बैग लेकर मोरहाबादी मैदान के आस-पास मँडराता रहा और विधायकों से संपर्क करने की कोशिश करता रहा। विडंबना थी कि उस गाड़ी को चलानेवाला व्यक्ति कोई और नहीं, मैं ही था!

14 अगस्त, 2008 की दोपहर में मैं राँची स्थित क्वांटम पॉवर टेक के ऑफिस में गया। वहाँ मेरी मुलाकात रोहितास कृष्णन, बी.के.सिंह और रामजी पॉवर के अशोक सिंह से हुई, जो वहाँ पहले से बैठे हुए थे। ये लोग झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के नए अध्यक्ष पद पर मनोनुकूल व्यक्ति को मनोनीत कराने के बारे में वार्त्तालाप कर रहे थे। बातचीत से आभास हुआ कि तत्कालीन मुख्यमंत्री के खासमखास एक व्यक्ति को यह काम करवाने के लिए 1 करोड़ 75 लाख रुपए दिए जाने थे, जिसे लेने के लिए उनके सुपुत्र वहाँ आने वाले थे।

इसके दो दिन पूर्व 12 अगस्त, 2008 की रात में मैं अपने चचेरे भाई दिवाकर अखिलेश के राँची स्थित आवास पर इंटरनेट पर काम कर रहा था। मैं शारीरिक रूप से तो उस वक्त कमरे में मौजूद था, परंतु दिमाग में सत्ता के दलालों के खिलाफ युद्ध छेड़ने की कवायद चल रही थी। मेरी लड़ाई ऐसे लोगों के खिलाफ थी, जो पैसों के बल पर पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करना चाहते थे। एकाएक मेरे दिमाग में एक विचार बिजली की गति से कौंध गया। एक क्षण के लिए मैं सोचने लगा कि अपनी महात्त्वाकांक्षा पूरी करने के लिए किसी अन्य व्यक्ति के जीवन में दुःखों का अंबार खड़ा करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। किंतु दूसरे ही क्षण मुझे लगा कि सत्ता के इन दलालों के खिलाफ युद्ध का आगाज करने में मुझे अपना-पराया जैसी चीजों से ऊपर उठना होगा। अधर्म का मौन सहभागी होना भी एक अपराध है।

"उत्तरदायित्व का बोध बहुधा हमारे संकुचित विचारों का सुधारक होता है।" मेरे करीबी लोग चाहते थे कि मैं विश्वस्त सूत्रों से प्राप्त सनसनीखेज दस्तावेजों की एवज में विनोद सिन्हा एवं उनके सहयोगियों से धन की उगाही करूँ और धन के बदले सारे कागजात विनोद सिन्हा को वापस कर दूँ। किंतु मैंने ऐसा नहीं किया। क्योंकि उस वक्त मेरे लिए पैसा कमाने से ज्यादा अहम थी अपने स्वाभिमान की रक्षा। मेरी प्राथमिकता थी सत्ता पर काबिज दलालों से संघर्ष करने की। उस दौरान मैंने कई दस्तावेज राँची स्थित दैनिक समाचार-पत्रों को उपलब्ध कराए, जिसे उन्होंने प्रकाशित किया और झारखंड में कैंसर की तरह फैलते भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने मे मेरी मदद की।

इस बीच 17 सितंबर, 2008 को प्रातः 9 बजे दुबई जा रहे संजय चौधरी को मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। उनके पास निर्धारित सीमा से अधिक भारतीय एवं विदेशी मुद्राएँ काफी पाई गई। इस घटना को मीडिया ने बहुत जोर-शोर से प्रसारित किया। जब यह सूचना मिली, उस समय विनोद सिन्हा और मैं दिल्ली के जिमखाना क्लब के एक कमरे में एक साथ बैठे थे। मैं एन.डी.टी.वी. को इस घटना की सूचना तुरंत उपलब्ध करवाने की जुगत में था। उस समय श्री विनोद सिन्हा की भयग्रस्त मनःस्थिति देखकर मुझे विश्वास हो गया कि पैसा कमाकर व्यक्ति प्रभावशाली बनने की भरपूर कोशिश तो करता है, किंतु गलत तरीके से पैसा कमाकर व्यक्ति निर्भीक नहीं बन सकता है। इस अनुभूति ने मुझे आत्मबल प्रदान किया और मैंने अपनी लड़ाई

और तेज कर दी।

इसी दौरान एक दिन राँची में मेरी मुलाकात सरयू राय जी से हुई। मैं उनके बारे में ज्यादा नहीं जानता था। पर संपर्क होने के बाद मैं उनसे काफी प्रभावित हुआ। वक्त के साथ उनके विचारों और उनकी सोच का मैं सम्मान करने लगा। खनन पट्टा आवंटन में भ्रष्टाचार और अनियमितता का मामला वे पहले से उठा रहे थे। उन्होंने मेरा यह विषय भी 20 अक्तूबर, 2008 को प्रेस कॉन्फ्रेंस में उठाया और घोटाला के अंतरराष्ट्रीय आयाम वाले प्रामाणिक दस्तावेजों को सार्वजनिक किया। दस्तावेजों के सार्वजनिक होने के बाद आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय ने घोटालेबाजों के ठिकानों पर छापेमारी किया। इस बीच यदा-कदा मेरी मुलाकात विनोद सिन्हा एवं उनके सहयोगियों से होती रहती थी। उनकी आँखों में मेरे प्रति शक का भाव स्पष्ट नजर आता था। इसके बावजूद मैं अपने विवेक के आधार पर चुने हुए रास्ते पर आगे बढ़ता चला गया।

17 जनवरी, 2009 को दिल्ली स्थित मेरे आवास से कतिपय जरूरी दस्तावेज गायब कर मेरा चचेरा भाई दिवाकर अखिलेश विनोद सिन्हा और रोहितास कृष्णन से जा मिला। मात्र 10 लाख रुपए की एवज में उसने मुझे धोखा दिया और विनोद सिन्हा को मेरी सभी गतिविधियों से अवगत करा दिया। 19 जनवरी, 2009 को प्रात: 8.30 बजे विनोद सिन्हा ने मुझे फोन किया और बिना समय गँवाए पूछा कि आप मेरे खिलाफ कई विभागों को सूचनाएँ उपलब्ध करवा रहे हैं। कुछ इधर-उधर की बातें करने के बाद विनोद सिन्हा ने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की। फोन पर बात खत्म होने के बाद साफ हो गया कि मेरे अपने ने ही पैसे के लालच में मेरे साथ धोखा किया है। तुरंत मैंने अपने मित्रों और शुभचिंतकों को फोन कर सारी बातों से अवगत करा दिया।

उस दिन दोपहर से ही मेरे घर पर विनोद सिन्हा के करीबी लोगों का जुटना शुरू हो गया। शाम होते-होते यह स्थिति बन गई कि मुझे विनोद सिन्हा से मिलने राँची जाने के लिए विवश होना पड़ा। इस दौरान मेरी पत्नी, जो अब तक की घटनाओं से अनभिज्ञ थी, विस्मित होकर कई प्रश्नों का उत्तर ढूँढ़ रही थी। मैंने अपने एल.आई.सी. और अन्य कई जरूरी कागजातों को, जिनकी उपयोगिता मेरे मरने या मारे जाने के बाद मेरे परिवार के लिए अत्यावश्यक हो जाती, व्यवस्थित किया और अपनी पत्नी को सुपुर्द कर विनोद सिन्हा के छोटे भाई विकास सिन्हा के साथ राँची जाने के लिए घर से निकल पड़ा। शीघ्र ही मुझे आभास हो गया कि मुझे राँची नहीं, बल्कि कोलकाता ले जाया जा रहा है। मैंने इसकी सूचना अपनी पत्नी को छोड़ उन सभी व्यक्तियों को एस.एम.एस. के माध्यम से दे दी, जो मेरे शुभचिंतकों की सूची में शामिल थे।

रात 11.30 बजे हम कोलकाता स्थित विनोद सिन्हा के आवास पर पहुँचे। जानकारी मिली कि जिनसे मिलने के लिए मुझे इतनी दूर लाया गया है, उनके आने में अभी देर

है। एक सामान्य अतिथि की भाँति मुझे भी खाना और पानी उपलब्ध कराया गया। रात 12.30 बजे विनोद सिन्हा आए और बातों-बातों में उन्होंने कई तीखे प्रश्न मुझसे कर डाला। मैंने कुछ प्रश्नों का सीधा और कुछ प्रश्नों का घुमाकर जवाब दिया। सुबह नाश्ते की टेबुल पर मैंने बता दिया कि यह लड़ाई मैंने ही छेड़ रखी है और इसके लिए मेरा तिरस्कार, मेरी महत्त्वाकांक्षा का हनन और मेरे साथ आप लोगों का दुर्व्यवहार जिम्मेदार है। उन्होंने मेरे साथ इनसाफ करने का भरोसा दिलाया। सुबह मैं उनके साथ कोलकाता से जमशेदपुर के लिए निकल पड़ा। कोलकाता से जमशेदपुर के रास्ते में मैंने यह स्पष्ट कर दिया कि मैंने जो अभियान छेड़ दिया है, उसे रोकने या शिथिल करने में मैं असमर्थ हूँ और भविष्य में इसके दूरगामी परिणाम होंगे। यात्रा के क्रम में मैं और विनोद सिन्हा जादूगोड़ा स्थित रंकिनी मंदिर गए और पूजा-पाठ किया। उसके बाद मैं जमशेदपुर स्थित अपने घर आया। घर पहुँचते ही जानकारी मिली कि निगरानी विभाग ने मधु कोड़ा एवं अन्य आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। बाद में 9 अक्तूबर, 2009 को इंफोर्समेंट डायरेक्ट्रेट (ई.डी.) ने भी इसी कांड में एक एफ.आई.आर. दर्ज किया। तदुपरांत 30 और 31 अक्तूबर, 2009 को मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा एवं उनके अन्य सहयोगियों के ठिकानों पर पी.एम.एल.ए. 2002 में ई.डी. और इनकम टैक्स द्वारा देश भर में संयुक्त छापे मारे गए।

इसके बाद मुझे किसी-न-किसी माध्यम से धमकी भरी यह सूचना मिलते रहती थी कि कुछ ही दिनों में मुझे जान से मार दिया जाएगा। परंतु मैं इन बातों से कभी भी विचलित नहीं हुआ। मेरा मानना है कि जन्म और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है न कि इनसान के। 'जाको राखे साइयाँ, मारि सके ना कोय। बाल न बाँका करि सके, जो जग बैरी होय।' इस बारे में अब जो भी जानकारी मुझे मिलती है, उसे मैं विभिन्न जाँच एजेंसियों, गुप्तचर संस्थाओं एवं मीडिया से जुड़े लोगों को पहुँचा देता हूँ। 4 अगस्त, 2010 को राँची उच्च न्यायालय ने इस केस की जाँच देश की सबसे बड़ी जाँच एजेंसी सी.बी.आई. को सौंप दी। मेरा संघर्ष अब एक निर्णायक दौर में पहुँच गया है। मैं गर्व और संतोष का अनुभव कर रहा हूँ कि ईश्वर ने इस विपरीत परिस्थिति का सामना करने तथा भय और प्रलोभन से विचलित नहीं होने की शक्ति मुझे मित्रों और शुभचिंतकों को माध्यम बनाकर प्रदान की। मैं वैसे सभी लोगों के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूँ, जिन्होंने आत्म-सम्मान, स्वाभिमान और महात्त्वाकांक्षा पर हमले के खिलाफ इस लड़ाई में मेरा प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष सहयोग किया है, मेरा मनोबल बढ़ाया है। सत्य है कि "A Single pure thought and respective efforts could bring substantial changes into the Universe." □

* एक भुक्तभोगी की जुबानी

Jharkhand ka madhukodha loot raj Final.pmd 272-273 02-Jul-12, 7:25 PM

खंड-6

भ्रष्टाचार के खेल

अनियमितता का खुला खेल

वृहद खनिजों के लिए खनन पट्टा आवंटित करने के बारे में सामान्य प्रक्रिया है कि अगर किसी एक खनन क्षेत्र पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए एक से अधिक आवेदन डाले गए हैं तो ऐसी स्थिति में राज्य सरकार का खान विभाग इनमें से किसी एक आवेदन की अनुशंसा भारत सरकार के खान विभाग को स्वीकृति के लिए भेजता है। नियमानुसार आवश्यक छानबीन के उपरांत भारत सरकार इस अनुशंसा पर स्वीकृति प्रदान कर राज्य सरकार को वापस भेज देती है। तब राज्य सरकार आवेदक के पक्ष में खनन पट्टा आवंटित करने की प्रक्रिया आरंभ करती है।

लौह अयस्क खनन पट्टा के संबंध में यह प्रक्रिया भारत सरकार के माइंस ऐंड मिनरल्स (डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन) ऐक्ट 1957 तथा मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960 द्वारा निर्देशित होती है। एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 की धारा 5(2) में प्रावधान है कि 'राज्य सरकार किसी क्षेत्र विशेष पर खनन पट्टा तभी देगी, जब यह प्रमाणित हो जाए कि जिस क्षेत्र पर खनन पट्टा हेतु आवेदन किया गया है, या तो उसका पूर्वेक्षण हो चुका है अथवा किसी अन्य रीति से यह स्थापित हो चुका है कि उस क्षेत्र में पर्याप्त खनिज विद्यमान है।'

राष्ट्रीय खनिज नीति-2008 के पारा 6.2 एवं 7.2 के अनुसार राज्य सरकार को खनन पट्टा के स्वीकृति की अनुशंसा भेजने के साथ एक चेकलिस्ट भेजना होता है, जिसमें आँकड़ों और सूचनाओं को बड़ी सावधानी और शुद्धता से भरना होता है। राज्य सरकार को यह संतुष्ट होना होता है कि उस क्षेत्र में खनिज निर्माण (मिनरलाइजेशन) पूर्ण रूप से हुआ है। यह सूचना सांकेतिक या अनुमानित नहीं होगी, बल्कि प्रमाणिक दस्तावेजों द्वारा संपुष्ट होगी, ताकि इसके आधार पर वैकल्पिक वैज्ञानिक खनन योजना तैयार हो सके।

बेलारी-हास्पेट क्षेत्र में खनन पट्टा के स्वीकृति के संबंध में गठित 'नेशनल इनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट (नीरी)' समिति की भी अनुशंसा है कि

राज्य सरकार चयनित आवेदन की अनुशंसा केंद्र सरकार के पूर्वानुमोदन के लिए भेजने के पूर्व आवेदक के 'खनन प्लान' को केंद्र अथवा राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित करने के लिए निदेशित करेगी। परंतु झारखंड सरकार ने इन सभी नियमों और निर्देशों की अनदेखी किया है। लौह अयस्क खनन पट्टा के आवेदनों की अनुशंसा करने में प्राथमिकता का निर्धारण, आवेदनों का निस्तार एवं खनन पट्टा स्वीकृति के दस्तावेजों का विश्लेषण करने पर इनमें भारी अनियमितताएँ परिलक्षित होती हैं।

अनियमितताओं का विवरण

राज्य सरकार द्वारा झारखंड राज्य के निर्माण के बाद अभी तक पश्चिम सिंहभूम जिला में लौह अयस्क/मैंगनीज के खनन पट्टा की स्वीकृति के लिये कुल 34 आवेदनों को केंद्र सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्ताव भेजा गया है, जिसमें 21 मामलों में भारत सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त हो चुका है, शेष में अभी केंद्र सरकार का पूर्वानुमोदन प्राप्त होना बाकी है। इन आवेदकों को जिन क्षेत्रों पर लौह अयस्क के खनन पट्टा की स्वीकृति के लिए केंद्र सरकार को अनुशंसा भेजी गई है, वे क्षेत्र हैं—बोकना, घाटकुरी, सिलपूँजी, कंटोरिया, ठाकुरा, कोदलीबाद, परमबालजोरी, चाटुबुरू, जेरलदाबुरु, अंकुआ, सेतारूईया, संतुआ, मेघाहातुबुरू, ससंगदा, करमपदा, कुरता (आर.एफ)। केंद्र सरकार के पास पूर्वानुमोदन हेतु भेजे गए इन क्षेत्रों का कुल रकबा 14,634.79 हेक्टेयर है। इनमें घाटकुरी क्षेत्र के वे 9 मामले शामिल नहीं हैं, जिनमें राज्य सरकार ने अनुशंसित आवेदनों को वापस मँगा लिया था।

इन क्षेत्रों पर खान विभाग द्वारा खनन पट्टा की अनुशंसा तो भेज दी गई है, लेकिन इन क्षेत्रों का पूर्वेक्षण नहीं हुआ है और खान विभाग को अभी तक यह मालूम नहीं है कि इनमें खनिज का जमा भंडार कितना है? इसकी सही मात्रा क्या है? खनिज की गुणवत्ता कैसी है? इसमें पाए जाने वाले खनिज देश के लौह तथा इस्पात उद्योगों में प्रयोग के लायक हैं या नहीं? इन सभी क्षेत्रों पर विस्तृत भूतात्त्विक अन्वेषण का कार्य अभी तक नहीं किया गया है। कई क्षेत्रों पर वेधन कार्य हेतु वन एवं पर्यावरण विभाग से पूर्वानुमति के लिए प्रस्ताव भेजा गया है, जो अभी भी लंबित है। फलत: इन क्षेत्रों पर कितनी गहराई तक खनिज मिलेंगे, जमीन के अंदर खनिज का विस्तार किस रूप में है इसकी कोई जानकारी सरकार के पास नहीं है। स्पष्ट है कि इन क्षेत्रों पर खनन पट्टा की स्वीकृति की अनुशंसा एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 के धारा 5(2) (B) का उल्लंघन है एवं राष्ट्रीय खनिज-नीति-2008 के पैरा 6.2 तथा पैरा 7.2 का उल्लंघन है।

एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 की धारा 5(2)(b) के अनुसार, राज्य सरकार को इन क्षेत्रों पर खनिज की उपलब्धता की जानकारी होना अनिवार्य है। मगर सरकार

को इसकी जानकारी नहीं है। इसकी सम्पुष्टि इस बात से भी होती है कि इन 34 आवेदकों में तीन आवेदकों यथा सर्वश्री बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्टस लि., सर्वश्री ए.एम.एल. स्टील ऐंड पॉवर लि. तथा सर्वश्री अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर लि. को क्रमश: बोकना, सिलपुजी, कंटोरिया क्षेत्र में क्रमश: 420.95 हेक्टेयर, 383.54 हेक्टेयर तथा 138.50 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्टा की स्वीकृति की अनुशंसा राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को भेजी गई थी। इनमें से दो आवेदकों सर्वश्री बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि. एवं सर्वश्री ए.एम.एल. स्टील ऐंड पॉवर लि. के मामले में भारत सरकार का पूर्वानुमोदन भी प्राप्त हुआ था। लेकिन इन क्षेत्रों पर लौह अयस्क खनिज नहीं होने के कारण इसे आवेदकों द्वारा वापस लौटा दिया गया। इसी प्रकार देश की एक बडी इस्पात निर्माता कंपनी इस्पात इंडस्ट्रीज लि. को भी लटुआ क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए भारत सरकार से पूर्वानुमोदन प्राप्त लौटा दिया, कारण कि उस क्षेत्र में लौह अयस्क की उपसब्धता नगथ है। सरकार की अनियमित कार्यपद्धति का इससे बड़ा उदाहरण शायद ही कहीं मिले!

वस्तु स्थिति है कि अधिकांश मामलों में खनिज की उपलब्धता के संबंध में चाईबासा में पदस्थापित सहायक निदेशक भूतत्त्व, द्वारा बिना अन्वेषण के ही जाली/फर्जी प्रतिवेदन देकर एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 की धारा की अर्हता को पूरा करने की औपचारिकता निभाई गई है। करमपदा (मेघाहातुबुरू) क्षेत्र के लिए भेजे गए अपने एक भूतात्त्विक प्रतिवेदन में इन्होंने किसी वैज्ञानिक एवं तकनीकी पद्धति से अन्वेषण किए बगैर केवल दृष्टि अनुमान से महाभारत के संजय की तरह घोषित कर दिया है कि 500 हेक्टेयर के इस क्षेत्र के करीब 10 मिलियन टन लौह अयस्क और 50 हजार टन मैगनीज होगा।

सरकार द्वारा कई खनन क्षेत्रों में कोई अन्वेषण नहीं किया गया है, परंतु में उन क्षेत्रों पर सीधे खनन पट्टा की स्वीकृति की अनुशंसा मधु कोड़ा लूट राज केंद्र सरकार को भेज दी गई। उदाहरणार्थ—भूषण स्टील को चाटबुरू में, सर्वश्री बिहार स्पांज को घाटकुरी में, रूँगटा माइंस एवं सनफ्लैग को कोदलीवाद में, इस्पात इंडस्ट्रीज को लटुआ में, आर्सेलर मित्तल को मेघाहातुबुरू में, विमलदीप स्टील प्रा.लि., अभिजीत इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि., उज्ज्वल मिनरल्स प्रा.लि., आधुनिक एलवाय ऐंड पॉवर लि., प्रकाश इस्पात लि., मोनेट इस्पात लि., इस्पात प्रा.लि. एवं स्टेको पॉवर लि. को घाटकुरी में, प्रसाद ग्रुप रिसोर्सेस प्रा.लि. को बोकना में, निरंजन हाइटेक लि. को बोकना में, बालमुकुंद स्पांज ऐंड आयनन लि. को बोकना में, इलेक्ट्रो स्टील कास्टिंग लि. को कोदलीबाद में, अनंदिता ट्रेडर्स ऐंड इंवेस्टमेंट लि. को परमबलजोरी में, होराइजन लौह उद्योग लि. को सेतारूईया में एवं विन्नी आयरन ऐंड स्टील उद्योग लि. को कुरत्ता (पी.एफ.) में। ऊपर लिखित

ये सभी क्षेत्र ऐसे हैं जिन पर पूर्व में कोई भूतात्त्विक अन्वेषण नहीं हुआ है एवं इन क्षेत्रों पर खनिज की उपलब्धता, भंडार एवं ग्रेड की कोई विस्तृत जानकारी सरकार को नहीं है।

दूसरी तरफ यथा अंकुआ, हतनाबुरू एवं काशीयापीचा जैसे जिन क्षेत्रों पर विभाग द्वारा भारत सरकार के प्रतिष्ठान सर्वश्री मिनरल एक्सप्लोरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड द्वारा अन्वेषण कराया गया है, उन क्षेत्रों पर सर्वश्री जे.एस.डब्ल्यू को (हतनाबुरू में) एवं सर्वश्री टाटा स्टील को (अंकुआ में) पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेज दी गई। खनन पट्टा-स्वीकृति प्रक्रिया पर सत्ता के दलालों और घोटालेबाजों के प्रभाव का यह जीता-जागता उदाहरण है।

पारदर्शिता का अभाव

झारखंड राज्य के पश्चिमी सिंहभूम जिलांतर्गत लौह अयस्क के खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु एक हजार से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं। लौह अयस्क के खनन पट्टा की होड़ इतनी जबरदस्त रही है कि एक ही क्षेत्र में 50 या उससे भी अधिक आवेदकों ने आवेदन दाखिल किया है। शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र हो, जिस पर मात्र एक या दो आवेदन-पत्र दाखिल किए गए हों। इन आवेदनों पर प्राथमिकता-निर्धारण करने के बारे में कानून का प्रावधान निम्नवत है—

(i) किसी क्षेत्र विशेष पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर श्रेष्ठ आवेदक का चुनाव एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 के नियम 11(3) के तहत की जाती है। राष्ट्रीय खनिज नीति 2008 की कंडिका 3.3 के तहत किसी भी प्रकार के खनिज-अनुदान यथा आविक्षी अनुज्ञप्ति (Reconnaissance Permit-RP), पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (Prospecting License-PL) या खनन पट्टा (Mining Lease-ML) की स्वीकृति में पारदर्शिता का होना अति आवश्यक है।

(ii) एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 के नियम 11(2) के तहत किसी क्षेत्र विशेष पर एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने की स्थिति में श्रेष्ठ आवेदक का चुनाव क्षमता एवं योग्यता (Capacity or Capability) के सिद्धांत पर की जानी है एवं राज्य सरकार प्रथम आवेदक के आवेदन की अनुशंसा नहीं भी कर सकती है। यदि प्रथम आवेदक का चुनाव खनन पट्टा की स्वीकृति हेतु नहीं किया जाता है तो एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 की धारा 11(3) तथा धारा 11 (5) के तहत सर्वश्रेष्ठ आवेदक का चुनाव किया जाना चाहिए। इसके लिए आविक्षी अनुज्ञप्ति (Reconnaissance Permit) के मामले में मिनरल कन्सेशन रूल्स-1960 के नियम 5, पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति (Prospecting License) के मामले में मिनरल कन्सेशन रूल्स-1960 के नियम 12 एवं खनन पट्टा

(Mining Lease) के संदर्भ में मिनरल कन्सेशन रूल्स-1960 के नियम 26 के तहत राज्य सरकार को सुनवाई करने के उपरांत निर्णय लेने का अधिकार है।

(iii) राष्ट्रीय खनिज-नीति-2008 की कंडिका 7.5 एवं 7.6 में खनन क्षेत्र में मशीन का उपयोग, कंप्यूटरीकरण एवं विद्यमान खनन इकाइयों के स्वचालन द्वारा खदान में उत्पादन की वृद्धि एवं गुणवत्ता तथा व्यवस्था लागत के संबंध में तथा मानव की सुरक्षा हेतु उपाय अपनाने की बात प्राथमिकता के निर्धारण हेतु कही गई है।

(iv) मिनरल कन्सेशन रूल्स 1960 के नियम 63ए के तहत, एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट-1957 के नियम 11(3)/11(5) के अंतर्गत श्रेष्ठ आवेदन का चुनाव करने की प्रक्रिया में अस्वीकृत किए गए शेष आवेदनों की अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए राज्य सरकार द्वारा केंद्र सरकार को अपनी अनुशंसा भेजनी होती है। अस्वीकृति के कारणों का स्पष्ट उल्लेख करते हुए एक स्वतः स्पष्ट आदेश (Self Speaking order), जोकि सक्षम पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित कर निर्गत किया जाना चाहिए एवं अनुशंसा के साथ इसे असफल आवेदकों एवं अनुशंसा के लिए चयनित आवेदक को भी भेजा जाना चाहिए।

परंतु खनन यहाँ एवं पूर्वेक्षण अनुज्ञप्ति के लिये आवेदनों के चयन में प्राथमिकता निर्धारण के लिए इन नियमों की घोर अवहेलना मधु कोड़ा लूट राज में हुई है। सर्वश्रेष्ठ आवेदन के चयन हेतु अपनाई गई कार्य प्रणाली में परदार्भिता का घोर अभाव है, अनियमितता का बोल बोला है।

निर्देशों का उल्लंघन

खनन पट्टा की स्वीकृति की अनुशंसा केंद्र सरकार को भेजने के पूर्व राज्य सरकार को निम्नलिखित काररवाई सुनिश्चत करने हेतु विभिन्न परिपत्रों के माध्यम से भारत सरकार का खान मंत्रालय निर्देश देता रहा है—

(i) All the applicants have been given a reasonalble opportunity of being heard under Rule 5 (1) for RP, Rule 12 (1) for PL and Rule 26 (1) for ML, after giving due notice.

(ii) The documents or records on the basis of which a decision will be made have been specifically asked for. In this connection the provisions of Rule 12 (1B) of MCR need to be kept in view in respect of PL; Rule 5 (2) of MCR for RP, and Rule 26 (2) of MCR for mining lease.

(iii) A proper record of the intimations/notice served on the applicants for the hearing has been kept.

(iv) Sufficient time for the applicants has been given to respond or be present in the meeting.

(v) Hearing has been undertaken by a competent authority. Written submission may be encouraged, and kept on record.

(vi) Speaking orders have been prepared after the completion of the hearing process recording the decision to recommend a particular applicant, giving the reason for selectiing him in preference to other applicants, within the parameters of Section 11(3) or 11(5) as the case may be.

(vii) The speaking order has been communicated at least in brief to all the interested parties or published on the website.

(viii) A copy of the speaking order has been attached alongwith the proposal forwarded to the Central Government for obtaining prior approval, clearly indicating if it has been communicated to all the interested parties and if so on what date.

झारखंड सरकार श्रेष्ठ आवेदकों के चुनाव/प्राथमिकता निर्धारण में में ऊपर वर्णित प्रावधानों का पूर्ण रूप से उल्लंघन करती रही है। झारखंड राज्य में खनन पट्टा के आवेदनों की अनुशंसा में इनमें से किसी निर्देश का पालन मधु कोड़ा लूट राज में नहीं हुआ है, फिर भी केंद्र सरकार इन अनियमित अनुशंसाओं को स्वीकार कर खनन पट्टा के लिए पूर्वानुमोक्ष देती रही है। यह झारखंड सरकार और भारत सरकार पर लौह अयस्क माफिया के अनुचित प्रभाव का ज्वलंत उदाहरण है।

नियमों की अनदेखी

एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट-1957 के नियम 11(3) के तहत खनन पट्टा आवेदनों की अनुशंसा के लिए प्राथमिकता के निर्धारण में आवेदन में वर्णित निम्नाकित तथ्यों पर ध्यान देना आवश्यक है—

(क) आवेदक के खनन का अनुभव।

(ख) आवेदक की वित्तीय स्थिति।

(ग) आवेदक के पास तकनीकी कर्मियों एवं उपकरणों की उपलब्धता।

(घ) आवेदक के मूल्यवर्द्धन का प्रस्ताव।

परंतु राज्य सरकार द्वारा प्राथमिकता के निर्धारण में उपरोक्त आधारों का ध्यान नहीं रखा गया है, बल्कि इनकी खुली अवहेलना की गई है, जैसे—

(i) राज्य सरकार द्वारा अभी तक जिन 34 आवेदकों के प्रस्तावों को केंद्र सरकार को भेजा गया है, उनमें विमल स्टील प्रा.लि., अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि.,

आधुनिक एलॉय ऐंड पॉवर लि., प्रकाश इस्पात लि., स्टको पॉवर लि., बालाजी इंडस्ट्रीयल प्रोडक्ट्स लि., एम.एम.एस. स्टील ऐंड पॉवर लि., निरंजन हाईटेक लि., के. वाई. एस. स्पांज आयरन लि., निलाचल आयरन ऐंड पॉवर लि., बालमुकुंद स्पांज ऐंड आयरन लि., इलेक्ट्रोस्टील कास्टिंग लि., सनफ्लैग आयरन ऐंड स्टील क. लि., अनिंदिता ट्रेडर्स ऐंड इंवेस्टमेंट लि., भूषण पॉवर ऐंड स्टील लि., होराइजन लोहा उद्योग एवं विन्नी आयरन ऐंड स्टील उद्योग लि. जैसी कंपनियों को खनन का अनुभव नहीं हैं, लेकिन अन्य आवेदकों की योग्यता एवं क्षमता (Capacity and Capability) की तुलना में बेहतर मानते हुए एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 के नियम 11(3) के तहत श्रेष्ठ आवेदक के रूप में इनका चयन किया गया, जबकि खनन क्षेत्र में विशिष्ट क्षमता (Core Competency) रखनेवाली भारत सरकार की कंपनी एन.एम.डी.सी. लिमिटेड एवं निजी क्षेत्र की क्षमतावान कंपनी सर्वश्री टाटा स्टील लि. के आवेदन को अस्वीकृत कर दिया गया।

(ii) अभिजीत इंफ्रास्ट्रक्चर प्रा.लि. को मौजा सिलपूँजी—कंटोरियो में पत्रांक 1228/एम. दिनांक 17.12.04 द्वारा खनन पट्‌टा के स्वीकृति की अनुशंसा भेजी गई। इसके बावजूद इसी कंपनी को पुन: पत्रांक 1517/एम. दिनांक 24.11.04 द्वारा मौजा घाटकुरी में 429.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्‌टा की स्वीकृति हेतु अनुशंसा भेजी गई।

इस्पात इंडस्ट्रीज लि. को पत्रांक 173/एम. दिनांक 11.12.08 द्वारा मौजा लटुआ में 520.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्‌टा की स्वीकृति की अनुशंसा की गई, जिस पर भारत सरकार के पत्रांक 5.16.2008-M-IV दिनांक 08.07.08 द्वारा पूर्वानुमोदन प्राप्त हुआ है। इसके बाद पुन: इसी कंपनी को पत्रांक 1516 दिनांक 24.11.04 द्वारा मौजा घाटकुरी में ही अतिरिक्त 470.00 हेक्टेयर क्षेत्र पर खनन पट्‌टा के स्वीकृति की अनुशंसा भेजी गई। जबकि अन्य कई कंपनियों के आवेदनों को स्वीकृत नहीं करने का कारण यह बताया गया है कि इन्हें अथवा इनकी सहयोगी कंपनियों का अन्यत्र खनन पट्‌टा देने पर विचार किया जा रहा है।

(iii) एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 के नियम 11(3)/11(5) में आवेदक की वित्तीय क्षमता के आधार पर प्राथमिकता निर्धारित करने का प्रावधान है, लेकिन राज्य सरकार द्वारा 'इस्पात इंडस्ट्रीज लि.' एवं 'बिहार स्पांज आयरन लि.' जैसी वित्तीय रूप से कमजोर कंपनियों को प्राथमिकता देते हुए क्रमश: उन्हें लटुआ एवं घाटकुरी में खनन पट्‌टा की अनुशंसा की गई, जो एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 के प्रावधानों की अवहेलना है। इस्पात इंडस्ट्री ने अपने आवेदन में उल्लेख किया है कि गत् वर्ष 2005-06 में करीब 680 करोड़ और वर्ष 2006-07 में करीब 10 करोड़ का घाटा हुआ है। 'बिहार स्पांज' राज्य सरकार के वित्तीय ऋण पर चल रही है, जिसे वह समय पर चुकता करने की स्थिति में नहीं है।

(iv) राज्य सरकार द्वारा आवेदनों की प्राथमिकता के निर्धारण में एम.ओ.यू. को आधार बनाया गया है। लेकिन स्वयं सरकार द्वारा ही इसकी अवहेलना करते हुए स्टीको पॉवर लि., प्रकाश इस्पात लि. एवं विमल दीप प्रा.लि. जैसी कंपनियों को घाटकुरी में खनन पट्‌टा की अनुशंसा की गई, जिनके द्वारा राज्य सरकार के साथ एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित नहीं हैं।

(v) राज्य सरकार द्वारा लौह अयस्क के खनन पट्‌टा हेतु आवेदनों की अनुशंसा के लिए प्राथमिकता देने में आवेदकों द्वारा प्रस्तावित पूँजी निवेश और तकनीकी क्षमता को भी एक आधार माना गया है। लेकिन कई कंपनियाँ, जिनके पूँजी निवेश का प्रस्ताव अन्य कंपनियों की तुलना में काफी कम है, उन्हें खनन पट्‌टा की अनुशंसा की गई है। इसी तरह ऐसी केई कंपनियाँ है, जिन्होंने अपने आवेदन में तकनीकी क्षमता एवं अनुभव नहीं होने का जिक्र किया है, इसके बावजूद उनके आवेदनों की अनुशंसा कर दी गई है, जबकि खनन क्षमता और खनन अनुभव रखने वाली कई कंपनियों के आवेदनों को अनुशंसा योग्य नहीं माना गया है।

उपर्युक्त वर्जित तथ्यों से स्पष्ट है कि मधु कोड़ा लूट राज में खनन पट्‌टा अथवा पूर्वोक्षण अनुज्ञप्ति के आवेदनों पर निर्णय लेने में और अनियमितता का खुला खेल हुआ है और घोर मनमानी की गई है। दिनांक 7 अप्रैल, 2008 को राँची में संवाददाता सम्मेलन आयोजित कर मैंने इन सभी अनियमितताओं को पर्दाफाश किया और भारत के प्रधानमंत्री तथा खान मंत्री को पत्र लिखकर अवगत कराया, परंतु कोई काररवाई नहीं हुई।

□

अवैध खनन और छद्म खनन

अवैध खनन क्या है ? कैसे होता ? क्यों होता है ? कौन करता है ? किसके संरक्षण में होता है ? ये सवाल और इनसे जुड़े अनेक सवाल लोगों के मन-मस्तिष्क में उभरते रहते हैं। आम भाषा में अवैध खनन का मतलब है—गैर-कानूनी तरीके से चोरी-छुपे किया जा रहा खनन 'अवैध खनन' शब्द का साधारणत: यह अर्थ निकाला जाता है कि कोई व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह धरती के नीचे के खनिज संपदा का उत्खनन सरकार की अनुमति के बिना कर रहा है। लेकिन कानून के प्रावधानों के दृष्टिकोण से अवैध खनन का व्यापक अर्थ है। कानून के तहत केवल खनिज के अवैध उत्खनन में संलिप्त व्यक्ति ही अवैध खनन के लिए जिम्मेदार नहीं है, बल्कि खनिज के अवैध परिवहन, व्यापार, बिक्री, भंडारण एवं संरक्षण से जुड़ा हर व्यक्ति या संस्था इसकी परिधि में आता है। एम.एम. (डी.आर.) ऐक्ट 1957 की धारा 4 एवं 21 के तहत अवैध खनन, परिवहन एवं इसमें संलिप्तता पर दंड का प्रावधान है।

अवैध खनन का कारण

झारखंड की रत्नगर्भा धरती के अंदर प्राय: सर्वत्र किसी-न-किसी खनिज की उपलब्धता है। खनिज संसाधन एक खुला खजाना है, जिस पर कोई पहरा नहीं है। खनिज की व्यापक उपलब्धता एवं राज्य में इसकी बहुलता के कारण इसके कारोबार में जनसंख्या का एक बड़ा हिस्सा लगा रहता है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर कम उपलब्ध होने के कारण स्थानीय व्यक्तियों द्वारा खनिजों का उत्खनन कर इन्हें खनिज व्यापार से जुड़े व्यक्तियों को बेच दिया जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया में अवैध उत्खनन सीमित पैमाने पर होता है। व्यापक पैमाने पर खनिज का अवैध खनन बड़े ठेकेदारों और व्यापारियों के संरक्षण में कराया जाता है। झारखंड राज्य में हो रहा लौह अयस्क का अवैध खनन इसी श्रेणी में है।

सामान्य तौर पर लौह अयस्क का उपयोग सीधे आम जनता द्वारा नहीं किया जाता है। लौह अयस्क का इस्तेमाल इस्पात उद्योग एवं अन्य संबंधित उद्योगों में ही होता है, अत: सर्वत्र इसकी माँग एवं उपयोगिता नहीं है। ऐसी स्थिति में इसका अवैध खनन संगठित व्यापारिक समूहों द्वारा ही कराया जाता है, जिससे ग्रामीणों, मजदूरों एवं स्थानीय ठेकेदारों की कड़ी जुड़ी रहती है। भारी पैमाने पर अवैध खनन के संयंत्र, विस्फोटक पदार्थ इत्यादि आवश्यक साजो-समान का इंतजाम धंधे के शीर्ष पर बैठे व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। दिन-प्रतिदिन खनिजों की बढ़ती माँग और कीमत के कारण इस धंधे में लोगों की दिलचस्पी बढ़ी है। सन् 2003 के बाद लौह अयस्क की चीन एवं अन्य देशों में बढ़ती माँग एवं इस व्यापार में भारी मुनाफे के कारण भी अवैध खनन के कारोबार में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है।

खनिज संपदा प्राय: वनों से आच्छादित है। 1980 के बाद वन अधिनियम के प्रावधानों के तहत वन क्षेत्रों में वैध तरीके से खनन पट्टा प्राप्त करना जटिल हो गया है, लेकिन अवैध तरीके अपनाकर तथा वन पदाधिकारियों की मिलीभगत से खनिज उत्खनन कर ले जाना आसान हो गया है। खासकर वृहत खनिजों के अवैध खनन का यह भी एक मुख्य कारण है। पश्चिमी सिंहभूम में दो प्रखंड नोआमुंडी एवं मनोहरपुर में लौह अयस्क का विशाल भंडार है। इस क्षेत्र में अभी भी लौह अयस्क का 75 प्रतिशत क्षेत्र ऐसा है, जहाँ किसी के पक्ष में खनन पट्टा स्वीकृत नहीं है, लेकिन इन क्षेत्रों पर लौह अयस्क का अकूत भंडार है। किरीबुरू, रायका, परम बलजोरी, घाटकुरी की गिनती ऐसे क्षेत्रों में होती है, जहाँ लौह अयस्क का अवैध खनन एवं परिवहन किया जाता है।

छद्म खनन

प्रॉक्सी माइनिंग अर्थात् छद्म शब्द का प्रयोग खनन क्षेत्र में बिलकुल ही नया है। किसी भी खनिज का धरती के गर्भ से उत्खनन करने के लिए, एम.एम. (डी.आर.) 1957 के तहत खनन पट्टा प्राप्त कर करने का प्रावधान है। वृहत खनिजों के लिए मिनरल कंशेसन रूल्स 1960 वी नियम 22 के अनुसार खनन पट्टा प्राप्त कर खनन कार्य करने का प्रावधान है। लेकिन गत् कुछ वर्षों से बिना खनन पट्टा प्राप्त किए ही लौह अयस्क का खनन करने का प्रचलन झारखंड में तेजी से बढ़ा है। यह खनन पट्टा क्षेत्र पर गैर-कानूनी तरीके से अपना एकाधिकार बना कर उत्खनन एवं खनिज व्यापार करने का गैर-कानूनी तरीका है।

मिनरल कंशेसन रूल्स 1960 के नियम 37 में खदान के खनन पट्टा हस्तानांतरण की विधि-रीति वर्णित है। इसके अनुसार कोई भी पट्टाधारी, अपने खनन पट्टा को किसी व्यक्ति, संस्था एवं प्रतिष्ठान को बिक्री नहीं कर सकता है। उन्हें अपने खनन पट्टा को किसी को भी सौंपने, गिरवी रखने, किराए पर देने का अधिकार नहीं है। कानूनी तौर पर सरकार के पास पट्टा हस्तानांतरण के लिए विहित प्रपत्र में आवेदन दाखिल कर सरकार की स्वीकृति प्राप्त करने के बाद ही खनन पट्टा का हस्तानांतरण इच्छुक व्यक्ति या संस्था द्वारा प्राप्त किया जा सकता है।

ऐसा नहीं कि कानून के इस प्रावधान की जानकारी पट्टाधारी को अथवा पट्टा का हस्तानांतरण अपने पक्ष में कराने वाले को नहीं थी। ऐसा भी नहीं कि खान विभाग के पदाधिकारी इस प्रावधान से अवगत नहीं थे। लेकिन दोनों पक्षों को पूरी जानकारी होने के बावजूद गैर-कानूनी तरीके से पट्टाधारित क्षेत्र पर अन्य व्यक्तियों द्वारा उत्खनन, परिवहन, बिक्री एवं व्यापार का कार्य किया जाता रहा है। जिला खनन पदाधिकारी द्वारा पट्टाधारियों एवं छद्म खनन करनेवालों को मिनरल कंशेसन रूल्स 1960 की धारा 37 के उल्लंघन का नोटिस समय-समय पर दिया जाता है, लेकिन इस नोटिस पर कोई काररवाई नहीं की जाती है। नोटिस देने के बाद जिला खनन पदाधिकारी एवं खान विभाग में शीर्ष पर बैठे अधिकारी अचानक चुप हो जाते हैं। नतीजतन अवैध खनन कारोबारियों द्वारा छद्म खनन (प्रॉक्सी माइनिंग) का खुला खेल निर्भीक रूप से जारी रहता है।

झारखंड राज्य में स्वीकृत 42 लौह अयस्क के खनन पट्टों में से निजी क्षेत्र के अधिकांश खनन पट्टे इसी व्यवस्था पर चल रहे हैं। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टाटा स्टील, उषा मार्टिन एवं रूँगटा माइंस के अलावा शायद ही एक-दो ऐसे खनन पट्टाधारी हों, जो अपनी खदानें छद्म खनन की इस पद्धति से नहीं चला रहे हों। अधिकांश खनन पट्टों को पट्टाधारियों द्वारा किसी-न-किसी व्यक्ति या संस्था को एग्रीमेंट के आधार पर संचालन करने हेतु को दे दिया गया है। खनन पट्टा के संचालन के अधिकार की आड़ में ऐसे तत्त्वों द्वारा रिक्त पड़े क्षेत्रों से अवैध खनन कर वैध परिवहन का कार्य किया जाता है। यदि समय पर मिनरल कंशेसन रूल्स के प्रासंगिक प्रावधानों को सख्ती से लागू किया गया होता तो इस क्षेत्र से लौह अयस्क का इतने व्यापक पैमाने पर अवैध खनन एवं परिवहन नहीं होता।

अवैध खनन-वैध परिवहन

पश्चिमी सिंहभूम से लौह अयस्क को व्यापार हेतु हल्दिया या पारादीप बंदरगाह तक ले जाना पड़ता है। देश के अन्य भागों में बिक्री हेतु इसका परिवहन रेल से करना होता है। इतना लंबा सफर तय करने के लिए परिवहन चालान की जरूरत होती है। यह परिवहन चालान खनन पट्टाधारकों, स्टॉकिस्ट लाइसेंसधारियों को ही निर्गत करने का कानूनी प्रावधान है। वन क्षेत्रों से लौह अयस्क का अवैध उत्खनन करनेवाले परिवहन हेतु इसका चालान खनन पट्टाधारकों अथवा स्टॉकिस्ट लाइसेंसधारकों से प्राप्त कर लेते है। इस प्रक्रिया में अवैध तरीके से उत्खनित खनिज को वैध बनाकर बाजार में भेज दिया जाता है। पश्चिमी सिंहभूम में कार्यरत खनन पट्टा क्षेत्रों से गत् 5 वर्षों में अवैध खनन से हासिल करीब 30 मिलियन टन लौह अयस्क की बिक्री ऐसे ही गोरखधंधों के माध्यम से की गई है।

पूँजी निवेश की आड़ में अवैध खनन

झारखंड राज्य के निर्माण के बाद सरकार के समक्ष करीब 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के पूँजी निवेश का प्रस्ताव विभिन्न पूँजी निवेशकों द्वारा समर्पित किया गया। राज्य सरकार और उद्योगपतियों के बीच पूँजी निवेश के लिए 80 से अधिक एम.ओ.यू. हस्ताक्षरित हुए। अधिकांश पूँजी निवेशकों द्वारा अपनी परियोजना को कार्यान्वित करने हेतु वास्तविक पूँजी निवेश राज्य में नहीं किया गया है, लेकिन इन्होंने झारखंड में खनिज संपदा (लौह अयस्क) के वैध-अवैध व्यापार से अरबों की संपत्ति अर्जित की है। ऐसे व्यापारियों एवं प्रतिष्ठानों द्वारा राज्य में पूँजी निवेश का प्रस्ताव एक छलावा है। इनका असली उद्देश्य राज्य से लौह अयस्क का व्यापार करना है। ऐसे पूँजी निवेशक खनन विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को रिश्वत या अन्य तरीकों से पटाकर खनन पट्टा के संचालन का समझौता कर लेते हैं। इस समझौते की आड़ में सारंडा के जंगलों से लौह अयस्क का अवैध उत्खनन एवं व्यापार किया जाता है।

क्रेशर और अवैध खनन

पश्चिमी सिंहभूम के मनोहरपुर एवं नोआमुंडी प्रखंड क्षेत्रों से लौह अयस्क के अवैध खनन एवं परिवहन का एक अन्य प्रमुख कारण इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर लौह अयस्क क्रेशरों के लाइसेंस निर्गत करना रहा है। इन क्रेशरों की आड़ में छद्म खनन एवं अवैध खनन का विस्तार हुआ है। अधिकांश क्रेशर संचालकों द्वारा क्रसर का वैध लाइसेंस प्राप्त कर अवैध कारोबार किया जाता रहा है। इस इलाके में लौह अयस्क के स्वीकृत खनन पट्टों की अनुपात में स्थापित क्रेशरों की संख्या काफी अधिक है। इस क्षेत्र में लौह अयस्क के कुल स्वीकृत खनन पट्टों में से लगभग 25 ही कार्यरत रहते हैं। 25 कार्यरत खदानों से उत्खनित लौह अयस्क के क्रेशिंग हेतु 200 से अधिक क्रेशर स्थापित हैं। अधिकांश क्रेशर अवैध उत्खनित लौह अयस्क की क्रसिंग एवं बिक्री में संलिप्त रहते हैं। इनके लिए यह बताना जरूरी नहीं है कि लौह अयस्क कहाँ से आया और क्रशिंग के बाद एक निश्चित आकार में परिवर्तित होकर कहाँ गया। व्यापार विश्लेषण से स्पष्ट है कि क्रेशरों पर हो रहा अवैध कारोबार ही इस क्षेत्र में अवैध खनन और परिवहन, करवंचना कारोबार, प्रदूषण एवं पर्यावरण असंतुलन के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है।

प्रशासन की भूमिका

ऐसा नहीं कि राज्य में लौह अयस्क के भारी पैमाने पर हो रहे अवैध खनन की जानकारी प्रशासन को नहीं रहती। कुछ दिन पहले भारत सरकार में खान सचिव की अध्यक्षता में आई.आई.सी.एम., राँची के सभागार में अवैध खनन पर एक बैठक आहुत की गई थी। बैठक में पश्चिमी सिंहभूम जिला में अपर समाहर्ता पद पर पदस्थापित अल्पसंख्यक समुदाय

के एक पदाधिकारी ने बताया कि सारंडा के वन क्षेत्रों से भारी पैमाने पर लौह अयस्क की तस्करी की जा रही है। इसकी वीडियो रिकॉर्डिंग उपलब्ध होने की बात भी उनके द्वारा बताई गई। लेकिन बैठक में उपस्थित तत्कालीन जिला खनन पदाधिकारी ने त्वरित प्रतिवाद किया और इस आरोप को सिरे से खारिज कर दिया। अगले दिन उस अपर समाहर्ता को चाईबासा से पलामू स्थानांतरित कर दिया गया। शासन के शीर्ष पर बैठा कोई ऐसा व्यक्ति अवैध खननकर्ताओं के संरक्षक की भूमिका में अवश्य रहा होगा, जिसने जिला खनन पदाधिकारी के दबाव में या शिकायत पर अपर समाहर्ता का तुरंत स्थानांतरण कर दिया। यह वाकया मधु कोड़ा लूट राज का है।

अवैध चालान से परिवहन

लौह अयस्क के अवैध खनन और व्यापार में संलग्न कारोबारियों का जाल इतना सशक्त है कि वे अपने स्तर से अवैध परिवहन चालान भी छपवा लेते हैं। सन् 2005 में परिवहन चालानों के मुद्रण की जिम्मेदारी राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एवं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से अनुमोदित सिक्युरिटी प्रिंटिंग प्रेसों से कराने का निर्णय तत्कालीन खान सचिव अरुण कुमार सिंह ने लिया और छपाई कराना भी आरंभ किया। इस नई व्यवस्था से अवैध चालान की छपाई पर रोक लग गई। इससे सरकार को लौह अयस्क के अवैध व्यापार को रोकने में सफलता भी मिली। उनका स्थानांतरण हुआ तो चालान की छपाई के मापदंडों में ढील दे दी गई, चालानों की छपाई पुन: स्थानीय स्तर पर होने लगी, अवैध परिवहन चालान (जाली चालान) छपवाने का सिलसिला फिर शुरू हो गया। वैध और अवैध दोनों प्रकार के चालान एक ही प्रिंटिंग प्रेस से छपवाए जाते हैं। इस कारण राज्य सरकार को करोड़ों रुपए के राजस्व की चपत लग रही है। साथ ही अवैध खनन का व्यापार भी फल-फूल रहा है। अवैध परिवहन चालानों से ढुलाई करने के मामले में दर्जनों मुकदमे पश्चिमी सिंहभूम जिला के गुआ, नोआमुंडी और बड़ा जामदा पुलिस थानों में दर्ज हैं।

झारखंड में लौह अयस्क के अवैध खनन, अवैध परिवहन, अवैध व्यापार का एक सशक्त सिंडिकेट राजनीतिज्ञों, अफसरों और व्यवसायियों के संरक्षण में कायम हो गया है। इसने माफिया गिरोह की शक्ल अख्तियार कर लिया है। इसकी शक्ति का स्रोत सत्ता के गलियारों में है। इसकी कमजोरी और मजबूती राजधानी के सत्ता समीकरण पर निर्भर है। □

छद्म खनन हेतु खदान पर कब्जा

छद्म खनन को बढ़ावा देने के लिए लौह अयस्क खदानों पर कब्जा करने की प्रवृत्ति विगत वर्षों में बढ़ी है। मधु कोड़ा के सहयोगियों द्वारा सरकारी संरक्षण में लौह अयस्क खदानों पर कब्जा किए गए हैं। पश्चिमी सिंहभूम के नोआमुंडी में सलिल कुमार घोष के नाम से लौह अयस्क का एक खनन पट्टा स्वीकृत है। इस खनन पट्टे की अवधि 8 जनवरी, 1963 से 30 वर्षों की थी। इस खनन पट्टा के नवीनीकरण के लिए प्रथम नवीनीकरण आवेदन दाखिल है। सलिल कुमार घोष के नाम से धारित इस खनन पट्टा का वास्तविक संचालन चाईबासा के अनिल खिरवाल द्वारा सन् 1995-96 से किया जा रहा था। कालांतर में गिरिडीह के एक व्यापारी इसमें पार्टनर बन गए।

इस खनन पट्टा क्षेत्र का रकबा 20.07 हेक्टर है। इस खदान में लौह अयस्क का अच्छा भंडार नहीं है। इस खदान में खनन कम एवं समीपवर्ती टाटा स्टील के खदान से तथा समीपवर्ती रिक्त क्षेत्रों से अवैध खनन कर लौह अयस्क का परिवहन किया जाता रहा है। यह खदान छद्म खनन एवं अवैध खनन का नमूना रही है।

वर्ष 2003 के बाद लौह अयस्क के व्यापार में आई तेजी एवं किसी भी गुणवत्ता वाले लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि के कारण इस खदान से उत्पादन एवं व्यापार में तेजी आई। इसी बीच इस खदान पर विनोद सिन्हा की नजर पड़ी। खदान को तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के निजी सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव के भाई की कंपनी मैसर्स ए.आर. माइनिंग इंटरप्राइजेज के नाम पर जबरन हस्तानांतरित करने की काररवाई शुरू हो गई। पूर्व में इस खदान के खनन पट्टा का हस्तानांतरण श्री अनिल खिरवाल के नाम करने की काररवाई ही शुरू की गई थी। यह हस्तानांतरण आवेदन राज्य सरकार के स्तर पर लंबित था। फिर भी विनोद सिन्हा के दबाव में इसका पुन: हस्तानांतरण मुख्यमंत्री के निजी सचिव अरुण कुमार श्रीवास्तव के भाई की कंपनी ए.आर. माइनिंग इंटरप्राइजेज को किया गया। पुलिस और प्रशासन के बल पर खिरवाल को खदेड़कर श्रीवास्तव के भाई की कंपनी को खदान पर कब्जा दिलाया गया।

मेरे अल्पसूचित प्रश्न संख्या 18 के उत्तर में झारखंड के खान एवं भू-तत्त्व विभाग ने ज्ञापांक वि.स. (अ.सु.)—82/07-2785/ एम. दिनांक 17-12-2007 द्वारा सरकार ने स्वीकार किया कि मिनरल कंशेसन रूल्स 1960 धारा 37 का उल्लंघन करते हुए श्री सलील घोष का खदान पहले खिरवाल चला रहे थे और अब इसे मैसर्स ए.आर. मिनरल्स चला रहा है, जिसका मालिक तत्कालीन मुख्यमंत्री मधु कोड़ा के निजी सचिव श्री अरुण कुमार श्रीवास्तव के साले अजय कुमार श्रीवास्तव हैं। विधान सभा में किए गए प्रश्न एवं सरकार द्वारा लिखित उत्तर हू-ब-हू नीचे अंकित हैं—

प्रश्न : क्या यह बात सही है कि माइंस ऐंड मिनरल्स डेवलपमेंट एवं रेगुलेशन ऐक्ट के सेक्शन 37 के अनुसार खनन लीज का स्थानांतरण, सबलीज, मोर्गेज गैर-कानूनी है।

उत्तर : उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। वृहत खनिज खनन पट्टे का हस्तांतरण मिनरल कंसेशन रूल्स 1960 के नियम 37 (न कि माइंस ऐंड मिनरल्स डेवलपमेंट ऐंड रेगुलेशन ऐक्ट, 1957 के सेक्शन 37) के अंतर्गत राज्य सरकार के आदेश से ही किए जाने का प्रावधान है।

प्रश्न : क्या यह बात सही है कि नोआमुंडी प्रोटेक्टेड एरिया के ब्लॉक संख्या 40 में 20.07 हेक्टेयर क्षेत्रफल में लौह अयस्क खदान का लीज दिनांक 8.1.1963 को 90 वर्षों के लिए श्री मनींद्रनाथ घोष को दिया गया था, जिसका पुनर्नवीकरण नहीं हुआ है?

उत्तर : उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। नोआमुंडी प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट ब्लॉक नं. 40 के 20.07 हेक्टेयर क्षेत्र पर लौह अयस्क खनन पट्टा दिनांक 8.1.1963 से 30 वर्षों की अवधि के लिए श्री मनींद्र नाथ घोष, कलकत्ता के पक्ष में धारित था। पट्टेधारी की मृत्यु के उपरांत इसका म्यूटेशन उनके पुत्र श्री सलिल कुमार घोष एवं समीर कुमार घोष के पक्ष में 12.5.1982 को किया गया है। इस खनन पट्टे के प्रथम नवीनीकरण की स्वीकृति हेतु दाखिल आवेदन पत्र दिनांक 6.1.1992 से राज्य सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। श्री सलिल कुमार घोष की मृत्यु के उपरांत वर्तमान में यह खनन पट्टा श्रीमती मित्रा घोष एवं श्री समीर कुमार घोष के संयुक्त नाम पर म्यूटेशन नामांतरित है।

प्रश्न : क्या यह बात सही है कि लीजधारक ने लीज अवधि समाप्त होने के बाद 26 सितंबर, 1998 को खदान चलाने के लिए बी.एन. खिरवाल माइंस प्रा.लि. को अनुबंध पर स्थानांतरित कर दिया और पुन: यह अनुबंध रद्द कर इस वर्ष से खदान चलाने के लिए ए.आर. माइनिंग इंटरप्राइजेज के साथ नाम अनुबंध कर लिया है?

उत्तर : उत्तर आंशिक स्वीकारात्मक है। बिहार सरकार के आदेश दिनांक 25.7.1991 द्वारा इस खनन पट्टे को श्री अनिल खिरवाल के पक्ष में हस्तांतरण किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई थी। परंतु हस्तानांतरण संविदा का निष्पादन नहीं होने के कारण यह आदेश स्वत: अस्वीकृत हो गया। कालांतर में इस खनन पट्टे का हस्तानांतरण आवेदन श्री बी.एन. खिरवाल माइंस प्रा.लि. के पक्ष में दिनांक 5.5.1999 को आवेदन पत्र तथा दिनांक 7.2.2004 को हस्तांतरण आवेदन शुल्क प्राप्त हुआ। पुन: पूर्व के हस्तानांतरण आवेदन को रद्द करते हुए सर्वश्री ए.आर. माइनिंग इंटरप्राइजेज के पक्ष में हस्तांतरण आवेदन दिनांक 20.9.2007 को खनन पट्टेधारी द्वारा दाखिल किया गया है। इस विषय में सर्वश्री बी.एन. खिरवाल माइंस प्रा.लि.-निदेशक राजीव खिरवाल की ओर से सब जज-1 चाईबासा के न्यायालय में एक टाइटल सूट सं.-15/2007 भी दायर एवं लंबित है, जिसमें दावा किया गया है कि पट्टेधारी के साथ उक्त कंपनी का अनुबंध है। पुनश्च पट्टेधारी ने श्री सुनील खिरवाल, श्री सुमित खिरवाल, श्री राजीव खीरवाल एवं श्री अनिल खीरवाल के विरुद्ध नोआमुंडी थाने में शिकायत भी दिनांक 23.11.2007 को दर्ज कराई है। हस्तांतरण की स्वीकृति जब तक नहीं हो जाती है, तब तक इस खनन पट्टे के सभी उत्तरदायित्व एवं देयता का निर्वहन पट्टेधारी श्रीमती मित्रा घोष एवं श्री समीर कुमार घोष की ही निर्विवाद रूप से नियमानुसार बनी हुई है।

प्रश्न : यदि उपर्युक्त खंडों के उत्तर स्वीकारात्मक हैं तो क्या सरकार इस अनियमितता के लिए जिम्मेदार के विरुद्ध काररवाई करने का विचार रखती है, यदि हाँ तो कब तक? नहीं तो क्यों?

उत्तर : खनन पट्टेधारी को इस अनियमितता के लिए मिनरल कंसेशन रूल्स, 1960 के नियम 26 के अंतर्गत कारण पृच्छा नोटिस जारी कर एवं पट्टेधारी का पक्ष सुनने के उपरांत कानून के प्रावधान के अंतर्गत लंबित नवीनीकरण के विषय पर समुचित निर्णय लिया जाएगा।

उपर्युक्त प्रश्नोत्तर से स्पष्ट है कि झारखंड में छद्म खनन को बढ़ावा सरकार द्वारा ही दिया जा रहा है। इस सवाल-जवाब के दौरान सरकार मेरे पूरक प्रश्नों का संतोषप्रद उत्तर नहीं दे पाई। फलत: विधान सभा अध्यक्ष ने इसे गहन जाँच के लिए विधान सभा की प्रश्न एवं ध्यानाकर्षण समिति को सुपुर्द कर दिया। जहाँ यह आज भी लंबित है।

इस दौरान मैंने विधान सभा पटल पर एक सी.डी. भी रखा, जिसमें खिरवाल के

मामा और इस कंपनी के एक पार्टनर रवि बागड़िया की बातचीत दर्ज थी। गिरिडीह के रवि बागड़िया से खिरवाल के मामा ने इस बारे में बातचीत किया और जानना चाहा कि ऐसा क्यों हो रहा है। उन्होंने इस बातचीत को टेप कर इसकी एक सी.डी. बना लिया था। सी.डी. में अंकित इस बातचीत से स्पष्ट होता है कि इसके पीछे कौन है। मारवाड़ी बोली में हुई बातचीत का प्रमुख अंश निम्नांकित है—

प्रश्नकर्ता : म्हारो डिस्टर्ब क्यों करो हो?

बागड़िया : यो डिस्टर्बेंस आयो विनोद सिन्हा को लेकर…

प्रश्नकर्ता : ये लफड़ा सी.एम. (मधु कोड़ा) का किया हुआ है क्या?

बागड़िया : मास्टर माइंड तो वो ही है, सब लोग मिलकर खाते हैं।

प्रश्नकर्ता : वो तो बोल देवऽ हैं कि विनोद सिन्हा को नहीं जानते हैं!

बागड़िया : सारी दुनिया जानऽ है कि तो को सागे रहवे है, सब वोइ करे है। पहले भी इतना हल्ला हुआ। सी.एम. बोल देता है कि हम विनोद सिन्हा को नहीं जानते हैं।

प्रश्नकर्ता : माइन ओनर लेडी (मित्रा घोष) के पास कौन गया था?

बागड़िया : मुख्यमंत्री को चार पी.ए. है। विनोद सिन्हा और दो सिंह है। विनोद और दो सिंह निगोसियेट करने गयो थो। हमको तो पैसा देने के टाइम साथ में ले गए थो। हम इसमें रिजाइन करने के लिए तैयार हैं। सी.एम. को जाकर हम बोलेंगे। लेकिन ये लोग बहुत ख़ूड और जल्लाद है। मेरा दो माइंस का और मामला इनके साथ फँसा हुआ है, जिसमें मेरा करोड़ों रुपए लगा हुआ है। हम रिजाइन करेंगे तो वो लोग उसको गड़बड़ा देंगे, ये लोग का आठ-दस कंपनी है, जिसमें कई तरह का काम करते हैं, दो नंबर के रुपए लोगों को देते हैं। वे लोगों को बोलते हैं कि आप अपना एकाउंट से पक्का का ड्राफ्ट बनाकर ले आइए, पार्टनर बनाइए। नागार्जुन में भी, जो सड़क और पुल बनाता है, उसमें भी ये लोग है।

इसी प्रकार विनोद सिन्हा ने सिंहभूम मिनरल्स की खदान पर भी इसी प्रकार कब्जा कर लिया है। पहले इस खदान की प्रॉक्सी माइनिंग 'मोनेट इस्पात' करता था। नोआमुंडी की ठकुरानी माइंस पर भी इसी तरह से कब्जा करने की कोशिश इन लोगों ने की, पर विफल रहे। दबाव देने के लिए कोर मिनरल्स के प्रतिनिधि को तत्कालीन मुख्यमंत्री के घर में बुलाकर धमकाया, पर उन्होंने धमकी का सामना करते हुए सौदेबाजी करने से इनकार कर दिया। जिनकी खदान पर कब्जा करने में थे लोग सफल नहीं हुए, उनपर लेवी लगा दिया।

□

बिजली बोर्ड का भ्रष्टाचार

मधु कोड़ा लूट राज के कारिंदों ने खान विभाग के साथ-साथ झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड को भी अनियमितता और भ्रष्टाचार का अखाड़ा बना दिया था। 10वीं और 11वीं पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत 2662.12 करोड़ रुपए की लागत पर राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के क्रियान्वयन का कार्यक्रम बना था। इस योजना में झारखंड के 27,359 गाँव में बिजली पहुँचाने का लक्ष्य था। झारखंड सरकार ने इस महत्त्वपूर्ण कार्य का जिम्मेदारी झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड, एन.टी.पी.सी. और डी.वी.सी. को सौंपा। पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सराकेला-खरसावाँ, गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों में यह काम पूरा करने की जिम्मेदारी झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के जिम्मे थी। इसमें नई संचरण लाइन बिछाने के लिए डिविजन तैयार करने, तार बिछाने, वितरण ट्रांसफॉर्मर लगाने आदि का काम शामिल था। इसके लिए 740 करोड़ रुपए का प्राक्कलन तैयार हुआ था, जिसे बढ़ाकर 1101.04 करोड़ रुपए कर दिया गया।

इस कार्य हेतु निविदा के माध्यम से योग्य एवं सक्षम संवेदकों का चयन करने की प्रक्रिया 2006 के अगस्त माह में पूरी हो गई। केवल कार्यादेश निकलना बाकी था। झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड ने अपने हिस्से के काम को 6 पैकेज में बाँट दिया। तीन पैकेज का काम आई.वी.आर.सी.एल. इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड नामक आंध्र प्रदेश की कंपनी को निविदा के आधार पर मिला, जिसमें गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों का काम शामिल है। आई.वी.आर.सी.एल. का दर गढ़वा, पलामू और लातेहार जिलों के लिए न्यूनतम था। यह काम आरंभ में 467.96 करोड़ की लागत पर दिया गया। इसमें गढ़वा जिला के लिए 152.89 करोड़, पलामू के लिए 185.53 करोड़ और लातेहार के लिए 129.80 करोड़ का व्यय शामिल था।

इस बीच राज्य में सरकार बदल गई। अर्जुन मुंडा की जगह मधु कोड़ा मुख्यमंत्री बन गए। श्री कोड़ा के मुख्यमंत्री बनते ही उनके गुर्गे सक्रिय हो गए। न्यूनतम दर वाले संवेदक को कार्यादेश देने के बदले उससे मोल-भाव होने लगा।

20 अक्तूबर, 2008 को मधु कोड़ा लूट राज का पर्दाफाश करते समय 45 पृष्ठों के अनुलग्नकों के साथ मैंने जो प्रेस नोट जारी किया था, उनमें से एक अनुलग्नक में 11.40 करोड़ रुपए के रिश्वत भुगतान का तिथिवार ब्योरा दिया हुआ था। ब्योरे में जिक्र था कि झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड की ग्रामीण विद्युतीकरण की योजनाओं का ठेका पाने के लिए आई.वी.आर.सी.एल. नामक कंपनी ने तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री मधु कोड़ा को 11.40 करोड़ रुपए कमीशन का भुगतान विनोद सिन्हा के माध्यम से किया है। यह ब्योरा निम्नांकित है—

क्रमांक	रिश्वत की तिथि	रिश्वत की राशि
1	07.06.2007	1.50 करोड़ रुपए
2	20.07.2007	1.20 करोड़ रुपए
3	05.07.2007	4.50 करोड़ रुपए
4	06.10.2007	0.50 करोड़ रुपए
5	11.10.2007	1.00 करोड़ रुपए
6	22.10.2007	1.00 करोड़ रुपए
7	19.11.2007	0.20 करोड़ रुपए
8	22.11.2007	0.15 करोड़ रुपए
9	22.11.2007	0.18 करोड़ रुपए
10	23.11.2007	0.10 करोड़ रुपए
11	26.11.2007	0.20 करोड़ रुपए
12	27.11.2007	0.10 करोड़ रुपए
13	28.11.2007	0.15 करोड़ रुपए
14	03.12.2007	0.02 करोड़ रुपए
15	05.12.2007	0.05 करोड़ रुपए
16	07.12.2007	0.10 करोड़ रुपए
17	24.12.2007	0.20 करोड़ रुपए
	कुल जोड़—	**11.40 करोड़ रुपए**

कोड़ा मंत्रिमंडल के मंत्रियों के विरुद्ध आय से अधिक संपत्ति की जाँच के लिए दुर्गा उराँव ने झारखंड उच्च न्यायालय, राँची में जो जनहित याचिका दायर की, उसके अनुलग्नकों में भी उपर्युक्त विवरण शामिल था। उच्च न्यायालय के निर्देश पर आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों ने घोटालेबाजों के ठिकानों पर देश भर में छापेमारी की तो आई.वी.आर.सी.एल. के राँची अशोक नगर स्थित कार्यालय से और इसके क्षेत्रीय प्रबंधक डी.के. श्रीवास्तव के लखनऊ आवास से बहुत सारे कागजात बरामद हुए। क्वांटम पॉवर टेक के हवाई नगर, राँची के कार्यालय पर और इसके कर्ता-धर्ता रोहितास कृष्णन के दिल्ली स्थित निवास पर भी छापेमारी हुई। रोहितास कृष्णन क्वांटम पॉवर टेक के साथ ही नेहरू प्लेस, नई दिल्ली स्थित कंसल्टिंग इंजीनियरिंग सर्विसेज (सी.ई.एस.) के साथ भी काम करता था। इस छापेमारी के दौरान जब्त किए गए। कागजातों के विश्लेषण और कंप्यूटर हार्डडिस्क के डिकोडिंग से पता चला कि 11.40 करोड़ कमीशन भुगतान के अतिरिक्त झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड की ग्रामीण विद्युत् परियोजनाओं के ठेके में भी करीब 36.37 करोड़ रुपए का अवैध भुगतान हुआ है, जिसमें से 29.19 करोड़ रुपए आई.वी.आर.सी.एल. ने मधु कोड़ा को विनोद सिन्हा और उसकी कंपनी 'क्वांटम पॉवर टेक' के माध्यम से दिया है। इसका विवरण निम्नवत है—

क्र.	रिश्वत देनेवाला	रिश्वत की राशि
1.	आई.वी.आर.सी.एल.	11.40 करोड़ रुपए
2.	आई.वी.आर.सी.एल.	4.35 करोड़ रुपए
3.	आई.वी.आर.सी.एल.	4.76 करोड़ रुपए
4.	आई.वी.आर.सी.एल.	4.50 करोड़ रुपए
5.	क्वांटम पॉवर टेक	3.68 करोड़ रुपए
6.	क्वांटम पॉवर टेक	0.50 करोड़ रुपए
	कुल जोड़	**29.19 करोड़ रुपए**

छापेमारी के बाद आयकर अधिकारियों द्वारा जनवरी 2010 की विभिन्न तिथियों में की गई पूछताछ में आई.वी.आर.सी.एल. के क्षेत्रीय महाप्रबंधक डी.के.श्रीवास्तव, संयुक्त महाप्रबंधक (लेखा) वाई.एच. शिवा रेड्डी, परियोजना प्रबंधक, राँची ए.पी. श्रीवास्तव और एकाउंटेंट जी.एस. राजू ने लेन-देन के इस ब्योरा को संपुष्ट किया। ऊपर में दिए गए 11.44 करोड़ रुपए रिश्वत के तिथिवार भुगतान का विवरण मैंने 20 अक्तूबर, 2008 की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जारी किया था, वह डी.के. श्रीवास्तव के लखनऊ स्थित निवास पर आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा की गई छापेमारी में बरामद कागजातों से संपुष्ट हो गया। छापेमारी में 11.04 करोड़ रुपए कमीशन भुगतान तुरंत करने का एक अन्य प्रमाण भी आई.वी.आर.सी.एल के राँची कार्यालय से जब्त कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की डिकोडिंग से मिल गया।

जाँच अधिकारियों द्वारा की गयी पूछताछ में आई.वी.आर.सी.एल. के क्षेत्रीय

महाप्रबंधक डी. के. श्रीवास्तव ने बताया कि ''झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड में निविदा के आधार पर न्यूनतम दर होने के कारण उनकी कंपनी आई.वी.आर.सी.एल. का चयन झारखंड के लातेहार, पलामू और गढ़वा जिलों में ग्रामीण विद्युतीकरण के निर्धारित कार्यों को पूरा करने के लिए वर्ष 2006 में हुआ था। कार्यादेश जारी होने ही वाला था कि सितंबर 2006 में सरकार बदल गई। अर्जुन मुंडा को हटाकर मधु कोड़ा कांग्रेस, झामुमो और राजद के समर्थन से मुख्यमंत्री बन गए। इन्होंने ऊर्जा विभाग का प्रभार भी अपने पास रख लिया। इसके बाद कार्यादेश जारी करने के लिए सौदेबाजी शुरू हो गई। झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के मुख्य अभियंता (संचरण) आनंद सागर, वित्त नियंत्रक निरंजन राय और कतिपय अन्य अधिकारियों ने उन्हें बताया कि निविदा प्रक्रिया को अंतिम रूप देने तथा कार्यादेश जारी करने के लिए मुख्यमंत्री मधु कोड़ा की ओर से श्री विनोद सिन्हा अधिकृत किए गए हैं। इसके बाद झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के कार्यालय में अभिषेक राजपूत नामक एक व्यक्ति ने मेरी मुलाकात विनोद सिन्हा से कराई।

अभिषेक राजपूत आई.वी.आर.सी.एल. के मुख्य ऑपरेटिंग अधिकारी, पॉवर डिविजन, श्री जे.एल. विद्यासागर का हवाला देकर उनसे मिले थे और आश्वस्त किया था कि वे यह निविदा कंपनी को दिला देंगे। इसके लिए कंपनी ने परियोजना की लागत राशि का एक प्रतिशत उन्हें कमीशन के रूप में देने की शर्त पर उनके साथ सौदा किया। अभिषेक राजपूत ने विनोद सिन्हा के माध्यम से मुख्यमंत्री मधु कोड़ा से उनकी मुलाकात का समय निर्धारित कराया। तदनुसार कंपनी के निदेशक अशोक रेड्डी और परियोजना प्रबंधक, राँची ए.पी. श्रीवास्तव के साथ वे मुख्यमंत्री निवास में वर्ष 2007 के आरंभ में मधु कोड़ा से मिले।''

डी.के. श्रीवास्तव ने स्वीकार किया कि 07 जून, 2007 से 24 दिसंबर, 2007 के बीच विभिन्न तिथियों पर रिश्वत भुगतान का जो ब्योरा छापेमारी में उनके यहाँ से मिला है, वह रिश्वत राशि मधु कोड़ा को विनोद सिन्हा के मार्फत दी गई है। परियोजना का कार्यादेश देने के समय तय हुआ था कि कंपनी को कुल 3 प्रतिशत कमीशन देना होगा। इस कमीशन में से 2.50 प्रतिशत मुख्यमंत्री सह ऊर्जा मंत्री मधु कोड़ा के पास जाएगा। शेष 0.50 प्रतिशत कमीशन राशि विद्युत् बोर्ड के अधिकारियों को जाएगी, जिनमें बोर्ड के अध्यक्ष वी.एन. पांडे, सदस्य (वितरण) एस.एन. चौधरी, मुख्य अभियंता (संचरण) आनंद सागर, वित्त नियंत्रक निरंजन राय आदि का हिस्सा होगा। इसके अलावा बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारियों और बोर्ड कार्यालय के अधिकारियों को अलग से 1.50 प्रतिशत राशि का भुगतान होगा। अभिषेक राजपूत को दी जानेवाली एक प्रतिशत की राशि का भुगतान इसके अतिरिक्त होगी। इस प्रकार कमीशन की कुल राशि 5.50 प्रतिशत होती है।

प्रासंगिक ग्रामीण विद्युतीकरण परियोजना की कुल लागत 472 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा 67 करोड़ रुपए की लागत संचरण लाइन मद में स्वीकृत थी। यानी परियोजना की कुल लागत राशि 559 करोड़ रुपए थी। इस प्रकार 5.50 प्रतिशत की दर से भुगतान की जाने वाली कमीशन राशि करीब 30.75 करोड़ रुपए होती थी। कमीशन भुगतान के लिए इस अतिरिक्त राशि का जुगाड़ कार्य के विरुद्ध में वास्तविक बिल की राशि बढ़ाकर की जाती थी। कमीशन का भुगतान लेने के लिए विनोद सिन्हा द्वारा अधिकृत 'ललित' नामक एक व्यक्ति, जिसका वास्तविक नाम ललित जैन था, पहले से बताए गए नंबर वाला 10 रुपए का एक नोट लेकर आई.वी.आर.सी.एल. के मुंबई कार्यालय में आता था। यह ललित जैन वही शख्स है, जो मनोज पुनमिया का ममेरा भाई है और मधु कोड़ा, विनोद सिन्हा द्वारा की गई काली कमाई को हवाला के माध्यम से विदेशों में और देश के अन्य स्थानों पर भेजता था। इसके बारे में मैंने 20 अक्तूबर, 2010 को राँची में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विस्तार से बताया था। संवाददाता सम्मेलन में मैंने क्वांटम पॉवर टेक और इसके मुख्य कर्ताधर्ता रोहितास कृष्णन का जिक्र भी किया था। यह कंपनी वास्तव में विनोद सिन्हा की है, जिसके प्रबंधन का काम रोहितास कृष्णन देखते हैं। बोरिंग कैनाल रोड, पटना के निवासी रोहितास कृष्णन के पिता श्री शिवशंकर शर्मा झारखंड सरकार में कार्यपालक अभियंता के पद से हाल ही में सेवामुक्त हुए हैं। इनका पदस्थापन काफी समय तक चाईबासा में रहा, जिसके कारण इनका परिचय विनोद सिन्हा और मधु कोड़ा के साथ पहले से था।

आयकर अधिकारियों ने 31 अक्तूबर, 2009 को क्वांटम पॉवर टेक के राँची के हवाई नगर स्थित कार्यालय पर छापा मारा। वहाँ जब्त किए गए कंप्यूटरों के हार्ड डिस्कों को हैदराबाद स्थित सेंट्रल फॉरेंसिक लेबोरेटरी (सी.एफ.एल.) में जाँच के लिए भेजा गया, ताकि पासवर्ड तोड़कर इसमें अंकित विवरण तक पहुँचा जा सके। सी.एफ.एल. ने चौंकाने वाला विवरण भेजा, इसमें झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के काम की एवज में कमीशन भुगतान का जो ब्योरा दर्ज है, वह निम्नांकित है–

क्र.	तिथि	विवरण	राशि (लाख रुपए)
1.	02.11.08 से 07.02.09	श्रीनेत सांडिल्या	58.20
2.	01.12.08 से 17.12.08	सिनर्जी, टाटा	15.00
3.	20.12.08 से 20.01.09	रामजी पॉवर	70.00
4.	20.01.09 से 02.05.09	रोहितास कृष्णन	53.39
5.	31.12.08 से 08.06.09	पटनायक	8.00
6.	31.12.08	प्रवीण	5.00

7.	31.01.09	संजय/कोलकाता	20.00
8.	06.02.09	रवि/अग्रवाल	10.00
9.	17.02.09	निको	50.00
10.	19.02.09	नागार्जुन	10.00
11.	30.03.09	इलेक्शन	20.00
12.	09.04.09	रितेश श्रॉफ	5.00
13.	02.01.09 से 15.04.09	आई.वी.आर.सी.एल.	30.78
14.	25.04.09	विकास सिन्हा	4.00
15.	09.06.09 से 24.06.09	विनोद सिन्हा	10.00
16.	13.07.09 से 16.07.09	क्वांटम पॉवर टेक	1.30
	कुल जोड़	**—**	**367.66 लाख रुपए**

3 करोड़ 67 लाख 66 हजार रुपए की उपर्युक्त राशि क्वांटम पॉवर टेक ने 02 नवंबर, 2008 और 13 जुलाई, 2009 के बीच विभिन्न कंपनियों से उन्हें बिजली बोर्ड एवं अन्य कार्यों के लिए ठेका दिलाने के बदले मधु कोड़ा को देने के लिए रिश्वत के रूप में प्राप्त की।

इसके अतिरिक्त आयकर अधिकारियों द्वारा रोहितास कृष्णन के दिल्ली स्थित निवास स्थान पर 31 अक्तूबर, 2010 को छापेमारी की गई। छापेमारी में कई प्रकार के कागजात बरामद हुए। बरामद कागजातों के विश्लेषण से पता चला कि रोहितास कृष्णन का हस्तक्षेप झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के अन्य कार्यों में भी था। झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड की बोर्ड मीटिंग, केंद्रीय क्रय समिति की मीटिंग खूंटी एवं डाल्टेनगंज में हुए ए.पी.डी.आर.पी. के कार्य, आई.वी.आर.सी.एल. एवं बी.ए.एस. मैनेजमेंट आदि कंपनियों एवं विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष आदि से हुए लेन-देन के कागजात इसके यहाँ बरामद हुए।

आई.वी.आर.सी.एल. के लखनऊ कार्यालय से मिले दस्तावेजों में अंकित रिश्वत भुगतान के विवरण चौंकाने वाले हैं। इनमें एक विवरण लोकसभा चुनाव 2009 के समय मधु कोड़ा को 4.35 करोड़ रुपए देने का है, जिसे राजपूत कंस्ट्रक्शन/वेंचर के एकाउंट से एडजस्ट किया गया। यह राशि पहले दी गई 11.40 करोड़ रुपए की रिश्वत राशि के अतिरिक्त है। इसी तरह कंपनी के माइंस डिविजन से मई 2008 में रिश्वत भुगतान करने का उल्लेख है। ऐसी रिश्वत का एडजस्टमेंट वैसी कंपनियों के नाम पर भुगतान दिखाकर किया गया है, जिन्हें कार्य आदेश तो मिला काम 'क्वांटम पॉवर टेक' ने किया। आई.वी.आर.सी.एल.ने ऐसे सभी अग्रिम भुगतान 'क्वांटम पॉवर टेक' के नाम पर दिखाया है, जबकि 'क्वांटम पॉवर टेक' के नाम से कोई कार्य आदेश जारी नहीं हुआ है।

आई.वी.आर.सी.एल. के निदेशक और झारखंड प्रोजेक्ट प्रभारी पूछताछ में स्वीकार किया कि मधु कोड़ा को उन्होंने कुल 29.19 करोड़ रुपए दिया, जिसमें अभिषेक राजपूत के माध्यम से चुनाव खर्च के लिए दिया गया कमीशन के 4.35 करोड़ रुपए शामिल हैं। क्वांटम पॉवर टेक को चेक द्वारा जो भी पैसा दिया गया, वह भी मधु कोड़ा के लिए दिया गया। उन्होंने मधु कोड़ा के लिए नकद पैसा कभी अपने कार्यालय में दिया तो कभी क्वांटम पॉवर टेक के हवाई नगर, राँची स्थित कार्यालय में जाकर पहुँचाया। मुंबई के हवाला कारोबारी ललित जैन को भी इनके द्वारा पैसा दिया गया, यह भुगतान मुंबई में किया गया। उन्होंने झारखंड में कुल 35.40 करोड़ रुपए का नाजायज खर्च स्वीकार किया। जबकि लखनऊ और राँची के इनके कार्यालय से मिले दस्तावेजों के अनुसार इनके द्वारा 112.52 करोड़ रुपए का भुगतान कमीशन के प्रतिशत के आधार पर किया गया, जिसमें 15 मई, 2008 तक 79.60 करोड़ रुपए का भुगतान हो चुका था।

ए.पी.डी.आर.पी. एवं संचरण लाइन बिछाने संबंधी कार्यों का ठेका प्राक्कलन से दो गुना से अधिक बढ़ी दर पर जिन कंपनियों को निविदा के उपरांत मिलता था, उनके कागजात पर कब्जा कर ये लोग उनसे काम जबरन हथिया लेते थे। झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड से संबंधित ऐसे सभी काम मधु कोड़ा की ओर से विनोद सिन्हा ने रोहितास कृष्णन नामक इस व्यक्ति के जिम्मे कर दिया था। इसके लिए रोहितास कृष्णन अपनी कंपनी क्वांटम पॉवर टेक का इस्तेमाल करता था। क्वांटम पॉवर टेक का वेबसाइट देखने से जाहिर हो जाता है कि जो काम इसे निविदा से नहीं मिला, वह काम भी वह और उसके लोग ही किया करते थे। इसके एक इशारे पर झारखंड राज्य बिजली बोर्ड के बड़े-से-बड़े अधिकारी ऊठक-बैठक किया करते थे।

'क्वांटम पॉवर टेक' ने आई.वी.आर.सी.एल., आई.ई.सी.एस. नागार्जुन कंस्ट्रक्शन, ए.टी.सी.ए., जुम डेवलपर्स, रामजी पॉवर आदि कंपनियों के राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना, ए.पी.डी.आर.पी., संचरण लाइन, पॉवर सबस्टेशन के कार्यों को भी सबलेट पर हथिया लिया। ये सभी काम उस समय आवंटित हुए, जब बी.एम. वर्मा और एच.बी. लाल झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष थे। इसके अलावा एच.बी. लाल की अध्यक्षता के समय 'मणिकरण पॉवर लि.' को पॉवर ट्रेडिंग का काम नामांकन के आधार पर मिला, जिससे कमीशन की राशि का कई बार पेमेंट क्वांटम पॉवर टेक के बैंक खाते में हुआ है।

ए.के. चुग झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष बने तो उन्होंने इन अनियमिताओं

पर लगाम लगाई। इनकी जाँच आरंभ की और इनकी बकाया राशि का भुगतान रोक दिया। झारखंड सरकार ने अचानक ए.के. चुग से विद्युत् बोर्ड का प्रभार लेकर ऊर्जा सचिव को दे दिया। यह निर्णय राज्य सरकार की नीयत पर सवाल खड़ा करने वाला है। जिस प्रकार आयकर अन्वेषण निदेशक, उज्ज्वल चौधरी को उनके पद से अचानक हटा दिया गया, उसी प्रकार श्री चुग को भी झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड के अध्यक्ष पद से हटाया गया। श्री चौधरी का स्थानांतरण तो उच्च न्यायालय ने रोक दिया, मगर राज्य के एक वरीय कर्तव्यपरायण अधिकारी होने के नाते श्री चुग ने राज्य सरकार का यह कड़ा निर्णय मन मारकर स्वीकार कर लिया। अगर उच्च न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो उज्ज्वल चौधरी की स्थिति भी शायद ऐसी ही हुई होती!

'मधु कोड़ा लूट राज' के संदर्भ में आयकर अन्वेषण निदेशालय की झारखंड-बिहार इकाई द्वारा तैयार प्रतिवेदन के आधार पर झारखंड राज्य विद्युत बोर्ड में हुए इस भ्रष्टाचार की जाँच सी.बी.आई. कर रही है। इसकी जाँच पहले झारखंड राज्य निगरानी ब्युरो कर रहा था। ब्युरो से यह जाँच अपने हाथ में लेने के लिए सी.बी.आई. को एक वर्ष से अधिक समय तक जद्दोजहद करनी पडी। झारखंड सरकार ने यह जाँच सी.बी.आई. को अगस्त 2011 में सौंपा।

□

चुनाव में भ्रष्ट आचरण

भारत के चुनाव आयोग ने लोकसभा और विधानसभा चुनावों में उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा निर्धारित किया है। 2009 के लोकसभा और विधान सभा चुनावों तक व्यय की यह सीमा लोकसभा चुनाव के लिए 25 लाख रुपए और विधानसभा चुनाव के लिए 10 लाख रुपए थी। इस में पर्चा-पोस्टर छपवाने, दौरा करने, सभाएँ करने, प्रचार करने, वाहन चलाने, टी.वी. एवं अखबारों में विज्ञापन एवं पेड न्यूज देने आदि से संबंधित सभी प्रकार के व्यय शामिल हैं।

मान्यता प्राप्त दलों के राष्ट्रीय अथवा राज्य स्तरीय नेताओं के दौरे पर होने वाले व्यय को छोड़कर किसी भी व्यक्ति अथवा संस्था के द्वारा चुनाव में किया गया व्यय उम्मीदवार के चुनाव-व्यय में शामिल माना जाता है। चुनाव के दौरान ऐसे सभी व्यय को चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित प्रारूप में संकलित करना पड़ता है। चुनाव आयोग के पर्यवेक्षक अथवा चुनाव आयोग द्वारा नियुक्त पदाधिकारी चुनाव के बीच ऐसे व्यय की जाँच करते रहते हैं। चुनाव प्रक्रिया की समाप्ति पर उम्मीदवार अथवा उनके प्रतिनिधि द्वारा चुनाव में हुए समस्त व्यय का विवरण वाउचर, रसीद, बकाया आदि ब्योरे के साथ एक माह के भीतर चुनाव आयोग के पास जमा करना पड़ता है। अगर व्यय का विवरण उम्मीदवार का प्रतिनिधि जमा करता है, तब भी उम्मीदवार को शपथ-पत्र पर इसे अपने हस्ताक्षर से संपुष्ट करना होता है। यानी चुनाव आयोग चुनाव में हुए व्यय के लिए पूरी तरह उम्मीदवार को जवाबदेह मानता है।

उम्मीदवार द्वारा दाखिल किए गए चुनाव व्यय विवरण की जाँच के उपरांत यदि आयोग व्यय विवरण से संतुष्ट नहीं होता है, तो एक 'कारण बताओ नोटिस' जारी कर असंतोषजनक व्यय विवरण का कारण पूछता है। 'कारण बताओ नोटिस' का उम्मीदवार का जवाब संतोषजनक नहीं होने पर चुनाव आयोग विजयी उम्मीदवार को लोकसभा अथवा विधान सभा की सदस्यता से अयोग्य ठहरा सकता है और एक निश्चित अवधि तक उसके चुनाव लड़ने पर भी रोक लगा सकता है।

इस आशय का एक 'कारण बताओ नोटिस' भारत के चुनाव आयोग ने झारखंड के सिंहभूम (अनुसूचित जनजाति) सुरक्षित लोकसभा क्षेत्र से लोकसभा आम चुनाव-2009 में निर्वाचित संसद सदस्य मधु कोड़ा को भेजा है। आयोग ने उनसे पूछा है कि लोकसभा चुनाव 2009 को अधिकतम सीमा 25 लाख रुपए से काफी अधिक करने के कारण क्यों नहीं आपको लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया जाए।

चुनाव आयोग को सौंपे गए व्यय विवरण में श्री कोड़ा ने बताया कि उन्होंने लोकसभा चुनाव-2009 में कुल 18 लाख 92 हजार 353 रुपए खर्च किया है, इसमें से 2 लाख 24 हजार 992 रुपए अखबारों और टी.वी. चैनलों को विज्ञापन मद में दिया है और 3 लाख 65 हजार 238 रुपए केबुल टी.वी. आदि से प्रचार पर खर्च किया है। उनके चुनाव में जनसभाओं पर केवल 1800 रुपए, जुलुसों पर तथा पर्चा-पोस्टर, ऑडियो-विडियो कैसेट बनाने पर 3 लाख 12 हजार 904 रुपए, वाहन मद में 4 लाख 89 हजार 9 रुपए एवं अन्याय मदों में 3 लाख 98 हजार 210 रुपए खर्च हुआ है। श्री मधु कोड़ा लोकसभा चुनाव 2009 में एक निर्दलीय प्रत्याशी थे। चुनाव आयोग के अधिकारियों ने श्री कोड़ा द्वारा जमा किए गए चुनाव व्यय विवरण को वैसे का वैसे स्वीकार कर लिया।

मधु कोड़ा के चुनाव के दौरान 17 अप्रैल, 2009 को चाईबासा बाजार में एक चुनाव सभा को संबोधित करते हुए मैंने कहा था कि लोकसभा चुनाव जीतने के लिए श्री मधु कोड़ा पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। मैंने चुनाव आयोग का ध्यान इस ओर आकृष्ट किया था कि श्री कोड़ा द्वारा चुनाव में जो धन खर्च किया जा रहा है, वह उसी अवैध कमाई की हिस्सा है जिसे हवाला के माध्यम से देश-विदेश में जमा किया गया है। मेरे भाषण पर श्री कोड़ा की ओर से मुझे वकालती नोटिस भेजा गया और धमकाया गया कि यदि मैंने इसके लिए माँफी नहीं माँगी तो वे मेरे खिलाफ अदालत में मामला दर्ज कराएँगे।

मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री काल में हुए घोटालों में अर्जित अवैध धन का पता लगाने के लिए आयकर अन्वेषण निदेशालय के अधिकारियों ने जगह-जगह छापेमारी की तो चाईबासा में उन्हें कुछ लोगों के यहाँ से ऐसे कागजात मिले, जिनसे पता चला कि मधु कोड़ा के लोकसभा चुनाव में अवैध धन का इस्तेमाल बड़े पैमाने पर हुआ है। जाँच अधिकारियों ने श्री कोड़ा से चुनाव व्यय का स्रोत पूछा तो उन्होंने बताया कि यह धन उनके समर्थकों एवं कतिपय उद्योगपतियों ने दिया है। परंतु न तो वे किसी ऐसे समर्थक का नाम बता पाए और न ही हिंडालको से डेढ़-दो लाख रुपए मिलने के अलावा किसी ऐसे उद्योगपति का नाम बता पाए जिसने उन्हें चुनाव खर्च के लिए धन दिया हो। इसके बाद जाँच अधिकारियों ने इनके चुनाव व्यय का ब्योरा जानने के लिए स्थानीय समाचार पत्रों दैनिक जागरण, प्रभात खबर, हिंदुस्तान आदि तथा सहारा एवं ई न्यूज के प्रबंधकों

से संपर्क किया और उनसे लिखित विवरण माँगा कि लोक सभा चुनाव 2009 में विज्ञापन एवं प्रचार के लिए श्री मधु कोड़ा ने उन्हें कितना भुगतान किया है। समाचार पत्रों और टी.वी. चैनलों के प्रबंधकों ने जाँच अधिकारियों को श्री कोड़ा से मिले धन का विवरण भुगतान रसीद की प्रतियों के साथ उपलब्ध करा दिया। इससे पता चला कि श्री कोड़ा की ओर से समचार-पत्रों और न्यूज चैनलों को मिलाकर कुल 28 लाख 1 हजार 729 रुपए का भुगतान किया गया है, जबकि श्री कोड़ा ने इस मद में मात्र 2 लाख 24 हजार 992 रुपए ही खर्च होने का ब्योरा चुनाव आयोग को दिया था।

समाचार पत्रों के प्रबंधकों को भुगतान करने की जो जानकारी श्री कोड़ा ने चुनाव आयोग को दी थी और उनसे प्राप्त होने वाली राशि का जो ब्योरा समाचार पत्र प्रबंधकों से जाँच अधिकारियों को मिला था, उसका तुलनात्मक विवरण निम्नांकित तालिका में है—

क्र. स.	समाचार-पत्र/ न्यूज चैनल का नाम	मधु कोड़ा द्वारा चुनाव आयोग को बताए गए भुगतान का ब्योरा (रुपए)	प्रबंधकों द्वारा जाँच एजेंसियों को किए गए भुगतान का ब्योरा (रुपए)	विज्ञापन का प्रकार
1.	दैनिक जागरण	75,000	13,94,676	एडवोटोरियल
2.	उदितवाणी	10,000	2,87,900	आलेख प्रकाशन
3.	प्रभातखबर	44,992	80,000	आलेख प्रकाशन
4.	सहारा टी.वी.	शून्य	5,00,000	प्रायोजित प्रसारण
5.	ई.टी.वी.	शून्य	45,223	विज्ञापन
6.	हिंदुस्तान/ हिंदुस्तान टाईम्स	95,000	4,93,930	आलेख प्रकाशन
	जोड़	**2,24,992**	**28,01,729**	

स्पष्ट है कि श्री कोड़ा ने चुनाव व्यय का गलत विवरण चुनाव आयोग को शपथ-पत्र पर दिया। अगर समाचार पत्रों और टी.वी. चैनलों को किया गया भुगतान ही उनका पूरा चुनाव व्यय मान लिया जाए, तब भी यह चुनाव आयोग द्वारा निर्धारित व्यय-सीमा 25 लाख रुपए से अधिक है और इनकी संसद सदस्यता समाप्त करने और उन्हें अगला चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य ठहराने के लिए काफी है।

परंतु श्री कोड़ा का चुनाव व्यय इतना ही तक सीमित नहीं था। इन्होंने इस चुनाव में 10 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया है। पूरा चुनाव व्यय लौह अयस्क घोटाला से जुड़े अभियुक्तों के द्वारा किया गया है। समाचार-पत्रों एवं टी.वी. चैनलों को प्रचार मद में विनोद सिन्हा ने नकद 5 लाख रुपए, विकास सिन्हा ने 2 लाख रुपए, राजेश पटेल ने नकद 2.5 लाख रुपए, राकेश कुमार ने नकद 4.46 लाख रुपए का भुगतान किया है। ये सभी नकद भुगतान 30 मार्च, 2009 से 19 अप्रैल, 2009 के बीच किए गए। इसके अलावा 5 लाख रुपए का एक अन्य भुगतान 9 मई, 2009 को चेक द्वारा सहारा टी.वी. को किया गया। इनका उल्लेख मधु कोड़ा द्वारा चुनाव आयोग के समक्ष दिए गए चुनाव व्यय विवरण में नहीं है।

घोटाले का शातिर अभियुक्त विनोद सिन्हा ने मधु कोड़ा के चुनाव के समय 450 मोटरसाईकिलें बिष्टुपुर, जमशेदपुर के यूनियन मोटर्स के यहाँ से खरीदा। ये मोटरसाइकिलें मधु कोड़ा के चुनाव क्षेत्र के व्यक्तियों के नाम से खरीदी गई। इसका नगद भुगतान विनोद सिन्हा के कर्मचारी बी.एन. गुप्ता एवं शारदा कंसल्टेंट के बबलू घोष द्वारा किया गया। यूनियन मोटर्स के मालिक प्रतीक आहूजा ने 750 मोटर साइकिलें बी.एन. गुप्ता और बबलू घोष से नकद भुगतान लेकर बेचना स्वीकार कर लिया है और संबंधित कागजात जाँच अधिकारियों को सौंप दिया है। प्रति मोटर साइकिल 48,000 रुपए की दर से कुल 2.16 करोड़ रुपए का नकद भुगतान किया गया है। इस भुगतान का कोई जिक्र मधु कोड़ा के चुनाव व्यय विवरण में नहीं है, जिसे लौह अयस्क घोटालेबाजों द्वारा किया गया है।

इसी तरह जमशेदपुर के ही भालोटिया मोटर्स से 31 बड़ी सवारी गाड़ियाँ लोकसभा चुनाव के समय मधु कोड़ा के लोकसभा क्षेत्र के लोगों के नाम से खरीदी गई। इनमें बोलेरो, स्कार्पियो, टुरिस्टर, मैक्सी, सवारी आदि गाड़ियाँ शामिल हैं। इन गाड़ियों की कुल कीमत 1 करोड़ 70 लाख 47 हजार 235 रुपए का नकद भुगतान लौह अयस्क माफिया गिरोह ने किया। इस भुगतान क जिक्र भी मधु कोड़ा के चुनाव व्यय विवरण में शामिल नहीं है।

राँची के राकेश प्रसाद, जिनके द्वारा प्रचार एवं विज्ञापन मद में समाचार पत्रों को मधु कोड़ा की ओर से नकद राशि का भुगतान किया गया, मधु कोड़ा के संसदीय चुनाव क्षेत्र में आदित्यपुर के प्रभारी थे। विनोद सिन्हा की कंपनी क्वांटम पॉवर टेक के निदेशक रोहितास कृष्णन ने 55 लाख रुपए चुनाव में आदित्यपुर क्षेत्र में बाँटने के लिए राकेश प्रसाद को दिया। इसका खुलासा तब हुआ, जब आयकर अधिकारियों ने रुक्मिनी टावर, राँची स्थित क्वांटम पावर टेक के कार्यालय पर छापा मारा। वहाँ जब्त कंप्यूटर के हार्ड डिस्क से उन्हें ये जानकारियाँ मिलीं।

चाईबासा के संजय पोद्दार नाम व्यक्ति ने मधु कोड़ा के चुनाव में पैसा बाँटने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाया। इन्होंने 6.23 करोड़ रुपए विभिन्न लोगों के बीच बाँटा। इन्हें

यह पैसा रोहितास कृष्णन एवं घोटाला के एक अन्य अभियुक्त रितेश श्रॉफ ने दिया। संजय पोद्दार ने जाँच एजेंसियों की पूछताछ में स्वीकार किया कि उन्होंने जो पैसा मधु कोड़ा के चुनाव में बाँटा, वह विनोद सिन्हा के यहाँ से आया था। विनोद सिन्हा के निर्देश पर उनका ड्राइवर बैद्यनाथ संजय पोद्दार के यहाँ से लोगों को देने के लिए पैसे ले जाता था। जिन लोगों को पैसा देना होता था, वे लोग पैसा लेने के लिए 10 रुपए का एक नोट दिखाते थे, जिस पर अंकित नंबर विनोद सिन्हा द्वारा पहले ही बता दिया गया रहता था। जो भी व्यक्ति विनोद सिन्हा द्वारा बताए गए नंबर वाला 10 रुपए का नोट लेकर आता था, उसे पैसा दे दिया जाता था।

चाईबासा के सुबोध दूबे नामक व्यक्ति ने स्वीकार किया कि मधु कोड़ा के चुनाव में पैसा बाँटने के लिए पैसे विनोद सिन्हा और रोहितास कृष्णन द्वारा दिए जाते थे। रोहितास कृष्णन ने सुबोध दूबे को 50 लाख रुपए और विनोद सिन्हा ने 40 लाख रुपए 14 अप्रैल, 2009 को मधु कोड़ा के चुनाव व्यय मद में दिया। सुबोध दूबे भी विनोद सिन्हा और मधु कोड़ा के साथ टाटा कॉलेज, चाईबासा में पढ़ता था। इसने संजय पोद्दार और राकेश प्रसाद द्वारा जाँच एजेंसियों के सामने दिए गए वक्तव्यों को भी सही बताया।

चाईबासा के पत्रकार राजेश पटेल ने भी मधु कोड़ा की ओर से पैसों का भुगतान किया। इन्होंने बताया कि इनका पूरा परिवार चुनाव में मधु कोड़ा के लिए काम कर रहा था, चुनाव में वह वित्त प्रबंधन से जुड़ा था। पहले वह 'दैनिक जागरण' का पत्रकार था। विनोद सिन्हा के कहने पर सत्यम् आर्ट एवं मीडिया के लिए काम करने लगा। उस कंपनी में वह एक अन्य पत्रकार अजीत कुमार द्विवेदी के माध्यम से काम करता था। उस कंपनी की गतिविधियाँ विनोद सिन्हा के इशारे पर चलती थीं। मधु कोड़ा के मुख्यमंत्री पद से हटते ही अजीत कुमार द्विवेदी ने सितंबर 2008 में यह कंपनी छोड़ दी। इनके ही हस्ताक्षर से सत्यम् आर्ट ऐंड मीडिया तथा सहारा टी.वी. चैनल के बीच प्रति माह 1.25 करोड़ रुपए भुगतान करने के आधार पर बिहार और झारखंड क्षेत्र के विज्ञापन प्रसारण का करार हुआ था।

श्री पटेल के अनुसार विज्ञापन मद में जितने पैसों का नकद भुगतान अखबारों को किया गया, उससे काफी कम की रसीद उनके प्रबंधकों से लिया गया। श्री पटेल ने राकेश प्रसाद के इस वक्तव्य को संपुष्ट किया कि आदित्यपुर क्षेत्र में मधु कोड़ा के चुनाव प्रभारी के नाते राकेश प्रसाद ने 'आदित्यपुर नोटिफाइड एरिया कमेटी' के उपाध्यक्ष एवं वार्ड कमिश्नरों को मधु कोड़ा का समर्थन करने के लिए धन दिया, उपाध्यक्ष को 5 लाख रुपए और वार्ड कमिश्नरों को 15 हजार रुपए प्रति वार्ड दिए गए। इन्होंने अपने इकबालिया बयान में इन सभी का नाम भी बताया है। विनोद सिन्हा ने मधु कोड़ा के चुनाव क्षेत्र के प्रभावशाली लोगों के बीच बड़े पैमाने पर नकद पैसा बाँटा। इसके लिए

कई लोगों को माध्यम बनाया, सत्यम आर्ट एवं मीडिया की ओर से मधु कोड़ा के लिए विज्ञापन एवं प्रचार सामग्री तैयार की जाती थी और इन प्रचार सामग्रियों को अखबारों तक पहुँचाने का काम किया जाता था। चुनाव व्यय रजिस्टर में ऐसे भुगतान को वास्तविक राशि से काफी कम दिखाया जाता था।

आयकर अधिकारियों ने अपने प्रतिवेदन में मधु कोड़ा के चुनाव में हुए व्यय का जो आँकड़ा दिया है, वह 10 करोड़ रुपए से अधिक है। मगर चुनाव व्यय का यह विवरण मुख्यत: चाईबासा, सरायकेला और खरसाँवा विधान सभा क्षेत्रों का है। शेष तीन विधान सभा क्षेत्रों जगन्नाथपुर, मनोहरपुर और मंझगाँव में इससे काफी अधिक खर्च हुआ है। इसके अलावा 100 से अधिक युवक-युवतियाँ मधु कोड़ा के चुनाव में कोलकाता से लाए गए थे, जो इनके पूरे चुनाव क्षेत्र में 'मधु कोड़ा यूथ एक्सप्रेस' के नाम से नाटक, नृत्य, गीत-संगीत आदि के माध्यम से मनोरंजन का काम करते थे। इनके कार्यक्रमों की खबरें वहाँ के अखबारों में खूब छपती थीं। मगर इस मद में होने वाले चुनाव व्यय का कोई जिक्र मधु कोड़ा के चुनाव व्यय विवरण अथवा आयकर अन्वेषण निदेशालय के प्रतिवेदन में नहीं है। ये सब व्यय भी जोड़ दिए जाएँ तो स्पष्ट हो जाएगा कि मधु कोड़ा ने लोकसभा 2009 चुनाव जीतने के लिए 20 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया।

वास्तव में मधु कोड़ा और उनके समर्थकों ने चुनाव जीतने के लिए जी-जान लगा दिया था। वे मान बैठे थे कि जिस तरह निर्दलीय विधायक के रूप में मधु कोड़ा पैसों के बल पर झारखंड के राजनैतिक दलों को अपनी उँगलियों पर नचाते रहे, उसी तरह निर्दलीय सांसद के रूप में केंद्र में बनने वाली यू.पी.ए. की सरकार को प्रभावित करने की भूमिका वे निभाएँगे। लोकसभा चुनाव जीतने के तुरंत बाद केंद्र सरकार गठन के समय उन्होंने कतिपय निर्दलीय सांसदों को इस मुहिम के साथ जोड़ने का प्रयास भी किया, परंतु लोकसभा में सांसदों की संख्या का गणित उनके अनुकुल नहीं बैठा और उनका मंसूबा एवं उनकी धरा का धरा रह गया। राष्ट्रपति शासन के दौरान 30 नवंबर, 2011 को झारखंड राज्य निगरानी ब्यूरो द्वारा उनकी गिरफ्तारी उनके भ्रष्ट आचरण और षड्यंत्रकारी महात्त्वाकांक्षा के ताबूत में अंतिम कील साबित हुई।

आयकर अन्वेषण निदेशालय के जाँच प्रतिवेदन का हवाला देते हुए मैंने भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को एक पत्र भेजा और चुनाव में निर्धारित सीमा से अधिक व्यय करने के आरोप में उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द करने की माँग की। झारखंड के राज्यसभा चुनाव- 2010 में मीडिया में दिखाए गए स्टिंग ऑपरेशन के आधार पर कई विधायकों पर मुकदमा दर्ज करने के मुख्य निर्वाचन आयुक्त के आदेश का स्मरण कराते हुए मैंने निवेदन किया कि यह मामला केंद्रीय जाँच एजेंसियों की छानबीन के आधार पर पकड़ाए ठोस कागजातों पर आधारित है। जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 और

चुनाव आचार संहिता, 1961 के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार चुनाव व्यय में अनियमितता के लिए किसी निर्वाचित सदस्य को अयोग्य ठहराए जाने का प्रावधान है। अत: चुनाव में भ्रष्ट आचरण एवं घोटाले के काले धन का इस्तेमाल करने और मतदाताओं को प्रलोभन देकर प्रभावित करने के लिए मधु कोड़ा को लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य ठहराने और इन्हें भविष्य में कोई भी चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित की काररवाई आयोग करे।

मेरे इस शिकायत पत्र के आलोक में भारत के चुनाव आयोग ने मधु कोड़ा को नोटिस जारी किया। कि चुनाव में निर्धारित सीमा से काफी अधिक व्यय करने के कारण क्यों नहीं उनकी लोकसभा सदस्यता रद्द कर दी जाए? पहले तो श्री कोड़ा टालते रहे, परंतु तीसरी नोटिस के बाद जब उन्हें लगा कि चुनाव आयोग एकतरफा काररवाई कर सकता है तो उन्होंने चुनाव आयोग की नोटिस के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट में रिट याचिका दायर की और इस नोटिस को रद्द करने की माँग की। दिल्ली उच्च न्यायालय ने विगत 19 अक्तूबर, 2011 को उनकी याचिका खारिज कर दी और निर्णय सुनाया कि चुनाव के हर पहलू संबंध में पर्यवेक्षण करने और विधि सम्मत काररवाई करने का पूरा अधिकार चुनाव आयोग को है। श्री कोड़ा ने दिल्ली उच्च न्यायालय के इस निर्णय के खिलाफ उच्चतम न्यायालय में अपील दायर किया है, जो विचाराधीन है।

□

सारंडा : ग्रीन स्टील बनाम ग्रे स्टील

झारखंड के पश्चिम सिंहभूम जिले का लौह अयस्क बहुल इलाका जितना मशहूर लौह अयस्क के विपुल भंडार के लिए है, उतना ही प्रसिद्ध सारंडा के सघन 'साल वन' और वन्य प्राणियों एवं जैव-विविधता के लिए भी है। मधु कोड़ा लूट राज में इस विश्व प्रसिद्ध प्राकृतिक धरोहर पर लौह अयस्क घोटालेबाजों की कुत्सित नजर पड़ गई। देखते-ही-देखते इस सघन वन क्षेत्र पर लौह अयस्क खनन पट्टा के लिए आवेदनों की भरमार लग गई। मधु कोड़ा लूट राज में वर्ष 2006 से 2008 तक झारखंड सरकार के पास इस क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए जितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, यदि उन सभी आवेदनों पर खनन पट्टा की स्वीकृति दे दी जाए तो सारंडा वन क्षेत्र इतिहास के पन्नों में सिमटकर रह जाएगा।

सारंडा एशिया का सबसे बड़ा और घना 'साल वृक्ष वन' है। साल वृक्ष को 'ग्रीन स्टील' कहा जाता है। साल वृक्ष के बारे में कहावत है कि ''सौ साल खड़ा, सौ साल पड़ा, फिर भी नहीं सड़ा''। 'सारंडा' शब्द का अर्थ स्थानीय 'हो' भाषा में 'सात सौ पहाड़ियों वाला क्षेत्र' है। यह वन कभी इतना घना था कि दोपहर में भी सूर्य की रोशनी का अहसास जमीन पर नहीं होता था। यह इलाका वस्तुत: 'रेन फॉरेस्ट' सदृश था, जहाँ अमूल्य जैव विविधता का विपुल भंडार है। यह दुर्लभ वन्यप्राणियों का वास स्थल भी है और विचरण एवं भ्रमण-स्थल भी। सारंडा वन की सुरम्य छटा की झलक पाने और इसके हृदयस्थल में निर्मित वन विभाग के अतिथि गृहों में समय बिताने के लिए पहले दूर-दराज से पर्यटकों और वन-प्रेमी सैलानियों का ताँता लगा रहता था। परंतु सारंडा साल वन की ये विशेषताएँ अब तेजी से लुप्त होते जा रही हैं।

अभी भी किरीबुरु स्थित 'स्टील आथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल)' के अतिथि गृह से सूर्योदय एवं सूर्यास्त का जैसा मनोरम एवं मनोहारी दृश्य दिखाई पड़ता है, वह अन्यत्र दुर्लभ है। सारंडा की पहाड़ियों की किसी भी चोटी पर खड़े होकर निहारते समय सामने जैसा अद्‌भुत सुरम्य प्राकृतिक दृश्य का अवलोकन होता है, उसे दुनिया के किसी भी पर्यटक स्थल से उन्नीस नहीं कहा जा सकता। परंतु बिडंबना है कि इसके साथ ही अब सारंडा के सघन वन क्षेत्रों के बीच-बीच में लौह अयस्क खनन के वैसे दृश्य भी दिखाई पड़ने लगे हैं, जिनसे इस विश्व प्रसिद्ध वन के विनाश के भावी तस्वीर की कल्पना की जा सकती है। लौह अयस्क के अविवेकपूर्ण खनन और व्यापार से जुड़ा माफिया समूह मानो इस सघन वन क्षेत्र को विनष्ट कर देने पर उतारू है!

'ग्रीन स्टील' की संज्ञा से विभूषित साल वृक्ष की जड़ें सारंडा की जिस भूमि में गहराई तक गड़ी हुई हैं, उसकी सतह के नीचे लौह अयस्क का विशाल भंडार छिपा हुआ है। लौह अयस्क को ''ग्रे स्टील'' की सज्ञा दी गई है। इस लौह अयस्क भंडार पर देश और दुनिया की इस्पात निर्माता कंपनियों की नजर गड़ी हुई हैं। करीब 81 हजार हेक्टेयर वाले सारंडा वन क्षेत्र पर खनन पट्टा प्राप्त करने के लिए जितने आवेदन पड़े हैं, उनका कुल क्षेत्रफल जोड़ने पर 82 हेक्टेयर से अधिक हो जाता है। झारखंड के प्राकृतिक संसाधनों के आधार पर पूँजी निवेश करने के लिए औद्योगक कंपनियाँ कितना उत्सुक रही हैं, इसकी एक झलक राज्य सरकार और कंपनियों के बीच अब तक हुए एम.ओ.यू. से मिलती है। अब तक कुल करीब 2,57,406 रुपए निवेश के एम.ओ.यू. हो चुके हैं

परिशिष्ट-2 सारंडा वन क्षेत्र का क्षेत्रफल करीब 81,000 हेक्टेयर है, जबकि इस क्षेत्र पर खनन पट्टा के लिए डाले गए आवेदनों में अंकित क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 82,086.878 हेक्टेयर है। इसके अतिरिक्त सारंडा के वन क्षेत्र में इसके पूर्व करीब 9,475 हेक्टेयर क्षेत्रफल पर स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया (सेल), इंडियन आयरन ऐंड स्टील कंपनी (इस्को), टाटा स्टील, उषा मार्टिन सहित अन्य कंपनियों को खनन पट्टा दिया हुआ है।

परंतु खनन एवं इससे जुड़ी अन्य आर्थिक गतिविधयों के कारण विनष्ट होने की ओर तेजी से अग्रसर सारंडा वन क्षेत्र के भविष्य की चिंता राज्य सरकार और केंद्र सरकार में सत्ता शीर्ष पर काबिज व्यवस्था संचालकों को नहीं है। व्यवस्था पर पकड़ बनाए बैठे लोग तो इस क्षेत्र के इंच-इंच की कीमत बाजार भाव से ऊँची दर पर वसूलने के लिए उतारू हैं। ऐसे लोगों की मंडली के लिए प्रदूषण, जैव विविधता, वन्यजीव संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, कार्बन-डाइऑक्साइड उत्सर्जन, ग्लोबल वार्मिंग, ग्रीन हाउस इफेक्ट, अम्लीय वर्षा, मानव सभ्यता के वजूद पर खतरा इत्यादि गंभीर मुद्‌दे मात्र बौद्धिक चिंतन और ड्राइंगरूम बहस के विषय हैं। इनकी चिंता तो हर हथकंडा अपनाकर, अपना व्यापार बढ़ाने और हर कीमत पर अपना निहित स्वार्थ पूरा करने की है।

लौह अयस्क के लालची घोटालाबाजों ने सारंडा, कोल्हान और पोड़ाहाट के सुरक्षित एवं सघन वन क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्द्धन करने की केंद्र सरकार की एक महत्त्वपूर्ण

पहल को भी विफल कर दिया। पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के विशेष सचिव ने एक अर्द्ध सरकारी पत्र संख्या 11-28/2002 एफ.सी., दिनांक : 16.06.2003 झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को भेजा था। यह पत्र झारखंड सरकार के मुख्य सचिव को 24.06.2003 को प्राप्त हुआ। इस पत्र में राज्य के आरक्षित वनों और सघन वनों से वाणिज्यिक गतिविधियों अर्थात् खनन गतिविधियों को फेजआउट करने (क्रमश: समाप्त करने) के बारे में दिशा-निर्देश था। इस दिशा-निर्देश के आलोक में 17 फरवरी, 2005 और 28 मार्च, 2005 को नीतिगत निर्णय हेतु वरीय पदाधिकारियों की उच्च स्तरीय बैठकें हुईं और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप प्रस्ताव तैयार करने का निर्णय हुआ। तद्नुसार वन विभाग के क्षेत्रीय अधिकारियों ने 20 वर्षों के भीतर आरक्षित एवं सघन वन क्षेत्रों से खनन गतिविधियों को पूर्णत: समाप्त करने और सारंडा वन प्रमंडल के 63,199.89 हेक्टेयर, कोल्हान वन प्रमंडल के 70,006.23 हेक्टेयर तथा पोड़ाहाट वन प्रमंडल के 19,544.97 हेक्टेयर वन क्षेत्र को अभग्न (inviolate) क्षेत्र घोषित करने का प्रस्ताव तैयार किया। झारखंड के प्रधान मुख्य वन संरक्षक (पी.सी.सी.एफ.) ने पत्रांक : 19 एम.—1(5)19/2003-642 दिनांक 14.02.2006 द्वारा झारखंड सरकार के प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग को अभग्न घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों की सूची के साथ सारंडा, कोल्हान एवं पोड़ाहाट वन प्रमंडलों से खनन गतिविधियाँ क्रमश: समाप्त करने का प्रस्ताव भेजा और निवेदन किया कि राज्य सरकार इसकी गजट अधिसूचना जारी करे, ताकि वन्यप्राणियों की सुरक्षा के साथ-साथ उनके वास स्थलों को भी बचाया जा सके।

पथभ्रष्ट कौन?

9 मई, 2006 को प्रधान सचिव, वन एवं पर्यावरण विभाग, झारखंड सरकार ने विभागीय मंत्री के अनुमोदन के साथ अभग्न घोषित किए जाने वाले सघन एवं आरक्षित वन क्षेत्रो से खनन गतिविधियाँ क्रमश: समाप्त करने के लिए की जाने वाली गजट अधिसूचना का प्रारूप संचिका में रख दिया। इस पर तत्कालीन मुख्य सचिव ने आदेश दिया कि यह नीतिगत मामला है, इसलिए संचिका पर मुख्यमंत्री का आदेश प्राप्त करने के पहले इस पर उद्योग विभाग एवं खान विभाग का मंतव्य प्राप्त किया जाए। इसी बीच राज्य में सरकार बदल गई। अर्जुन मुंडा की जगह मधु कोड़ा झारखंड के मुख्यमंत्री बन गए। खान मंत्री का पदभार भी श्री कोड़ा के पास चला गया। संचिका पर उद्योग विभाग का असहमति सूचक मंतव्य प्राप्त हो जाने के बाद संचिका खान विभाग का मंतव्य प्राप्त करने हेतु पृष्ठांकित की गई। मंतव्य हेतु खान विभाग में जाने की प्रक्रिया में यह संचिका रास्ता भूल गई और 23 अगस्त, 2007 तक गायब रही। संचिका पर 23.08.2007 को

अंकित टिप्पणी से वस्तुस्थिति स्वत: स्पष्ट हो जाती है। संचिका पर टिप्पणी अंकित है कि ''यह संचिका पथभ्रष्ट हो गई थी, एक अन्य संचिका के साथ फोल्डर में बँधी होने के कारण समय पर उपस्थापित नहीं हो सकी।'' परंतु जिस संचिका के साथ फोल्डर में बँधकर यह संचिका पथभ्रष्ट हो गई थी, उस संचिका की संख्या और संचिका की विषय-वस्तु का कोई उल्लेख इस टिप्पणी में नहीं है, जोकि ऐसी स्थिति में नियमानुसार अवश्य होना चाहिए। संचिका के पथभ्रष्ट रहने की अवधि में सारंडा वन प्रमंडल के उन तमाम इलाकों पर पूर्णत: या अंशत: किसी-न-किसी उद्योगपति को लौह अयस्क खनन का पट्टा देने की अनुशंसा मधु कोड़ा सरकार ने कर दी, जिन्हें अभग्न घोषित करने हेतु अधिसूचना का प्रारूप इस संचिका में था। सवाल उठता है कि कौन पथभ्रष्ट हो गया था—यह संचिका या इस पर निर्णय लेनेवाले?

17 जुलाई, 2007 को प्रधान मुख्य वन संरक्षक ने पत्र संख्या 19 (एम.) -1 (5) 19/2003-3479 द्वारा अभग्न घोषित किए जाने वाले क्षेत्रों के बारे में राज्य सरकार को स्मार-पत्र दिया, परंतु कोई काररवाई नहीं हुई। यह संचिका खान विभाग और वन विभाग के बीच घूमती रही। किसी भी कारणवश जब सरकार किसी विषय में निर्णय नहीं लेना चाहती है या उस विषय को ठंडे बस्ते में डालना चाहती है तो संचिका को जलेबी की तरह ऊपर-नीचे घुमाते रहती है। राज्य के हित में और खनन माफिया के हितों के विरोध में भारत सरकार के निर्देश को भी धत्ता बताने वाला यह पराक्रम झारखंड सरकार के वन विभाग और खान विभाग के पदाधिकारियों और कर्मचारियों ने इस संचिका पर प्रदर्शित किया है। इससे सरकारी तंत्र पर खनन माफिया के प्रभाव का पता चलता है। इस संचिका में अंकित टिप्पणियों और रक्षित पत्राचारों का अवलोकन करने से स्पष्ट हो जाता है कि राज्य के सारंडा जैसे महत्त्वपूर्ण सघन एवं आरक्षित वनों को बचाने का प्रयास सत्ता पर काबिज खनन माफिया के प्रभाव के सामने किस प्रकार असफल होता रहा है!

लौह अयस्क खनन से पर्यावरण को कितना नुकसान हुआ है और प्रदूषण कितना बढ़ा है, इसका अनुभव, नोआमुंडी, बड़ा जामदा, गुआ, किरीबुरू इलाकों का भ्रमण किए बिना नहीं लगाया जा सकता है। प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र की दो प्रमुख नदियों 'कारो और कोयना' का पानी लाल हो गया है। इसका कुप्रभाव जनस्वास्थ्य पर हो रहा है। बच्चों के शरीर की चमड़ी उघड़ने लगी है। जानवरों और पशु-पक्षियों पर भी प्रदूषण का जानलेवा असर दिखाई पड़ रहा है।

राज्य में लौह अयस्क के व्यापक, बेतरतीव अविवेकपूर्ण एवं अवैध खनन से संबंधित क्षेत्रों के पर्यावरण पर गहरा प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। सारंडा वन क्षेत्र साल वृक्षों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ अनेक प्रकार के जीव-जंतुओं का निवास है। अवैध

खनन एवं परिवहन के कारण आज सारंडा वन के खनन क्षेत्रों के पेड़-पौधों के पत्ते लाल दिखते हैं। इन पत्तों पर लाल धूल की परत जम गई है। इस क्षेत्र से प्रवाहित होनेवाली 'कारो और कोयना' नदियों का पानी कई स्थानों पर प्रदूषित होकर लाल हो गया है। जगह-जगह पर नदियों की तलहटी में और किनारों पर महीन लौह अयस्क कणों की ठोस परत जम गई है। मनुष्यों और पशुओं का स्वास्थ्य इससे प्रभावित हो रहा है। सारंडा के घने साल वन में एक सवाल गूँज रहा है कि कौन ज्यादा खतरनाक है प्रदूषित लाल पानी या उग्रवादी लाल सलाम?

खदान से निकले ओवरडंप और फाइंस (महीन लौह अयस्क कण) का कचरा जहाँ-तहाँ फेंके जाने से वन क्षेत्र का पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी को काफी नुकसान हुआ है। यह क्षेत्र हाथियों के आवागमन के लिए गलियारा के रूप में जाना जाता है। अवैध खनन की बढ़ती गतिविधियों ने हाथियों के निर्बाध विचरण पर रोक लगा दी है। हाथियों को अपना परंपरागत आवागमन पथ परिवर्तित करने पर विवश होना पड़ रहा है। इसके कारण हाथी-मनुष्य संघर्ष की घटनाएँ बढ़ रही हैं। यह क्षेत्र हाथियों एवं अन्य वन्य जीवों का वास स्थल भी है और भ्रमण स्थल भी। अन्य वन्य जीवों एवं इस क्षेत्र की समृद्ध जैव-विविधता को भी बेलगाम खनन गतिविधियों से भारी नुकसान पहुँच रहा है। अविवेकपूर्ण खनन एवं आर्थिक गतिविधियों के कारण सारंडा वन क्षेत्र का जल-थल-नभ संकट में है।

2008 में विधान सभा की पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण समिति के संयोजक के नाते मैंने इस क्षेत्र का व्यापका दौरा किया था। बड़ा जामदा में एक ही जगह 50 से अधिक लौह अयस्क क्रेशर स्थापित थे। प्राय: सभी क्रेशर बिना स्थापना की अनुमति के चल रहे थे। जिन्हें स्थापना की सशर्त अनुमति मिली थी, वे भी अनुमति की किसी भी शर्त का अनुपालन नहीं कर रहे थे। इनके बगल में स्थित ई.एस.आई के सरकारी अस्पताल की ऐसी दुर्दशा इन क्रेशरों ने कर रखी थी कि बिजली आने पर जब ये सभी एक साथ चलने लगते थे तो मरीज और डॉक्टर दोनों अस्पताल छोड़कर भाग जाते थे। इनसे होने वाला ध्वनि प्रदूषण बरदाश्त से बाहर था। इनसे निकलने वाली धूल की मोटी परत अस्पताल के कमरों के फर्श पर बैठ जाती थी। लौह अयस्क परिवहन से होने वाले भीषण प्रदूषण का प्रभाव स्पष्ट दिखाई पड़ता था। बड़ा जामदा के साथ ही नोआमुंडी, गुआ आदि क्षेत्रों के जिन स्थानों पर लौह अयस्क के क्रेशर स्थापित थे, वहाँ की स्थिति भी कमोबेश एक जैसी थी। जंगल के पेड़ों पर लौह अयस्क के क्रशिंग से निकली लाल धूल की मोटी परत बैठी हुई थी। समिति ने इस बारे में विस्तृत प्रतिवेदन विधान सभा को सौंपा। प्रतिवेदन विधान सभा के पटल पर रखा भी गया। पर नतीजा कुछ नहीं निकला। यह इलाका तत्कालीन मुख्यमंत्री और संप्रति लौह अयस्क घोटाले के मुख्य

अभियुक्त मधु कोड़ा के विधान सभा क्षेत्र का हिस्सा है।

पुन: 11 और 12 अक्तूबर, 2010 को मैंने पर्यावरण विशेषज्ञों के साथ 'कारो और कोयना' नदियों के जलग्रहण क्षेत्र का भ्रमण किया। प्रदूषण की स्थिति इस क्षेत्र में पहले से अधिक गंभीर हो गई है। नदियों में जगह-जगह पर खनन का कुप्रभाव परिलक्षित हो रहा है। प्रदूषण के कारण इस क्षेत्र की जैव विविधता नष्टप्राय हो चुकी है। जंगल के बीचो-बीच सफर करने पर चिड़ियों की चहचहाहट अब सुनाई नहीं पड़ती है। वन्य-जीवों के आने-जाने का रास्ता, उनके भोजन और उनके पीने के पानी पर संकट खड़ा हो गया है। पेड़ों के पत्तों पर मोटी धूल की लाल परतें जमी दिखाई पड़ती हैं। नदियों एवं जलस्रोतों के जलचर नष्ट हो रहे हैं। वनस्पतियों एवं औषधियों के पौधों को भारी नुकसान पहुँच रहा है। इस क्षति की भरपाई कैसे हो सकती है और यह नुकसान कैसे रोका जा सकता है, इस पर सरकारी महकमे में न चिंता है और न चिंतन! अर्थव्यवस्था का ऐसा घिनौना चेहरा अन्यत्र कहीं शायद ही दिखे! लगता है देश और दुनिया के धनाढ्यों ने अपनी समृद्धि की हबस पूरी करने के लिए निहत्थी प्रकृति और बेजुबान प्राकृतिक संपदा पर हमला बोल दिया है। यह एकतरफा युद्ध है। 'ग्रीन स्टील बनाम ग्रे स्टील' के संघर्ष में आम लोग भुक्तभोगी हैं।

□

पुनश्च

साधन संपन्न व्यक्ति अथवा संस्थान यदि अपने धन-बल एवं पद-प्रभाव का नाजायज उपयोग ऐसे लाभ, सुविधा या अधिकार प्राप्त करने में करता है, जिसका जायज हकदार वह नहीं बल्कि कोई अन्य व्यक्ति अथवा संस्थान है, तो भ्रष्टाचार की व्यापक परिभाषा के अंतर्गत उसका यह कृत्य ''भ्रष्ट आचरण'' की श्रेणी में आता है। अनुचित लाभ हासिल करने की इस प्रक्रिया के अंतर्गत लेने वाले और देने वाले के बीच जिस धन अथवा सामग्री का आदान-प्रदान होता है उसे आमतौर पर ''रिश्वत'' का नाम दिया जाता है। यदि कोई सरकारी अधिकारी या संवैधानिक पदधारी इस प्रक्रिया में शामिल है और नियम-कानून द्वारा निर्धारित अपने कर्तव्य के विपरीत आचरण करता है तथा अपने पद का दुरूपयोग कर अनुचित तरीका से धन अर्जित करता है तो माना जाता है कि वह भ्रष्ट है और उसके द्वारा इस प्रकार हासिल धन अवैध है।

भ्रष्टाचार और रिश्वत का उपयोग किसी व्यक्तिगत या संस्थात्मक कार्य को गति प्रदान करने, उसे समय-सीमा के भीतर या समय-सीमा के पहले सम्पन्न करा लेने अथवा कार्य की राह में उत्पन्न होने वाली बाधाओं को दूर करने में होता है तो आजकल इसे ''स्पीड मनी'', ''ग्रीज मनी'' या ''सुविधा शुल्क'' की संज्ञा दी जाती है। किसी सरकारी ऑफिस में अपना जायज अथवा नाजायज काम कराने के लिए संबंधित संचिका की रफ्तार तेज करने हेतु दी जाने वाली रिश्वत, किसी ट्रक या बस को चेक नाका से पार कराने के लिए दी जाने वाली रिश्वत, बैंक से ऋण सहायता प्राप्त करने में हो रही देरी को कम करने के लिए दी जाने वाली रिश्वत आदि इस श्रेणी में आती है, जिसमें देने वाला भी अपनी आर्थिक लाभ-हानि का विश्लेषण कर इसे घाटा का सौदा नहीं मानता है और लेनेवाला भी इस अनुचित लाभ के लिए दबाव नहीं डालता है। रिश्वत देनेवाले और लेनेवाले दोनों को ही नफा-नुकसान की कसौटी पर इसमें प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष लाभ प्रतीत होता है। सरकारी कार्यालयों में इस लेन-देन का नाम दस्तूरी हो गया है।

मधुकोड़ा लूट राज में भ्रष्टाचार, कमीशनखोरी और रिश्वतखोरी से हासिल की जाने वाली अवैध रकम का दायरा 'स्पीड मनी, ग्रीजिंग एमाउंट अथवा सुविधा शुल्क' की सीमा तक ही सीमित नहीं था, इसने प्रकृति प्रदत्त राज्य संसाधनों का वैधानिक अधिकार हस्तांतरित करने और सरकार के कार्य विभागों के स्थापित नियमों की अवहेलना करने की एवज में जबरन वसूली करने का आपराधिक स्वरूप ग्रहण कर लिया था। इसकी भूमिका केवल सरकारी नीतियों को प्रभावित करने तक सीमित नहीं रह गई थी बल्कि समूचा सरकारी तंत्र इस अवैध धंधे को संचालित, नियंत्रित और प्रोत्साहित करने लगा था। निजी आर्थिक लाभ के लिए सरकारी पद के प्रभाव का दुरूपयोग करने और नाजायज तरीका से वसूले गए धन के आधार पर देश-विदेश में उद्योग और व्यवसाय खड़ा करने की दुस्साहसिक महत्त्वाकांक्षा का दुष्परिणाम संपूर्ण व्यवस्था पर होने लगा था।

ऐसी नाजायज गतिविधियों का लाभ संबंधित सरकारी तंत्र के माध्यम से समाज के प्रभावशाली वर्ग एवं निर्णायक तंत्र तक पहुँचता है और संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थाओं की संपन्नता के रूप में खुले आम दिखता है। यदि समुचित जाँच होती है तो इस प्रकार हासिल धन संबंधित व्यक्ति, व्यक्ति समूह अथवा संस्था के 'आय के ज्ञात स्रोत से अधिक संपत्ति' के रूप में चिन्हित होता है और जाँच नहीं होती है अथवा जाँच के उपरांत दंडात्मक एवं निरोधात्मक कारवाई नहीं होती है तो यह अनुचित आय संबंधित व्यक्ति अथवा संस्था की शान-शौकत एवं दबंगई के रूप में परिलक्षित होता है, जिसका संक्रामक प्रभाव अन्य व्यक्तियों और संस्थाओं को भी इस दिशा में क्रियाशील होने के लिए प्रेरित करता है।

भ्रष्टाचार से हासिल धन समाज के अयोग्य, कुपात्र, चापलूस और आपराधिक मनोवृत्ति वालों को धनवान और प्रभावशाली बनाता है तथा समाज में विशेषकर राजनीति, प्रशासन, उद्योग एवं व्यवसाय जगत में सफलता के ऐसे गलत उदाहरण प्रस्तुत करता है, जिसका सृजन वित्तीय आँकड़ों की हेराफेरी से होता है। इस भाँति सृजित धन का खुला उपयोग संभव नही हो पाता है। बैंकों में बेनामी खाता और महलों की तिजोरियों में कैद यह धन समाज में ऐशो आराम एवं फिजुलखर्ची के संक्रामक उदाहरण प्रस्तुत करता है, और भ्रष्ट, आपराधिक एवं आंतकी गतिविधियों को प्रोत्साहित करता है। ऐसा धन न केवल संसद् और विधान सभा के चुनावों को प्रभावित करता है बल्कि धनबल, बाहुबल एवं आपराधिक प्रवृति से युक्त लोगों को चुनावी राजनीति की ओर आकृष्ट करता है, अथवा उन्हें चुनावी प्रक्रिया को प्रभावित करने की दिशा में प्रेरित करता है और इस प्रक्रिया का हिस्सा बनकर सत्ता को नियंत्रित करने लगता है। यह प्रक्रिया राजनीतिक दलों और इनके नेताओं-कार्यकर्ताओं को भ्रष्टाचार के अन्तहीन दुष्चक्र का अभिन्न अंग बना देती है जिनके लिए राजनीति बिना ''पूँजी निवेश'' का उद्योग (इंडस्ट्री विदाउट इंभेस्टमेंट) बन जाता है।

सरकारी तंत्र के ऐसे आचरण पर अंकुश लगाने के लिए और दोषियों को दंडित करने के लिए भारत में १९४७ में एक ''भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम'' बनाया गया था। अधिक धारदार बनाने के लिए १९८८ में इस अधिनियम को संशोधित और परिवर्धित किया गया। अन्य दंडात्मक एवं विरोधात्मक प्रावधानों के साथ ही इस अधिनियम में आरोपी सरकारी अधिकारी अथवा कर्मचारी को दंडित करने के लिए वरीय अधिकारी के पूर्वानुमति का प्रावधान आवश्यक बना दिया गया, जिसके कारण प्रभावशाली लोग या तो इस कानून के दायरे में आने से बच जाते हैं अथवा दंड प्रक्रिया को विलम्बित करने में सफल हो जाते हैं। सम्प्रति संसद् से एक प्रभावी लोकपाल विधेयक पारित करने के लिए चलाया जा रहा अन्दोलन दंड प्रक्रिया के ऐसे अवरोधों को समाप्त करने की दिशा में एक सार्थक एवं प्रभावी प्रयास है।

'मधुकोड़ा लूट राज' में अपनायी गयी भ्रष्टाचार, रिश्वतखोरी, कमीशनखोरी की कारगुजारी भ्रष्टाचार की सारी हदों को पार कर गई थी। इसने आपराधिक आयाम ग्रहण कर लिया था। श्री कोड़ा दो वर्ष (सितंबर २००६ से अगस्त २००८) तक झारखंड के मुख्यमंत्री रहे। इस अवधि में झारखंड का शासन भ्रष्टाचार का पर्याय बन गया था। राज्य के प्राकृतिक संसाधनों की सौदेबाजी और सरकारी कार्य विभागों में दखलअंदाजी के माध्यम से बड़े पैमाने पर नाजायज वसूली की गई और इस नाजायज धन को हवाला के जरिये देश विदेश में विभिन्न स्थानों पर ले जाकर उद्योग एवं व्यवसाय में लगाया गया। इस अल्प अवधि में करीब ४,००० करोड़ रुपए के नाजायज धन का अवैध व्यापार हुआ। हवालेबाजों और घोटालेबाजों का एक संगठित समूह सुनियोजित तरीका से नेपथ्य में कार्यशील था और मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को कठपुतली की तरह नचा रहा था। मुख्यमंत्री पद के प्रभाव का दुरूपयोग कर घोटालेबाजों और हवालेबाजों के इस अदना सा समूह ने छोटे-मोटे उद्योगपतियों एवं व्यवासायियों को कौन कहे देश-दुनिया के नामी-गिरामी औद्योगिक घरानों को भी दबाव में ले लिया और उनसे बड़े पैमाने परे अवैध धन हासिल करने में कामयाब हो गया।

वैसे तो भ्रष्टाचार और कुशासन अलग राज्य गठन के समय ही झारखंड को बिहार के लालू-राबड़ी राज से विरासत में मिला था, परंतु विगत एक दशक में इसका विस्तार सुरसा के मुँह की तरह होता गया। नवसृजित राज्य की राजधानी राँची लालू प्रसाद के मुख्यमंत्रित्व काल में हुए चारा घोटाला का केंद्रबिंदु थी। झारखंड की राजनीति और शासन में प्रभावी ऐसे ही भ्रष्ट एवं षड्यंत्रकारी तत्त्वों का हाथ श्री कोड़ा की पीठ पर था। इन्होंने निर्दलीय विधायक होने के बावजूद उन्हें न केवल झारखंड का मुख्यमंत्री बनाया बल्कि उन्हें दो वर्ष तक मुख्यमंत्री पद पर टिकाए रखा, एक निर्दलीय विधायक को सर्वाधिक लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने और वरीय अधिकारियों के असहयोग का

रिकॉर्ड कायम किया और अपना स्वार्थ साधते रहे।

माननीय झारखंड उच्च न्यायालय, राँची के निर्देश पर भारत सरकार के अपराध अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारियों ने मधु कोड़ा लूट राज के विभिन्न पहलुओं की जाँच बारीकी से किया है। प्रतिकूल वातावरण के बावजूद इन्होंने घोटाला की धनराशि के राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय प्रवाह पथ को बखूबी चिन्हित किया है। आयकर अन्वेषण निदेशालय ने ४५ खंडों में और प्रत्येक खंड के कई उपखंडो में अपना जाँच प्रतिवेदन दिया है। प्रवर्तन निदेशालय द्वारा अबतक दायर दो आरोप पत्रों में चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। सी.बी.आई. ने भी एक आरोप पत्र दायर किया है। एक औद्योगिक घराना को अनुचित लाभ पहुँचाने की और उनके सूत्रधारों द्वारा मुख्यमंत्री स्तर पर ली गई रिश्वत और इस रिश्वत से हासिल की गई परिसंपतियों का प्रामणिक ब्यौरा इस आरोप पत्र में मौजूद है। आयकर अन्वेषण विभाग की बिहार-झारखंड इकाई द्वारा ४५ खंडों में तैयार किए गए प्रतिवेदनों में से एक प्रतिवेदन में तीन महत्त्वपूर्ण अनुशंसाएँ की गई हैं। इनमें से दो अनुशंसाओं के आलोक में अग्रेतर जाँच की कारारवाई प्रगति पर है।

एक अनुशंसा श्री मधु कोड़ा द्वारा लोकसभा चुनाव में चुनाव व्यय की निर्धारित सीमा से काफी अधिक धन व्यय करने के बारे में है। आयकर अन्वेषण निदेशालय ने प्रासंगिक प्रतिवेदन में इसका ठोस प्रमाण दिया है कि श्री कोड़ा ने अपने चुनाव में १० करोड़ रुपए से अधिक व्यय किया है, जब कि लोक सभा चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा मात्र २५ लाख रुपए निर्धारित है। इस अनुशंसा का संज्ञान भारत के चुनाव आयोग ने लिया है। इसके आलोक में 'भारत का चुनाव आयोग' श्री मधु कोड़ा के लोकसभा चुनाव २००९ में हुए अत्याधिक व्यय पर कारारवाई कर रहा है। आयोग ने श्री कोड़ा को कारण बताओ नोटिस जारी किया है कि क्यों न उनकी लोकसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाय। दूसरी अनुशंसा झारखंड राज्य विद्युत् बोर्ड की ग्रमीण विद्युतीकरण परियोजना के भ्रष्टाचार के बारे में है। इस प्रतिवेदन में करीब १२ करोड़ रुपए की रिश्वत ठेकेदार कंपनी से वसूले जाने का प्रमाण है, जिसका भुगतान श्री कोड़ा को हुआ है। इसकी जांच राज्य सरकार की सहमति से सी.बी.आई. ने अपने हाथ में ले लिया है।

प्रतिवेदन की तीसरी अनुशंसा मधु कोड़ा लूट राज में लौह अयस्क खनन पट्टा आवंटन अनुशंसा में बरती गई अनियमितताओं के बारे में है। इस अनुशंसा में कहा गया है कि—

१. मधु कोड़ा सरकार द्वारा खनन पट्टा आवंटन के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई अनुशंसाओं और खनन पट्टों का नवीनीकरण करने के निर्णयों की गहन समीक्षा की जाए तथा इसकी जानकारी भारत सरकार के खान मंत्रालय को दी जाए।
२. मधु कोड़ा एवं उनके सहयोगियों को रिश्वत/कमीशन देने वाली कंपनियों और व्यक्तियों के एकाउंट की जाँच की जाए।

३. आयकर विभाग और प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जाँच के निष्कर्षों को भारत सरकार के खान मंत्रालय के पास भेजा जाए।

४. तत्कालीन खान सचिव जयशंकर तिवारी और मधुकोड़ा के निजी सहायक बसंत भट्टाचार्य के वक्तव्यों में जिन उद्योगपतियों और व्यक्तियों के नाम रिश्वत देने के संबंध में आए हैं, उनकी जाँच की जाए।

५. आयकर अन्वेषण निदेशालय और प्रवर्तन निदेशालय की जाँच और छापामारी के दौरान जो कागजात मिले हैं, उनका मिलान रेलवे, ट्रांसपोर्टरों, और बंदरगाहों से प्राप्त अवैध खनन के कागजातों के साथ किया जाए तथा स्पेस सेंटर से डाटा लेकर इस समूह द्वारा किए गए अवैध खनन की जाँच की जाए।

६. इनके द्वारा चाईबासा में लौह अयस्क खदानों पर कब्जा करने और कब्जा की गई खदानों से निकाले गए लौह अयस्क की मात्रा की जाँच हो और एम्मार एलवॉयज प्रा. लि. एवं सरायकेला-खरसावॉ चाईबासा के अन्य स्पांज आयरन उत्पादक इकाईयों के चालान के साथ इनका मिलान किया जाए।

इस प्रतिवेदन में मधु कोड़ा लूट राज के समय आवंटित खनन पट्टों की गहन समीक्षा करने की सलाह ठोस प्रमाणों के साथ दी गई है । परंतु इस पर झारखंड सरकार और भारत सरकार मौन साधे हुए हैं। हालाँकि एक अन्य संदर्भ में सी.बी.आई. लौह अयस्क के अवैध खनन की जाँच झारखंड में भी कर रही है। इसके लिए सी.बी.आई. ने स्वयं पहल किया है।

आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा तैयार किया गया यह प्रतिवेदन अब सार्वजनिक हो गया है। इस प्रतिवेदन को देखने का मौका मुझे मिला है। अन्वेषण कार्य से संबंधित अधिकारियों की कर्मठता और कर्त्तव्यपरायणता की झलक इस प्रतिवेदन में मिलती है। यह एक उम्दा प्रतिवेदन है। इस प्रतिवेदन को अन्वेषण और विश्लेषण के एक प्रशंसनीय, अनुकरणीय और प्रेरक दस्तावेज की श्रेणी में शामिल किया जाना श्रेयस्कर होगा। व्यापक जनहित में आयकर अन्वेषण निदेशालय द्वारा आयकर विभाग को सौंपे गए ऐसे प्रतिवेदनों के सभी ४५ खंडों एवं उपखंडों को सार्वजनिक किया जाना चाहिए और इन्हें तैयार करने वाले अधिकारियों को प्रोत्साहित एवं पुरस्कृत किया जाना चाहिए। बताया जाता है कि इन प्रतिवेदनों का विस्तार करीब ३५ हजार पृष्ठों में है। इनके अध्ययन एवं विश्लेषण से लूटराज के किरदारों की अति महत्वाकांक्षा, दुस्साहस और तिकड़म के राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पहलुओं पर प्रकाश पड़ेगा।

मधु कोड़ा भ्रष्टाचार के आरोप में पिछले दो वर्ष से जेल में बंद है। घोटाला के प्रायः सभी आरोपी उनके खिलाफ बयान कलमबंद करा रहे हैं। अब तक आ रही सूचनाओं से संकेत मिल रहा है कि लूट राज के दौरान भ्रष्टाचार से अर्जित अवैध संपति और अनुचित लाभ में काफी कम हिस्सा उन्हें मिला पाया है। इसका बड़ा हिस्सा इन्हें कठपुतली की तरह नचाने वाले घोटालोबाजों और हवालोबाजों ने हड़प लिया है। श्री कोड़ा अपने किए की सजा भुगत रहे हैं। जिन हाथों ने इनकी महत्वाकांक्षा और धनलोलुपता को हवा दिया, इन्हें गुमराह किया, एक निर्दलीय विधायक होने के बावजूद इन्हें मुख्यमंत्री बनाया और दो वर्ष तक मुख्यमंत्री की कुरसी पर टिकाए रखा, इन्हें केंद्रबिंदु बनाकर लूटराज की साजिश रचा और अनुचित लाभ लिया, वही हाथ अब इन्हें बलि का बकरा बनाने पर तुले हुए हैं।

देश का जनमानस आज भ्रष्टाचार के विरूद्ध कमर कसकर खड़ा होने के लिए उद्यत है । भ्रष्टाचार विरोधी अभियानों को अपार जनसमर्थन मिल रहा है। भ्रष्टाचार के सगुण और निर्गुण पक्षों पर प्रहार तेज हो रहा है। वर्तमान कानूनों के तहत भी काररवाई हो रही है और समस्या के सार्थक समाधान की दिशा में एक कड़ा और धारदार कानून बनाने की कवायद भी चल रही है। इसके साथ ही भ्रष्टाचार के पृष्ठपोषकों द्वारा लोकतांत्रिक, सांवैधानिक और वैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने तथा कानून के प्रावधानों से भयभीत होने के बदले इन्हें मानमाफिक मोड़ने और इनकी बखिया उधेड़ने की मनोवृत्ति का निर्ल्लज प्रदर्शन भी किया जा रहा है। इस कारण सुशासन के संदर्भ में दल आधारित संसदीय प्रणाली के प्रति अविश्वास का माहौल कायम होता जा रहा है। राजनीतिक दलों की नीति, नीयत, कार्य प्रणाली और आचरण में जनता मात्र उन्नीस-बीस का फर्क महसूस कर रही है। यह खतरनाक स्थिति अपेक्षित सुधार और सार्थक परिवर्तन के लिए हो रहे प्रयासों के सफलीभूत होने की राह में बड़ी बाधा बन रही है।

भ्रष्टाचार से पैदा काले धन का जो हिस्सा विदेश में चला गया है उसे वापस लाया जाना जरूरी है, परन्तु उतना ही जरूरी है देश के भीतर काला धन को पैदा होने से रोकना। यह काला धन राजनीतिक दलों की दैनंदिन क्रियाकलापों और सांगठनिक गतिविधियों को प्रभावित कर रहा है। सत्ता में हिस्सेदारी सुनिश्चित करने, सत्ता प्राप्त हो जाने पर उसे बनाए रखने और सत्ता को अवैध धन अर्जित करने का हथियार बनाने का यह दुष्चक्र समस्या को गंभीर से गंभीरतम बनाता जा रहा है। कानून के प्रावधान कितना भी कड़ा क्यों न हो जाए उसे लागू करने वालों की नीयत में खोट रहेगी तो इनकी सार्थकता हमेशा संदेह के घेरे में रहेगी और इनके क्रियान्वयन पर प्रश्न चिह्न खड़ा होता रहेगा। संसदीय लोकतंत्र के स्वस्थ संचालन की प्राथमिक जिम्मेदारी राजनीतिक दलों की है। इनकी गतिविधियों को वैधानिक सीमा और लोकतांत्रिक मर्यादा के भीतर संचालित करने के लिए मौजूदा चुनाव कानून में अपेक्षित सुधार की आवश्यकता है।

आज भारत की अर्थव्यवस्था में सफेद और कालाधन का प्रभाव बराबर का हो गया है। केंद्र और राज्य सरकारों की वित्तीय व्यवस्था पर काला धन हावी होता जा रहा है, जिसका परिणाम सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में बढ़ोतरी के साथ-साथ आवश्यक

वस्तुओं एवं सेवाओं की मूल्यवृद्धि में दिखाई पड़ रहा है। गरीबी और अमीरी के बीच की खाई अधिकाधिक चौड़ी होती जा रही है। एक ओर धन उपलब्ध नहीं होने के कारण कृषि, सिचाई, सड़क, स्कूल, अस्पताल, पीने के पानी आदि आधारभूत संरचनाओं की स्थिति जर्जर है तो दूसरी ओर विलासिता की वस्तुओं का उत्पादन बढ़ रहा है और प्रचार माध्यमों के सहारे इनकी वितरण प्रणाली आम जन की गाढ़ी कमाई और बचत को जाने-अनजाने छीन ले रही है। भ्रष्टाचार से हासिल अवैध धन से आपराधिक, उग्रवादी और आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है । महँगाई के माध्यम से आम जन की जेब पर डाका डाल कर रोज दस-बीस रूपये जबरन निकाल लिए जा रहे हैं। यही धन अरबों-खरबों का होकर देश से विदेश और फिर देश में आकर हमारी अर्थव्यवस्था को अपनी जकड़ में ले रहा है। इस पर समय रहते अंकुश नहीं लगाया गया तो समाज में अराजक स्थिति उत्पन्न होगी। ऐसा कानून को धारदार बनाकर, भारतीय दंड संहिता के प्रावधानों में आवश्यक जनहितकारी सुधार लाकर और एक सार्थक एवं सतत जागरण अभियान एवं संघर्ष छेड़कर किया जा सकता है।

झारखंड का 'मधु कोड़ा लूट राज' भ्रष्टाचार और अवैध धन के गठबंधन का एक नायाब नमूना है। शासन-प्रशासन, राजनीति, विकास कार्य और अर्थव्यवस्था पर इसके प्रभाव का अध्ययन और विश्लेषण किए जाने की जरूरत है। जरूरत उन परिस्थितियों और घटनाक्रमों के बेबाक विश्लेषण की भी है, जिन्होंने व्यक्ति निर्माण और नैतिक राजनीति का ककहरा सीखने वाले मधु कोड़ा को बाजार की भ्रष्ट व्यवस्था की हबस का शिकार बना दिया। मधु कोड़ा मात्र एक संज्ञा नहीं है, वे विशेषण, क्रिया विशेषण बन गए हैं। इस परिप्रेक्ष्य में भ्रष्टाचार विरोधी सार्थक पहल के लिए नैतिक राजनीति बनाम राजनैतिक रणनीति, व्यक्ति बनाम व्यवस्था, राजनीतिक नेतृत्व बनाम प्रशासनिक तंत्र, सत्ता बनाम सुशासन के विभिन्न पहलुओं की मीमांसा आवश्यक है।

□□□